



LIMITED

आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

इकतीसवीं वार्षिक महासभा

दिनांक : 26 सितम्बर, 2024

दिन : गुरुवार

समय : प्रातः 11:30 बजे

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/
अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम)
के द्वारा

विषय-वस्तु

निदेशक बोर्ड व प्रमुख अधिकारी.....	02
वित्तीय विशेषताएं.....	03
वार्षिक कार्य निष्पादन रूझान	04
सूचना	05
बोर्ड की रिपोर्ट	15
नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां(स्टेण्डअलोन व समेकित) व प्रबन्धन के उत्तर..	43
निगमित शासन प्रणाली पर रिपोर्ट.....	69
कारोबार दायित्व और स्थिरता रिपोर्ट.....	83
एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी का कल्याण	104
एओसी-1 प्रपत्र	106
स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट	108
तुलन-पत्र	119
लाभ एवं हानि का विवरण	120
नकद-प्रवाह विवरण	121
लेखांकन नीतियां तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	124
स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट (समेकित)	193
समेकित तुलन-पत्र	203
समेकित लाभ एवं हानि का विवरण	204
समेकित नकद-प्रवाह विवरण	205
लेखांकन नीतियां तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	208

(08.08.2024 की स्थिति अनुसार)

निदेशक बोर्ड

श्री राहुल भावे	उप प्रबंध निदेशक
श्री जितेन्द्र असाठी	सरकारी निदेशक
श्री सुरजीत कार्तिकेयन	सरकारी निदेशक
प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन	गैर-कार्यकारी निदेशक
प्रो. अरविन्द सहाय	गैर-कार्यकारी निदेशक
श्री सुरेन्द्र बेहरा	गैर-कार्यकारी निदेशक
श्री अरविंद कुमार जैन	गैर-कार्यकारी निदेशक
श्री उमेश कुमार गर्ग	स्वतंत्र निदेशक

(08.08.2024 की स्थिति अनुसार)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री बी वी एस अच्युता राव

प्रमुख अधिकारी

कार्यकारी निदेशक

श्री प्रसून

श्री सचिकान्त मिश्रा

मुख्य महाप्रबंधक

श्री सुनीत शुकला
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

सुश्री पूजा एस महाजन
(बोर्ड की सचिव)

श्री अतुल सक्सेना
(एसएचसीआईएल में एमडी और सीईओ के रूप में प्रतिनियुक्ति पर)

महाप्रबंधक

श्री वी अनीश बाबू
(आईवीसीएफ में एमडी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर)

श्री बिकाश कांति रॉय

सुश्री रीता जान

श्री राजेश कुमार गुप्ता

श्री दीपक मिश्रा

श्री शमीक दासगुप्ता
(आईएलडी में कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर)

श्री आलोक सभरवाल

सुश्री सी सेंथी

श्री शक्ति कुमार

श्री मनोज कुमार परिदा
(एसएचसीआईएल में मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में प्रतिनियुक्ति पर)

श्री देबाशीष गुप्ता
मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ)
एवं मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ)

श्री बी बी साहू

श्री पी जी जयशंकर
(मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ))

श्री हिमांशु शर्मा

श्री हर्ष गुप्ता

श्री अलन सेवियो पचेको
(आईएफएल में एमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार)

सुश्री छवि सिंघल

श्री जगदीश गरवाल
मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)

कंपनी सचिव

प्रियंका शर्मा

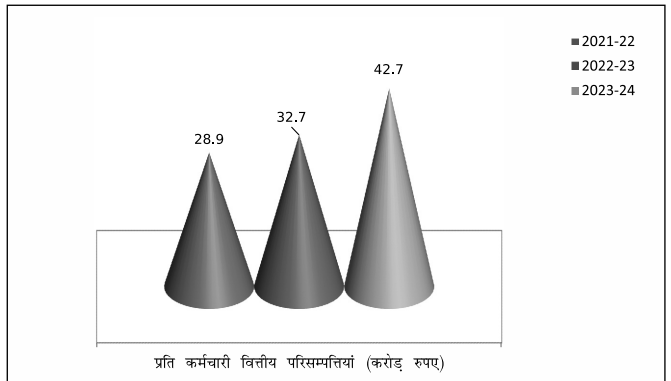
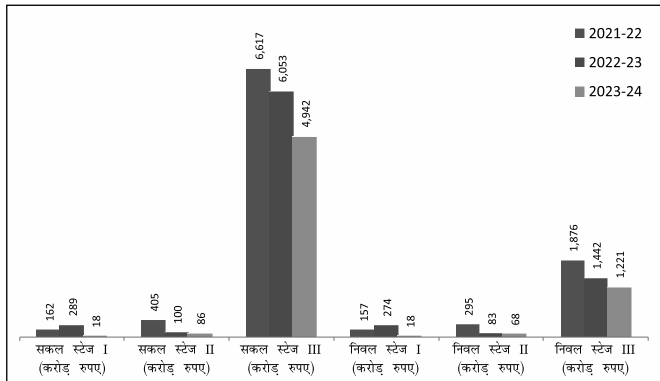
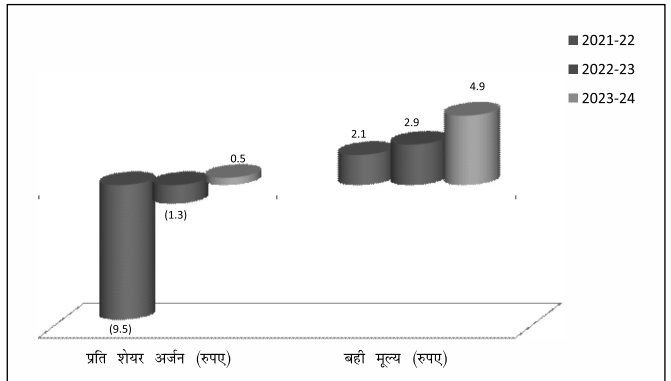
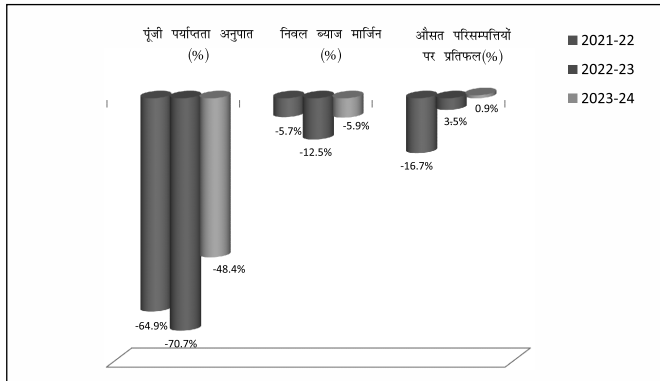
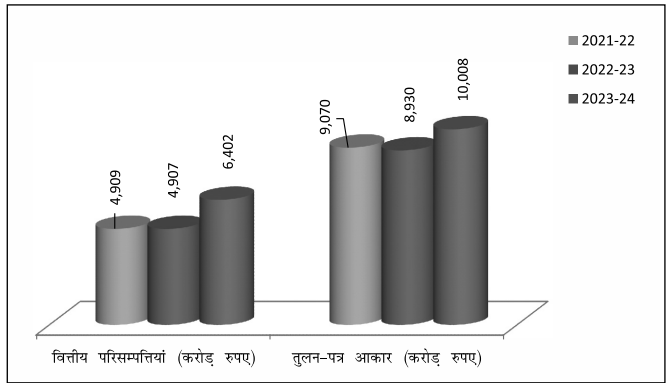
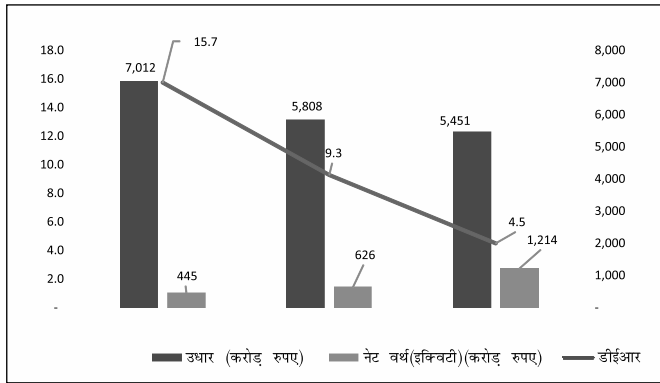
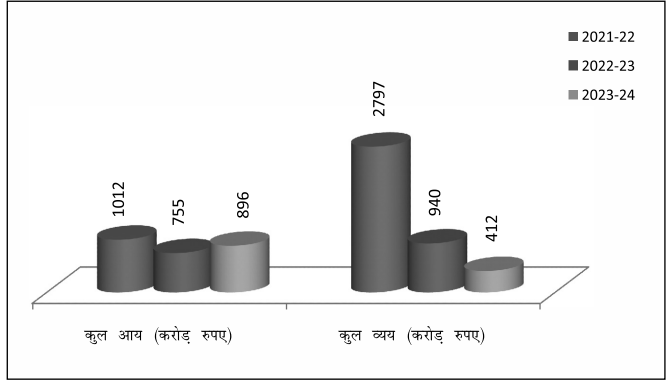
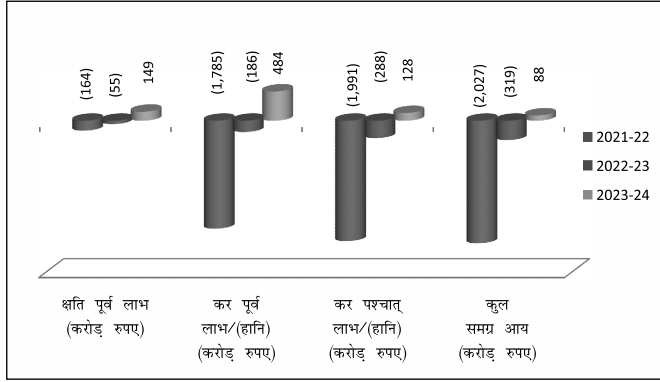
सांविधिक लेखा-परीक्षक

एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखापाल

वित्तीय विशेषताएं

	(करोड़ रुपए)		
	31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार (पुनःस्थापित)
देयताएं तथा इक्विटी			
वित्तीय देयताएं	8,707.01	8,220.32	8,545.44
गैर-वित्तीय देयताएं	86.48	83.68	79.31
शेयर पूंजी	2,489.61	2,195.93	2,102.99
अन्य इक्विटी	(1,275.41)	(1,569.83)	(1,657.54)
	10,007.69	8,930.10	9,070.20
परिसम्पत्तियां			
गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	3,555.91	4,022.61	4,160.70
वित्तीय परिसम्पत्तियां	6,402.37	4,907.45	4,909.46
बिक्री के लिए रखी गई वर्गीकृत परिसम्पत्तियां	49.41	0.04	0.04
	10,007.69	8,930.10	9,070.20
	2023-2024	2022-2023 (पुनःस्थापित)	2021-2022 (पुनःस्थापित)
अर्जन			
कुल आय (करोड़ रुपए)	895.94	754.76	1,011.64
क्षति पूर्व लाभ	148.63	(55.36)	(163.75)
कर-पूर्व लाभ/(हानि) (करोड़ रुपए)	483.80	(185.57)	(1,785.10)
कर-पश्चात् लाभ/(हानि) (करोड़ रुपए)	128.25	(287.58)	(1,991.33)
कुल समग्र आय	88.10	(319.35)	(2,026.66)
अनुपात			
जोखिम परिसम्पत्तियों के अनुपात की तुलना में पूंजी	-48.35%	-70.66%	-64.85%
ऋण-इक्विटी अनुपात	4.49	9.28	15.74

वार्षिक कार्य-निष्पादन रूझान



सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यों की इकतीसवीं (31वीं) वार्षिक महासभा (एजीएम) गुरुवार, दिनांक 26 सितम्बर, 2024 को प्रातः 11:30 (आईएसटी) बजे, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विडियो माध्यम (ओएवीएम) के जरिए निम्नलिखित संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य-संव्यवहार

1. निम्नलिखित पर विचार करना और अपनाना-

- क. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखा-परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, साथ ही उन पर निदेशक मंडल और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ, और
- ख. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखा-परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, साथ ही उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ।

2. प्रो. अरविंद सहाय (डीआईएन: 03218334) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक महासभा पर रोटेशन से सेवानिवृत्त हो जाएंगे और पात्रता के कारण उन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) तथा 142 के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक (को) का पारिश्रमिक निर्धारित करना तथा निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा उनके बिना एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (लेखा-परीक्षा व लेखा-परीक्षक) नियमावली 2014 (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) की धारा 139(5) और 142 तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक(ों) का पारिश्रमिक, जो भी उचित समझा जाए, तय करने और निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाए और एतद्वारा किया जाता है।”

विशेष कार्य-संव्यवहार

4. निम्नलिखित संकल्प(ों) पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो विशेष संकल्प(ों) के रूप में पारित करना। निदेशक मंडल, जिसमें उनकी कोई समिति भी शामिल है, को इस संकल्प के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान, निजी प्लेसमेंट से एक या अधिक किस्तों में 1000 करोड़ रुपये तक की राशि तक प्रतिभूतियों में अधिदान करने/निधि जुटाने बांडों और गैर-संपरिवर्तनीय परन्तु डिबेंचरों तक सीमित नहीं, के लिए प्रस्ताव या आमंत्रण देने के लिए अधिकृत करने के संबंध में:-

“संकल्प किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 71 के उपबन्धों तथा लागू अन्य उपबन्धों, यदि कोई हों, एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार (उस समय लागू किसी सांविधिक आशोधन (आशोधनों) या उसके अधिनियमन (अधिनियमनों) तथा अन्य किन्हीं प्रयोज्य विधियों, जिसमें सेबी (गैर संपरिवर्तनीय डिबेंचरों का निर्गम व सूचीकरण) विनियमावली, 2021, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 तथा प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 और लागू अन्य सेबी विनियम और मार्गनिर्देश, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों/निर्देशों/मार्गनिर्देशों तथा समय-समय पर यथासंशोधित लागू अन्य कोई नियम/विनियम, कम्पनी के संगम-ज्ञापन एवं संगम-अनुच्छेद के उपबन्ध शामिल हैं तथा यथालागू, यथापेक्षित, आवश्यक अनुमोदन लेने की शर्त, जिसमें करार/विलेख की शर्तों के अधीन, यदि अपेक्षित हो, डिबेंचरधारकों के विद्यमान ऋणदाताओं/न्यासियों

का अनुमोदन भी शामिल है और ऐसा अनुमोदन, अनुमति/मंजूरियाँ, जिस पर कम्पनी के निदेशक बोर्ड (बोर्ड), द्वारा सहमति दी जाए, कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रुपये की राशि के अप्रतिभूत/प्रतिभूत, सूचीबद्ध/गैर सूचीबद्ध, अनवरत/विमोच्य, असंपरिवर्तनीय संचयी/गैर संचयी/कर योग्य/कर मुक्त, वरिष्ठ/अधीनस्थ बॉन्ड/इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड/जीरो कूपन बॉन्ड/मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड/डिबेंचर/नोट भारत में और/या भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियों बाह्य वाणिज्यिक उधारों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, अन्य ऋण प्रतिभूतियों आदि के माध्यम से एक या एक से अधिक सीरीज में कम्पनी द्वारा जारी किए जा सकने वाले पेशकश पत्र/प्रकटन प्रलेखों की एक या एक से अधिक ट्रांचिस/सीरीज/ संयोजन (ग्रीन शू ऑप्शन के उपयोग सहित) के माध्यम से निधियाँ जुटाने के लिए सदस्यों को सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा सहमति प्रदान की जाती है। सहमति प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित या लगाई जाने वाली ऐसी शर्तों के अधीन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित ऐसे व्यक्तियों, जो कम्पनी के मौजूदा बांड/ डिबेंचरधारक हों अथवा न हों, जैसा कि बोर्ड द्वारा पूर्ण विवेक से निर्धारित किया जाए, जिसमें पात्र निवेशक (चाहे वे निवासी और/या अनिवासी और/या संस्थान/ निगमित निकाय और/या कोई व्यक्ति और/या न्यासी और/या बैंक और/या घरेलू और/या एक या एक से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में से अन्य कोई हों) सहित, जिसमें गैर निवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआईजी) उद्यम पूंजी निधियाँ, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कम्पनियाँ, भविष्य निधियाँ, अधिवर्षिता एवं पेशन निधियाँ, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान, प्राइमरी/राज्य/जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, म्युचुअल फंड्स, निगमित निकाय, कम्पनियाँ, प्राइवेट या सरकारी न्यास या अन्य कोई संस्था प्राधिकरण और चालू प्रयोज्य नियमों, अधिनियमों, विधियों आदि के अन्तर्गत ऊपर दिए गए अनुसार (1,000 करोड़ रुपये की समग्र सीमा के अन्तर्गत) ग्रीन शू ऑप्शन का प्रयोग करने सहित एक या एक से अधिक ट्रांचिस में निजी धारण के माध्यम से एक या एक से अधिक संयोजन से निवेश करने की पात्र श्रेणी के निवेशक, यदि कोई हों, जो लागू मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित ऐसी शर्तों और बोर्ड द्वारा निर्णीत ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रुपये की राशि के अप्रतिभूत/प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचरों के एक या एक से अधिक ट्रांचिस के माध्यम से निधियाँ जुटाने के लिए सदस्यों को सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा सहमति प्रदान की जाती है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि भारत में और भारत से बाहर अप्रतिभूत/ प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों के किसी निजी धारण को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड को निर्गम की शर्तों का निर्धारण/अनुमोदन/परिवर्तन/या आशोधन, जिसमें निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें बांडों/डिबेंचरों का आबंटन किया जाएगा, प्रत्येक ट्रेच में आबंटित किए जाने वाले बांडों/डिबेंचरों की संख्या, निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, उस समय प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार प्रीमियम, छूट, निर्गम की राशि, बांड/डिबेंचरधारकों की एक श्रेणी को निर्गम मूल्य में छूट, सूचीकरण, निजी धारण प्रस्ताव पत्र में शामिल की जाने वाली कोई घोषणा/वचनपत्र आदि जारी करना शामिल है, करने और किसी प्रस्ताव, निर्गम, उपर्युक्त अप्रतिभूत/प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों, स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित, परन्तु सीमित नहीं, के आबंटन के लिए अपने पूर्ण विवेक पर आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे जाने वाले ऐसे सभी कार्य, कृत्य और काम करने के लिए और उपर्युक्त असंपरिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों की प्रस्तावित पेशकश, निर्गम और आबंटन में आने वाली पूछताछ या कठिनाई का समाधान करने या सुलझाने एवं उससे प्रासंगिक या उससे सम्बन्धित ऐसे सभी

कार्य या कृत्य, जो भी बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक पर कम्पनी के सदस्यों का आगे और अनुमोदन या सहमति लेने की जरूरत के बिना उचित समझे जाएं, या अन्यथा इस आशय और उद्देश्य से कि उन्हें इस संकल्प के प्राधिकरण से स्पष्ट रूप से इसके प्रति उनका अनुमोदन दिया हुआ माना जाएगा, करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा उन्हें प्राधिकृत किया जाता है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड स्वयं को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति को बोर्ड की किसी समिति या ऐसे किसी व्यक्ति, जो भी इसके पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, को प्रत्यायोजित करने, ऐसे प्रयासों को करने की शक्ति सहित, और निर्गम, आर्बटन और निर्गम के सम्बन्ध में किसी प्रश्न या कठिनाई का समाधान करने के प्रयोजन से उपयुक्त और उचित समझे जाने वाले ऐसे सभी कार्य, विलेख, कृत्य और मामले करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और उन्हें प्राधिकृत किया जाता है।”

- श्री राहुल भावे (डीआईएन: 09077979) की उप-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो इसे एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:-

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमन 17(1सी) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण उपपक्ष) विनियम, 2015 के अन्य लागू विनियमों और/या किसी अन्य लागू कानूनों (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित), कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 162 के अनुसार, श्री राहुल भावे (डीआईएन: 09077979), जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा 28 नवंबर, 2023 के आदेश के तहत तत्काल नियुक्ति प्रदान करने के आधार पर, उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के उप-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। पद का प्रभार संभालने या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो और बाद में 28 नवंबर 2023 को बोर्ड द्वारा निदेशक और उप-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिसके संबंध में कंपनी को निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, कि उन्हें कंपनी के उप-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए, जिनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं होगा और उनकी नियुक्ति के आदेश की तारीख (यानि 28 नवंबर 2023) से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।

- प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन (डीआईएन: 00181842) की आयु 75 वर्ष पूर्ण होने पर कंपनी के गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक के रूप में निदेशक पद पर बने रहने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और, यदि ठीक समझा जाए, तो विशेष प्रस्तावों के रूप में पारित करना:-

“यह संकल्प पारित किया जाता है कि समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1क) के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानों, यदि कोई हो और उसके तहत बनाए गए नियमों, और/या किसी अन्य लागू कानूनों (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, प्रोफेसर नारायणस्वामी बालाकृष्णन (डीआईएन: 00181842) को 01 जून, 2025 को 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में निदेशक पद पर बने रहने के लिए सदस्यों की सहमति प्रदान की जाती है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल (इसकी समिति सहित) और/या कंपनी के कंपनी सचिव को ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले

और कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन माना जा सकता है।”

पंजीकृत कार्यालय:

आईएफसीआई टावर

61 नेहरू प्लेस

नई दिल्ली-110019

सीआईएन: एल74899डीएल1993जीओआई053677

टेलीफोन: 011-41732000

वेबसाइट: www.ifcilttd.com

ई-मेल: complianceofficer@ifcilttd.com

दिनांक: 08 अगस्त, 2024

निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार

(प्रियंका शर्मा)

कम्पनी सचिव

टिप्पणियां:

- मद संख्या 4, 5 और 6 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य निर्धारित करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसार स्पष्टीकारक विवरण इसके साथ संलग्न है।
- परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 के अनुसार, परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ पढ़ा जाए, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों के अनुसार, कंपनी की 31वीं वार्षिक महासभा (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 सहित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीकरण विनियम') (संशोधित) के विनियम 44 और इस संबंध में एमसीए द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों सहित, एमसीए परिपत्र दिनांक 25 सितंबर, 2023 के अनुसार, कंपनी एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को अधिकृत ई-वोटिंग सेवा-प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है। एजीएम की तिथि ('स्थल मतदान') पर सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके वोट डालने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।
- चूंकि यह एजीएम एमसीए और सेबी द्वारा जारी किए गए उपरोक्त परिपत्रों का पालन करते हुए वीसी/ओएवीएम माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त किये जाने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी और इसीलिए इस नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न नहीं किया गया है। इसी कारण से उपस्थिति पर्वी और रूट मैप भी इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं है। लेकिन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (धाराओं) 112 और 113 का पालन करते हुए, सदस्यों के प्रतिनिधि जैसे भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल या कॉर्पोरेट निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं और ई-वोटिंग सुविधा से अपना वोट डाल सकते हैं।
- एमसीए सर्कुलर और सेबी सर्कुलर के अनुपालन में, वार्षिक महासभा आमंत्रित करने का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.ifcilttd.com और स्टॉक एक्सचेंजों यानि बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर अपलोड किया गया है। एजीएम का नोटिस

सीडीएसएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग प्रणाली प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट यानि www.evotingindia.com से भी प्रसारित किया गया है।

6. 31वीं वार्षिक महासभा के लिए सभागार, प्रथम तल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019 को बैठक का स्थान माना जाएगा।
7. एमसीए और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुसार, एजीएम बुलाने वाले नोटिस या वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की कोई छपी हुई प्रति नहीं भेजी जाएगी। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ-साथ 31वीं एजीएम बुलाने वाले नोटिस को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजा जाएगा, जिन्होंने कंपनी या आरएंडएसटीए या अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करा रखी है।
8. जिन शेयरधारकों की ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हो पायी है, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी ईमेल आईडी को रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर एंड एसटीए) को admin@mcsregistrars.com; helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर अपने विवरण यानि आर एंड एसटीए में अपना पंजीकृत नाम, पता, ईमेल आईडी, पैन, डीपीआईडी/क्लाईट आईडी या फोलियो नंबर और धारण किये गये शेयरों की संख्या भेजें।
9. सदस्य सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक सम्बन्ध समिति के अध्यक्ष, लेखा-परीक्षक शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ आधार पर प्रतिबन्ध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है।
10. संस्थागत शेयरधारकों को कंपनी की 31वीं एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए अनुरोध और प्रोत्साहित किया जाता है।
11. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।
12. सदस्यों को बैठक के दौरान सवाल पूछने की अनुमति होगी। सवालों को 7 दिन पहले complianceofficer@ifcilt.com पर पहले से भेजा जा सकता है।
13. संलग्न नोटिस में बताये गये सभी दस्तावेज और अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण व अन्य दस्तावेज इस एजीएम की तारीख तक प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे के बीच, शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर, सभी कार्य दिवसों पर इलेक्ट्रॉनिक मोड से निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत रखा जाने वाला रजिस्टर एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक मोड से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।
14. सदस्यों का रजिस्टर और इक्विटी शेयरों की शेयर-अन्तरण बहियां शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 से गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगी।
15. नियुक्त और पुनर्नियुक्त किए जा रहे निदेशकों का संक्षिप्त विवरण सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 36(3), अधिनियम के प्रावधानों और आम बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस-2) की आवश्यकताओं के अनुसार संलग्न है और यह नोटिस का हिस्सा है।

16. सेबी की अपेक्षाओं के अनुसार, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण/अपडेशन अपने उन डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास जमा करें, जिनके पास उनके डीमैट खाते चल रहे हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने केवाईसी विवरण/अपडेशन कंपनी या आरएंडएसटीए को प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे विवरण के लिए आईएफसीआई की वेबसाइट www.ifcilt.com पर जाएं।
17. बैठक में संयुक्त धारक के भाग लेने के मामले में केवल वही संयुक्त धारक, जिसका नाम पहले धारक के रूप में पंजीकृत है, ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में वोट देने का पात्र होगा।
18. सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40(1) के परंतुक के अनुसार, 01 अप्रैल, 2019 से कम्पनी की प्रतिभूतियों का अंतरण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक प्रतिभूतियां डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में धारित नहीं की जाती। तदनुसार भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयर डीमैट रूप में धारित करें।

ई-वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए शेयरधारकों को अनुदेश निम्नानुसार है:

चरण 1: डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंचें।

चरण 2: भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंचें।

- मतदान की अवधि सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को प्रातः 09:00 बजे (आईएसटी) शुरू होती है और बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, जो गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक रूप में या डीमेटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।
- जो शेयरधारक बैठक की तारीख से पहले ही वोट डाल चुके हैं उन्हें बैठक के स्थान पर वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के तहत, सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09.12.2020 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों को, सभी शेयरधारक संकल्पों के संबंध में, अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। हालाँकि, यह देखने में आता है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/रिटेल शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य रहती है।
वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध कंपनियों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। विभिन्न ईएसपी पर शेयरधारकों द्वारा पंजीकरण और कई उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है।
सार्वजनिक स्तर पर किये गये परामर्श के बाद, मतदान प्रक्रिया की गति बढ़ाने के लिए, सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/ डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइटों से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा ई-वोटिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ दोबारा पंजीकरण कराए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल त्वरित प्रमाणीकरण की सुविधा मिलेगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में आसानी भी रहेगी।

चरण 1: डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली से पहुंच।

- (i) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा के बारे में सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के संदर्भ में, डीमैट मोड में स्टॉक रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास रखे अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।
- (ii) उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड सीडीएसएल/एनएसडीएल में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वरचुअल बैठकों में शामिल होने के लिए लॉग-इन करने की विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का स्वरूप	लॉग-इन पद्धति
सीडीएसएल डिपॉजिटरी के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	- जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/ईजीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर सकते हैं। बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ईजीएस्ट पर लॉगइन करने के लिए उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगइन आइकन और न्यू सिस्टम माईईजी टैब पर क्लिक करें। - सफल लॉगइन के बाद ईजी/ईजीएस्ट उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग प्रगति पर है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वरचुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। - यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगइन और न्यू सिस्टम माईईजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। - वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद सिस्टम डीमैट खाते में पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को भाग लेने के

	लिए ऑथेंटिकेट करता है। सफल ऑथेंटिकेशन के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग के विकल्प देख पायेगा जहां ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक उसकी सीधी पहुंच हो जायेगी।
एनएसडीएल डिपॉजिटरी के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	- यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट पर जाएं। या तो निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोल सकते हैं। ई-सर्विस का होम पेज खुल जाने पर “लॉगइन”, जो आईडीईएस सेक्शन के अधीन उपलब्ध है के अन्तर्गत बेंचमार्क ऑनर आईकॉन पर क्लिक करें, जिससे एक नया स्क्रीन खुल जाएगा। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद, आप ई-वोटिंग सर्विसिज को देख सकेंगे। ई-वोटिंग सर्विसिज के अंतर्गत “एक्सेस टू ई-वोटिंग” पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज को देख सकेंगे। कंपनी के नाम अर्थात ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वरचुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। - यदि प्रयोक्ता आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण करने का विकल्प उपलब्ध है। “रेजिस्टर ऑनलाइन फॉर आईडीईएस” पोर्टल का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। - एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। या तो अपने पर्सनल कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ को टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुल जाने पर “लॉगइन” आईकॉन पर क्लिक करें जो शेयरधारक/मैम्बर सेक्शन पर उपलब्ध है। इससे एक नया स्क्रीन खुल जाएगा। आपको यहाँ अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका 16 अंकों वाला डीमैट अकाउंट नम्बर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दर्शाया गया सत्यापन कोड डालना होगा। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद एनएसडीएल डिपोजिटरी साइट पर जाने का निर्देश दिया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और इससे आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि या वरचुअल बैठक में उपस्थित होने या बैठक के दौरान

	अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाने का निर्देश दिया जाएगा।
अपने डिपॉजिटरी भागीदार के माध्यम से लॉगइन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले)	ई-वोटिंग सुविधा के लिए आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी भागीदार के माध्यम से अपने डी-मैट खाते की लॉगइन साख का उपयोग करते हुए भी लॉगइन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगइन होने के बाद आप ई-वोटिंग का विकल्प देख सकेंगे। जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं तो प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो जाने के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी भागीदार की साइट पर जाने का निर्देश दिया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग के फीचर्स देख सकेंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड भूल गए हैं उनसे अनुरोध है कि वे ऊपर निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगैट यूजर आईडी और फॉरगैट पासवर्ड ऑप्शन का उपयोग करें।

भागीदार अर्थात् सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन से सम्बन्धित किसी तकनीकी मामले के लिए डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हैल्पडैस्क।

लॉगइन का प्रकार	हैल्पडैस्क के विवरण
सीडीएसएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में किसी तकनीकी रुकावट के लिए सदस्य सीडीएसएल के helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज कर अनुरोध कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में किसी तकनीकी रुकावट के लिए सदस्य एनएसडीएल के evoting@nsdl.co.in पर ईमेल भेज कर अनुरोध कर सकते हैं या 022-4886 7000 तथा 022-2499 7000 पर संपर्क कर सकते हैं।

चरण 2: भौतिक प्रमाणपत्रों के रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली से पहुंच।

(i) **भौतिक शेयरधारकों और डीमैट फॉर्म में व्यक्तिगत होल्डिंग के अलावा गैर-शेयरधारकों** के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉग-इन विधि।

- 1) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें।
- 2) “शेयरहोल्डर्स” मॉड्यूल पर क्लिक करें।
- 3) अब अपना यूजर आईडी डालें
क. सीडीएसएल के लिए : शेयरधारक अपना 16 डिजिट का बनेफिशरी आईडी डालें;
ख. एनएसडीएल के लिए : 8 वर्णों का डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का क्लाइंट आईडी डालें।

ग. भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक कम्पनी में पंजीकृत अपना फोलियो नम्बर डालें।

- 4) इसके उपरान्त यथाप्रदर्शित इमेज वैरिफिकेशन की प्रविष्टि करें और लॉग इन पर क्लिक करें।
- 5) यदि आपके पास डीमैट के रूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है और इससे पहले किसी और कम्पनी की ईवोटिंग की है तो आपको अपना मौजूदा पासवर्ड ही इस्तेमाल करना होगा।
- 6) यदि आप पहली बार इसका प्रयोग कर रहे हैं तो नीचे बताया गया तरीका अपनाएं:

	डीमैट में शेयर रखने वाले भौतिक शेयरधारकों और व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य के लिए।
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 वर्णों व अंकों वाला पैन नं. डालें (डीमैट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू)। • जिन सदस्यों ने अपना पैन कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के पास अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे कम्पनी/आर एंड एसटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम नं. का प्रयोग करें या कम्पनी/आर एंड एसटीए से सम्पर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि	लॉगइन करने के लिए अपने डीमैट खाते या कम्पनी में दिए गए रिकार्ड के अनुसार, लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि डालें। ◦ यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कम्पनी के रिकार्ड में नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण में सदस्यता आईडी/फोलियो नं. की प्रविष्टि करें।

(ii) इन विवरणों की उपयुक्त रूप से प्रविष्टि करने के बाद, ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।

(iii) उस समय भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक सीधे तौर पर कम्पनी की चयन स्क्रीन पर जाएंगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य अब ‘पासवर्ड क्रिएशन’ मैन्यु में जाएंगे, जहां उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का इस्तेमाल केवल डीमैट धारकों द्वारा ही किसी अन्य कम्पनी के संकल्पों के लिए वोट देने के लिए भी किया जा सकता है बशर्ते कि वह कम्पनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के जरिए ई-वोटिंग का विकल्प अपनाएं। इस बात की दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें।

(iv) भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य इस सूचना में निर्दिष्ट संकल्पों पर केवल ई-वोटिंग के लिए ही इन विवरणों का प्रयोग कर सकते हैं।

(v) आईएफसीआई के लिए के ईवीएसएन पर क्लिक करें।

(vi) वोटिंग पृष्ठ पर आपको ‘संकल्प विवरण’ दिखाई देगा और उसके सामने वोट देने के लिए आपको ‘हां/नहीं’ का विकल्प दिखाई देगा। अपनी इच्छा के अनुसार ‘हां’ अथवा ‘नहीं’ का विकल्प चुनें। ‘हां’ विकल्प का अर्थ होगा कि आप संकल्प से सहमत हैं और ‘नहीं’ विकल्प का अर्थ होगा कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

(vii) यदि आप समग्र संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो ‘संकल्प फाइल लिंक’ पर क्लिक करें।

- (viii) संकल्प का चयन करने के बाद आपने वोट करने का निर्णय किया है तो 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। तब आपको एक पुष्टि बॉक्स दिखाई देगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ओके' बटन पर क्लिक करें और यदि आप अपना वोट बदलना चाहते हैं तो 'कैंसिल' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट में संशोधन करें।
- (ix) एक बार संकल्प पर अपने वोट की 'पुष्टि' करने के बाद आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।
- (x) आप वोटिंग पेज पर 'प्रिंट के लिए यहां क्लिक करें' बटन पर क्लिक करके अपने द्वारा दिए गए वोट का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- (xi) यदि डीमैट खाताधारक अपना लॉग-इन करने का पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज वेरीफिकेशन कोड एंटर करें और 'फॉरगेट पासवर्ड' पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दें।
- (xii) बीआर/पीओए यदि कोई अपलोड किया गया हो तो अपलोड करने का एक वैकल्पिक प्रावधान भी है, जो सत्यापन के लिए संवीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा।

(xiii) व्यक्तिगत शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए केवल रिमोट वोटिंग हेतु अतिरिक्त सुविधा

- व्यक्तिगत शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों (अर्थात् किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, गैर निवासी भारतीय आदि को छोड़कर) तथा अभिरक्षक के लिए यह अपेक्षित है कि वे www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और "कॉरपोरेट" के रूप में स्वयं को पंजीकृत करें।
- संस्था को हस्ताक्षरित तथा मुहर लगे पंजीकरण प्रपत्र की एक स्कैन की गई कापी helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करनी होगी।
- लॉग-इन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए एक अनुपालन प्रयोक्ता का सृजन करना होगा। अनुपालन प्रयोक्ता उन्हें उस खाते (खातों) के साथ जोड़ेगा, जहां वे वोट करना चाहता है।
- लॉगिन में जुड़े खातों की सूची स्वचालित रूप से मैप की जाएगी और किसी भी गलत मैपिंग के मामले में इसे डीलिक किया जा सकता है।
- उन्हें बोर्ड संकल्प व मुख्तारनामे की स्कैन की गई एक प्रति सिस्टम में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी जिसे उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया हो, ताकि पड़ताल करने वाला प्राधिकारी उसका सत्यापन कर सके।
- वैकल्पिक रूप से, गैर व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा सम्बन्धित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो वोट देने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित, पड़ताल अधिकारी और कम्पनी को ई-मेल पते अर्थात् complianceofficer@ifcilt.com (कंपनी द्वारा निर्दिष्ट ईमेल) पर भेजना होगा, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है और सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली से पड़ताल अधिकारी को सत्यापित करने के लिए इसे अपलोड नहीं किया है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से तथा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के लिए एजीएम/ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए अनुदेश

- एजीएम के दिन बैठक तथा ई-वोटिंग में भाग लेने की प्रक्रिया ऊपर दिए गए ई-वोटिंग के अनुदेशों के अनुसार ही है।
- ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए लिंक उपलब्ध होगा, जहां कम्पनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।

- जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किया है वे बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।
- बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे बैठक में लैपटॉप/आईपैड की मार्फत भाग लें।
- इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों को कैमरा और अच्छी स्पीड वाले इन्टरनेट का उपयोग करना होगा, ताकि बैठक के दौरान किसी तरह की कोई बाधा न हो।
- कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट्स या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़े हुए लैपटॉप की मार्फत अपने सम्बन्धित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो वीडियो में रूकावट का सामना करना पड़ सकता है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि वे स्थिर वाई-फाई या लेन कनेक्शन का उपयोग करें, ताकि ऊपर दी गई किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।
- जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए बैठक की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले अपना अनुरोध complianceofficer@ifcilt.com पर भेजकर स्पीकर के तौर पर खुद का पंजीकरण करा सकते हैं। जो शेयरधारक एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रश्न रखना चाहते हैं, वे बैठक से 7 दिन पहले अपना नाम, डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए complianceofficer@ifcilt.com पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर कंपनी द्वारा ईमेल द्वारा भेजे जायेंगे।
- जिन शेयरधारकों ने स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराया है केवल वे ही बैठक के दौरान अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं/प्रश्न पूछ सकते हैं बशर्ते कि इसके लिए पर्याप्त समय हो।
- केवल वही शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित है और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संकल्पों पर अपना वोट नहीं दिया है और जिन्हें ऐसा करने के लिए अन्यथा रोका नहीं गया है, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग पद्धति के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।
- यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट दिया जाता है और यदि उसी शेयरधारक ने वीसी/ओएवीएम पद्धति के माध्यम से एजीएम में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अवैध माना जाएगा, क्योंकि एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल एजीएम में उपस्थित होने वाले शेयरधारकों को ही उपलब्ध है।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनका ईमेल/मोबाइल नं. कंपनी/जमाकर्ताओं के साथ पंजीकृत नहीं है।

- भौतिक शेयरधारकों के लिए - कृपया फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति) जैसे विवरण ईमेल के द्वारा कम्पनी की ईमेल आईडी complianceofficer@ifcilt.com पर या आरएण्डएसटीए की ईमेल आईडी admin@mcsregistrars.com; helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर भेजें।
- डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें।
- व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें। जो ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।

यदि एजीएम में उपस्थित होने तथा सीडीएसएल की ई-वोटिंग पद्धति से ईवोटिंग के सम्बन्ध में आपका कोई प्रश्न अथवा मुद्दा हो तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 21 09911 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

श्री राकेश दलवी

वरिष्ठ प्रबन्धक

सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया लिमिटेड)

ए विंग, 25वां तल, मैराथान फ्यूचरेक्स

मफतलाल मिल कम्पाउंड्स

एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई)

मुम्बई - 400 013

ई-मेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com

टेल फ्री नं. 1800 21 09911

अन्य जानकारीयां:

- 1) कंपनी के केवल वे शेयरधारक जो कट-ऑफ तिथि (यानि गुरुवार, 19 सितंबर, 2024) को भौतिक या डीमैट शेयरधारक है, वे रिमोट ई-वोटिंग से या एजीएम में वीसी/ओएवीएम से स्थल मतदान की सुविधा से अपना वोट डालने के हकदार होंगे। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के तौर पर लेना चाहिए।
- 2) रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद सीडीएसएल के रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- 3) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भी एजीएम की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
- 4) शेयरधारक वोटिंग का केवल एक ही तरीका चुन सकते हैं, यानि रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में वीसी/ओएवीएम से स्थल वोटिंग। दोनों तरीकों से वोटिंग करने के मामलों में, रिमोट ई-वोटिंग सुविधा से डाला गया वोट अंतिम माना जाएगा और एजीएम में वीसी/ओएवीएम से की गई ई-वोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 5) निदेशक मंडल ने श्री देवेश कुमार वशिष्ठ (एफसीएस एफ8488, सीओपी 13700) की अनुपस्थिति में श्री प्रवीण कुमार (एफसीएस एफ10315, सीओपी 13411), डीपीवी एंड एसोसिएट्स, एलएलपी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, नई दिल्ली को स्कूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है, ताकि वे रिमोट ई-वोटिंग और वेन्यू वोटिंग की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच कर सकें और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें।
- 6) स्कूटिनाइजर की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.ifcilt.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर तुरंत और परिणाम घोषित होने के बाद कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अंकित किये जाएंगे। स्कूटिनाइजर की रिपोर्ट सहित मतदान के परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों यानि बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी प्रस्तुत किए जाएंगे।
- 7) आईएफसीआई अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अपनी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को स्टैंडअलोन आधार पर शामिल नहीं कर रहा है। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इन कंपनियों के वार्षिक लेखा परीक्षित खाते कंपनी की वेबसाइट www.ifcilt.com पर उपलब्ध होंगे।
- 8) समान नामों से एक से अधिक फोलियो में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्र संलग्न करते हुए आरएंडएसटीए को लिखें ताकि वे बेहतर सेवा देने के लिए होल्डिंग्स को एक फोलियो में समेकित कर सकें।
- 9) 13 अप्रैल, 2020 के एमसीए परिपत्र 17/2020, 05 मई, 2020 के एमसीए परिपत्र 20/2020 के साथ पठित, के अनुसार एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई है, जिनकी ईमेल आईडी

कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत है। इसके अलावा, यदि कोई अपडेशन होगा तो उसकी जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.ifcilt.com पर उपलब्ध कराई जाएगी।

- 10) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205ए के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 1994 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक घोषित सभी अदावाकृत लाभांश को पहले ही केंद्र सरकार के सामान्य राजस्व खाते में हस्तांतरित कर दिया है, जैसा कि अप्रदत्त लाभांश (केंद्र सरकार के सामान्य राजस्व खाते में हस्तांतरण) नियमावली, 1978 द्वारा अपेक्षित है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ए में संशोधन और धारा 205-सी के प्रावधान के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 1994-95 से 1998-99 के अदावाकृत लाभांश निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरित कर दिया गया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 1999-2000 से 2007-08 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया था। वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2015-16 के लिए दावा न किए गए लाभांश को भी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में अन्य लागू कानून/नियम/विनियमों के साथ आईईपीएफ में अंतरित कर दिए गए हैं। जिन शेयरों के संबंध में लगातार सात वर्षों तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा-परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 (संशोधित) के साथ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आईईपीएफ में हस्तांतरित कर दिया गया है। दावा न किए गए लाभांश और आईईपीएफ में हस्तांतरित शेयरों का दावा www.iepf.gov.in पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आईईपीएफ से किया जा सकता है।
- 11) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों के संबंध में फॉर्म संख्या एसएच-13 डीमैट खाते में रखे शेयरों के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को और यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं, तो कंपनी के आरएंडएसटीए के पास जमा करके अपना नामांकन पंजीकृत करें। यदि भौतिक शेयर रखने वाला कोई शेयरधारक पहले के नामांकन को हटाने या रद्द करने और एक नया नामांकन दर्ज करने की इच्छा रखता है, तो वह इसे आईएसआर-3 या एसएच-14, जैसा भी मामला हो, में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त फॉर्म हमारी वेबसाइट <https://www.ifcilt.com/?q=en/content/mandatory-kyc-details-etc> से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- 12) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने भारतीय प्रतिभूति बाजार में विवादों को हल करने के लिए 31 जुलाई, 2023 को एक ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (ओडीआर पोर्टल) परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ओआईई/ओआईईआईआई/एडी-1/पी/सीआईआर/2023/145 बनाया है। यह परिपत्र मौजूदा विवाद समाधान तंत्र को सुव्यवस्थित करता है, निवेशकों के हित को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन सुलह और मध्यस्थता की पेशकश करता है। इसके अतिरिक्त, यह संस्थागत या कॉर्पोरेट ग्राहकों और निर्दिष्ट मध्यस्थों/विनियमित संस्थाओं के बीच विवादों को भी कवर करता है।
- 13) कंपनी के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध है। इसके अलावा, कंपनी के बॉन्ड/डिबेंचर भी बीएसई लिमिटेड में लिस्टेड है। इसके अलावा, प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर का पब्लिक इश्यू बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों में लिस्टेड है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण मद संख्या 4

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुसार, कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 और कंपनी (शेयर पूंजी व डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18 और उसके तहत बनाए गए अन्य लागू नियमों के अनुसार, निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर ("एनसीडी") की पेशकश या सदस्यता के लिए आमंत्रण देने वाली कंपनी को विशेष प्रस्ताव से

शेयरधारकों की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार वर्ष के दौरान ऐसे एनसीडी के लिए किए गए सभी इश्यू, ऑफर और आमंत्रणों के लिए अनुमोदन विशेष प्रस्ताव पारित करके वर्ष में एक बार प्राप्त किया जा सकता है। 20 दिसंबर, 2023 को आयोजित 30वीं वार्षिक महासभा में कंपनी के सदस्यों ने विशेष प्रस्ताव पारित करके 20 दिसंबर, 2023 अर्थात शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तिथि से शुरू होने वाले वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए निजी प्लेसमेंट द्वारा प्रतिभूतियाँ जारी करने को मंजूरी दी। हालाँकि, शेयरधारकों का उपरोक्त अनुमोदन केवल 1 वर्ष की अवधि तक वैध है, जो 19 दिसंबर, 2024 को पूरा होगा।

भविष्य में उधार देने, मौजूदा उधारों के मूलधन की चुकौती/पूर्व भुगतान और/या सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक संसाधन जुटाने के लिए, एक या एक से अधिक किस्तों में 1000 करोड़ रुपये तक की सीमा तक भारत में या भारत के बाहर अप्रतिभूत/प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट से धन जुटाने के लिए सदस्यों की सहमति आवश्यक है। इसके बाद और पूर्वोक्त वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप, इस प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अप्रतिभूत/प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट से धन जुटाने के लिए आगामी एजीएम में एक विशेष प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है।

इसलिए, अधिनियम की धारा 42 और 71 और इसके तहत बनाए गए लागू नियमों के साथ पठित के तहत एक विशेष संकल्प पारित करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन मांगा जा रहा है, ताकि कंपनी को एक या एक से अधिक किस्तों में, मद संख्या 4 के संकल्प पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान, कंपनी की समग्र उधार सीमा जैसा कि सदस्यों द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाता है, के भीतर, निजी प्लेसमेंट के आधार पर 1,000 करोड़ रुपये तक के बांड और एनसीडी सहित प्रतिभूतियों के लिए अभिमत की पेशकश या आमंत्रित करने में सक्षम बनाया जा सके।

कंपनी के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों का इस संकल्प से कोई वित्तीय या अन्यथा संबंध या हित नहीं है।

आपका बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 4 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

मद संख्या 5

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने अपने पत्र संख्या एफ.सं. 2/4/2022-आईएफ-1 दिनांक 28 नवंबर, 2023 के माध्यम से श्री राहुल भावे (डीआईएन: 09077979) को तत्काल नियुक्ति प्रदान करने के आधार पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आपकी कंपनी के उप-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना था। श्री राहुल भावे ने 28 नवंबर, 2023 से उप-प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है।

इसके अलावा, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री राहुल भावे को कंपनी के उप-प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। सेबी एलओडीआर के विनियमन 17(1सी) के परन्तुक के अनुसार, श्री राहुल भावे को ऊपर बताई गई अवधि के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के उप-प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगी जा रही है।

श्री राहुल भावे का संक्षिप्त परिचय सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियमन 36(3), अधिनियम के प्रावधानों और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस-2) के अंतर्गत अनिवार्य नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों की सूचना में दिया गया है, जो नोटिस के साथ संलग्न है।

श्री राहुल भावे का कंपनी के उप-प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति की सीमा तक संकल्प में हित है। कंपनी के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और उनके रिश्तेदारों में से किसी का भी इस संकल्प में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्यथा हित नहीं है।

तदनुसार, आपका बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 5 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

मद संख्या 6

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम") के विनियम 17(1क) की अपेक्षा के अनुसार कोई भी सूचीबद्ध कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति को गैर-कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त या निदेशित जारी नहीं रख सकती है, जिसने 75 (पचहत्तर) वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, जब तक कि इस आशय का एक विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है और ऐसी नियुक्ति के लिए नोटिस के साथ संलग्न स्पष्टीकारक विवरण में इसका औचित्य प्रकट नहीं किया जाता है।

प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन 01 जून, 2025 को 75 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। तदनुसार, सेबी सूचीकरण विनियमन के विनियम 17(1क) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए, कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए सदस्यों की स्वीकृति मांग रही है।

प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन का संक्षिप्त परिचय सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 36(3), अधिनियम के प्रावधान और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस-2) के अंतर्गत अनिवार्य नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों की सूचना में दिया गया है, जो इस नोटिस के साथ संलग्न है।

प्रो. बालकृष्णन 01 जून, 2025 को 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में अपने निदेशक पद पर बने रहने की सीमा तक संकल्प से संबंधित है। कंपनी के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और उनके रिश्तेदारों में से किसी का भी संकल्प से कोई वित्तीय या अन्यथा संबंध नहीं है। नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के बारे की सूचना में वर्णित उनके व्यापक अनुभव और सुविज्ञता को देखते हुए, आपका बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद सं. 6 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

पंजीकृत कार्यालय:

आईएफसीआई टावर

61 नेहरू प्लेस

नई दिल्ली-110019

सीआईएन: एल74899डीएल1993जीओआई053677

टेलीफोन: 011-41732000

वेबसाइट: www.ifciltld.com

ई-मेल: complianceofficer@ifciltld.com

दिनांक: 08 अगस्त, 2024

निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार

(प्रियंका शर्मा)

कम्पनी सचिव

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 36(3), कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सामान्य बैठक (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के अनुपालन में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों के बारे में सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	प्रो. अरविंद सहाय	श्री राहुल भावे	प्रो. नारायणस्वामी बालकृष्णन
जन्म तिथि व आयु	21 फरवरी, 1965 (59 वर्ष)	11 जून, 1973 (51 वर्ष)	01 जून, 1950 (74 वर्ष)
कार्यात्मक क्षेत्रों में अर्हताएं और सुवर्जिता	प्रो. सहाय टेक्सास ऑस्टिन विश्वविद्यालय से पीएच.डी. और आईआईटी कानपुर से बी.टेक. है। वे आईआईएम अहमदाबाद से बिजनेस में स्नातकोत्तर डिप्लोमा-धारक हैं। प्रो. सहाय ने अक्टूबर 2023 में प्रबंध विकास संस्थान (एमडीआई), गुडगांव में निदेशक और विपणन व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर के रूप में कार्य ग्रहण किया। एमडीआई से पहले, उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद में विपणन व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर और पूर्व डीन (एल्यूमनी और बाहरी संबंध) के पद पर कार्य किया है। उन्होंने 50 से ज्यादा विषयों पर लेख लिखे हैं, जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। वे आउटलुक बिजनेस पत्रिका के नियमित स्तंभकार रहे हैं और उन्होंने प्रमुख भारतीय व्यापार समाचार पत्र के लिए भी लिखा है। उनकी रुचि के प्राथमिक क्षेत्रों में मार्केटिंग रणनीति, मूल्य निर्धारण, तंत्रिका विज्ञान और उपभोक्ता व्यवहार, ब्रांड प्रबंधन, उच्च तकनीक विपणन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश शामिल हैं। क्षेत्रवार, उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट, निर्माण सामग्री, दूरसंचार, प्रसारण, ऑटोमोटिव, आईटी, एफएमसीजी, शिक्षा और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में परामर्श और प्रबंधकीय कार्य किया है। उनका कुल बोर्डरूम अनुभव 35 वर्षों से अधिक है।	श्री भावे आईआईएम अहमदाबाद से सार्वजनिक प्रबंधन और नीति में एमबीए और सांख्यिकी में स्नातकोत्तर हैं। वे एक योग्य सीआईआईबी पेशेवर भी हैं। श्री भावे विभिन्न क्षेत्रों में 24 वर्षों से अधिक के वाणिज्यिक बैंकिंग अनुभव वाले वरिष्ठ बैंकर हैं और उन्होंने देशभर में सेवा की है। वे 2020 से राष्ट्रीय आवास बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने एचएफसी के प्रभावी पर्यवेक्षण और जमीनी स्तर पर ऋण वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पुनर्वित्त के माध्यम से देश में एक मजबूत आवास और आवास वित्त प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। उन्हें वाणिज्यिक बैंक में जोन का नेतृत्व करने का अनुभव है। रिटेल परिचालन में विशेषज्ञता के अलावा, उन्हें पुनर्वित्त, पर्यवेक्षण, वसूली, जोखिम प्रबंधन और आईटी के क्षेत्रों में भी अनुभव है। उन्होंने बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन में उभरती प्रौद्योगिकियों पर आरबीआई और आईबीए द्वारा स्थापित समितियों में भी काम किया है।	प्रो. बालाकृष्णन ने 1972 में मद्रास विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में बी.ई. (ऑनर्स) और 1979 में भारतीय विज्ञान संस्थान से पी. एच.डी. की है। प्रो. बालाकृष्णन एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। वे जुलाई 2015 तक एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग और सुपरकंप्यूटर शिक्षा और अनुसंधान केंद्र में प्रोफेसर रहे। इसके बाद, वे जुलाई 2020 तक भारतीय विज्ञान संस्थान के सुपरकंप्यूटर शिक्षा और अनुसंधान केंद्र में मानद प्रोफेसर रहे और वर्तमान में भारतीय विज्ञान संस्थान में आईएनएसए के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। शोध के क्षेत्र कार्यरत रहते हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में कई शोध प्रकाशित किये हैं, उनमें न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, हार्ड परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और नेटवर्क, पोलारिमेट्रिक रडार, एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सूचना सुरक्षा कॉम्प्लेक्स सोशल नेटवर्क और डिजिटल लाइब्रेरी शामिल हैं। वे वर्तमान में कतर में कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के संयुक्त सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं और आईआईटी खडगपुर और आईआईआईटीएमके, केरल के प्रशासकीय-बोर्ड के सदस्य हैं और बीजिंग, चीन में इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं।
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की मुख्य शर्तें एवं नियम	उन्हें सभा फीस (यदि लागू हो तो) को छोड़कर कोई पारिश्रमिक (फीस और कमीशन सहित) नहीं दिया जाता है।	जो नियुक्ति प्राधिकारी, यानि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक रूप से प्रभारी मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है।	उन्हें सभा फीस, यदि कोई हो, को छोड़कर कोई पारिश्रमिक (फीस और कमीशन सहित) नहीं दिया जाता है।
आईएफसीआई लिमिटेड में समिति सदस्यता/अध्यक्षता (सूचना की तिथि के अनुसार)	- लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य - नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य - कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग समिति - सदस्य - जोखिम एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति - सदस्य - हितधारक संबंध समिति - सदस्य - गैर-सहकारी उधारकर्ता और वसूली समीक्षा समिति तथा एनपीए प्रबंधन समिति - सदस्य - निदेशकों की प्रबंधन समिति - सदस्य	- लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य - हितधारक संबंध समिति - सदस्य - जोखिम एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति - सदस्य - गैर-सहकारी उधारकर्ता और वसूली समीक्षा समिति एवं एनपीए प्रबंधन समिति - अध्यक्ष - कार्यकारी समिति - अध्यक्ष - आईटी रणनीति समिति - सदस्य - निदेशकों की प्रबंधन समिति - सदस्य - कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग समिति - अध्यक्ष	- लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य - नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य - जोखिम एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति - सदस्य - कार्यकारी समिति - सदस्य - आईटी रणनीति समिति - सदस्य - निदेशकों की प्रबंधन समिति - सदस्य

अन्य कंपनियों/कंपनी बोर्ड में निदेशिताएं	- ब्रांडस्केप्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड - मैटर मोटर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड - इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड - वीडीएनए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - एचआईएल लिमिटेड - टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - प्रबंध विकास संस्थान	- स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - आईएफसीआई वेचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड - आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड - इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट (शासकीय मंडल सदस्य)। - आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) (14.08.2024 से आईएफएल के बोर्ड में नहीं रहे)	- इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, केरल - भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता (सूचीबद्ध कंपनी सहित)	- एचआईएल लिमिटेड (लिस्टेड कंपनी) . - लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य - हितधारक संबंध समिति - सदस्य - नामांकन पारिश्रमिक समिति - अध्यक्ष - जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य - इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड - प्रौद्योगिकी स्थायी समिति - अध्यक्ष - लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य - टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. - लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य - सीएसआर समिति - सदस्य	- स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - - लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य - नामांकन पारिश्रमिक समिति - सदस्य - ईएसजी समिति - अध्यक्ष - आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड - - लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य - परिसम्पत्ति बिक्री समिति - अध्यक्ष	- इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (सूचीबद्ध कंपनी) - - नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य - जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य
सूचीबद्ध संस्थाएं, जिनसे व्यक्ति ने पिछले तीन वर्षों में त्यागपत्र दिया है	शून्य	शून्य	शून्य
पहली नियुक्ति की तिथि और कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या और बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या	प्रो. अरविंद सहाय 30 अक्टूबर, 2017 से कंपनी के बोर्ड में हैं। उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सभी छः बोर्ड बैठकों में भाग लिया है।	उन्हें 28 नवंबर, 2023 को उप-प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 में अपने कार्यकाल के दौरान दो बोर्ड बैठकों में भाग लिया है।	प्रो. बालाकृष्णन 30 अक्टूबर, 2017 से कंपनी के बोर्ड में हैं। उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सभी छह बोर्ड बैठकों में भाग लिया है।
लाभार्थी स्वामी के रूप में शेयरधारिता सहित कंपनी में शेयरधारिता	उनके पास न ही उनके नाम पर और न ही लाभार्थी स्वामी के रूप में आईएफसीआई लिमिटेड में कोई शेयर है।	उनके पास न ही उनके नाम पर और न ही लाभार्थी स्वामी के रूप में आईएफसीआई लिमिटेड में कोई शेयर है।	उनके पास न ही उनके नाम पर और न ही लाभार्थी स्वामी के रूप में आईएफसीआई लिमिटेड में कोई शेयर है।
कंपनी के किसी अन्य निदेशक, प्रबंधक और अन्य केएमपी के साथ संबंध	उनका कंपनी के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों से कोई संबंध नहीं है।	उनका कंपनी के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों से कोई संबंध नहीं है।	उनका कंपनी के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों से कोई संबंध नहीं है।
अयोग्यता/वंचन	इसके अलावा, उन्हें किसी भी सेबी आदेश या किसी अन्य प्राधिकरण के आधार पर निदेशक का पद धारण करने से अयोग्य या वंचित नहीं किया गया है	इसके अलावा, उन्हें किसी भी सेबी आदेश या किसी अन्य प्राधिकरण के आधार पर निदेशक का पद धारण करने से अयोग्य या वंचित नहीं किया गया है	इसके अलावा, उन्हें किसी भी सेबी आदेश या किसी अन्य प्राधिकरण के आधार पर निदेशक का पद धारण करने से अयोग्य या वंचित नहीं किया गया है

निदेशकों की विस्तृत प्रोफाइल कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बोर्ड की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ("आपकी कंपनी" या "आईएफसीआई") आपके समक्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण सहित आईएफसीआई लिमिटेड की 31वीं (इकतीसवीं) वार्षिक रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा। प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

वित्तीय सारांश और कंपनी के कार्यों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सारांश निम्नानुसार है:

विवरण	स्टेण्डअलोन		समेकित	
	2023-24	2022-23 (पुनःस्थापित)	2023-24	2022-23 (पुनःस्थापित)
कुल आय	896	755	2,115	1,728
घटाएं:				
क्षति हानि भत्ता, मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन से पूर्व कुल व्यय	723	786	1,580	1,504
वित्तीय प्रलेखों पर क्षति	(335)	130	(294)	123
मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन	24	24	81	74
कुल व्यय	412	940	1,367	1,701
अपवादात्मक मदे	0	0	(3)	1
कर-पूर्व लाभ/(हानि)	484	(185)	751	26
कर व्यय	356	102	510	146
सहयोगी कम्पनियों के लाभ में हिस्से से पूर्व लाभ/(हानि)	128	(287)	241	(120)
सहयोगी कम्पनियों के लाभ में कुल व्यय का हिस्सा	0	0	0	0
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	128	(287)	241	(120)
अन्य समग्र आय (कर घटा कर)	(40)	(32)	334	1,269
कुल समग्र आय	88	(319)	575	1,149
निवल लाभ/(हानि) के कारण -				
कम्पनी के मालिक	लागू नहीं	लागू नहीं	104	(207)
गैर-नियंत्रक हित	लागू नहीं	लागू नहीं	137	88
कुल समग्र आय के कारण -				
कम्पनी के मालिक	लागू नहीं	लागू नहीं	261	448
गैर-नियंत्रक हित	लागू नहीं	लागू नहीं	314	701
प्रति शेयर अर्जन				
प्रत्येक 10 रुपए का प्रति शेयर बेसिक अर्जन	0.52	(1.31)	0.42	(0.95)
प्रत्येक 10 रुपए का प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन	0.52	(1.31)	0.42	(0.95)

उपरोक्त आंकड़े यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन अधिसूचित कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 और लेखा मानकों के अनुपालन में भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुसार तैयार की गई वित्तीय विवरणियों से उद्धृत है।

भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या आपकी कंपनी के किसी अन्य नियामक द्वारा जारी किए गए किसी भी विनियमन/मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण/निर्देश के जारी/लागू होने पर, आपकी कंपनी द्वारा उसे लागू किया जाएगा।

वित्तीय कार्य निष्पादन

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान 128 करोड़ रुपये का कर-पश्चात लाभ और 88.10 करोड़ रुपये का कुल व्यापक लाभ दर्ज किया। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान सात वर्षों की अवधि के बाद लाभ अर्जित करते हुए कंपनी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। आपकी कंपनी का स्टैंडअलोन लाभ पिछले वर्ष के दौरान 287 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 128 करोड़ रुपये हो गया। आपकी कंपनी ने आक्रामक एनपीए वसूली और

सलाहकार सेवाओं के विस्तार से यह उपलब्धि हासिल की है। वसूली को अधिकतम करने और सलाहकारिता व्यवसाय को मजबूत करने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न रणनीतिक पहल की गई, जिससे आपकी कंपनी के नकदी प्रवाह में सुधार हुआ और आपकी कंपनी की बैलेस शीट स्वस्थ हुई। समुचित प्रावधानों की पर्याप्त मात्रा ने प्रावधान कवरेज अनुपात को 90.62% से अधिक तक बढ़ा दिया, हालांकि, समीक्षाधीन वित्त वर्ष में पूंजी पर्याप्तता अनुपात -48.35% है और टियर-I पूंजी -48.36% है।

मंजूरियां, संवितरण और वसूली

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने कोई नया ऋण मंजूर नहीं किया। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एक सहायक कंपनी को 19 करोड़ रुपये के ब्रिज लोन को छोड़कर ऋण/अग्रिमों का कोई संवितरण नहीं किया गया, जिसे वित्तीय वर्ष के दौरान पूरी तरह से चुका दिया गया।

आपकी कंपनी ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) से वसूली का कार्य सक्रियता से किया, जिससे वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनपीए व सिक्क्योरिटी प्राप्तियों (एसआर) से 940 करोड़ रु. की वसूली हुई।

आपकी कंपनी बहु-आयामी रिजॉल्यूशन मोड और रणनीतियों के माध्यम से एनपीए और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों से वसूली के लिए अपने आक्रामक दृष्टिकोण को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

ट्रेजरी, निवेश और विदेशी मुद्रा परिचालन

आपकी कंपनी ने तरलता प्रबंधन के साथ लाभदेयता को अधिकतम करने की दिशा में हर संभव प्रयास किये हैं और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए विविध वित्तीय उपकरणों में अधिशेष निधि का निवेश करने में सावधानी बरती है।

रुपये के परिचालन के मामले में, कंपनी का उद्देश्य कम से कम जोखिम लेकर अधिशेष निधि को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और अधिशेष निधि को कम अवधि के वित्तीय-साधनों में लगाना है, ताकि अधिकतम रिटर्न मिल सके। ब्याज दर परिदृश्य में अस्थिरता के कारण ऐसा किया गया था। कंपनी का अंतर्निहित निवेश सिद्धांत ही सुरक्षा, तरलता और जोखिम नियंत्रण था। तदनुसार, आपकी कंपनी ने ट्रेजरी बिल, सरकारी प्रतिभूतियों, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश किया। वर्ष के दौरान औसत परिनियोजन यानि डिप्लॉयमेंट वित्त वर्ष 2022-23 में 411.19 करोड़ रुपये के मुकाबले 887.91 करोड़ रुपये था और वार्षिक रिटर्न 7.08% था। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान 26.51 करोड़ रुपये के मुकाबले निवेश से 45.44 करोड़ रुपये की ब्याज आय अर्जित की। उच्च ब्याज दर और अधिक तरलता के कारण ब्याज आय अधिक रही।

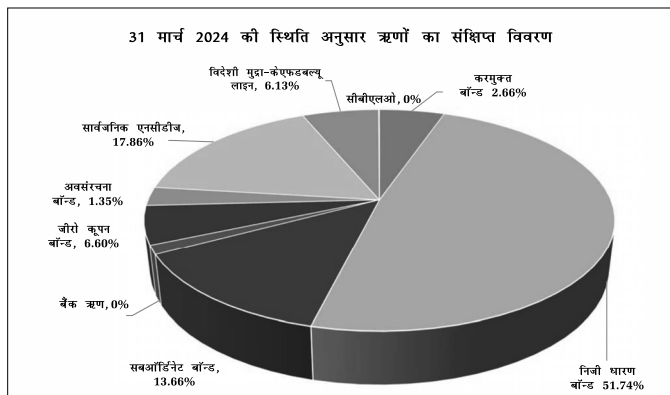
बाजार में व्याप्त अस्थिरता को देखते हुए, आपकी कंपनी ने धीमे/अद्व्यमान शेयरों के चुनिंदा विनिवेश की विवेकपूर्ण रणनीति जारी रखी। 31 मार्च, 2024 तक आपकी कंपनी का शुद्ध निवेश पोर्टफोलियो पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में 2,277 करोड़ रुपये के मुकाबले 2,959 करोड़ रुपये रहा।

विदेशी मुद्रा (एफसी) परिचालन एफसी देनदारियों के मामलों और एफसी परिसंपत्तियों और देनदारियों की बकाया राशि में बेमेल के कारण उत्पन्न होने वाले विनिमय जोखिम को नियंत्रित करने तक सीमित थे। बेमेल सौदों को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कवर किया गया। शुद्ध बेमेल स्थिति को लगभग स्क्वायर पोजीशन बनाए रखते हुए बोर्ड और आरबीआई द्वारा अनुमोदित सीमाओं से काफी नीचे रखा गया था।

संसाधन जुटाना और उधार प्रक्रिया की रूपरेखा

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी रेटिंग बाधाओं और कमजोर वित्तीय मानकों के कारण नए संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकी। लेकिन प्रभावी तरलता प्रबंधन के माध्यम से, आपकी कंपनी ने नियत तारीखों पर और उससे पहले अपनी देनदारियों का भुगतान किया। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने 935 करोड़ रु. (355 करोड़ रु. मूलधन और 580 करोड़ रु. ब्याज) का कर्ज चुकाया, जिसमें पूर्व भुगतान और 31 मार्च, 2024 को देय भुगतान शामिल था।

31 मार्च 2024 को आपकी कंपनी की मूल देनदारियां 5,450.66 करोड़ रु. की थीं, जिसमें 5,116.41 करोड़ रु. की उधारियां और 334.25 करोड़ रु. के विदेशी मुद्रा ऋण भी शामिल थे। 31 मार्च, 2024 को बकाया ब्याज देनदारी (यानि अर्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं) 648.66 करोड़ रु. थी। 31 मार्च, 2024 तक बकाया उधारियों का विस्तृत विवरण नीचे दर्शाया गया है:



आपकी कंपनी निवेशक सेवाओं के उच्च मानक को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और निवेशकों की शिकायतों के समय पर समाधान के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने और उनका पालन करने के लिए प्रयासरत है। आपकी कंपनी ने निवेशकों के अनुकूल कई पहलें की हैं, जैसे आर एंड टीए में केवाईसी विवरण अपडेट प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, प्रतिभूतियों का डीमॉटेरियलाइजेशन, ब्याज और भुगतान-योग्य आय का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निवेशकों की शिकायतों व अनुरोधों को पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन सर्विस रिक्वेस्ट पोर्टल का संचालन आदि।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

ऊर्जा संरक्षण -

कंपनी के संचालन में कोई विनिर्माण या प्रसंस्करण गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं। यह उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और इसके लिए बिजली की सामान्य खपत की आवश्यकता होती है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधान कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। फिर भी, आपकी कंपनी ने ऊर्जा के बेहतर उपयोग को प्राथमिकता दी है। आईएफसीआई टॉवर को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया हुआ है।

प्रौद्योगिकी समावेशन -

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्यावसायिक परिचालन को बदल दिया है। आपकी कंपनी में, आईटी पेशेवरों की हमारी इन-हाउस टीम ने सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम (सीआईआईएस) के नाम से एक सिस्टम विकसित किया है, जो मुख्य रूप से प्रमुख व्यावसायिक कार्यों के साथ-साथ गैर-मुख्य कार्यों में भी उपयोग होता है। यह सिस्टम 20 से अधिक वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है और इसे लगातार नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपग्रेड किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, हमारे इन-हाउस एप्लिकेशन और डेटाबेस को ऑरकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर (ओसीआई) में माइग्रेट किया गया और मौजूदा सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन को नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में उन्नत और अतिरिक्त सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया गया। विभिन्न कार्यों के लिए नए मॉड्यूल भी इन-हाउस विकसित किए गए। आपकी कंपनी उचित डेटा बैकअप सुनिश्चित करती है और डेटा और व्यावसायिक सूचना प्रणालियों की सुरक्षा के लिए एक डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट स्थापित की गई है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने दस्तावेज प्रबंधन और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की आंतरिक आवाजाही के लिए ऑरकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर (ओसीआई) पर आईएफसीआई और इसकी सहायक कंपनियों में ई-ऑफिस सॉल्यूशन्स लागू किये। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने मंत्रालयों के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जियोफेंसिंग बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान सुव्यवस्थित वीडियो संचार और लाइव

कंटेनर साझा करने की सुविधा के लिए वेबएक्स मीटिंग्स और टीम मीटिंग का उपयोग करके अधिक मीटिंगें बुलाई गईं। इन सुविधाओं ने शेयरधारकों को वेबएक्स के माध्यम से एजीएम/ईजीएम में भाग लेने में भी सक्षम बनाया है।

विदेशी मुद्रा अर्जन

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, विदेशी मुद्रा बहिर्प्रवाह 2.87 करोड़ रु. (उधार पर ब्याज के रूप में) और कोई विदेशी मुद्रा आय नहीं थी।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी के पास विभिन्न नीतियों और प्रक्रियात्मक मैनुअलों के माध्यम से वित्तीय रिपोर्टिंग पर ठोस आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वसन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पिछले वर्षों में डिज़ाइन और कार्यान्वित इकाई स्तर के नियंत्रण ढांचे को वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की एक अनुभवी आंतरिक लेखा-परीक्षा टीम द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए नमूना परीक्षण किये गये। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर संतुष्टि के आधार पर, निदेशक मंडल का मानना है कि पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद है और वे प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं।

सतर्कता

आपकी कंपनी के मुख्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित सतर्कता विभाग है, जो आईएफसीआई, इसके क्षेत्रीय कार्यालयों और सहायक कंपनियों के सतर्कता मामलों की देखरेख करता है।

विभाग का व्यापक कामकाज निवारक सतर्कता, जासूसी सतर्कता और दंडात्मक सतर्कता में विभाजित है।

निवारक सतर्कता पर विशेष ध्यान देते हुए, विभाग समय-समय पर विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करता है। प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय प्रभारी, सहायक कंपनियों और संबंधित विभागों के साथ साझा किया जाता है, ताकि सुधारात्मक उपाय या प्रणालीगत सुधार आरंभ करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा सकें। यह समय-समय पर प्रबंधन को प्रणालीगत सुधार के लिए सलाह भी देता है।

यह मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायतों और अन्य संदर्भित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करता है। सतर्कता विभाग द्वारा दिए गए सुझावों को प्रबंधन द्वारा समय-समय पर लागू किया गया है।

नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष के दौरान, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसका थीम था - “भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें”।

व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) और (10) तथा सेवा (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत, आईएफसीआई के निदेशक और कर्मचारी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आईएफसीआई की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में अपनी चिंताओं को प्रबंधन के समक्ष रख सकते हैं, तथा शिकायतें मिलने पर हर प्रकार के उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायतकर्ता के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इस नीति में उचित और असाधारण मामलों में लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच का भी प्रावधान है। व्हिसल ब्लोअर नीति <https://www.ifcilt.com/2022/Whistle%20Blower%20Policy.pdf> लिंक पर उपलब्ध है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटन

एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है और 31.03.2024 तक उक्त समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:

1. सुश्री लता लोचव - बाहरी सदस्य
2. मुख्य महाप्रबंधक (एचआर) - पीटासीन अधिकारी
3. महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
4. सुश्री शिखा गुप्ता, उप महाप्रबंधक
5. सुश्री तृणा तेजस्विनी, उप महाप्रबंधक (विधि)

उपरोक्त किसी भी आंतरिक सदस्य की अनुपस्थिति में, सुश्री प्रियंका शर्मा, डीजीएम वैकल्पिक सदस्य हैं।

समिति के कोरम में सभी सदस्य शामिल होंगे। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्राप्त शिकायतों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यौन उत्पीड़न के खिलाफ आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	1
नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति	शून्य

प्रबंधन विचार - विमर्श और विश्लेषण*

1. उद्योग संरचना और विकास

उद्योग परिदृश्य 22 जुलाई, 2024 को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वैश्विक और बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2023 में जो गति बनाई थी, उसे वित्त वर्ष 2024 में भी जारी रखा। परिणामस्वरूप, भारत की वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की दर से बढ़ी। लगातार तीसरे वर्ष 7% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई, जो स्थिर उपभोग मांग और लगातार सुधरती निवेश मांग के कारण संभव हुई। आपूर्ति के क्षेत्र में, 2011-12 की कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वित्त वर्ष 2024 में 7.2% बढ़ा, जबकि वृद्धि व्यापक आधार पर रही। स्थिर (2011-12) कीमतों पर शुद्ध कर वित्त वर्ष 24 में 19.1% बढ़े, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर यथोचित रूप से मजबूत कर वृद्धि और सब्सिडी व्यय के युक्तिकरण से सहायता मिली। वित्त वर्ष 2024 में मौजूदा कीमतों पर कुल जीवीए में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 17.7%, 27.6% और 54.7% रही। औद्योगिक क्षेत्र में, वित्त वर्ष 2024 में विनिर्माण जीवीए में 9.9% की वृद्धि हुई। बुनियादी ढांचे के निर्माण व वाणिज्यिक और आवासीय अचल संपत्ति की बढ़ती मांग के कारण निर्माण गतिविधियों में वित्त वर्ष 2024 में 9.9% की वृद्धि दर्ज हुई।

सेवा क्षेत्र में भी विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतक वृद्धि को दर्शाते हैं। माल व सेवा कर संग्रह और ई-वे बिल जारी करने के आंकड़े थोक और खुदरा व्यापार में वृद्धि को दर्शाते हैं, दोनों तरह के व्यापार ने वित्त वर्ष 24 में दोहरे अंकों की वृद्धि का हासिल की। कोविड महामारी के बाद वित्तीय और पेशेवर सेवाएं

*स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, दिनांक 22 जुलाई, 2024, आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 और आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2024 के अंश।

विकास का एक प्रमुख घटक रही है। महामारी के दौरान, गहन संपर्क सेवाएं - प्रमुख रूप से व्यापार, परिवहन, अचल संपत्ति और उनकी सहायक सेवाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। ये सेवाएं महामारी के बाद की अवधि में बहुत मजबूत होकर उभरी हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, निवेश घरेलू मांग का प्रमुख प्रेरक घटक था, जिसे बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च से बढ़ावा मिला। 2023-24 के दौरान घरेलू वित्तीय बाजार स्थिर रहे, बॉन्ड और विदेशी मुद्रा बाजारों में व्यवस्थित हलचल और इक्विटी बाजारों में उत्साह और तेजी रही। अनुकूल मुद्रास्फीति प्रिंट, प्रमुख वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में भारतीय बॉन्ड को शामिल करने की रिपोर्ट और अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षा से कम बाजार उधारी के कारण जी-सेक हिस्सेदारी में नरमी आई। जी-सेक हिस्सेदारी के अनुरूप कॉरपोरेट बॉन्ड प्रतिफल में नरमी आई और कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करने में वृद्धि हुई। करंट अकाउंट घाटे में उल्लेखनीय कमी और पुनरावर्ती पूंजी प्रवाह सहित बाहरी क्षेत्र और व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों में सुधार के कारण भारतीय रुपये ने स्थिरता दिखाई, जिसने अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजारों, मजबूत अमेरिकी डॉलर और लगातार भू-राजनीतिक तनावों से लगातार होने वाली बाधाओं को दूर किया।

भारतीय रिजर्व बैंक की जून 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के अनुसार, घरेलू मैक्रो वित्तीय जोखिम मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल और एक मजबूत और स्थिर वित्तीय प्रणाली ने भारतीय अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार आसान किया है। घरेलू वित्तीय स्थितियों को वित्तीय संस्थानों में स्वस्थ बैलेंस शीट, मजबूत पूंजी बफर, बेहतर संपत्ति गुणवत्ता, पर्याप्त प्रावधान और मजबूत आय द्वारा समर्थित किया जाता है। रिटर्न ऑन एसेट्स (आरओए) और रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) क्रमशः 1.3% और 13.8% पर दशक के उच्चतम स्तर के करीब हैं, जबकि सकल गैर-निष्पादित संपत्ति अनुपात और शुद्ध गैर-निष्पादित संपत्ति अनुपात क्रमशः 2.8% और 0.6% के बहु-वर्षीय निचले स्तर पर गिर गए। इससे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को मजबूत पूंजी बफर बनाए रखने में मदद मिली है: मार्च 2024 में उनकी पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात और सामान्य इक्विटी टियर-1 अनुपात क्रमशः 16.8% और 13.9%, जो नियामक न्यूनतम से काफी ऊपर रहा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)

जून 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के संदर्भ में, एनबीएफसी ने वर्ष की दूसरी छमाही में कुछ नरमी के बावजूद 2023-24 में मजबूत ऋण वृद्धि बनाए रखी। इस दौरान व्यक्तिगत ऋण वृद्धि में कमी आई, जबकि उद्योग और सेवाओं के लिए ऋण में वृद्धि तेज हुई। औद्योगिक अग्रिमों में वृद्धि में मुख्य रूप से सरकारी एनबीएफसी का योगदान रहा। एनबीएफसी (विचाराधीन कंपनियों सहित) का जीएनपीए अनुपात महामारी के बाद की अवधि में मार्च 2024 में 4.0% तक नीचे पहुँच गया। सरकारी

और निजी एनबीएफसी दोनों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ। एनबीएफसी की पूंजी स्थिति स्वस्थ बनी हुई है। मार्च 2024 में उनका सीआरएआर 26.6% रहा, जो विनियामक न्यूनतम आवश्यकता से काफी अधिक है। आरओए अनुपात बढ़ रहा है, लागत-से-आय अनुपात ने महामारी के बाद की अवधि में गिरावट का रुख बनाए रखा है और एनआईएम 2023-24 के दौरान मजबूत रहा। एनबीएफसी के लिए तरलता स्टॉक उपाय स्थिर रहे हैं - कुल परिसंपत्तियों में अल्पकालिक देनदारियों का अनुपात 25% से नीचे रहा, दीर्घकालिक परिसंपत्तियों परिसंपत्तियों का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है, और सीपी की कुल परिसंपत्तियों में 2% से कम परिसंपत्ति हिस्सेदारी थी। 2023-24 के दौरान एनबीएफसी की शेयर पूंजी, रिजर्व और अधिशेष में गिरावट आई और मार्च 2024 में उनकी कुल देनदारियों का हिस्सा 28.3% रहा। एनबीएफसी वित्तीय प्रणाली से निधियों के सबसे बड़े शुद्ध उधारकर्ता थे, जिनकी सकल देयताएं 16.58 लाख करोड़ रुपये और सकल प्राप्तियां मार्च 2024 के अंत तक 1.61 लाख करोड़ रुपये थीं।

2. अवसर और चुनौतियां

भारत को आत्मनिर्भर बनाने, आयात निर्भरता को कम करने, भारत में वैश्विक औद्योगिक चैंपियन बनाने और 'दुनिया के लिए भारत में निर्माण' करने के लिए, भारत सरकार ने कई उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की हैं। स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है जिसके लिए भारत सरकार ने बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस पार्क लॉन्च किए हैं। वर्तमान में, आईएफसीआई 14 पीएलआई योजनाओं में से 10 के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमए) है।

आपकी कंपनी ने भारत सरकार की पीएलआई योजनाओं और अन्य योजनाओं के लिए एक पसंदीदा भागीदार (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग/नोडल एजेंसी की क्षमता में) बनने के प्रयास में न केवल एक अतिरिक्त राजस्व धारा प्रदान की है, बल्कि बहुत अधिक दृश्यता भी प्रदान की है।

पीएलआई योजनाएं भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन की आधारशिला हैं। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और भारत को विनिर्माण जगत में वैश्विक चैंपियन बनाना है। पीएलआई योजनाओं के पीछे की रणनीति आधार वर्ष में भारत में निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इन्हें विशेष रूप से उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, सस्ते आयात पर अंकुश लगाने और आयात बिलों को कम करने, घरेलू रूप से निर्मित वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने, घरेलू क्षमता और निर्यात को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।

भारत सरकार की पीएलआई और अन्य योजनाएं निम्नलिखित हैं, जहाँ आईएफसीआई को नोडल एजेंसी/प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी (पीएमए) नियुक्त किया गया है:

क्र. सं.	पीएलआई योजना के विवरण	योजनाओं का विवरण निम्न पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध है
1.	इलैक्ट्रॉनिक संघटक एवं सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस)	https://specs.ifciltld.com
2.	बड़े पैमाने पर इलैक्ट्रॉनिक उत्पादन (पीएलआई-एलएसईएम) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)	https://pli.ifciltld.com
3.	क्रिटिकल की स्टार्टिंग मैटेरियल्स (केएसएमएस)/ड्रग इंटरमिडियेट्स (डीआईएस)/एक्टिव फार्मास्युटिकल्स इनग्रिडिएंट्स (एपीआई) के लिए पीएलआई योजना (पीएलआई-बल्क ड्रग्स)	https://plibulkdrugs.ifciltld.com
4.	चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई (पीएलआई-एमडी)	https://plimedicaldevices.ifciltld.com
5.	बल्क ड्रग्स पार्क को बढ़ावा देने की योजना	https://pharmaceuticals.gov.in/schemes/guidelines-scheme-promotion-bulk-drug-parks

क्र. सं.	पीएलआई योजना के विवरण	योजनाओं का विवरण निम्न पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध है
6.	चिकित्सा यंत्रों पार्को को बढ़ावा देने की योजना	https://pharmaceuticals.gov.in/schemes/guidelines-scheme-promotion-medical-devices-parks
7.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना (पीएलआईएसएफपीआई)	https://plimofpi.ifcilttd.com
8.	सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिए पीएलआई (पीएलआई- आईटीएचडब्ल्यूजी)	https://pliithw.com
9.	वाइट गुड्स के लिए पीएलआई (पीएलआई-डब्ल्यूजी)	https://pliwhitegoods.ifcilttd.com
10.	ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना (पीएलआई-ऑटो)	https://pliauto.in
11.	पीएलआई टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स: एमएमएफ सेगमेंट और टेक्निकल टेक्सटाइल्स	https://pli.texmin.gov.in
12.	ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना	https://plidrone.ifcilttd.com
13.	पीएलआई योजना 'उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी भंडारण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' (पीएलआई-एसीसी)	https://pliaacc.in/
14.	भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण के लिए योजना चरण II (प्रसिद्धि-II)	https://fame2.heavyindustries.gov.in/
15.	चीनी विकास निधि हेतु नोडल एजेंसी	https://www.ifcilttd.com/?q=en/content/nodal-agency-sugar-development-fund
16.	संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस)	https://www.ifcilttd.com/?q=en/content/msips
17.	इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (ईएमपीएस)	https://emps.heavyindustries.gov.in/

टिप्पणी:

- आईएफसीआई भारत सेमीकंडक्टर मिशन के साथ तकनीकी वित्तीय मूल्यांकन, उचित परिश्रम और सत्यापन के लिए एजेंसी के रूप में भी जुड़ा हुआ है (i) सेमीकंडक्टर फैब्रिक की स्थापना के लिए योजना, (ii) डिस्प्ले फैब्रिक की स्थापना के लिए योजना और (iii) सेटिंग के लिए योजना भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब्रिक/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्रिक और सेमीकंडक्टर असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) सुविधाएं (पोर्टल: <https://ism.gov.in/>).
- आईएफसीआई को कर्नाटक सरकार के ईएसडीएम सेक्टर 2020-2025 के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के लिए सत्यापन एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया है (पोर्टल: <https://k-tech.karnataka.gov.in/>)।

16 जनवरी, 2024 को आयोजित पीएलआई ऑटो कॉन्क्लेव के दौरान, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने 'ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स' के लिए पीएलआई को लागू करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपकी कंपनी के एमडी और सीईओ को 'प्रशंसा प्रमाण पत्र' प्रदान किया।

इस अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) और स्थिरता के क्षेत्र में कदम रखा है। आंतरिक क्षमताओं को विकसित किया गया है और ईएसजी विजन, नीति, रणनीति, रिपोर्टिंग (बीआरएसआर, स्थिरता रिपोर्ट), ईएसजी संवेदीकरण, ईएसजी जोखिम मूल्यांकन, नेट-जीरो रोडमैप इत्यादि जैसी ईएसजी और स्थिरता सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करके कॉर्पोरेट्स का समर्थन करने के लिए एक नया सलाहकारिता मंच स्थापित किया गया है। सलाहकारिता सेवाओं के अलावा, ईएसजी के दायरे में प्रभावशील क्षेत्रों की पहचान की जा रही है क्योंकि आपकी कंपनी अर्थव्यवस्था के नेट-जीरो लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने का प्रयास करती है।

आपकी कंपनी ने एसएमई को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें हैडहोलिंग समर्थन प्रदान करवाने के लिए सेंटर फॉर एस्पायरिंग एसएमई (सीओई) बनाने के लिए फंडेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एफआईएसएमई) के साथ भी सहयोग किया है। सीओई की हैडबुक- 'मेंकिंग एस्पायरिंग एसएमई फॉर एक्स्टर्नल इक्विटी' अंग्रेजी और 6 अन्य भाषाओं यानी हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में प्रकाशित की गई है।

आपकी कंपनी, समूह स्तर पर समूह तालमेल और मूल्य अधिकतमीकरण पर

ध्यान केंद्रित करती है। आईएफसीआई अपनी सहायक कंपनी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में योगदान दे रही है।

एसएचसीआईएल देश में सबसे बड़े डिपॉजिटरी प्रतिभागियों में से एक है, इसके अलावा यह कस्टोडियल संपत्तियों के मामले में देश का सबसे बड़ा प्रीमियर कस्टोडियन है और संस्थागत निवेशकों, म्यूचुअल फंड, बैंकों, बीमा कंपनियों आदि को ट्रेडिंग और कस्टोडियल सेवाएं प्रदान करता है। यह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टॉप शुल्क, ई-कोर्ट शुल्क और ई-पंजीकरण के संग्रह के लिए एक केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) के रूप में भी कार्य करता है। एसएचसीआईएल ने भारत में ई-स्टाम्पिंग के क्षेत्र में परिवर्तनकारी कार्य किया है, जिससे न केवल लागत बचत के कारण वित्तीय लाभ बढ़ा है अपितु राजस्व हानि रोकने में भी सहायता मिली है।

इसने कागज खपत में भी कमी की है, जिससे पारिस्थिकीय स्थिरता व्यापक रूप से बढ़ी है। एसएचसीआईएल भारत में ई-स्टाम्पिंग के क्षेत्र में परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है। वर्तमान में, स्टॉक होल्डिंग की ई-स्टाम्पिंग सेवाएं 24 राज्यों में फैली हुई हैं। वित्त वर्ष 2014-15 से, स्टॉक होल्डिंग ने ई-स्टाम्पिंग के माध्यम से 2.78 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। अनुमान है कि देश भर में भौतिक स्टाम्प से स्टॉक होल्डिंग की ई-स्टाम्पिंग प्रणाली पर स्विच करने से राज्य सरकारों के लिए सालाना लगभग 1500 करोड़ रुपये की बचत होती है।

पिछले वर्ष के दौरान, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग

के सचिव द्वारा "भारत में ई-स्टाम्पिंग के प्रभाव का आकलन" शीर्षक से एक कॉफी टेबल बुक जारी की गई थी। इसके अलावा, एसएचसीआईएल 15 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में डाट इंडियन स्टाम्प बिल, 2023 पर राष्ट्रीय गोलमेज चर्चा में एक प्रमुख भागीदार था और इसने प्रमुख बिंदुओं पर इनपुट प्रदान किया।

स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज (एसडीएमएस) जो आईएफसीआई लिमिटेड की एक स्टेप डाउन सहायक कंपनी है, जिसने राष्ट्रीय महत्व की एक प्रतिष्ठित परियोजना प्राप्त करने पर सहारा सहकारी समितियों के वास्तविक निवेशकों के दावों के प्रसंस्करण के लिए सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री द्वारा किया गया।

आईएफसीआई की एक अन्य सहायक कंपनी आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईवीसीएफ) भारत सरकार की सामाजिक क्षेत्र की पहलों को बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार ने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को उद्यमशीलता समर्थन देने के लिए 'अपनी तरह की पहली योजनाएं' शुरू की है। आईवीसीएफ द्वारा प्रबंधित योजनाएं हैं- अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी), अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन (एसआईआईएम), पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-बीसी), अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एसटी) और एसएजीई वेंचर फंड (एसएजीई) शामिल है।

सभी सहायक कंपनियों का विवरण आईएफसीआई की वेबसाइट www.ifcilttd.com पर उपलब्ध है।

चुनौतियों के संबंध में, आपकी कंपनी को नकदी जोखिम, नकारात्मक सीआरएआर, उच्च एनपीए स्तर और क्रेडिट रेटिंग संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है आपकी कंपनी अपनी नकदी स्थिति को बढ़ाने के लिए आक्रामक रूप से वसूली करके एनपी के स्तर को कम करने का प्रयास कर रही है। आपकी कंपनी ने परामर्शी सेवाओं में भी अपनी छवि को बढ़ाया है ताकि यह अपने राजस्व तंत्र का विस्तार कर सके। आपकी कंपनी ने ऊर्जा दक्षता उपायों सहित लागत अनुकूलन उपायों को भी अपनाया है।

भारत सरकार आपकी कंपनी की प्रमोटर और सबसे बड़ी इक्विटी शेयरधारक है। भारत सरकार ने इक्विटी भागीदारी के माध्यम से आपकी कंपनी में लगातार धन हस्तांतरित किया है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2024 के बीच 1,600 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश की है। उक्त निवेश में से 1,000 करोड़ रुपये पिछले दो वित्तीय वर्षों (यानि वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्येक में 500 करोड़ रुपये) डाले गए हैं। इक्विटी समर्थन से पिछले दो वित्तीय वर्षों में तरलता की स्थिति में सुधार किया है और ऋण की चुकोती को सुगम बनाया है।

3. खंड-वार या उत्पाद-वार प्रदर्शन

आपकी कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय वित्तीय सहायता प्रदान करना है और यह एकल खंड रिपोर्टिंग ढांचे के तहत कार्य करती है।

4. समग्र परिदृश्य*

22 जुलाई, 2024 को जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.2% की दर से बढ़ेगी, जिसमें जोखिम मोटे तौर पर संतुलित होंगे। वित्त वर्ष 2020 में समाप्त होने वाले दशक के दौरान औसत वार्षिक वैश्विक वृद्धि 3.7% थी। वैश्विक कमोडिटी कीमतों में गिरावट और आपूर्ति श्रृंखला दबावों में कमी के साथ अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के दबाव कम हुए हैं। हालाँकि, कोर मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और उच्च सेवा मुद्रास्फीति द्वारा संचालित है। कई केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर वृद्धि चक्र के चरम पर होने का संकेत दिया है।

ईसीबी ने पहले ही पॉलिसी रेट में कटौती कर दी है, जबकि फेड ने 2024 में रेपो रेट कम करने का संकेत दिया है।

यदि अर्थव्यवस्थाओं में सेवा जगत की मुद्रास्फीति तेजी से कम होती है, तो इससे केंद्रीय बैंकों को वर्तमान में अनुमानित समय से पहले मौद्रिक नीति सहजता चक्र को आगे ले जाना पड़ सकता है। ए.ई. के केंद्रीय बैंकों, विशेष रूप से फेड द्वारा पॉलिसी रेट में संभावित कमी से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों के लिए नेतृत्व का अनुसरण करने की जगह खुलेगी, जिससे पूंजी की लागत कम होगी। नकारात्मक पक्ष यह है कि 2024 में भू-राजनीतिक संघर्षों में कोई भी वृद्धि आपूर्ति अव्यवस्था, उच्च कमोडिटी कीमतों, मुद्रास्फीति के दबावों को पुनर्जीवित करने और पूंजी प्रवाह के लिए संभावित नतीजों के साथ मौद्रिक नीति सहजता को रोकने का कारण बन सकती है। 2024 के लिए वैश्विक व्यापार परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है, 2023 में वॉल्यूम में कमी दर्ज होने के बाद व्यापारिक व्यापार में तेजी आने की उम्मीद है। इसके विपरीत, भू-राजनीतिक आधार पर विखंडन में वृद्धि और संरक्षणवाद पर नए सिरे से जोर देने से व्यापारिक व्यापार वृद्धि विकृत हो सकती है, जिसका असर भारत के विदेशी व्यापार पर पड़ सकता है। वैश्विक वित्तीय बाजारों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, निवेशकों ने वैश्विक आर्थिक विस्तार पर दांव लगाया है। हालाँकि, ऊंचे वित्तीय बाजार मूल्यांकन में किसी भी सुधार का घरेलू वित्त और कॉर्पोरेट मूल्यांकन पर असर पड़ सकता है, जिससे विकास की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बेहतर बैलेंस शीट निजी क्षेत्र को मजबूत निवेश मांग को पूरा करने में मदद करेगी। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विकास की संभावनाओं में सुधार के साथ व्यापारिक निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है, वहीं सेवाओं के निर्यात में भी और तेजी आने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान और अब तक दक्षिण-पश्चिम मानसून के संतोषजनक प्रसार से कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार होने और ग्रामीण मांग में सुधार का होने की संभावना है। हालाँकि, मानसून को अभी भी कुछ रास्ता तय करना है। जीएसटी और आईबीसी जैसे संरचनात्मक सुधार भी परिपक्व हो चुके हैं और अपेक्षित परिणाम दे रहे हैं। इन कारकों पर विचार करते हुए, सर्वेक्षण में मोटे तौर पर 6.5-7% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जिसमें जोखिम समान रूप से संतुलित है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बाजार से अच्छी अपेक्षाएँ हैं।

5. जोखिम और चिंताएं

जोखिमों को दूर करने के लिए, आपकी कंपनी ने क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन के लिए एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति (आईआरएमपी) बनाई है जो इसके व्यवसाय मॉडल के साथ एकीकृत व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचे का एक भाग है।

बदलते आर्थिक और कारोबारी माहौल को ध्यान में रखते हुए, सामान्य उधार नीति, आईआरएमपी, चलनिधि जोखिम प्रबंधन और आपकी कंपनी की अन्य व्यावसायिक नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। आईएफसीआई के रिस्क मैनेजमेंट विजन स्टेटमेंट और क्वालिटी रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट्स भी तैयार किए गए हैं। क्वालिटी रिस्क एपेटाइट विवरण में शामिल मानदंडों का समय-समय पर परीक्षण किया जाता है।

आपकी कंपनी विवेकपूर्ण सीमाओं के विरुद्ध वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी, विभिन्न परिदृश्यों के तहत तनाव परीक्षण, वार्षिक रेटिंग माइग्रेशन अभ्यास, रेटिंग वितरण, आंतरिक और बाहरी रेटिंग की मैपिंग के माध्यम से पोर्टफोलियो स्तर के जोखिमों का आकलन करती है।

इंड-एसस कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी पिछले डेटा के आधार पर अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो की रेटिंग ग्रेड-वार डिफॉल्ट की संभाव्यता

*स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, दिनांक 22 जुलाई, 2024, आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 और आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2024 के अंश।

(पीडी) संख्याओं का अनुमान लगाती है, जबकि एनपीए से नकदी प्रवाह के पिछले इतिहास के आधार पर लॉस गिवन डिफॉल्ट (एलजीडी) संख्याओं की गणना की जाती है। जोखिम घटकों का उपयोग इंड-एस कार्यान्वयन के भाग के रूप में अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की गणना के लिए किया जाता है।

कार्यकारी अधिकारियों की जोखिम और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीई), मौजूदा नियामक उपाय के आधार पर समय-समय पर गतिशील तरलता स्थिति, संरचनात्मक तरलता अंतराल और ब्याज दर संवेदनशीलता स्थिति का विश्लेषण करती है। ईटीग्रेटेड ट्रेजरी का मिड-ऑफिस फंक्शन जोखिम प्रबंधन प्रणाली को रिपोर्ट करता है और एक स्वतंत्र रिस्क मॉनिटरिंग फंक्शनरी के रूप में काम करता है। परिचालन जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ मौजूद हैं। जिन्हें आंतरिक लेखा-परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, डेटा का रिमोट बैक-अप, आपदा प्रबंधन नीति, आईटी सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा और आपकी कंपनी की तथा साथ ही आपकी कंपनी के पास बंधक रखी गई बीमा योग्य संपत्तियों के बीमा के द्वारा समर्थन एवं सहायता मिलती है। इसके अलावा, सीआरएआर, लाभप्रदता और तरलता पर संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए, ऋण पोर्टफोलियो के तनाव परीक्षण और तरलता की स्थिति के मापन के लिए एक मैकेनिज्म भी मौजूद है।

आपकी कंपनी ऋण जोखिम मानकों को मजबूत करने, आपकी कंपनी के ऋण पोर्टफोलियो पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पोर्टफोलियो की मंजूरी के बाद निगरानी के उद्देश्य से विभिन्न पहलों पर काम करना जारी रखेगी। आपकी कंपनी संगठन के भीतर जोखिम प्रबंधन और जागरूकता के लिए एक मजबूत संस्कृति विकसित करने का भी प्रयास करेगी।

6. **आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ, उनकी पर्याप्तता और आंतरिक लेखा-परीक्षा**
आपकी कंपनी के पास अपने व्यवसाय और संबद्ध कार्यों के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा इन आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता का नियमित आधार पर सत्यापन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से, अनुभवी कर्मियों की एक टीम द्वारा आंतरिक लेखा-परीक्षा की जा रही है। निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्षेत्र के आधार पर लेन-देन की गंभीरता और महत्व के आधार पर इस तरह के ऑडिट की समयावधि त्रैमासिक से वार्षिक होती है। इसके अलावा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) की पर्याप्तता सुनिश्चित करने की कवायद भी आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की टिप्पणियों के आधार पर, प्रक्रिया मालिकों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में सुधारमात्मक कार्रवाई की जाती है जिससे नियंत्रण प्रणाली मजबूत होती है। आपकी कंपनी 03 फरवरी, 2021 के परिपत्र के माध्यम से जारी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट (आरबीआईए) के दिशानिर्देशों के आधार पर ऑडिट करती है। सभी गैर-जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के लिए।

7. **मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध मोर्वे में भौतिक विकास, सेवारत लोगों की संख्या सहित**

आपकी कंपनी वर्तमान में सलाहकारिता सेवा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने का प्रयास कर रही है। इस लक्ष्य को आगे रखते हुए, आईएफसीआई ने अपने व्यावसायिक संचालन में बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने कार्यबल को कुशल और विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं।

सकारात्मक और उत्पादक कार्य वातावरण बनाने के लिए कंपनी के मिशन को आगे बढ़ाने में प्रभावी मानव संसाधन (एचआर) प्रबंधन महत्वपूर्ण तत्व है। हमारी मानव-संसाधन पहल कर्मचारी जुड़ाव को बढ़ाने, उनके पेशेवर विकास

को बढ़ावा देने और विविध और समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देने पर जोर देती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने कर्मचारी उत्पादकता को बढ़ावा देने और कंपनी के विजन को पूरा करने के लिए उन्हें आवश्यक कौशल, ज्ञान और क्षमताओं से लैस करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाये हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में, कर्मचारी प्रशिक्षण पर प्रमुख ध्यान था, जिसमें लगभग 85% कर्मचारियों को व्यवसाय के वित्तीय विश्लेषण, पावर बीआई सहित डेटा एनालिटिक्स, ई-ऑफिस, साइबर सुरक्षा, ईएसजी, पीओएसएच, संचार कौशल, नेतृत्व और अन्य व्यवहार कौशल जैसे क्षेत्रों में 2,917 मानव-घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।

आपकी कंपनी आईएफसीआई के रणनीतिक उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाओं में आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करने में सफल रही।

आपकी कंपनी ने सेवारत संसाधनों और निरंतर कौशल और पुनः कौशल प्रयासों के लिए मूल्य प्रस्ताव की पेशकश करके विभिन्न प्रतिधारण रणनीतियों को लागू किया है।

कर्मचारियों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए पेशेवर परामर्श सहित कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई।

संबंध हितधारकों के अधिकारों की नियमित रूप से समीक्षा की गई है और परामर्शी निर्णय लेने के लिए प्लेटफॉर्म बनाने और असाइनमेंट की डिलीवरी में गति और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसे ठीक किया गया है। अपेक्षित व्यवहार को परिभाषित करने के लिए संगठन की मूल्य प्रणाली को स्पष्ट रूप से संप्रेषित किया जा रहा है और इस दिशा में स्टाफ जवाबदेही से संबंधित नीतियों को भी मजबूत किया गया है।

आपकी कंपनी ने विविध प्रकार के आयोजनों और समारोहों की व्यवस्था करके कर्मचारी सामंजस्य और अपने कर्मचारियों के कल्याण को भी प्राथमिकता दी है। इन क्रियाकलापों में अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाना, 75वां आईएफसीआई फाउंडेशन डे मनाना, स्वतंत्रता दिवस मनाना, स्वच्छ भारत अभियान में लगना दिवाली मनाना, नववर्ष का आयोजन करना तथा अन्तरराष्ट्रीय दिवस मनाना शामिल है। महिला कर्मचारियों के बीच वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए भी सत्र आयोजित किए गए हैं।

आपकी कंपनी ने मानव संसाधन संचालन को लगातार सुव्यवस्थित करने के लिए और बेहतर सूचना प्रबंधन हेतु सलाहकारिता सेवाओं के लिए एक नई मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरआईएस) को सफलतापूर्वक विकसित किया है।

एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी का कल्याण

आपकी कंपनी अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के कल्याण के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अक्षरशः और संवेदनशील तरीके से पालन करती है। आपकी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के कल्याण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए भी काम करती है। आपकी कंपनी विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण और छूट के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करती है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करती है।

वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी में नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या 139 थी (एमडी और सीईओ, डीएमडी और सीवीओ को छोड़कर), जिनमें 1 जनवरी 2024 को 20 (14%) अन्य पिछड़ा वर्ग से थे, 12 (9%) अनुसूचित जाति से थे और 01 (1%) अनुसूचित जनजाति से थे।

01 जनवरी, 2024 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व के विवरण और पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण:

क्रम स.	श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2024 की स्थिति अनुसार)					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा		
							जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	श्रेणी I	138	12	1	20	-	-	-	-	-	-	30	2	-	-	-	-
2	श्रेणी III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	श्रेणी IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	संविदा पर	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	147	12	1	20	0	1	0	0	0	0	30	2	0	0	0	0

01 जनवरी, 2024 को विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

क्रम स.	ग्रेड	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2024 की स्थिति अनुसार)					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा		
							जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	कार्यपालक निदेशक	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
2	एफ	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
3	ई	22	2	-	3	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-
4	डी	29	-	-	3	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
5	सी (निजी सचिव ग्रेड सी सहित)	45	5	1	5	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
6	बी (निजी सचिव ग्रेड बी सहित)	34	5	-	8	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-
7	ए	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	श्रेणी III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	श्रेणी IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	संविदा पर	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	147	12	1	20	0	1	0	0	0	0	30	2	0	0	0	0

दिव्यांग जनों का समूह-वार प्रतिनिधित्व (31.12.2023 तक)

क्रम स.	समूह	कर्मचारियों का स्वरूप (31.12.2023 की स्थिति अनुसार)					कैलेण्डर वर्ष 2023 (अर्थात् 01.01.2023 से 31.12.2023) के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																			
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्ति										पदोन्नतियां									
							आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या				
		जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	श्रेणी I	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	श्रेणी-III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	श्रेणी-IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- टिप्पणी:
- वीएच से अभिप्राय दृष्टि से विकलांग (अंधेपन या दृष्टि कम हो जाने के रोग से पीड़ित व्यक्ति)
 - एचएच से अभिप्राय श्रवण की दृष्टि से विकलांग (जिन व्यक्तियों को सुनाई नहीं देता है)
 - ओएच से अभिप्राय शारीरिक रूप से विकलांग (चलने की अशक्तता या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति)
 - आईडी से अभिप्राय बौद्धिक अशक्तता

8. प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024	वित्तीय वर्ष 2023	टिप्पणी	महत्वपूर्ण परिवर्तन*
व्याज कवरेज अनुपात	1.84	0.71	व्याज और करों से पूर्व आय/कुल व्याज व्यय(कर-पूर्व लाभ + वित्त लागत)/वित्त लागत	जी हाँ(>25%)
चालू अनुपात	1.12	1.53	चालू परिसम्पत्ति/चालू देयता	जी हाँ(>25%)
ऋण इक्विटी अनुपात	4.49	9.28	कुल उधार/निवल मूल्य	जी हाँ(>25%)
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	16.59	-7.33	परिचालन लाभ /कुल राजस्व (कर-पूर्व लाभ + क्षति)/ कुल राजस्व	जी हाँ(>25%)
निवल लाभ मार्जिन (%)	9.83	-42.31	कुल समग्र आय/कुल राजस्व	जी हाँ(>25%)
निवल मूल्य पर प्रतिफल	9.58	-59.61	कुल समग्र आय/औसत निवल मूल्य	जी हाँ(>25%)

*स्पष्टीकरण:- अनुपातों में परिवर्तन परिचालन आय में वृद्धि के कारण हुआ, जो कि चरण 3 आय और मेमो रिकवरी की मान्यता के कारण व्याज आय में वृद्धि के कारण प्रभावित हुआ। इसके अलावा, चूँकि देनदार टर्नओवर अनुपात या इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात कंपनी (एनबीएफसी) पर लागू नहीं होते हैं, इसे उपरोक्त तालिका में शामिल नहीं किया गया है।

9. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन (आईएसएफ)

आईएफसीआई ने हमेशा अपने व्यवसाय को समग्र और जिम्मेदारी से संचालित करने का प्रयास किया है। आईएफसीआई में, आर्थिक प्रदर्शन के साथ-साथ, समुदाय और सामाजिक प्रबंधन इसके समग्र व्यावसायिक विकास के महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। आईएफसीआई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों को सबसे पहले अपनाने वाली कंपनियों में शामिल रहा है। 1948 में अपनी स्थापना के बाद से ही यह सामाजिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में शामिल रहा है। आज, यह आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन (आईएसएफ), एक पंजीकृत ट्रस्ट, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी (एमसीए पंजीकरण संख्या सीएसआर-00005110) के माध्यम से सामाजिक व सामुदायिक विकास और विभिन्न उपेक्षित क्षेत्रों में काम कर रहा है। आईएसएफ आईएफसीआई और आईएफसीआई समूह की सीएसआर गतिविधियों के लिए एक शाखा की तरह कार्य कर रहा है। आईएसएफ अपने मूल्यों अर्थात् समावेशिता, अखंडता, प्रतिबद्धता और संवेदना द्वारा निर्देशित है जिसका समग्र दृष्टिकोण “भारत के प्रमुख सीएसआर संस्थानों में से एक बनना और समावेशिता के साथ स्थायी सामाजिक प्रभाव पैदा करना” है। इसका प्रमुख फोकस शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तीकरण पर है।

ट्रस्ट आयकर अधिनियम की धारा 12ए और 80जी के तहत छूट के लिए पंजीकृत है। ट्रस्ट सीएसआर संशोधन नियम, 2021 के अनुरूप कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ भी पंजीकृत है। आईएफसीआई और आईएसएफ ने अपनी सीएसआर परियोजनाओं के माध्यम से भारत के लगभग 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया है। आईएसएफ आईएफसीआई और आईएफसीआई समूह की कंपनियों की ओर से सीएसआर गतिविधियां संचालित करता है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

सीएसआर गतिविधियों में निवेश परियोजना आधारित है और प्रत्येक परियोजना के लिए शुरुआत में समय सीमा और आवधिक मील के पत्थर निर्धारित किए जाते हैं।

चूँकि पिछले तीन वर्षों के लिए आईएफसीआई लिमिटेड का औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक था, आईएफसीआई को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर

गतिविधियों के लिए कोई राशि आवंटित करने की आवश्यकता नहीं थी। कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 में संशोधन के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक-I में बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा बनती है।

सचेतक कथन

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाले कुछ कथन, लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में ‘भविष्योन्मुखी’ हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से किसी हद तक भिन्न हो सकते हैं।

वर्ष के दौरान नियुक्त या त्याग पत्र देने वाले निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का विवरण

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान और इस बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने की तारीख तक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए थे:

- श्री उमेश कुमार गर्ग (डीआईएन: 00599426) को 10 मई, 2023 से आपकी कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- बोर्ड ने 11 अगस्त, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में श्री सुनीत शुक्ला, मुख्य महाप्रबंधक को कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में श्री प्रसून के स्थान पर 11 अगस्त, 2023 से नियुक्त किया।
- श्री मुकेश कुमार बंसल (डीआईएन: 03359724), सरकारी निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामांकन वापस लेने पर 27 मार्च, 2024 से कंपनी के बोर्ड में नहीं रहेंगे।
- श्री कार्तिकेय मिश्रा (डीआईएन: 06440653), सरकारी निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामांकन वापस लेने पर 27 मार्च, 2024 से कंपनी के बोर्ड में नहीं रहेंगे।
- सरकार ने 27 मार्च, 2024 के अपने आदेश से श्री जितेंद्र असाटी, निदेशक, डीएफएस, (डीआईएन: 10042542) को कंपनी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया था। तदनुसार, श्री जितेंद्र असाटी, निदेशक, डीएफएस को आपकी कंपनी के बोर्ड में 04 अप्रैल, 2024 से निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया।
- सरकार ने 27 मार्च, 2024 के अपने आदेश से श्री सुरजीत कार्तिकेयन, निदेशक, डीएफएस, (डीआईएन: 09634785) को कंपनी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया था। तदनुसार, श्री सुरजीत कार्तिकेयन, निदेशक, डीएफएस को 04 अप्रैल, 2024 से आपकी कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- सरकार ने 03 अप्रैल, 2024 के अपने आदेश से कंपनी के एमडी और सीईओ श्री मनोज मित्तल (डीआईएन: 01400076) के कार्यकाल को 11 जून, 2024 को समाप्त होने वाले वर्तमान कार्यकाल से आगे 2 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया था, यानि 12.06.2024 से 11.06.2026 तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो। हालांकि, सरकार ने 26 जुलाई, 2024 के अपने आदेश के तहत श्री मनोज मित्तल को पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त किया था। 27 जुलाई, 2024 से सिडबी के सीएमडी के रूप में अपना कार्यभार संभालने के मद्देनजर, श्री मनोज मित्तल 27 जुलाई, 2024 से आईएफसीआई लिमिटेड के एमडी और सीईओ नहीं रहेंगे।
- श्री राहुल भावे (डीआईएन: 09077979) को 28 नवंबर, 2023 से उप-प्रबंध निदेशक के रूप में नामित पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

झ) प्रो. अरविंद सहाय (डीआईएन: 03218334) आगामी वार्षिक आम बैठक के समापन पर रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण उन्होंने फिर से नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया है।

निगमित शासन प्रणाली और अनुपालन

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक विस्तृत रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

क) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की विभिन्न वित्तीय सुविधाओं/उपकरणों को दी गई क्रेडिट रेटिंग कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में दी गई है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

ख) निदेशक मंडल और लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट का हिस्सा है, जो वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिखाई देती है। इसके अलावा, रिपोर्ट के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं रहा है, जहाँ बोर्ड ने लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया हो।

ग) बोर्ड और समितियों की संरचना का विवरण और वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों की संख्या, कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट का हिस्सा है, जो वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दी गई है।

घ) कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को कंपनी की वेबसाइट पर विभिन्न नीतियों/दस्तावेजों/विवरणों को रखना जरूरी है। कंपनी की वर्तमान वेबसाइट www.ifcilttd.com है और सभी आवश्यक जानकारी उस पर अपलोड की जा रही है और ये <https://www.ifcilttd.com/?q=en/content/disclosure-under-regulation-46-and-62-sebi-%E2%80%93%93-lodr> पर उपलब्ध है।

ड) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी के पास कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। हालांकि, आईएफसीआई एक सरकारी कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के पास है, जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय है।

च) जैसा कि लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित किया गया है, व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट ('बीआरएसआर') वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

छ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, न तो वैधानिक लेखा-परीक्षकों और न ही सचिवीय लेखा-परीक्षकों ने अपनी-अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में किसी धोखाधड़ी की सूचना दी है।

ज) कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 (10) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आरबीआई, एसबीआई और अन्य नियामक प्राधिकरणों की सलाह के अनुसार संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत सभी रिटर्न/डेटा/विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।

झ) निवेशक सेवाओं के लिए की गई प्रमुख पहल आपकी कंपनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या वेब-आधारित क्वेरी सबमिशन सिस्टम के माध्यम से प्राप्त निवेशकों की शिकायतों को तुरंत नोट किया गया और उनका निवारण किया गया।

ञ) 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के स्वतंत्र निदेशक ने घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 149(6) और सेबी

एलओडीआर के विनियमन 16(1)(ख) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्होंने अधिनियम की धारा 149(7) और सेबी एलओडीआर के विनियमन 25 के तहत घोषणा प्रदान की है।

अन्य प्रकटीकरण:

क) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अर्जित अपर्याप्त लाभ को देखते हुए, इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश अनुशंसित नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के सामान्य रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है। साथ ही, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है जो आपकी कंपनी की वेबसाइट www.ifcilttd.com पर उपलब्ध है।

ख) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, ऐसी कोई नई कंपनी नहीं थी जो आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी बनी हो, पुरानी कंपनियों पहले की तरह बनी रही। 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के पास 3 'महत्वपूर्ण सहायक कम्पनियाँ' हैं, अर्थात् स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड और एमपीकॉन लिमिटेड। महत्वपूर्ण सहायक कंपनी निर्धारित करने की नीति कंपनी की वेबसाइट <https://www.ifcilttd.com/2022/Policy%20for%20determination%20of%20Material%20Subsidiary.pdf> पर उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति का विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले फॉर्म एओसी-1 से लिया जा सकता है।

ग. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी के प्रमोटर्स यानि भारत सरकार को 29,36,85,756 इक्विटी शेयर 13.62 रुपये (केवल तेरह रुपये और बासठ पैसे) 3.62 रुपये (केवल तीन रुपये और बासठ पैसे) के प्रीमियम सहित, प्रति इक्विटी शेयर की दर से कुल मिलाकर 400,00,00,000 रुपये (चार सौ करोड़ रुपये) आवंटित किए गए। इक्विटी शेयरों के आवंटन के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत सरकार की शेयरधारिता मौजूदा 66.35% से बढ़कर 70.32% हो गई।

इसके अलावा, कंपनी के प्रमोटर्स यानि भारत सरकार (जीओआई) को 40.33 रुपये (चालीस और तैतीस पैसे मात्र) 30.33 रुपये (तीस और तैतीस पैसे मात्र) के प्रीमियम सहित, प्रति इक्विटी शेयर की दर से 12,39,77,188 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 500,00,00,000 रुपये (पांच सौ करोड़ रुपये) तक है। वित्त वर्ष 2024-25 में इक्विटी शेयरों के आवंटन के परिणामस्वरूप, कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी (18 अप्रैल, 2024 तक) में भारत सरकार की शेयरधारिता 70.32% से बढ़कर 71.72% हो गई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की ऋण संरचना में परिवर्तन निम्नानुसार है:

वर्ष के आरम्भ में प्रतिभूतियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान जारी	वर्ष के दौरान मोचित	वर्ष के अन्त में प्रतिभूतियों की कुल संख्या
113,27,554	-	1,75,880	111,51,674

घ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 24,87,267 इक्विटी शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरित किए गए, जिनके संबंध में लगातार 7 वर्षों से लाभांश का दावा नहीं किया गया है। जिन शेयरधारकों के दावा न किए गए लाभांश/शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरित किए गए हैं, www.iepf.gov.in पर उपलब्ध फॉर्म संख्या आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को आवेदन करके इसका दावा कर सकते हैं।

- ड) चूंकि कंपनी मुख्य रूप से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने की क्षमता में कंपनियों को वित्तपोषित करने के व्यवसाय में संलग्न है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186, उपधारा (1) को छोड़कर, के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- च) आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमा पूंजी नहीं जुटाई।
- छ) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, विनियामकों या न्यायालय द्वारा कंपनी की चालू स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए। इसके अलावा, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी के व्यवसाय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के अंत और बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं।
- ज) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 की प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट दी गई है। इसलिए, ऐसे विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, एमडी और सीईओ सहित कंपनी के किसी भी निदेशक को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आपकी कंपनी की किसी भी सहायक कंपनी द्वारा कोई कमीशन नहीं दिया गया, जिसके बोर्ड में वे आपकी कंपनी के नामित निदेशक थे। इसके अलावा, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशकों या कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।
- झ) कंपनी अधिनियम, 2013 (जहां तक लागू हो) और लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने नामांकन और पारिश्रमिक नीति तैयार की है। हालांकि, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या F.No. 1/2/2014-CL.V दिनांक 5 जून, 2015 के माध्यम से सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के अनुसार, नीति को बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया है।
- ञ) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट www.ifcilttd.com पर उपलब्ध है।
- ट) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पार्टी लेन-देन व्यवसाय के सामान्य क्रम में और आसानी से सबकी पहुँच में थे। आपकी कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन दर्ज नहीं किया गया। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के तहत फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष लेन-देन का खुलासा लागू नहीं होता है और इसलिए यह बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया है।
- ठ) बोर्ड, अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य निष्पादन प्रदर्शन मूल्यांकन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और बोर्ड द्वारा किया गया था। निदेशकों द्वारा उल्लिखित सुधार के क्षेत्र में बोर्ड की संरचना/समितियों की संरचना शामिल थी। वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार यह गैर-अनुपालन है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक नहीं हो सकी। अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध करने वाले पत्र कार्यालय से प्रभारी मंत्रालय को भेजे गए हैं।
- ड) रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत आपकी कंपनी के खिलाफ कोई मामला दायर नहीं किया गया था और न ही कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।
- ढ) आपकी कंपनी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों के लिए डिबेंचर ट्रस्टियों का विवरण निम्नानुसार है:

डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क विवरण
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड	दि रूबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू 29, सेनापति बापत मार्ग, दादर वेस्ट, मुंबई - 400 028 फोन नं०: +91 022 6230 0451 ई-मेल: debenturetrustee@axistrustee.in वेबसाइट: www.axistrustee.in
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	यूनिवर्सल इश्योर्स बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, सर पी एम रोड, किला, मुंबई - 400 001 फोन नं०: 022 66311776 ई-मेल: itsl@idbitrustee.com वेबसाइट: www.idbitrustee.com
सेन्ट्रल फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड	तृतीय तल, (ईस्ट विंग), सैटल बैंक ऑफ इंडिया, एमएमओ बिल्डिंग, 55 एमजी रोड, मुंबई-400 001 फोन नं०: (022) 2261 6217 ई-मेल: info@cfsi.in ; complaints@cfsi.in वेबसाइट: www.cfsi.in

लेखा-परीक्षक

एस मान एंड कंपनी (डीई 1161) (फर्म पंजीकरण संख्या 000075एन) को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की आवश्यकता के अनुसार, लागत लेखा परीक्षा की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा व्यक्त अहंक, शंकाएँ या प्रतिकूल टिप्पणी अथवा डिस्कलेमर

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों को कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा अहंक नहीं किया गया। तथापि, सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने कुछ 'मैटर ऑफ इन्फोसिस' का प्रावधान किया। स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा-परीक्षकों की संपूर्ण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव फर्म को कंपनी के सचिवीय लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। सचिवीय लेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ एवं उनके बारे में प्रबंधन के उत्तर निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	सचिवीय लेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन के उत्तर
क.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1)(ए) और 17(1)(बी) के प्रावधान और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) और धारा 149(4) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, निदेशक मंडल में कम से कम 1 महिला स्वतंत्र निदेशक होगी। इस संबंध में, यह प्रस्तुत करना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के विनियम 149(6)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति कंपनी के प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय के पास निहित है और वह इस मामले से अवगत है। हमारे अनुरोधों पर विचार करते हुए श्री उमेश कुमार गर्ग को कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ए) और 17(1)(बी) के प्रावधान और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) और धारा 149(4) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, निदेशक मंडल में कम से कम 1 महिला स्वतंत्र निदेशक होगी। इस संबंध में, यह प्रस्तुत करना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के विनियम 149(6)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति कंपनी के प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय के पास निहित है और वह इस मामले से अवगत है। हमारे अनुरोधों पर विचार करते हुए श्री उमेश कुमार गर्ग को कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र

क्र. सं.	सचिवीय लेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन के उत्तर
		निदेशक के रूप में नामित किया गया और उन्हें दिनांक 10 मई 2023 से नियुक्त किया गया। एक बार जब महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय द्वारा की जाती है, तो उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।
ख.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17(2ए) के अनुसरण में, शीर्ष 2000 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम इसकी कुल क्षमता का एक तिहाई या तीन निदेशक, जो भी अधिक हो, होगा, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होगा। तदनुसार, कंपनी 03.05.2023 को आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में उस नियम का अनुपालन नहीं कर रही थी क्योंकि बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था।	कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की अनुपस्थिति में, कंपनी 03.05.2023 को आयोजित बोर्ड की पहली बैठक के लिए सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17(2ए) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी। जैसा कि ऊपर बिंदु (क) में बताया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6)(ए) के अनुसार, आईएफसीआई एक सरकारी कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय के पास निहित है। हमारे अनुरोध पर विचार करते हुए, श्री उमेश कुमार गर्ग को कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया और 10 मई 2023 से नियुक्त किया गया। शीर्ष 2000 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता का अनुपालन किया गया है।
ग.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) और 178(1) के अनुसरण में, विनियमन 18(1)(बी) और (डी), 18(2)(बी) और विनियमन 19(1)(सी), (2) और (2ए) सहित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति न होने के कारण पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा समिति और नामांकन पारिश्रमिक समिति की संरचना पूरी नहीं हुई।	कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की अनुपस्थिति के कारण, लेखा-परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) और 178(1) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 18(1)(बी) और (डी), 18(2)(बी) और विनियमन 19(1)(सी), (2) और (2ए) के अनुपालन में नहीं थी। जैसा कि ऊपर बिंदु (ख) में बताया गया है, श्री उमेश कुमार गर्ग को 10 मई 2023 से कंपनी के बोर्ड में 08 अगस्त, 2023 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। हालाँकि, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी भी प्रतीक्षित है। एक बार प्रशासनिक रूप से प्रभारी मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति हो जाने के बाद, समितियों का तदनुसार गठन किया जाएगा।

क्र. सं.	सचिवीय लेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन के उत्तर
घ.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 20(2ए) और 21(2) के अनुसरण में, स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति न होने के कारण 01.04.2023 से 07.08.2023 की अवधि के दौरान भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 20(2ए) और 21(2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी। जैसा कि ऊपर बिंदु (ग) में बताया गया है, निदेशकों की समितियों में 08 अगस्त, 2023 को श्री गर्ग को शामिल करने के परिणामस्वरूप, और जोखिम प्रबंधन समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 20(2क) और 21(2) के प्रावधानों के अनुरूप हो गई है।	कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी 01.04.2023 से 07.08.2023 की अवधि के दौरान हितधारक संबंध समिति हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 20(2क) और 21(2) के प्रावधानों के अनुरूप हो गई है।
ड.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24(1) के अनुसरण में, सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक होना चाहिए।	कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं होने के कारण, कंपनी गैर-सूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24(1) का अनुपालन नहीं कर रही थी।
च.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 25(3) के अनुसरण में, सूचीबद्ध कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित आयोजित नहीं की जा सकी, क्योंकि कंपनी कम से कम एक बैठक भी नहीं की।	कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या न होने से, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की बैठक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 25(3) के तहत दिये गये प्रावधानों के अनुसार आयोजित नहीं की जा सकी, क्योंकि कंपनी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ 'महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों' यानि आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एमपीकॉन लिमिटेड की सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियाँ, सीएजी पूरक लेखा-परीक्षा धारणाओं पर आईएफसीआई की समेकित टिप्पणियों सहित, परिशिष्ट में दी गई है।

निदेशक दायित्व विवरण

निदेशक दायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अनुसार, एतद्वारा यह पुष्टि की जाती है कि:

- (i) वार्षिक लेखों को तैयार करने में, महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;
- (ii) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया और ऐसे निर्णय व अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि में कंपनी के लाभ व हानि का सही और निष्पक्ष परिदृश्य सामने रख जा सके।
- (iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल व्यवस्था की थी,
- (iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को चालू कारोबार के आधार पर तैयार किया था,
- (v) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए थे और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,
- (vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

आभार

आपके निदेशक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य नियामक निकायों, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक और राज्य सरकारों के सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपके निदेशक सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विदेशी अनुषंगी बैंकों, बैंकिंग संस्थानों के अन्य सदस्यों और निवेशकों से प्राप्त बहुमूल्य सहायता और निरंतर सहयोग के लिए आभारी हैं। आपके निदेशक आपकी कंपनी के सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों और समर्पित सेवा के लिए उनकी भी भरपूर सराहना करते हैं।

अरविन्द कुमार जैन
निदेशक

डीआईएन: 07911109

पता: आईएफसीआई टावर

61 नेहरू प्लेस

नई दिल्ली-110 019

दिनांक: 08 अगस्त, 2024

श्री राहुल भावे

उप प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 09077979

पता: आईएफसीआई टावर

61 नेहरू प्लेस

नई दिल्ली-110 019

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

- (i) आईएफसीआई लिमिटेड (आईएफसीआई) 1948 में अपनी स्थापना के आरंभ से ही देश भर में सामाजिक-आर्थिक विकास की मार्फत समाज को सशक्त बनाने का दृष्टिकोण रखता है। आईएफसीआई सीएसआर नीति का उद्देश्य मुख्य रूप से निम्नानुसार है:
- बेहतर निगरानी और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भौतिक संरचना/परिसम्पत्तियां (जिनमें आईएसएफ को सौंपी गई इसकी कुल निधियों का कम से कम 70 प्रतिशत शामिल है) सृजित करने के लिए वित्तीय सहयोग से सम्बन्धित क्रियाकलाप।
 - जिस समुदाय के साथ हम कार्य करते हैं उनके सुधार के लिए परिवर्तन लाने हेतु सहायक क्रियाकलाप करना जैसे भूख तथा कुपोषण, निर्धनता, स्वास्थ्य और सफाई, शिक्षा और कौशल विकास, रोजगार और प्रौद्योगिकी उद्भवन, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और प्रौढ़ों की देखभाल संबंधी हमारे प्रयासों के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव का सृजन करने का प्रयास करना।

- (ii) चूंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, तत्काल पिछले तीन वर्षों के लिए आईएफसीआई का औसत निवल लाभ नकारात्मक रहा। अतः आईएफसीआई द्वारा (कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन) सीएसआर क्रियाकलापों हेतु कोई राशि आबंटित करना अपेक्षित नहीं था। वित्तीय वर्ष 2018-19 की सीएसआर नीति का वित्तीय वर्ष 2023-24 में निरंतर पालन किया गया, जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया गया था। 2023-24 में कोई अलग नीति नहीं बनाई गई।

2. सीएसआर समिति की संरचना (31 मार्च, 2024 तक):- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) को शामिल करने के मद्देनजर और पिछले 3 वित्तीय वर्षों में घाटे के कारण आईएफसीआई के नगण्य सीएसआर खर्च के आलोक में वर्तमान सीएसआर समिति को समाप्त कर दिया गया है और सीएसआर समिति के कार्यों का निर्वहन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। यह निर्णय 23 जून 2021 से प्रभावी कर दिया गया है।

3. वेब-लिंक प्रदान करें, जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं को कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकट किया गया है:

क्र. सं.	विवरण	वेब-लिंक
1.	सीएसआर समिति	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) और 135 (9) के अनुसार तथा पिछले वित्तीय वर्ष में हुई हानियों तथा कम्पनी के नाममात्र सीएसआर व्यय को देखते हुए निदेशकों की सीएसआर समिति को 23 जून, 2021 से समाप्त कर दिया गया।
2.	सीएसआर नीतियाँ	https://www.ifcilttd.com/?q=en/content/our-csr-policy
3.	सीएसआर परियोजनाएं	https://www.ifcilttd.com/?q=en/content/our-csr-policy

4. यदि लागू हो, तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें। **लागू नहीं**

5. (क) धारा 135 की उप धारा (5) के अनुसार कम्पनी का औसत निवल लाभ - (-68,19,91,56,679.96 करोड़ रुपए)

(ख) धारा 135 की उप धारा (5) के अनुसार कम्पनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत - **शून्य**

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों/क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष राशि - **शून्य**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली अपेक्षित राशि, यदि कोई हो, - **शून्य**

(ङ) वित्तीय वर्ष हेतु कुल सीएसआर दायित्व (ख)+(ग)+(घ) - **शून्य**

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (चल रही परियोजनाओं और चल रही परियोजनाओं के अलावा दोनों) - **शून्य**

(ख) प्रशासनिक उपरिव्ययों के लिए व्यय की गई राशि - **शून्य**

(ग) प्रभाव निर्धारण पर व्यय की गई राशि, यदि कोई हो, - **शून्य**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (क+ख+ग) - **शून्य**

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गई कुल राशि-(रुपए)	व्यय न की गई राशि (रुपए)				
	धारा 135 की उप धारा (6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर खाते में अन्तरित कुल राशि		धारा 135 की उप धारा (5) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि में अन्तरित राशि		
	राशि (रुपए)	अन्तरण की तारीख	निधि का नाम	राशि (रुपए)	अन्तरण की तारीख
शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

(च) समायोजन हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, - शून्य

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपए)
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	शून्य
2.	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	शून्य
3.	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि (ii-i)	शून्य
4.	पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष राशि, यदि कोई हो	शून्य
5.	अगले वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (iii-iv)	शून्य

7. पिछले तीन वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि के विवरण:

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	पिछले वित्तीय वर्ष **	धारा 135 की उप धारा(6) के अधीन खर्च न की गई सीएसआर राशि में अन्तर्गत राशि (रुपए)	धारा 135 की उप-धारा (6) के तहत खर्च न की गई सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपए)	वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपए)	धारा 135 की उप धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि यदि कोई हो	आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रुपए)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रुपए में)	स्थानांतरण की तिथि	
1	2020-21	5,50,000/-	0	0	-	-	शून्य -
2	2021-22	0	0	0	-	-	शून्य -
3	2022-23	0	0	0	-	-	शून्य -

**कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसरण में, चालू सीएसआर परियोजनाओं के लिए अव्ययित सीएसआर निधि खाते खोले गए और 28.04.2021 को अव्ययित धनराशि उक्त खातों में स्थानांतरित कर दी गई। वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए कोई अप्रयुक्त राशि नहीं थी और परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 में कोई अप्रयुक्त राशि नहीं थी।

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है: नहीं

यदि हां, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें - लागू नहीं।

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से सृजित या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति(एस) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: लागू नहीं।

9. यदि कम्पनी धारा, 135 की उप धारा(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में असमर्थ रही तो इसके कारण बताएं -

चूंकि लगातार पिछले तीन वर्षों में कम्पनी का औसत निवल लाभ नकारात्मक रहा था अतः कम्पनी द्वारा कोई सीएसआर बजट का आबंटन करना अपेक्षित नहीं था अतः लागू नहीं

(राहुल भावे)

उप प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 09077979

प्रपत्र संख्या एमआर-3

सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक)

नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्यगण

आईएफसीआई लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: आईएफसीआई टावर,

61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

हमने प्रयोज्य सांविधिक उपबंधों के अनुपालन तथा आईएफसीआई लिमिटेड, (जिसे इसमें आगे 'कम्पनी' या 'आईएफसीआई' कहा गया है) द्वारा बेहतर निगमित शासन प्रक्रियाओं के पूर्ण अनुपालन में सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस प्रकार की गई थी कि जिससे हमें निगमित आचार/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपनी राय व्यक्त के लिए उपयुक्त आधार उपलब्ध हो सके।

प्रस्तुत की गई कम्पनी की खाता-बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा विवरणियों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों तथा सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में लेखा-परीक्षा अवधि जिसमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लेखा-परीक्षा अवधि) शामिल है, के दौरान इसमें नीचे वर्णित सांविधिक उपबंधों का पालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उपयुक्त बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन कार्य प्रणाली उस सीमा तक और उस रूप में है और इसमें इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है।

हमने निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा रखी गई खाता-बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा विवरणियों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच की है:

- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अधीन बनाए गए नियम;
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा उप-विधियां;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष निवेश की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधर;
- (v) यथाप्रयोज्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम तथा मार्गनिर्देश:
 - (क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण तथा टेकओवर्स) विनियम, 2011;
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम, 2015;
 - (ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018;
 - (घ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हित) विनियम, 2021
 - (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;
 - (च) कम्पनी अधिनियम और ग्राहकों से लेन-देन के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (निर्गम का रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट्स) विनियम, 1993;
 - (छ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता समाप्त करना) विनियम, 2021;
 - (ज) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;
 - (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरी और भागीदार) विनियम, 2018
- (vi) कम्पनी पर लागू (उद्योग पर यथा लागू) अन्य विशिष्ट विधियों के अधीन अनुपालन/प्रक्रियाओं/पद्धतियों का सत्यापन कम्पनी के निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत की गई आन्तरिक अनुपालन पद्धति के अधीन आवधिक प्रमाणपत्र के आधार पर किया जा रहा है।
 - क) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2022 (पीएमएलए)।
 - ख) व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के लिए आरबीआई दिशानिर्देश और मास्टर दिशानिर्देश।
 - ग) वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक विवाद अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों से संबंधित कानून।

हमने निम्नलिखित प्रयोज्य खण्डों के अनुपालन की भी जांच की है:

- (i) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी समय-समय पर यथा संशोधित सचिवीय मानक - सामान्यतया पालन किया गया।
- (ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि. और बीएसई लि. के साथ भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर निर्दिष्ट अधिनियम, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, मानकों आदि के उपबंधों का पालन किया है:

- I. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1)(ए) और 17(1)(बी) के प्रावधान और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) और धारा 149(4) के दूसरे प्रावधान के अनुसरण में, कंपनी के पास 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।
- II. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17(2ए) के अनुसरण में, शीर्ष 2000 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम इसकी कुल क्षमता का एक तिहाई या तीन निदेशक, जो भी अधिक हो, होगा, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होगा। तदनुसार, कंपनी 03.05.2023 को आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में उस नियम का अनुपालन नहीं कर रही थी क्योंकि बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था।
- III. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) और 178(1) के अनुसरण में, विनियमन 18(1)(बी) और (डी), 18(2)(बी) और विनियमन 19(1)(सी), (2) और (2ए) सहित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति न होने के कारण पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा समिति और नामांकन पारिश्रमिक समिति की संरचना पूरी नहीं हुई।
- IV. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 20(2ए) और 21(2) के अनुसरण में, स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति न होने के कारण 01.04.2023 से 07.08.2023 की अवधि के दौरान हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना पूरी नहीं हुई।
- V. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 24(1) के अनुसरण में, सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक होना चाहिए।
- VI. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 25(3) के अनुसरण में, सूचीबद्ध कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित कम से कम एक बैठक भी नहीं की।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के बोर्ड का गठन कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

प्राप्त विवरणों के अनुसार, डीपीई दिशानिर्देश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि आईएफसीआई का नाम dipam.gov.in पर उपलब्ध सीपीएसई की सूची में नहीं दिया गया है।

आमतौर पर बोर्ड मीटिंग करने के लिए निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिये गये थे। एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स भी पर्याप्त रूप से भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और निदेशकों से बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठक में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित अपेक्षित निदेशकों/सदस्यों की सहमति से किए गए थे और असहमति/मतभेद, यदि कोई हो, को संबंधित मिनटों यानि प्रपत्र में विधिवत दर्ज/शामिल किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड ने 31 मार्च, 2023, 30 जून, 2023, 30 सितंबर, 2023 और 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1), 17(2ए), 18(1), 19(1)/19(2), 20(2)/20(2ए), 21(2) के तहत गैर-अनुपालन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है, जिसके खिलाफ कंपनी ने कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने और कंपनी पर कोई अन्य कार्रवाई नहीं करने के अनुरोध के साथ जवाब प्रस्तुत किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर उल्लेखनीय प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएँ/कार्रवाइयाँ हुई:

- i. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने 27 अप्रैल, 2023 को विधिवत आयोजित असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में भारत सरकार को 400 करोड़ रुपये की राशि का पिफ्रेन्शियल आवंटन करके धन जुटाने के लिए इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

आईसीएसआई यूनीक कोड: पी2003डीई049100
पियर रिव्यू प्रमाणन संख्या: 2725/2022

सीएस गरिमा ग्रोवर
साझेदार

सीएस: 27100

सीपी संख्या: 23626

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 10.07.2024

यूडीआईएन: ए027100एफ000705547

(टिप्पणी: इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो अनुबन्ध-‘क’ के रूप में संलग्न है और जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।)

सेवा में,
सदस्यगण

आईएफसीआई लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: आईएफसीआई टावर

61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

इस पत्र के साथ इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार पढ़ी जाए:

- (1) सचिवीय रिकार्ड का रखरखाव कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व लेखा-परीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए रिकार्डों के निरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपनी राय व्यक्त करना है।
- (2) हमने ऐसी लेखा-परीक्षा पद्धतियां और कार्यविधियां अपनाई हैं, जो सचिवीय रिकार्डों की विषय-वस्तु के सही होने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर किया गया है कि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई पद्धतियां और कार्यविधियां हमारी राय के लिए एक उपयुक्त आधार उपलब्ध कराती हैं।
- (3) हमने कम्पनी के वित्तीय रिकार्डों और खाता-बहियों के सही होने और उपयुक्त होने का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों/ अभ्युक्तियों और कमजोरियों को शामिल नहीं करती है।
- (4) जहां कहीं अपेक्षित था हमने विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन की राय ली है।
- (5) निगमन के उपबंधों तथा अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन करने का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने और उन पर अपनी राय देने तक सीमित थी कि क्या कम्पनी में उचित बोर्ड कार्य-विधियां और अनुपालन प्रणाली है अथवा नहीं।
- (6) सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता और न ही कम्पनी के कार्यों का संचालन करने में प्रबंधन की क्षमता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स

कम्पनी सचिव

आईसीएसआई यूनीक कोड: पी2003डीई049100

पियर रिव्यू प्रमाणन संख्या: 2725/2022

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 10.07.2024

सीएस गरिमा गोवर

साझेदार

एसीएस: 27100

सीपी संख्या: 23626

सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार)

सेवा में,

सदस्यगण,

आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड

हमने आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (जिसे आगे “कंपनी” कहा जाएगा), जिसे 10 अक्टूबर, 2007 को निगमित किया गया था, जिसका सीआईएन: U45400DL2007GOI169232 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली -110019 में स्थित है द्वारा उस पर लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन अभ्यास के पालन का सचिवीय लेखा-परीक्षा किया है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिल सके।

कंपनी की खाता-बहियों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष (“समीक्षाधीन अवधि”) को कवर करने वाली लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास इस सीमा तक, इस तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं:

हमने कंपनी द्वारा बनाई गई खाता-बहियों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य रिकॉर्डों की जांच की है और कंपनी द्वारा हमारे साथ साझा किए गए अभिलेखों, दस्तावेजों और सूचनाओं पर 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रावधानों (इसमें वर्तमान में लागू सभी वैधानिक संशोधन, परिवर्तन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार भरोसा किया है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (‘एससीआरए’) और उसके अधीन बनाए गए नियम
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक, (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं),
- (v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (‘सेबी अधिनियम’) के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:
 - क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं),
 - ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं),
 - ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गमन व प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं),
 - घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं),
 - ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं),
 - च. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और क्लाइंट के साथ व्यवहार के संबंध में (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं),
 - छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2021- (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं),
 - ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं),

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, हमने कंपनी द्वारा बनाए गए प्रासंगिक दस्तावेजों और रिकॉर्डों की भी नमूना-जांच के आधार पर निम्नलिखित कानूनों के अनुसार जांच की है, जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं:

- (i) रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016,
- (ii) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013,
- (iii) नियोज्य भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952,
- (iv) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961.

हमने कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा कंपनी पर लागू अधिनियमों और विनियमों के तहत अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा गठित प्रणालियों और तंत्र के प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है। हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक - अनुपालन किया गया।
- (ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 - (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि- कंपनी का बोर्ड विधिवत गठित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बोर्ड की बैठकों को तय करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

सभी निदेशक मंडल की सर्वसम्मति से बहुमत का निर्णय लिया जाता है और मिनटों के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं, ताकि सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित किया जा सके।

कृते सूर्य गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सूर्यकांत गुप्ता
प्रोपराइटर

सदस्यता सं.: एफ9250

सीओपी सं.: 10828

यूडीआईएन: एफ009250एफ000721236

पीयर रिव्यू: 907/2020

दिनांक: 11.07.2024

स्थान: दिल्ली

सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का संगलग्नक

सेवा में,
सदस्यगण,
आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड

हमारी आज तिथि की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर अपनी राय व्यक्त करें।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्डों में दर्ज सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्डों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्डों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के बारे में डेटा/सूचना का विधिवत सत्यापन किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही यह इस बात का आश्वासन है कि प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन कितनी कुशलता या प्रभावशीलता के साथ किया है।

कृते सूर्य गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सूर्यकांत गुप्ता
प्रोपराइटर

सदस्यता सं.: एफ9250

सीओपी सं.: 10828

यूडीआईएन: एफ009250एफ000721236

पीयर रिव्यू: 907/2020

दिनांक: 11.07.2024

स्थान: दिल्ली

सेवा में,
सदस्यगण,
स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सेंटर प्वाइंट, यूनिट नं. 301, तीसरा तल,
डॉ. बी अंबेडकर रोड, परेल, मुंबई - 400012

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट को निम्नलिखित के साथ पढ़ा जाना चाहिए:

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की दायित्व है। हमारी दायित्व हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. हमने ऐसी लेखा-परीक्षा पद्धतियां और कार्यविधियां अपनाई हैं, जो सचिवीय रिकॉर्डों की विषय-वस्तु के सही होने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर किया गया है कि सचिवीय रिकॉर्डों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई पद्धतियां और कार्यविधियां हमारी राय के लिए एक उपयुक्त आधार उपलब्ध कराती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित था हमने विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन की राय ली है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता और न ही कम्पनी के कार्यों का संचालन करने में प्रबंधन की क्षमता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।
7. हमने ऑडिट के उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा (भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक) पर भरोसा किया है और जहां उपयुक्त डेटा उपलब्ध नहीं था, प्रबंधन प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया गया था।

कृते डी.ए. कामत एंड कंपनी

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16.07.2024

डी.ए. कामत
पार्टनर
एफसीएस 3843
सीपी 4965
यूडीआईएन: F003843F000750292
पीआर संख्या: 1714/2022

फॉर्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 के लिए

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबन्धकीय कार्मिक नियुक्ति और पारिश्रमिक)

नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण,
स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सेंटर प्वाइंट, यूनिट नं. 301, तीसरा तल,
डॉ. बी अंबेडकर रोड, परेल, मुंबई - 400012

हमने स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CIN: U67190MH1986GOI040506) जिसे इसमें आगे 'कम्पनी' कहा गया है; द्वारा प्रयोज्य सांविधिक उपबंधों के अनुपालन तथा बेहतर निगमित शासन प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन किए जाने की सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस प्रकार की गई थी कि जिससे हमें निगमित आचार/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपनी राय व्यक्त के लिए उपयुक्त आधार उपलब्ध हो सके।

कम्पनी की खाता-बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा प्रस्तुत की गई विवरणियों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों तथा सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में लेखा-परीक्षा अवधि जिसमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष, के दौरान कम्पनी ने नीचे वर्णित सांविधिक उपबंधों का पालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उपयुक्त बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन कार्य प्रणाली, उस सीमा तक और उस रूप में और इसमें इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन, मौजूद हैं।

हमने कंपनी द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया जिससे मुझे कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

I. हमने निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा रखी गई खाता-बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा प्रस्तुत की गई विवरणियों, विभिन्न सहयोगी व्यावसायिकों द्वारा जारी की गई रिपोर्टों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए प्रयोज्य रिकार्डों और रजिस्ट्रों की जांच की है:

1. कम्पनी अधिनियम, 2013; और उसके अधीन बनाए गए नियम;
2. प्रतिभूति सेबी कस्टोडियन विनियम 1996;
3. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके तहत बनाए गए नियम;
4. डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
5. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम, विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;
6. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागी) विनियम, 2021;
7. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियमन, 2014;
8. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015;
9. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियमन, 2008;
10. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015;
11. एएमएफआई की आवश्यकता के अनुसार म्यूचुअल फंड वितरक के लिए आचार संहिता;
12. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्वाइंट ऑफ प्रेजेस (पीओपी) द्वारा पालन की जाने वाली परिचालन गतिविधियों के लिए दिशानिर्देश
13. स्टॉक एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर जारी नियम, विनियम, दिशानिर्देश, अधिसूचनाएं और परिपत्र (लागू सीमा तक);
14. डिपॉजिटरी द्वारा समय-समय पर जारी नियम, विनियम, दिशानिर्देश, अधिसूचनाएं और परिपत्र (लागू सीमा तक);

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने इस रिपोर्ट में बताई गई सीमा तक ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

II. रिपोर्ट के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं:

- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;
- (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धकरण) विनियम, 2009;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998।;
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; और

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2008;

III. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए सहयोगी व्यावसायिकों से प्राप्त सूचना, दस्तावेजों, अभिलेखों, फाइलों और अन्य प्रमाणपत्रों या पुष्टियों की समीक्षा की है और कंपनी तथा उसके अधिकारियों द्वारा कंपनी पर लागू अन्य कानूनों के तहत सिस्टम, रिकॉर्ड और अनुपालन पर किए गए अभ्यावेदन की समीक्षा की है। कंपनी पर लागू होने वाले प्रमुख कानूनों और अधिनियमों की सूची इस रिपोर्ट के अनुबंध-1 में दी गई है।

IV. हमने कंपनी सचिव संस्थान, भारत द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक-I और II के लागू और कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 118(10) के तहत जारी और एमसीए द्वारा अधिसूचित प्रावधानों के अनुपालन की जांच की है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक बोर्ड का गठन गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत तरीके से किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक बोर्ड की संरचना में परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई है, एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट पहले ही भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत का निर्णय सभी निदेशक मंडल की सर्वसम्मति सहमति से किया जाता है और कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित घटनाएं/कार्रवाई की हैं:

1. शेयरधारकों ने 04 दिसंबर, 2023 को आयोजित अपनी 36वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभ में से अंतिम लाभांश के 39,58,22,720 रुपये के कुल वित्तीय व्यय में चुकता पूंजी पर 188% यानि 18.80 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी दी थी, यानि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल 423% लाभांश (जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 में 235% चुकता पूंजी का अंतिम लाभांश था)।
2. निदेशक मंडल ने 12 मई 2023 को आयोजित अपनी बैठक में स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एसडीएमएस) द्वारा जारी 25 करोड़ रुपये के पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर (एफसीडी) की समयावधि को 16 जुलाई, 2023 से 3 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी। यह लेन-देन सामान्य कारोबारी प्रक्रिया में और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में और निष्पक्ष आधार पर किया गया।
3. निदेशक मंडल ने श्री मनोज कुमार परिदा को नियुक्ति 24 अप्रैल, 2023 को छह महीने की अवधि या एमडी व सीईओ के पद के लिए एक नया पदाधिकारी नियुक्त होने तक, जो भी पहले हो, तक विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में किया था। क्योंकि तत्कालीन एमडी व सीईओ का कार्यकाल 13 अप्रैल, 2023 को समाप्त हो गया था। इसके अलावा, 26 सितंबर, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने श्री परिदा को मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के पद पर नियुक्त किया और स्टॉक होल्डिंग के एमडी व सीईओ की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया। 26 सितंबर, 2023 से तीन साल की अवधि के लिए या एमडी व सीईओ की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, उनका कार्यकाल निर्धारित किया गया।

कृते डी.ए. कामत एंड कंपनी

स्थान: मुंबई

दिनांक: 16.07.2024

डी.ए. कामत

पार्टनर

एफसीएस 3843

सीपी 4965

यूडीआईएन: F003843F000750292

पीआर संख्या: 1714/2022

अनुलग्नक-1: कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य अधिनियमों की सूची

कंपनी द्वारा प्रदान किये गये अन्य कानूनों की सूची के आधार पर, व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रमुख अधिनियमों की निम्नलिखित सूची कंपनी पर लागू होती है:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत लागू नियम
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का संरक्षक) विनियमन, 1996
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागी) विनियमन, 2021
4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियमन, 2014
5. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015
6. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियमन, 2008
7. धन-शोधन अर्थात मनी-लॉड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002
8. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
9. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
10. महाराष्ट्र श्रम कल्याण कोष अधिनियम, 1953
11. ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम, 1972
12. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
13. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
14. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
15. दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान अधिनियम
16. स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नियम, विनियम, दिशानिर्देश, अधिसूचनाएं और परिपत्र
17. डिपॉजिटरी द्वारा जारी नियम, विनियम, दिशानिर्देश, अधिसूचनाएं और परिपत्र
18. सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध (विनियम), 2015
19. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999
20. आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2021
21. आईएफएससीए (बाजार संरचना संस्थान) विनियम 2021
22. सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2020
23. सेबी (स्टॉक ब्रोकर्स) विनियम, 1992

फॉर्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्ति एवं पारिश्रमिक)
नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण,
एमपीकॉन लिमिटेड
सीआईएन: U74140MP1979GOI001502
ग्राउंड फ्लोर, 35, राजीव गांधी, भवन परिसर-2,
श्यामला हिल्स, भोपाल, एमपी 462002.

हमने एमपीकॉन लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा उस पर लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा-परीक्षा किया है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की खाता-बहियों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा-परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक ('वर्ष'/'लेखा-परीक्षा अवधि'/'समीक्षाधीन अवधि') के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास इस सीमा तक, इस तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं:

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए गये खाता-विवरणों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य रिकॉर्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

- i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम,
- ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम,
- iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम,
- iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारी के संबंध में, (लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: -
 - क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015, (लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
 - ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और सुपुर्दगी) विनियम, 2011, (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
 - ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015, (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
 - घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और क्लाइंट के साथ व्यवहार के संबंध में, (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
 - ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डोलिस्टिंग) विनियम, 2021, (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
 - च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2008; (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
 - छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
 - ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018; (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
 - झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021; (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
 - ञ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018, (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
 - ट) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि) विनियम, 2009 (लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- vi) कंपनी के लिए अन्य विशिष्ट लागू कानूनों (जैसा कि उद्योग पर लागू होता है) के तहत अनुपालन/प्रक्रियाएं/प्रणालियां कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आंतरिक अनुपालन प्रणाली के तहत आवधिक प्रमाणपत्रों के आधार पर सत्यापित की जा रही हैं।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक, (अनुपालन हुआ)
- ii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने आम तौर पर ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान:-

- कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है, जिसमें कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत निर्दिष्ट निदेशकों की संरचना के अनुसार कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन सहित नामित निदेशक भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तनों से

संबंधित प्रक्रियाएं अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में की गई। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में कंपनी पर लागू हो गई है, लेकिन कंपनी ने उपयुक्त उम्मीदवारों के लंबित अंतिम रूप के कारण वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है।

- बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट आम तौर पर सात दिन पहले भेजे जाते हैं, सिवाय उन बैठकों के जो कम समय में आयोजित की जाती हैं, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।
- अध्यक्ष द्वारा विधिवत दर्ज और हस्ताक्षरित सभा-मिनटों के अनुसार, बोर्ड के निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे और कोई असहमतिपूर्ण विचार दर्ज नहीं किए गए हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, प्रदान की गई जानकारी और कंपनी द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ प्रतीत होती हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि इस अवधि के दौरान उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसरण में कंपनी के कामकाज पर किसी प्रकार का बड़ा असर डालने वाली कोई अन्य विशिष्ट घटनाएँ/कार्रवाई नहीं हुई।

कृते पीयूष बिंदल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

पीयूष बिंदल
(प्रोपराइटर)

एफसीएस - 6749

सीपी. सं. 7442

स्थान: भोपाल

दिनांक: 22.07.2024

पीयर रिव्यू, सर्टि. नं.: 922/2020

फर्म पंजीकरण नं. S2012MP186400

यूडीआईएन: F006749F000800291

इस रिपोर्ट को हमारे इसी क्रमांक के पत्र के साथ पढ़ा जाए, जिसे अनुलग्नक-ब में संलग्न किया गया है और जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

सेवा में,
सदस्यगण,
एमपीकॉन लिमिटेड
सीआईएन: U74140MP1979GOI001502
ग्राउंड फ्लोर, 35, राजीव गांधी, भवन परिसर-2,
श्यामला हिल्स, भोपाल, एमपी 462002.

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की हमारी सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. सचिवीय रिकॉर्डों का रखरखाव करना, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम करती हैं, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी

2. सचिवीय अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए इन सचिवीय रिकॉर्डों, मानकों और प्रक्रियाओं पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।
3. हमारा मानना है कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य और जानकारी हमारे लिए अपनी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।
4. जहाँ भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से जानकारी प्राप्त की है।

अस्वीकरण

5. सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन प्रदान करती है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों का संचालन करने में उनकी प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का उल्लेख करती है।
6. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्डों और लेखा-पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
7. हमने सचिवीय रिकॉर्डों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित रूप से लेखा-परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवीय रिकॉर्डों में सही तथ्य परिलक्षित हों, यह सुनिश्चित करने के लिए हमने अवलोकन किया और सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया है। हमारा मानना है कि अपनाई गई प्रक्रियाओं और प्रथाओं ने हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान किया है।

कृते पीयूष बिंदल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

पीयूष बिंदल
(प्रोपराइटर)

एफसीएस - 6749
सीपी. सं. 7442

स्थान: भोपाल
दिनांक: 22.07.2024

पीयर रिव्यू, सर्टि. नं.: 922/2020
फर्म पंजीकरण नं. S2012MP186400
यूडीआईएन: F006749F000800291

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अधीन 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा-परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह सूचित किया जाता है कि यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2024 की उनकी लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट के द्वारा किया जा चुका है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अधीन, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा कर ली है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा सांविधिक लेखा-परीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा-परीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों से पृष्ठताल और कुछ लेखांकन रिकार्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपनी अनुपूरक लेखा-परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगी, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जिन पर मेरी राय देना अनिवार्य है जिससे कि वित्तीय विवरणों और इससे संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझा जा सके:

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

लाभ-हानि विवरण

क.1 कर-पश्चात लाभ: 128.25 करोड़ रुपये

क.1.1 क्षति हानि-भत्ता: 3,739.65 करोड़ रुपये

संपत्तियाँ: वित्तीय परिसंपत्तियाँ

ऋण (नोट 7): 1,306.39 करोड़ रुपये

वर्ष के लिए क्षति हानि-भत्ता कम करके दिखाया गया है और वर्ष के लाभ को 249.97 करोड़ रु. अधिक करके दिखाया गया है, जैसा कि नीचे विस्तार से वर्णित है:

- (i) आईएफसीआई ने ग्रैन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (जीईपीएल) को दिए गए ऋण के लिए 135.81 करोड़ रु. के बकाया मूलधन की वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से संपर्क किया, जिसके बाद एनसीएलटी ने (फरवरी 2021) परिसमापन प्रक्रिया का आदेश दिया। परिसमापन मूल्य 10.37 करोड़ रु. आंका गया और आईएफसीआई को परिसंपत्तियों के परिसमापन के बाद 14.79 करोड़ रु. प्राप्त हुए और इसे ब्याज में समायोजित किया गया। चूंकि आगे कोई वसूली अपेक्षित नहीं है, इसलिए आईएफसीआई को खाते-बहियों में 135.81 करोड़ रु. के बकाया मूलधन के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाने की आवश्यकता थी। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 97.24 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है।

38.57 करोड़ रु. (यानि 135.81 करोड़ रु. में से 97.24 करोड़ रु. घटाकर) के अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ते का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप लाभ को अधिक और क्षति हानि-भत्ते को 38.57 करोड़ रु. कम करके दिखाया गया है।

टिप्पणी सं. क.1(ii) में, वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान इसका उल्लेख किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- (ii) एनसीएलटी के निर्णय और अनुमोदित (जून 2021) समाधान योजना के अनुसार। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) पर आईएफसीआई का दावा (1.03 प्रतिशत) 381.73 करोड़ रु. की बकाया राशि के मुकाबले अधिकतम 70.31 करोड़ रु. तक सीमित था। इसके अलावा, आईएफसीआई के अनुसार, साविधि जमाओं में 125 करोड़ रु. की राशि को लेनदारों को वितरण के लिए उचित नहीं माना गया और 302 करोड़ रु. की राशि को सुरक्षित दावों के बजाय असुरक्षित दावों के तहत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया। इसे कंपनी के पक्ष में मानते हुए, अधिकतम अतिरिक्त वसूली 4.40 करोड़ रु. (427 करोड़ रु. का 1.03 प्रतिशत) हुई। इस प्रकार, वीआईएल से वसूली योग्य अधिकतम राशि 381.73 करोड़ रु. की कुल बकाया राशि के मुकाबले केवल 74.71 करोड़ रु. (70.31 करोड़ रु. प्लस 4.40 करोड़ रु.) थी। इसलिए, कंपनी को अपने खातों में 307.02 करोड़ रु. (यानि, 381.73 करोड़ रु. में 74.71 करोड़ रु. घटाकर) की शेष राशि के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 219.83 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है। 87.19 करोड़ रु. (यानि, 307.02 करोड़ रु. घटा 219.83 करोड़ रु.) के अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ते का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप लाभ को 87.19 करोड़ रु. से अधिक और क्षति हानि-भत्ते को कम करके दिखाया गया है।

टिप्पणी सं. क.1 (iii), क.1(i) और क.1(iv) में, क्रमशः वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान बताए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- (iii) उपरोक्त में मेसर्स पायनियर गैस पावर लिमिटेड (पीजीपीएल) के विरुद्ध 434.72 करोड़ रु. का मूल बकाया शामिल है, जो 31 मार्च 2018 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। आईएफसीआई के पास अन्य ऋणदाताओं के साथ-साथ पीजीपीएल की परिसंपत्तियों पर प्रथम समतुल्य प्रभार के तौर पर सिक्क्योरिटी है। दो मूल्यांकनकर्ताओं की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट (जून 2023) के अनुसार, परियोजना का उचित मूल्य 846.24 करोड़ रु. (इन-सीटू मूल्यांकन) और 367.82 करोड़ रु. (एक्स-सीटू मूल्यांकन) निकला। इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि कंपनी ने जून 2022 में संपूर्ण परिसंपत्तियों

¹ मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 'इन-सीटू वैल्यूएशन' का अर्थ है - उस स्थल पर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन को मानना, जहाँ वे अभी हैं।

² मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 'एक्स-सीटू वैल्यूएशन' का अर्थ है - मौजूदा स्थल से हटाई गई परिसंपत्तियों को दूसरे स्थान पर फिर से स्थापित करना (जिसमें अतिरिक्त लागत शामिल है)

की बिक्री के लिए भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार 375 करोड़ रु. के आरक्षित मूल्य को मंजूरी दी थी। हालांकि, यह आगे नहीं बढ़ सका और नए मूल्यांकन के लिए कहा गया (मई 2023)।

चूंकि आईएफसीआई की 28.02 प्रतिशत हिस्सेदारी पर विचार करते हुए सिक्क्योरिटी का अधिकतम उचित मूल्य 846.24 करोड़ रु. है, इसलिए अधिकतम संभावित वसूली 237.12 करोड़ रु. (846.24 करोड़ रु. का 28.02 प्रतिशत) है। इसलिए, कंपनी को अपने लेखा-पुस्तकों में 197.60 करोड़ रु. (यानि 434.72 करोड़ रु. में से 237.12 करोड़ रु. घटाकर) की शेष राशि के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 141.48 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है। 56.12 करोड़ रु. (यानि 197.60 करोड़ रु. में से 141.48 करोड़ रु. घटाकर) के अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ते का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप लाभ को अधिक दर्शाया गया है और क्षति हानि-भत्ते को 56.12 करोड़ रु. से कम दर्शाया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान टिप्पणी सं. क.1 (i) में इसका उल्लेख किये जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- (iv) उपरोक्त में लिज ट्रेडर्स एंड एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएपीएल) के विरुद्ध 90.94 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है। एलटीएपीएल की चूक के कारण, निपटान पेशेवर (आरपी) के समक्ष मामला दायर किया गया था। आरपी ने सूचित किया कि कॉर्पोरेट देनदार में सिक्क्योरिटी और वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा कोई अन्य संपत्ति नहीं है और पिछले 3-4 वर्षों से कोई व्यवसाय नहीं किया गया है। यह देखा गया कि आईएफसीआई के पास केवल कोल्लम, केरल में एक संपत्ति का पूर्ण प्रभार है, जिसका उचित मूल्य (मार्च 2024) केवल 13.47 करोड़ रु. है। चूंकि आईएफसीआई के पास कोई अन्य सिक्क्योरिटी उपलब्ध नहीं है, इसलिए कंपनी को अपने खाता-पुस्तकों में 77.47 करोड़ रु. (यानि, 90.94 करोड़ रु. माइनस 13.47 करोड़ रु.) की शेष राशि के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाने की आवश्यकता थी। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 55.47 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि भत्ता है।

22 करोड़ रु. (यानि 77.47 करोड़ रु. में से 55.47 करोड़ रु. घटाकर) का अतिरिक्त क्षति हानि भत्ता न बनाए जाने के परिणामस्वरूप लाभ को अधिक दर्शाया गया है और क्षति हानि-भत्ते को 22 करोड़ रु. कम दर्शाया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान टिप्पणी सं. क.1 (vii) और क.1(v) के माध्यम से इंगित किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- (v) उपरोक्त में आर्कोटिक लिमिटेड के विरुद्ध 59.21 करोड़ रु. का मूल बकाया शामिल है। कंपनी द्वारा की गई चूक के कारण, आईएफसीआई ने बकाया राशि की वसूली के लिए दिवालियापन याचिका दायर की (अप्रैल 2019)। हालांकि, कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में प्राथमिकता शुल्क के कमजोर पड़ने के कारण, आईएफसीआई ने एनसीएलटी से इसे वापस ले लिया (अगस्त 2022)।

आईएफसीआई के पास बावल (हरियाणा) में संपत्ति पर विशेष प्रथम प्रभार है, जिसका संकटकालीन बिक्री मूल्य 99.24 करोड़ रु. (फरवरी 2024) है और कंपनी ने 15 मार्च 2022 को इसका कब्जा ले लिया। हालांकि, संपत्ति की बिक्री के लिए आईएफसीआई के प्रयास आगे नहीं बढ़ पाए हैं क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के नेतृत्व में कार्यशील पूंजी उधारदाताओं ने सलाह दी है कि वे एसएआरएफईएसआई अधिनियम के तहत नीलामी का समर्थन नहीं करते हैं। इसलिए, इसे तब तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि एसएआरएफईएसआई अधिनियम की धारा 139(9) की आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम 60 प्रतिशत उधारदाता सहमत न हों। जबकि आईएफसीआई के पास केवल 14.33 प्रतिशत मतदान अधिकार हैं। आईएफसीआई को कंपनी से ग्लिक्स सिक्क्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है (16 दिसंबर 2022) जिसमें आईएफसीआई का हिस्सा 41.64 करोड़ रु. है जिसे सितंबर 2023 में पीएनबी (प्रमुख बैंक) द्वारा अनुमोदित किया गया था। आईएफसीआई को दिसंबर 2022 (1.58 करोड़ रु.) और दिसंबर 2023 (0.50 करोड़ रु.) के दौरान 2.08 करोड़ रु. (41.64 करोड़ रु. का 5 प्रतिशत) प्राप्त हुआ है।

चूंकि 59.21 करोड़ रु. के कुल बकाया के मुकाबले वसूली की अधिकतम संभावना केवल 41.64 करोड़ रु. है, इसलिए कंपनी को अपने खाते-बहियों में 17.57 करोड़ रु. (59.21 करोड़ रु. माइनस 41.64 करोड़ रु.) की शेष राशि के लिए क्षति हानि भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के खिलाफ 12.58 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है।

4.99 करोड़ रु. (यानि 17.57 करोड़ रु. माइनस 12.58 करोड़ रु.) का अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ता न बनाए जाने के परिणामस्वरूप लाभ अधिक दर्शाया गया है और क्षति हानि-भत्ते को 4.99 करोड़ रु. कम दर्शाया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, टिप्पणी सं. क.1(vi) के तहत उल्लेख किये जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- (vi) उपरोक्त में सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के विरुद्ध 63.43 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है। रिकॉर्डों के अनुसार, सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से संबंधित समाधान-निपटान योजना समाप्त हो गई थी और मामला परिसमापन में चला गया था। परिसमापन मूल्य 234 करोड़ रु. निकाला गया और परिसमापन के मामले में आईएफसीआई का हिस्सा केवल 0.17 करोड़ रु. है। इसके अलावा, आईएफसीआई के पास 33.05 करोड़ रु. मूल्य की प्रतिभूतियों का प्रभार है। चूंकि 63.43 करोड़ रु. की कुल बकाया राशि के मुकाबले अधिकतम संभावित वसूली 33.22 करोड़ रु. (यानि 0.17 करोड़ रु. प्लस 33.05 करोड़ रु.) है, इसलिए कंपनी को अपने खाते-बहियों में 30.21 करोड़ रु. (यानि 63.43 करोड़ रु. माइनस 33.22 करोड़ रु.) की शेष राशि के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के मुकाबले 21.63 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है।

8.58 करोड़ रु. (यानि 30.21 करोड़ रु. माइनस 21.63 करोड़ रु.) के अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ते का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप लाभ अधिक और क्षति हानि-भत्ते को 8.58 करोड़ रु. कम करके दिखाया गया है।

³ पटना में 12.7 एकड़ का भूमि खंड 22.10 करोड़ रु. (मार्च 2024) और मेसर्स नॉर्थ बिहार हाईवे लिमिटेड के गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर 10.95 करोड़ रु.।

वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः टिप्पणी सं. क.1(iv), क.1(vi) और क.1 (ix) में इसका उल्लेख किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- (vii) 31 मार्च 2024 तक मधुकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमआईएल) के खिलाफ बकाया मूलधन 120 करोड़ रु. था। कंपनी ने अपने पास उपलब्ध प्रतिभूतियों के आधार पर अधिकतम वसूली योग्य राशि 31.43 करोड़ रु. आंकी और तदनुसार 70 करोड़ रु. के एक-मुश्त सेटलमेंट (ओटीएस) के लिए सहमत हुई (जनवरी 2020), जिसे एमआईएल ने पूरा नहीं किया। इसलिए, कंपनी ने ओटीएस को रद्द कर दिया (दिसंबर 2020)। एमआईएल द्वारा 51 करोड़ रु. (ब्याज के 3 करोड़ रु. सहित) का एक नया ओटीएस प्रस्ताव पेश किया गया (26 अगस्त 2022) और आईएफसीआई को उक्त निपटान-समाधान के खिलाफ वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 31.50 करोड़ रु. प्राप्त हुए, जिसे 2023-24 के दौरान बकाया मूलधन के खिलाफ समायोजित किया गया है। तदनुसार, 120 करोड़ रु. की कुल बकाया राशि के विरुद्ध अधिकतम संभावित वसूली केवल 19.50⁴ करोड़ रु. (अर्थात 51 करोड़ रु. में से 31.50 करोड़ रु.) है। इसलिए, कंपनी को अपने खाते-बहियों में 100.50 करोड़ रु. (अर्थात 120 करोड़ रु. माइनस 19.50 करोड़ रु.) की शेष राशि के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 71.96 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है।

28.54 करोड़ रु. (अर्थात 100.50 करोड़ रु. में से 71.96 करोड़ रु.) का अतिरिक्त हानि हानि भत्ता न बनाने के परिणामस्वरूप लाभ को अधिक दर्शाया गया है और क्षति हानि-भत्ते को 28.54 करोड़ रु. कम दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः टिप्पणी सं. क.1 (i), क.1(v) और क.1 (iii) के माध्यम से बताए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- (viii) उपरोक्त में मेसर्स एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड (एसीसीआईएल) के विरुद्ध 72.02 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है, जो सितंबर 2016 में गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों में बदल गया।

एसीसीआईएल को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में स्वीकार किया गया (20 अगस्त 2018) और 19 अक्टूबर 2020 के आदेश के अनुसार इसका निपटान-समाधान किया गया। आईएफसीआई को समाधान योजना (आरपी) के अनुसार 5.02 करोड़ रु. का हिस्सा प्राप्त हुआ। हालांकि आईएफसीआई ने आरपी से असहमति जताई थी, लेकिन एनसीएलटी द्वारा अनुमोदन के मद्देनजर यह योजना सभी लेनदारों के लिए बाध्यकारी थी। इसके अलावा, आईएफसीआई के पास फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित होटल पार्क प्लाजा के विशेष बंधक के रूप में सिक्योरिटी है, जिसका उचित बाजार मूल्य 58.04 करोड़ रु. (फरवरी 2022) है इसके अलावा, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी है (दिसंबर 2021)। आईएफसीआई ने प्राप्य के असाइनमेंट का भी प्रयास किया, जिसका अंतिम असाइनमेंट 43 करोड़ रु. का था, हालांकि यह सफल नहीं हुआ।

तदनुसार, एसीसीआईएल से वसूली योग्य अधिकतम राशि 58.04 करोड़ रु. है। इसलिए, कंपनी को अपने खाते-बहियों में 13.98 करोड़ रु. (72.02 करोड़ रु. से 58.04 करोड़ रु. घटाकर) की शेष राशि के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 10 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है।

3.98 करोड़ रु. (यानि, 13.98 करोड़ रु. माइनस 10 करोड़ रु.) के अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ते का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप लाभ अधिक और क्षति हानि-भत्ते को 3.98 करोड़ रु. कम करके दिखाया गया है।

क.1.2 निवेश (नोट 8) - 1,658.81 करोड़ रु.

- (क) उपरोक्त में ईकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ईआईएल) के इक्विटी शेयरों (यानि, 14,00,000 शेयरों की संख्या / 20 रुपये प्रति शेयर) में 2.80 करोड़ रु. का निवेश शामिल है। हालांकि, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के ईआईएल के वित्तीय विवरणों के आधार पर नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रति शेयर उचित मूल्य 0.20 रुपये प्रति शेयर है। तदनुसार, ईआईएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 0.03 करोड़ रु. (यानि, 14,00,000 शेयर / 0.20 रुपये प्रति शेयर) होना चाहिए था। प्रति शेयर नवीनतम मूल्य पर विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवेश और लाभ को 2.77 करोड़ रु. (यानि, 2.80 करोड़ रु. घटा 0.03 करोड़ रु.) से अधिक दर्शाया गया।
- (ख) आईएफसीआई ने जाम खंडी शुगर लिमिटेड (जेकेएसएल) के 10 लाख इक्विटी शेयरों में शून्य निवेश दिखाया है। हालांकि, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए जेकेएसएल के वित्तीय विवरणों के आधार पर नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रति शेयर उचित मूल्य 13.17 रुपये प्रति शेयर है। तदनुसार, जेकेएसएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 1.32 करोड़ रु. (यानि 10,00,000 शेयर / 13.17 रुपये प्रति शेयर) होना चाहिए था। प्रति शेयर नवीनतम उपलब्ध मूल्यांकन पर विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवेश और लाभ को 1.32 करोड़ रु. कम करके दिखाया गया है।
- (ग) आईएफसीआई ने मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएसईआईएल) में अपने 7,18,75,000 इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन दो मूल्यांकनकर्ताओं अर्थात फाइडेम कॉर्पोरेट एडवाइजर्स एलएलपी और ओमनीफिन वैल्यूएशन सर्विसेज पी लिमिटेड से 0.37 प्रति शेयर और 0.42 प्रति शेयर पर करवाया, जिसमें कुल निवेश क्रमशः 2.66 करोड़ रु.⁵ और 3.02 करोड़ रु.⁶ था। दोनों मूल्यांकनों में 31 मार्च 2023 तक एमएसईआईएल की वित्तीय स्थिति के आधार पर प्रति शेयर मूल्य निकाला गया। हालांकि, आईएफसीआई ने 0.42 प्रति शेयर के मूल्य पर विचार किया और एमएसईआईएल में अपने निवेश का मूल्यांकन 3.02 करोड़ रु. किया, जो पारम्परिक सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
- इस प्रकार, कंपनी ने वर्ष के लिए अपने निवेश और लाभ को 0.36 करोड़ रु. (यानि, 3.02 करोड़ रु. माइनस 2.66 करोड़ रु.) से अधिक बताया है।

⁴ आईएफसीआई को भी अप्रैल 2024 के दौरान 9.50 करोड़ रु. प्राप्त हुए।

⁵ 7,18,75,000 शेयर / 0.37 रु. प्रति शेयर

⁶ 7,18,75,000 शेयर / 0.42 रु. प्रति शेयर

(घ) खातों पर नोटों के नोट सं. 52(बी) का संदर्भ आमंत्रित किया जाए, जिसमें कहा गया है कि, “संबंधित परिचालन विभाग प्रत्येक तिमाही रिपोर्टिंग अवधि के लिए बाहरी या आंतरिक रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए आवश्यक वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन करते हैं। हालाँकि, 36 मामलों में, निवेश मूल्य पिछली तारीखों पर उचित मूल्यांकन पर आधारित था, न कि रिपोर्टिंग तिथि यानि 31 मार्च 2024 पर। इसके अलावा, लेखा नोटों में इस आशय का कोई खुलासा नहीं किया गया था। 31 मार्च 2024 तक उचित मूल्य के अभाव में कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान, टिप्पणी सं. का.1.2(ii) और क.1.2(बी) में, इंगित किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

क.1.3 व्यापार प्राप्य (नोट सं. 6): 103.64 करोड़ रु.

उपर्युक्त राशि में आईएफसीआई द्वारा ऋण खातों में किए गए रिफंड के कारण विभिन्न पक्षों के खिलाफ प्राप्य के रूप में दर्शाई गई 0.78 करोड़ रु. की राशि शामिल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोविड अवधि के दौरान ब्याज वाले हिस्से पर ब्याज वापस करने के निर्देश के बाद ऐसा हुआ। इस प्रकार, उपरोक्त राशि प्राप्य नहीं है क्योंकि इसे संबंधित पक्षों को वापस कर दिया गया है और ऋण खाते भी बंद कर दिए गए हैं।

इसके परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य और वर्ष का लाभ 0.74 करोड़ रु. (अपेक्षित ऋण हानि में 0.04 करोड़ रु. के समायोजन के बाद) अधिक दर्शाया गया है।

ख. 30 अप्रैल 2024 की स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, (सीएआरओ 2020) के खंड 3(vii)(बी) के अनुसार लेखा-परीक्षक को रिपोर्ट उस दशा में आवश्यक है, जहां माल व सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य-वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित वैधानिक बकाया राशि को किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, जिससे इसमें शामिल राशि और फोरम का उल्लेख किया जाए, जहां विवाद लंबित है।

कंपनी की विभिन्न मंचों जैसे आयकर आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष 11 आयकर अपील लंबित हैं। स्वतंत्र लेखा-परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में केवल तीन मामलों को शामिल किया है, इसके अलावा, कंपनी पर ‘विवाद से विश्वास योजना’ के तहत कर निर्धारण वर्ष 2009-10 और 2013-14 से 2016-17 से संबंधित 8.15 करोड़ रु. की आयकर मांग बकाया है, जिसे लेखा-परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट सीएआरओ 2020 के उपर्युक्त खंड के गैर-अनुपालन न होने के कारण, उस सीमा तक अपूर्ण है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान टिप्पणी सं. ख में इंगित किए जाने के बावजूद, वैधानिक लेखा-परीक्षक द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के लिए
और उनकी ओर से

(एस. अहलादिनी पांडा)
महानिदेशक लेखा-परीक्षा
(उद्योग एवं कॉर्पोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07 अगस्त 2024

⁷ आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (मार्च 2023), एथेना इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (मार्च 2023), अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड (मार्च 2023), केमको स्टील लिमिटेड (मार्च 2023), फॉरवर्ड टेलीविजन लिमिटेड (मार्च 2023), गैस एंड पावर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (मार्च 2023), गिरनार फाइबर लिमिटेड (मार्च 2017), जीआर सॉल्वेंट्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (मार्च 2023), ग्राहम फर्थ स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (मार्च 2023), गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड (मार्च 2023), एचपीसीएल मितल एनर्जी लिमिटेड (दिसंबर 2022), आईपीआई स्टील्स लिमिटेड (मार्च 2023), केपीआर टेलीप्रोडक्ट्स लिमिटेड (मार्च 2023), केलटॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड (मार्च 2022), मध्य भारत पेपर्स लिमिटेड (मार्च 2023), नागालैंड रोलर फ्लोर मिल्स लिमिटेड (मार्च 2023), निमाडू टेक्सटाइल्स लिमिटेड (मार्च 2023), न्यूटेक पैकेजिंग लिमिटेड (मार्च 2022), ओसीएम प्राइवेट लिमिटेड (मार्च 2023), पाटिल अटलांटिक फोर्स सुनम लिमिटेड (मार्च 2023), राजपुताना फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (मार्च 2023), साईरायलसीमा पेपर मिल्स लिमिटेड (मार्च 2022), सत्यकमल एग्रोस लिमिटेड (मार्च 2023), श्री सतपुड़ा तापीपरिसर एसएसके लिमिटेड (खुलासा नहीं किया गया), श्री भगवती ब्राइट बार्स लिमिटेड (मार्च 2023), सदर्न विंड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड (मार्च 2023), सुपर सिंकोटेक्स इंडिया लिमिटेड (मार्च 2023), तमिलनाडु इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (मार्च 2023), यूनियाल्कॉम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (मार्च 2020), उत्तम गैल्टा मेटालिक्स लिमिटेड (मार्च 2023), वीनस शुगर लिमिटेड (मार्च 2023), विलियर्ड इंडिया लिमिटेड (मार्च 2023) और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएसईआईएल)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी), के अधीन 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के आईएफसीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 129(4) सहित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा-परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143, धारा 129(4) सहित के तहत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। इसका वर्णन उनके द्वारा प्रस्तुत 30 अप्रैल 2024 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) सहित धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा-परीक्षा की है। हमने अनुलग्नक-क में उल्लिखित आईएफसीआई लिमिटेड (कंपनी) और सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण की पूरक लेखा-परीक्षा की, लेकिन उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (सहायक कंपनियाँ) की पूरक लेखा-परीक्षा नहीं की। यह पूरक लेखा-परीक्षा वैधानिक लेखा-परीक्षक के कार्य-पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है।

अपने पूरक लेखा-परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) सहित धारा 129(4) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए जरूरी हैं।

क. समेकित लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

लाभ-हानि विवरण

क.1 कर पश्चात लाभ: 241.05 करोड़ रुपये

क.1.1 क्षति हानि-भत्ता: 3,811.24 करोड़ रुपये

वित्तीय परिसंपत्ति ऋण (नोट 7): 1,363.13 करोड़ रुपये

वर्ष के लिए क्षति हानि-भत्ता कम करके दिखाया गया है और वर्ष के लाभ को 249.97 करोड़ रु. अधिक करके दिखाया गया है, जैसा कि नीचे विस्तार से वर्णित है:

- (i) आईएफसीआई ने ग्रैन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (जीईपीएल) को दिए गए ऋण के लिए 135.81 करोड़ रु. के बकाया मूलधन की वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से संपर्क किया, जिसके बाद एनसीएलटी ने (फरवरी 2021) परिसमापन प्रक्रिया का आदेश दिया। परिसमापन मूल्य 10.37 करोड़ रु. आंका गया और आईएफसीआई को परिसंपत्तियों के परिसमापन के बाद 14.79 करोड़ रु. प्राप्त हुए और इसे ब्याज में समायोजित किया गया। चूंकि आगे कोई वसूली अपेक्षित नहीं है, इसलिए आईएफसीआई को खाते-बहियों में 135.81 करोड़ रु. के बकाया मूलधन के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाने की आवश्यकता थी। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 97.24 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है।

38.57 करोड़ रु. (यानि 135.81 करोड़ रु. में से 97.24 करोड़ रु. घटाकर) के अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ते का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप लाभ को अधिक और क्षति हानि-भत्ते को 38.57 करोड़ रु. कम करके दिखाया गया है।

टिप्पणी सं. क.1(ii) में, वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान इसका उल्लेख किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- (ii) एनसीएलटी के निर्णय और अनुमोदित (जून 2021) समाधान योजना के अनुसार। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) पर आईएफसीआई का दावा (1.03 प्रतिशत) 381.73 करोड़ रु. की बकाया राशि के मुकाबले अधिकतम 70.31 करोड़ रु. तक सीमित था। इसके अलावा, आईएफसीआई के अनुसार, सावधि जमाओं में 125 करोड़ रु. की राशि को लेनदारों को वितरण के लिए उचित नहीं माना गया और 302 करोड़ रु. की राशि को सुरक्षित दावों के बजाय असुरक्षित दावों के तहत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया। इसे कंपनी के पक्ष में मानते हुए, अधिकतम अतिरिक्त वसूली 4.40 करोड़ रु. (427 करोड़ रु. का 1.03 प्रतिशत) हुई। इस प्रकार, वीआईएल से वसूली योग्य अधिकतम राशि 381.73 करोड़ रु. की कुल बकाया राशि के मुकाबले केवल 74.71 करोड़ रु. (70.31 करोड़ रु. प्लस 4.40 करोड़ रु.) थी। इसलिए, कंपनी को अपने खातों में 307.02 करोड़ रु. (यानि, 381.73 करोड़ रु. में 74.71 करोड़ रु. घटाकर) की शेष राशि के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 219.83 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है। 87.19 करोड़ रु. (यानि, 307.02 करोड़ रु. घटा 219.83 करोड़ रु.) के अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ते का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप लाभ को 87.19 करोड़ रु. से अधिक और क्षति हानि-भत्ते को कम करके दिखाया गया है।

टिप्पणी सं. क.1 (iii), क.1(i) और क.1(iv) में, क्रमशः वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान बताए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- (iii) उपरोक्त में मेसर्स पायनियर गैस पावर लिमिटेड (पीजीपीएल) के विरुद्ध 434.72 करोड़ रु. का मूल बकाया शामिल है, जो 31 मार्च 2018 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। आईएफसीआई के पास अन्य ऋणदाताओं के साथ-साथ पीजीपीएल की परिसंपत्तियों पर प्रथम समतुल्य प्रभार के तौर पर सिक्क्योरिटी है। दो मूल्यांकनकर्ताओं की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट (जून 2023) के अनुसार, परियोजना का उचित मूल्य 846.24 करोड़ रु. (इन-सीटू मूल्यांकन¹) और 367.82 करोड़ रु. (एक्स-सीटू मूल्यांकन²) निकला। इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि कंपनी ने जून 2022 में संपूर्ण परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार 375 करोड़ रु. के आरक्षित मूल्य को मंजूरी दी थी। हालांकि, यह आगे नहीं बढ़ सका और नए मूल्यांकन के लिए कहा गया (मई 2023)।

चूंकि आईएफसीआई की 28.02 प्रतिशत हिस्सेदारी पर विचार करते हुए सिक्क्योरिटी का अधिकतम उचित मूल्य 846.24 करोड़ रु. है, इसलिए अधिकतम संभावित वसूली 237.12 करोड़ रु. (846.24 करोड़ रु. का 28.02 प्रतिशत) है। इसलिए, कंपनी को अपने लेखा-पुस्तकों में 197.60 करोड़ रु. (यानि 434.72 करोड़ रु. में से 237.12 करोड़ रु. घटाकर) की शेष राशि के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 141.48 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है।

56.12 करोड़ रु. (यानि 197.60 करोड़ रु. में से 141.48 करोड़ रु. घटाकर) के अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ते का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप लाभ को अधिक दर्शाया गया है और क्षति हानि-भत्ते को 56.12 करोड़ रु. से कम दर्शाया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान टिप्पणी सं. क.1(i) में इसका उल्लेख किये जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- (iv) उपरोक्त में लिज ट्रेडर्स एंड एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएपीएल) के विरुद्ध 90.94 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है। एलटीएपीएल की चूक के कारण, निपटान पेशेवर (आरपी) के समक्ष मामला दायर किया गया था। आरपी ने सूचित किया कि कॉर्पोरेट देनदार में सिक्क्योरिटी और वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा कोई अन्य संपत्ति नहीं है और पिछले 3-4 वर्षों से कोई व्यवसाय नहीं किया गया है। यह देखा गया कि आईएफसीआई के पास केवल कोल्लम, केंरल में एक संपत्ति का पूर्ण प्रभार है, जिसका उचित मूल्य (मार्च 2024) केवल 13.47 करोड़ रु. है। चूंकि आईएफसीआई के पास कोई अन्य सिक्क्योरिटी उपलब्ध नहीं है, इसलिए कंपनी को अपने खाता-पुस्तकों में 77.47 करोड़ रु. (यानि, 90.94 करोड़ रु. माइनस 13.47 करोड़ रु.) की शेष राशि के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाने की आवश्यकता थी। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 55.47 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि भत्ता है।

22 करोड़ रु. (यानि 77.47 करोड़ रु. में से 55.47 करोड़ रु. घटाकर) का अतिरिक्त हानि हानि भत्ता न बनाए जाने के परिणामस्वरूप लाभ को अधिक दर्शाया गया है और क्षति हानि-भत्ते को 22 करोड़ रु. कम दर्शाया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान टिप्पणी सं. क.1 (vii) और क.1(v) के माध्यम से इंगित किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- (v) उपरोक्त में आर्कोटिक लिमिटेड के विरुद्ध 59.21 करोड़ रु. का मूल बकाया शामिल है। कंपनी द्वारा की गई चूक के कारण, आईएफसीआई ने बकाया राशि की वसूली के लिए दिवालियापन याचिका दायर की (अप्रैल 2019)। हालांकि, कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में प्राथमिकता शुल्क के कमजोर पड़ने के कारण, आईएफसीआई ने एनसीएलटी से इसे वापस ले लिया (अगस्त 2022)।

आईएफसीआई के पास बावल (हरियाणा) में संपत्ति पर विशेष प्रथम प्रभार है, जिसका संकटकालीन बिक्री मूल्य 99.24 करोड़ रु. (फरवरी 2024) है और कंपनी ने 15 मार्च 2022 को इसका कब्जा ले लिया। हालांकि, संपत्ति की बिक्री के लिए आईएफसीआई के प्रयास आगे नहीं बढ़ पाए हैं क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के नेतृत्व में कार्यशील पूंजी उधारदाताओं ने सलाह दी है कि वे एसएआरएफआईएसआई अधिनियम के तहत नीलामी का समर्थन नहीं करते हैं। इसलिए, इसे तब तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि एसएआरएफआईएसआई अधिनियम की धारा 139(9) की आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम 60 प्रतिशत उधारदाता सहमत न हों। जबकि आईएफसीआई के पास केवल 14.33 प्रतिशत मतदान अधिकार है। आईएफसीआई को कंपनी से ग्लिक्स सिक्क्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है (16 दिसंबर 2022) जिसमें आईएफसीआई का हिस्सा 41.64 करोड़ रु. है जिसे सितंबर 2023 में पीएनबी (प्रमुख बैंक) द्वारा अनुमोदित किया गया था। आईएफसीआई को दिसंबर 2022 (1.58 करोड़ रु.) और दिसंबर 2023 (0.50 करोड़ रु.) के दौरान 2.08 करोड़ रु. (41.64 करोड़ रु. का 5 प्रतिशत) प्राप्त हुआ है।

चूंकि 59.21 करोड़ रु. के कुल बकाया के मुकाबले वसूली की अधिकतम संभावना केवल 41.64 करोड़ रु. है, इसलिए कंपनी को अपने खाते-बहियों में 17.57 करोड़ रु. (59.21 करोड़ रु. माइनस 41.64 करोड़ रु.) की शेष राशि के लिए क्षति हानि भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के खिलाफ 12.58 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है।

4.99 करोड़ रु. (यानि 17.57 करोड़ रु. माइनस 12.58 करोड़ रु.) का अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ता न बनाए जाने के परिणामस्वरूप लाभ अधिक दर्शाया गया है और क्षति हानि-भत्ते को 4.99 करोड़ रु. कम दर्शाया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, टिप्पणी सं. क.1(vi) के तहत उल्लेख किये जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- (vi) उपरोक्त में सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के विरुद्ध 63.43 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है। रिकॉर्डों के अनुसार, सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से संबंधित समाधान-निपटान योजना समाप्त हो गई थी और मामला परिसमापन में चला गया था। परिसमापन मूल्य 234 करोड़ रु. निकाला गया और परिसमापन के मामले में आईएफसीआई का हिस्सा केवल 0.17 करोड़ रु. है। इसके अलावा, आईएफसीआई के पास 33.05 करोड़ रु. मूल्य की प्रतिभूतियों का प्रभार है। चूंकि 63.43 करोड़ रु. की कुल बकाया राशि के मुकाबले अधिकतम संभावित वसूली 33.22 करोड़ रु. (यानि 0.17 करोड़ रु. प्लस 33.05 करोड़ रु.) है, इसलिए कंपनी को अपने खाते-बहियों में 30.21 करोड़ रु. (यानि 63.43 करोड़ रु. माइनस 33.22 करोड़ रु.) की शेष राशि के

¹ मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 'इन-सीटू वैल्यूएशन' का अर्थ है - उस स्थल पर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन को मानना, जहाँ वे अभी हैं।

² मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 'एक्स-सीटू वैल्यूएशन' का अर्थ है - मौजूदा स्थल से हटाई गई परिसंपत्तियों को दूसरे स्थान पर फिर से स्थापित करना (जिसमें अतिरिक्त लागत शामिल है)।

³ पटना में 12.7 एकड़ का भूमि खंड 22.10 करोड़ रु. (मार्च 2024) और मेसर्स नॉर्थ बिहार हाईवे लिमिटेड के गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर 10.95 करोड़ रु.।

लिए क्षति हानि-भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के मुकाबले 21.63 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है।

8.58 करोड़ रु. (यानि 30.21 करोड़ रु. माइनस 21.63 करोड़ रु.) के अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ते का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप लाभ अधिक और क्षति हानि-भत्ते को 8.58 करोड़ रु. कम करके दिखाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः टिप्पणी सं. क.1(iv), क.1(vi) और क.1(ix) में इसका उल्लेख किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- (vii) 31 मार्च 2024 तक मधुकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमआईएल) के खिलाफ बकाया मूलधन 120 करोड़ रु. था। कंपनी ने अपने पास उपलब्ध प्रतिभूतियों के आधार पर अधिकतम वसूली योग्य राशि 31.43 करोड़ रु. आंकी और तदनुसार 70 करोड़ रु. के एक-मुश्त सेटलमेंट (ओटीएस) के लिए सहमत हुई (जनवरी 2020), जिसे एमआईएल ने पूरा नहीं किया। इसलिए, कंपनी ने ओटीएस को रद्द कर दिया (दिसंबर 2020)। एमआईएल द्वारा 51 करोड़ रु. (ब्याज के 3 करोड़ रु. सहित) का एक नया ओटीएस प्रस्ताव पेश किया गया (26 अगस्त 2022) और आईएफसीआई को उक्त निपटान-समाधान के खिलाफ वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 31.50 करोड़ रु. प्राप्त हुए, जिसे 2023-24 के दौरान बकाया मूलधन के खिलाफ समायोजित किया गया है। तदनुसार, 120 करोड़ रु. की कुल बकाया राशि के विरुद्ध अधिकतम संभावित वसूली केवल 19.50⁴ करोड़ रु. (अर्थात 51 करोड़ रु. में से 31.50 करोड़ रु.) है। इसलिए, कंपनी को अपने खाते-बहियों में 100.50 करोड़ रु. (अर्थात 120 करोड़ रु. माइनस 19.50 करोड़ रु.) की शेष राशि के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 71.96 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है।

28.54 करोड़ रु. (अर्थात 100.50 करोड़ रु. में से 71.96 करोड़ रु.) का अतिरिक्त हानि हानि भत्ता न बनाने के परिणामस्वरूप लाभ को अधिक दर्शाया गया है और क्षति हानि-भत्ते को 28.54 करोड़ रु. कम दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः टिप्पणी सं. क.1 (i), क.1(v) और क.1 (iii) के माध्यम से बताए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- (viii) उपरोक्त में मेसर्स एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड (एसीसीआईएल) के विरुद्ध 72.02 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है, जो सितंबर 2016 में गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों में बदल गया। एसीसीआईएल को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में स्वीकार किया गया (20 अगस्त 2018) और 19 अक्टूबर 2020 के आदेश के अनुसार इसका निपटान-समाधान किया गया। आईएफसीआई को समाधान योजना (आरपी) के अनुसार 5.02 करोड़ रु. का हिस्सा प्राप्त हुआ। हालांकि आईएफसीआई ने आरपी से असहमति जताई थी, लेकिन एनसीएलटी द्वारा अनुमोदन के मद्देनजर यह योजना सभी लेनदारों के लिए बाध्यकारी थी। इसके अलावा, आईएफसीआई के पास फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित होटल पार्क प्लाजा के विशेष बंधक के रूप में सिक्क्योरिटी है, जिसका उचित बाजार मूल्य 58.04 करोड़ रु. (फरवरी 2022) है इसके अलावा, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी है (दिसंबर 2021)। आईएफसीआई ने प्राप्य के असाइनमेंट का भी प्रयास किया, जिसका अंतिम असाइनमेंट 43 करोड़ रु. का था, हालांकि यह सफल नहीं हुआ।

तदनुसार, एसीसीआईएल से वसूली योग्य अधिकतम राशि 58.04 करोड़ रु. है। इसलिए, कंपनी को अपने खाते-बहियों में 13.98 करोड़ रु. (72.02 करोड़ रु. से 58.04 करोड़ रु. घटाकर) की शेष राशि के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 10 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है।

3.98 करोड़ रु. (यानि, 13.98 करोड़ रु. माइनस 10 करोड़ रु.) के अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ते का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप लाभ अधिक और क्षति हानि-भत्ते को 3.98 करोड़ रु. कम करके दिखाया गया है।

- (xi) सितंबर 2016 के आरबीआई मास्टर निर्देशों के अनुसार, कंपनी को उस सीमा तक 100 प्रतिशत प्रावधान करना आवश्यक है, जहां तक अग्रिम राशि सिक्क्योरिटी के वसूली योग्य मूल्य द्वारा कवर नहीं की जाती है तथा तीन वर्षों से अधिक समय से पड़े संदिग्ध ऋण के सुरक्षित हिस्से के लिए 50 प्रतिशत प्रावधान करना आवश्यक है।

आईएफसीआई फैंक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल, आईएफसीआई लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) ने पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीआईआईपीपीएल) को 14.50 करोड़ रु. का अल्पकालिक ऋण स्वीकृत किया (अक्टूबर 2015), जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भयदर (पश्चिम) तालुका व जिला में गैर-कृषि - 195.93 एकड़ भूमि पर समरूप प्रथम प्रभार से सुरक्षित है, जिसका स्वामित्व अन्य ऋणदाताओं के साथ एस्सेलेंड्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (ईआईपीएल - थर्ड पार्टी सिक्क्योरिटी) के पास है। ऋण खाते को जून 2019 में एनपीए घोषित किया गया और 31 मार्च 2024 तक बकाया राशि 6.58 करोड़ रु. थी। कंपनी ने खाते-बहियों में ऋण के विरुद्ध 3.30 करोड़ रु. (यानि, 6.6 करोड़ रु.* 50%) का प्रावधान किया है।

पीआईआईपीपीएल को एनसीएलटी (जुलाई 2020) में ले जाया गया और इसका परिसमापन करने का आदेश दिया गया (अक्टूबर 2023)। आईएफएल बोर्ड एजेंडा (फरवरी 2024) के अनुसार, परिसमापन प्रक्रिया से कुछ भी आय प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आईएफएल पीआईआईपीपीएल का असुरक्षित लेनदार है। आगे यह भी उल्लेख किया गया कि गिरवी रखी गई संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य 363.68 करोड़ रु. है, जिसमें से आईएफएल का अनुपातिक हिस्सा 7.06 करोड़ रु. (1.94%) था। 40% की अतिरिक्त छूट के साथ, वसूली योग्य मूल्य 4.23 करोड़ रु. अनुमानित किया गया था, जिसे आईएफएल द्वारा उक्त खाते की बिक्री/असाइनमेंट के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेने की स्थिति में आरक्षित मूल्य माना गया। तदनुसार, कंपनी को आरबीआई के निर्देशों के अनुसार 4.45 करोड़ रु.⁵ (यानि 2.35 करोड़ रु. + 2.1 करोड़ रु.) का प्रावधान करना आवश्यक था।

इसके परिणामस्वरूप क्षति हानि-भत्ते में कमी आयी तथा वर्ष की हानि को 1.15 करोड़ रु. (अर्थात 4.45 करोड़ रु. में से 3.30 करोड़ रु. घटाकर) कम करके दर्शाया गया।

⁴ आईएफसीआई को भी अप्रैल 2024 के दौरान 9.50 करोड़ रु. प्राप्त हुए।

⁵ असुरक्षित ऋण 2.35 करोड़ रु. (6.58 करोड़ रु. - 4.23 करोड़ रु. वसूली योग्य मूल्य) और 4.23 करोड़ रु. का 50% = 2.1 करोड़ रु.

क.1.2 निवेश (नोट 8): 8,677.93 करोड़ रु.

- (i) उपरोक्त में ईकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ईआईएल) के इक्विटी शेयरों (यानि, 14,00,000 शेयरों की संख्या / 20 रुपये प्रति शेयर) में 2.80 करोड़ रु. का निवेश शामिल है। हालांकि, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के ईआईएल के वित्तीय विवरणों के आधार पर नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रति शेयर उचित मूल्य 0.20 रुपये प्रति शेयर है। तदनुसार, ईआईएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 0.03 करोड़ रु. (यानि, 14,00,000 शेयर / 0.20 रुपये प्रति शेयर) होना चाहिए था।
प्रति शेयर नवीनतम मूल्य पर विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवेश और लाभ को 2.77 करोड़ रु. (यानि, 2.80 करोड़ रु. घटा 0.03 करोड़ रु.) से अधिक दर्शाया गया।
- (ii) आईएफसीआई ने जाम खंडी शुगर लिमिटेड (जेकेएसएल) के 10 लाख इक्विटी शेयरों में शून्य निवेश दिखाया है। हालांकि, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए जेकेएसएल के वित्तीय विवरणों के आधार पर नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रति शेयर उचित मूल्य 13.17 रुपये प्रति शेयर है। तदनुसार, जेकेएसएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 1.32 करोड़ रु. (यानि 10,00,000 शेयर / 13.17 रुपये प्रति शेयर) होना चाहिए था।
प्रति शेयर नवीनतम उपलब्ध मूल्यांकन पर विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवेश और लाभ को 1.32 करोड़ रु. कम करके दिखाया गया है।
- (iii) आईएफसीआई ने मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएसईआईएल) में अपने 7,18,75,000 इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन दो मूल्यांकनकर्ताओं अर्थात फाइडेम कॉरपोरेट एडवाइजर्स एलएलपी और ओमनीफिन वेल्युएशन सर्विसेज पी लिमिटेड से 0.37 प्रति शेयर और 0.42 प्रति शेयर पर करवाया, जिसमें कुल निवेश क्रमशः 2.66 करोड़ रु.⁶ और 3.02 करोड़ रु.⁷ था। दोनों मूल्यांकनों में 31 मार्च 2023 तक एमएसईआईएल की वित्तीय स्थिति के आधार पर प्रति शेयर मूल्य निकाला गया। हालांकि, आईएफसीआई ने 0.42 प्रति शेयर के मूल्य पर विचार किया और एमएसईआईएल में अपने निवेश का मूल्यांकन 3.02 करोड़ रु. किया, जो पारम्परिक सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
इस प्रकार, कंपनी ने वर्ष के लिए अपने निवेश और लाभ को 0.36 करोड़ रु. (यानि, 3.02 करोड़ रु. माइनस 2.66 करोड़ रु.) से अधिक बताया है।
- (iv) खातों पर नोटों के नोट सं. 52(बी) का संदर्भ आमंत्रित किया जाए, जिसमें कहा गया है कि, “संबंधित परिचालन विभाग प्रत्येक तिमाही रिपोर्टिंग अवधि के लिए बाहरी या आंतरिक रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए आवश्यक वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन करते हैं”। हालांकि, 36 मामलों⁸ में, निवेश मूल्य पिछली तारीखों पर उचित मूल्यांकन पर आधारित था, न कि रिपोर्टिंग तिथि यानि 31 मार्च 2024 पर। इसके अलावा, लेखा नोटों में इस आशय का कोई खुलासा नहीं किया गया था।
31 मार्च 2024 तक उचित मूल्य के अभाव में कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान, टिप्पणी सं. क.2, और क.1.2(ii) में, इंगित किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
- (v) उपरोक्त में आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईवीसीएफएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) द्वारा बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल) में दो लाख शेयरों में किए गए निवेश का मूल्य 1.10 करोड़ रु. (यानि, 2,00,000 शेयर रु. 55.20 प्रति शेयर) शामिल नहीं है। बीसीआईएल में निवेश का मूल्य वित्त वर्ष 2016-17 से ‘शून्य’ दिखाया गया है। आईएफसीआई लिमिटेड (आईवीसीएफएल की मूल कंपनी) ने बीसीआईएल के शेयरों का मूल्यांकन (फरवरी 2024) रु. 55.20 प्रति शेयर किया। इसलिए, 31 मार्च 2024 तक आईवीसीएफएल के खातों में निवेश का मूल्य 1.10 करोड़ रु. है।
इसके परिणामस्वरूप निवेश 1.10 करोड़ रु. कम और वर्ष के लाभ को इतनी ही राशि से कम दिखाया गया।

क.1.3 व्यापार प्राप्य (नोट सं. 6): 306.33 करोड़ रु.

- (i) उपर्युक्त राशि में आईएफसीआई द्वारा ऋण खातों में किए गए रिफंड के कारण विभिन्न पक्षों के खिलाफ प्राप्य के रूप में दर्शाई गई 0.78 करोड़ रु. की राशि शामिल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोविड अवधि के दौरान ब्याज वाले हिस्से पर ब्याज वापस करने के निर्देश के बाद ऐसा हुआ। इस प्रकार, उपरोक्त राशि प्राप्य नहीं है क्योंकि इसे संबंधित पक्षों को वापस कर दिया गया है और ऋण खाते भी बंद कर दिए गए हैं।
इसके परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य और वर्ष का लाभ 0.74 करोड़ रु. (अपेक्षित ऋण हानि में 0.04 करोड़ रु. के समायोजन के बाद) अधिक दर्शाया गया है।

⁶ 7,18,75,000 शेयर / 0.37 रु. प्रति शेयर

⁷ 7,18,75,000 शेयर / 0.42 रु. प्रति शेयर

⁸ आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (मार्च 2023), एथेना इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (मार्च 2023), अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड (मार्च 2023), केमको स्टील लिमिटेड (मार्च 2023), फॉरवर्ड टेलीविजन लिमिटेड (मार्च 2023), गैस एंड पावर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (मार्च 2023), गिरनार फाइबर लिमिटेड (मार्च 2017), जीआर सॉल्वेंट्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (मार्च 2023), ग्राहम फर्थ स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (मार्च 2023), गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड (मार्च 2023), एचपीसीएल मिटल एनर्जी लिमिटेड (दिसंबर 2022), आईपीआई स्टील्स लिमिटेड (मार्च 2023), केपीआर टेलीप्रोडक्ट्स लिमिटेड (मार्च 2023), केलटॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड (मार्च 2022), मध्य भारत पेपर्स लिमिटेड (मार्च 2023), नागालैंड रोलर लोर मिल्स लिमिटेड (मार्च 2023), निमाडू टेक्सटाइल्स लिमिटेड (मार्च 2023), न्यूटेक पैकेजिंग लिमिटेड (मार्च 2022), ओसीएम प्राइवेट लिमिटेड (मार्च 2023), पाटिल अटलांटिक फोर्स सुनम लिमिटेड (मार्च 2023), राजपुताना फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (मार्च 2023), साईरायलसीमा पेपर मिल्स लिमिटेड (मार्च 2022), सत्यकमल एग्रोस लिमिटेड (मार्च 2023), श्री सतपुड़ा तापीपरिसर एसएसके लिमिटेड (खुलासा नहीं किया गया), श्री भगवती ब्राइट बार्स लिमिटेड (मार्च 2023), सर्वन विंड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड (मार्च 2023), सुपर सिंकोटेक्स इंडिया लिमिटेड (मार्च 2023), तमिलनाडु इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (मार्च 2023), यूनियाल्कम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (मार्च 2020), उत्तम गैल्वा मेटालिक्स लिमिटेड (मार्च 2023), वीनस शुगर लिमिटेड (मार्च 2023), विलियर्ड इंडिया लिमिटेड (मार्च 2023), मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएसईआईएल)

- (ii) उपरोक्त में आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) सूट के कॉर्पोरेट विविध देनदारों से संबंधित 0.11 करोड़ रु. शामिल है, जो सात वर्षों से अधिक समय से वसूली के लिए लंबित है। आईआईडीएल के निदेशक मंडल ने इसके अपलेखन के प्रस्ताव पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्देश (फरवरी 2023) दिया कि उपर्युक्त प्राप्ति-योग्य राशियों को अपलेखित नहीं किया जाना चाहिए और बकाया राशि की वसूली के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए। हालाँकि, कंपनी उपरोक्त प्राप्य राशियों में से कुछ भी वसूल नहीं कर पाई है। इसलिए, कंपनी को पारम्परिक लेखांकन सिद्धांत और बीते हुए समय को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आवश्यक प्रावधान बनाना चाहिए था।

संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान को कम दिखाया गया है और व्यापार प्राप्य को 0.11 करोड़ रु. से अधिक दिखाया गया है। नतीजतन, वर्ष का लाभ भी 0.11 करोड़ रु. से अधिक दिखाया गया है।

क.2 परिसंपत्तियां: गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

क.2.1 इन्वेंटरी: 69.66 करोड़ रु.

- (i) आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) ने बंगलुरु (फाइनेन्शियल सिटी बंगलुरु लैंड) और उत्तर प्रदेश (रामप्रस्थ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स) में इन्वेंटरी का मूल्य क्रमशः 11.01 करोड़ रु. और 11.80 करोड़ रु. के बजाय 11.77 करोड़ रु. और 12.11 करोड़ रु. अधिक आंका, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के इन्वेंटरी और लाभ में 1.08 करोड़ रु. की अधिक वृद्धि हुई, साथ ही समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. पी(ए) (स्टॉक इन ट्रेड) का अनुपालन नहीं किया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि "इन्वेंट्री में भूमि शामिल है और इसका मूल्य लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, माना जाए"।
- (ii) आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) ने अपनी एक संपत्ति का मूल्य 0.51 करोड़ रु. आंका। लेकिन उक्त संपत्ति स्वीकृत संपत्ति नहीं थी, मूल्यांकनकर्ता ने अपनी रिपोर्ट (27 मार्च 2024) में इसका उचित मूल्य शून्य माना था। इसलिए, उक्त संपत्ति का मूल्य शून्य माना जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप इन्वेंट्री और लाभ में 0.51 करोड़ रु. अधिक दिखाया गया है।

क.3 देयताएं और इक्विटी: गैर-वित्तीय देयताएं

क.3.1 आस्थगित कर देयताएं (निवल) - 208.47 करोड़ रु.

- (i) आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) ने 27.82 प्रतिशत¹¹ की लागू आयकर दर के बजाय 34.608 प्रतिशत¹⁰ की आयकर दर से वरीयता शेषों पर प्राप्त होने वाले 1.06 करोड़ रु. के ब्याज पर आस्थगित कर देयता निर्धारित की। इसके परिणामस्वरूप 0.30 करोड़ रु. के स्थान पर 0.37 करोड़ रु. की आस्थगित कर देयता पैदा हो गई।
- (ii) आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए 0.55 करोड़ रु. का प्रावधान किया। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43(बी) के अनुसार, खराब और संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान आयकर की गणना के लिए अस्वीकृत व्यय है। इसलिए, खराब व संदिग्ध ऋणों के प्रावधान पर 0.15 करोड़ रु. (0.55 करोड़ रु. @ 27.82 प्रतिशत) की आस्थगित कर परिसंपत्ति बनाई जानी चाहिए थी। आस्थगित कर परिसंपत्ति का निर्माण न होने के परिणामस्वरूप आस्थगित कर देयता (निवल) को 0.15 करोड़ रु. से अधिक दर्शाया गया है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप आस्थगित कर व्यय को अधिक दर्शाया गया है और लाभ को 0.22 करोड़ रु. (0.07 करोड़ रु. प्लस 0.15 करोड़ रु.) से कम दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, स्थगित कर देयता भी 0.22 करोड़ रु. अधिक बताई गई है।

क.4 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लाभ-हानि का समेकित विवरण

क.4.1 कुल समग्र आय - 575.38 करोड़ रुपये

अन्य समग्र आय - 334.33 करोड़ रुपये

ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा

एफवीटीओसीआई- इक्विटी शेषों के उचित मूल्य में परिवर्तन - 693.39 करोड़ रु.

आईएफसीआई फैंक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल, आईएफसीआई लि. की सहायक कंपनी) की महत्वपूर्ण लेखा नीति सं. 6(बी)(1) के अनुसार, अन्य समग्र आय (एफवीटीओसीआई) से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में उचित मूल्य पर आंका जाता है और उसमें होने वाले परिवर्तनों को अन्य समग्र आय (ओसीआई) माना जाता है।

उपरोक्त निवेश में 6.71 करोड़ रु. शामिल है, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) अर्थात् रेंथियॉन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (आरएआरई) द्वारा जारी 1,000 रुपये प्रति पूर्णतः चुकता 67150 सिक्क्योरिटी रसीदों (एसआर) का मूल्य है। उपरोक्त एसआर आरएआरई द्वारा 30 मार्च 2017 को आईएफएल द्वारा उसे सौंपे गए कोर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीईटीएल) के कठिन ऋणों के बदले जारी किए गए थे। जैसा कि आरएआरई (जनवरी 2024) द्वारा सूचित किया गया है, 31 दिसंबर 2023 तक उपरोक्त एसआर का शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) 6.71 करोड़ रु. था।

आईएफएल बोर्ड एजेंडा (नवंबर 2023) के अनुसार, आरएआरई एआरसी ने प्रस्तुत किया है कि 5/8 वर्षों के बाद, उसे आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बकाया एसआर के खिलाफ प्रावधान करना पड़ सकता है तदनुसार, आरएआरई एआरसी ने आईएफएल के बकाया एसआर को 4.43 करोड़ रु. (यानि 6.71 करोड़ रु. की सिक्क्योरिटी रसीदों के अंकित मूल्य का लगभग 66%) के मूल्य पर खरीदने का प्रस्ताव रखा।

⁹ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज और ओएनजीसी लिमिटेड

¹⁰ वित्त-वर्ष 2017-18 तक लागू, कर दर 32%, अधिभार 12% और उपकर 3%

¹¹ वित्त वर्ष 2018-19 से लागू, कर दर 25%, अधिभार 7% और उपकर 4%

इसलिए, 4.43 करोड़ रु. के बजाय 6.71 करोड़ रु. को एसआर का उचित मूल्य मानने के परिणामस्वरूप निवेश को अधिक दर्शाया गया और अन्य व्यापक आय (ऋणात्मक शेष) को 2.28 करोड़ रु. (यानि 6.71 करोड़ रु. - 4.43 करोड़ रु.) कम दर्शाया गया।

ख. समेकित वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

ख.1. परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ

नकद और नकद समतुल्य (नोट सं. 3) - 1298.10 करोड़ रुपये

उपयुक्त के अलावा बैंक बैलेंस (नोट सं. 4) - 3748.28 करोड़ रुपये

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (नोट सं. 9) - 1410.28 करोड़ रुपये

आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) रिपोर्ट करने योग्य दो खंडों में काम करती है, अर्थात् आईआईडीएल मुख्यालय में रियल एस्टेट सेगमेंट और आईआईडीएल सुइट्स में हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट। 31 मार्च 2024 तक, आईआईडीएल सुइट्स के पास आईडीबीआई बैंक में 17 सावधि जमा (एफडी) हैं, जिनकी कुल राशि 9.63 करोड़ रु. है। लेकिन, इन एफडी का वर्गीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के डिवीजन-II ईड-एसएस अनुसूची-III में वर्णित मार्गदर्शन नोट के खंड 8.1.11 और 8.1.16 के अनुसार नहीं किया गया है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

एफडी का वर्गीकरण	बैलेंस शीट में वर्गीकृत राशि (करोड़ रु.)	राशि, जो वर्गीकृत की जानी चाहिए थी (करोड़ रु.)
3 महीने से कम परिपक्वता वाली एफडी	शून्य	0.70
3 से 12 महीने के बीच परिपक्वता वाली एफडी	3.56	5.76
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली एफडी	6.07	3.17
जोड़	9.63	9.63

उपयुक्त गलत वर्गीकरण के कारण, चालू परिसंपत्तियों का हिस्सा बनने वाली नकदी व नकद-समकक्ष और नकदी व नकद-समकक्ष को छोड़कर अन्य बैंक शेष राशि को क्रमशः 0.70 करोड़ रु. और 2.20 करोड़ रु. से कम करके दिखाया गया है और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (गैर-चालू) को 2.90 करोड़ रु. से अधिक दिखाया गया है।

ग. समेकित नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणी

ग.1 परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क) - 11.87 करोड़ रुपये

निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख) - (154.93) करोड़ रुपये

इंड.एसस-7 (नकदी प्रवाह विवरण) के पैरा 20(सी) में निर्धारित किया गया है कि, “अप्रत्यक्ष विधि के तहत, परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह उन मदों के प्रभावों के लिए लाभ या हानि को समायोजित करके निर्धारित किया जाए, जिनके लिए नकदी प्रभाव निवेश या वित्तपोषण नकदी प्रवाह हों।”

इसके अलावा, पैरा-31 में निर्धारित किया गया है कि “प्राप्त और भुगतान किए गए ब्याज और लाभांश से नकदी प्रवाह को अलग से प्रकट किया जाएगा। किसी वित्तीय संस्थान के मामले में भुगतान किए गए ब्याज और प्राप्त ब्याज और लाभांश से उत्पन्न नकदी प्रवाह को परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। अन्य संस्थाओं के मामले में, भुगतान किए गए ब्याज से उत्पन्न नकदी प्रवाह को वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जबकि प्राप्त ब्याज और लाभांश को निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।”

आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) के नकदी प्रवाह विवरण में निम्नलिखित विसंगतियाँ देखी गई हैं:

- परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की गणना करते समय बिक्री या अचल संपत्तियों से 1.23 करोड़ रु. का लाभ समायोजित नहीं किया गया।
- आईआईडीएल को वर्ष 2023-24 के दौरान जमा और बांड पर 10.25 करोड़ रु. का ब्याज प्राप्त हुआ। हालांकि, नकदी प्रवाह विवरण में केवल 1.73 करोड़ रु. को निवेश गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह को 9.75 करोड़ रु. (1.23 करोड़ रु. प्लस 8.52 करोड़ रु.) कम करके दिखाया गया है, साथ ही भारतीय लेखा मानक-7 के उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

घ. प्रकटीकरण और खातों पर नोट के बारे में टिप्पणी

घ.1 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर नोट

आईएफसीआई फ़ैक्टर्स लिमिटेड पर नोट 47 (क) (ख और ग)

इंड एसस-1 के पैरा 25 के अनुसार, “वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन को कंपनी की व्यवसाय जारी रखने की क्षमता का आकलन करना चाहिए। कंपनी को चालू व्यवसाय के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने चाहिए, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या व्यापार बंद करने का इरादा न रखे, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प शेष न हो। जब प्रबंधन को अपने आकलन में, ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितताओं के बारे में पता चलता है, जो कंपनी को व्यवसाय जारी रखने की उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है, तो कंपनी को उन अनिश्चितताओं का खुलासा करना चाहिए। जब कोई इकाई चालू व्यवसाय (गोइंग कन्सर्न) के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार नहीं करती है, तो उसे उस तथ्य का खुलासा करना चाहिए, साथ ही उस आधार का भी खुलासा करना चाहिए जिस पर उसने वित्तीय विवरण तैयार किए और कारण भी बताना चाहिए कि इकाई को चालू व्यवसाय क्यों नहीं माना जाए।”

लेखा-परीक्षा ने पाया कि वर्ष 2023-24 के दौरान, आईएफसीआई फैंक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) ने अपने कुल 62 ऋण/फैक्टरिंग/निवेश खातों में से, अपने 57 (एनपीए) खातों को 13.21 करोड़ रु. की कुल निधि देने का कार्य प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को सौंप दिया है, जिसके परिणामस्वरूप आईएफएल के संचालन में पर्याप्त कमी आई है। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि आईएफएल के निदेशक मंडल ने 7 नवंबर 2023 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में, अपनी शेष वित्तीय परिसंपत्तियों/सिक्क्योरिटी रसीदों का मुद्रीकरण करने या उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों को होल्डिंग कंपनी को बेचने/सौंपने/हस्तांतरित करने, जैसा भी लागू हो, के बाद आईएफएल के एनबीएफसी लाइसेंस के सरेडर के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इसका अनुमोदन होल्डिंग कंपनी, आईएफसीएल लिमिटेड द्वारा किया जाना है। तदनुसार आईएफएल ने मार्च 2024 को आईएफसीआई लिमिटेड को शेष बची पांच वित्तीय परिसंपत्तियों को निर्धारण करने और आईएफसीआई को उनकी बिक्री का प्रस्ताव करने का अनुरोध किया। इसके अलावा, कोई नया ऋण नहीं दिया जा रहा है और कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई नया ऋण स्वीकृत/वितरित नहीं किया है। उपरोक्त घटनाओं या स्थितियों ने आईएफएल को चालू संस्था के तौर कार्य करने की उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर दिया है।

हालांकि, यह पाया गया है कि प्रबंधन को उपरोक्त घटनाक्रमों/मामलों या स्थितियों के बारे में पता था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की व्यवसाय जारी रखने की क्षमता के बारे में काफी संदेह पैदा कर सकते हैं, फिर भी कंपनी ने 2023-24 के अपने वित्तीय विवरणों में इन भौतिक अनिश्चितताओं (यानि, एनबीएफसी लाइसेंस का सरेडर, संचालन बंद करना, शेष संपत्तियों की बिक्री आदि) का पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं किया है।

इसके परिणामस्वरूप इंड. एएस-1 (वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति) के खंड 25 का गैर-अनुपालन हुआ है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण के साथ-साथ वित्तीय विवरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।

घ.2 खातों पर नोट सं. 7 और 27: 1 अप्रैल 2021 से चरण-3 परिसंपत्तियों पर ब्याज आय से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन।

इंड. एएस-109 के पैरा 5.4.1 और 5.4.2 के अनुसार, कंपनी को क्रेडिट-क्षति वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त आय को मान्यता देनी चाहिए। इसके अलावा, इस संबंध में आईएफसीआई वेंचर्स कैपिटल फंड्स लिमिटेड (ग्रुप कंपनी) द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया गया था और यह राय व्यक्त की गई थी कि ऋण-क्षति परिसंपत्तियों के संबंध में ब्याज इंड. एएस 109 के सिद्धांतों के अनुरूप अर्जित किया जाना चाहिए और इस संबंध में इंड. एएस-109 के सिद्धांतों से कोई विचलन नहीं किया जाना चाहिए।

सामग्री लेखांकन नीति सं. आईएफसीआई फैंक्टर्स लिमिटेड (आईएफसीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) के नियम 6(क)(i) में यह भी कहा गया है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद ऋण-क्षति वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत पर प्रभावी ब्याज दर से ब्याज आय की गणना की जाती है।

लेखा-परीक्षा ने पाया कि आईएफएल ने अपने खातों पर नोट सं. 51 में खुलासा किया है कि चरण-3 आय को खाते-बहियों में मान्यता नहीं दी गई है।

इस प्रकार, आईएफएल के खातों पर नोट सं. 51 कंपनी की सामग्री लेखा नीति, इंड. एएस-109 के प्रावधानों और आईसीएआई की राय का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा, चरण-3 आय के बारे में जानकारी/गणना के अभाव में, वर्ष 2023-24 के लिए आईएफएल के वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निर्धारित करने में ऑडिट असमर्थ है।

ड. अन्य टिप्पणियाँ

ड.1 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) ने जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क लिमिटेड (एसोसिएट) में निवेश का मूल्यांकन 5.30 रुपये प्रति शेयर किया और 4.51 करोड़ रु. (85,04,288* 5.30 रुपये प्रति शेयर) का निवेश दिखाया और नियुक्त मूल्यांकक के मूल्यांकन के आधार पर 2.04 करोड़ रु. की हानि दर्ज की। आईएफसीआई वेंचर्स कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईएफसीआई लिमिटेड की एक अन्य सहायक कंपनी) ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एसोसिएट में अपने निवेश का मूल्यांकन 1.14 रुपये प्रति शेयर किया है।

लेखा-परीक्षा में इस मुद्दे को महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि आईएफसीआई लिमिटेड की दो समूह कंपनियों द्वारा एक ही एसोसिएट में किए गये निवेश के मूल्यांकन में काफी अंतर है, जिससे आईएफसीआई लिमिटेड के समेकित निवेश पर 3.54 करोड़ रु. {(5.30 प्रति शेयर घटा रु. 1.14 प्रति शेयर)* 85,04,288 शेयर} का प्रभाव पड़ा है।

ड.2 आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) की महत्वपूर्ण लेखा नीति सं. 1.17 (व्यापार प्राप्य) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि "कंपनी ने व्यापार प्राप्तयोग्य राशियों के अपेक्षित नुकसान की पहचान के लिए प्रावधान मैट्रिक्स पद्धति का उपयोग करके सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। प्रावधान मैट्रिक्स व्यापार प्राप्य के अपेक्षित समय को देखते हुए तीन साल के रोलिंग औसत डिफॉल्ट दरों पर आधारित है इसके अलावा, आईएफसीआई लिमिटेड की सामग्री लेखांकन नीति सं. एफ(ख)(vii) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि व्यापार प्राप्य और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, समूह हानि भत्ते को आजीवन अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर मापा गया है। यद्यपि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खराब/संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए 0.55 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई, आईआईडीएल ने उपरोक्त नीति का पालन नहीं किया क्योंकि अपेक्षित क्रेडिट घाटे को कम करने के लिए कोई औसत डिफॉल्ट दरें लागू नहीं की गईं।

इसलिए, उपर्युक्त लेखांकन नीति के अनुसार खराब/संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं हो पाया।

ड.3 यह भी पाया गया कि सीबीआई ने श्री शिवेंद्र तोमर, पूर्व एमडी (आईआईडीएल), श्री पी. श्रीनिवास, पूर्व एमडी (आईआईडीएल), मै. होलिस्टिक अर्बन इनोवेशन प्रा. लि. (एचयूआईपीएल) और अन्य अज्ञात व्यक्तियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और लोक सेवक द्वारा आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के संदिग्ध अपराध के लिए, एचयूआईपीएल को भारी मात्रा में अतिरिक्त भुगतान करने का मामला शामिल, के खिलाफ एफआईआर (29 नवंबर 2018) दर्ज की। इसके अलावा, 02 फरवरी 2022 के सीबीआई पत्र के संदर्भ में, आईएफसीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया) और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत आईएफसीआई लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री शिवेंद्र तोमर (पूर्व सीओडी/सीईओ/एमडी, आईआईडीएल) के खिलाफ जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी (29 अप्रैल 2022) से अवगत करा दिया है।

लेकिन उपरोक्त धोखाधड़ी का मामले और श्री शिवेंद्र तोमर, पूर्व एमडी (आईआईडीएल) के खिलाफ जांच करने के लिए सीबीआई को आईएफसीआई की मंजूरी का, जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वित्तीय विवरणों में खुलासा नहीं किया गया था। इस प्रकार, वित्तीय विवरण उस सीमा तक अपूर्ण है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान टिप्पणी सं. ग.1 में बताए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ड.4 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (नोट 37)

इंड. एस-37 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां) के पैरा 86 में यह निर्धारित किया गया है कि, “जब तक निपटान से किसी बहिर्वाह यानि आउटलो की संभावना समाप्त न हो, तब तक इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकस्मिक देयता की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण और जहां व्यावहारिक हो, आकस्मिक देयता के प्रत्येक वर्ग के लिए इसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान प्रकट करना होगा”।

लेखा-परीक्षा ने पाया कि आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय सही कर देयता घोषित नहीं करने के कारण व्यापार एवं कर विभाग से 99.62 लाख रु. की मांग का नोटिस प्राप्त हुआ। इस संबंध में आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड ने अतिरिक्त आयुक्त, अपील-1 दिल्ली-उत्तर के समक्ष अपील दायर की है और मामला 31 मार्च 2024 तक विचाराधीन था।

इसलिए, खाते-बहियों में आकस्मिक देयता के रूप में 99.62 लाख रु. दिखाए जाने चाहिए थे।

आकस्मिक देयता के तहत उपरोक्त का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयता में 99.62 लाख रु. की कमी आई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के लिए
और उनकी ओर से

(एस. अहलादिनी पांडा)
महानिदेशक लेखा-परीक्षा
(उद्योग एवं कॉर्पोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23 अगस्त 2024

अनुलग्नक-क

आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनियों के नाम, जिनका पूरक लेखा-परीक्षण किया गया।

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार
1.	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	सहायक
2.	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	सहायक
3.	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	सहायक
4.	एमपीकॉन लिमिटेड*	सहायक

*प्रमाणन प्रक्रियाधीन

आईएफसीआई लिमिटेड
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा
टिप्पणियों पर आईएफसीआई की समेकित टिप्पणियाँ

एओ सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
क.	समेकित लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ	
	लाभ-हानि विवरण	
क.1	कर पश्चात लाभ : 241.05 करोड़ रु.	
क.1.1	क्षति हानि-भत्ता : 3,811.24 करोड़ रु.	
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ ऋण (नोट 7): 1,363.15 करोड़ रु.	
	वर्ष के लिए क्षति हानि-भत्ता कम करके दिखाया गया है और वर्ष के लाभ को 249.97 करोड़ रु. अधिक करके दिखाया गया है, जैसा कि नीचे विस्तार से वर्णित है:	
(i)	आईएफसीआई ने ग्रैन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (जीईपीएल) को दिए गए ऋण के लिए 135.81 करोड़ रु. के बकाया मूलधन की वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से संपर्क किया, जिसके बाद एनसीएलटी ने (फरवरी 2021) परिसमापन प्रक्रिया का आदेश दिया। परिसमापन मूल्य 10.37 करोड़ रु. आंका गया और आईएफसीआई को परिसंपत्तियों के परिसमापन के बाद 14.79 करोड़ रु. प्राप्त हुए और इसे ब्याज में समायोजित किया गया। चूंकि आगे कोई वसूली अपेक्षित नहीं है, इसलिए आईएफसीआई को खाते-बहियों में 135.81 करोड़ रु. के बकाया मूलधन के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाने की आवश्यकता थी। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 97.24 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है। 38.57 करोड़ रु. (यानि 135.81 करोड़ रु. में से 97.24 करोड़ रु. घटाकर) के अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ते का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप लाभ को अधिक और क्षति हानि-भत्ते को 38.57 करोड़ रु. कम करके दिखाया गया है। टिप्पणी सं. क.1(ii) में, वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान इसका उल्लेख किये जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	इंड एस-109 के तहत, कंपनी द्वारा पोर्टफोलियो के आधार पर ईसीएल प्रावधान किया गया है यानि प्रत्येक ऋण पर व्यक्तिगत रूप से विचार किए बिना पोर्टफोलियो में औसत प्रावधान। नतीजतन, उच्च प्रावधान की जरूरत वाले ऋण और कम प्रावधान वाले ऋण एक पोर्टफोलियो दृष्टिकोण के तहत औसत हानि प्रदत्त डिफॉल्ट (एलजीडी) दर के अधीन है, जो 31.03.2024 तक 71.60% है। संबंधित अवलोकन में व्यक्तिगत ऋणों का एकल आधार पर आकलन किया गया है, जो पोर्टफोलियो दृष्टिकोण से भिन्न होगा। इसलिए, पोर्टफोलियो के आधार पर पहले से बनाए गए समग्र हानि भत्ते के अलावा कोई भी अतिरिक्त क्षति-भत्ता इंड एस सिद्धांतों के अनुपालन में नहीं होगा और इससे घाटे का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन होगा।
(ii)	एनसीएलटी के निर्णय और अनुमोदित (जून 2021) समाधान योजना के अनुसार। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) पर आईएफसीआई का दावा (1.03 प्रतिशत) 381.73 करोड़ रु. की बकाया राशि के मुकाबले अधिकतम 70.31 करोड़ रु. तक सीमित था। इसके अलावा, आईएफसीआई के अनुसार, सावधि जमाओं में 125 करोड़ रु. की राशि को लेनदारों को वितरण के लिए उचित नहीं माना गया और 302 करोड़ रु. की राशि को सुरक्षित दावों के बजाय असुरक्षित दावों के तहत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया। इसे कंपनी के पक्ष में मानते हुए, अधिकतम अतिरिक्त वसूली 4.40 करोड़ रु. (427 करोड़ रु. का 1.03 प्रतिशत) हुई। इस प्रकार, वीआईएल से वसूली योग्य अधिकतम राशि 381.73 करोड़ रु. की कुल बकाया राशि के मुकाबले केवल 74.71 करोड़ रु. (70.31 करोड़ रु. प्लस 4.40 करोड़ रु.) थी। इसलिए, कंपनी को अपने खातों में 307.02 करोड़ रु. (यानि, 381.73 करोड़ रु. में 74.71 करोड़ रु. घटाकर) की शेष राशि के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 219.83 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है।	इंड एस-109 के तहत, कंपनी द्वारा पोर्टफोलियो के आधार पर ईसीएल प्रावधान किया गया है यानि प्रत्येक ऋण पर व्यक्तिगत रूप से विचार किए बिना पोर्टफोलियो में औसत प्रावधान। नतीजतन, उच्च प्रावधान की जरूरत वाले ऋण और कम प्रावधान वाले ऋण एक पोर्टफोलियो दृष्टिकोण के तहत औसत हानि प्रदत्त डिफॉल्ट (एलजीडी) दर के अधीन है, जो 31.03.2024 तक 71.60% है। संबंधित अवलोकन में व्यक्तिगत ऋणों का एकल आधार पर आकलन किया गया है, जो पोर्टफोलियो दृष्टिकोण से भिन्न होगा। इसलिए, पोर्टफोलियो के आधार पर पहले से बनाए गए समग्र हानि भत्ते के अलावा कोई भी अतिरिक्त क्षति-भत्ता इंड एस सिद्धांतों के अनुपालन में नहीं होगा और इससे घाटे का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन होगा।

एओ सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
	87.19 करोड़ रु. (यानि, 307.02 करोड़ रु. घटा 219.83 करोड़ रु.) के अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ते का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप लाभ को 87.19 करोड़ रु. से अधिक और क्षति हानि-भत्ते को कम करके दिखाया गया है। टिप्पणी सं. क.1 (iii), क.1(i) और क.1(iv) में, क्रमशः वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान बताए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	
(iii)	उपरोक्त में मेसर्स पायनियर गैस पावर लिमिटेड (पीजीपीएल) के विरुद्ध 434.72 करोड़ रु. का मूल बकाया शामिल है, जो 31 मार्च 2018 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। आईएफसीआई के पास अन्य ऋणदाताओं के साथ-साथ पीजीपीएल की परिसंपत्तियों पर प्रथम समतुल्य प्रभार के तौर पर सिक्क्योरिटी है। दो मूल्यांकनकर्ताओं की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट (जून 2023) के अनुसार, परियोजना का उचित मूल्य 846.24 करोड़ रु. (इन-सीटू मूल्यांकन¹) और 367.82 करोड़ रु. (एक्स-सीटू मूल्यांकन²) निकला। इसके अलावा, यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि कंपनी ने जून 2022 में संपूर्ण परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार 375 करोड़ रु. के आरक्षित मूल्य को मंजूरी दी थी। हालाँकि, यह आगे नहीं बढ़ सका और नए मूल्यांकन के लिए कहा गया (मई 2023)। चूंकि आईएफसीआई की 28.02 प्रतिशत हिस्सेदारी पर विचार करते हुए सिक्क्योरिटी का अधिकतम उचित मूल्य 846.24 करोड़ रु. है, इसलिए अधिकतम संभावित वसूली 237.12 करोड़ रु. (846.24 करोड़ रु. का 28.02 प्रतिशत) है। इसलिए, कंपनी को अपने लेखा-पुस्तकों में 197.60 करोड़ रु. (यानि 434.72 करोड़ रु. में से 237.12 करोड़ रु. घटाकर) की शेष राशि के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 141.48 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है। 56.12 करोड़ रु. (यानि 197.60 करोड़ रु. में से 141.48 करोड़ रु. घटाकर) के अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ते का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप लाभ को अधिक दर्शाया गया है और क्षति हानि-भत्ते को 56.12 करोड़ रु. से कम दर्शाया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान टिप्पणी सं. क.1(i) में इसका उल्लेख किये जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। ¹ मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 'इन-सीटू मूल्यांकन' का अर्थ है - उस स्थल पर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन को मानना, जहाँ वे अभी हैं। ² मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 'एक्स-सीटू मूल्यांकन' का अर्थ है - मौजूदा स्थल से हटाई गई परिसंपत्तियों को दूसरे स्थान पर फिर से स्थापित करना (जिसमें अतिरिक्त लागत शामिल है)	इंड एस-109 के तहत, कंपनी द्वारा पोर्टफोलियो के आधार पर ईसीएल प्रावधान किया गया है यानि प्रत्येक ऋण पर व्यक्तिगत रूप से विचार किए बिना पोर्टफोलियो में औसत प्रावधान। नतीजतन, उच्च प्रावधान की जरूरत वाले ऋण और कम प्रावधान वाले ऋण एक पोर्टफोलियो दृष्टिकोण के तहत औसत हानि प्रदत्त डिफॉल्ट (एलजीडी) दर के अधीन है, जो 31.03.2024 तक 71.60% है। संबंधित अवलोकन में व्यक्तिगत ऋणों का एकल आधार पर आकलन किया गया है, जो पोर्टफोलियो दृष्टिकोण से भिन्न होगा। इसलिए, पोर्टफोलियो के आधार पर पहले से बनाए गए समग्र हानि भत्ते के अलावा कोई भी अतिरिक्त क्षति-भत्ता इंड एस सिद्धांतों के अनुपालन में नहीं होगा और इससे घाटे का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन होगा।
(iv)	उपरोक्त में लिज ट्रेडर्स एंड एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएपीएल) के विरुद्ध 90.94 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है। एलटीएपीएल की चूक के कारण, निपटान पेशेवर (आरपी) के समक्ष मामला दायर किया गया था। आरपी ने सूचित किया कि कॉर्पोरेट देनदार में सिक्क्योरिटी और वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा कोई अन्य संपत्ति नहीं है और पिछले 3-4 वर्षों से कोई व्यवसाय नहीं किया गया है। यह देखा गया कि आईएफसीआई के पास केवल कोल्लम, केरल में एक संपत्ति का पूर्ण प्रभार है, जिसका उचित मूल्य (मार्च 2024) केवल 13.47 करोड़ रु. है। चूंकि आईएफसीआई के पास कोई अन्य सिक्क्योरिटी उपलब्ध नहीं है, इसलिए कंपनी को अपने खाता-पुस्तकों में 77.47 करोड़ रु. (यानि, 90.94 करोड़ रु. माइनस 13.47 करोड़ रु.) की शेष	इंड एस-109 के तहत, कंपनी द्वारा पोर्टफोलियो के आधार पर ईसीएल प्रावधान किया गया है यानि प्रत्येक ऋण पर व्यक्तिगत रूप से विचार किए बिना पोर्टफोलियो में औसत प्रावधान। नतीजतन, उच्च प्रावधान की जरूरत वाले ऋण और कम प्रावधान वाले ऋण एक पोर्टफोलियो दृष्टिकोण के तहत औसत हानि प्रदत्त डिफॉल्ट (एलजीडी) दर के अधीन है, जो 31.03.2024 तक 71.60% है। संबंधित अवलोकन में व्यक्तिगत ऋणों का एकल आधार पर आकलन किया गया है, जो पोर्टफोलियो दृष्टिकोण से भिन्न होगा। इसलिए, पोर्टफोलियो के आधार पर पहले से बनाए गए समग्र हानि भत्ते के अलावा कोई भी अतिरिक्त क्षति-भत्ता इंड एस सिद्धांतों के अनुपालन में नहीं होगा और इससे घाटे का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन होगा।

एओ सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
	राशि के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाने की आवश्यकता थी। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 55.47 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की हानि हानि भत्ता है। 22 करोड़ रु. (यानि 77.47 करोड़ रु. में से 55.47 करोड़ रु. घटाकर) का अतिरिक्त हानि हानि भत्ता न बनाए जाने के परिणामस्वरूप लाभ को अधिक दर्शाया गया है और क्षति हानि-भत्ते को 22 करोड़ रु. कम दर्शाया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान टिप्पणी सं. क.1 (vii) और क.1(v) में इंगित किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	
(v)	उपरोक्त में आर्कोटिक लिमिटेड के विरुद्ध 59.21 करोड़ रु. का मूल बकाया शामिल है। कंपनी द्वारा की गई चूक के कारण, आईएफसीआई ने बकाया राशि की वसूली के लिए दिवालियापन याचिका दायर की (अप्रैल 2019)। हालांकि, कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में प्राथमिकता शुल्क के कमजोर पड़ने के कारण, आईएफसीआई ने एनसीएलटी से इसे वापस ले लिया (अगस्त 2022)। आईएफसीआई के पास बावल (हरियाणा) में संपत्ति पर विशेष प्रथम प्रभार है, जिसका संकटकालीन बिक्री मूल्य 99.24 करोड़ रु. (फरवरी 2024) है और कंपनी ने 15 मार्च 2022 को इसका कब्जा ले लिया। हालांकि, संपत्ति की बिक्री के लिए आईएफसीआई के प्रयास आगे नहीं बढ़ पाए हैं क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के नेतृत्व में कार्यशील पूंजी उधारदाताओं ने सलाह दी है कि वे एसएआरएफईएसआई अधिनियम के तहत नीलामी का समर्थन नहीं करते हैं। इसलिए, इसे तब तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि एसएआरएफईएसआई अधिनियम की धारा 139(9) की आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम 60 प्रतिशत उधारदाता सहमत न हों। जबकि आईएफसीआई के पास केवल 14.33 प्रतिशत मतदान अधिकार है। आईएफसीआई को कंपनी से ग्लिक्स सिन्धोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है (16 दिसंबर 2022) जिसमें आईएफसीआई का हिस्सा 41.64 करोड़ रु. है जिसे सितंबर 2023 में पीएनबी (प्रमुख बैंक) द्वारा अनुमोदित किया गया था। आईएफसीआई को दिसंबर 2022 (1.58 करोड़ रु.) और दिसंबर 2023 (0.50 करोड़ रु.) के दौरान 2.08 करोड़ रु. (41.64 करोड़ रु. का 5 प्रतिशत) प्राप्त हुआ है। चूंकि 59.21 करोड़ रु. के कुल बकाया के मुकाबले वसूली की अधिकतम संभावना केवल 41.64 करोड़ रु. है, इसलिए कंपनी को अपने खाते-बहियों में 17.57 करोड़ रु. (59.21 करोड़ रु. माइनस 41.64 करोड़ रु.) की शेष राशि के लिए हानि हानि भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के खिलाफ 12.58 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है। 4.99 करोड़ रु. (यानि 17.57 करोड़ रु. माइनस 12.58 करोड़ रु.) का अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ता न बनाए जाने के परिणामस्वरूप लाभ अधिक दर्शाया गया है और क्षति हानि-भत्ते को 4.99 करोड़ रु. कम दर्शाया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, टिप्पणी सं. क.1(vi) के तहत उल्लेख किये जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	इंड एस-109 के तहत, कंपनी द्वारा पोर्टफोलियो के आधार पर ईसीएल प्रावधान किया गया है यानि प्रत्येक ऋण पर व्यक्तिगत रूप से विचार किए बिना पोर्टफोलियो में औसत प्रावधान। नतीजतन, उच्च प्रावधान की जरूरत वाले ऋण और कम प्रावधान वाले ऋण एक पोर्टफोलियो दृष्टिकोण के तहत औसत हानि प्रदत्त डिफॉल्ट (एलजीडी) दर के अधीन है, जो 31.03.2024 तक 71.60% है। संबंधित अवलोकन में व्यक्तिगत ऋणों का एकल आधार पर आकलन किया गया है, जो पोर्टफोलियो दृष्टिकोण से भिन्न होगा। इसलिए, पोर्टफोलियो के आधार पर पहले से बनाए गए समग्र हानि भत्ते के अलावा कोई भी अतिरिक्त क्षति-भत्ता इंड एस सिद्धांतों के अनुपालन में नहीं होगा और इससे घाटे का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन होगा।
(vi)	उपरोक्त में सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के विरुद्ध 63.43 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है। रिकॉर्डों के अनुसार, सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से संबंधित समाधान-निपटान योजना समाप्त हो गई थी और मामला परिसमापन में चला गया था। परिसमापन मूल्य 234	इंड एस-109 के तहत, कंपनी द्वारा पोर्टफोलियो के आधार पर ईसीएल प्रावधान किया गया है यानि प्रत्येक ऋण पर व्यक्तिगत रूप से विचार किए बिना पोर्टफोलियो में औसत प्रावधान। नतीजतन, उच्च प्रावधान की जरूरत वाले ऋण और कम प्रावधान वाले ऋण एक पोर्टफोलियो दृष्टिकोण के तहत औसत हानि

एओ सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
	करोड़ रु. निकाला गया और परिसमापन के मामले में आईएफसीआई का हिस्सा केवल 0.17 करोड़ रु. है। इसके अलावा, आईएफसीआई के पास 33.05 करोड़ रु. मूल्य की प्रतिभूतियों का प्रभार है। चूंकि 63.43 करोड़ रु. की कुल बकाया राशि के मुकाबले अधिकतम संभावित वसूली 33.22 करोड़ रु. (यानि 0.17 करोड़ रु. प्लस 33.05 करोड़ रु.) है, इसलिए कंपनी को अपने खाते-बहियों में 30.21 करोड़ रु. (यानि 63.43 करोड़ रु. माइनस 33.22 करोड़ रु.) की शेष राशि के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के मुकाबले 21.63 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है। 8.58 करोड़ रु. (यानि 30.21 करोड़ रु. माइनस 21.63 करोड़ रु.) के अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ते का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप लाभ अधिक और क्षति हानि-भत्ते को 8.58 करोड़ रु. कम करके दिखाया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः टिप्पणी सं. क.1(iv), क.1(vi) और क.1(ix) में इसका उल्लेख किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। ³पटना में 12.7 एकड़ का भूमि खंड 22.10 करोड़ रु. (मार्च 2024) और मेसर्स नॉर्थ बिहार हाईवे लिमिटेड के गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर 10.95 करोड़ रु.।	प्रदत्त डिफॉल्ट (एलजीडी) दर के अधीन है, जो 31.03.2024 तक 71.60% है। संबंधित अवलोकन में व्यक्तिगत ऋणों का एकल आधार पर आकलन किया गया है, जो पोर्टफोलियो दृष्टिकोण से भिन्न होगा। इसलिए, पोर्टफोलियो के आधार पर पहले से बनाए गए समग्र हानि भत्ते के अलावा कोई भी अतिरिक्त क्षति-भत्ता इंड एसस सिद्धांतों के अनुपालन में नहीं होगा और इससे घाटे का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन होगा।
(vii)	31 मार्च 2024 तक मधुकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमआईएल) के खिलाफ बकाया मूलधन 120 करोड़ रु. था। कंपनी ने अपने पास उपलब्ध प्रतिभूतियों के आधार पर अधिकतम वसूली योग्य राशि 31.43 करोड़ रु. आंकी और तदनुसार 70 करोड़ रु. के एक-मुश्त सेटलमेंट (ओटीएस) के लिए सहमत हुई (जनवरी 2020), जिसे एमआईएल ने पूरा नहीं किया। इसलिए, कंपनी ने ओटीएस को रद्द कर दिया (दिसंबर 2020)। एमआईएल द्वारा 51 करोड़ रु. (व्याज के 3 करोड़ रु. सहित) का एक नया ओटीएस प्रस्ताव पेश किया गया (26 अगस्त 2022) और आईएफसीआई को उक्त निपटान-समाधान के खिलाफ वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 31.50 करोड़ रु. प्राप्त हुए, जिसे 2023-24 के दौरान बकाया मूलधन के खिलाफ समायोजित किया गया है। तदनुसार, 120 करोड़ रु. की कुल बकाया राशि के विरुद्ध अधिकतम संभावित वसूली केवल 19.50⁴ करोड़ रु. (अर्थात 51 करोड़ रु. में से 31.50 करोड़ रु.) है। इसलिए, कंपनी को अपने खाते-बहियों में 100.50 करोड़ रु. (अर्थात 120 करोड़ रु. माइनस 19.50 करोड़ रु.) की शेष राशि के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 71.96 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है। 28.54 करोड़ रु. (अर्थात 100.50 करोड़ रु. में से 71.96 करोड़ रु. घटाकर) का अतिरिक्त हानि हानि भत्ता न बनाने के परिणामस्वरूप लाभ को अधिक दर्शाया गया है और क्षति हानि-भत्ते को 28.54 करोड़ रु. कम दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः टिप्पणी सं. क.1 (i), क.1(v) और क.1 (iii) के माध्यम से बताए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। ⁴आईएफसीआई को भी अप्रैल 2024 के दौरान 9.50 करोड़ रु. प्राप्त हुए।	इंड एस-109 के तहत, कंपनी द्वारा पोर्टफोलियो के आधार पर ईसीएल प्रावधान किया गया है यानि प्रत्येक ऋण पर व्यक्तिगत रूप से विचार किए बिना पोर्टफोलियो में औसत प्रावधान। नतीजतन, उच्च प्रावधान की जरूरत वाले ऋण और कम प्रावधान वाले ऋण एक पोर्टफोलियो दृष्टिकोण के तहत औसत हानि प्रदत्त डिफॉल्ट (एलजीडी) दर के अधीन है, जो 31.03.2024 तक 71.60% है। संबंधित अवलोकन में व्यक्तिगत ऋणों का एकल आधार पर आकलन किया गया है, जो पोर्टफोलियो दृष्टिकोण से भिन्न होगा। इसलिए, पोर्टफोलियो के आधार पर पहले से बनाए गए समग्र हानि भत्ते के अलावा कोई भी अतिरिक्त क्षति-भत्ता इंड एसस सिद्धांतों के अनुपालन में नहीं होगा और इससे घाटे का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन होगा।

एओ सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
(viii)	उपरोक्त में मेसर्स एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड (एसीसीआईएल) के विरुद्ध 72.02 करोड़ रु. का बकाया मूलधन शामिल है, जो सितंबर 2016 में गैर-निष्पादित परिसम्पतियों में बदल गया। एसीसीआईएल को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में स्वीकार किया गया (20 अगस्त 2018) और 19 अक्टूबर 2020 के आदेश के अनुसार इसका निपटान-समाधान किया गया। आईएफसीआई को समाधान योजना (आरपी) के अनुसार 5.02 करोड़ रु. का हिस्सा प्राप्त हुआ। हालांकि आईएफसीआई ने आरपी से असहमति जताई थी, लेकिन एनसीएलटी द्वारा अनुमोदन के मद्देनजर यह योजना सभी लेनदारों के लिए बाध्यकारी थी। इसके अलावा, आईएफसीआई के पास फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित होटल पार्क प्लाजा के विशेष बंधक के रूप में सिक्योरिटी है, जिसका उचित बाजार मूल्य 58.04 करोड़ रु. (फरवरी 2022) है और अनुमोदित आरपी के उपबन्धों के अनुसार होटल सम्पत्ति के प्रति आईएफसीआई के अधिकार सुरक्षित किया गया। आईएफसीआई ने कई मौकों पर बंधक सम्पत्ति की बिक्री का प्रस्ताव किया परन्तु कोई बोली प्राप्त नहीं हुई इसके अलावा, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी है (दिसंबर 2021)। आईएफसीआई ने प्राप्य के असाइनमेंट का भी प्रयास किया, जिसका अंतिम असाइनमेंट 43 करोड़ रु. का था, हालांकि यह सफल नहीं हुआ। तदनुसार, एसीसीआईएल से वसूली योग्य अधिकतम राशि 58.04 करोड़ रु. है। इसलिए, कंपनी को अपने खाते-बहियों में 13.98 करोड़ रु. (72.02 करोड़ रु. से 58.04 करोड़ रु. घटाकर) की शेष राशि के लिए क्षति हानि-भत्ता बनाना आवश्यक था। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास उक्त ऋण खाते के विरुद्ध 10 करोड़ रु. (71.60 प्रतिशत) की क्षति हानि-भत्ता है। 3.98 करोड़ रु. (यानि, 13.98 करोड़ रु. माइनस 10 करोड़ रु.) के अतिरिक्त क्षति हानि-भत्ते का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप लाभ अधिक और क्षति हानि-भत्ते को 3.98 करोड़ रु. कम करके दिखाया गया है।	इंड एस-109 के तहत, कंपनी द्वारा पोर्टफोलियो के आधार पर ईसीएल प्रावधान किया गया है यानि प्रत्येक ऋण पर व्यक्तिगत रूप से विचार किए बिना पोर्टफोलियो में औसत प्रावधान। नतीजतन, उच्च प्रावधान की जरूरत वाले ऋण और कम प्रावधान वाले ऋण एक पोर्टफोलियो दृष्टिकोण के तहत औसत हानि प्रदत्त डिफॉल्ट (एलजीडी) दर के अधीन है, जो 31.03.2024 तक 71.60% है। संबंधित अवलोकन में व्यक्तिगत ऋणों का एकल आधार पर आकलन किया गया है, जो पोर्टफोलियो दृष्टिकोण से भिन्न होगा। इसलिए, पोर्टफोलियो के आधार पर पहले से बनाए गए समग्र हानि भत्ते के अलावा कोई भी अतिरिक्त क्षति-भत्ता इंड एस सिद्धांतों के अनुपालन में नहीं होगा और इससे घाटे का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन होगा।
(ix)	सितंबर 2016 के आरबीआई मास्टर निर्देशों के अनुसार, कंपनी को उस सीमा तक 100 प्रतिशत प्रावधान करना आवश्यक है, जहां तक अग्रिम राशि सिक्योरिटी के वसूली योग्य मूल्य द्वारा कवर नहीं की जाती है तथा तीन वर्षों से अधिक समय से पड़े संदिग्ध ऋण के सुरक्षित हिस्से के लिए 50 प्रतिशत प्रावधान करना आवश्यक है। आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल, आईएफसीआई लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) ने पैन इंडिया इफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीआईआईपीएल) को 14.50 करोड़ रु. का अल्पकालिक ऋण स्वीकृत किया (अक्टूबर 2015), जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भयदर (पश्चिम) तालुका व जिला में गैर-कृषि - 195.93 एकड़ भूमि पर समरूप प्रथम प्रभार से सुरक्षित है, जिसका स्वामित्व अन्य ऋणदाताओं के साथ एस्सेलइंद्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (ईआईपीएल - थर्ड पार्टी सिक्योरिटी) के पास है। ऋण खाते को जून 2019 में एनपीए घोषित किया गया और 31 मार्च 2024 तक बकाया राशि 6.58 करोड़ रु. थी। कंपनी ने खाते-बहियों में ऋण के विरुद्ध 3.30 करोड़ रु. (यानि, 6.6 करोड़ रु.*50%) का प्रावधान किया है। पीआईआईपीएल को एनसीएलटी (जुलाई 2020) में ले जाया गया और इसका परिसमापन करने का आदेश दिया गया (अक्टूबर 2023)। आईएफएल बोर्ड एजेंडा (फरवरी 2024) के अनुसार, परिसमापन प्रक्रिया से कुछ भी आय प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आईएफएल पीआईआईपीएल का असुरक्षित लेनदार है। आगे यह भी	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) से संबंधित है। आईएफएल के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत उत्तर इस प्रकार है: इस मामले में, 31/03/2024 तक, गिरवी रखी गई संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य 363.68 करोड़ रु. है, जिसमें से आईएफएल का आनुपातिक हिस्सा 6.6 करोड़ रु. के बकाया के मुकाबले 7.06 करोड़ रु. था। तदनुसार, 31/03/2024 तक, पूरी बकाया राशि सुरक्षित थी। चूंकि खाते को संदिग्ध बताये जाने के बाद से 3 साल से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए आईएफएल को सुरक्षित हिस्से के 50% की सीमा तक प्रावधान करने की आवश्यकता थी। इसलिए, आईएफएल ने बकाया राशि का 50% यानि 3.3 करोड़ रु. का प्रावधान किया। इसके साथ ही अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सुरक्षा मूल्य 4.23 करोड़ रु. उल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अवलोकन में संदर्भित 4.23 करोड़ रु. का आंकड़ा गिरवी रखी गई संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य नहीं है, बल्कि आरक्षित मूल्य है। प्रावधान की गणना करने के लिए, आईएफएल ने आरबीआई मास्टर निर्देशों द्वारा निर्धारित प्रतिभूति के वास्तविक मूल्य पर विचार किया।

एओ सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
	उल्लेख किया गया कि गिरवी रखी गई संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य 363.68 करोड़ रु. है, जिसमें से आईएफएल का आनुपातिक हिस्सा 7.06 करोड़ रु. (1.94%) था। 40% की अतिरिक्त छूट के साथ, वसूली योग्य मूल्य 4.23 करोड़ रु. अनुमानित किया गया था, जिसे आईएफएल द्वारा उक्त खाते की बिक्रीअसाइनमेंट के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेने की स्थिति में आरक्षित मूल्य माना गया। तदनुसार, कंपनी को आरबीआई के निर्देशों के अनुसार 4.45 करोड़ रु.⁵ (यानि 2.35 करोड़ रु. + 2.1 करोड़ रु.) का प्रावधान करना आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप क्षति हानि-भत्ते में कमी आयी तथा वर्ष की हानि को 1.15 करोड़ रु. (अर्थात 4.45 करोड़ रु. में से 3.30 करोड़ रु. घटाकर) कम करके दर्शाया गया। ⁵अप्रतिभूत ऋण 2.35 करोड़ रु. (6.58 करोड़ रु. - 4.23 करोड़ रु. वसूली योग्य मूल्य) और 4.23 करोड़ रु. का 50% = 2.21 करोड़ रु.	
क.1.2 निवेश (नोट 8): 8,677.93 करोड़ रु.		
(i)	उपरोक्त में ईकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ईआईएल) के इक्विटी शेयरों (यानि, 14,00,000 शेयरों की सं. / 20 रुपये प्रति शेयर) में 2.80 करोड़ रु. का निवेश शामिल है। हालांकि, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के ईआईएल के वित्तीय विवरणों के आधार पर नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रति शेयर उचित मूल्य 0.20 रुपये प्रति शेयर है। तदनुसार, ईआईएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 0.03 करोड़ रु. (यानि, 14,00,000 शेयर / 0.20 रुपये प्रति शेयर) होना चाहिए था। प्रति शेयर नवीनतम मूल्य पर विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवेश और लाभ को 2.77 करोड़ रु. (यानि, 2.80 करोड़ रु. घटा 0.03 करोड़ रु.) से अधिक दर्शाया गया।	तब से उचित मूल्य को जून-2024 के होल्डिंग विवरण में अपडेट कर दिया गया है।
(ii)	आईएफसीआई ने जाम खंडी शुगर्स लिमिटेड (जेकेएसएल) के 10 लाख इक्विटी शेयरों में शून्य निवेश दिखाया है। हालांकि, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए जेकेएसएल के वित्तीय विवरणों के आधार पर नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रति शेयर उचित मूल्य 13.17 रुपये प्रति शेयर है। तदनुसार, जेकेएसएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 1.32 करोड़ रु. (यानि 10,00,000 शेयर / 13.17 रुपये प्रति शेयर) होना चाहिए था। प्रति शेयर नवीनतम उपलब्ध मूल्यांकन पर विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवेश और लाभ को 1.32 करोड़ रु. कम करके दिखाया गया है।	तब से उचित मूल्य को जून-2024 के होल्डिंग विवरण में अपडेट कर दिया गया है।
(iii)	आईएफसीआई ने मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएसईआईएल) में अपने 7,18,75,000 इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन दो मूल्यांकनकर्ताओं अर्थात फाइडेम कॉरपोरेट एडवाइजर्स एलएलपी और ओमनीफिन वैल्यूएशन सर्विसेज पी लिमिटेड से रु. 0.37 प्रति शेयर और रु. 0.42 प्रति शेयर पर करवाया, जिसमें कुल निवेश क्रमशः 2.66 करोड़ रु.⁶ और 3.02 करोड़ रु.⁷ था। दोनों मूल्यांकनों में 31 मार्च 2023 तक एमएसईआईएल की वित्तीय स्थिति के आधार पर प्रति शेयर मूल्य निकाला गया। हालांकि, आईएफसीआई ने 0.42 प्रति शेयर के मूल्य पर विचार किया और एमएसईआईएल में अपने निवेश का मूल्यांकन 3.02 करोड़ रु. किया, जो पारम्परिक सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार, कंपनी ने वर्ष के लिए अपने निवेश और लाभ को 0.36 करोड़ रु. (यानि, 3.02 करोड़ रु. माइनस 2.66 करोड़ रु.) से अधिक बताया है। ⁶7,18,75,000 शेयर / 0.37 रु. प्रति शेयर ⁷7,18,75,000 शेयर / 0.42 रु. प्रति शेयर	वित्त वर्ष 2025 के दौरान उचित मूल्य को संशोधित कर 0.37 रु. प्रति शेयर कर दिया जाएगा।

एओ सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
(iv)	खातों पर नोटों के नोट सं. 52(बी) का संदर्भ आमंत्रित किया जाए, जिसमें कहा गया है कि, “संबंधित परिचालन विभाग प्रत्येक तिमाही रिपोर्टिंग अवधि के लिए बाहरी या आंतरिक रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए आवश्यक वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन करते हैं”। हालाँकि, 36 मामलों⁶ में, निवेश मूल्य पिछली तारीखों पर उचित मूल्यांकन पर आधारित था, न कि रिपोर्टिंग तिथि यानि 31 मार्च 2024 पर। इसके अलावा, लेखा नोट्स में इस आशय का कोई खुलासा नहीं किया गया था। 31 मार्च 2024 तक उचित मूल्य के अभाव में कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान, टिप्पणी सं. क.2, क.1.2(ii) और क.1.2(ख) में, इंगित किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। ⁶आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (मार्च 2023), एथेना इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (मार्च 2023), अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड (मार्च 2023), कैमको स्टील लिमिटेड (मार्च 2023), फॉरवर्ड टेलीविजन लिमिटेड (मार्च 2023), गैस एंड पावर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (मार्च 2023), गिरनार फाइबर लिमिटेड (मार्च 2017), जीआर सोल्वेंट्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (मार्च 2023), ग्राहम फर्थ स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (मार्च 2023), गुजरात कम्पोजिट लिमिटेड (मार्च 2023), एचपीसीएल मितल एनर्जी लिमिटेड (दिसंबर 2022), आईपीआई स्टील्स लिमिटेड (मार्च 2023), कैपीआर टेलीप्रोडक्ट्स लिमिटेड (मार्च 2023), केलटॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड (मार्च 2022), मध्य भारत पेपर्स लिमिटेड (मार्च 2023), नागालैंड रोलर लोर मिल्स लिमिटेड (मार्च 2023), निमाडू टेक्सटाइल्स लिमिटेड (मार्च 2023), न्यूटेक पैकेजिंग लिमिटेड (मार्च 2022), ओसीएम प्राइवेट लिमिटेड (मार्च 2023), पाटिल अटलांटिक फोर्स सुनम लिमिटेड (मार्च 2023), राजपुताना फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (मार्च 2023), साईरायलसीमा पेपर मिल्स लिमिटेड (मार्च 2022), सत्यकमल एग्रोस लिमिटेड (मार्च 2023), श्री सतपुड़ा तापीपरिसर एसएसके लिमिटेड (खुलासा नहीं किया गया), श्री भगवती ब्राइट बार्स लिमिटेड (मार्च 2023), सदर्न विंड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड (मार्च 2023), सुपर सिंकोटेक्स इंडिया लिमिटेड (मार्च 2023), तमिलनाडु इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (मार्च 2023), यूनियाल्कैम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (मार्च 2020), उत्तम गैल्वा मेटालिक्स लिमिटेड (मार्च 2023), वीनस शुगर लिमिटेड (मार्च 2023), विलियर्ड इंडिया लिमिटेड (मार्च 2023) और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएसईआईएल)	पिछले वर्षों की टिप्पणियों के अनुपालन में, अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के आधार पर मार्च 2024 में 36 मामलों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया आयोजित की गई थी। यह एक सामान्य अभ्यास है, क्योंकि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए निवेशित कंपनियों के वित्तीय विवरण रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध नहीं है। कुछ निवेशित कंपनियों में, पिछले वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण भी उपलब्ध नहीं है। रिपोर्टिंग तिथि तक निवेशित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की अनुपस्थिति में, मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरणों को अपनाया जाता है।
(v)	उपरोक्त में आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईवीसीएफ, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) द्वारा बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल) में दो लाख शेयरों में किए गए निवेश का मूल्य 1.10 करोड़ रु. (यानि, 2,00,000 शेयर* रु. 55.20 प्रति शेयर) शामिल नहीं है। बीसीआईएल में निवेश का मूल्य वित्त वर्ष 2016-17 से ‘शून्य’ दिखाया गया है। आईएफसीआई लिमिटेड (आईवीसीएफएल की मूल कंपनी) ने बीसीआईएल के शेयरों का मूल्यांकन (फरवरी 2024) रु. 55.20 प्रति शेयर किया। इसलिए, 31 मार्च 2024 तक आईवीसीएफएल के खातों में निवेश का मूल्य 1.10 करोड़ रु. है। इसके परिणामस्वरूप निवेश 1.10 करोड़ रु. कम और वर्ष के लाभ को इतनी ही राशि से कम दिखाया गया।	आईवीसीएफ से संबंधित है। आईवीसीएफ के प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर इस प्रकार है: बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल) में आईएफसीआई वेंचर की शेयरधारिता का मूल्य आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुरूप जून 2024 को समाप्त तिमाही की खाता-पुस्तकों में अद्यतन किया गया है।

एओ सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
क.1.3 व्यापार प्राप्य (नोट सं. 6): 306.33 करोड़ रु.		
(i)	उपर्युक्त राशि में आईएफसीआई द्वारा ऋण खातों में किए गए रिफंड के कारण विभिन्न पक्षों के खिलाफ प्राप्य के रूप में दर्शाई गई 0.78 करोड़ रु. की राशि शामिल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोविड अवधि के दौरान ब्याज वाले हिस्से पर ब्याज वापस करने के निर्देश के बाद ऐसा हुआ। इस प्रकार, उपरोक्त राशि प्राप्य नहीं है क्योंकि इसे संबंधित पक्षों को वापस कर दिया गया है और ऋण खाते भी बंद कर दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य और वर्ष का लाभ 0.74 करोड़ रु. (अपेक्षित ऋण हानि में 0.04 करोड़ रु. के समायोजन के बाद) अधिक दर्शाया गया है।	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उपयुक्त सुधार किया जाएगा।
(ii)	उपरोक्त में आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) सूट के कॉर्पोरेट विविध देनदारों से संबंधित 0.11 करोड़ रु. शामिल है, जो सात वर्षों से अधिक समय से वसूली के लिए लंबित है। आईआईडीएल के निदेशक मंडल ने इसके अपलेखन के प्रस्ताव पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्देश (फरवरी 2023) दिया कि उपर्युक्त प्राप्ति-योग्य राशियों को अपलेखित नहीं किया जाना चाहिए और बकाया राशि की वसूली के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए। हालाँकि, कंपनी उपरोक्त प्राप्य राशियों में से कुछ भी वसूल नहीं कर पाई है। इसलिए, कंपनी को पारम्परिक लेखांकन सिद्धांत और बीते हुए समय को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आवश्यक प्रावधान बनाना चाहिए था। संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान को कम दिखाया गया है और व्यापार प्राप्य को 0.11 करोड़ रु. से अधिक दिखाया गया है। नतीजतन, वर्ष का लाभ भी 0.11 करोड़ रु. से अधिक दिखाया गया है। ^१भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज और ओएनजीसी लिमिटेड	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से संबंधित है। आईआईडीएल के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत उत्तर इस प्रकार है: वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के वित्तीय विवरण में 0.11 करोड़ रु. के संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया गया है।
क.2 परिसंपत्तियाँ: गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
क.2.1 इन्वेंटरी: 69.66 करोड़ रु.		
(i)	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) ने बेंगलुरु (फाइनेशियल सिटी बेंगलुरु लैंड) और उत्तर प्रदेश (रामप्रस्थ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स) में इन्वेंटरी का मूल्य क्रमशः 11.01 करोड़ रु. और 11.80 करोड़ रु. के बजाय 11.77 करोड़ रु. और 12.11 करोड़ रु. अधिक आंका, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के इन्वेंटरी और लाभ में 1.08 करोड़ रु. की अधिक वृद्धि हुई, साथ ही समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. पी(ए) (स्टॉक-इन-ट्रेड) का अनुपालन नहीं किया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि "इन्वेंट्री में भूमि शामिल है और इसका मूल्य लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, माना जाए"।	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से संबंधित है। आईआईडीएल के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया इस प्रकार है: वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के वित्तीय आंकड़ों में इसे सुधारा और अद्यतन किया गया है।
(ii)	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) ने अपनी एक संपत्ति का मूल्य 0.51 करोड़ रु. आंका। लेकिन उक्त संपत्ति स्वीकृत संपत्ति नहीं थी, मूल्यांकनकर्ता ने अपनी रिपोर्ट (27 मार्च 2024) में इसका उचित मूल्य शून्य माना था। इसलिए, उक्त संपत्ति का मूल्य शून्य माना जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप इन्वेंट्री और लाभ में 0.51 करोड़ रु. अधिक दिखाया गया है।	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से संबंधित है। आईआईडीएल के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया इस प्रकार है: वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के वित्तीय आंकड़ों में इसे सुधारा और अद्यतन किया गया है।

एओ सं. सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
क.3 देयताएं और इक्विटी: गैर-वित्तीय देयताएं क.3.1 आस्थगित कर देयताएं (निवल) – 208.47 करोड़ रु. (i) आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) ने 27.82 प्रतिशत¹¹ की लागू आयकर दर के बजाय 34.608 प्रतिशत¹⁰ की आयकर दर से वरीयता शेयरों पर प्राप्त होने वाले 1.06 करोड़ रु. के ब्याज पर आस्थगित कर देयता निर्धारित की। इसके परिणामस्वरूप 0.30 करोड़ रु. के स्थान पर 0.37 करोड़ रु. की आस्थगित कर देयता पैदा हो गई। ¹⁰वित्त-वर्ष 2017-18 तक लागू, कर दर 32%, अधिभार 12% और उपकर 3% ¹¹वित्त वर्ष 2018-19 से लागू, कर दर 25%, अधिभार 7% और उपकर 4% (ii) आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए 0.55 करोड़ रु. का प्रावधान किया। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43(बी) के अनुसार, खराब और संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान आयकर की गणना के लिए अस्वीकृत व्यय है। इसलिए, खराब व संदिग्ध ऋणों के प्रावधान पर 0.15 करोड़ रु. (0.55 करोड़ रु. / 27.82 प्रतिशत) की आस्थगित कर परिसंपत्ति बनाई जानी चाहिए थी। आस्थगित कर परिसंपत्ति का निर्माण न होने के परिणामस्वरूप आस्थगित कर देयता (शुद्ध) को 0.15 करोड़ रु. से अधिक दर्शाया गया है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप आस्थगित कर व्यय को अधिक दर्शाया गया है और लाभ को 0.22 करोड़ रु. (0.07 करोड़ रु. प्लस 0.15 करोड़ रु.) से कम दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, आस्थगित कर देयता भी 0.22 करोड़ रु. अधिक बताई गई है।	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से संबंधित है। आईआईडीएल के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया इस प्रकार है: वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के वित्तीय आंकड़ों में इसे सुधारा और अद्यतन किया जाएगा। आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से संबंधित है। आईआईडीएल के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया इस प्रकार है: वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के वित्तीय आंकड़ों में इसे सुधारा और अद्यतन किया गया है।
क.4 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लाभ-हानि का समेकित विवरण क.4.1 कुल समग्र आय – 575.38 करोड़ रु. अन्य समग्र आय – 334.33 करोड़ रु. ऐसी मदें जिन्हें एफवीटीओसीआई – इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा 693.39 करोड़ रु. (i) आईएफसीआई फैंक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल, आईएफसीआई लि. की सहायक कंपनी) की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों सं. 6(बी)(I) के अनुसार, अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में उचित मूल्य पर आंका जाता है और उसमें होने वाले परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) माना जाता है। उपरोक्त निवेश में 6.71 करोड़ रु. शामिल है, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) अर्थात् रेंथियॉन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (आरएआरई) द्वारा जारी 1,000 रुपये प्रति पूर्णतः चुकता 67150 सिक्क्योरिटी रसीदों (एसआर) का मूल्य है। उपरोक्त एसआर आरएआरई द्वारा 30 मार्च 2017 को आईएफएल द्वारा उसे सौंपे गए कोर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीईटीएल) के दबावग्रस्त ऋणों के बदले जारी किए गए थे। जैसा कि आरएआरई (जनवरी 2024) द्वारा सूचित किया गया है, 31 दिसंबर 2023 तक उपरोक्त एसआर का निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) 6.71 करोड़ रु. था। आईएफएल बोर्ड एजेंडा (नवंबर 2023) के अनुसार, आरएआरई एआरसी ने बताया है कि 5/8 वर्षों के बाद, उसे आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बकाया एसआर के खिलाफ प्रावधान करना पड़ सकता है	आईएफसीआई फैंक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) से संबंधित है। आईएफएल के प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर इस प्रकार है: भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण जोखिम का हस्तांतरण) निर्देश, 2021 के पैरा 7 के अनुसार, जिन एनबीएफसी कंपनियों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) का अनुपालन करना आवश्यक है, उन्हें इन निर्देशों और मानकों में से किसी भी तरह की विसंगति के मामले में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई एडवाइजरी) द्वारा जारी मानक और सुझाव का पालन रखना होगा। चूंकि, आईएफएल ने इंड एस – 109 के अनुसार उचित मूल्यांकन किया है, इसलिए आरबीआई के निर्देशों के अनुसार इंड एस – 109 के अनुपालन के अनुसार कोई भी अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया जाएगा।

एओ सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ															
	तदनुसार, आरएआरई एआरसी ने आईएफएल के बकाया एसआर को 4.43 करोड़ रु. (यानि 6.71 करोड़ रु. के अंकित मूल्य का लगभग 66%) के मूल्य पर खरीदने का प्रस्ताव रखा। इसलिए, 4.43 करोड़ रु. के बजाय 6.71 करोड़ रु. को एसआर का उचित मूल्य मानने के परिणामस्वरूप निवेश को अधिक दर्शाया गया और अन्य समग्र आय (ऋणात्मक शेष) को 2.28 करोड़ रु. (यानि 6.71 करोड़ रु. - 4.43 करोड़ रु.) कम दर्शाया गया।																
ख. समेकित वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ																	
ख.1. परिसंपत्ति - वित्तीय परिसंपत्तियाँ																	
नकद और नकद समतुल्य (नोट सं. 3) - 1298.10 करोड़ रु.																	
उपर्युक्त के अलावा बैंक बैलेंस (नोट सं. 4) - 3748.28 करोड़ रु.																	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (नोट सं. 9) - 1410.28 करोड़ रु.																	
(ii) आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) रिपोर्ट करने योग्य दो खंडों में काम करती है, अर्थात आईआईडीएल मुख्यालय में रियल एस्टेट सेगमेंट और आईआईडीएल सुइट्स में हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट। 31 मार्च 2024 तक, आईआईडीएल सुइट्स के पास आईडीबीआई बैंक में 17 सावधि जमा (एफडी) है, जिनकी कुल राशि 9.63 करोड़ रु. है। लेकिन, इन एफडी का वर्गीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के डिवीजन-II इंड-एस अनुसूची-III में वर्णित मार्गदर्शन नोट के खंड 8.1.11 और 8.1.16 के अनुसार नहीं किया गया है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से संबंधित है। आईआईडीएल के प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर इस प्रकार है-	इसे आईआईडीएल सुइट्स के वित्तीय विवरणों के साथ-साथ वित्त वर्ष 2024-25 की तिमाही-1 के स्टैंडअलोन/समेकित आईआईडीएल वित्तीय विवरणों में पुनर्वर्गीकृत और अपडेट किया गया है।															
<table><tr><th>एफडी का वर्गीकरण</th><th>बैलेंस शीट में वर्गीकृत राशि (करोड़ रु.)</th><th>जो राशि वर्गीकृत होनी थी (करोड़ रु.)</th></tr><tr><td>3 महीने से कम परिपक्वता वाली एफडी</td><td>शून्य</td><td>0.70</td></tr><tr><td>3 से 12 महीने के बीच परिपक्वता वाली एफडी</td><td>3.56</td><td>5.76</td></tr><tr><td>12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली एफडी</td><td>6.07</td><td>3.17</td></tr><tr><td>जोड़</td><td>9.63</td><td>9.63</td></tr></table>	एफडी का वर्गीकरण	बैलेंस शीट में वर्गीकृत राशि (करोड़ रु.)	जो राशि वर्गीकृत होनी थी (करोड़ रु.)	3 महीने से कम परिपक्वता वाली एफडी	शून्य	0.70	3 से 12 महीने के बीच परिपक्वता वाली एफडी	3.56	5.76	12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली एफडी	6.07	3.17	जोड़	9.63	9.63		
एफडी का वर्गीकरण	बैलेंस शीट में वर्गीकृत राशि (करोड़ रु.)	जो राशि वर्गीकृत होनी थी (करोड़ रु.)															
3 महीने से कम परिपक्वता वाली एफडी	शून्य	0.70															
3 से 12 महीने के बीच परिपक्वता वाली एफडी	3.56	5.76															
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली एफडी	6.07	3.17															
जोड़	9.63	9.63															
उपर्युक्त गलत वर्गीकरण के कारण, चालू परिसंपत्तियों का हिस्सा बनने वाली नकदी व नकद-समकक्ष और नकदी व नकद-समकक्ष को छोड़कर अन्य बैंक शेष राशि को क्रमशः 0.70 करोड़ रु. और 2.20 करोड़ रु. से कम करके दिखाया गया है और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (गैर-चालू) को 2.90 करोड़ रु. तक अधिक दिखाया गया है।																	
ग. समेकित नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणी																	
ग.1 परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ) - 11.87 करोड़ रु.																	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ब) - (154.93) करोड़ रु.																	
(iii) इंड.एस-7 (नकदी प्रवाह विवरण) के पैरा 20(सी) में निर्धारित किया गया है कि, “अप्रत्यक्ष विधि के तहत, परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह उन मदों के प्रभावों के लिए लाभ या हानि को समायोजित करके निर्धारित किया जाए, जिनके लिए नकदी प्रभाव निवेश या वित्तपोषण नकदी प्रवाह हों”।																	
इसके अलावा, पैरा-31 में निर्धारित किया गया है कि “प्राप्त और भुगतान किए गए ब्याज और लाभांश से नकदी प्रवाह को अलग से प्रकट किया जाएगा। किसी वित्तीय संस्थान के मामले में भुगतान किए																	
		यह आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से संबंधित है। आईआईडीएल के प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर इस प्रकार है															
		इसे अर्धवार्षिक नकदी प्रवाह विवरण यानि सितंबर 2024 में अपडेट और सुधार किया जाएगा।															

एओ सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
	गए ब्याज और प्राप्त ब्याज और लाभांश से उत्पन्न नकदी प्रवाह को परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। अन्य संस्थाओं के मामले में, भुगतान किए गए ब्याज से उत्पन्न नकदी प्रवाह को वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जबकि प्राप्त ब्याज और लाभांश को निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।” आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) के नकदी प्रवाह विवरण में निम्नलिखित विसंगतियां देखी गई हैं: (i) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की गणना करते समय बिक्री या अचल संपत्तियों से 1.23 करोड़ रु. का लाभ समायोजित नहीं किया गया। (ii) आईआईडीएल को वर्ष 2023-24 के दौरान जमा और बांड पर 10.25 करोड़ रु. का ब्याज प्राप्त हुआ। हालांकि, नकदी प्रवाह विवरण में केवल 1.73 करोड़ रु. को निवेश गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह को 9.75 करोड़ रु. (1.23 करोड़ रु. प्लस 8.52 करोड़ रु.) कम करके दिखाया गया है, साथ ही भारतीय लेखा मानक-7 के उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।	
घ. प्रकटीकरण और खातों के लिए नोट्स पर टिप्पणी घ.1 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर नोट आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड पर नोट 47(क) (ख और ग)	इंड एस-1 के पैरा 25 के अनुसार, “वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन को कंपनी की व्यवसाय जारी रखने की क्षमता का आकलन करना चाहिए। कंपनी को चालू व्यवसाय के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने चाहिए, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या व्यापार बंद करने का इरादा न रखे, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प शेष न हो। जब प्रबंधन को अपने आकलन में, ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितताओं के बारे में पता चलता है, जो कंपनी को व्यवसाय जारी रखने की उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है, तो कंपनी को उन अनिश्चितताओं का खुलासा करना चाहिए। जब कोई इकाई चालू व्यवसाय (गोइंग कन्सर्न) के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार नहीं करती है, तो उसे उस तथ्य का खुलासा करना चाहिए, साथ ही उस आधार का भी खुलासा करना चाहिए जिस पर उसने वित्तीय विवरण तैयार किए और कारण भी बताना चाहिए कि इकाई को चालू व्यवसाय क्यों नहीं माना जाए”। लेखा-परीक्षा ने पाया कि वर्ष 2023-24 के दौरान, आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) ने अपने कुल 62 ऋण/फैक्टरिंग/निवेश खातों में से, अपने 57 (एनपीए) खातों को 13.21 करोड़ रु. की कुल निधि देने का कार्य प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को सौंप दिया है, जिसके परिणामस्वरूप आईएफएल के संचालन में पर्याप्त कमी आई है। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि आईएफएल के निदेशक मंडल ने 7 नवंबर 2023 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में, अपनी शेष वित्तीय परिसंपत्तियों/सिक्क्योरिटी रसीदों का मुद्रीकरण करने या उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों को होल्टिंग कंपनी को बेचने/सौंपने/हस्तांतरित करने, जैसा भी लागू हो, के बाद आईएफएल के एनबीएफसी लाइसेंस के सरेंडर के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इसका अनुमोदन होल्टिंग कंपनी, आईएफसीएल लिमिटेड द्वारा किया जाना है।	यह आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) से संबंधित है। आईएफएल के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया इस प्रकार है: इंड एस-1 के अनुसार, किसी कंपनी को चालू व्यवसाय के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने चाहिए, जब तक कि प्रबंधन का कंपनी का समापन करने या व्यापार बंद करने का इरादा न हो या ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा वास्तविक विकल्प न बचा हो। इस संबंध में, सूचित किया जाता है कि आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड भारत सरकार की कंपनी है। सरकारी कंपनियों के समापन करने के संबंध में विशिष्ट दिशानिर्देश हैं, जिन्हें आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड पर लागू नहीं किया गया है। एनबीएफसी लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए बोर्ड की सैद्धांतिक मंजूरी के संबंध में, प्रमोटर्स के परामर्श से आगे की कार्रवाई की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को 57 एनपीए सौंपे जाने के संबंध में, खातों पर बनाये गये नोट सं. 53 में इसका खुलासा किया गया है। शेष 5 वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में, इसे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ही सम्पन्न किया गया है। उपर्युक्त का विवरण वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

एओ सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
	इसके अलावा, कोई नया ऋण नहीं दिया जा रहा है और कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई नया ऋण स्वीकृत/वितरित नहीं किया है। उपरोक्त घटनाओं या स्थितियों ने आईएफएल को चालू व्यवसाय के तौर कार्य करने की उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर दिया है। हालांकि, यह पाया गया है कि प्रबंधन को उपरोक्त घटनाक्रमों/घटनाओं या स्थितियों के बारे में पता था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की व्यवसाय जारी रखने की क्षमता के बारे में काफी संदेह पैदा कर सकते हैं, फिर भी कंपनी ने 2023-24 के अपने वित्तीय विवरणों में इन भौतिक अनिश्चितताओं (यानि, एनबीएफसी लाइसेंस का सरेंडर, संचालन बंद करना, शेष संपत्तियों की बिक्री आदि) का पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप इंड. एएस-1 (वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति) के खंड 25 का गैर-अनुपालन हुआ है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण के साथ-साथ वित्तीय विवरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।	
घ.2	खातों पर नोट सं. 7 और 27: 1 अप्रैल 2021 से चरण-3 परिसंपत्तियों पर ब्याज आय से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन। इंड. एएस-109 के पैरा 5.4.1 और 5.4.2 के अनुसार, कंपनी को क्रेडिट-क्षति वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त आय को मान्यता देनी चाहिए। इसके अलावा, इस संबंध में आईएफसीआई वेंचर्स कैपिटल फंड्स लिमिटेड (ग्रुप कंपनी) द्वारा इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया गया था और यह राय व्यक्त की गई थी कि ऋण-क्षति परिसंपत्तियों के संबंध में ब्याज इंड. एएस 109 के सिद्धांतों के अनुरूप अर्जित किया जाना चाहिए और इस संबंध में इंड. एएस-109 के सिद्धांतों से कोई विचलन नहीं किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफसीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) के नियम 6(क)(i) में यह भी कहा गया है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद ऋण-क्षति वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत पर प्रभावी ब्याज दर से ब्याज आय की गणना की जाती है। लेखा-परीक्षा ने पाया कि आईएफएल ने अपने खातों पर नोट सं. 51 में खुलासा किया है कि चरण-3 आय को खाते-बहियों में मान्यता नहीं दी गई है। इस प्रकार, आईएफएल के खातों पर नोट सं. 51 कंपनी की सामग्री लेखा नीति, इंड. एएस-109 के प्रावधानों और आईसीएआई की राय का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा, चरण-3 आय के बारे में जानकारी/गणना के अभाव में, वर्ष 2023-24 के लिए आईएफएल के वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निर्धारित करने में ऑडिट असमर्थ है।	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) से संबंधित है। आईएफएल के प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर इस प्रकार है: 31/03/2024 तक, आईएफएल के पास अपनी खाता-पुस्तकों में केवल 2 गैर-निष्पादित ऋण खाते थे। आईएफएल उक्त ऋणों की बिक्री/असाइनमेंट का कार्य अंतिम चरणों में है, जहां ब्याज की वसूली की संभावना अनिश्चित है। इसलिए, यदि आईएफएल ने उक्त 2 एनपीए खातों में स्टेज-3 आय को मान्यता दी होती, तो उसे बट्टे खाते में डालना पड़ता। इससे शुद्ध प्रभाव स्टेज-3 आय की गैर-मान्यता के बराबर ही होता। इसके अलावा, आज की तिथि तक आईएफएल की खाता-पुस्तकों में कोई ऋण परिसंपत्तियाँ/एनपीए नहीं है।
ड.	अन्य टिप्पणियाँ	
ड.1	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) ने जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क लिमिटेड (एसोसिएट) में निवेश का मूल्यांकन 5.30 रुपये प्रति शेयर किया और 4.51 करोड़ रु. (85,04,288* 5.30 रुपये प्रति शेयर) का निवेश दिखाया और नियुक्त मूल्यांकक के मूल्यांकन के आधार पर 2.04 करोड़ रु. की हानि दर्ज की। आईएफसीआई वेंचर्स कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईएफसीआई लिमिटेड की एक अन्य सहायक कंपनी) ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एसोसिएट में अपने निवेश का मूल्यांकन 1.14 रुपये प्रति शेयर किया है। लेखा-परीक्षा में इस मुद्दे को महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि आईएफसीआई लिमिटेड की दो समूह कंपनियों द्वारा एक ही एसोसिएट में किए गये निवेश के मूल्यांकन में काफी अंतर है, जिससे आईएफसीआई लिमिटेड के समेकित निवेश पर 3.54 करोड़ रु. {(5.30 प्रति शेयर घटा रु. 1.14 प्रति शेयर)* 85,04,288 शेयर} का प्रभाव पड़ा है।	यह आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से संबंधित है। आईआईडीएल के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया इस प्रकार है: आईआईडीएल द्वारा आईबीबीआई के पैनल वाले मूल्यांकनकर्ता से स्वतंत्र मूल्यांकन कराया गया, मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर 5.30 रु. प्रति शेयर मूल्य पर विचार किया गया। अंतर को हल करने के लिए वित्त वर्ष 2025 के दौरान एक नया मूल्यांकन किया जाएगा।

एओ सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
ड.2	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) की महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 1.17 (व्यापार प्राप्य) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि “कंपनी ने व्यापार प्राप्तयोग्य राशियों के अपेक्षित नुकसान की पहचान के लिए प्रावधान मैट्रिक्स पद्धति का उपयोग करके सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। प्रावधान मैट्रिक्स व्यापार प्राप्य के अपेक्षित समय को देखते हुए तीन साल के रोलिंग औसत डिफॉल्ट दरों पर आधारित है इसके अलावा, आईएफसीआई लिमिटेड की सामग्री लेखांकन नीति संख्या एफ(ब)(vii) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि व्यापार प्राप्य और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, समूह हानि भत्ते को आजीवन अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर मापा गया है। यद्यपि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खराब/संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए 0.55 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई, आईआईडीएल ने उपरोक्त नीति का पालन नहीं किया क्योंकि अपेक्षित क्रेडिट घाटे को कम करने के लिए कोई औसत डिफॉल्ट दरें लागू नहीं की गईं। इसलिए, उपर्युक्त लेखांकन नीति के अनुसार खराब/संदिग्ध ऋणों की राशि के लिए प्रावधान नहीं हो पाया।	यह आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से संबंधित है। आईआईडीएल के प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर इस प्रकार है: वित्त वर्ष 2024-25 में उचित कार्रवाई की जाएगी।
ड.3	यह भी पाया गया कि सीबीआई ने श्री शिवेंद्र तोमर, पूर्व एमडी (आईआईडीएल), श्री पी. श्रीनिवास, पूर्व एमडी (आईआईडीएल), मै. होलिस्टिक अर्बन इनोवेशन प्रा. लि. (एचयूआईपीएल) और अन्य अज्ञात व्यक्तियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और लोक सेवक द्वारा आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के संदिग्ध अपराध के लिए, एचयूआईपीएल को भारी मात्रा में अतिरिक्त भुगतान करने का मामला शामिल है, के खिलाफ एफआईआर (29 नवंबर 2018) दर्ज की। इसके अलावा, 02 फरवरी 2022 के सीबीआई पत्र के संदर्भ में, आईएफसीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया) और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत आईएफसीआई लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री शिवेंद्र तोमर (पूर्व सीओडी/सीईओ/एमडी, आईआईडीएल) के खिलाफ जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी (29 अप्रैल 2022) से अवगत करा दिया है। लेकिन उपरोक्त धोखाधड़ी के मामले और श्री शिवेंद्र तोमर, पूर्व एमडी (आईआईडीएल) के खिलाफ जांच करने के लिए सीबीआई को आईएफसीआई की मंजूरी का, जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वित्तीय विवरणों में खुलासा नहीं किया गया था। इस प्रकार, वित्तीय विवरण उस सीमा तक अपूर्ण है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान नोट सं. घ.1 में बताए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	यह मामला जांच एजेंसी के पास जांच के लिए लंबित पड़ा है।
ड.4	आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (नोट 37) इंड. एस-37 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां) के पैरा 86 में यह निर्धारित किया गया है कि, “जब तक निपटान से किसी बहिर्वाह यानि आउटलो की संभावना समाप्त न हो, तब तक इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकस्मिक देयता की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण और जहां व्यावहारिक हो, आकस्मिक देयता के प्रत्येक वर्ग के लिए इसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान प्रकट करना होगा”। लेखा-परीक्षा ने पाया कि आईएफसीआई फैंक्टर्स लिमिटेड (आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी) को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय सही कर देयता घोषित नहीं करने के कारण व्यापार एवं कर विभाग से 99.62 लाख रु. की मांग का नोटिस प्राप्त हुआ। इस संबंध में आईएफसीआई फैंक्टर्स लिमिटेड ने अतिरिक्त आयुक्त, अपील-1 दिल्ली-उत्तर के समक्ष अपील दायर की है और मामला 31 मार्च 2024 तक विचाराधीन था। इसलिए, खाते-बहियों में आकस्मिक देयता के रूप में 99.62 लाख रु. दिखाए जाने चाहिए थे। आकस्मिक देयता के तहत उपरोक्त का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयता में 99.62 लाख रु. की कमी आई है।	यह आईएफसीआई फैंक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) से संबंधित है। आईएफएल के प्रबंधन की प्रतिक्रिया इस प्रकार है: - वित्तीय वर्ष 2018-19 की कार्यवाही के संबंध में, आईएफएल को दिनांक 05/12/2023 को जारी ‘कारण बताओ नोटिस’ कंपनी में पंजीकृत पत्राचार के पते पर प्राप्त नहीं हुआ और न ही इस संबंध में कोई ईमेल प्राप्त हुआ। इसलिए आईएफएल कारण बताओ नोटिस का उत्तर जमा करने की स्थिति में नहीं था। आईएफएल को 99.62 लाख रु. की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने वाले आदेश दिनांक 22/03/2024 के विरुद्ध एलडी. अतिरिक्त आयुक्त अपील-1. दिल्ली-उत्तर के समक्ष अपील दायर की है। आईएफएल ने आदेश दिनांक 22/03/2024 को निम्न आधारों पर रद्द करने का अनुरोध किया था: - वैध माध्यम से एससीएन न भेजने के कारण, यह नहीं माना जा सकता कि नोटिस दे दिया गया है, इसलिए आदेश अमान्य है। - आगामी वित्तीय वर्ष में कर देयता वितरित की गई, इसलिए केवल ब्याज देयता उत्पन्न होगी, जिसका भुगतान डीआरसी-03 के माध्यम से किया गया है।

एओ सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
		3) छूट प्राप्त आपूर्ति के कारण आईटीसी वापस करने का प्रावधान एनबीएफसी के लिए अन्य नियमित करदाताओं से अलग है, जिसका कंपनी द्वारा विधिवत अनुपालन किया गया है। 4) इनपुट टैक्स क्रेडिट को केवल प्रक्रियागत चूक के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लाभार्थी ने लाभ के लिए अनिवार्य शर्तों को पूरा किया है। 5) नोटिस से कर की मांग नहीं की जानी चाहिए क्योंकि रिटर्न दाखिल करने में प्रक्रियागत चूक राजस्व की हानि के बराबर नहीं है। 6) जीएसटीआर-2ए में अयोग्य आईटीसी की घोषणा या अन्यथा आईटीसी लाभ के बराबर नहीं है। उपर्युक्त के मद्देनजर लागू कानूनों के साथ कोई अंतर नहीं है और जीएसटी रिटर्न के अनुसार सभी देनदारियों को पूरी की गई माना जाता है। इसलिए, मांग को आकस्मिक देयता नहीं माना गया है।
ख.	30 अप्रैल 2024 की स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, (सीएआरओ 2020) के खंड 3(vii)(ख) के अनुसार लेखा-परीक्षक को रिपोर्ट उस दशा में आवश्यक है, जहां माल व सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य-वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित वैधानिक बकाया राशि को किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, जिससे इसमें शामिल राशि और फोरम का उल्लेख किया जाए, जहां विवाद लंबित है। कंपनी की विभिन्न मंचों जैसे आयकर आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष 11 आयकर अपील लंबित है। स्वतंत्र लेखा-परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में केवल तीन मामलों को शामिल किया है, इसके अलावा, कंपनी पर 'विवाद से विश्वास योजना' के तहत कर निर्धारण वर्ष 2009-10 और 2013-14 से 2016-17 से संबंधित 8.15 करोड़ रु. की आयकर मांग बकाया है, जिसे लेखा-परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट सीएआरओ 2020 के उपर्युक्त खंड के गैर-अनुपालन होने के कारण, उस सीमा तक अपूर्ण है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान टिप्पणी सं. ख में इंगित किए जाने के बावजूद, वैधानिक लेखा-परीक्षक द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	अवलोकन सांविधिक लेखा-परीक्षकों से संबंधित है। वैधानिक लेखा-परीक्षकों की प्रतिक्रिया इस प्रकार है: इस मामले का कर-विशेषज्ञ द्वारा विश्लेषण कराया जाएगा और यदि कोई खुलासा होगा तो उसका विवरण वित्त वर्ष 2025 के दौरान दिया जाएगा।

दिनांक: 29 अगस्त, 2024

राहुल भावे
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09077979

सुनीत शुक्ला
मुख्य महाप्रबंधक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कंपनी सचिव

निगमित शासन प्रणाली पर रिपोर्ट

1. शासन प्रणाली के संबंध में कम्पनी का दर्शन:

निगमित शासन प्रणाली निष्पक्षता, इकिवटी, पारदर्शिता उत्तरदायित्व तथा सूचना के प्रसार के सिद्धान्त पर आधारित है। आईएफसीआई निगमित शासन प्रणाली के उच्चतम मानकों को बनाए रखने में विश्वास रखता है क्योंकि यह इसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। आईएफसीआई सर्वोत्तम निगमित शासन प्रणाली को व्यवहार में लाने तथा कारोबार के संचालन में उच्चतम नीतिपरक मानकों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है। हमारा कॉर्पोरेट प्रशासन कम्पनी की आचार संहिता तथा नैतिकता, कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों और समिति चार्टरों से सशक्त हुआ है। हमारी बोर्ड और प्रबंधन प्रक्रियाएं, लेखा-परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हमारे कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे के आधारभूत सिद्धांतों को दर्शाती है।

2. निदेशक बोर्ड

(क) निदेशक बोर्ड का गठन, श्रेणी व उपस्थिति:

31 मार्च, 2024 तक, कम्पनी के बोर्ड में 7 (सात) निदेशक शामिल थे, जिनमें से 5 (पांच) निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक थे, जिनमें 1 (एक) स्वतंत्र निदेशक शामिल थे, जबकि 2 (दो) कार्यकारी निदेशक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) और उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) रूप में पदनामित थे।

बोर्ड की संरचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि बोर्ड में में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। 31 मार्च, 2024 तक बोर्ड की संरचना, आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या, बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति और उन सभी कंपनियों का व्यौरा, जिनमें वे निदेशक पद पर रहे और ऐसी समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता की संख्या, जिनमें वे निदेशक थे, नीचे दिया गया है:

क्र. सं	निदेशक का नाम	श्रेणी	उपस्थिति विवरण			अन्य सभी कम्पनियों में निदेशिताओं/समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या		
			वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हुई बोर्ड बैठकें		20 दिसम्बर, 2023 को हुई वार्षिक महासभा	निदेशिताएं (आईएफसीआई सहित)	समितियों की सदस्यता (आईएफसीआई सहित)	समितियों की अध्यक्षता (आईएफसीआई सहित)
			आयोजित	उपस्थिति				
1.	श्री मनोज मित्तल	कार्यकारी निदेशक - प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ)	6	6	हां	4	-	-
2.	श्री राहुल भावे (*)	कार्यकारी निदेशक - उप प्रबंध निदेशक	2	2	हां	5	4	-
3.	प्रोफेसर नारायणस्वामी बालाकृष्णन	गैर-कार्यकारी निदेशक	6	6	हाँ	2	1	-
4.	प्रोफेसर अरविंद सहाय	गैर-कार्यकारी निदेशक	6	6	नहीं	4	6	-
5.	श्री सुरेंद्र बेहरा	गैर-कार्यकारी निदेशक	6	6	हां	1	1	-
6.	श्री अरविन्द कुमार जैन	गैर-कार्यकारी निदेशक	6	6	हाँ	7	6	2
7.	श्री उमेश कुमार गर्ग (\$)	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	5	5	हां	1	2	1
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने वाले निदेशक								
1.	श्री मुकेश कुमार बंसल (#)	गैर-कार्यकारी-सरकारी निदेशक	6	5	नहीं	3	-	-
2.	श्री कार्तिकेय मिश्रा (#)	गैर-कार्यकारी सरकारी निदेशक	6	5	नहीं	-	-	-

(*) श्री राहुल भावे को 28-11-2023 से उप प्रबंध निदेशक (कार्यकारी निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था।

(\$)

श्री उमेश कुमार गर्ग को 10-05-2023 से गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

(#)

श्री मुकेश कुमार बंसल और श्री कार्तिकेय मिश्रा, 27-03-2024 से बोर्ड में नहीं रहेंगे।

टिप्पणियां:

- बैठकों की संख्या उस अवधि के दौरान हुई बैठकों को दर्शाती है, जिसमें निदेशक बोर्ड के सदस्य थे।
- ऊपर दर्शाया गई अन्य निदेशिताएं (आईएफसीआई लि. सहित) सभी सार्वजनिक कम्पनियों चाहे वह सूचीबद्ध है या नहीं है। अन्य निगमित निकायों, निजी

कंपनियों, विदेशी कंपनियों और गैर-लाभकारी संगठनों में धारित निदेशिताओं को उक्त तालिका में शामिल नहीं किया गया है।

- उक्त समिति सदस्यता/अध्यक्षता में केवल लेखा-परीक्षा समिति और आईएफसीआई लि. सहित सभी सरकारी लिमिटेड कम्पनियों (चाहे सूचीबद्ध हों या नहीं) में स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति शामिल है। अन्य निगमित निकायों में धारित समिति सदस्यता/अध्यक्षता ऊपर तालिका में शामिल नहीं की गई है।

4. सदस्यता की संख्या में समितियों में धारित अध्यक्षता शामिल है।
5. सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देने वाले निदेशकों के सम्बन्ध में, अन्य निदेशिता और समिति सदस्यता की स्थिति निदेशक द्वारा किए गए अन्तिम प्रकटन पर आधारित है।
6. कोई भी निदेशक एक दूसरे या कम्पनी के किसी प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक से सम्बन्धित नहीं है।
7. बोर्ड का कोई भी निदेशक इन सभी कम्पनियों, जिनमें वे निदेशक है, में 10 (दस) से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है और 5 (पांच) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है। 31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार, अन्य

पब्लिक कम्पनियों में उनकी स्थिति के बारे में आवश्यक प्रकटन निदेशकों द्वारा किया गया है।

8. निदेशक की स्वतंत्रता, जहां भी लागू हो, लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित मानदंडों द्वारा निर्धारित की जाती है। 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के बोर्ड में 1 (एक) स्वतंत्र निदेशक थे - श्री उमेश कुमार गर्ग, जो स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते थे।
9. सूचीबद्ध कंपनियों (केवल जिनकी इक्विटी सूचीबद्ध है) में अन्य निदेशिता, जहां आईएफसीआई के बोर्ड का सदस्य निदेशक है और निदेशिता की श्रेणी: 31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार, निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में कोई अन्य बोर्ड सदस्य निदेशिता धारण नहीं करता है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अन्य सूचीबद्ध कंपनियों का नाम और निदेशिता की श्रेणी
2.	प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन	इक्विटी स्मॉल फाइनेस बैंक लि. (गैर कार्यकारी-स्वतंत्र निदेशक)
3.	प्रो. अरविन्द सहाय	एचआईएल लिमिटेड (स्वतंत्र निदेशक)

(ख) आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या एवं तारीखें:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की 6 (छह) बैठकें हुई। 2023 में आयोजित बैठकों की तारीखें 03 मई, 25 मई, 11 अगस्त और 08 नवंबर और 2024 में 09 फरवरी, 19 मार्च थी।

(ग) निदेशक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति का विवरण वार्षिक आम बैठक की सूचना का हिस्सा है।

(घ) 31 मार्च, 2024 तक किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी के शेयर और परिवर्तनीय उपकरण नहीं थे।

(च) निदेशक बोर्ड कौशल/विशेषज्ञता प्रलेख/सक्षमता तय करने का चार्ट/मैट्रिक्स तथा उन निदेशकों के नाम जिनके पास ऐसा कौशल/विशेषज्ञता/सक्षमता है।

1. शैक्षिक योग्यता	(i) कोई स्नातक/स्नातकोत्तर/एम.फिल/डाक्टरेट/एसी अन्य अर्हता रखता हो जैसा ठीक समझा जाए। (ii) कोई अन्य पेशेवर योग्यता/डिग्री/डिप्लोमा/एसी अन्य अर्हता रखता हो जैसा ठीक समझा जाए।
2. अनुभव/विशेषज्ञता	(i) उचित कौशल, अनुभव और वित्त, विधि, प्रबंधन, बिक्री विपणन, प्रशासन, अनुसंधान, कारपोरेट अभिशासन, तकनीकी प्रचालन या कम्पनी के कारोबार से संबंधित अन्य विषयों में एक या अधिक क्षेत्रों में जानकारी रखता हो। (ii) तरजीही रूप से अपेक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम या मध्य पेशा पेशेवर विकास प्रशिक्षण किया हो जिसने उसको व्यवसाय परिवेश में बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूल बनाया हो।

31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार, बोर्ड के सभी निदेशक ऊपर दी गई शैक्षिक योग्यता और अनुभव/सुविज्ञता के मानदण्ड को पूरा करते हैं।

3. लेखा-परीक्षा समिति:

(क) विचारार्थ विषय:

लेखा-परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी के लेखा-परीक्षा कार्य के संचालन की प्रभावशीलता को देखना, आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों व प्रक्रियाओं की समीक्षा करना, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करना, बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ आवधिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना और नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। समिति आंतरिक लेखा-परीक्षकों और वैधानिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों की निष्पक्ष समीक्षा करने और प्रबंधन द्वारा पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार है। समिति उनकी फीस के निर्धारण

का भी प्रस्ताव/सिफारिश करती है।

समिति अन्तर निगमित ऋणों तथा निवेशों की संवीक्षा, कम्पनी की वचनबद्धता या परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन का मूल्यांकन, सार्वजनिक पेशकश की मार्फत जुटाई गई निधियों के अन्तिम उपयोग का अनुवर्तन, सतर्कता कार्य-प्रणाली की निगरानी तथा कम्पनी के सम्बन्धित पक्षकारों से संव्यवहारों का अनुमोदन अथवा उसके पश्चात् कोई आशोधन का कार्य करती है। समिति धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा करती है और इसकी सूचना भी देती है।

(ख) समिति का गठन, बैठकें तथा उपस्थिति:

31 मार्च, 2024 को, आईएफसीआई की लेखा-परीक्षा समिति में 5 (पांच) निदेशक शामिल थे। समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक थे। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आईएफसीआई के निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति की

6 (छह) बार बैठकें हुई। 2023 में, बैठकें 03 मई, 25 मई, 11 अगस्त, 08 नवंबर को हुई और 2024 में बैठकें 09 फरवरी और 19 मार्च को सम्पन्न हुई। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा-परीक्षा समिति की संरचना और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	श्री उमेश कुमार गर्ग (\$)	अध्यक्ष*	08.08.2023	4	4
2.	श्री राहुल भावे(^)	सदस्य	16.01.2024	2	2
3.	प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन	सदस्य	30.01.2020	6	6
4.	श्री अरविन्द कुमार जैन	सदस्य	09.11.2022	6	6
5.	प्रोफेसर अरविंद सहाय (@)	सदस्य	30.10.2017	6	6
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक जो सदस्य नहीं रहे					
1.	श्री मुकेश कुमार बंसल (#)	सदस्य	27.03.2024	6	4

(\$) श्री उमेश कुमार गर्ग को शामिल किया गया और वे 08.08.2023 से निदेशक की लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष बने।

(@) प्रो.अरविंद सहाय ने 03.05.2023 और 25.05.2023 को आयोजित पहली दो समिति बैठकों की अध्यक्षता की।

(^) श्री राहुल भावे को 16.01.2024 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

(#) श्री मुकेश कुमार बंसल 27.03.2024 से कंपनी के बोर्ड में नहीं रहे। परिणामस्वरूप, वे लेखा-परीक्षा समिति के सदस्य नहीं रहे।

नोट: *स्वतंत्र निदेशक की अनुपस्थिति में, पहली दो बैठकों में, प्रो. अरविंद सहाय को, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं होने तक, समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष चुना गया।

संवैधानिक लेखा-परीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक होने पर, समिति के निर्णयानुसार, लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। कंपनी सचिव, लेखा-परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

करती है। समिति पेशा प्रबंध और उत्तराधिकार योजना सहित एचआर मामलों पर नीति का अनुशीलन भी करती है।

(ख) कार्य निष्पादन मूल्यांकन:

आईएफसीआई की नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति ने स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशक मंडल के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। प्रदर्शन मूल्यांकन के मानदंड में उनकी भूमिका, कार्य और विभिन्न अन्य विशेषताएं शामिल हैं। निदेशकों द्वारा उल्लिखित सुधार के कुछ क्षेत्रों में, जिनमें बोर्ड की संरचना/समितियों की संरचना भी शामिल है, वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार गैर-अनुपालन रहा है। चूंकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के बोर्ड में केवल 1 (एक) स्वतंत्र निदेशक था, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की बैठक नहीं हो सकी। अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध करने वाले पत्र प्रशासनिक कार्यालय से प्रभारी मंत्रालय को भेजे गए हैं।

4. नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति:

(क) विचारार्थ विषय:

समिति के विचारार्थ विषय में ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों और नामित निदेशकों को छोड़कर) बनने के योग्य हैं तथा वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति की सिफारिश करना है। समिति बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को देय किसी भी रूप में सभी पारिश्रमिकों एवं स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करने की सिफारिश

(ग) समिति की संरचना, बैठकें और उपस्थिति:

31 मार्च, 2024 तक समिति में 4 (चार) निदेशक शामिल थे, 2023 में बैठकें 25 मई, 11 अगस्त, 08 नवंबर और 2024 में बैठक 09 फरवरी को सम्पन्न हुई। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की संरचना और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	श्री उमेश कुमार गर्ग (@)	अध्यक्ष*	08.08.2023	3	3
2.	प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन	सदस्य	04.06.2020	4	4
3.	प्रोफेसर अरविंद सहाय	सदस्य	30.10.2017	4	4
4.	श्री अरविन्द कुमार जैन	सदस्य	09.11.2022	4	4
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक जो सदस्य नहीं रहे					
1.	श्री कार्तिकेय मिश्रा (#)	सदस्य	27.03.2024	4	3

@ श्री उमेश कुमार गर्ग, स्वतंत्र निदेशक को शामिल किया गया और वे 08.08.2023 से निदेशकों की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष बने।

(#) श्री कार्तिकेय मिश्रा 27.03.2024 से कंपनी के बोर्ड में नहीं रहे। परिणामस्वरूप, वे समिति के सदस्य नहीं रहे।

नोट: *स्वतंत्र निदेशक की अनुपस्थिति में, पहली बैठक में, प्रो. अरविंद कुमार जैन को, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति होने तक, समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष चुना गया।

(घ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रबंधकीय कार्मिकों को दिए गए पारिश्रमिक के विवरण निम्नानुसार है:

(i) श्री मनोज मित्तल, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 01.04.2023 से 31.03.2024 तक

विवरण	(लाख रुपए में)
वेतन तथा भत्ते (अनुलाभों को छोड़कर)	38.95
अनुलाभ भत्ता (आईएफसीआई द्वारा अनुलाभ पर वहन किए गए कर सहित)	2.14
भविष्य निधि व अन्य निधियों में अंशदान	2.63
आय कर अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ	6.03
अन्य-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.21
अन्य-अवकाश किराया रियायत	0.00
जोड़	49.96

(ii) श्री राहुल भावे, उप प्रबंध निदेशक, 28.11.2023 से 31.03.2024 तक

विवरण	(लाख रुपए में)
वेतन तथा भत्ते (अनुलाभों को छोड़कर)	10.80
अनुलाभ भत्ता (आईएफसीआई द्वारा अनुलाभ पर वहन किए गए कर सहित)	3.25
भविष्य निधि व अन्य निधियों में अंशदान	0.72
आय कर अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ	10.53
आय कर अधिनियम की धारा 17(3) के अनुसार अनुलाभ	0.00
अन्य-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.03
जोड़	25.33

(ङ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कम्पनी द्वारा सरकारी नामित निदेशकों को छोड़कर गैर-कार्यापालक निदेशकों को बैठक के लिए शुल्क अदा किया गया। बोर्ड की बैठक के लिए 40,000/- रुपए और निदेशकों की समिति की बैठक के लिए 20,000/- रुपए शुल्क अदा किया गया। इसके अलावा बोर्ड की अध्यक्षता और निदेशकों की समिति की बैठक की अध्यक्षता के लिए क्रमशः 10,000/- रुपए और 5,000/- रुपए अतिरिक्त बैठक शुल्क भी देय था।

गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस के अलावा कोई पारिश्रमिक (कमीशन सहित) नहीं मिलता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी के बोर्ड में 1 (एक) स्वतंत्र निदेशक थे।

(च) कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, उनमें से किसी के पास भी 31 मार्च, 2024 को आई.एफ.सी.आई. का कोई शेयर या कोई अन्य परिवर्तनीय प्रलेख नहीं है।

(छ) कंपनी के निदेशकों के पास कोई स्टॉक ऑप्शन्स नहीं है।

5. हितधारक संबंध समिति:

(क) आईएफसीआई के निदेशकों की हितधारक संबंध समिति में 31 मार्च, 2024 को 5 (पांच) निदेशक शामिल थे। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 2023 में 25 मई, 11 अगस्त, 08 नवंबर और 2024 में 09 फरवरी को समिति की 4 (चार) बार बैठकें हुईं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की संरचना और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	श्री अरविन्द कुमार जैन*	अध्यक्ष*	09.11.2022	4	4
2.	श्री राहुल भावे(\$)	सदस्य	16.01.2024	1	1
3.	प्रोफेसर अरविंद सहाय	सदस्य	30.10.2017	4	3
4.	श्री सुरेंद्र बेहरा	सदस्य	09.11.2022	4	4
5.	श्री उमेश कुमार गर्ग (#)	सदस्य	08.08.2023	3	3
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक जो सदस्य नहीं रहे					
1.	श्री कार्तिकेय मिश्रा (@)	सदस्य	27.03.2024	4	3

*श्री अरविंद कुमार जैन 02.02.2023 से स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी के अध्यक्ष बने।

(\$) श्री राहुल भावे को 16.01.2024 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

(@) श्री कार्तिकेय मिश्रा 27.03.2024 से कंपनी के बोर्ड में नहीं रहे। परिणामस्वरूप, वे समिति के सदस्य नहीं रहे।

(#) श्री उमेश कुमार गर्ग 08.08.2023 से समिति के सदस्य बने।

(ख) अनुपालन अधिकारी का नाम व पदनाम

श्रीमती प्रियंका शर्मा, कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

ई-मेल: complianceofficer@ifcilt.com

- (ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, शेयरधारकों और सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के बांडधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा बकाया शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:

इक्विटी शेयर व बांड	
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	3930
31 मार्च, 2024 को बकाया	0
शेयरधारक की संतुष्टि के अनुसार हल नहीं की गई शिकायतों की संख्या	0

(*) न्यायालय/सीडीआरएफ में बकाया मामलों से सम्बन्धित शिकायतों/मुद्दों को छोड़कर।

कम्पनी ने 1996 में सार्वजनिक निर्गम के अन्तर्गत जारी आईएफसीआई फ़ैमिली बांडों को अवधि पूरी होने पर/कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते हुए मोचित कर दिया था। बांडधारकों को मोचन राशि की अदायगी कर दी गई है। मोचन राशि के पुराने चैकों का बांडधारकों के अनुरोध पर भुगतान किया जा रहा है। निवेशकों से आईईपीएफ से निधि की वापसी के लिए प्राप्त आवेदनों पर समय-समय पर कार्यवाही की जा रही है।

- (घ) कंपनी ने शेयर हस्तांतरण, ट्रांसमिशन और ट्रांसपोज़िशन आदि के अनुमोदन के लिए अपने अधिकारियों की एक समिति गठित की है। चूंकि 08 जून, 2018 के सेबी गजट अधिसूचना और 03 दिसंबर, 2018 की सेबी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 01 अप्रैल, 2019 के बाद भौतिक शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसलिए अधिकारियों की शेयर हस्तांतरण समिति अब महीने में चार बार के बजाय आवश्यकतानुसार बैठक करती है। शेयर हस्तांतरण आदि के सभी अनुरोधों पर कार्रवाई की गई और संबंधित सेबी परिपत्र के अनुसार निर्धारित समय के भीतर पुष्टि-पत्र जारी किए गए। मुकदमेबाजी वाले कुछ मामलों को छोड़कर, 15 दिनों से अधिक समय तक कोई शेयर हस्तांतरण का मामला लंबित नहीं था।

- (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आन्तरिक लेन-देन निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने अप्रकाशित मूल्य प्रभावित करने वाली

सूचना के उचित प्रकटन के लिए कार्य-विधि/प्रक्रिया संहिता तथा आन्तरिक लेन-देन पर नियंत्रण करने, अनुवर्तन करने और सूचना देने के लिए आचार संहिता को अपनाया है। कम्पनी ट्रेडिंग विण्डो बंद होने की अवधारणा का पालन करती है, जिस समय मूल्य प्रभावित करने वाली अप्रकाशित सूचना प्रस्तुत की जानी होती है, उस समय कम्पनी अपने निदेशकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को आईएफसीआई की प्रतिभूतियों का लेन-देन करने से रोकने के लिए ट्रेडिंग विण्डो बंद होने की अवधारणा का भी पालन करती है। कम्पनी ने 31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आन्तरिक लेन-देन निषेध) विनियम, 2015 के अधीन उपयुक्त प्रकटन प्राप्त किए हैं।

- (च) निदेशक बोर्ड ने बोर्ड के सभी सदस्यों तथा कम्पनी के कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है, जिसे कम्पनी की वेबसाइट <https://www.ificilt.com/?q=en/content/code-conduct> पर डाला गया है।

6. जोखिम एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति:

(क) संदर्भ की शर्तें:

जोखिम एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति के संदर्भ की शर्तों के अनुसार विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की जानी है और यह संतोषजनक है कि जोखिमों को प्रबंधित करने की नीतियां और प्रक्रियाएं पहले से मौजूद हैं। समिति का कार्य जोखिम के नजरिए से संस्था की व्यावसायिक रणनीतियों और योजनाओं का गंभीर रूप से मूल्यांकन करना और बोर्ड को इस बारे में उचित सलाह देना है। समिति प्रमुख नीतियों, साइबर सुरक्षा और इससे जुड़े जोखिम की समीक्षा के लिए भी जिम्मेदार है।

(ख) समिति की संरचना, बैठकें और उपस्थिति:

आईएफसीआई के निदेशकों की जोखिम एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति में 31 मार्च, 2024 को 5 (पांच) निदेशक शामिल थे। जोखिम एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 2023 में 25 मई, 11 अगस्त, 08 नवंबर और 2024 में 09 फरवरी को 4 (चार) बार बैठकें की। 31 मार्च, 2024 तक समिति की संरचना और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	श्री सुरेंद्र बेहरा	अध्यक्ष*	09.11.2022	4	4
2.	श्री राहुल भावे(\$)	सदस्य	16.01.2024	1	1
3.	प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन	सदस्य	14.02.2019	4	4
4.	प्रोफेसर अरविंद सहाय	सदस्य	30.10.2017	4	4
5.	श्री उमेश कुमार गर्ग (#)	सदस्य	08.08.2023	2	2
निदेशक, जिनकी सदस्यता वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान समाप्त हो गई:					
1.	श्री कार्तिकेय मिश्रा (@)	सदस्य	27.03.2024	4	3

*श्री सुरेंद्र बेहरा को 02.02.2023 से समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

(\$) श्री राहुल भावे को 16.01.2024 से समिति का सदस्य बनाया गया।

(#) श्री उमेश कुमार गर्ग को 08.08.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया।

(@) श्री कार्तिकेय मिश्रा 27.03.24 से कंपनी के बोर्ड में नहीं रहे। परिणामस्वरूप, वे समिति के सदस्य नहीं रहे।

7. अन्य समितियों के विवरण:

कंपनी में अन्य बोर्ड स्तरीय समितियां भी हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित ऐसी अन्य समितियों की बैठकों की संख्या, तिथियां और भाग लेने वाले सदस्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- (अ) कार्यकारी समिति – वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यकारी समिति की बैठकें, 2023 में 01 मई, 24 मई, 25 जुलाई, 11 अगस्त और 08 नवंबर को आयोजित की गईं। 31 मार्च, 2024 को समिति की संरचना और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	श्री मनोज मित्तल	अध्यक्ष	12.06.2021	5	5
2.	श्री राहुल भावे (\$)	सदस्य	16.01.2024	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	श्री सुरेंद्र बेहरा	सदस्य	09.11.2022	5	5
4.	प्रोफेसर नारायणस्वामी बालाकृष्णन	सदस्य	30.10.2017	5	5
5.	श्री अरविन्द कुमार जैन	सदस्य	09.11.2022	5	5

(\$) श्री राहुल भावे को दिनांक 16.01.2024 से कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

(ख) आईटी-कार्यनीति समिति- आईटी कार्यनीति समिति की वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 19 जुलाई, 2023 और 17 जनवरी, 2024 को 2 (दो) बार बैठकें हुईं। 31 मार्च, 2024 तक समिति की संरचना और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

क्र.सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	श्री उमेश कुमार गर्ग	अध्यक्ष@	19.03.2024	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	श्री राहुल भावे	सदस्य	16.01.2024	1	1
3.	प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन	सदस्य	30.10.2017	2	2
4.	श्री सुरेंद्र बेहरा	सदस्य	09.11.2022	2	2
5.	श्री पुष्पिंदर सिंह	बाहरी सदस्य	10.08.2021	2	2
6.	श्री देबाशीष गुप्ता(%)	सदस्य	15.02.2024	1	1
निदेशक, जिनकी सदस्यता वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान समाप्त हो गई:					
1.	श्री मनोज मित्तल(#)	सदस्य	16.01.2024	1	1
2.	श्री हरजीत सिंह(*)	सदस्य	31.07.2023	1	1
3.	श्री कार्तिकेय मिश्रा (\$)	सदस्य	27.03.2024	2	0

@श्री उमेश कुमार गर्ग को शामिल किया गया और वे 19.03.2024 से समिति के अध्यक्ष बने और परिणामस्वरूप प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन अध्यक्ष नहीं रहे।

(#) श्री मनोज मित्तल 16.01.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

(*) श्री हरजीत सिंह 31.07.2023 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

(\$) श्री कार्तिकेय मिश्रा 27.03.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

(%) श्री बी.बी. साहू, सीटीओ और सीआईओ को 01.08.2023 को समिति में सदस्य बनाया गया और 15.02.2024 से वे समिति के सदस्य नहीं रहे। परिणामस्वरूप, श्री देबाशीष गुप्ता को 15.02.2024 से सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

(ग) कारोबार दायित्व सूचना समिति- समिति की वित्तीय वर्ष 2023-24 में केवल एक बैठक 08 नवम्बर, 2023 को हुई। 31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार समिति के गठन और उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	श्री मनोज मित्तल	अध्यक्ष	12.06.2021	1	1
2.	श्री सुरेंद्र बेहरा	सदस्य	09.11.2022	1	1
3.	प्रोफेसर अरविंद सहाय	सदस्य	30.10.2017	1	1

(घ) गैर-सहकारी उधारकर्ताओं और वसूली एवं एनपीए प्रबंधन समिति पर समीक्षा समिति - समिति ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 25 मई, 2023, 11 अगस्त, 2023, 08 नवंबर, 2023 और 09 फरवरी, 2024 को 4 (चार) बार बैठकें कीं। 31 मार्च, 2024 तक समिति की संरचना और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	श्री मनोज मित्तल	अध्यक्ष	12.06.2021	4	4
2.	श्री राहुल भावे(\$)	सदस्य	16.01.2024	1	1
3.	श्री अरविन्द कुमार जैन	सदस्य	09.11.2022	4	4
4.	प्रो. अरविन्द सहाय	सदस्य	30.10.2017	4	3
निदेशक, जिनकी सदस्यता वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान समाप्त हो गई:					
1.	श्री कार्तिकेय मिश्रा(*)	सदस्य	27.03.2024	4	3

(\$) श्री राहुल भावे को 16.01.2024 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

(*) श्री कार्तिकेय मिश्रा 27.03.2024 से कंपनी के बोर्ड में नहीं रहे। परिणामस्वरूप वे समिति के सदस्य नहीं रहे।

(ङ) निदेशकों की प्रबंधन समिति- 31.03.2024 तक समिति के सदस्य के रूप में 7 निदेशक अर्थात् श्री अरविंद कुमार जैन, राहुल भावे, डीएमडी, प्रो. एन. बालकृष्णन, प्रो. अरविंद सहाय, श्री सुरेंद्र बेहरा और श्री उमेश कुमार गर्ग शामिल थे। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की एक बैठक 22 दिसंबर, 2023 को आयोजित की गई थी।

8. महासभा:

(क) स्थान एवं समय, जहां पिछली तीन वार्षिक महासभाएं आयोजित की गईं:

क्र. सं.	वार्षिक महासभा की तारीख	स्थान	समय
1.	20.12.2023	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य	प्रातः 11:30
2.	22.12.2022	ऑडियो विजुअल माध्यमों	बजे
3.	17.12.2021	(ओएवीएम) के माध्यम से।	

(ख) पोस्टल बैलेट:

पिछले वर्ष पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

इसके अलावा, आगामी एजीएम तक पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना नहीं है।

(ग) पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण:-

महासभा की तारीख	कंपनी अधिनियम की धारा के अनुसार	विशेष संकल्पों का विवरण
20.12.2023	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 71 के तहत	प्रतिभूतियों के निजी धारण का अनुमोदन
	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 150, 152 के तहत	स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री उमेश कुमार गर्ग (डीआईएन: 00599426) की नियुक्ति को मंजूरी
22.12.2022	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 71 के तहत	प्रतिभूतियों के निजी धारण का अनुमोदन
17.12.2021	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 71 के तहत	प्रतिभूतियों के निजी धारण का अनुमोदन

(घ) स्थान और समय, जहां असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित की गईं:

ईजीएम दिनांक	स्थान	समय
27.04.2023	इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से	प्रातः 11:30 बजे

(ई) असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण:-

ईजीएम की तारीख	कंपनी अधिनियम की धारा के अनुसार	विशेष संकल्पों का विवरण
27.04.2023	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62 के तहत	भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का अधिमान आवंटन

9. प्रकटन:

(क) सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी इंड एस 24 (पूर्व में लेखांकन मानक-18) की अपेक्षानुसार वर्ष के दौरान, सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में लेखों की टिप्पणियों में किया गया है। सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार सामान्य कारोबार के दौरान मिलकर और नियमानुसार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई महत्वपूर्ण सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार नहीं किए गए। कंपनी में महत्वपूर्ण सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार तथा सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार से संबंधित लेन-देन के बारे में एक नीति है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.ifcilttd.com/?q=en/content/policies पर डाला गया है।

(ख) लेखांकन विवेचना का प्रकटन

कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण, कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एस") और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 अनुभाग III के अनुसार, समय-समय पर संशोधित नियमों के तहत तैयार किए गए हैं। इन्हें कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया और 11 अक्टूबर 2018 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। आरबीआई या अन्य नियामकों द्वारा जारी किये गये सभी नियमों, मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण/निर्देशों को यथानुसार लागू किया जाएगा।

(ग) जोखिम प्रबंधन

कारोबार जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसमें कारोबार नामतः क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम से होने वाले जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रबंधन और कम करना है। जोखिम प्रबंध प्रणाली की प्रभावशीलता उचित और प्रभावी जोखिम प्रबंधन संरचना बनाना है। भारिबैक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में आपकी कम्पनी ने संगठनात्मक ढांचे में आवश्यक भूमिका केन्द्र स्थापित किए हैं ताकि जोखिम प्रबंधन कार्यों को करने में सुविधा हो।

आईएफसीआई में जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना में निदेशक बोर्ड, निदेशकों की जोखिम और परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीडी), कार्यपालकों की जोखिम और परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीडी) और एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग (आईआरएमडी) शामिल है।

आपकी कंपनी समय-समय पर ऋण नीति, जोखिम प्रबंधन नीतियों, ट्रेजरी व निवेश नीति, आदि की समीक्षा करती है ताकि उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को मजबूती से और उचित तरीके से अपनाया किया जा सके और विभिन्न वित्तपोषण/निवेश गतिविधियों से सीख लेकर, भारतीय रिजर्व बैंक के नियमन का पालन करते हुए टर्नअराउंड समय में कमी लाने की दिशा में प्रयास किया जा सके। आईटी गवर्नेंस पर आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार, आईएफसीआई ने बोर्ड स्तर की आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी) का गठन किया है। साइबर/सूचना सुरक्षा के प्रबंधन के लिए आईटीएससी की देखरेख में एक सूचना सुरक्षा समिति (आईएससी) भी बनाई गई है। आईएससी का नेतृत्व आईएफसीआई के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) करते हैं।

(घ) प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण बोर्ड रिपोर्ट का भाग है और यह वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

(ङ) पूंजी बाजार के सम्बंध में अनुपालन न करने के विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, सिवाय 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही तक स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा माफ किए गए जुर्माने को शामिल करने के बाद 3,93,61,540/- रु. (लागू करों सहित) के जुर्माने के, तो बोर्ड और समितियों जैसे लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना से संबंधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 17(1) और (2ए), 18(1), 19(1) और (2), 20 तथा 21 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए था। चूंकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पूर्णतया कंपनी और उसके निदेशक मंडल के अधिकार-क्षेत्र में नहीं है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंजों से अनुरोध किया गया था कि वे कंपनी पर जुर्माना न लगाएं और न ही इस संबंध में कोई कार्रवाई करें। निदेशक समितियों में स्वतंत्र निदेशक श्री उमेश कुमार गर्ग को शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप हो गई है। तदनुसार, इन समितियों के संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई और एनएसई) द्वारा लगाए गए जुर्माने को माफ करने के लिए आवेदन स्टॉक एक्सचेंजों में जमा कर दिया गया है। हमारे आवेदन के मद्देनजर, एनएसई ने जून 2020 से सितंबर 2023 की अवधि के लिए 44,01,400/- का जुर्माना माफ कर दिया है।

(च) आदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन का विवरण

1. कंपनी ने आईएफसीआई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की अनुपस्थिति में बोर्ड, लेखा-परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना को छोड़कर, लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित निगम प्रशासन की सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का विधिवत अनुपालन किया है। प्रशासनिक

रूप से प्रभारी मंत्रालय होने के नाते, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन का अनुरोध करते हुए पत्र भेजे गए थे।

2. श्री सूर्यकांत गुप्ता, प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव ने सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, की अनुसूची V के भाग ग में दिए गए अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगमित शासन प्रणाली पर रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। उक्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इसके अतिरिक्त, श्री सूर्यकांत गुप्ता, प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव ने यह भी प्रमाणित किया है कि कम्पनी के बोर्ड पर किसी निदेशक को बोर्ड/कारपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त करने या बने रहने से विवर्जित या आयोयग्य नहीं ठहराया गया है।

(छ) सहायक कंपनियाँ

31 मार्च, 2024 तक कंपनी की 6 (छह) सहायक कंपनियाँ अर्थात् आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड, आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड, एमपीकॉन लिमिटेड, स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड थी। कंपनी की 7 (सात) स्टेप-डाउन सहायक कंपनियाँ भी थी, जैसे आईआईडीएल रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, आईएफआईएन कमांडिटीज लिमिटेड, आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड, आईएफआईएन सिक्क्योरिटी फाइनेंस लिमिटेड, स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, स्टॉकहोल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड और स्टॉकहोल्डिंग सिक्क्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड। कंपनी ने "मटेरियल" सहायक कंपनी के निर्धारण के लिए एक नीति भी तैयार की है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.ifcilt.com/?q=en/content/policies में प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ज) मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणपत्र

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 17 (8) के अंतर्गत दिया गया प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट का भाग है।

(झ) व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) और (10) के प्रावधानों और सेबी लिस्टिंग विनियमों के संदर्भ में एक सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्हिसल ब्लोअर नीति है जिसे वर्ष के दौरान अपडेट किया गया। व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत, आईएफसीआई के निदेशक और कर्मचारी, अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आईएफसीआई की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में अपनी चिंताओं/शिकायतों के बारे में ऑडिट समिति के अध्यक्ष को सूचित कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। नीति असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करती है। इसके तहत किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने से वंचित नहीं किया गया है।

(ञ) बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

बोर्ड ने कम्पनी के कारोबार मॉडल तथा कम्पनी के कारोबार मानदंडों के जोखिम प्रोफाइल तथा निदेशकों के रूप में उनके दायित्वों के लिए अपने बोर्ड सदस्यों हेतु निदेशक प्रशिक्षण की एक नीति बनाई है।

(ट) विवेकसम्मत अपेक्षाओं के पालन का विवरण

कम्पनी ने शेरधारक के अधिकार के संबंध में सूचीकरण विनियमावली, 2015 के विनियम 27(1) की निम्नलिखित विवेकसम्मत अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और उन्हें अंगीकार किया है: वित्तीय कार्य-निष्पादन की छमाही परिणाम प्रत्येक शेरधारक को अलग-अलग न भेजकर उसे समाचार-पत्रों में

प्रकाशित किया गया और उसे उन स्टॉक एक्सचेंजों में भी प्रसारित किया गया जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

(उ) खाता बहियों में कोई भी व्यय डेबिट नहीं किया गया है, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं है। प्रशासनिक और कार्यालय व्यय और वित्तीय व्यय कुल व्यय का क्रमशः 42.36% और 138.97% है, जबकि पिछले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022-23 में यह 24.47% और 86.38% था।

(ड) लिस्टिंग विनियमों के नियमन 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमार्ग्य आवंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण - वर्ष के दौरान, 07 मार्च, 2023 को भारत सरकार से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शेयर आवेदन राशि के रूप में कंपनी की शेयर पूंजी की सदस्यता के लिए 400 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। इसके बाद, निधि निवेश के अनुसरण में, 13.62/- रु. प्रति इक्विटी शेयर (प्रति इक्विटी शेयर 3.62/- रु. सिन्क्रोमिटी प्रीमियम सहित) की दर से 29,36,85,756 इक्विटी शेयर भारत सरकार को आवंटित किए गए। निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए उन्हें जुटाया गया था।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 08 मार्च, 2024 को कंपनी को 500 करोड़ रु. की धनराशि प्राप्त हुई है। इसके प्रति आबंटन अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में किया गया है।

(ढ) सांविधिक लेखापरीक्षक या नेटवर्क फर्म/नेटवर्क कम्पनी, जिसका सांविधिक लेखापरीक्षक भाग है, सभी कंपनियों को समेकित आधार पर सूचीबद्ध कम्पनी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा दी गई सभी सेवाओं के लिए अदा किया गया कुल शुल्क - 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैण्डअलोन और समेकित के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक को अदा किए गए शुल्क के ब्यौरे नीचे बताए गए हैं:

क्रम सं.	लेखा-परीक्षकों को भुगतान का विवरण	स्टैण्डअलोन सूचना (करोड़ रुपए)	समेकित सूचना (करोड़ रुपए)
1.	लेखा-परीक्षा शुल्क	0.29	1.01
2.	प्रमाणन और अन्य सेवाएं	0.06	0.14
3.	व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.02	0.05
	जोड़	0.37	1.20

(ण) क्रेडिट रेटिंग

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और रेटिंग का बदलाव:-

निम्न द्वारा रेटिंग	31 मार्च, 2023	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बदलाव*	31 मार्च, 2024
दीर्घकालीन (बांड/एनसीडी/सावधि ऋण)			
ब्रिकवर्क	(बीडब्ल्यूआर) बी+	रेटिंग (बीडब्ल्यूआर) बी+ 10/11/2023 से पुनः पुष्टि	(बीडब्ल्यूआर) बी+
इकरा	(इकरा) बी+	रेटिंग (इकरा) बी+ 29/05/2023 को पुनः पुष्टि	(इकरा) बी+
केयर	(केयर) बीबी	रेटिंग (केयर) बीबी 05/07/2023 को पुनः पुष्टि	(केयर) बीबी
अल्पकालीन (वाणिज्यिक पेपर/अल्पकालीन उधार)			
ब्रिकवर्क	(बीडब्ल्यूआर) ए4	रेटिंग (बीडब्ल्यूआर) ए4 10/11/2023 से पुनः पुष्टि	(बीडब्ल्यूआर) ए4
इकरा	(इकरा) ए4	रेटिंग (इकरा) ए4 29/05/2023 को पुनः पुष्टि	(इकरा) ए4
अधीनस्थ बॉण्ड			
केयर	(केयर) बीबी	रेटिंग (केयर) बीबी 05/07/2023 को पुनः पुष्टि	(केयर) बीबी
इकरा	(इकरा) बी+	रेटिंग (इकरा) बी+ 29/05/2023 को पुनः पुष्टि	(इकरा) बी+

* डाउनग्रेड के औचित्य और अन्य विवरण कृपया बीएसई और एनएसई की वेबसाइट देखें।

(त) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटन:

- (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दाखिल शिकायतों की संख्या:- शून्य
- (ख) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या:- शून्य
- (ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या:- शून्य

(थ) ऋणों या अग्रिमों पर प्रकटीकरण: कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किसी भी ऐसी फर्म या कंपनी को कोई ऋण या अग्रिम या उधार नहीं दिया गया है, जिनमें कंपनी के निदेशकों का हित निहित हो।

(द) महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों पर प्रकटीकरण:

महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का नाम	संस्थापन की तारीख	निगमीकरण का स्थान	वैधानिक लेखा परीक्षक का नाम	सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति की तिथि
आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	10/10/2007	दिल्ली	वीपीजीएस एंड कंपनी	20.09.2023
स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	28/07/1986	मुंबई	आरजीएन प्राइस एंड कंपनी	12.09.2023
एमपीसीओएन लिमिटेड	23/03/1979	मध्य प्रदेश	दीपक गोयल एंड एसोसिएट्स	10/10/2023

(ध) वर्ष के दौरान कोई क्मोडिटी धारण और/या व्यापार नहीं किया गया था। बकाया ईसीबी से संबद्ध विदेशी विनियम जोखिम को करेसी स्वैप/फ्यूचर/वायदा संविदा के रूप में हैजिंग के द्वारा कम किया गया है।

(न) पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से उसमें हुए परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण

(i) 31 मार्च 2024 तक कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	नाम
1	श्री प्रसून, ईडी
2	श्री सचिकान्त मिश्रा, ईडी
3	श्री बी. वी. एस. अचुता राव, सीवीओ
4	श्री सुनीत शुक्ला, सीजीएम एवं सीएफओ
5	श्रीमती पूजा महाजन, सीजीएम
6	श्री अतुल सक्सेना, सीजीएम
7	श्री जगदीश गरवाल, जीएम एवं सीआरओ
8	श्रीमती प्रियंका शर्मा, डीजीएम एवं कंपनी सचिव

(i) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क्र.सं.	नाम	परिवर्तन का कारण
1	श्री प्रसून, सीजीएम	ईडी के रूप में पदोन्नत
2	श्री सचिकान्त मिश्रा, सीजीएम	ईडी के रूप में पदोन्नत
3	श्री सुनीत शुक्ला, जीएम	सीजीएम के रूप में पदोन्नत
4	श्रीमती पूजा महाजन, जीएम	सीजीएम के रूप में पदोन्नत
5	श्री अतुल सक्सेना, जीएम	सीजीएम के रूप में पदोन्नत

10. संचार के साधन:

आईएफसीआई के तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार-पत्रों में प्रकाशित होते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड (सभी अंग्रेजी संस्करणों) और बिजनेस स्टैंडर्ड (दिल्ली एनसीआर हिंदी संस्करण) में प्रकाशित किए गए थे। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियाँ कंपनी की वेबसाइट (www.ifciltld.com / <https://www.ifciltld.com/?q=en/content/financial-reports-0>) पर भी प्रदर्शित की जाती हैं। सभी मूल्य-संवेदनशील जानकारी जल्द से जल्द उन स्टॉक एक्सचेंजों, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को सूचना के माध्यम से सार्वजनिक की जाती है, जहां इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं। वर्ष के दौरान, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के समक्ष कोई प्रेजेंटेशन नहीं किये गये।

11. शेयरधारकों के संबंध में सामान्य सूचना:

(i) वार्षिक महासभा दिनांक : सितंबर 26, 2024
दिन : बृहस्पतिवार
समय : प्रातः 11:30 बजे
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से

(ii) वित्तीय कैलेंडर(अस्थायी):2024-25

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के परिणाम : 08 अगस्त, 2024
30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के परिणाम : नवम्बर, 2024 का दूसरा सप्ताह
31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही के परिणाम : फरवरी, 2025 का दूसरा सप्ताह
31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के परिणाम : मई, 2025 का तीसरा सप्ताह

(iii) लेखाबंदी की तारीखें

: सितम्बर 20, 2024 से
सितम्बर 26, 2024

(iv) लाभांश अदायगी की तारीख

: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कम्पनी ने इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की घोषणा नहीं की है।

(v) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता:

(क) इक्विटी शेयर दोनो एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध है:

-बीएसई लि. (बीएसई)

निगमित सेवाएं विभाग

25वीं मंजिल, फिरोज जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुम्बई-400001

-दि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि. (एनएसई)

एक्सचेंज प्लाजा,

प्लॉट नं. सी 1, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स,

बान्द्रा (ईस्ट), मुम्बई-400051

टिप्पणी:

(ब) वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान, आईएफसीआई ने सभी फैमिली बांडों का मोचन कर दिया था और इन बांडों की सूचीबद्धता समाप्त करने की सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को दे दी थी। सीरीज 47 से सीरीज 62 के अधीन निजी धारण के अधीन जारी किए गए बांड, इंप्रॉस्ट्रक्चर बांड (सीरीज 3) सबऑर्डिनेट बांड (सीरीज 5), कर-मुक्त बांड तथा पूर्ववर्ती एसएलआर बांड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। सार्वजनिक निर्गम की माफत जारी किए गए प्रतिभूत असं परिवर्तनीय बांड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

(स) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क बीएसई तथा एनएसई को अदा किया जा चुका है।

(vi) स्टॉक कोड (इक्विटी)

: 500106 (बीएसई)

आईएफसीआई (एनएसई)

आईएसआईएन संख्या

इक्विटी शेयर

: आईएनई039ए01010

(vii) बाजार मूल्य आंकड़े:

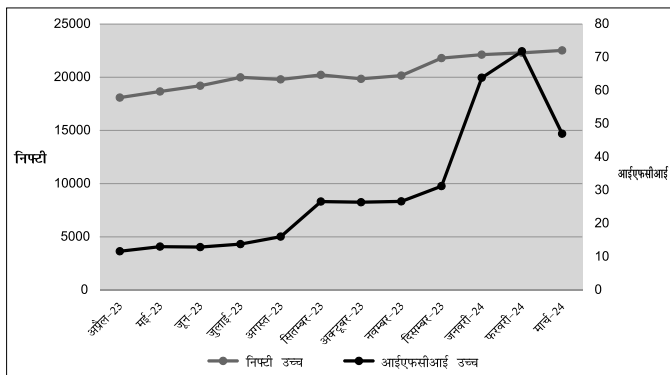
(मूल्य रुपए में)

माह एवं वर्ष	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		बम्बई स्टॉक एक्सचेंज	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल, 2023	11.65	9.80	11.60	9.83
मई, 2023	13.05	10.95	13.06	10.95
जून, 2023	12.90	11.05	12.89	10.97
जुलाई, 2023	13.80	11.60	13.95	11.57
अगस्त, 2023	16.05	13.05	16.00	13.09
सितम्बर, 2023	26.60	15.00	26.64	15.02
अक्टूबर, 2023	26.40	20.40	26.40	20.42
नवम्बर, 2023	26.65	21.55	26.65	21.60
दिसम्बर, 2023	31.25	24.85	31.25	24.87
जनवरी, 2024	63.85	28.25	64.02	28.29
फरवरी, 2024	71.80	41.80	71.70	41.89
मार्च, 2024	47.00	35.80	46.94	35.87

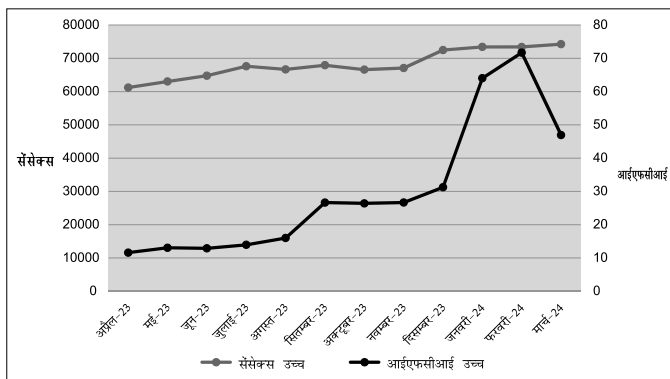
स्रोत: एनएसई/बीएसई

viii) व्यापक आधार वाले सूचकांकों की तुलना में कार्य-निष्पादन:

वर्ष के दौरान एनएसई निफ्टी की तुलना में आईएफसीआई के शेयर का मूल्य:



वर्ष के दौरान बीएसई सेंसेक्स की तुलना में आईएफसीआई के शेयर का मूल्य:



(ix) निर्लंबित प्रतिभूतियों का विवरण:

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनी की किसी भी प्रतिभूति की ट्रेडिंग करने से रोका नहीं गया है।

(x) रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट्स (उनके पत्राचार विवरण सहित):

**इक्विटी शेयरों व फ़ैमिली
बॉण्डों दोनों के लिए**

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि.
एफ-65, पहली मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रियल
एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020
वेबसाइट: www.mcsregistrars.com
ई-मेल: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com
admin@mcsregistrars.com
bonds@mcsregistrars.com
फोन: 011-41406149/50/51/52

**इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड
(सीरीज I व II) के लिए**

**इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड
(सीरीज III, IV व V)
और प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय
डिबेंचरों टैच I व II के
लिए**

**सबऑर्डिनेट बॉण्ड
(सीरीज I व III) के लिए**

**अन्य सभी निजी रूप से
धारित, कर-मुक्त बॉण्ड तथा
अन्य किसी पूछताछ के लिए**

बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसिज
(प्रा.) लि.

बीटल हाऊस, तीसरा तल, 99 मदनगीर
लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे
दादा हरमुखदास मंदिर के सामने
नई दिल्ली-110062
वेबसाइट: www.beetalfinancial.com
ई-मेल: ifci@beetalfinancial.com,
ifciinfrabonds@gmail.com
फोन: 011-29961281-83

केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.
सिलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 व 32,
गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
सरलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500032
वेबसाइट: www.kfintech.com
ई-मेल: einward.ris@kfintech.com
फोन: 040-67162222

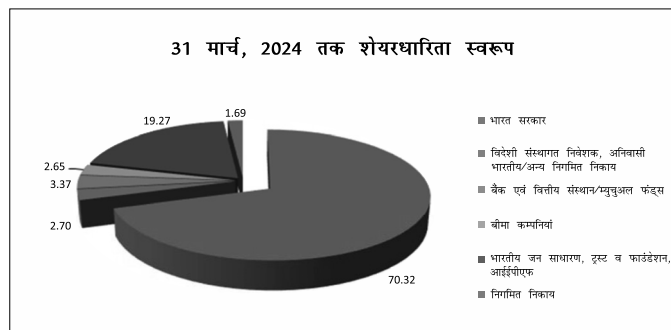
लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा. लि.
सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग,
विखरोली (पश्चिम), मुम्बई-400083
वेबसाइट: www.linkintime.co.in
ई-मेल: bonds.helpdesk@linkintime.co.in
Team.bonds@linkintime.co.in
फोन: 022-49186000/ 8108116767

आईएफसीआई लिमिटेड
आईएफसीआई टावर
61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
सीआईएन: एल74899डीएल1993जीओआई053677
वेबसाइट: www.ifcilttd.com
ई-मेल: ppbonds@ifcilttd.com
tier2bonds@ifcilttd.com
फोन: 011 - 41732000/41792800

(xi) शेयर-अन्तरण पद्धति:

दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 की सेबी प्रेस विज्ञप्ति के साथ पठित सेबी की
दिनांक 08 जून, 2018 के राजपत्र की अधिसूचना के अनुसरण में 01 अप्रैल,
2019 से शेयरों का भौतिक अन्तरण रोक दिया गया है, अतः शेयरों के
अन्तरण के पुराने मामले त्रुटियों को ठीक करने के बाद भौतिक रूप से प्राप्त
शेयर आदि उनकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर अन्तरित
कर दिए जाते हैं, बशर्ते कागजात वैध तथा सभी प्रकार से पूरे हों।

(xii) शेयरधारिता का वितरण (31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार):
31 मार्च, 2024 को आईएफसीआई में शेयरधारकों की इक्विटी शेयरधारिता की मुख्य श्रेणियां इस प्रकार हैं:



(क) शेयरधारिता का स्वरूप:

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार आईएफसीआई के इक्विटी शेयरों की शेयरधारिता का स्वरूप नीचे दिया गया है:

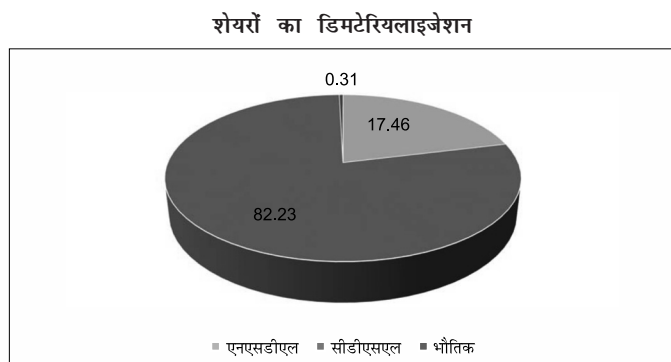
श्रेणी	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत सरकार	1,75,05,76,628	70.32	1,45,68,90,872	66.35
बैंक और वित्तीय संस्थान व म्युचुअल फंड्स	8,39,12,105	3.37	8,34,94,792	3.80
बीमा कम्पनियां	6,60,06,512	2.65	6,97,83,427	3.18
निगमित निकाय	4,21,29,514	1.69	2,10,24,397	0.95
विदेशी संस्थागत निवेशक, अनिवासी भारतीय व अन्य निगमित निकाय	6,72,77,116	2.70	5,70,32,101	2.60
सार्वजनिक	47,97,11,988	19.27	50,77,02,518	23.12
जोड़	2,48,96,13,863	100.00	2,19,59,28,107	100.00

(ख) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार वितरण अनुसूची विस्तार का विश्लेषण:

क्रम सं.	श्रेणी		शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत	इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत
	से	तक				
1	1	500	690270	83.5595	89089007	3.5784
2	501	1000	66950	8.1045	54611737	2.1936
3	1001	2000	34766	4.2085	53143902	2.1346
4	2001	3000	11881	1.4382	30611160	1.2296
5	3001	4000	5324	0.6445	19233079	0.7725
6	4001	5000	4891	0.5921	23312470	0.9364
7	5001	10000	6922	0.8379	52075012	2.0917
8	10001 से ऊपर		5078	0.6147	21675374960	87.0632
जोड़			8,26,082	100.0000	2,48,96,13,863	100.0000

xiii) शेयरों को डी-मैट करना तथा तरलता:

31 मार्च, 2024 तक कम्पनी के लगभग 99.69% इक्विटी शेयरों को पहले ही डी-मैट किया जा चुका है। आईएफसीआई के शेयर देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं और इनकी खरीद-फरोख्त सक्रिय रूप से होती है।



xiv) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय प्रलेख:

इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तन के लिए कोई जीडीआर/एडीआर या वारंट या अन्य कोई परिवर्तनीय प्रलेख विचाराधीन नहीं है।

xv) पंजीकृत कार्यालय: आईएफसीआई एक सरकारी वित्तीय संस्थान और एक सरकारी कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019 है।

क्षेत्रीय कार्यालय: हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई।

सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 में दिए गए अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

यह पुष्टि की जाती है कम्पनी ने बोर्ड के सदस्यों और अपने कर्मचारियों के लिए आचार संहिता को अपनाया है। इस प्रकार अपनाई गई आचार संहिता कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह भी पुष्टि की जाती है कि कम्पनी को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कम्पनी के सभी कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों से उन पर लागू आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा प्राप्त हुई है।

मनोज मित्तल

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

डीआईएन: 01400076

सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 17 (8) के अनुसार प्रमाण-पत्र

सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियम 17 (8) के अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है:

- (क) वर्ष के वित्तीय विवरणों तथा नकद-प्रवाह विवरण की समीक्षा की गई और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:
- (i) इन विवरणों में कोई तथ्यात्मक असत्य विवरण नहीं दिया गया है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छुपाया गया है अथवा ऐसे विवरण नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
 - (ii) ये सभी विवरण कम्पनी के कार्यों की सत्य एवं सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।
- (ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई ऐसा लेन-देन नहीं किया, जो धोखाधड़ी युक्त, अवैध अथवा कम्पनी की आचार-संहिता के विरुद्ध हो।
- (ग) हम आन्तरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए उन्हें बनाए रखने का दायित्व स्वीकारते हैं और कि हमने कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा हमने ऐसे आन्तरिक नियंत्रणों के निरूपण या परिचालन में उन कमियों, यदि कोई हों, जिनकी हमें जानकारी थी, की सूचना लेखा-परीक्षकों एवं लेखा-परीक्षा समिति को दी है और हमने इन कमियों को दूर करने के प्रयास किए हैं और इन कमियों को दूर करने का प्रस्ताव करते हैं।
- (घ) हमने लेखा-परीक्षकों तथा लेखा-परीक्षा समिति को निम्नलिखित सूचना दी है:
- (i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में;
 - (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा कि इन्हें वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकटन करने के बारे में और
 - (iii) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटना, जिनकी हमें जानकारी मिली एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कम्पनी की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की उसमें संलिप्तता, यदि कोई हो, के बारे में।
- 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण इंड एस के आधार पर तैयार किए गए हैं जो 18 जनवरी, 2016 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज के आधार पर दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को कम्पनी पर लागू होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य विनियामकों द्वारा जारी कोई अनुप्रयोग/मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण/निर्देशों को उनके जारी होने पर क्रियान्वित किया जाएगा/प्रयोज्य बनाया जाएगा।

ह./-

(सुनीत शुक्ला)

मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./-

(राहुल भावे)

उप प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 09077979)

ह./-

(मनोज मित्तल)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(डीआईएन: 01400076)

दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

स्थान: नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट

मैसर्स आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यगण

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड ("कम्पनी") द्वारा निगमित शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 में निर्धारित किया गया था।

निगमित शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबन्धन का है। हमारी जांच कम्पनी द्वारा निगमित शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो कम्पनी की लेखा-परीक्षा है और न ही कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि:

1. कम्पनी ने आईएफसीआई लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या न होने के कारण, निदेशक-मण्डल, लेखा-परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना संबंधी अनुपालन को छोड़कर, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की सभी उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किया है।

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, 01-04-2023 से 07-08-2023 तक की अवधि में वैधानिक अपेक्षाओं के अनुसार हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का गठन भी नहीं किया गया था। लेकिन 10 मई 2023 को स्वतंत्र निदेशक श्री उमेश कुमार गर्ग की नियुक्ति और उसके बाद समितियों में उनके शामिल होने से, 08-08-2023 से हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के उपबंधों का अनुपालन किया है।

2. आईएफसीआई लिमिटेड के बोर्ड में किसी निदेशक को बोर्ड/कारपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निदेशकों के रूप में नियुक्त करने या बने रहने से रोका या आयोग्य नहीं ठहराया गया है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो कम्पनी की भावी लाभप्रदता और न ही कम्पनी के कार्यों का संचालन करने में प्रबन्धन की क्षमता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

कृते सूर्या गुप्ता एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सूर्यकान्त गुप्ता
प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव
सीपी नं.: 10828

दिनांक: 02.08.2024

स्थान: दिल्ली

सदस्यता सं.: एफ9250
यूडीआईएन: F009250F000887589
सहकर्म समीक्षा सं.: 907/2020

कारोबार दायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

खण्ड क: सामान्य सूचना

I. सूचीबद्ध संस्था का विवरण

1.	सूचीबद्ध संस्था की पहचान संख्या (सीआईएन)	एल74899डीएल1993जीओआई053677
2.	सूचीबद्ध संस्था का नाम	आईएफसीआई लिमिटेड
3.	निगमन का वर्ष	1993
4.	कार्यालय का पंजीकृत पता	आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019
5.	कॉरपोरेट पता	आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019
6.	ई-मेल	complianceofficer@ifciltld.com
7.	फोन	011-41732000
8.	वेबसाइट	www.ifciltld.com
9.	वित्तीय वर्ष, जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2023-24
10.	स्टॉक एक्सचेंजों का नाम जहाँ शेयर सूचीबद्ध है	बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड
11.	प्रदत्त पूंजी	₹ 2489,61,38,630
12.	नाम और संपर्क विवरण उस व्यक्ति का (फोन, ईमेल) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है:	श्रीमती प्रियंका शर्मा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी फोन: 011-41732000 ईमेल: complianceofficer@ifciltld.com ;
13.	रिपोर्टिंग सीमा- क्या इस रिपोर्ट के तहत किये गये प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात एकल कंपनी के लिए) या समेकित आधार पर (अर्थात मूल कंपनी और सभी सहायक संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा है, को एक साथ लेकर) किये गये हैं।	स्टैंडअलोन आधार पर
14.	आश्वासन प्रदाता का नाम	लागू नहीं
15.	प्राप्त आश्वासन का प्रकार	लागू नहीं

II. उत्पाद/सेवाएं

16. कारोबारी क्रियाकलापों का विवरण (टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्र. सं.	मुख्य क्रियाकलाप का विवरण	कारोबारी क्रियाकलाप का विवरण	संस्था के कारोबार का %
1.	वित्त-पोषण कार्य	ब्याज आय, लाभांश आय और निवेश के उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ	81.36%

17. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्र. सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का %
1.	वित्त-पोषण कार्य	64920	81.36%

III. परिचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित है:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	शून्य	04 संख्या	04 संख्या
अंतरराष्ट्रीय	शून्य	शून्य	शून्य

19. संस्था द्वारा किन बाजारों को सेवा दी जा रही है।

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	4 (मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता)
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

ख. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है? लागू नहीं है क्योंकि आईएफसीआई निर्यात कार्य नहीं करती है।

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त विवरण: ग्राहकों में बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, सेवाओं, रियल एस्टेट, कृषि-आधारित और अन्य विविध क्षेत्रों में लगे उद्योगों/क्षेत्रों के कॉर्पोरेट शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 तक, आईएफसीआई के पास कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की संख्या 414 है।

IV. कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांग कर्मचारियों सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)
	कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ)	135	89	65.92	46	34.07
2.	स्थायी (ङ) के अलावा अन्य	11	10	90.91	1	9.09
3.	कुल कर्मचारी (घ + ङ)	146	99	67.80	47	32.19
	श्रमिक					
4.	स्थायी (च)	1	1	100.00	शून्य	शून्य
5.	स्थायी (छ) के अलावा अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	कुल श्रमिक (च + छ)	1	1	100.00	शून्य	शून्य

ख. दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक:

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख/ क)	सं. (ग)	% (ग/ क)
	दिव्यांग कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ)	1	शून्य	शून्य	1	100.00
2.	स्थायी (ङ) के अलावा अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ + ङ)	1	शून्य	शून्य	1	100.00
	दिव्यांग श्रमिक					
4.	स्थायी (च)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	स्थायी (छ) के अलावा अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	कुल दिव्यांग श्रमिक (च + छ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		सं. (ख)	% (ख/क)
निदेशक बोर्ड	7	0	00.00
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	4	1	25.00

22. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर (पिछले 3 वर्षों के रुझान प्रकट करें)

	वित्तीय वर्ष 2023 - 24 (चालू वित्तीय वर्ष में टर्नओवर दर)*			वित्तीय वर्ष 2022 - 23 (पिछले वित्तीय वर्ष में टर्नओवर दर)*			वित्तीय वर्ष 2021 - 22 (पिछले वित्तीय वर्ष से पहले के वर्ष में टर्नओवर दर)*		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	5.00	5.77	10.77	5.26	5.45	10.71	4.96	8.26	13.22
स्थायी श्रमिक	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

*स्वैच्छिक रूप से अलग होना (अर्थात त्याग पत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति)।

V. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित)

23. (क) होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम में से क्या है, इंगित करें	सूचीबद्ध संस्थान द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम 'क' में इंगित संस्थान, वित्तीय 2023-24 में सूचीबद्ध कंपनी की कारोबारिक दायित्व पहल में भाग लेता है? (हाँ/नहीं)
1	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल)	सहायक	52.86%	नहीं
2	स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एसडीएमएसएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	एसएचसीआईएल द्वारा 100% धारित	नहीं
3	एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड (एसएसएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	एसएचसीआईएल द्वारा 100% धारित	नहीं

क्र. सं.	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम में से क्या है, इंगित करें	सूचीबद्ध संस्थान द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम 'क' में इंगित संस्थान, वित्तीय 2023-24 में सूचीबद्ध कंपनी की कारोबारिक दायित्व पहल में भाग लेता है? (हाँ/नहीं)
4	स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड (एसएसआईएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	एसएससीआईएल द्वारा 100% धारित	नहीं
5	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईफिन)	सहायक	94.78%	नहीं
6	आईफिन क्रेडिट लिमिटेड (आईसीओएम)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	आईफिन द्वारा 100% धारित	नहीं
7	आईफिन क्रेडिट लिमिटेड (आईसीएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	आईफिन द्वारा 100% धारित	नहीं
8	आईएफआईएन सिक्योरिटी फाइनेस लिमिटेड (आईएसएफएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	आईफिन द्वारा 100% धारित	नहीं
9	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल)	सहायक	100%	नहीं
10	आईआईडीएल रियल्टर्स प्रा. लिमिटेड (आईआरपीएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	आईआईडीएल द्वारा 100% धारित	नहीं
11	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईवीसीएफ)	सहायक कम्पनी	98.59%	नहीं
12	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल)	सहायक कम्पनी	99.90%	नहीं
13	एमपीकॉन लिमिटेड	सहायक कम्पनी	79.72%	नहीं
14	किटको	सहयोगी कम्पनी	20.26%	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

24. (i) क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: हाँ

(ii) टर्नओवर (रुपये में) 8,40,11,24,950.41

(iii) निवल मूल्य (रुपये में) 12,14,20,12,145.94

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) के बारे में शिकायत/शिकायतें:

स्टेक होल्डर समूह, जिससे शिकायत प्राप्त हुई	किया शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है? (हाँ/नहीं), यदि हाँ तो शिकायत निवारण नीति का वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ
समुदाय	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हाँ (www.ifcilttd.com)	3,910	-	-	8,406	-	-
शेयरधारक		20	-	-	269	-	-
कर्मचारी और श्रमिक		05	02	लंबित शिकायतों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।	11	02	लंबित शिकायतों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।
ग्राहक		-	-	-	-	-	-
वैल्यू चैन साझेदार	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-

26. संस्था के महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यवसाय आचरण के मुद्दों का सामान्य विवरण

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थायित्व के ऐसे मुद्दों उल्लेख करें, जिनसे आपके व्यवसाय में जोखिम या अवसर उत्पन्न होते हैं। साथ ही उनकी पहचान का औचित्य, जोखिम कम करने के लिए अपनायी गई रणनीति और उनके वित्तीय घटकों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दें;

क्र. सं.	निरूपित किए गए महत्वपूर्ण मुद्दे	जोखिम है या अवसर, इंगित करें।	जोखिम/अवसर के निरूपण का तर्क	जोखिम के मामले में, अनुकूल या कम करने का तरीका	जोखिम या अवसर का वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करें।)
1.	व्यावसायिक नैतिकता एवं शासन	अवसर	कारोबार पद्धतियों को नैतिकता एवं शासन प्रणाली के उच्चतम मानकों के अनुरूप बनाने से कंपनी को पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में मदद मिलती है। यह कंपनी को जिम्मेदार और नैतिक निर्णय लेने में भी सहायता करता है, जिससे कॉर्पोरेट घोटालों और षोखाधड़ी को रोका जा सकता है।	-	सकारात्मक नैतिक व्यवहार अपनाने से ग्राहक निष्ठा में सुधार होता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी में हितधारकों का विश्वास बढ़ता है। इससे खर्चों में भी कमी आती है, क्योंकि कंपनी को अनैतिक या गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण वित्तीय हानियां होने का जोखिम नहीं होता।
2.	अनुपालन	जोखिम एवं अवसर	जोखिम अनुपालन विफलता के जोखिम के कारण कानूनी दंड, मौद्रिक शुल्क और जुर्माना लगाया जा सकता है और कंपनी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। अवसर लागू नियमों और विनियमों का निरंतर अनुपालन, निवेशकों का विश्वास बनाए रखता है और हितधारकों के भरोसे को मजबूत करता है, जिससे प्रतिष्ठा और वित्तीय लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है।	संबंधित अनुपालन अधिकारी नियमित रूप से नवीनतम और अद्यतन कानूनी नियमों और विनियमों के संबंध में अपडेट का पालन करते हैं और इन अद्यतनों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। समूचे संगठन के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र तिमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।	सकारात्मक इससे गैर-अनुपालन के कारण लागत में बचत होती है जो अन्यथा हो सकती है। ऐसे खर्चों में जुर्माना, दंड और अन्य कानूनी शुल्क शामिल हैं। नकारात्मक जुर्माना/शुल्क/जुर्माना लगने से प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम भी पैदा होते हैं।
3.	डेटा सुरक्षा	जोखिम एवं अवसर	जोखिम डेटा सुरक्षा के लिए जोखिम से साइबर सुरक्षा हमले और आगे डेटा उल्लंघन हो सकते हैं जो कंपनी की डेटा की सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं। अवसर डेटा पर बढ़ती निर्भरता के कारण, डेटा सुरक्षा बनाए रखने से कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ-साथ बेहतर प्रतिष्ठा भी हासिल होती है। इससे उन खर्चों की भी बचत हो सकती है जो संभावित रूप से सुरक्षा उल्लंघनों से जुड़े मुद्दों के कारण पैदा हो सकते हैं।	डेटा सुरक्षा पर एक मजबूत नीति बनाए रखने से डेटा सुरक्षा उल्लंघनों से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है।	सकारात्मक यह जोखिमों को कम करने और डेटा सुरक्षा नियमों व विनियमों के गैर-अनुपालन से जुड़े संभावित जोखिमों को कम करने में मदद करता है। डेटा सुरक्षित रखने से कंपनी का संवेदनशील डेटा सुरक्षित रहेगा।

क्र. सं.	निरूपित किए गए महत्वपूर्ण मुद्दे	जोखिम है या अवसर, इंगित करें।	जोखिम/अवसर के निरूपण का तर्क	जोखिम के मामले में, अनुकूल या कम करने का तरीका	जोखिम या अवसर का वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करें।)
4.	पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण	अवसर	कंपनी के वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों पहलुओं के प्रकटीकरण से, संबंधित हितधारकों और शेयरधारकों के बीच कंपनी के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनाने में मदद मिलती है। पारदर्शिता बनाए रखने, विशेष रूप से कंपनी के गैर-वित्तीय विवरणों, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन प्रणाली-संबंधी पहलुओं के विवरण शामिल रहते हैं, से कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।	-	सकारात्मक इससे निवेशकों में विश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे निवेशकों से अधिक निवेश प्राप्त होता है।
5.	कर्मचारी कल्याण	अवसर	कर्मचारियों को पर्याप्त पारिश्रमिक, छुट्टियाँ, अवकाश और कौशल विकास के अवसर जैसे लाभ प्रदान करने से कर्मचारियों की संतुष्टि और निष्ठा बढ़ती है और साथ ही, मौजूदा प्रतिभा को बनाए रखने और नई प्रतिभा को आकर्षित करने में मदद मिलती है।	-	सकारात्मक कर्मचारी कल्याण प्रदान करने से कर्मचारियों की संतुष्टि, निष्ठा, उत्पादकता बढ़ेगी और उन्हें रोके रखने में मदद मिलेगी, जिससे कंपनियों को आवश्यक कार्यबल बनाए रखने और सकारात्मक छवि बनाने में मदद मिलेगी। इससे अनुपस्थिति और भर्ती से संबंधित व्यय भी कम हो जाते हैं।
6.	डिजिटाइजेशन	अवसर	परिचालन प्रक्रियाओं का तेजी से और निरंतर डिजिटलीकरण करने से, व्यवसाय-संचालन को पेपर-लेस प्रोसेसिंग चक्र में पहुँचाने में मदद मिलती है।	-	सकारात्मक इससे लागत बचत सुनिश्चित होती है और सरकार की हरित पहल में भी योगदान सुनिश्चित होता है।

खंड ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य कारोबार को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा 2018 में उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एन.जी.आर.बी.सी.) निर्धारित किए गए थे, जो 2011 में एमसीए द्वारा व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक जिम्मेदारियों के बारे में जारी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों (एनवीजी) के आधार पर बनाए गए हैं। एन.जी.आर.बी.सी. को नियामक अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं से परे प्रदर्शन करने और उन्हें पर्यावरण एवं सामाजिक लक्ष्यों सहित व्यापक विकासात्मक लक्ष्यों में योगदान करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

एन.जी.आर.बी.सी. नीचे दिए गए पी1-पी9 नामक नौ सिद्धांतों की पैरवी करता है:

पी1 कारोबार का संचालन और शासन प्रणाली को ईमानदारी से और नैतिक, पारदर्शी व जवाबदेह तरीके से करना चाहिए।

पी2 कारोबार को ऐसे उत्पाद बनाने चाहिए एवं ऐसी सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों।

पी3 कारोबार को अपने कर्मचारियों और अपनी मूल्य शृंखला के सभी कर्मचारियों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

पी4 कारोबार को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

पी5 कारोबार को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

पी6 कारोबार को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसे सुरक्षित रखने तथा पुनर्स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए।

पी7 कारोबार को, जब सार्वजनिक और नियामक नीति में कार्यरत होते हैं, तो उन्हें पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शी तरीके से यह कार्य करना चाहिए।

पी8 कारोबार को सदैव समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

पी9 कारोबार को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें उचित महत्व प्रदान करना चाहिए।

प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	पी.1	पी.2	पी.3	पी.4	पी.5	पी.6	पी.7	पी.8	पी.9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को समाहित करती है। (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	-	हां	-	हां	हां
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	#	\$	\$	#	-	\$	-	#	#
2. क्या संस्था ने नीति/नीतियों को प्रक्रियाओं में कार्यान्वित है। (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	-	हां	-	हां	हां
3. क्या सूचीकृत नीतियां आपके वेल्यू चेन पार्टनरों पर भी लागू है? (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	-	हां	-	हां	हां
4. आपकी संस्था द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत के साथ मैप किए गये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/ प्रमाणन/लेबल/मानकों का नाम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. संस्था द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हों।	-	-	-	-	-	@	-	-	-
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में संस्था का कार्य निष्पादन और यदि ऐसा नहीं किया गया है तो उसके कारण बताएं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
शासन प्रणाली, नेतृत्व और निरीक्षण									
7. ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, कारोबार देयता रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी निदेशक का कथन (सूचीबद्ध कंपनी को इस प्रकटीकरण के संबंध में कुछ छूट प्राप्त है) एक एनबीएफसी होने के नाते आईएफसीआई में उपरोक्त सिद्धांतों की प्रयोज्यता सीमित है। हालाँकि, कंपनी अपने कारोबार का संचालन करते समय पर्यावरण, समुदायों के सामाजिक कल्याण और सर्वोत्तम शासन प्रणाली के प्रति सजग है। कंपनी भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का नियमानुसार पालन करने का प्रयास करती है। इसके अलावा, ईएसजी के तहत कंपनी में सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से या इस संबंध में भारत सरकार की पहलों का समर्थन करके योगदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी अपने कर्मचारियों एवं व्यावसायिक सहयोगियों को स्वच्छ, सुरक्षित, स्वस्थ और निष्पक्ष कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करती है। अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए, आईएफसीआई ने एक विशेष सीएसआर नीति एवं आचार संहिता भी बनायी है।									
8. कारोबार उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण।	निदेशकों की व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग समिति								
9. क्या कंपनी के पास सस्टेनेबिलिटी संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की कोई निर्दिष्ट समिति है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण दें।	हां, आईएफसीआई के पास बीआरएसआर के लिए बोर्ड की एक विनिर्दिष्ट समिति है यानी निदेशकों की कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग समिति।								
10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:									
समीक्षा के विषय	इंगित करें कि क्या समीक्षा निदेशक/ बोर्ड की समिति/ किसी अन्य समिति द्वारा की गई								
	पी.1	पी.2	पी.3	पी.4	पी.5	पी.6	पी.7	पी.8	पी.9
उपरोक्त नीतियों के सम्बन्ध में कार्य निष्पादन और अनुवर्तन कार्रवाई	निदेशकों की समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है।								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता के अनुसार सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और किसी गैर-अनुपालन में सुधार	वार्षिक समीक्षा								
11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी से अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन करवाया है?(हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं।	पी.1	पी.2	पी.3	पी.4	पी.5	पी.6	पी.7	पी.8	पी.9
	नहीं, लेकिन आईएफसीआई के बोर्ड द्वारा आंतरिक रूप से नीतियों की समीक्षा और मूल्यांकन नियमित आधार पर की जाती है।								

प्रासंगिक नीतियों के लिंक इस रिपोर्ट के अंत में दिये गये हैं।

\$ पॉलिसी आंतरिक दस्तावेज है, इस कारण यह केवल कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध है।

@ विद्यमान हरित भवनों के लाभ:-

विद्यमान हरित भवनों से मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के उल्लेखनीय लाभ हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभ पानी और ऊर्जा की खपत में कमी है। ऊर्जा और जल-बचत

से परिचालन संबंधी बचत 5-10% तक हो सकती है। भवन से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। विद्यमान हरित भवनों के अमूर्त लाभों में उच्च वायु गुणवत्ता, स्वास्थ्य और वहां रहने वाले या कार्यरत लोगों की संतुष्टि का उच्च स्तर शामिल है। रेटिंग प्रणाली में शामिल राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ निम्नलिखित हैं:

- जल संरक्षण
- उपभोक्ता अपशिष्ट का प्रबंधन
- ऊर्जा की बचत
- नई सामग्रियों पर कम निर्भरता
- रहने वालों का स्वास्थ्य एवं कल्याण।

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर “नहीं” है, अर्थात् सभी सिद्धांत किसी नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कारण बताएं:

प्रश्न	पी.1	पी.2	पी.3	पी.4	पी.5	पी.6	पी.7	पी.8	पी.9
संस्था अपने कारोबार के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार नहीं करती है (हाँ/नहीं)									
संस्था उस स्तर पर नहीं है जहाँ वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने और लागू करने की स्थिति में हो (हाँ/नहीं)									
संस्था के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं है (हाँ/नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हाँ/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)					#		#		

(#) एक एनबीएफसी होने के कारण, इस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता या सीमित मात्रा में लागू होता है। हालांकि, कंपनी भारत सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करने का प्रयास करती है।

खंड ग: सिद्धांत-वार कार्य निष्पादन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1 – कारोबार को पूरी निष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित होने चाहिए और इन सिद्धान्तों द्वारा अधिशासित होने चाहिए।
अनिवार्य संकेतक

1. वित्तीय वर्ष में, इन सिद्धांतों पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण में शामिल विषय/सिद्धांत और इसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक बोर्ड(बीओडी)	1	नियामक अद्यतन-सिद्धांत 1	100
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	5	पीओएसएच-कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रम, आचरण संबंधी नियम और अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ, साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, महिला नेतृत्व कार्यक्रम: सशक्तिकरण और प्रभावशीलता को बढ़ाना, लेखा-परीक्षा-रणनीतिक।	50
बीओडी और केएमपी के अलावा कर्मचारी	34	कारोबार का वित्तीय विश्लेषण, पावर बीआई सहित डेटा एनालिटिक्स, ई-ऑफिस, साइबर सुरक्षा और स्वच्छता, ईएसजी, पीओएसएच, संचार कौशल, नेतृत्व और अन्य व्यवहार कौशल आदि।	85
श्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य

प्रभाव: उक्त विषयों/सिद्धांतों पर आयोजित प्रशिक्षणों ने कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति अधिक सतर्क, नैतिक और जवाबदेह बनाने के साथ-साथ कारोबार की स्थिरता और जिम्मेदारी के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद की है।

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों की कार्यवाही में अदा किए गए जुर्माने/दंड/क्षतिपूर्ति/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण (कंपनी या निदेशकों/केएमपी द्वारा) निम्नलिखित प्रारूप में दिया गया है (नोट करें: संस्था सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर बताए अनुसार वास्तविक आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

शून्य

3. उपर्युक्त प्रश्न-2 में प्रकट किए गए मामलों में से, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण दिया गया है जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

शून्य

4. क्या कंपनी के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का कोई वेब-लिंक प्रदान करें।

इस संबंध में कंपनी में एक सतर्कता प्रणाली बनायी गयी है और कंपनी द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय भी किए गए हैं:-

- फेयर प्रैक्टिस कोड - आईएफसीआई में फेयर प्रैक्टिस कोड के दिशानिर्देश कंपनी की वेबसाइट <https://www.ifcilttd.com/?q=en/content/fair-practices-code> पर दिये गये इस लिंक पर उपलब्ध है।
 - कंपनी भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वतखोरी के संबंध में सीवीसी की प्रक्रियाओं और मानदंडों तथा भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए शिकायतों से संबंधित पीआईडीपीआई संकल्प (जनहित प्रकटीकरण और शिकायतकर्ता संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प) जिसमें सीवीसी एक नामित एजेंसी है, का भी पालन करती है।
 - उपरोक्त के अलावा, आईएफसीआई ने व्हिसल ब्लोअर नीति भी अपनाई है।
 - अनुबंध या ठेके देने के बारे में, आईएफसीआई के पास एक केंद्रीकृत खरीद नीति है जिसे आईएफसीआई के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।
5. निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों/कर्मचारियों/कामगारों की संख्या, जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई: कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों पर रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण: समीक्षाधीन अवधि के दौरान हितों के टकराव के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में जुमनि/दण्ड से संबंधित मुद्दों पर नियामक/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।
लागू नहीं, क्योंकि कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है।
8. देय खातों के दिनों की सं. ((देय खाते '365)/'खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत) निम्नलिखित प्रारूप में: कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त बिंदु शून्य है।
9. कारोबार में खुलापन
ट्रेडिंग हाउस, डीलर और संबंधित पक्षकारों में खरीद और बिक्री के सौदों का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण व अग्रिम और निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वित्तीय वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष
खरीदों की संकेन्द्रण	क. कुल खरीदों के % के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीदारी	शून्य	शून्य
	ख. व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है	शून्य	शून्य
	ग. व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीदारी	शून्य	शून्य
बिक्री का संकेन्द्रण	क. कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों/वितरकों को बिक्री	शून्य	शून्य
	ख. डीलरों/वितरकों की संख्या जिन्हें बिक्रियां की जाती है	शून्य	शून्य
	ग. डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्रियां	शून्य	शून्य
शेयर में आरपीटी का हिस्सा	क. खरीदारी (संबंधित पक्षकारों के साथ खरीदारी/कुल खरीदारी)	शून्य	शून्य
	ख. बिक्री (संबंधित पक्षकारों को बिक्री/कुल बिक्री)	शून्य	शून्य
	ग. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षकारों को दिए गए ऋण और अग्रिम/कुल ऋण और अग्रिम)	शून्य	शून्य
	घ. निवेश (संबंधित पक्षकारों में निवेश/कुल निवेश)	31 मार्च, 2024 तक सहायक कंपनियों में बकाया निवेश 1546.41 करोड़ रु. है, यानी कुल निवेश का 39.29%	31 मार्च, 2023 तक सहायक कंपनियों में बकाया निवेश 1546.41 करोड़ रु. है, यानी कुल निवेश का 42.33%

नेतृत्व संकेतक

- वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम: शून्य
- क्या कंपनी के पास बोर्ड सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/उनका प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।
हाँ, कंपनी के पास बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता है, जो अन्य मामलों के साथ-साथ, उनके हितों के टकराव से निपटने की प्रक्रिया को भी शामिल करती है।
यह नीति <https://www.ifciltld.com/?q=en/content/code-conduct> पर उपलब्ध है।

सिद्धांत-2: कारोबार को टिकाऊ और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए

अनिवार्य संकेतक

- उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में संस्था द्वारा आरएण्डडी एवं पूंजीगत व्यय (केपेक्स) निवेश का कुल आरएण्डडी और पूंजीगत (केपेक्स) व्यय निवेश में प्रतिशत।
शून्य, चूंकि कंपनी वित्तीय सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है, ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय का दायरा सीमित है।
- क. क्या संस्था के पास स्थायी तौर पर निवेश प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं हैं?
हाँ
ख. यदि हाँ, तो कितना प्रतिशत निवेश स्थायी रूप से प्राप्त किया गया?
शासकीय नियमों सहित नवीनतम नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप आईएफसीआई की केंद्रीकृत खरीद नीति की समीक्षा मई 2023 में की गई है, जो (i) माल अधिग्रहण मैनुअल, (ii) कार्य अधिग्रहण मैनुअल और (iii) परामर्श के अधिग्रहण और अन्य सेवाओं के मैनुअल है, जिसमें सार्वजनिक खरीद संबंधी सभी सीवीसी दिशानिर्देशों का समावेश कर दिया गया है। आईएफसीआई सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) और सीपीपी पोर्टल (केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल) की सेवाओं का लाभ उठा रहा है, जहां विक्रेता पंजीकृत है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जीईएम पोर्टल के माध्यम से की गई खरीद का प्रतिशत 95.11% है।
- (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-अपशिष्ट (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट पदार्थ के सम्बन्ध में अंत में अपने उत्पादों को सुरक्षित तरीके से दुबारा इस्तेमाल करने के लिए, उनके दुबारा उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान की प्रक्रियाओं का वर्णन करें,
लागू नहीं, लेकिन रोजमर्रा के उपयोग में सिंगल-यूज प्लास्टिक आधारित स्टेशनरी सामग्री और क्रांकी सामग्री का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है।
- क्या संस्था की गतिविधियों पर विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू होता है (हाँ/नहीं)? यदि हाँ, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।
लागू नहीं, क्योंकि कंपनी भौतिक यानि ठोस उत्पादों के निर्माण या बिक्री कार्य में शामिल नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

- क्या कंपनी ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग हेतु) या अपनी किन्हीं सेवाओं (सेवा उद्योग हेतु) का जीवन चक्र अवलोकन/आकलन (एलसीए) किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?
एनबीएफसी कंपनी होने के नाते आईएफसीआई पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है या इसकी सीमित प्रयोज्यता है। हालाँकि, कंपनी भारत सरकार द्वारा जारी किये गए लागू निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करने की दिशा में प्रयासरत है।
- यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम है, जैसा कि जीवन चक्र अवलोकन/आकलन (एलसीए) या कोई अन्य ज्ञात जोखिम, तो उसका संक्षेप में वर्णन करें, साथ में जोखिम कम करने के लिए की गई कार्रवाई का उल्लेख भी करें। लागू नहीं
- उत्पादन (विनिर्माण उद्योग हेतु) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग हेतु) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।
व्यवसाय और संचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा किया गया पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की में लायी गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत नगण्य है।
- उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग की, मात्रा (मीट्रिक टन में) पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित तरीके से निपटान संबंधी विवरण, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रदान करें: लागू नहीं
- प्रत्येक उत्पाद श्रेणी में पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बचे गए उत्पादों का प्रतिशत)। लागू नहीं, क्योंकि आईएफसीआई भौतिक उत्पादों की बिक्री नहीं करती है।

सिद्धांत-3: संस्था द्वारा अपनी वैल्यू चेन्स में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान किया जाए और उसे बढ़ावा दिया जाए।

अनिवार्य संकेतक

1. (क) कर्मचारियों के कल्याण के लिये उपायों का विवरण:

श्रेणी	कवर किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत										
	कुल(क)	स्वास्थ्य बीमा*		दुर्घटना बीमा**		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे-केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	प्रतिशत (ख/क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग/क)	संख्या (घ)	प्रतिशत (घ/क)	संख्या (ङ)	प्रतिशत (ङ/क)	संख्या (च)	प्रतिशत (च/क)
	स्थायी कर्मचारी (अधिकारी)										
पुरुष	89	89	100	89	100	शून्य	शून्य	89	100	89	100
महिला	46	46	100	46	100	46	100	शून्य	शून्य	46	100
जोड़	135	135	100	135	100	46	100	89	100	135	100
*आईएफसीआई की अपनी चिकित्सा योजना है।											
**आईएफसीआई की जीटीएलआई नीति सभी स्थायी कर्मचारियों और दो संविदात्मक कर्मचारियों को शामिल करती है।											
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	10	0	0	0	0	शून्य	शून्य	0	0	10	100
महिला	1	0	0	0	0	1	100	शून्य	शून्य	1	100
जोड़	11	0	0	0	0	1	100	0	0	11	100

(ख) श्रमिकों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विवरण:

श्रेणी	कवर किए गए श्रमिको का प्रतिशत										
	कुल(क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		प्रसूति लाभ		पितृत्व लाभ		डे-केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	प्रतिशत (ख/क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग/क)	संख्या (घ)	प्रतिशत (घ/क)	संख्या (ङ)	प्रतिशत (ङ/क)	संख्या (च)	प्रतिशत (च/क)
	स्थायी श्रमिक										
पुरुष	1	1	100	1	100	शून्य	शून्य	1	100	1	100
महिला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	1	1	100	1	100	शून्य	शून्य	1	100	1	100
	स्थायी श्रमिको के अलावा										
पुरुष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महिला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ग. कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्यो सहित) हेतु किये गये कल्याणकारी उपायों पर व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित प्रारूप में है:-

	वित्तीय वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याणकारी उपायों पर खर्च की गई लागत	32.90 लाख रु. (जीटीएलआई पॉलिसी अवधि 01 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक)	36.06 लाख रु. (जीटीएलआई पॉलिसी अवधि 01 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक)

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्त वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण:-

लाभ	वित्तीय वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती और प्राधिकरण के पास जमा किया (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती और प्राधिकरण के पास जमा किया (हाँ/नहीं/लागू नहीं)
भविष्य निधि	100	100	हाँ	100	100	हाँ
ग्रेच्युटी	100	100	हाँ	100	100	हाँ
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-

3. कार्यस्थलों तक पहुंच

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, संस्था के परिसर/कार्यालयों में दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए आसान पहुंच है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है।

हाँ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, आईएफसीआई लिमिटेड के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ है।

दिव्यांग जनों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप, आईएफसीआई ने रैप, रेलिंग, वॉशरूम जैसी विशेष सुविधाएं स्थापित की हैं और उनकी जरूरतों के अनुसार अन्य आवश्यक बदलाव भी किए हैं:-

- रैप/रेलिंग और असेंबली एरिया:-** आईएफसीआई के पास दिव्यांग जनों के लिए विशेष रैप, असेंबली एरिया और रेलिंग की सुविधा है। उनके लिए समर्पित प्रवेश और निकास द्वार आसानी से सुलभ है, जिनमें कोई सीढ़ियाँ नहीं हैं। परिसर में भी रैप और रेलिंग की व्यवस्था की गई है और यह व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल है। सुरक्षाकर्मी भी उनकी मदद करते हैं।
- वॉशरूम:-** दिव्यांग जनों के लिए आईएफसीआई टावर में अलग शौचालय उपलब्ध है। वे साफ तौर पर पहचाने जाने योग्य और पहुंच योग्य हैं। अंदर पर्याप्त जगह है।
- विश्राम कक्ष:-** दिव्यांग जनों के लिए विश्राम कक्ष ग्राउंड फ्लोर लॉबी में है, जहां वे जरूरत पड़ने पर या थकान महसूस होने पर आराम कर सकते हैं।
- लिफ्ट:-** दिव्यांग जनों के लिए लिफ्ट में रेलिंग, ब्रेल बटन और आवाज पहचानने की सुविधाएं आदि उपलब्ध हैं। ये सेवाएँ प्रत्येक मंजिल पर उपलब्ध करायी गयी हैं।

4. क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था के पास समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो पॉलिसी का वेब-लिंक प्रदान करें।

हाँ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार आईएफसीआई की समान अवसर नीति है। वेब लिंक इस प्रकार है: <https://www.ifcilttd.com/2019/Equal%20Opportunity%20Policy%201.pdf>

5. माता-पिता बनने पर छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक*	
	कार्य पर वापसी का दर	प्रतिधारण दर (%)	कार्य पर वापसी का दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	7	100	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	3	100	लागू नहीं	लागू नहीं
जोड़	10	100	लागू नहीं	लागू नहीं

* वर्ष के दौरान किसी भी कर्मचारी ने पैतृक छुट्टी का लाभ नहीं उठाया।

6. क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई कार्यप्रणाली उपलब्ध है? यदि हाँ, तो कार्यप्रणाली का संक्षेप में विवरण दें। हाँ

	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो कार्यप्रणाली का संक्षिप्त विवरण)
स्थायी श्रमिक	हाँ, आईएफसीआई की तीन चरण की शिकायत निवारण नीति है जिसमें रोजगार की स्थिति के संबंध में पूर्वनिर्धारित व्यवस्था है। शिकायतों का समाधान निम्नलिखित ढांचे के अनुसार किया जाता है: चरण 1 : रिपोर्टिंग अधिकारी चरण 2 : शिकायत निवारण समिति (एचआर समीक्षा समिति) चरण 3 : एमडी और सीईओ
स्थायी श्रमिक के अलावा	लागू नहीं

स्थायी कर्मचारी	हैं, आईएफसीआई की तीन चरण की शिकायत निवारण नीति है जिसमें रोजगार की स्थिति के संबंध में पूर्वनिर्धारित व्यवस्था है। शिकायतों का समाधान निम्नलिखित संरचना के अनुसार किया जाता है: चरण 1 : रिपोर्टिंग अधिकारी चरण 2 : शिकायत निवारण समिति चरण 3 : एमडी और सीईओ
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	लागू नहीं

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष (चालू वित्तीय वर्ष 2023-24)			वित्तीय वर्ष (पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23)		
	सम्बन्धित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक	सम्बन्धित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा है	प्रतिशत (ख/क)	सम्बन्धित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक	सम्बन्धित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा है	प्रतिशत (घ/क)
	(क)	(ख)		(ग)	(घ)	
कुल स्थायी कर्मचारी	135	124	91.85	149	137	91.95
- पुरुष	89	78	87.64	99	89	89.90
- महिला	46	46	100	50	48	96
कुल स्थायी श्रमिक*						
- पुरुष	1	0	0	1	0	0
- महिला	-	-	-	-	-	-

* कामगार कर्मचारी कुल कर्मचारियों का हिस्सा है, लेकिन अधिकारी एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं।

8. कर्मचारियों एवं कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24					वित्तीय वर्ष 2022-23				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल अपग्रेडेशन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	प्रतिशत (ख/क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग/क)		संख्या (घ)	प्रतिशत (ङ/घ)	संख्या (च)	प्रतिशत (च/घ)
कर्मचारी										
पुरुष	89	शून्य	शून्य	60	67.41	95	शून्य	शून्य	91	98.94
महिला	46	शून्य	शून्य	37	80.43	50	शून्य	शून्य	45	90.00
जोड़	135	शून्य	शून्य	97	71.35	145	शून्य	शून्य	136	93.79
श्रमिक										
पुरुष	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महिला	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जोड़	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* संविदात्मक कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों से संबंधित प्रशिक्षण विवरण दर्ज किये गये हैं (इसमें बाहरी संगठनों में डेपुटेशन पर प्रतिनियुक्त कर्मचारी शामिल नहीं हैं)

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के कार्य-निष्पादन और कैरियर विकास की समीक्षा विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कुल (क)	संख्या (ख)	प्रतिशत (ख/क)	कुल (ग)	संख्या (घ)	प्रतिशत (घ/ग)
कर्मचारी (अधिकारी)						
पुरुष	84	29	35	98	72	74
महिला	46	22	48	48	41	85.41
जोड़	130	51	39	147	114	78
श्रमिक (श्रमिक)						
पुरुष	1	-	0	1	1	100
महिला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जोड़	1	-	0	1	1	100

कार्य-निष्पादन और कैरियर विकास समीक्षाओं के विवरण में वे सभी स्थायी कर्मचारी शामिल हैं जो संबंधित वित्तीय वर्ष में आईएफसीआई में वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के दायरे में थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यरत सभी कर्मचारियों और कामगारों की समीक्षा की जा रही है।

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

- क. क्या संस्था द्वारा व्यवसाय परक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली की कवरेज? लागू नहीं, हालाँकि, आईएफसीआई अपने सभी कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करता है।
- ख. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और कंपनी द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं? कंपनी द्वारा कोई खतरनाक कचरा उत्पन्न नहीं किया जाता, हालाँकि, दैनिक कचरे का निपटान एएमसी सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जाता है।
- ग. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से स्वयं को बचाये रखने के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हाँ/नहीं) कंपनी द्वारा कोई खतरनाक कचरा नहीं उत्पन्न किया जाता, हालाँकि, दैनिक कचरे का निपटान एएमसी सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जाता है।
- घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों के लिए गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? (हाँ/नहीं)।
हाँ

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

शून्य

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें: आवश्यक सुरक्षा उपकरण मौजूद हैं।

आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए, जैसे कि अग्निशमन उपकरण, अग्निसुरक्षा उपकरण, लिफ्टों का रखरखाव, आपातकालीन संकेत, आपातकालीन निकास द्वार और लॉबी क्षेत्र। कोविड के बाद, अतिरिक्त उपायों का पालन किया गया जैसे वांशरूम में सेंसर-चालित नल, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम सुविधा आदि।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां
कार्य करने की स्थिति	शून्य	शून्य	-	1	1	-
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

14. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया था (कम्पनी या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष के द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण	100 (प्रधान कार्यालय और 4 क्षेत्रीय कार्यालय)
कार्य करने की स्थिति	-

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/समस्याओं के समाधान के लिए की गई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें। शून्य

नेतृत्व संकेतक

- क्या कंपनी (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु होने पर कोई जीवन बीमा या कोई क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है। हां
- ऐसे उपायों का ब्यौरा दें, जिनसे सुनिश्चित हो सके कि कंपनी द्वारा किये गये भुगतान में से वैधानिक बकाया काट लिया गया है और वैल्यू चैन भागीदारों द्वारा उसे जमा करा दिया गया है। लागू नहीं
- उन कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या बताएं, जिन्हें कार्य के दौरान चोट/बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न-11 में वर्णित किया गया है) जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार दिया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में नियुक्त किया गया: शून्य
- क्या कंपनी निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप करियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग सहायता कार्यक्रम संचालित करती है? (हां नहीं)।
हाँ, आईएफसीआई में “सेवानिवृत्त अधिकारियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की नीति” लागू है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त अधिकारियों को निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त करके उनके अनुभव और सुविज्ञता का उपयोग करना है।
- वैल्यू चैन भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण: शून्य
- वैल्यू चैन भागीदारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रक्रियाओं और कार्य-दशाओं के आकलन से पैदा होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या जारी सुधारात्मक कार्यवाहियों का विवरण प्रदान करें: शून्य

सिद्धांत 4: संस्थाओं को अपने सभी के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

अनिवार्य संकेतक

1. कंपनी के प्रमुख स्टैकहोल्डर समूहों की पहचान करने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन करें।
ऐसी कोई प्रक्रिया परिभाषित नहीं की गई है, हालांकि सूचीबद्ध कंपनी की कारोबारी क्रियाकलापों और एनबीएफसी होने के नाते, हितधारकों की श्रेणियों का उल्लेख नीचे बिंदु संख्या-2 में किया गया है।
2. अपनी कंपनी के प्रमुख हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ होने वाले सम्पर्कों का ब्यौरा दें।

हितधारक समूह	क्या कमजोर और उपेक्षित समूह के रूप में पहचान की गई है (हाँ/नहीं)	संवाद चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, अन्य)	आपसी सम्पर्क (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	सम्बंध का उद्देश्य और दायरा और इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गये मुख्य विषय
प्रतिभूति धारक (इक्विटी और बॉन्डधारक)	नहीं	ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, नोटिस, वेबसाइट आदि	आवश्यकता आधारित कार्यक्रम और सभी अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और वार्षिक कवर किए जाते हैं	ऋण चुकौती, मीटिंग अपडेट, केवाईसी संबंधी, शिकायत संबंधी
ग्राहक (सलाहकारी कारोबार)	नहीं	वेबसाइट, ईमेल, व्यक्तिगत मुलाकात, प्रस्तुतियाँ	घटना आधारित	कार्य आदेश/परियोजना संबंधित
कर्मचारी (सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित)	नहीं	ईमेल, वेबसाइट, इंटरनेट, आंतरिक बैठकें	घटना आधारित	प्रशिक्षण, कार्य आदेश, शिकायत आदि
नियामक अधिकारी	नहीं	ईमेल, टेलीफोन, वेबसाइट आदि	त्रैमासिक, घटना आधारित	अनुपालन अपडेट
ऋणी	नहीं	वेबसाइट, ईमेल, व्यक्तिगत मुलाकात	मासिक, त्रैमासिक	फॉलो अप, नियमित अपडेट
ऋणदाता	नहीं	वेबसाइट, ईमेल, व्यक्तिगत मुलाकात	मासिक, त्रैमासिक, घटना	फॉलो अप और नियमित अपडेट आधारित

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लेख करें या यदि परामर्श दिया गया है, तो ऐसे परामर्शों से बोर्ड को फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है। लागू नहीं
आईएफसीआई पर्यावरणीय एवं सामाजिक विषयों पर विभिन्न अधिकारियों, संबंधित मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करता है।
2. क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरणीय एवं सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो उदाहरण सहित विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को कंपनी की नीतियों और क्रियाकलापों में कैसे शामिल किया गया। लागू नहीं
3. कमजोर/हाशिये पर खड़े हितधारक समूहों की समस्याओं को दूर करने के लिए किये गये प्रयासों और कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।
आईएफसीआई जीईएम में पंजीकृत है और कंपनी एम.एस.एम.ई. से खरीद को बढ़ावा देती है।

सिद्धांत 5: कंपनियों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारी और श्रमिक, जिन्हें मानव अधिकार मुद्दों और संस्था की नीति(यों) के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है: शून्य
2. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिया जाने वाला न्यूनतम वेतन का विवरण निम्न प्रारूप में दें:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष					वित्तीय वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	प्रतिशत (ख/क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग/क)		संख्या (ङ)	प्रतिशत (ङ/घ)	संख्या (च)	प्रतिशत (च/घ)
कर्मचारी										
स्थायी										
पुरुष	98	शून्य	शून्य	98	100	110	शून्य	शून्य	110	100
महिला	50	शून्य	शून्य	50	100	57	शून्य	शून्य	57	100
स्थायी के अलावा										
पुरुष	11	शून्य	शून्य	11	100	11	शून्य	शून्य	11	100
महिला	1	शून्य	शून्य	1	100	3	शून्य	शून्य	3	

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष					वित्तीय वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	प्रतिशत (ख/क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग/क)		संख्या (ङ)	प्रतिशत (ङ/घ)	संख्या (च)	प्रतिशत (च/घ)
श्रमिक										
स्थायी										
पुरुष	1	शून्य	शून्य	1	100	1	शून्य	शून्य	1	100
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थायी के अलावा										
पुरुष	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:

क. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/ मजदूरी सम्बंधित श्रेणी	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/ मजदूरी सम्बंधित श्रेणी
निदेशक बोर्ड (बीओडी)	-	-	-	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (एमडी और डब्ल्यूटीडी शामिल हैं)	3	49.97 लाख	1	42.47 लाख रु.
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	106	24.31 लाख (प्रतिनियुक्ति के लिए, पारिश्रमिक का भुगतान सम्बंधित संगठन द्वारा किया जाता है।)	50	24.14 लाख रु.
कामगार	1	8.60 लाख	-	-

नोट: पारिश्रमिक की गणना के लिए कर्मचारियों की संख्या में स्थायी और संविदात्मक दोनों कर्मचारी शामिल हैं।

ख. निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान किया गया सकल वेतन:

	वित्तीय वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष
कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को दिया गया सकल वेतन	31.1%	32.9%

- क्या आपके पास कारोबार के दौरान पैदा होने वाले मानवाधिकार संबंधी शिकायत की सुनवाई करने के लिए कोई जिम्मेदार सम्पर्क-केन्द्र (व्यक्ति/समिति) है? नहीं
- मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक कार्यप्रणाली का वर्णन करें।
कर्मचारी शिकायतों का निवारण एक शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा किया जाता है, जिसमें मानवाधिकार से संबंधित ऐसे मुद्दों को शामिल करने की भी व्यापक गुंजाइश है।
- कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित के बारे में की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	0	0	-	0	0	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	-	0	0	-
बाल मजदूरी	0	0	-	0	0	-
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0	-	0	0	-
मजदूरी	0	0	-	0	0	-
मानव अधिकार संबंधी अन्य मुद्दे	0	0	-	0	0	-

7. निम्नलिखित प्रारूप में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत दर्ज की गई शिकायतें: **शून्य**
8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में प्रतिकूल परिणामों से शिकायतकर्ता की रक्षा करने की प्रणाली।
यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। यह कानून शिकायतकर्ता को किसी भी प्रतिकूल परिणाम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, आईएफसीआई में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी और कर्मचारी संघ भी है, जो कार्यस्थल पर भेदभाव सहित समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करते हैं। कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसरण में, जहां भी आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किया गया है। व्हिसल ब्लोअर नीति <https://www.ifcilt.com/2022/Whistle%20Blower%20Policy.pdf> पर उपलब्ध है।
9. क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके व्यापार समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं) **नहीं**
10. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (इकाई या वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्षकार द्वारा)
बाल श्रम	शून्य
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
वेतन	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

11. ऊपर दिए गए प्रश्न-10 में आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण प्रदान करें: **शून्य**

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार से संबंधित शिकायतों/मुद्दों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही कारोबारी प्रक्रिया का विवरण।
कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें मानवाधिकारों से संबंधित सभी मुद्दों को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, आईएफसीआई के पास दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति भी है।
2. कंपनी द्वारा संचालित मानवाधिकार संबंधी अनुपालन और उनके कवरेज का विवरण। **लागू नहीं**
3. क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए भी सुलभ है? **हाँ**
4. वैल्यू चेन भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण: **लागू नहीं**
5. उपरोक्त प्रश्न-4 में वर्णित आकलनों से होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या जारी सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण प्रदान करें। **लागू नहीं**

सिद्धांत 6: कंपनी को पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए तथा इस दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा इन्टेन्सिटी का विवरण:

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (ए)	लगभग 2281320 किलोवाट प्रतिघंटा	लगभग 2359320 किलोवाट प्रतिघंटा
कुल ईंधन खपत (बी)	लगभग 818.62 किलोवाट प्रतिघंटा	लगभग 489.37 किलोवाट प्रतिघंटा
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)	शून्य	शून्य
नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई कुल ऊर्जा (ए+बी+सी)	लगभग 2282138.62 किलोवाट प्रतिघंटा	लगभग 2359809.37 किलोवाट प्रतिघंटा
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (डी)	शून्य	शून्य
कुल ईंधन खपत (ई)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ)	शून्य	शून्य

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)	शून्य	शून्य
कुल खपत ऊर्जा (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	शून्य	शून्य
प्रति रुपया टर्नओवर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व)	2282138.62 (किलोवाट प्रतिघंटा)/ 37951140 (राशि)=0.060	2359809.37 (किलोवाट प्रतिघंटा) / 36387000 (राशि)=0.064
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपये की ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/पीपीपी के लिए समायोजित संचालन से राजस्व)	-	-
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा की तीव्रता	-	-
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक)-प्रासंगिक मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है	-	-

नोट: कृपया बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/समीक्षा की गई है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। नहीं, हालाँकि, आईएफसीआई का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष से बिजली की खपत से संबंधित खुलासों के लिए गहन मूल्यांकन करना है।

- क्या संस्था के पास भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के तौर पर पहचान की गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, बताएं: शून्य
- निम्नलिखित प्रारूप में जल से संबंधित निम्नलिखित खुलासों का विवरण उपलब्ध कराएं:

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत द्वारा निकासी (किलोलीटर में)		
(i) धरातल का पानी	लगभग 170 किलोलीटर	लगभग 373 किलोलीटर
(ii) भूजल		
(iii) थर्ड पार्टी जल		
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i+ii+iii+iv+v)	लगभग 170 किलोलीटर	लगभग 373 किलोलीटर
जल की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	लगभग 170 किलोलीटर	लगभग 373 किलोलीटर
प्रति रुपये टर्नओवर पर जल की तीव्रता (कुल पानी की खपत/परिचालन से राजस्व)	169 (इकाई) /34640 (राशि)=0.0048	373 (इकाई) /35920 (राशि)=0.010
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपये के टर्नओवर पर जल की तीव्रता (कुल पानी की खपत/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व)		
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की तीव्रता		
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) - कंपनी द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है		

नोट: कृपया बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/समीक्षा की गई है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। नहीं

- डिस्चार्ज किए गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: शून्य
- क्या संस्था ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए कोई प्रणाली लागू की है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का ब्यौरा दें: लागू नहीं
- कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कंपनी द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें: लागू नहीं है क्योंकि आईएफसीआई एक विनिर्माण कंपनी नहीं है।
- कृपया निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप-1 और स्कोप-2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें: लागू नहीं
- क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण दें। लागू नहीं
- संस्था द्वारा अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: संस्था द्वारा कोई खतरनाक कचरा उत्पन्न नहीं किया जाता, हालाँकि, दैनिक कचरे का निपटान एएमसी सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जाता है।
- आपके प्रतिष्ठान में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक व जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई व्यवस्था का वर्णन करें। कंपनी द्वारा कोई खतरनाक कचरा नहीं उत्पन्न किया जाता, हालाँकि, दैनिक कचरे का निपटान एएमसी सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जाता है।
- क्या संस्था के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय संरक्षित क्षेत्र आदि) जिनमें पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमतियां आवश्यक हैं, में कार्यस्थल/कार्यालय है, तो कृपया उल्लेख करें। निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें: शून्य

12. वर्तमान वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन का विवरण: **लागू नहीं**
13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का पालन कर रही है, जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हाँ/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालन का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दें: हाँ, कंपनी भारत में लागू सभी पर्यावरण संरक्षण कानूनों/विनियमों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रही है।

नेतृत्व संकेतक

- जल समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और डिस्चार्ज (किलोलीटर में): **शून्य**
जल समस्याग्रस्त क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक केन्द्र/प्लांट के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
(i) क्षेत्र का नाम
(ii) संचालन की प्रकृति
(iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और डिस्चार्ज:
नोट: यह बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (नहीं/हाँ) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। **नहीं।**
- कृपया निम्नलिखित प्रारूप में स्कोप-3 के कुल उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें: **शून्य**
नोट: यह बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (नहीं/हाँ) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। **नहीं।**
- उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर कंपनी के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें, साथ ही रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों का भी विवरण प्रदान करें। **लागू नहीं**
- यदि कंपनी ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन/प्रदूषित निकासी/उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या तराकों का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार ऐसी पहलों के परिणाम के साथ-साथ उसका विवरण प्रदान करें: **लागू नहीं**
- क्या कंपनी के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों में/वेब लिंक का विवरण दें।
हाँ, आईएफसीआई के पास कारोबार निरंतरता नीति है, जिसमें सक्रिय योजना और रणनीति शामिल है, जो व्यवधान के दौरान महत्वपूर्ण सेवाओं या उत्पादों की डिलीवरी सुनिश्चित करती है। आपदा रिकवरी (डीआर) किसी संगठन में आपदा, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानवीय कार्रवाई के कारण, के बाद आईटी अवसंरचना तक पहुँच और कार्यक्षमता को बहाल करने की क्षमता है। डीआर को कारोबार निरंतरता का एक उपसमूह माना जाता है, जो स्पष्ट रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि महत्वपूर्ण कारोबार कार्यों का समर्थन करने वाले आईटी सिस्टम विघटनकारी घटना होने के बाद जल्द से जल्द चालू हों। आईएफसीआई का डेटा सेंटर आईएफसीआई टॉवर, नई दिल्ली में स्थित है और महत्वपूर्ण सीआईआईएस एप्लिकेशन ऑरेकल डेटाबेस 12सी और एप्लिकेशन सर्वर 11जी के साथ सन स्पार्क सर्वर पर चल रहे हैं। आईएफसीआई ने मुंबई में सिफ्री डेटा सेंटर में डीआर साइट स्थापित की है, जो डेटाबेस, एप्लिकेशन और वर्चुअल मशीनों को रिप्लिकेट करती है। कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, आईएफसीआई समय-समय पर डीआर ड्रिल आयोजित करता है।
- कंपनी की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख करें। इस संबंध में कंपनी द्वारा कौन से रोकथाम या अनुकूलन उपाय किए गए हैं। **शून्य**
- मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया था। **लागू नहीं**

सिद्धांत 7: यदि कंपनी के कारोबार से सार्वजनिक और नियामक नीति प्रभावित होती है, तो उसे हर कार्य पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

- क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।
कंपनी दो (2) व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की सदस्य है।
- ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जिनकी कंपनी सदस्य है/संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों तक पहुँच (राज्य/राष्ट्रीय)
1.	भारतीय बैंक संघ	राष्ट्रीय
2.	भारतीय बैंकिंग और वित्तीय संस्थान	राष्ट्रीय

- नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या जारी सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें। **शून्य**

नेतृत्व संकेतक

- संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति स्थितियों का विवरण: **शून्य**

सिद्धांत 8: कंपनी को समावेशी विकास और साम्यिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

- वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण। शून्य
- ऐसी परियोजना (परियोजनाओं) की जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें, जिनमें आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) किये जा रहे हैं: लागू नहीं
- समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के कार्यप्रणाली का वर्णन करें। लागू नहीं
- आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट का प्रतिशत):

	वित्तीय वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
एमएसएमई / छोटे उत्पादकों से सीधे ही प्राप्त	0.96%	67.06%
भारत के भीतर से सीधे ही	100	-

- छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का विवरण, कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में दें

स्थानवित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	(पिछला वित्तीय वर्ष)
ग्रामीण	0	0
अर्ध शहरी	0	0
शहरी	0	0
महानगरीय	100%	100%

(आरबीआई वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत किए गये स्थान - ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी/महानगरीय)

नेतृत्व संकेतक

- सामाजिक प्रभाव आकलनों में पता चले किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण दें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न-1): लागू नहीं
- सरकारी निकायों द्वारा पहचान किये गये नामित पिछड़े जिलों में आपकी कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: शून्य
- (क) क्या आपके पास कोई प्राथमिकता वाली अधिग्रहण नीति है, जिसके आधार पर आप छोटे/कमजोर समूह के आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं): हाँ. आईएफसीआई के पास निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक केंद्रीकृत अधिग्रहण नीति है।
(ख) आप किन छोटे/कमजोर समूहों से सामग्री/सेवाओं की अधिग्रहण करते हैं?
आईएफसीआई इन सीमांत/कमजोर समूहों से अधिग्रहण करता है: एमएसएमई उद्यम
(ग) यह कुल अधिग्रहण (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है? 0.96%
- पारंपरिक ज्ञान के आधार पर (चालू वित्त वर्ष के दौरान) आपकी कंपनी द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदाओं से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण: शून्य, क्योंकि आईएफसीआई पारंपरिक ज्ञान के आधार पर कंपनी द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदाओं में शामिल नहीं है।
- बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या जारी सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है। शून्य
- सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण: शून्य

सिद्धांत 9: संस्थाओं को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारी से जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व प्रदान करना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

- उपभोक्ता शिकायत और फीडबैक प्राप्त करने और उनका जवाब देने की प्रक्रिया का वर्णन करें।
आईएफसीआई द्वारा बॉड सर्विसिंग में निवेशकों के प्रश्नों/शिकायतों/समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।
इक्विटी शेयरधारकों के संबंध में, कंपनी ने निवेशकों की समस्याओं/शिकायतों के निवारण के लिए एक रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) नियुक्त किया हुआ है। साथ ही, कुछ प्रश्नों का समाधान सीधे ही कंपनी के संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है।
ऐसे बॉण्ड जिनके लिए आईएफसीआई में इन-हाउस सेवा दी जाती है, सभी सवाल/शिकायतों के उत्तर आईएफसीआई द्वारा सीधे ही निवेशकों को उत्तर दिये जाते हैं। इसी प्रकार, ऐसे बॉण्ड जिनके लिए आर एंड टीए के माध्यम से, समस्याओं/शिकायतों का समाधान सीधे आर एंड टीए द्वारा किया जाता है। हालाँकि, यदि प्रश्नों को हल करने में किसी सहायता या समर्थन की आवश्यकता होती है, तो वह आईएफसीआई द्वारा प्रदान की जाती है।

निवेशकों की समस्याओं/शिकायतों की समाधान-प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए, विभाग में त्रैमासिक अंतराल पर, इस अवधि के अंत में शिकायतों के प्रकार, प्राप्त शिकायतों की संख्या, समाधान और लंबित समाधान, यदि कोई हो, को दर्शाते हुए निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट संबंधित आर एंड टीए से प्राप्त की जाती है और संकलित की जाती है। ऐसे संकलित आंकड़ों के आधार पर, एक रिपोर्ट बोर्ड की हितधारक संबंध समिति के समक्ष रखी जाती है।

स्कोर्स— सेबी के पास निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसे स्कोर्स कहा जाता है। पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को आईएफसीआई द्वारा प्राप्त किया जाता है और संबंधित मुद्दों पर अंतरिम उत्तर और/या कार्रवाई रिपोर्ट आर एंड टीए के साथ मिलकर प्रस्तुत की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए।

इसके अलावा, निवेशकों की शिकायतें और अनुरोध निम्नलिखित पर भी प्राप्त किए जाते हैं:

- बॉन्डधारक अनुभाग के माध्यम से आईएफसीआई वेबसाइट
- ईमेल आईडी complianceofficer@ifcilttd.com
- ईमेल आईडी bondscplianceofficer@ifcilttd.com
- ईमेल आईडी infrabonds@ifcilttd.com इन्फ्रा बांडों के लिए
- ईमेल आईडी tier2bonds@ifcilttd.com अधीनस्थ बांडों के लिए
- ईमेल आईडी ifcipublicissue@ifcilttd.com बांडों के सार्वजनिक निर्गम के लिए
- ईमेल आईडी ppbonds@ifcilttd.com निजी धारण बांडों के लिए

ईमेल से प्राप्त प्रश्नों या शिकायतों का उत्तर ईमेल के माध्यम से ही दिया जाता है। यदि किसी शिकायत/समस्या के समाधान के लिए कुछ और समय की जरूरत होती है, तो निवेशक-अनुकूल संकेत के रूप में निवेशक को अंतरिम उत्तर भी भेजा जाता है। आर एंड टीए द्वारा देख-रेख किए जा रहे बॉन्ड और इक्विटी के मामले में, आईएफसीआई में ईमेल/पत्र से प्राप्त निवेशकों की शिकायतें, आर एंड टीए को अग्रणी की जाती है। इसके बाद आर एंड टीए निवेशक को ईमेल/पत्र से जवाब देता है और उसकी प्रति आईएफसीआई को भी भेजी जाती है।

निवेशकों से प्राप्त कुछ सामान्य शिकायतें इस प्रकार हैं:

- क. बॉन्ड प्रमाणपत्रों में गलतियों का सुधार करना
 - ख. डुप्लीकेट बॉन्ड प्रमाणपत्र जारी करना
 - ग. बॉन्डों का रिमैटरियालाइजेशन और डिमैटरियालाइजेशन
 - घ. बॉन्डों का ट्रांसमिशन
 - ङ. बॉन्डों का विभाजन
 - च. बैंक खाता, पता, ईमेल आईडी अपडेट करना
 - छ. अवरुद्ध अवधि में बॉन्ड के लिए कॉरपोरेट कार्रवाईयां
 - ज. वारंटों का पुनर्वैधीकरण/बकाया राशि का भुगतान
 - झ. आईपीएफ में अन्तरित लाभांश/शेयर/राशि की स्थिति।
2. निम्नलिखित के बारे में कुल उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर में इन उत्पादों और/सेवाओं के टर्नओवर का प्रतिशत: **लागू नहीं**
 3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या: **शून्य**
 4. सुरक्षा मसलों के कारण प्रॉडक्ट रिकॉल की घटनाओं का विवरण: **लागू नहीं**
 5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (**हाँ/नहीं**) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।
हाँ. आईएफसीआई की अपनी आईएस व साइबर सुरक्षा नीति है, नीति की वार्षिक समीक्षा की जाती है। नीति एक आंतरिक दस्तावेज है।
 6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण, साइबर सुरक्षा और ग्राहक डेटा गोपनीयता, उत्पाद रिकॉल की घटनाओं, उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान दें।
लागू नहीं
 7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: **शून्य**
 - क. डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या
 - ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत
 - ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो

नेतृत्व संकेतक

1. ऐसे चैनल/प्लेटफॉर्म, जहाँ से कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।
आईएफसीआई विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पाद/सेवाएँ प्रदान करती है। आईएफसीआई द्वारा प्रदान किये जा रहे वित्तीय उत्पाद कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इन्हें <https://www.ifcilttd.com/?q=en/content/financial-products> पर देखा जा सकता है।
2. उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।
प्रासंगिक विवरणों से युक्त कंपनी की वेबसाइट रियल टाइम आधार पर अपडेट की जाती है।

3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान आने / उनके बंद होने से पैदा होने वाले जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए मौजूद प्रणाली।
आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने से होने वाले सभी जोखिमों की जानकारी आईएफसीआई की वेबसाइट द्वारा प्रदान की जाती है।
4. क्या कंपनी उत्पादों के बारे में स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें।
क्या आपकी कंपनी ने कंपनी के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, कंपनी के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्रतः कंपनी से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां नहीं)
हाँ। एक एनबीएफसी होने के नाते कंपनी विभिन्न वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसके निवेशकों को कंपनी की वेबसाइट <https://www.ifcilttd.com/?q=en/content/financial-products> के माध्यम से उसके सभी वित्तीय उत्पादों का पर्याप्त खुलासा उसके उधारकर्ताओं और किया जाए।

कारोबार दायित्व और स्थिरता रिपोर्ट का अनुबंध-1

कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक नीतियों के लिंक नीचे दिए गए हैं:-

नीतियों के नाम	वैब-लिंक
उचित व्यवहार संहिता	https://www.ifcilttd.com/?q=en/content/fair-practices-code
आचार संहिता	https://www.ifcilttd.com/?q=en/content/code-conduct
सतर्कता प्रणाली	https://www.ifcilttd.com/?q=en/content/whistle-blower-policy
सीएसआर नीति	https://www.ifcilttd.com/?q=en/content/our-csr-policy

अन्य नीतियां आन्तरिक दस्तावेज हैं और केवल संगठन के कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं।

एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी का कल्याण

आपकी कंपनी अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के कल्याण के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अक्षरशः और संवेदनशील तरीके से पालन करती है। आपकी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के कल्याण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए भी काम करती है। आपकी कंपनी विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण और छूट के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित

दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करती है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करती है।

वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी में नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या 139 थी (एमडी और सीईओ, डीएमडी और सीवीओ को छोड़कर), जिनमें से 20 (14%) अन्य पिछड़ा वर्ग से थे, 12 (9%) अनुसूचित जाति से थे और 01 (1%) अनुसूचित जनजाति से थे।

01 जनवरी, 2024 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व के विवरण और पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाली वार्षिक विवरण:

क्रम स.	श्रेणियां	कर्मचारियों की संख्या					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
		(01.01.2024 की स्थिति अनुसार)					प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	श्रेणी I	138	12	1	20	-	-	-	-	-	-	30	2	-	-	-	-
2	श्रेणी III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	श्रेणी IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	संविदात्मक पर	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	147	12	1	20	0	1	0	0	0	0	30	2	0	0	0	0

01 जनवरी, 2024 को विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

क्रम स.	ग्रेड	कर्मचारियों की संख्या					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
		(01.01.2024 की स्थिति अनुसार)					प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.	जोड़	अ.जा.	अ. ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	कार्यपालक निदेशक	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
2	एफ	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
3	ई	22	2	-	3	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-
4	डी	29	-	-	3	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
5	सी (निजी सचिव ग्रेड सी सहित)	45	5	1	5	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
6	बी (निजी सचिव ग्रेड बी सहित)	34	5	-	8	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-
7	ए	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	श्रेणी III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	श्रेणी IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	संविदात्मक पर	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	147	12	1	20	0	1	0	0	0	0	30	2	0	0	0	0

दिव्यांग जनों (पीडब्ल्यूडी) का समूह-वार प्रतिनिधित्व (31.12.2023 तक)

क्रम स.	समूह	कर्मचारियों का स्वरूप (31.12.2023 की स्थिति अनुसार)					कैलेंडर वर्ष 2023 (अर्थात् 01.01.2023 से 31.12.2023) के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																			
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्ति										पदोन्नतियाँ									
							आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या				
		जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	श्रेणी I	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	श्रेणी-III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	श्रेणी-IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- टिप्पणी:
- (i) वीएच से अभिप्राय दृष्टि से विकलांग (अंधेपन या दृष्टि कम हो जाने के रोग से पीड़ित व्यक्ति)
 - (ii) एचएच से अभिप्राय श्रवण की दृष्टि से विकलांग (जिन व्यक्तियों को सुनाई नहीं देता है)
 - (iii) ओएच से अभिप्राय शारीरिक रूप से विकलांग (चलने की अशक्तता या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति)
 - (iv) आईडी से अभिप्राय बौद्धिक अशक्तता

प्रपत्र एओसी-1

(कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के प्रथम परन्तुक के अनुसार)
सहायक कम्पनियों/सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा

भाग “क”: सहायक कम्पनियां

31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	सहायक कम्पनी का नाम	प्रत्यक्ष सहायक कम्पनियां						स्टैप डाउन सहायक कम्पनियां						
		आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फ़ंड्स लि.	आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि.	आईएफसीआई फैक्टर्स लि.	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लि.	स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	एमपीकॉन लि.	आईआईडीएल रियल्टर्स प्रा. लि.	आईफिन कमोडिटीज लि.	आईफिन क्रेडिट लि.	आईफिन सिक्यूरिटीज फाइनेंस लि.	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसिज लि.	एसएचसीआईएल सर्विसिज लि.	स्टॉक होल्डिंग सिक्यूरिटीज आईएफएससी लि.
1	शेयर पूंजी	60.37	427.09	279.44	41.53	21.05	1.00	0.01	5.00	2.50	30.01	55.75	6.09	20.00
2	रिजर्व एवं अधिशेष निधि	113.08	80.83	-265.52	23.10	6,423.49	14.48	10.17	-1.87	0.49	0.49	-6.27	106.63	-6.83
3	कुल परिसम्पत्तियां	187.79	534.86	20.57	90.50	9,878.56	30.06	19.31	3.32	2.02	30.69	171.82	473.47	17.80
4	कुल देयताएं	14.35	26.94	6.65	25.87	3,434.02	14.58	9.13	0.19	-0.97	0.19	122.34	360.75	4.63
5	निवेश	30.58	115.52	9.34	35.88	7,123.48	-	-	-	-	0.92	-	2.76	-
6	टर्नओवर	51.30	38.97	21.88	15.46	788.22	237.07	3.72	0.39	0.12	2.76	100.64	119.66	0.74
7	कराधान पूर्व लाभ	13.81	13.53	-1.56	-1.91	301.22	8.46	2.38	-0.29	0.026	1.26	11.87	27.32	-1.26
8	कराधान हेतु प्रावधान	12.78	3.53	86.38	-	36.95	2.56	1.02	-	-	-0.06	3.75	7.25	-
9	कराधान पश्चात् लाभ	1.03	10.00	-87.94	-1.91	264.27	5.90	1.36	-0.29	0.026	1.15	8.12	20.07	-1.26
10	प्रस्तावित लाभोश	-	-	-	-	33.27	-	-	-	-	-	-	9.13	-
11	शेयरधारिता % *	98.59%	100.00%	99.90%	94.78%	52.86%	79.72%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*स्टैप डाउन सहायक कम्पनियों के लिए दी गई शेयरधारिता का % उनकी तत्काल सम्बन्धित धारक कम्पनी की शेयरधारिता को दर्शाता है।

टिप्पणी: सभी सहायक कम्पनियां भारत में निगमित हैं और ये धारक कम्पनी के समान ही रिपोर्टिंग अवधि अर्थात् 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 माह का पालन करती हैं।

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

राहुल भावे
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09077979

उमेश कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन: 00599426

सुनीत शुक्ला
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

भाग “ख” : सहयोगी कम्पनियों व संयुक्त उद्यम
सहयोगी कम्पनियों व संयुक्त उद्यमों के सम्बंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम. सं.	सहयोगी कम्पनियों/ संयुक्त उद्यमों का नाम	एथेना छत्तीसगढ़ पावर प्रा. लि.	गति इंफ्रास्ट्रक्चर भास्मे पावर प्रा. लि.\$	किटको लि. ^	नगाई पावर प्रा. लि.	शीगा एनर्जी प्रा. लि.	वडराज सीमेंट लि.	वडराज एनर्जी (गुजरात) लि.
1.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तारीख	31-Mar-20	31-Mar-22	31-Mar-23	31-Mar-21	31-Mar-23	31-Mar-18	31-Mar-18
2.	वर्ष के अंत में कम्पनी द्वारा धारित सहयोगी कम्पनियों/ संयुक्त उद्यमों के शेयर							
	इक्विटी शेयरों की संख्या	138,540,000	45,020,000	19,950	5,640,000	51,000,000	63,916,797	36,000,000
	सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश की राशि-इक्विटी शेयर	137.29	45.02	0.04	5.17	51.00	63.92	35.44
	धारिता की सीमा	7.01%	38.73%	20.26%	26.46%	28.43%	3.20%	24.00%
3.	ऐसे कारण, जिनसे सहयोगी कम्पनी/ संयुक्त उद्यम का समेकन नहीं किया गया	इंड एस 28, पैरा 20 के अनुसार कोई संस्था किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में इंड एस 105 को किसी निवेश या निवेश के किसी भाग पर लागू करेगी जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मानदण्ड को पूरा करता है। किसी सहयोगी कम्पनी या संयुक्त उद्यम में, निवेश के रखे गए किसी भाग, जिसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया जो बिक्री होने के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, के भाग के निपटान तक इक्विटी विधि का प्रयोग करके हिसाब में लिया जाएगा। निपटान होने के पश्चात् कोई कम्पनी सहयोगी कम्पनी या संयुक्त उद्यम में रखे गए हित को इंड एस के अनुसार हिसाब में लेगी जब तक कि सहयोगी कम्पनी या संयुक्त उद्यम में रखा गया हित जारी रहता है जिस मामले में कम्पनी इक्विटी विधि का प्रयोग करती है। चूंकि इन कंपनियों में निवेश को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तदनुसार, इन कम्पनियों को समेकित नहीं किया है।						
4.	कम्पनी का निवल मूल्य	1,954.75	116.44	38.86	-69.20	-326.98	-1,112.87	-137.35
	- इक्विटी शेयर पूंजी	1,975.06	116.24	9.85	365.47	179.42	2,000.00	150.00
	- अधिमान शेयर पूंजी	-	-					
	- संपरिवर्तनीय अधिमान शेयर पूंजी	-						
	- रिजर्व व अधिशेष	-20.01	0.20	29.01	-434.67	-506.40	-3,112.87	-287.35
5.	नवीनतम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य (केवल इक्विटी)	137.03	45.10	7.87	-18.31	-92.95	-35.57	-32.96
6.	वर्ष के लिए लाभ/हानि	-0.30	-	2.53	-235.31	-65.94	-1,595.29	-212.99
	i. समेकन में शामिल किया गया	-	-	-	-	-	-	-
	ii. समेकन में शामिल नहीं किया गया	-0.30	-	2.53	-235.31	-65.94	-1,595.29	-212.99

\$ I-जीएएपी वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है।

^ अंतिम लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण 2022-23 पर आधारित

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

राहुल भावे
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09077979

उमेश कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन: 00599426

सुनीत शुक्ला
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यगण,

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने आईएफसीआई लिमिटेड ("कम्पनी") के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकद प्रवाह विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां और अन्य स्पष्टीकारक विवरणों सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं (जिसे इस रिपोर्ट में आगे "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" कहा जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के तहत अपेक्षित सूचना यथानुसार देते हैं और 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार मामलों की स्थिति, कम्पनी का मुनाफा, कुल व्यापक आय, इसके नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन सहित यथासंशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप उनके बारे में सत्य एवं स्पष्ट सूचना देते हैं।

राय के लिए आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143(10) के अधीन निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा पर मानकों (एसए) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियों का उल्लेख इस रिपोर्ट के "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियां" नामक खण्ड में किया किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नीति-संहिता के अनुसार कम्पनी के स्वतंत्र लेखा-परीक्षक हैं और नीतिपरक अपेक्षाएं कम्पनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संगत हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की नीति-संहिता के अनुसार अपनी अन्य नीतिपरक जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा-परीक्षा राय के लिए उचित आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

इम्फेसिस ऑफ मैटर:

- हम 01.04.2021 से चरण-3 परिसंपत्तियों पर ब्याज आय की मान्यता के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन के संबंध में वित्तीय विवरणों के **नोट संख्या 39** की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। तदनुसार, वित्त वर्ष 2021-2022 और वित्त वर्ष 2022-2023 की ब्याज आय में क्रमशः 248.03 करोड़ रुपये और 209.50 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।
- हम **नोट संख्या 40** की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के आधार पर सहायक कंपनियों में निवेश के मूल्यांकन पर विचार किया गया है।
- हम **टिप्पणी संख्या 54** की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां पूँजी जोखिम पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 31.03.2024 को (-)48.35% है, जो आर.बी.आई. द्वारा दिनांक 31 मई, 2018 (आरबीआई/2017-18/181) डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.092/03.10.001/2017-18) द्वारा परिचालित निर्धारित दिशानिर्देश से कम है।
- एक निश्चित मामले में, यह देखा गया कि एक पार्टी ने भारत सरकार की एसडीएफ (चीनी विकास निधि) योजना के तहत सहायता प्राप्त करने और अपने प्रस्ताव की समुचित तैयारी के लिए कंपनी को अपना सलाहकार/परामर्शदाता नियुक्त किया है। लेकिन कंपनी एसडीएफ योजना के तहत नोडल मंत्रालय द्वारा प्राप्त आवेदन पर स्वतंत्र रूप से विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने

के लिए सरकार की नोडल एजेंसी/एजेंट के रूप में भी कार्य कर रही है। भारत सरकार से स्पष्ट अनुमोदन मिलने के बावजूद, किसी भी आवेदक को व्यावसायिक शर्तों पर दस्तावेजों/परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने में सहायता/प्रशिक्षण देने की कंपनी की कार्यवाही और भारत सरकार की ओर से उचित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने से कंपनी द्वारा मूल्यांकित प्रस्तावों की विश्वसनीयता काफी कमजोर होती है। साथ ही इससे कंपनी की स्वतंत्र स्थिति भी प्रभावित होती है।

- कंपनी ने हमें नोडल मंत्रालय से प्राप्त पत्र दिनांक 01.11.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि एसडीएफ (चीनी विकास निधि) योजना के लिए लेखा परीक्षकों के साथ कोई विशिष्ट डेटा साझा नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, हमारे द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की गई है।
- कंपनी ने हमें सूचित किया है कि पीएलआई (प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव) योजनाओं के लिए नोडल मंत्रालय से प्राप्त पत्रों के अनुसार, फाइलें और दस्तावेज लेखा परीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, इसलिए हमने इनकी समीक्षा नहीं की है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं है।

प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों का समाधान समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में किया गया है और उन्हीं के आधार पर हमारी राय बनी है तथा हम इन मामलों पर अलग से कोई राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले प्रमुख लेखा-परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में हमारे मामले का समाधान कैसे किया गया
1.	ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति - प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) (लेखांकन नीति संख्या 6(ख) के साथ पठित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 53 देखें) अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां हमने प्रबंधकीय निर्णयों के उच्चतर स्तर का पता लगाया है: - ईसीएल मॉडल - क्षति हानि मूल्यांकन के लिए चूक की संभावनाओं (पीडी), चूक के कारण हानि (एलजीडी) का अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ये मॉडल ईसीएल को मापने के मुख्य संचालक हैं। - विभिन्न चरणों का व्यक्तिगत रूप से निर्धारित वर्गीकरण - यदि व्यक्तिगत क्षति का उपयुक्त रूप से अभिनिर्धारण और अनुमान न लगाया जाए, तो ऋण प्राप्तकर्ताओं को ऋण और अग्रिमों के वास्तविक मूल्य में महत्वपूर्ण असमानता हो सकती है।	हमारी लेखा-परीक्षा पद्धति में निम्नलिखित शामिल हैं: हमने प्रत्याशित ऋण हानि के सम्बन्ध में लेखांकन मानक 109 'वित्तीय प्रलेख', में विनिर्दिष्ट मार्गनिर्देशों, विभिन्न नियामक नवीनतम सूचनाओं, कम्पनी के आन्तरिक अनुदेशों और प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखा-परीक्षा पद्धतियों में उनको अपनाया गया है: - ऋण परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में मुख्य आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों के मूल्यांकन और जानकारी, ऋण क्षति का निर्धारण, उपयुक्त आंकड़ों की गुणवत्ता के निर्धारण सहित और प्रविष्ट वास्तविक आंकड़ों की समीक्षा। - किसी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या किसी ऋण परिसम्पत्ति खाते का पता लगाने के लिए बड़ी और दबावग्रस्त ऋण परिसम्पत्तियों की जांच-परीक्षण आधार पर ऋण परिसम्पत्ति खातों का सत्यापन/ प्रलेखों की समीक्षा, कार्य-निष्पादन।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में हमारे मामले का समाधान कैसे किया गया
	इन मामलों का प्रभाव यह है कि हमारे जोखिम निर्धारण के भाग के रूप में हमने यह निर्धारण किया है कि ईसीएल के मूल्य में अत्यधिक आनुमानिक अनिश्चितता होती है जिसके साथ वित्तीय विवरणों की समग्र गुणवत्ता की अपेक्षा अधिक समुचित परिणामों की संभावनाएं जुड़ी हैं। अवधारणाओं के अनुचित उपयोग के मामले में ऋण परिसम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलत बताया जा सकता है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में ऋण परिसम्पत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए उस पर ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति को हमारी लेखा-परीक्षा में मुख्य लेखा-परीक्षा मामला माना गया है।	3. किसी प्रतिकूल संकेत/टिप्पणी वाली ऋण परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिए आन्तरिक लेखा-परीक्षा और अन्य किसी लेखा-परीक्षा/ निरीक्षण प्रणाली की रिपोर्टों की समीक्षा और कम्पनी की नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा, ताकि ऐसी ऋण परिसम्पत्तियों और उसकी संभावित क्रेडिट हानि का समेकित वर्गीकरण किया जा सके। 4. पीडी और एलजीडी के परिकलन के लिए प्रयुक्त पद्धति में महत्वपूर्ण आंकड़ों के इनपुट की उपयुक्तता। 5. ईसीएल परिकलन में स्रोत पद्धतियों से आंकड़ों के प्रवाह की पूर्णता और सटीकता। 6. आर.बी.आई. के आईआरएसीपी मानदण्डों के आधार पर समग्र ऋण परिसम्पत्तियों का स्वतंत्र निर्धारण। हमारा निष्कर्ष: हमने क्रेडिट क्षति प्रभार और मान्य प्रावधान और इससे सम्बन्धित प्रकटनको को स्वीकार्य और संतोषजनक माना है।
2.	उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों का मूल्यांकन (लेखांकन नीति संख्या 6(ख) के साथ पठित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 52 देखें। कम्पनी अपनी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबन्धन करने के लिए आर.बी.आई. के मार्गनिर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव संविदाएं करती है। इन डेरिवेटिव संविदाओं का एफवीटीपीएल पर वर्गीकरण किया जाता है और नकद प्रवाह प्रतिरक्षण (प्रतिरक्षा लेखांकन) के अधीन कतिपय डेरिवेटिव संविदाओं को पदनामित किया जाता है। हम डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेखों के मूल्यांकन और प्रतिरक्षा लेखांकन को इसके महत्वपूर्ण जोखिम और इस तथ्य की वजह से कि इन अपेक्षाओं के अनुचित प्रयोग से आय विवरण पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है, के कारण एक प्रमुख लेखा-परीक्षा मामला समझते हैं।	हमारी लेखा-परीक्षा पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं: हम उन वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं और अन्तर्निहित संविदाओं के संभावित परिणामों तथा कम्पनी को हो रहे किसी लाभ या हानि के लिए निकाले गए उचित मूल्यांकन का अनुमान लगाने में प्रबन्धन की अन्तर्निहित अवधारणाओं की समीक्षा करने के लिए अपने कार्य-दल को निर्देश देते हैं जिससे कम्पनी को हो रहे किसी लाभ या हानि का पता लगाया जा सके। हमारे कार्य-दल ने 31 मार्च, 2024 को निपटान के लिए बकाया/लम्बित के रूप में वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं का ऐसा उचित मूल्य निकालने के लिए सामान्य बाजार कार्य-विधियों और अन्य अन्तर्निहित अवधारणाओं पर भी विचार किया है। यह निर्धारण करना कि मौजूदा लेखांकन मानकों और आर.बी.आई. के मार्गनिर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में कम्पनी के वित्तीय विवरणों में इसके डेरिवेटिव मूल्यांकन जोखिम को उपयुक्त रूप से दर्शाने के लिए प्रकटन किया गया है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में हमारे मामले का समाधान कैसे किया गया
		हमारा निष्कर्ष: हमें उचित मूल्य पर डेरिवेटिव संविदाओं के मूल्यांकन में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं मिली है और सम्बन्धित प्रकटन स्वीकार्य और संतोषजनक हैं।
3.	सहायक और सहयोगी कम्पनियों में निवेश का मूल्यांकन मूल कम्पनी के वित्तीय विवरणों और निवेशों की वसूली-योग्यता के सम्बन्ध में बाजार जोखिम के संदर्भ में निवेश की मात्रा के कारण इसे कम्पनी की लेखा-परीक्षा के दौरान बल दिया जाने वाला क्षेत्र माना गया था। अतः हमारी रिपोर्ट में यह एक लेखा-परीक्षा मामला माना गया था।	हमारी लेखा-परीक्षा पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं: सभी सहायक और सहयोगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा। हमारा निष्कर्ष: हमें निवेशों की वसूलनीयता में कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं मिला है और निवेशों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया गया है।
4.	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का निर्धारण मुख्य वित्तीय लेखांकन और सूचना प्रक्रियाएं कम्पनी की आईटी पद्धतियों के स्वचालित नियंत्रण पर अत्यधिक निर्भर करती हैं। इस बात का जोखिम रहता है कि कर्तव्यों या यूजर एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल के अनुपयुक्त विभाजन (मुख्य वित्तीय लेखांकन और सूचना पद्धतियों के सम्बन्ध में) से हमारी लेखा-परीक्षा करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है और लेखा-परीक्षा की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो सकती है। हमने प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले के रूप में इस पर विचार किया है क्योंकि किसी नियंत्रण चूक, वैधता विफलता, अनुचित इनपुट आंकड़ों और आंकड़ों के अनुचित निस्तारण से प्रबन्धन और नियामकों को आंकड़ों की गलत सूचना मिल सकती है।	हमारी लेखा-परीक्षा पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं: वित्तीय लेखांकन और सूचना पद्धतियों के सम्बन्ध में सूचना/इनपुट पर मुख्य नियंत्रण परिचालन का मूल्यांकित नमूना। हमारा निष्कर्ष: हमें वित्तीय लेखांकन और सूचना पर आईटी पद्धतियों से निकलने वाली सूचनाओं के हमारे विश्लेषण के अनुसार कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं दिखी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक बोर्ड और प्रबन्धन अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी शामिल है, परन्तु इसमें इस लेखा-परीक्षक रिपोर्ट की तारीख को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना को कवर नहीं करती है और हम उन पर आश्वासन के किसी रूप में निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है और ऐसा करने में, विचार करना कि क्या अन्य सूचना महत्वपूर्ण रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुरूप है या लेखा-परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलतबयानी प्रतीत होती है। यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य

सूचना की महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं है, जो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना अपेक्षित है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का निदेशक बोर्ड इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एस सहित। लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन, जिसमें अन्य व्यापक आय, नकद प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के बारे में सत्य और स्पष्ट सूचना देते हैं।

इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनको प्रस्तुत करते हुए कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन तथा उपयोग, उपयुक्त तथा विवेकसम्मत निर्णय लेने तथा अनुमान लगाने; पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के निरूपण, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकार्डों के सही होने तथा उनकी पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से लागू थे, के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करना शामिल है, जो सत्य एवं स्पष्ट सूचना देते हैं और यह महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाबाजी या त्रुटि हो, से मुक्त है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन का उत्तरदायित्व चालू फर्म के रूप में बने रहने की कम्पनी की क्षमता का मूल्यांकन करना है, चालू फर्म से संबंधित यथा प्रायोज्य मामलों को प्रकट करना और लेखांकन के आधार पर प्रतिष्ठित फर्म का प्रयोग करना जब तक कि प्रबंधन या तो कम्पनी को समाप्त करने या प्रचालनों को बंद करने का इरादा रखता है या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक बोर्ड कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में यह समुचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है और हमारी राय सहित लेखा-परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है। समुचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, परन्तु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखा-परीक्षा सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाती है, जब यह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से पैदा हो सकती है और तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है, यदि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को समुचित रूप से प्रभावित करने की उम्मीद हो।

सांविधिक लेखा-परीक्षा के अनुसार लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और संपूर्ण लेखा-परीक्षा के दौरान व्यावसायिक अविश्वास बनाए रखते हैं। हम:

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और निर्धारण करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए निष्पक्ष उत्तरदायी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करते हैं और लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं। धोखाधड़ी के फलस्वरूप महत्वपूर्ण गलतबयानी को न पता लगाने का जोखिम त्रुटि से होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठगांठ, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा-परीक्षा के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं, ताकि उन परिस्थितियों में ऐसी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो उचित हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(आई) के अधीन हम, कम्पनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और लेखांकन अनुमान और प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन की समुचितता सुनिश्चित करते हैं।
- लेखांकन के चालू फर्म के आधार पर प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य के आधार पर तय करते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो चालू फर्म के रूप में जारी रहने की कम्पनी की क्षमता के बारे में उल्लेखनीय संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है तो हमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों के लिए हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या यदि ऐसे प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां कम्पनी को चालू फर्म के रूप में जारी रहने की संभावना को समाप्त कर सकती हैं।
- समग्र प्रस्तुतिकरण, ढांचे और वित्तीय विवरणों की अंतर्वस्तु, जिसमें प्रकटन शामिल हैं, का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देनों और घटनाओं को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त किया जा सकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत कथनों की काफी अधिक व्यापकता है। इसलिए हो सकता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय भी, व्यक्तिगत तौर पर या समग्र रूप से प्रभावित हों। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में, और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी तरह के गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक सामग्री और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ शासन संबंधी प्रभारियों से संपर्क करते हैं और हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान की गई आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय कमियों सहित लेखा-परीक्षा और उल्लेखनीय लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के कार्य क्षेत्र और समय की योजना बनाते हैं।

हम शासन संबंधी प्रभारियों को विवरण भी प्रदान करते हैं जिसे हमने स्वतंत्र रूप से संगत नीतिपरक अपेक्षाओं से संकलित किया था और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संपर्क करते हैं, जिन पर हमारी स्वतंत्रता और जहां प्रयोज्य हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर प्रभाव पड़ सकता है।

शासन संबंधी अधिकारियों के साथ सम्प्रेषित मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा में अत्यधिक उल्लेखनीय थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का हमारी लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन कानून का विनियम बाधा नहीं डालता है या जब अत्यधिक विरली परिस्थितियों में हम निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में सम्प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे सम्प्रेषण के समुचित रूप से सार्वजनिक हित अभिलाभों से अधिक भारी होने की संभावना रहती है।

अन्य विधिक व नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसरण में भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कम्पनी (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की अपेक्षानुसार, हम इस आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में एक विवरण "अनुबंध-क" के रूप में संलग्न करते हैं।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) की अपेक्षानुसार हम भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों तथा उप-निदेश (क्रमशः भाग-क और भाग-ख) पर कम्पनी के लिए अपनी रिपोर्ट "अनुबंध-ख" में इसके साथ संलग्न करते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर हम यह भी सूचित करते हैं कि:

- (क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं;
- (ख) हमारी राय में, कम्पनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उपयुक्त खाता-बहियां रखी हुई हैं, जैसा कि इन खाता-बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
- (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र और अन्य व्यापक आय सहित लाभ तथा हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन खाता-बहियों के अनुरूप हैं;
- (घ) हमारी राय में उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;
- (ङ.) कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार निदेशकों की अनहता के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 164 (2) कम्पनी पर लागू नहीं होती क्योंकि यह एक सरकारी कम्पनी है;
- (च) कम्पनी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभावोत्पादकता के संबंध में “अनुबंध-ग” के रूप में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय सूचना पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावोत्पादकता पर हमारी अनाशोधित राय व्यक्त करती है;
- (छ) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसरण में लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में, चूंकि यह एक सरकारी कम्पनी है, अतः कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार कम्पनी पर अधिनियम की धारा 197 के उपबन्ध लागू नहीं होते;
- (ज) कम्पनी (लेखा-परीक्षा तथा लेखा-परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :
 - (i) कम्पनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है - वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 35.2 देखें,
 - (ii) कम्पनी ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घकालीन संविदाओं पर महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष हानियां, यदि कोई हों, के लिए प्रयोज्य विधि और लेखांकन मानकों की अपेक्षानुसार लाभ व हानि खाते में उपयुक्त समायोजन किया है - वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 52 देखें;
 - (iii) कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि में अन्तर्गत की जाने वाली राशियों का हस्तान्तरण करने में कोई विलम्ब नहीं किया गया है।
 - (iv) क) प्रबंधन ने हमें बताया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कोई भी निधि (जो अधिक मूल्य की हो या महत्वपूर्ण हो) को (चाहे उधार ली गई निधि से हो या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से या किसी अन्य निधि से) कम्पनी द्वारा अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था (“मध्यस्थ”) सहित

में अग्रिम या ऋण या निवेश के तौर पर प्रयोग नहीं किया गया है। इस तरह के कोई समझौते, चाहे लिखित में या अन्यथा नहीं किये गये हैं कि कम्पनी (“अंतिम लाभार्थी”) की ओर से कोई मध्यस्थ किसी मान्य व्यक्ति या कम्पनियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा और न ही अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह का कोई आश्वासन प्रदान करेगा।

ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कम्पनी द्वारा विदेशी संस्था (“फंडिंग पार्टियां”) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड (व्यक्तिगत रूप से या सामुहिक तौर पर) प्राप्त नहीं किया गया है। इस बारे में कोई समझौते, चाहे लिखित में या अन्यथा, नहीं किये गये हैं कि फंडिंग पार्टी (“अंतिम लाभार्थी”) की ओर से किसी मान्य व्यक्ति या कम्पनियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण दिया जाएगा या उनमें निवेश किया जाएगा और न ही अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सिक्क्योरिटी या ऐसा कोई आश्वासन दिया जाएगा।

ग) लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुति, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत उल्लेख किया गया है, में कोई भी उल्लेखनीय गलतबयानी है।

(v) लेखा-परीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।

(vi) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अपने खाते-बहियों को रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड रखने की सुविधा भी है, जो सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित हुआ है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के रिकॉर्ड रखने के बारे में वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा-परीक्षा एवं लेखा-परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते एस मान एंड कंपनी

सनदी लेखापाल

फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान

साझेदार

सदस्यता सं. 080500

यूडीआईएन: 24080500BKFBHI6705

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध-क

(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इस तिथि की आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट की 'अन्य विधिक तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के पैरा 1 में निर्दिष्ट)

- (i) (क) अ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। इनमें सभी मात्रात्मक विवरण और कुछ सम्पत्तियों जिनका सकल ब्लॉक मूल्य 197.92 करोड़ रु है और जिसका पूर्व के वर्षों में पूरी तरह से मूल्यहास किया गया है, के अलावा सभी सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की स्थिति शामिल है।
- ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।
- ख) जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है, प्रबंधन वर्ष में एक बार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और संपत्ति के उपयोग का अधिकार का भौतिक सत्यापन करता है, जो हमारी राय में, कम्पनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति को देखते हुए यह प्रथा उचित है। कम्पनी के प्रबंधन ने वर्ष के दौरान संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गई हैं।
- ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, सभी अचल संपत्तियों (ऐसी संपत्तियों के अलावा जहां कम्पनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत रूप से निष्पादित है) का वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण कम्पनी के नाम पर किया जाता है।
- घ) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने साल के दौरान अपनी संपत्ति, प्लांट और उपकरण (संपत्ति उपयोग अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ 31 मार्च, 2024 तक किसी प्रकार की बेनामी संपत्ति रखने के बारे में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
- (ii) क) कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, तदनुसार, यह कोई इन्वेंट्री यानि सामग्री नहीं रखती है। इसलिए कंपनी पर, कंपनी (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(ii)(क) के तहत रिपोर्टिंग संबंधी प्रावधान लागू नहीं होता है।
- ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सिक्योरिटी के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है और इसलिए, कंपनी (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनियों, फर्मों, सीमित देयता कम्पनियों या दूसरे पक्षों में प्रतिभूत या अप्रतिभूत निवेश किया है, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है या ऋण के स्वरूप का कोई उधार और अग्रिम प्रदान किया है।
- क) चूंकि कम्पनी का प्रमुख व्यवसाय ऋण प्रदान करना है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) (ए) का प्रावधान उस पर लागू नहीं होता है।
- ख) कम्पनी, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी ('एनबीएफसी') होने के नाते, आर.बी.आई. अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए निवेश, प्रदत्त गारंटी, प्रतिभूति और ऋण और गारंटियों की प्रकृति वाले सभी ऋणों और अग्रिमों के अनुदान संबंधी नियम और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कम्पनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।
- ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों की प्रकृति वाले ऋण और अग्रिमों के संबंध में, मूलधन और व्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है और ऐसे मामलों में जहां मूलधन का भुगतान और निर्धारित व्याज प्राप्त नहीं होता है, कम्पनी द्वारा इसकी आवधिक नियामक रिपोर्टिंग के दौरान इसका संज्ञान लिया जाता है और आर.बी.आई. अधिनियम, 1934 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उक्त प्रावधानों का अनुपालन करते हुए उनका निपटारा किया जाता है। ऐसी दशा में आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों पर विशेष जोर दिया जाता है।
- घ) 31.03.2024 तक नब्बे दिनों से अधिक की कुल बकाया राशि 4615.56 करोड़ रु. है। इसकी वसूली के लिए कंपनी द्वारा उचित कदम उठाए गए हैं।
- ङ) चूंकि कम्पनी का प्रमुख व्यवसाय ऋण देना है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(ई) का प्रावधान इस पर लागू नहीं होता है।
- च) हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (76) में परिभाषित प्रमोटर्स, संबंधित पक्षों को बिना शर्तों या भुगतान अवधि निर्धारण किए बिना, मांग करने पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।
- (iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने कोई ऐसे ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के तहत शामिल की जा सकती हैं।
- (v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान लोगों से किसी भी ऐसी जमा या धनराशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे धारा 73 से 76 या कम्पनी अधिनियम, 2013 और कम्पनी (जमा स्वीकृति) नियम, 2014 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान के तहत जमा निधि माना जाता है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश इस पर लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा, कम्पनी लॉ बोर्ड या नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा ऐसी जमा राशि के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किये गये हैं।
- (vi) केंद्र सरकार ने कम्पनी द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा 1 के तहत लागत रिकॉर्ड के

रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, कम्पनी (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 का खंड 3(vi) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(vii) सांविधिक देय राशि के संबंध में, हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर और कम्पनी की लेखा-बहियों की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) कम्पनी आमतौर पर सम्बद्ध प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल व सेवा कर और अन्य भौतिक

वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशियां जमा करने के मामले में नियमित रही है और कम्पनी की खाता-बहियों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि तक उक्त बकाया राशि के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं थी।

ख) जहां कहीं भी किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कोई बकाया राशि निकाली गई है/मांग की गई है और कम्पनी द्वारा उसे विवादित बताया गया है, उसे निम्नलिखित मामलों को छोड़कर विरोध दर्ज कराते हुए जमा किया गया है:

अधिनियम का नाम	विवादित बकाया राशि का प्रकार	विवादित राशि (करोड़ रु.)	(क) में से लम्बित राशि जमा/समायोजित नहीं (करोड़ रु.)	वर्ष जिससे मांग संबंधित है	फोरम, जिसमें विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961*	आयकर	43.40	2.61	निर्धारण वर्ष 2016-17	सीआईटी (ए), नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961*	आयकर	74.52	55.17	निर्धारण वर्ष 2019-20	सीआईटी (ए), नई दिल्ली
वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा कर)	सेवा कर और जुर्माना	1.80	1.71	वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2010-11	सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	0.04	0.04	वित्त वर्ष 2008-09 एवं वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24	ट्रेसेस पोर्टल के अनुसार मांग
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	वस्तु एवं सेवा कर, ब्याज एवं जुर्माना	0.13	0.13	वित्त वर्ष 2020-21	उपायुक्त राज्य कर
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	वस्तु एवं सेवा कर, ब्याज एवं जुर्माना	0.61	0.61	वित्त वर्ष 2019-20	उपायुक्त राज्य कर, मुम्बई
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	वस्तु एवं सेवा कर, ब्याज एवं जुर्माना	0.05	0.05	वित्त वर्ष 2019-20	उप. राज्य कर अधिकारी (सर्कल), तुंगमबक्कम
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	वस्तु एवं सेवा कर	0.01	0.01	वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21	अधीक्षक गनफाउंड्री, 1 सीजीएसटी रेंज

*ऐसे आयकर मामले जो 31 मार्च, 2024 को विवादित/अदेय के रूप में आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में प्रदर्शित हैं और राशि में ब्याज शामिल नहीं हैं।

(viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने आय के रूप में कर-निर्धारण में ऐसे किसी भी लेनदेन का उल्लेख या खुलासा नहीं किया है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के दौरान खाते-बहियों में आय के रूप में पहले दर्ज नहीं किया गया था।

(ix) क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान और सरकार को ऋण के पुनर्भुगतान और उधार की अदायगी या उस पर लगे ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर पाया गया है कि कम्पनी ने सावधि ऋण के रूप में प्राप्त धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया है, जिसके लिए यह प्राप्त किया गया था।

घ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने से पता चलता है कि कम्पनी द्वारा अल्पावधि आधार पर कोई धन नहीं जुटाया गया है। तदनुसार, इस पर आदेश का खंड 3(ix)(डी) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ड) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से पता चलता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित अपनी सहायक कम्पनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यम के खाते में या उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी कम्पनी, संस्थान या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (ix) (ई) इस पर लागू नहीं है।

च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित अपनी सहायक कम्पनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ix)(एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

- (x) क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी इनिशियल पब्लिक ऑफर यानि आईपीओ या फर्दर पब्लिक ऑफर (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटायी है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(क) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।
- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, भारत सरकार ने कंपनी को 07 मार्च, 2023 और 08 मार्च, 2024 को शेयर पूंजी के रूप में क्रमशः 400 करोड़ रु. और 500 करोड़ रु. की राशि प्रदान की है। कंपनी ने भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को 27 अप्रैल, 2023 को 13.62 रु. प्रति शेयर (3.62 रु. सिन्डिकेयोरिटी प्रीमियम सहित) की दर से 29,36,85,756 इक्विटी शेयर और 18 अप्रैल, 2024 को 40.33 रु. प्रति शेयर (30.33 रु. सिन्डिकेयोरिटी प्रीमियम सहित) की दर से 12,39,77,188 इक्विटी शेयर क्रमशः 400 करोड़ रु. और 500 करोड़ रु. की राशियां प्राप्त होने के बदले अधिमन्य आधार पर आवंटित किए हैं और कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और जुटाई गई धनराशि का उपयोग उन्ही कार्यों के लिए किया गया है जिनके लिए यह धनराशि जुटाई गई थी।
- (xi) क) हमें दी गई जानकारी और उपलब्ध कराये गए स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और न ही कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी हुई है और इस तरह की कोई रिपोर्ट भी नहीं पायी गई है।
- ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कम्पनी के नियम 13 के तहत केंद्र सरकार के पास लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक नियम, 2014 में निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
- ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- (xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। इसलिए, निधि नियम, 2014 कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 का खंड 3(vii) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
- (xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ हुए लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां लागू हों, के अनुपालन में हैं और ऐसे लेनदेन का विवरण लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- (xiv) क) हमारी राय में और जांच के आधार पर, कम्पनी के पास अपने आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली मौजूद है।
- ख) हम कंपनी की कुछ आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने में असमर्थ रहे, क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, इसलिए हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए, वर्ष के दौरान आज तक कंपनी को भेजी गई आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया है।
- (xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ ऐसा कोई भी गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अंतर्गत आता हो।
- (xvi) क) कम्पनी एक गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी है और उसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के तहत पंजीकरण प्राप्त किया है। कम्पनी को गैर-बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने/जारी रखने की अनुमति दी गई है। कम्पनी को पंजीकरण संख्या बी-14.00009 दिनांक 18 अगस्त 2009 के माध्यम से बिना सार्वजनिक जमा स्वीकार किए गैर-बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
- ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) प्राप्त किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्तीय गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।
- ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी को निवेश कम्पनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- घ) हमें दी गई जानकारी व उपलब्ध स्पष्टीकरणों तथा हमारी जांच के आधार पर, कंपनी समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई सी.आई.सी. नहीं है।
- (xvii) हमें दी गई जानकारी और उपलब्ध कराए गये स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नकद घाटा नहीं हुआ है, लेकिन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 621.01 करोड़ रुपये का नकद घाटा हुआ था।
- (xviii) वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।
- (xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, समयावधि घटने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल के बारे में हमारी जानकारी और प्रबंधन योजनाओं और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास होता कि लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है और तुलनपत्र की तिथि तक कम्पनी इसे पूरा करने में सक्षम नहीं है, या मौजूद देनदारियों को तुलनपत्र के एक वर्ष की अवधि के भीतर भुगतान करने में समर्थ नहीं है। हमारी राय केवल एक अनुमान है और विभिन्न आकस्मिक घटनाओं और संभावित भावी परिदृश्यों का आधार है। हालांकि, हम रिपोर्ट करते हैं कि यह कम्पनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो ऐसी कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र

की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कम्पनी द्वारा भुगतान किया जायेगा या उनका निपटान किया जाएगा।

- (xx) क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी फंड में उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (6) के प्रावधान का अनुपालन करते हुए किसी भी

व्यय न हो सकी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

- ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 5 के तहत किसी भी चालू सीएसआर परियोजना में कोई ऐसी राशि नहीं है जो खर्च न हो पायी हो।

कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान
साझेदार

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

सदस्यता सं. 080500
यूडीआईएन: 24080500BKFBH6705

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध-ख

(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इस तिथि की आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट की 'अन्य विधिक तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के पैरा 2 में निर्दिष्ट)

भाग क - निर्देश

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर												
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कम्पनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के अलावा लेखांकन लेनदेनों की प्रोसेसिंग से वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की स्थिति पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताये।	हां, सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली से प्रोसेस होते हैं। आयकर गणना और आस्थगित कर गणना एमएस एक्सेल पर मैनुअल रूप से की गई है। यद्यपि दोनों प्रक्रियाओं में लेखांकन प्रविष्टियां केवल आईटी प्रणाली से ही पारित की जाती हैं।												
2.	क्या कम्पनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्चना हुई है या ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिये गये ऋण/ब्याज आदि को छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कम्पनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कम्पनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	संदर्भाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा लिए गए ऋणों की कोई पुनर्चना नहीं की गई है। ऋण चुकाने में कम्पनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कम्पनी को किए गए ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले नहीं हैं। हालांकि, कम्पनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, एक ऋणदाता कम्पनी होने के नाते इसके पास ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डाले जाने वाले मामले हैं। बट्टे खाते में डालने/छूट देने वाले मामलों के विवरण इस प्रकार हैं: <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>देय राशि की प्रकृति</th><th>राशि (करोड़ रु.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क.</td><td>ऋणों में छूट/माफी/तकनीकी अपलेखन</td><td>437.26</td></tr> <tr> <td>ख.</td><td>पूर्व में बट्टे खाते में डाली गई राशि की वसूली/राइट-बैक</td><td>61.43</td></tr> <tr> <td>ग.</td><td>देनदार बट्टे खाते में</td><td>4.62</td></tr> </tbody> </table> यह बताया गया कि छूट/बट्टे खाते में डालने का निर्णय व्यक्तिगत मामलों के आधार पर उपलब्ध प्रतिभूति सुरक्षा, उधारकर्ता/निवेशिनी की स्थिति और लंबित मुकदमे पर विचार करते हुए प्रत्येक मामले में वसूली/वसूली की संभावना के उचित मूल्यांकन के बाद तय किया जाता है। तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने/छूट देने के मामलों में बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने/छूट की राशि की निर्धारित सीमा तक पूर्णतया खाता-बहियों में प्रावधान किया गया था।	क्र. सं.	देय राशि की प्रकृति	राशि (करोड़ रु.)	क.	ऋणों में छूट/माफी/तकनीकी अपलेखन	437.26	ख.	पूर्व में बट्टे खाते में डाली गई राशि की वसूली/राइट-बैक	61.43	ग.	देनदार बट्टे खाते में	4.62
क्र. सं.	देय राशि की प्रकृति	राशि (करोड़ रु.)												
क.	ऋणों में छूट/माफी/तकनीकी अपलेखन	437.26												
ख.	पूर्व में बट्टे खाते में डाली गई राशि की वसूली/राइट-बैक	61.43												
ग.	देनदार बट्टे खाते में	4.62												
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन किया गया/उपयोग किया गया? इनमें विचलन है तो ऐसे मामलों की सूची बनाएं।	लेखा-परीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कम्पनी को केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं की/प्राप्त होने योग्य नहीं है। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना और विभिन्न पीएलआई योजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि का उचित हिसाब-किताब किया गया है और योजना के नियमों व शर्तों के अनुसार धनराशि का उपयोग किया गया है। उपरोक्त जानकारी पूरी तरह से प्रबंधन द्वारा दिये गये उत्तरों पर आधारित है, जो इस रिपोर्ट के मैटर ऑफ इंफेसिस के पैरा 5 और 6 के अनुसार हैं।												

भाग ख - उप-निर्देश

क्र.सं.	उप-निर्देश	उत्तर																				
1.	निवेश क्या सीजीएस/एसजीएस/बॉड/डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व के प्रलेख फिजिकल/डी-मैट रूप में उपलब्ध है और क्या ये कम्पनी की खाता-बहियों में दर्शाई गई संबंधित सकल राशियों के बराबर है? यदि नहीं, तो इनके विवरण का उल्लेख किया जा सकता है।	कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा निष्पादित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, सीजीएस/एसजीएस/बॉड/डिबेंचर इत्यादि के संबंध में स्वामित्व प्रलेख फिजिकल/डीमैट रूप में उपलब्ध है और ये नीचे उल्लिखित मामलों को छोड़कर, कम्पनी की खाता-बहियों में दर्शाई गई संबंधित सकल राशियों के अनुसार है। क) जहां शेयर डीमैट या फिजिकल रूप में है लेकिन नमूना जांच के आधार पर पायी गई सीमा तक खाता-बहियों में शामिल नहीं है। <table><tr><th>क्र.सं.</th><th>कम्पनी का नाम</th><th>प्रकार</th><th>शेयरो की संख्या</th></tr><tr><td>1.</td><td>हिंडालको इंडिया</td><td>डिमेट</td><td>1160</td></tr><tr><td>2.</td><td>मवाना शुगर्स*</td><td>डिमेट</td><td>137</td></tr><tr><td>3.</td><td>एक्सपीआरओ इंडिया</td><td>डिमेट</td><td>2325</td></tr><tr><td>4.</td><td>जेके लक्ष्मी सीमेट</td><td>डिमेट</td><td>180</td></tr></table> *एसआईईएल लिमिटेड और एसआईईएल शुगर लिमिटेड में हिस्सेदारी के बदले प्राप्त शेयर	क्र.सं.	कम्पनी का नाम	प्रकार	शेयरो की संख्या	1.	हिंडालको इंडिया	डिमेट	1160	2.	मवाना शुगर्स*	डिमेट	137	3.	एक्सपीआरओ इंडिया	डिमेट	2325	4.	जेके लक्ष्मी सीमेट	डिमेट	180
क्र.सं.	कम्पनी का नाम	प्रकार	शेयरो की संख्या																			
1.	हिंडालको इंडिया	डिमेट	1160																			
2.	मवाना शुगर्स*	डिमेट	137																			
3.	एक्सपीआरओ इंडिया	डिमेट	2325																			
4.	जेके लक्ष्मी सीमेट	डिमेट	180																			

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर																											
		कंपनी उपरोक्त शेयरों को कंपनी और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि से प्राप्त करने की प्रक्रिया में है तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात् इसे खते-बही में दर्ज किया जाएगा। ख) जहां शेयरों का लेखांकन बहीखातों में किया गया है, लेकिन नमूना जांच में पाये गये ये डीमेट या फिजिकल शेयर उपलब्ध नहीं है। <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>कम्पनी का नाम</th><th>शेयरों की संख्या</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>एलएमएल लि. (अधिमान)</td><td>21,50,912</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>ओसीएम इंडिया लि.</td><td>5,89,743</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>सेमकोर ग्लास लि.</td><td>20,00,000</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>सदर्न विंड फार्म्स प्रा. लि.</td><td>1,00,000</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>अशोक पेपर मिल्स लि. (अधिमान)</td><td>30,000</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>अशोक पेपर मिल्स लि.</td><td>3,00,000</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>कछार शुगर मिल्स लि. (अधिमान)</td><td>14,953</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>किलबर्न ऑफिस ऑटोमेशन लि.</td><td>400</td></tr> </tbody> </table> कंपनी उपरोक्त कंपनियों के संबंध में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया में है।	क्र.सं.	कम्पनी का नाम	शेयरों की संख्या	1.	एलएमएल लि. (अधिमान)	21,50,912	2.	ओसीएम इंडिया लि.	5,89,743	3.	सेमकोर ग्लास लि.	20,00,000	4.	सदर्न विंड फार्म्स प्रा. लि.	1,00,000	5.	अशोक पेपर मिल्स लि. (अधिमान)	30,000	6.	अशोक पेपर मिल्स लि.	3,00,000	7.	कछार शुगर मिल्स लि. (अधिमान)	14,953	8.	किलबर्न ऑफिस ऑटोमेशन लि.	400
क्र.सं.	कम्पनी का नाम	शेयरों की संख्या																											
1.	एलएमएल लि. (अधिमान)	21,50,912																											
2.	ओसीएम इंडिया लि.	5,89,743																											
3.	सेमकोर ग्लास लि.	20,00,000																											
4.	सदर्न विंड फार्म्स प्रा. लि.	1,00,000																											
5.	अशोक पेपर मिल्स लि. (अधिमान)	30,000																											
6.	अशोक पेपर मिल्स लि.	3,00,000																											
7.	कछार शुगर मिल्स लि. (अधिमान)	14,953																											
8.	किलबर्न ऑफिस ऑटोमेशन लि.	400																											
2.	ऋण सभी पुनर्संरचित, पुनर्निर्धारित, संशोधित ऋणों संबंधी प्रावधानों के संबंध में- क्या ऐसे सभी ऋणों के लिए उपलब्ध सिक्योरिटी (प्रतिभूतियों) के वसूली योग्य मूल्य के आवधिक मूल्यांकन की प्रणाली लागू है और क्या इसके लिए वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रावधान किया गया है? इस संबंध में कोई कमी, यदि कोई हो, के सम्बंध में पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव सहित उपयुक्त रूप से टिप्पणी करें।	पुनर्संरचित, पुनर्निर्धारित, संशोधित ऋणों सहित सभी ऋण पोर्टफोलियो के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य के आकलन के लिए उचित प्रणाली बनायी गई है, जिसे तिमाही आधार पर अपडेट किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन प्रक्रिया समय-समय अपनायी जाती है और परिस्थितियों के अनुसार जरूरी होने पर कभी भी अपनायी जा सकती है। भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) के नियमों को अपनाने के लिए कंपनी के वित्तीय खाते इंड एस के अनुसार तैयार किए गये हैं। कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार ऋण के मामले में अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की गणना करके परिसंपत्तियों में हानि की गणना इंड एस के अनुसार की गई है। कंपनी इंड एस मानदंडों बनाम आईआरएसी मानदंडों, जो भी अधिक हों, के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान संबंधी नीति का पालन कर रही है।																											
3.	क्या कम्पनी द्वारा उधारकर्ता के साथ बकाया ऋण राशि की बुकिंग और क्षति हानि भत्ते के समायोजन के लिए किसी समाधान योजना/एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) पर समझौता हुआ है।	ओटीएस निपटान और समाधान योजना के संबंध में हानि और निपटान के लिए उचित लेखांकन समायोजन किया गया है।																											
4.	आईएफसीआई की सभी समूह कंपनियों द्वारा सामान्य सहयोगियों/संस्थाओं/संयुक्त उद्यम में निवेश के मूल्यांकन की समीक्षा, ताकि हानि, यदि कोई हो, को पहचाना जा सके। विसंगतियां/कमी, यदि कोई हो, को लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (केवल समेकित वित्तीय विवरणों पर लागू) में उपयुक्त रूप से प्रकट किया जा सके।	यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू नहीं होता अतः इस बिन्दु पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।																											

कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान
साझेदार

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

सदस्यता सं. 080500
यूडीआईएन: 24080500BKFBH6705

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध-“ग”

(स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर इस तिथि की आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट की ‘अन्य विधिक तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट’ के पैरा 3(एफ) में निर्दिष्ट)

कम्पनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा सहित उस तारीख की स्थितिनुसार आईएफसीआई लि. (“कम्पनी”) की स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा की है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबन्धन का दायित्व

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी में दिए गए आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए, कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदण्ड पर आन्तरिक नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना और उनका रखरखाव करना कम्पनी के प्रबन्धन का दायित्व है। इन दायित्वों में ऐसे पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के निरूपण, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो उनके सही होने तथा इसके कारोबार के प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करते हैं, जिनमें कम्पनी की नीतियों का दृढ़ता से पालन करना, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी तथा त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों का सही और पूर्ण होना तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा-परीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी (“मार्गदर्शक टिप्पणी”) तथा दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित माने जाने वाले आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर लागू सीमा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित नहीं है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा-परीक्षा का नियोजन व निष्पादन इस प्रकार करें जिनसे उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि क्या स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका रखरखाव किया गया है एवं क्या ऐसे नियंत्रण समग्रतः प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखा-परीक्षा में स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी परिचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग की हमारी लेखा-परीक्षा में स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करने, जोखिमों का निर्धारण, जिनसे महत्वपूर्ण हानि होती है, तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावोत्पादकता की जांच तथा मूल्यांकन व निरूपण शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा-परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त है।

स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और पद्धतियां शामिल हैं जो (1) कम्पनी की परिसम्पत्तियों का रिकार्ड, उपयुक्त विवरण में, सही रूप से तथा उनके संव्यवहारों और निपटान को उचित रूप से परिलक्षित करती हैं (2) जिनसे यह आश्वासन प्राप्त होता हो कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए यथावश्यक संव्यवहार रिकार्ड किए जाते हैं और कम्पनी की प्राप्ति और व्यय कम्पनी के प्रबन्धन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं और (3) जिनसे कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग व निपटान को रोकने या उनका सही समय पर पता लगाने का उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो।

स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अन्तर्निहित परिसीमन

प्रबन्धन की मिलीभगत की सम्भावना या अयोग्य प्रबन्धन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के अन्तर्निहित परिसीमन से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चलता। भावी अवधियों में स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण भी ऐसे जोखिम के अधीन हैं जिनसे स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण, परिस्थितियों में परिवर्तन या नीतियों अथवा पद्धतियों के अनुपालन में कमी के कारण अपर्याप्त हो जाते हैं।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी में महत्वपूर्ण रूप से स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी में वर्णित वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आन्तरिक नियंत्रण के सम्बन्ध में, जहां तक हमारी जांच से प्रकट हुआ है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

कृते एस मान एंड कंपनी

सनदी लेखापाल

फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान

साझेदार

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

सदस्यता सं. 080500

यूडीआईएन: 24080500BKFBH6705

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार (पुनःस्थापित)	1 अप्रैल, 2022 की स्थिति अनुसार (पुनःस्थापित)
I. परिसम्पत्तियां				
(1) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
(क) नकद एवं नकदी समतुल्य	3	642.46	110.38	112.43
(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न बैंक शेष	4	2,649.36	1,891.89	648.37
(ग) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	5	-	14.83	2.02
(घ) व्यापार प्राप्य	6	103.64	38.32	30.52
(ङ) ऋण	7	1,306.39	1,799.19	2,382.59
(च) निवेश	8	1,658.81	1,018.97	1,683.60
(छ) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	9	41.72	33.87	49.93
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां		6,402.37	4,907.45	4,909.46
(2) गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां				
(क) सहायक कम्पनियों में निवेश	10	1,250.55	1,257.70	1,260.09
(ख) इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया गया निवेश	11	-	-	-
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)		34.30	31.86	48.28
(घ) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	12	1,306.65	1,739.12	1,852.75
(ङ) निवेश सम्पत्ति	13	276.45	283.32	271.41
(च) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	14	602.27	618.24	634.49
(छ) कार्यशील पूंजी		-	-	-
(ज) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	15	0.19	0.26	0.43
(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	16	85.50	92.11	93.25
कुल गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां		3,555.91	4,022.61	4,160.70
बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पत्तियां	17	49.41	0.04	0.04
कुल परिसम्पत्तियां		10,007.69	8,930.10	9,070.20
II. देयताएं एवं इक्विटी				
देयताएं				
(1) वित्तीय देयताएं				
(क) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	5	13.94	-	-
(ख) व्यापार देयताएं				
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की कुल बकाया देयताएं				
(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	18	53.49	62.26	52.85
(ग) ऋण प्रतिभूतियां	19	4,371.74	4,590.31	5,054.47
(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	20	334.25	443.09	982.77
(ङ) अधीनस्थ देयताएं	21	744.67	774.67	974.66
(च) अन्य वित्तीय देयताएं	22	3,188.92	2,349.99	1,480.69
कुल वित्तीय देयताएं		8,707.01	8,220.32	8,545.44
(2) गैर-वित्तीय देयताएं				
(क) प्रावधान	23	86.48	83.68	79.31
(ख) अन्य गैर वित्तीय देयताएं	24	-	-	-
कुल गैर वित्तीय देयताएं		86.48	83.68	79.31
(3) इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	25	2,489.61	2,195.93	2,102.99
(ख) अन्य इक्विटी	26	(1,275.41)	(1,569.83)	(1,657.54)
कुल इक्विटी		1,214.20	626.10	445.45
कुल देयताएं एवं इक्विटी		10,007.69	8,930.10	9,070.20

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस मान एंड कंपनी
सैनडी, लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंद्र मान
साझेदार
सदस्यता संख्या: 080500
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

राहुल भावे
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09077979

उमेश कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन: 00599426

सनीत शक्ता
मुख्य महोपबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनःस्थापित)
परिचालनों से राजस्व				
व्याज आय	27	429.34	505.16	840.91
लाभभांश आय		113.10	51.35	37.80
किराया आय		42.74	38.28	35.74
सलाहकारी आय		68.39	59.05	49.54
उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)	28	186.54	89.77	40.98
I. परिचालनों से कुल राजस्व		840.11	743.61	1,004.97
II. अन्य आय	29	55.83	11.15	6.67
III. कुल आय (I+II)		895.94	754.76	1,011.64
व्यय				
वित्त की लागत	30	572.74	631.30	922.88
विदेशी मुद्रा हानि		12.89	19.07	18.52
वित्तीय प्रलेखों पर क्षति	31	(335.17)	130.21	1,621.35
कर्मचारी हित व्यय	32	91.61	99.27	92.43
मूल्यह्रास व परिशोधन	33	24.16	24.07	23.03
अन्य व्यय	34	45.91	36.41	118.53
IV. कुल व्यय		412.14	940.33	2,796.74
V. अपवादात्मक मद एवं करपूर्व लाभ (III- IV)		483.80	(185.57)	(1,785.10)
VI. अपवादात्मक मदें		-	-	-
VII. कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		483.80	(185.57)	(1,785.10)
VIII. कर व्यय:				
- चालू कर		-	-	-
- पूर्व वर्षों के लिए कराधान		-	-	-
- आस्थगित कर (निवल)	12	355.55	102.01	206.24
कुल कर व्यय		355.55	102.01	206.24
IX. वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)		128.25	(287.58)	(1,991.33)
X. अन्य समग्र आय				
क. (i) मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन-इक्विटी प्रतिभूतियां		206.57	33.93	140.98
- एफवीटीओसीआई की बिक्री पर लाभ/(हानि) - इक्विटी प्रतिभूतियां		(183.33)	(53.33)	(102.70)
- निर्धारित लाभ बाध्यता पर बीमांकन लाभ/(हानि)		-	-	-
(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन पर कर - इक्विटी प्रतिभूतियां		(72.18)	(11.86)	(49.27)
- निर्धारित लाभ बाध्यता पर बीमांकन लाभ/(हानि) पर कर		-	-	-
उप जोड़ (क)		(48.94)	(31.26)	(10.99)
ख. (i) मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा				
- एफवीटीओसीआई पर मूल्यांकित ऋण प्रतिभूतियां - उचित मूल्यों में निवल परिवर्तन		13.53	(0.75)	(10.54)
- एफवीटीओसीआई पर मूल्यांकित ऋण प्रतिभूतियां - लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत		-	-	-
(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा				
- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन पर कर - ऋण प्रतिभूतियां		(4.74)	0.24	(13.80)
उप जोड़ (ख)		8.79	(0.51)	(24.34)
अन्य समग्र आय/(हानि) (क + ख)		(40.15)	(31.77)	(35.33)
XI. वर्ष हेतु कुल समग्र आय/(हानि) (IX+X)		88.10	(319.35)	(2,026.66)
XII. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन				
प्रत्येक 10 रुपए के शेयर पर बेसिक अर्जन		0.52	(1.31)	(9.47)
प्रत्येक 10 रुपए के शेयर पर डायल्यूटिड अर्जन		0.52	(1.31)	(9.47)

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कले एस मान एंड कंपनी
संवर्धन लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंद्र मान
साइलेंट
सदस्यता संख्या: 080500
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मिश्र
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

सनीत शर्मा
मुख्य प्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

राहुल भावे
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09077979

धिरंका शर्मा
कम्पनी सचिव

उमेश कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन: 00599426

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
क. परिचालन क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह		
कर-पूर्व निवल लाभ	483.80	(185.57)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्यहास एवं परिशोधन	24.16	24.07
क्षति प्रावधान/बट्टे खाते डालना	(335.17)	(79.29)
निवेशों पर वसूल न हुआ लाभ/(हानि)	(295.96)	(95.44)
बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियों पर हानि	(49.37)	-
वित्त की लागत	572.74	631.30
लाभान्श आय	(113.10)	(51.35)
ब्याज आय	(429.34)	(505.16)
अधिमान शेयरों पर ब्याज लागत	-	-
कार्यशील पूंजी परिवर्तन तथा परिचालन क्रियाकलापों से पूर्व परिचालन लाभ	(142.23)	(261.44)
प्राप्त ब्याज और भुगतान		
ब्याज का भुगतान	(606.62)	(608.82)
प्राप्त ब्याज	416.23	507.10
प्राप्त निवल ब्याज और भुगतान	(190.39)	(101.72)
प्राप्त लाभान्श	113.10	51.35
परिचालन क्रियाकलापों के लिए समायोजन:		
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(299.94)	742.39
ऋणों व अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	834.18	661.83
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेखों में (वृद्धि)/कमी	28.77	(12.81)
ट्रेड देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(8.77)	9.41
अधिनस्थ देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(30.00)	(199.99)
प्राप्तों में (वृद्धि)/कमी	(66.75)	(8.17)
ऋण प्रतिभूतियों में वृद्धि/(कमी)	(218.57)	(464.16)
उधारों में वृद्धि/(कमी)	(108.84)	(539.68)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	(89.44)	(122.99)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	19.72	(0.80)
अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	(13.55)	14.98
अन्य वित्तीय देयता में वृद्धि/(कमी)	873.33	846.82
अन्य गैर वित्तीय देयता में वृद्धि/(कमी)	-	-
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	2.27	5.69
अन्य बैंक शेष राशियों में वृद्धि/(कमी)	(757.47)	(1,243.52)
बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	-	-
कराधान से पूर्व नकद-प्रवाह	124.30	(376.83)
आयकर (प्रदत्त)/वापसी-निवल	(2.44)	16.42
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	32.42	(483.40)
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह		
परिसम्पत्ति प्लॉट एवं उपकरण की खरीद/उनके लिए अग्रिम (पट्टाकृत परिसम्पत्तियों सहित)	(0.32)	(32.47)
सहायक कंपनियों में निवेश	-	-
निवेश संपत्ति की बिक्री से आय	-	-
सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश की बिक्री	-	-
अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद/उनके लिए अग्रिम	(0.03)	0.17
परिसम्पत्ति प्लॉट एवं उपकरण (पट्टाकृत सम्पत्ति सहित) की बिक्री से आय	0.01	13.65
निवेश की बिक्री	-	-
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	(0.34)	(18.65)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
ग. वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह		
इक्विटी शेयरों का निर्गम	-	92.94
शेयर प्रीमियम (खर्चों का निवल)	-	7.06
प्राप्त शेयर आवेदन राशि	500.00	400.00
वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	500.00	500.00
नकद एवं नकद समकक्ष प्रवाह में निवल वृद्धि/(कमी) (क + ख + ग)	532.08	(2.05)
जोड़ें: वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समकक्ष	110.38	112.43
वर्ष के अन्त में नकद एवं नकद समकक्ष	642.46	110.38
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष के विवरण:		
हाथ में नकदी (ड्राफ्ट टिकटों सहित)	-	-
बैंकों के पास शेष		
- बैंक शेष	542.52	7.27
- बैंक जमा	-	67.28
संपादित उधार ऋण परिचालन (सीबीएलओ)	99.94	35.83
हस्तगत एवं वसूलनीय एवं मार्गस्थ प्रेषण चेक	-	-
वर्ष के अन्त में कुल नकद एवं नकद समकक्ष	642.46	110.38

नकद प्रवाहों की उपर्युक्त विवरणी इंड एस 7 'कैश फ्लो स्टेटमेंट' में निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत तैयार की गई है।

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान
साझेदार
सदस्यता संख्या: 080500
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

सुनीत शुक्ला
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

राहुल भावे
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09077979

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

उमेश कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन: 00599426

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

01 अप्रैल, 2022 को शेयर	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01 अप्रैल, 2022 को पुनर्निर्धारित शेयर राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 को शेयर	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 तक पुनर्निर्धारित शेयर राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2024 को शेयर
2,102.99	-	2,102.99	92.94	2,195.93	-	2,195.93	293.69	2,489.61

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आवंटन होने तक शेयर आवेदन राशि	मानित इक्विटी अंशदान	क्षति रिजर्व	रिजर्व एवं अधिशेष		पूंजी रिजर्व	प्रतिभूति पूंजी मोचन प्रीमियम	पूंजी मोचन रिजर्व	डिबेंचर मोचन रिजर्व	सामान्य प्रतिधारित आय	अन्य समग्र आय के जर्ग अन्य समग्र आय के जर्ग अन्य समग्र आय के जर्ग	अन्य समग्र आय के जर्ग अन्य समग्र आय के जर्ग	पारिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन	चोड़
				आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व	आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के तहत विशेष रिजर्व									
01 अप्रैल, 2022 को शेयर	-	335.82	34.54	875.04	136.69	0.85	1,060.69	231.92	87.58	513.08	(4,520.47)	(2.75)	(463.88)	53.36 (1,657.54)
वर्ष के लिए कुल समग्र आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(287.58)	(0.50)	(31.26)	- (319.34)
वर्ष के दौरान अन्तरण आवेदन राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
अवधि के दौरान इक्विटी शेयरों का निर्गम	-	-	-	-	-	-	7.06	-	-	-	-	-	-	7.06
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित अर्जन में/ से अन्तरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को शेयर	400.00	335.82	34.54	875.04	136.69	0.85	1,067.75	231.92	87.58	513.08	(4,808.06)	(3.26)	(495.14)	53.36 (1,569.83)
अवधि के लिए कुल समग्र आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.25	8.79	(48.94)	- 88.10
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
अवधि के दौरान इक्विटी शेयरों का निर्गम	(400.00)	-	-	-	-	-	106.31	-	-	-	-	-	-	(293.69)
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित अर्जन में/ से अन्तरण	-	-	70.13	-	-	-	-	-	-	-	(70.13)	-	-	-
31 मार्च, 2024 को शेयर	500.00	335.82	104.67	875.04	136.69	0.85	1,174.06	231.92	87.58	513.08	(4,749.94)	5.53	(544.08)	53.36 (1,275.41)

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस मान एंड कंपनी

सनदी लेखापाल

आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान

साक्षेदार

सदस्यता संख्या: 080500

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मिश्र

प्रबंध निदेशक व

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

डीआईएन: 01400076

सुनीत शुक्ला

मुख्य महाप्रबंधक व

मुख्य वित्तीय अधिकारी

राहुल भावे

उप प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 09077979

प्रियंका शर्मा

कम्पनी सचिव

उमेश कुमार गर्ग

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन: 00599426

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. पृष्ठभूमि

दिल्ली, भारत में निगमित आईएफसीआई लिमिटेड ("कम्पनी") सार्वजनिक क्षेत्र की एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है। सांविधिक निगम के रूप में 1948 में स्थापित आईएफसीआई इस समय बीएसई एवं एनएसई में सूचीबद्ध कम्पनी है। कम्पनी सभी क्षेत्रों में उद्योग के चहुंमुखी विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तपोषण क्रियाकलापों में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं जैसे कि हवाई अड्डे, सड़क, दूरसंचार रियल इस्टेट, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और ऐसे ही अन्य सम्बद्ध उद्योग शामिल हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को कम्पनी द्वारा "कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर यथा-संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक ("भा.ले.मा.") के अनुसार तैयार किया गया है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक की अवधि के लिए तथा इसके सहित कम्पनी ने मूल लागत परिणामों के तहत बीमांकन आधार पर तथा भारत में सामान्यतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ("भारतीय जीएपी" अथवा "पूर्ववर्ती जीएपी") के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप अपने वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत उपबंधों के अनुप्रयोज्य लेखांकन मानक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुप्रयोज्य दिशा निर्देश अन्य सांविधिक प्रावधान एवं विनियम ढांचा शामिल हैं।

नीचे पारिभाषित लेखांकन नीतियों को इन वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई अवधि हेतु सुसंगत रूप में लागू किया गया है।

वित्तीय विवरण 30 अप्रैल, 2024 को समूह के निदेशक-मण्डल द्वारा जारी करने हेतु अधिकृत थे।

3. कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए में दर्शाया जाता है, जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी है। समस्त राशि करोड़ में मूल्यवर्णित है और जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, दो दशमलव तक पूर्णांकित है।

4. मूल्यांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को मूल लागत आधार पर तैयार किया गया है, जो निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों को छोड़कर है:

- o एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसम्पत्ति जिसका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।
- o एफवीटीपीएल पर वित्तीय प्रलेख, जिनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।
- o निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता- पारिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य घटाकर परियोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य।

5. निर्णयों एवं पूर्वानुमानों का प्रयोग

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन ने निर्णय, अनुमान एवं पूर्वानुमान किया है जो वित्तीय विवरणों और उल्लेखित अवधि के लिए उल्लिखित आय एवं व्यय की तारीख को लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसम्पत्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयता एवं परिसम्पत्ति सहित) की उल्लिखित राशियों को प्रभावित करते हैं।

अनुमानों एवं मूलाधार पूर्वानुमानों की सतत आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

6. निर्णयों लेखांकन नीतियां

कम्पनी ने इन वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित सभी अवधियों में निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को निरन्तर लागू किया है।

क. राजस्व मान्यता

- i. वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करते हुए प्रोद्भूत आधार पर मान्य किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो वास्तव में वित्तीय प्रलेख के प्रत्याशित कार्य अवधि अथवा अल्प अवधि के जरिए अनुमानित आगामी नकदी प्राप्तियों को वहां छूट प्रदान करता है, जहां भी वित्तीय परिसम्पत्ति की निवल वास्तविक लागत उपयुक्त हो। ईआईआर को वित्तीय प्रलेख के सभी सांविधिक शर्तों को ध्यान में रख करके प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधार पर संगणित किया जाता है। परिकलन में समस्त शुल्क, लेनदेन लागत और सभी अन्य प्रीमियम अथवा संविदा पक्षों के बीच प्रदत्त अथवा प्राप्त छूट शामिल हैं, जो प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग हैं।

ब्याज राजस्व को वित्तीय परिसम्पत्तियों हेतु (जब परिसम्पत्तियां क्षति क्रेडिट न हो) सकल वास्तविक राशि पर प्रयुक्त मूल ईआईआर पर मान्य किया जाता रहा हो। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कम्पनी ने अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है जिसके द्वारा स्टेज-3 परिसम्पत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जो आईआरएसी मानदंडों के तहत मानक हैं) को दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से खाता बहियों में मान्यता दी जाएगी।

उन वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए, जो शुरुआती मान्यता पर क्रेडिट क्षतिग्रस्त थी, वहां ब्याज आय को वित्तीय परिसम्पत्ति के परिशोधित लागत पर क्रेडिट-समायोजित प्रभावी ब्याज दर को लागू करके परिकलित किया जाता है। चरण 3 की परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि में वृद्धि को चरण 3 की ब्याज आय की सीमा तक बढ़े खाते में डाल दिया जाएगा, जहां वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं है।

- ii. दाण्डिक ब्याज एवं अन्य अतिदेय शुल्कों, जिन्हें प्रभावी ब्याज दर में शामिल नहीं किया जाता है, को वसूली की अनिश्चितता के कारण वसूली पर ही मान्य किया जाता है और तदनुसार हिसाब में लिया जाता है।
- iii. ऋणों एवं अग्रिमों के प्रति उधारों से प्राप्त राशि को सभी देय तारीखों में, सिवाय बातचीत द्वारा अथवा वार्तागत निपटानों के मामलों को छोड़कर, जहां विनियोजन निपटान शर्तों के अनुसार किया जाता है, उसी क्रम में अन्य डेबिटों, ब्याज अतिदेय और मूल अतिदेय के संबंध में पारिभाषित तारीख-वार विनियोजित किया जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

- iv. ऋणों के पूर्व-भुगतान पर प्रीमियम/ब्याज दरों में कटौती को प्राप्ति आधार पर आय के रूप में मान्य किया जाता है।
- v. संबंधित कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांशों को लेखांकन अवधि की समाप्ति तक, आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित किया गया हो।
- vi. एलसी कमीशन को समयोपरि मान्य किया जाता है, क्योंकि सेवाएं संविदा शर्तों के अनुसार दी जाती हैं।
- vii. बेचे गए तथा बहियों में बकाया शेयरों के संबंध में अदावाकृत लाभांश को तीन वर्ष की सीमा अवधि की समाप्ति के बाद आय के रूप में मान्य किया जाता है।

ख. वित्तीय प्रलेख

I. आरंभिक मान्यता एवं मूल्यांकन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को तब मान्य किया जाता है जब कम्पनी प्रलेखों की संविदात्मक प्रावधान का एक पक्ष बन जाती है। वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। लेन-देन लागतों को, जो सीधे तौर पर अधिग्रहण अथवा वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के निर्गम (लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं से भिन्न) शुरूआती मान्यता पर जैसा भी उपयुक्त हो, वित्तीय परिसम्पत्तियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है अथवा इसमें से कम किया जाता है। हालाँकि, व्यापार प्राप्य जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

II. वर्गीकरण एवं परिवर्ती मूल्यांकन

वित्तीय परिसम्पत्तियां

शुरूआती मान्यता पर, वित्तीय परिसम्पत्ति को परिवर्ती रूप में मूल्यांकित किया जाता है, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह विशिष्टताओं और वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु कम्पनी के व्यवसाय मॉडल को देखते हुए अन्य समग्र आय (एफवीटीओसीआई) अथवा एफवीटीपीएल के जरिए या तो परिशोधित लागत पर या फिर उचित मूल्य पर वर्गीकृत होता है।

कारोबार मॉडल मूल्यांकन

कम्पनी कारोबार मॉडल का उद्देश्यपरक मूल्यांकन करता है, जिसमें परिसम्पत्ति को एक पोर्टफोलियो स्तर पर रखा जाता है, क्योंकि यह कारोबार का प्रबंधन करने और प्रबंधन को सूचना को उपलब्ध कराने को अच्छी तरह से दर्शाता है। विचारित सूचना में निम्न शामिल है:

- पोर्टफोलियो हेतु पारिभाषित नीतियां एवं उद्देश्य तथा उन नीतियों का व्यवहार्यतः परिचालन, विशेषतः यह कि प्रबंधन की कार्यनीति देयताओं की जो उन परिसम्पत्तियों को वित्त व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं अथवा परिसम्पत्तियों की बिक्री के जरिए नकदी प्रवाह वसूल कर रहे हैं अवधि हेतु वित्तीय परिसम्पत्तियों की अवधि के अनुरूपण में एक विशेष ब्याज दर प्रोफाइल रखते हुए संविदात्मक ब्याज राजस्व प्राप्त करने पर ध्यान देती है;
- पूर्व अवधियों में बिक्री की आवृत्ति, मात्रा एवं समय निर्धारण, ऐसी बिक्री के कारण तथा भावी बिक्री क्रियाकलापों के बारे में इसकी आशाएं तथापि, बिक्री क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को पृथक् में नहीं समझा जाता है, परन्तु समग्र मूल्यांकन के भाग के रूप में उल्लेख किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु ग्रुप के परिभाषित उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और नकदी प्रवाह को कैसे क्रियान्वित किया जाता है;

जोखिम, जो व्यवसाय मॉडल के निष्पादन को प्रभावित करता है, (और उस व्यवसाय मॉडल के अन्तर्गत धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां) तथा उन जोखिमों का प्रबंधन कैसे किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों को उनकी आरम्भिक मान्यता के बाद पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है; सिवाय उस अवधि के, जब कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु अपने व्यवसाय मॉडल को परिवर्तित करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति कर मूल्यांकन सिर्फ परिशोधित लागत पर किया जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है:

- इसे व्यावसायिक मॉडल के अन्तर्गत रखा गया हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए परिसम्पत्तियों को धारित करना है।
- वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें संविदात्मक नकदी प्रवाह को निरूपित करती हैं, जो सिर्फ मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हैं। तदन्तर, इनका मूल्यांकन, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया जाता है, जिसमें से क्षति हानि को घटाया जाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां ("एफवीटीओसीआई")

वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन सिर्फ एफवीटीओसीआई पर किया जाता है; यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है:

- इसे व्यावसायिक मॉडल के अन्तर्गत रखा गया हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को संग्रहीत करना और वित्तीय परिसम्पत्तियों को बेचना दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें संविदात्मक नकदी प्रवाह को निरूपित करता है, जो सिर्फ मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हैं। तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है। उक्त वित्तीय परिसम्पत्तियों पर क्षति हानियों को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है और तुलनपत्र में वित्तीय परिसम्पत्ति की रखरखाव राशि को कम नहीं किया जाता।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफवीटीपीएल)

किसी वित्तीय प्रलेख को, जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकरण संबंधी मापदण्ड को पूरा नहीं करता, एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में स्वीकार किया जाता है।

इक्विटी प्रलेखों में निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के संबंध में सभी इक्विटी निवेशों को (अर्थात् सहायक कम्पनियों/सम्बद्ध कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश से भिन्न) एफवीटीपीएल पर मूल्यांकित किया जाता है।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में स्वीकार किया जाता है। तथापि, इक्विटी प्रलेख की आरंभिक मान्यता पर, जिसे कारोबार हेतु नहीं रखा गया हो, कम्पनी अपरिवर्तनीय रूप से ओसीआई में उचित मूल्य में परवर्ती बदलावों को निरूपित करने का चयन कर सकती है। यह चुनाव निवेश-दर-निवेश आधार पर किया जाता है।

डेरिवेटिव प्रलेख

डेरिवेटिव प्रलेखों का मूल्यांकन एफवीटीपीएल के रूप में किया जाता है।

वित्तीय देयताएं एवं इक्विटी प्रलेख

कम्पनी द्वारा जारी ऋण एवं इक्विटी प्रलेखों को या तो वित्तीय देयताओं के रूप में या फिर इक्विटी के रूप में सांविदात्मक व्यवस्थाओं तथा वित्तीय देयता और इक्विटी प्रलेख की शर्तों के महत्व के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय देयताओं को आरंभिक मान्यता पर यथोचित लाभ अथवा हानि अथवा परिशोधित लागत के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार हिसाब में लिया जाता है।

इक्विटी प्रलेख एक संविदा है जो इसकी सभी देयताओं को कम करने के बाद कम्पनी की परिसम्पत्तियों में अपशिष्ट ब्याज को प्रमाणित करता है। कम्पनी द्वारा जारी इक्विटी प्रलेखों को प्राप्त प्राप्तियों में मान्य किया जाता है जो सीधे लेनदेन लागतों का निवल है।

III. मूल्यांकन का आधार

परिशोधित लागत

परिशोधित लागत ऐसी राशि है, जिसमें वित्तीय परिसम्पत्ति अथवा वित्तीय देयता का मूल्यांकन आरंभिक मान्यता घटाकर मूल चुकौती छूट की ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए संचयी परिशोधन के जमा अथवा घटा पर अथवा अधिग्रहण पर प्रीमियम पर और शुल्क अथवा लागत पर किया जाता है, जो ईआईआर के अभिन्न अंग है और वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए किसी हानि मंजूरी हेतु समायोजित किया जाता है।

उचित मूल्यांकन

उचित मूल्य वह मूल्य है जिसे परिसम्पत्ति की बिक्री हेतु प्राप्त किया जाएगा अथवा मूलधन में मूल्यांकन तारीख में बाजार भागीदारों के बीच अथवा इसके न होने पर, अति लाभप्रद बाजार के बीच, जिसके लिए कम्पनी की उस तारीख में पहुंच है, क्रमिक लेन-देन में देयता के अन्तरण हेतु अदा किया जाएगा। देयता का उचित मूल्य अलाभकारी जोखिम को दर्शाता है।

किसी एक के उपलब्ध होने पर कम्पनी उस प्रलेख के संबंध में क्रियाशील बाजार में उद्धृत मूल्य का प्रयोग करते हुए प्रलेख के उचित मूल्य का मूल्यांकन करता है। बाजार को क्रियाशील तब समझा जाता है यदि सतत आधार पर मूल्य निर्धारण जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त बारम्बारता एवं मात्रा के साथ परिसम्पत्तियों अथवा देयता के संबंध में लेन-देन किया जाता है।

यदि क्रियाशील बाजार में कोई उद्धृत मूल्य न हो, तब कम्पनी मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है जो संगत इनपुटों के प्रयोग को बढ़ाता है और अमहत्वपूर्ण इनपुटों के प्रयोग को कम करता है। मूल्यांकन तकनीकी में वे सभी कारक शामिल होते हैं जो लेनदेन के मूल्यनिर्धारण में बाजार भागीदारों को ध्यान में रखेंगे।

IV. वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को अस्वीकरण/आशोधन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का अस्वीकरण।

वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति को (अथवा जहां अनुप्रयोज्य हो, वित्तीय परिसम्पत्ति के किसी भाग या ऐसी ही वित्तीय परिसम्पत्तियों के समूह के किसी भाग) को मुख्यतया तब अमान्य (अर्थात् समूह के तुलन-पत्र से हटाया जाता है) किया जाता है, जब:

- परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गए हों अथवा पूरी तरह से वसूल कर लिया गया हो, अथवा
- समूह ने परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार को अन्तरित कर दिया है अथवा या तो “पास-थ्रू” व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्षकार को अत्यधिक देरी के बिना पूर्ण रूप में प्राप्त नकदी प्रवाह को अदा करने की बाध्यता को स्वीकार कर लिया हो और या तो (क) समूह ने परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों एवं लाभों को पर्याप्त रूप में अन्तरित कर दिया हो, या फिर (ख) समूह ने न तो परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से अन्तरित किया हो, न ही रखा हो, परन्तु परिसम्पत्ति के कंट्रोल को अन्तरित कर दिया हो।

जब समूह ने परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकार को अन्तरित कर दिया हो, अथवा कोई पास-थ्रू व्यवस्था आरम्भ की हो, तो यह मूल्यांकन करता है कि इसे किस सीमा तक स्वामित्व के जोखिमों एवं लाभों को रखना चाहिए। जब इसने परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को न तो पर्याप्त रूप से अन्तरित किया हो, न ही अपने पास रखा हो, न ही परिसम्पत्ति का कंट्रोल अन्तरित किया हो तो समूह अन्तरित परिसम्पत्ति को समूह की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता की सीमा में निरन्तर मान्य करती है। समूह अन्तरित परिसम्पत्ति पर समूह की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता के कारण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

प्राप्त प्रतिफल हेतु भी देयता को मान्य करता है। अन्तरित परिसम्पत्ति और उससे जुड़ी देयता का मूल्यांकन उस आधार पर किया जाता है जो उस अधिकार एवं बाध्यताओं को दर्शाता है जो समूह ने अपने पास रखे हैं।

वित्तीय परिसम्पत्ति के अमान्य करने पर, परिसम्पत्ति की रखरखाव लागत (अमान्य परिसम्पत्ति के भाग हेतु परिभाषित रखरखाव राशि) और निम्न के जोड़ (i) प्राप्त प्रतिफल (जिसमें प्राप्त की गई कोई नई परिसम्पत्ति घटाकर स्वीकृत कोई नई देयता शामिल है); और (ii) कोई संचयी लाभ अथवा हानि, जिसे ओसीआई में स्वीकृत किया गया था, के बीच के अन्तर को लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

कम्पनी वित्तीय देयता को तब अमान्य करती है, जब इसकी संविदात्मक बाध्यताएं मुक्त हो जाती हैं, अथवा रद्द हो जाती हैं अथवा समाप्त हो जाती हैं।

V. वित्तीय प्रलेखों का प्रतितुलन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को छूट दी जाती है तथा निवल राशि का तुलन पत्र में उल्लेख किया जाता है जब कम्पनी को स्वीकृत राशियों के प्रतितुलन का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और इसमें निवल आधार पर निपटान करने की धारणा हो अथवा परिसम्पत्ति की वसूली एवं देयता का साथ-साथ में निपटान करने की इच्छा हो।

VI. वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

कम्पनी सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ईसीएल के लिए क्षति भत्तों को मान्यता देती है, जिनका मूल्यांकन एफवीटीपीएल पर नहीं किया जाता है:

- वित्तीय परिसम्पत्तियां, जो ऋण प्रलेख हैं
- पट्टा प्राप्य
- जारी वित्तीय गारण्टी संविदाएं
- जारी ऋण प्रतिबद्धता

इक्विटी निवेशों पर क्षति को मान्य नहीं किया जाता है।

ईसीएल क्रेडिट हानियों को संभाव्य भारित अनुमान है। उनका मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट नहीं हैं- क्योंकि सभी नकदी कमियों के वर्तमान मूल्य, जो उल्लिखित तारीख के बाद 12 माह के भीतर संभव हैं, को कम करता है।
- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ वित्तीय परिसम्पत्तियां, परन्तु क्षतिग्रस्त क्रेडिट नहीं - जो समस्त नकदी के वर्तमान मूल्य जो वित्तीय परिसम्पत्ति के प्रत्याशित कार्य अवधि पर सभी संभावित चूक कार्यों के कारण हैं, को कम करता है।
- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट हैं - जो सकल रखरखाव राशि और अनुमानित नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच अन्तर के रूप में हैं।
- अनाहरित ऋण प्रतिबद्धताएं - जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच अन्तर के वर्तमान मूल्य के रूप में हैं, जो कम्पनी को देय हैं, यदि प्रतिबद्धता को कम किया जाता है और नकदी प्रवाह, जिसे कम्पनी प्राप्त करना चाहती है।

ट्रेड प्राप्यों एवं अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में, कम्पनी कार्य अवधि प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि में हानि छूट का मूल्यांकन करती है।

परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों हेतु हानि छूट को परिसम्पत्तियों के सकल रखरखाव राशि से कम किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए हानि छूट को ओसीआई में मान्य किया जाता है।

बट्टे खाते डालना

वित्तीय परिसम्पत्ति को तब बट्टे खाते (या तो आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप में) डाला जाता है, जब वित्तीय परिसम्पत्ति के इसके पूरी तरह से अथवा उसके भाग के रूप में वसूल होने की उचित आशा न हो। यह सामान्य तौर पर ऐसा मामला है, जब कम्पनी पारिभाषित करती है कि कर्जदार के पास कोई परिसम्पत्ति नहीं है अथवा आय के स्रोत नहीं है, जिससे वह बट्टे खाते डाली गई राशियों की चुकौती करने के लिए पर्याप्त नकदी उत्पन्न नहीं कर सकता है। इस निर्धारण को व्यक्तिगत परिसम्पत्ति स्तर पर किया जाता है और लाभ अथवा हानि विवरण में प्रभावित होता है। तथापि, वित्तीय परिसम्पत्तियों को, जिन्हें बट्टे खाते डाला गया हो, जहां उपयुक्त हो अभी भी कानूनी राय ले करके कम्पनी की वसूली प्रक्रियाओं के तहत प्रवर्तन क्रियाकलापों के अध्वधीन रखा जा सकता है व की गई किसी भी वसूली को वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि के समायोजन के रूप में लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

ग. सहायक कम्पनियों, सहयोगी कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश

कम्पनी अपने निवेशों को लागत घटा संचित हानि, यदि हो पर सहायक कम्पनियों, संबद्ध कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों में हिसाब में लेती है।

घ. पट्टे

पट्टों को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब कभी भी पट्टे अन्तरण की शर्तें, स्वामित्व सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को पूरी तरह से पट्टेदार को अन्तरित होती है। सभी अन्य पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

i. पट्टा देने वाले के रूप में कम्पनी

वित्तीय पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशियों को पट्टों में कम्पनी के निवल निवेश की राशि पर प्राप्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है। वित्त

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

पट्टा आय को लेखांकन अवधियों के लिए पारिभाषित किया जाता है, ताकि पट्टों के संबंध में कम्पनी की निवल निवेश बकाया पर प्रतिफल को परिवर्तनीय आवधिक दर पर दर्शाया जा सके।

परिचालन पट्टों से किराया आय को सामान्य तौर पर संगत पट्टे की अवधि पर स्ट्रेट लाइन आधार पर मान्य किया जाता है। जहां किरायों को सिर्फ कम्पनी की प्रत्याशित मूल्यवृद्धि लागत को बढ़ाने के लिए क्षतिपूर्णा हेतु अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की दिशा में वृद्धि हेतु तैयार किया गया हो, वहां ऐसी वृद्धियों को उस वर्ष में जिस वर्ष में ऐसे लाभ प्रोद्भूत हुए हो, मान्य किया जाता है।

ii. पट्टेदार के रूप में कम्पनी

परिचालन पट्टों में किराया व्यय को सामान्य तौर पर संगत पट्टे की अवधि पर स्ट्रेट लाइन आधार पर मान्य किया जाता है। जहां किराए को सिर्फ कम्पनी की प्रत्याशित मूल्यवृद्धि लागत को बढ़ाने के लिए क्षतिपूर्णा हेतु अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की दिशा में वृद्धि हेतु तैयार किया गया हो, वहां ऐसी वृद्धियों को उस वर्ष में जिस वर्ष में ऐसे लागत प्रोद्भूत हुए हो, मान्य किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत उत्पन्न आकस्मिक किरायों को उस अवधि में जिसमें प्रोद्भूत उपगत हुए हैं, व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

ख. कर्मचारी लाभ

i. अल्प अवधि कर्मचारी लाभ

अल्प अवधि कर्मचारी लाभ व्ययगत होते हैं, जब संबंधित सेवा ली जाती हो। देयता को अदा किए जाने हेतु अपेक्षित राशि के लिए मान्य किया जाता है; यदि कम्पनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए कोई वर्तमान कानूनी अथवा रचनात्मक बाध्यता हो और बाध्यता का विश्वसनीयता से अनुमान लगाया जा सकता है।

ii. नियोजन बाद लाभ

क. पारिभाषित अंशदान योजना

पेंशन

01 अप्रैल, 2008 से पहले, कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय परिचालनरत पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत रखा गया था और तदनुसार जब भी देय हो महंगाई भत्ता और परिवार पेंशन के लिए हकदार होते हैं। इस संबंध में किए गए अंशदान को जब भी देय हो, राजस्व में प्रभारित किया जाता है। कम्पनी ने 01 अप्रैल, 2008 को मौजूदा कर्मचारियों के लिए अगस्त, 2008 में पारिभाषित अंशदान योजना शुरू की और इसका ही चयन किया। कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि संचालन को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के न्यासियों द्वारा एक ग्रुप अधिवाषिता नकदी संचयन योजना लागू करके सौंपा गया है।

ख. पारिभाषित लाभ योजना

भविष्य निधि

कम्पनी पूर्वपारिभाषित दरों पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि का पारिभाषित अंशदान अदा करती है, जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वर्ष हेतु निधि में अंशदानों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ अथवा हानि में प्रभारित किया जाता है। कम्पनी की बाध्यता ऐसे पारिभाषित अंशदान करना है और सदस्यों के लिए न्यूनतम प्रतिफल दर को सुनिश्चित करना है जैसा कि भारत सरकार (जीओआई) द्वारा विनिर्दिष्ट है।

उपदान

कम्पनी की उपदान के रूप में एक पारिभाषित लाभ कर्मचारी योजना है। योजना के न्यासियों को एलआईसी की संबंधित निधि का संचालन सौंपा गया है। वर्ष हेतु व्यय को इस संबंध में कम्पनी की वर्षान्त बाध्यता और योजना के वर्षान्त परिसम्पत्तियों के मूल्य के बीमांकन के आधार पर पारिभाषित किया जाता है। अंशदान को कम्पनी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर एलआईसी में जमा किया जाता है।

चिकित्सा सुविधा

कम्पनी की अस्पताल सुविधा एवं सामान्य चिकित्सा उपचार की कुछ सीमाओं के तहत कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा लाभ योजना है।

पारिभाषित लाभ योजना के संबंध में कम्पनी की निवल बाध्यता को आगामी लाभ राशि का अनुमान लगा करके प्रत्येक योजना हेतु अलग से परिकलित किया जाता है। जिसे कर्मचारियों के वर्तमान लागतों में अपनी सेवा हेतु और किसी योजना परिसम्पत्ति के उचित मूल्य, यदि कोई कटौती की गई हो, के लिए बाद में अर्जित किया हो।

iii. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कम्पनी की छुट्टी नकदीकरण और छुट्टी किराया छूट के तहत लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को दर्शाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कम्पनी की निवल बाध्यता आगामी लाभ की राशि है जो कर्मचारी का वर्तमान मूल्य है, और किसी संबंधित परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य को कम किया गया है परिकलन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए किया जाता है। किन्हीं बीमांकन लाभों अथवा हानियों को उस अवधि में जिसमें वे उद्भूत हुए, लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है। छुट्टी किराया छूट का प्रावधान बीमांकन मूल्यांकन आधार पर किया जा रहा है।

च. आय कर

i. वर्तमान कर

वर्तमान कर का मूल्यांकन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष हेतु कराधेय आय के संबंध में अदा की जाने वाली प्रत्याशित राशि पर किया जाता है। वर्तमान कर में वर्ष हेतु कराधेय आय अथवा हानि पर देय कर और पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में देय कर का समायोजन शामिल है। इसका

(सभी राशियां करोड़ रुपये में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

मूल्यांकन रिपोर्टिंग तारीख में अधिनियम कर दरों अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग करके किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर ('मैट') को लाभ और हानि विवरण में वर्तमान कर के रूप में मान्य किया जाता है। वर्तमान कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं पर तभी छूट प्राप्त होती है, यदि कम्पनी:

(क) को कानूनी रूप से स्वीकृत राशियों को प्रतियुक्ति करने का प्रवर्तनीय अधिकार हो; और

(ख) या तो निवल आधार पर इसका निपटान करना चाहती हो या फिर परिसम्पत्ति की वसूली करना चाहती हो और साथ में देयता का निपटान करना चाहती हो।

ii. आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए और कराधान प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त राशियों के लिए परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की रखरखाव राशियों के बीच अस्थायी अन्तर के संबंध में मान्य किया जाता है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में तथा प्रबंधन के आकलन के आधार पर पुनरीक्षा की जाती है, उस सीमा में कम किया जाता है, जिसमें इसकी अधिक संभावना नहीं हो कि संबंधित कर लाभ को वसूल किया जाएगा; ऐसी कटौतियों को रिवर्स किया जाता है, जब आगामी कराधान लाभ की संभावना में सुधार आता है।

अस्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में पुनः परिभाषित किया जाता है और काफी हद तक स्वीकार किया जाता है जिससे यह संभव हो सके कि आगामी कराधेय लाभ उनके संबंध में प्राप्य होंगे जिसके संबंध में उन्हें प्रयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर का मूल्यांकन उन कर दरों पर किया जाता है जिन्हें, अस्थायी अन्तरों पर लागू किया जा सकता है जब उन्हें रिपोर्टिंग तारीख में अधिनियमित कर दरों अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग करते हुए लौटाया जा सकता हो।

आस्थगित कर का मूल्यांकन उन कर परिणामों को चित्रित करता है, जो रिपोर्टिंग तारीख में ऐसे तरीके से उत्पन्न होंगे जिसमें कम्पनी अपनी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की रखरखाव राशि को वसूल कर सके अथवा इसका निपटान कर सके।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों और देयताओं पर तभी छूट प्राप्त होती है, यदि कम्पनी:

क) के पास चालू कर देयताओं के प्रति चालू कर परिसम्पत्तियों के प्रतितुलन का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो; और

ख) आय करों से संबंधित आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं को एक ही कराधान प्राधिकारी द्वारा वसूला जाता है।

प्रदत्त मैट के संबंध में अधिनियम के तहत उपलब्ध क्रेडिट को केवल परिसम्पत्ति के रूप में मान्य किया जाता है जब भी इसमें स्पष्टकारी प्रमाण हो कि कम्पनी उस अवधि में सामान्य आय कर का भुगतान करेगी जिस अवधि के लिए मैट क्रेडिट को सामान्य कर देयता के संबंध में प्रतितुलन हेतु आगे ले जाया जा सकता हो। परिसम्पत्ति के रूप में स्वीकृत मैट क्रेडिट की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और काफी हद तक रिकॉर्ड में लाया जाता है, उपरोक्त युक्तियुक्त प्रमाण अधिक समय तक मौजूद नहीं रहता।

छ. सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा निवेश सम्पत्ति

मान्यता एवं मूल्यांकन

प्रयोग हेतु अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों हेतु धारित सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का लागत घटा संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि पर तुलनपत्र में उल्लेख किया जाता है। लागत में संबंधित परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण एवं संस्थापन में संबंधित गैर-वापसी योग्य कर, शुल्क, भाड़ा और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल है। 5,000/- रुपये से कम कीमत वाली परिसम्पत्ति को खरीद के वर्ष में लाभ व हानि विवरण में प्रभावित किया जाएगा।

निवेश परिसम्पत्ति में, किराया प्राप्त करने के लिए किराए पर दिया गया भवन शामिल है। कम्पनी निवेश परिसम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु लागत मॉडल का अनुपालन करती है।

मूल्यह्रास

मूल्यह्रास उपयोगी कार्य अवधि पर स्ट्रेट लाइन विधि का प्रयोग करते हुए प्रदान किया जाता है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में परिभाषित है। मूल्यह्रास को यथा-अनुपात आधार पर परिकलित किया जाता है, जिसमें परिवर्धन माह और बिक्री/निपटान माह का अपवर्जन शामिल है। पट्टाभूमि सुधार को स्ट्रेट लाइन आधार पर मूलाधार पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाता है। भवन एवं वाहनों के संबंध में अपशिष्ट मूल्य को लागत के 5% के रूप में समझा जाता है तथा अन्य परिसम्पत्ति के मामले में "शून्य" समझा जाता है।

अनुमानित उपयोगी मूल्यों, अपशिष्ट मूल्यों तथा मूल्यह्रास विधि की अग्रदर्शी आधार पर हिसाब में लिए गए अनुमान में किन्हीं परिवर्तनों के कारण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षा की जाती है।

अमान्यता

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अथवा निवेश सम्पत्ति की मद को निपटान पर अमान्य किया जाता है अथवा जब परिसम्पत्ति के निरन्तर प्रयोग से कोई आगामी आर्थिक लाभ होने की संभावना न हो। सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अथवा निवेश सम्पत्ति की किसी मद के निपटान पर अथवा सेवा समाप्ति पर उत्पन्न किसी लाभ अथवा हानि को बिक्री प्राप्तियों एवं परिसम्पत्ति की रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है और लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

ज. अमूर्त परिसम्पत्तियां

मान्यता एवं मूल्यांकन

अमूर्त परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर मान्य किया जाता है, जिसमें, समस्त व्यय शामिल होता है, जिसे इसके अभिप्रेत प्रयोग के लिए एक उचित एवं सुसंगत आधार पर परिसम्पत्ति को सृजित करने, उत्पन्न करने अथवा तैयार करने के लिए सीधे आरोप्य अथवा परिभाषित किया जा सकता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिशोधन

परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि पर स्ट्रेट लाइन आधार पर मान्य किया जाता है। अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि तथा परिशोधन विधि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अग्रदर्शी आधार पर हिसाब में लिए जा रहे अनुमान में किन्हीं परिवर्तनों के संबंध में पुनरीक्षा की जाती है। तुल्य-पत्र में दिखाई गई अमूर्त संपत्तियों में स्थायी लाइसेंस वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं और पूंजीकरण की तारीख से छह साल की अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिशोधित है।

अमान्यता

अमूर्त परिसम्पत्ति को निपटान पर अथवा जब इसके इस्तेमाल अथवा निपटान से आगामी आर्थिक लाभ की आशा न हो, अमान्य किया जाता है। अमूर्त परिसम्पत्ति के अमान्य होने से उत्पन्न लाभों अथवा हानियां को, जो परिसम्पत्ति के निवल निपटान प्राप्तियों एवं रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में मूल्यांकित हो, लाभ अथवा हानि में तब मान्य किया जाता है, जब परिसम्पत्ति अमान्य हो।

झ. गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को, कम्पनी अपनी गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों के रखरखाव राशि की (बिक्री हेतु रखी सम्पत्ति एवं आस्थगित कर सम्पत्ति से भिन्न) यह निर्धारण करने हेतु पुनरीक्षा करती है कि क्या इसमें क्षति का कोई संकेतन है। यदि कोई संकेतन मौजूद होता है: तब परिसम्पत्ति की वसूलनीय राशि का अनुमान लगाया जाता है।

क्षति की जांच करने हेतु, परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्तियों के छोटे-छोटे समूह में एक साथ समूहित किया जाता है जो निरन्तर प्रयोग से नकदी अन्तर्प्रवाह उत्पन्न करता है; जो अन्य परिसम्पत्तियों अथवा सीजीयू के नकदी अन्तर्प्रवाह का अत्यधिक स्वतंत्र प्रवाह है।

परिसम्पत्ति अथवा सीजीयू की “वसूलनीय राशि” इसके प्रचलित मूल्य तथा बिक्री हेतु इसके उचित मूल्य घटाकर लागत से अधिक होती है। “प्रचलित मूल्य” अनुमानित आगामी नकदी प्रवाह पर आधारित होता है, जो कर पूर्व दर छूट का प्रयोग करते हुए अपने वर्तमान मूल्य में छूट प्राप्त होता है, जो धन के सम मूल्य एवं परिसम्पत्ति के निर्दिष्ट जोखिमों अथवा सीजीयू की राशि के वर्तमान बाजार निर्धारण को चित्रित करता है।

अनर्जक हानियों को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है। अनर्जक हानि केवल उसी सीमा में प्रत्यावर्तित होती है, जिसमें परिसम्पत्ति की वास्तविक राशि उसकी रखरखाव राशि से अधिक नहीं होती, जिसका निर्धारण निवल मूल्यद्वारा अथवा परिशोधन राशि से घटाकर किया जाना होगा, यदि अनर्जक क्षति को स्वीकार नहीं किया गया था।

ञ. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेनदेनों में खर्चों एवं आय को लेन-देन की तारीख को अग्रवर्ती दर पर प्रचलित दरों पर हिसाब में लिया जाता है; यदि ऐसे लेनदेन के लिए अर्जित किया गया हो। विदेशी मुद्रा में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं तथा विदेशी मुद्रा में उद्भूत आय एवं व्यय को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (एफडीडीआई) द्वारा लेखांकन अवधि के समाप्त होने की दिशा में सूचित दरों पर भारतीय रुपए में अन्तरित किया जाता है। विभिन्न परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के मूल्यांकन पर लाभ/हानियां, यदि कोई हो को लाभ एवं हानि के विवरण में लिया जाता है।

ट. दावों, मुकदमेबाजी आदि से संबंधित प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है, जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप समूह की कोई कानूनी एवं रचनात्मक बाध्यता हो, जिसके लिए यह संभावना हो कि नकदी प्रवाह अपेक्षित होगा तथा बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर वर्तमान देयता के निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के लिए प्रबंधन के उत्कृष्ट आकलन के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों का मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान मूल्य के निर्धारण हेतु प्रयुक्त छूट दर कर पूर्व दर है जो धन राशि के सम मूल्य ओर देयता के विनिर्दिष्ट जोखिमों का वर्तमान बाजार निर्धारण को दर्शाता है।

ड. आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक देयता तब मौजूद रहती है जब इसमें संभावना हो, परन्तु संभाव्य देयता न हो, अथवा कोई वर्तमान देयता न हो, जो संभवतः संसाधनों के बहिर्प्रवाह अथवा उस वर्तमान बाध्यता के लिए आवश्यक नहीं होगी, जिसकी राशि को विश्वसनीयता आकलन न किया जा सकता हो। आकस्मिक देयताओं में प्रावधान करने आवश्यक नहीं होते, परन्तु य तभी प्रकट किए जाते हैं, जब संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना बहुत कम हो।

आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में व्यक्त किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का अन्तर्प्रवाह संभव हो।

ड. नकद एवं नकद समकक्ष

नकदी एवं नकदी समतुल्य में चालू खातों बैंकों में शेष एवं मियादी जमा राशियां, हस्तगत नकदी एवं चेक तथा संपारिवर्क ऋण एवं उधारी बाध्यता लेनदेनों पर उधार दी गई राशि शामिल है।

ढ. खण्ड रिपोर्टिंग

परिचालन खण्डों का कम्पनी के मुख्य परिचालन निर्णायक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराए गए आन्तरिक रिपोर्टिंग के साथ सुसंगत तरीके में उल्लेख किया जाता है। सीओडीएम, संसाधनों के निर्धारण हेतु और कम्पनी के परिचालन खण्डों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ण. बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां

परिसम्पत्तियों को बिक्री हेतु धारित सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि इसमें अत्यधिक संभावना हो कि उन्हें मुख्यतः निरन्तर प्रयोग के बजाय बिक्री के जरिए वसूल किया जाएगा।

ऐसी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन लाभ अथवा हानि में स्वीकृत पुनर्मूल्यांकन पर लाभों एवं हानियों के साथ बिक्री हेतु उनकी वास्तविक राशि से घटाकर उचित मूल्य लागत से कम पर किया जाता है।

एक बार बिक्री सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत होने पर, परिसम्पत्तियों को अधिक समय तक परिशोधित, मूल्यहासित अथवा क्षतिग्रस्त नहीं रखा जाता है।

1(क) लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन

कंपनी ने चरण-3 आय की मान्यता के संबंध में अपनी लेखांकन नीति को संशोधित किया है, जो 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी है। यह परिवर्तन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सी.ए.जी.), भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) और दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) की सिफारिशों के अनुरूप है। प्रबंधन ने माना है कि उपरोक्त परिवर्तन महत्वपूर्ण है और इसके परिणामस्वरूप 31.3.2023 के वित्तीय विवरणों का पुनः उल्लेख किया जाना है। उपरोक्त लेखांकन नीति के समावेश के बाद भारतीय लेखा-मानक वित्तीय विवरणों के प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं।

केएफडब्ल्यू क्रेडिट लाइनों के पुनर्भुगतान की शर्तें

लाभ और हानि के विवरण से उद्धरण	31 मार्च, 2023 को (मूल)	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	समायोजन	31 मार्च, 2023 को (मूल)	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	समायोजन
ब्याज आय (अनुसूची संख्या 27 देखें)						
ऋणों पर ब्याज	295.66	505.16	209.50	592.88	840.91	248.03
वित्तीय लिखतों पर हानि (अनुसूची संख्या 31 देखें)						
बट्टे खाते डालना	-79.29	130.21	209.50	1373.32	1,621.35	248.03

वित्त वर्ष 2022-23 और 2021-22 की ब्याज आय में क्रमशः 209.50 करोड़ रुपये और 248.03 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। चूंकि इन राशियों की वसूली की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए इसे सम्बद्ध वित्तीय वर्षों के बट्टे खाते में डाल दिया गया है। इसलिए, इन वर्षों के शुद्ध लाभ/शुद्ध हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 01.04.2022 को आरंभिक तुलन-पत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि प्रतिधारित आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

चरण 3 आय मान्यता से संबंधित लेखांकन नीति में बदलाव के कारण ऋण में उतार-चढ़ाव

विवरण	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	(राशियां करोड़ रुपए में) 01 अप्रैल, 2022 को
सकल ऋण बही खाता (अनुसूची संख्या 7 देखें)	6,441.59	7,339.90
जोड़ें: चरण 3 पर प्रोदभूत ब्याज	209.50	248.03
घटाएं: चरण 3 पर प्रोदभूत ब्याज को बट्टे खाते डालना	(209.50)	(248.03)
समायोजन के बाद सकल ऋण पुस्तिका	6,441.59	7,339.90

इस नीति परिवर्तन से संबंधित आवश्यक प्रकटन को वित्तीय विवरणों के ऋण, ब्याज आय और वित्तीय साधनों पर हानि पर संबंधित अनुसूचियों में शामिल किया गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

3 नकद एवं नकदी समकक्ष

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
हस्तगत नकदी (डाक टिकटों सहित)*	-	-	-
बैंकों में शेष			
- बैंक शेष	542.52	7.27	22.46
- बैंक में जमा राशि	-	67.28	89.97
संपादित उधार ऋण परिचालन (सीबीएलओ)	99.94	35.83	-
हाथ में और संग्रहण एवं पारगमन में प्रेषण के अधीन चेक	-	-	-
जोड़	642.46	110.38	112.43

* संबंधित रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार नकद शेष राशि 100 रूपए (सौ रूपए) है।

4 नकदी एवं नकद समतुल्य से भिन्न बैंक शेष

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
बैंकों में शेष			
- बैंक शेष	0.33	-	-
- बैंक में जमा राशि^	366.88	-	-
पीएलआई योजना के तहत बैंकों के पास शेष राशि	1,447.60	843.73	50.57
ऋण भुगतान के लिए बैंकों के पास शेष राशि	201.23	458.71	35.86
अदावाकृत लाभांश खाता	-	2.26	5.92
गारण्टियों के प्रति मार्जिन राशि के रूप में धारित बैंक शेष *	45.60	44.90	49.59
न्यायालय और अधिकरण आदि के निर्देशन पर बैंक जमा राशि#	243.03	220.79	200.97
ऋण गारंटी संवर्धन योजना के अधीन कंपनी के पास रखे गए फंड के विरुद्ध बैंक जमा			
- बैंक शेष	0.04	0.02	0.19
- बैंक में जमा राशि^	344.65	321.48	305.27
जोड़	2,649.36	1,891.89	648.37
^ 12 माह से अधिक के शेष शामिल है।	325.35	-	-
* 12 माह से अधिक के शेष शामिल है।	-	-	-
# 12 माह से अधिक के शेष शामिल है।	-	-	-

5 डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख:

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)		01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)	
	काल्पनिक राशि	उचित मूल्य-परिसम्पत्तियां/देयताएं	काल्पनिक राशि	उचित मूल्य-परिसम्पत्तियां/देयताएं	काल्पनिक राशि	उचित मूल्य-परिसम्पत्तियां/देयताएं
भाग I						
मुद्रा डेरिवेटिव:						
- स्पोर्ट एण्ड फारवर्ड	334.25	(13.94)	364.20	14.83	370.57	2.02
जोड़ डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख- भाग I	334.25	(13.94)	364.20	14.83	370.57	2.02
भाग II						
उपरोक्त (भाग I) में सम्मिलित प्रतिरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन हेतु धारित डेरिवेटिव निम्नानुसार हैं:						
अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव	334.25	(13.94)	364.20	14.83	370.57	2.02
जोड़ डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख- भाग II	334.25	(13.94)	364.20	14.83	370.57	2.02

डेरिवेटिव्स को विदेशी मुद्रा में किए गए ऋणों के लिए ब्याज दर एवं मूल जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए कम्पनी द्वारा प्रयोग किया गया है।

डेरिवेटिव से हुए प्रबंधन जोखिम के लिए टिप्पणी सं. S3 देखें

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

6 प्राप्य राशियां:

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
(क) प्रतिभूत			
- अच्छी समझी गई	-	-	-
- संदिग्ध समझी गई	-	-	-
(ख) अप्रतिभूत			
- अच्छी समझी गई	107.23	40.19	31.85
- संदिग्ध समझी गई	-	-	-
	107.23	40.19	31.85
घटाएं: क्षति हेतु प्रावधान	(3.59)	(1.87)	(1.33)
जोड़	103.64	38.32	30.52

ट्रेड प्राप्यों की अवधि बढ़ जाना

31 मार्च, 2024 को

	6 माह से कम	6 माह-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छी समझी गई	76.68	-	-	-	-	76.68
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	15.30	11.17	1.92	-	28.39
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	2.16	2.16
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छी समझी गई	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	-	-
	76.68	15.30	11.17	1.92	2.16	107.23
घटाएं: हानि के लिए प्रावधान	(0.00)	0.77	0.56	0.10	2.16	3.59
जोड़						103.64

31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)

	6 माह से कम	6 माह-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छी समझी गई	30.81	-	-	-	-	30.81
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	4.27	2.53	1.08	-	7.88
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	1.50	1.50
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छी समझी गई	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	-	-
	30.81	4.27	2.53	1.08	1.50	40.19
घटाएं: हानि के लिए प्रावधान	-	0.20	0.12	0.05	1.50	1.87
जोड़						38.32

31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)

	6 माह से कम	6 माह-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छी समझी गई	24.91	-	-	-	-	24.91
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	3.01	1.66	1.19	-	5.86
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	1.08	1.08
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छी समझी गई	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	-	-
	24.91	3.01	1.66	1.19	1.08	31.85
घटाएं: हानि के लिए प्रावधान	-	0.13	0.07	0.05	1.08	1.33
जोड़						30.52

संबंधित पक्षकारों से एवं संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देनों से देय ट्रेड प्राप्यों के निबंधनों एवं शर्तों के लिए टिप्पणी 47 देखें।

कम्पनी के क्रेडिट एवं मुद्रा जोखिमों तथा व्यापार प्राप्यों से संबंधित हानि भत्तों के जोखिमों की टिप्पणी 53 में प्रकट किया गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

7 ऋण

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
(क) परिशोधित लागत पर			
(i) मियादी ऋण	4,218.90	5,565.23	6,527.79
(ii) पट्टे पर देना	0.04	0.04	0.04
(iii) डिबेंचर	827.10	876.32	812.07
जोड़ (क) - सकल	5,046.04	6,441.59	7,339.90
घटाएँ: क्षति हानि भत्ता	3,739.65	4,642.40	4,957.31
जोड़ (क) - निवल	1,306.39	1,799.19	2,382.59
(ख) प्रतिभूति विवरण			
(i) मूल एवं अमूर्त परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत	2,830.36	4,006.14	5,175.88
(ii) बैंक/सरकारी गारण्टी में शामिल	0.61	57.91	54.37
(iii) अप्रतिभूत	2,215.07	2,377.54	2,109.65
जोड़ (ख) - सकल	5,046.04	6,441.59	7,339.90
घटाएँ: क्षति हानि भत्ता	3,739.65	4,642.40	4,957.31
जोड़ (ख) - निवल	1,306.39	1,799.19	2,382.59
(ग) भारत में ऋण			
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	2.11	2.11	54.11
(ii) अन्य	5,043.93	6,439.48	7,285.79
जोड़ (ग) - सकल	5,046.04	6,441.59	7,339.90
घटाएँ: क्षति हानि भत्ता	3,739.65	4,642.40	4,957.31
जोड़ (ग) - निवल	1,306.39	1,799.19	2,382.59
(घ) भारत से बाहर ऋण	-	-	-
जोड़ (घ) - सकल	-	-	-
घटाएँ: क्षति हानि भत्ता	-	-	-
जोड़ (घ) - निवल	-	-	-

कंपनी ने अपनी लेखा नीति में परिवर्तन किया है, जिसके तहत चरण-3 परिसंपत्तियों (आई.आर.ए.सी. मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) पर ब्याज आय 1 अप्रैल, 2021 से खाते-बहियों में दर्ज की जाएगी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 की ब्याज आय को अंकित किया जाएगा और उसमें क्रमशः 209.50 करोड़ रुपये और 248.03 करोड़ रुपये की वृद्धि की जाएगी। चूंकि इनकी वसूली की कोई पक्की संभावना नहीं है, इसलिए कंपनी ने संबंधित वर्षों में इस राशि को बट्टे खाते डालने अपलेखन करने का निर्णय लिया। तदनुसार, इन वर्षों की वित्तीय प्रलेखों की हानि में संबंधित राशियों की वृद्धि हो जायेगी।

चरण 3 आय मान्यता से संबंधित लेखांकन नीति में बदलाव के कारण ऋण में उतार-चढ़ाव

विवरण	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
सकल ऋण खाता बही (ऊपर अनुसूची 7 देखें)	6,441.59	7,339.90
जोड़ें: चरण 3 पर अर्जित ब्याज	209.50	248.03
घटाएँ: चरण 3 पर अर्जित ब्याज का बट्टे खाते में डालना	(209.50)	(248.03)
समायोजन के बाद सकल ऋण पुस्तिका	6,441.59	7,339.90

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी ने कुल 160.46 करोड़ रुपये का ब्याज अर्जित किया है, जिसमें से वसूली अनुमानों के आधार पर 145 करोड़ रुपये की राशि बट्टे खाते में डाल दी गई है। कंपनी को ऋण व मुद्रा जोखिमों से होने वाली हानि, और ऋणों से संबंधित हानि भत्ते का प्रकटीकरण नोट सं. 53 में किया गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

8 निवेश

	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			अन्य	जोड़
		अन्य समग्र आय के जरिए	लाभ अथवा हानि के जरिए	लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर निर्दिष्ट		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)
31 मार्च, 2024 को						
(क)						
(i) म्यूचुअल फण्ड	-	-	246.24	-	-	246.24
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां	-	0.70	-	-	-	0.70
(iii) खजाना बिल	-	513.13	-	-	-	513.13
(iv) ऋण प्रतिभूतियां	-	17.80	-	-	-	17.80
(v) इक्विटी प्रलेख	-	14.33	670.97	-	-	685.30
(vi) अन्य						
उद्यम पूंजी	-	-	109.61	-	-	109.61
प्रतिभूति प्राप्तियां	-	-	60.98	-	-	60.98
वाणिज्यिक पत्र	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट जमा	-	-	-	-	-	-
अधिमान शेयर	-	-	25.05	-	-	25.05
जोड़ - सकल (क)	-	545.96	1,112.85	-	-	1,658.81
(ख)						
(i) भारत में निवेश	-	545.96	1,112.85	-	-	1,658.81
(ii) भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
जोड़ - सकल (ख)	-	545.96	1,112.85	-	-	1,658.81
(ग) घटाएं : क्षति हानि भत्ता	-	-	-	-	-	-
(घ) जोड़ - निवल (क-ग)	-	545.96	1,112.85	-	-	1,658.81

	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			अन्य	जोड़
		अन्य समग्र आय के जरिए	लाभ अथवा हानि के जरिए	लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर निर्दिष्ट		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)
31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)						
(क)						
(i) म्यूचुअल फण्ड	-	-	147.61	-	-	147.61
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां	-	0.70	-	-	-	0.70
(iii) खजाना बिल	-	-	-	-	-	-
(iv) ऋण प्रतिभूतियां	-	19.98	-	-	-	19.98
(v) इक्विटी प्रलेख	-	26.72	591.7	-	-	618.42
(vi) अन्य						
उद्यम पूंजी	-	-	109.71	-	-	109.71
प्रतिभूति प्राप्तियां	-	-	118.60	-	-	118.60
वाणिज्यिक पत्र	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट जमा	-	-	0	-	-	-
अधिमान शेयर	-	-	3.95	-	-	3.95
जोड़ - सकल (क)	-	47.40	971.57	-	-	1,018.97
(ख)						
(i) भारत में निवेश	-	47.40	971.57	-	-	1,018.97
(ii) भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
जोड़ - सकल (ख)	-	-	-	-	-	-
(ग) घटाएं : क्षति हानि भत्ता	-	-	-	-	-	-
(घ) जोड़ - निवल (क-ग)	-	47.40	971.57	-	-	1,018.97

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			अन्य	जोड़
		अन्य समग्र आय के जरिए	लाभ अथवा हानि के जरिए	लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर निर्दिष्ट		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)
31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)						
(क)	-	-	90.96	-	-	90.96
(i) म्युचुअल फण्ड	-	0.72	-	-	-	0.72
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां	-	533.09	-	-	-	533.09
(iii) खजाना बिल	-	-	-	-	-	-
(iv) ऋण प्रतिभूतियां	-	93.29	-	-	-	93.29
(v) इक्विटी प्रलेख	-	54.75	600.92	-	-	655.67
(vi) अन्य	-	-	-	-	-	-
उद्यम पूंजी	-	-	114.48	-	-	114.48
प्रतिभूति प्राप्तियां	-	-	190.53	-	-	190.53
वाणिज्यिक पत्र	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट जमा	-	-	-	-	-	-
अधिमान शेयर	-	-	4.86	-	-	4.86
जोड़ - सकल (क)	-	681.85	1,001.75	-	-	1,683.60
(ख)						
(i) भारत में निवेश	-	681.85	1,001.75	-	-	1,683.60
(ii) भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
जोड़ - सकल (ख)	-	-	-	-	-	-
(ग) घटाएं : क्षति हानि भत्ता	-	-	-	-	-	-
(घ) जोड़ - निवल (क-ग)	-	681.85	1,001.75	-	-	1,683.60

क्रेडिट और मुद्रा जोखिमों एवं ऋणों से सम्बन्धित हानि भत्ते के बारे में कम्पनी का जोखिम टिप्पणी 53 में दिया गया है।

9 अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
निवेशों पर ब्याज	13.62	0.51	2.44
प्रोद्भूत आय	0.26	2.01	14.31
कर्मचारियों को ऋण	23.75	24.79	26.41
अन्य जमा राशियां	54.59	54.97	57.57
अन्य संदिग्ध जमा राशियां	12.12	12.12	12.12
अन्य वसूलनीय राशियां	7.10	9.84	7.49
	111.44	104.24	120.34
घटाएं : क्षति हानि भत्ता	69.72	70.37	70.41
जोड़	41.72	33.87	49.93

क्रेडिट और मुद्रा जोखिमों एवं ऋणों से सम्बन्धित हानि भत्ते के बारे में कम्पनी का जोखिम टिप्पणी 53 में दिया गया है।

10 सहायक कम्पनियों में निवेश

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
सहायक कम्पनियों में निवेश	1,381.72	1,381.72	1,381.72
घटाएं: क्षति हानि भत्ता	131.17	124.02	121.63
जोड़	1250.55	1257.70	1260.09

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

11 इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए लेखागत निवेश

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
सहयोगी कम्पनियों में निवेश	-	-	-
चोड़	-	-	-

12 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

विवरण	01 अप्रैल, 2023 को	इक्विटी में मान्य	वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानि में मान्य	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य	31 मार्च, 2024 को
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां:					
ऋण	1,633.97	-	(313.83)	-	1,320.14
अन्य	377.71	-	-	-	377.71
न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता	-	-	-	-	-
	<u>2,011.68</u>	<u>-</u>	<u>-313.83</u>	<u>-</u>	<u>1,697.85</u>
आस्थगित कर देयताएं:					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	223.58	-	(11.31)	-	212.28
निवेश	103.14	-	55.53	76.92	235.59
सहायक कम्पनियों में निवेश	(100.88)	-	(2.50)	-	(103.38)
36(i) (viii) के तहत विशेष रिजर्व निधि पर डीटीएल	46.72	-	-	-	46.72
उधार	(0.00)	-	-	-	(0.00)
	<u>272.56</u>	<u>-</u>	<u>41.72</u>	<u>76.92</u>	<u>391.21</u>
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	<u>1,739.12</u>	<u>-</u>	<u>-355.55</u>	<u>(76.92)</u>	<u>1,306.65</u>
विवरण	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)	इक्विटी में मान्य	वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानि में मान्य	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां:					
ऋण	1,743.55	-	(109.58)	-	1,633.97
अन्य	377.71	-	-	-	377.71
न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता	-	-	-	-	-
	<u>2,121.27</u>	<u>-</u>	<u>-109.58</u>	<u>-</u>	<u>2,011.68</u>
आस्थगित कर देयताएं:					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	241.43	-	(17.85)	-	223.58
निवेश	77.43	-	14.09	11.62	103.14
सहायक कम्पनियों में निवेश	(100.05)	-	(0.83)	-	(100.88)
36(i) (viii) के तहत विशेष रिजर्व निधि पर डीटीएल	46.72	-	-	-	46.72
उधार	2.98	-	(2.98)	-	(0.00)
	<u>268.51</u>	<u>-</u>	<u>-7.57</u>	<u>11.62</u>	<u>272.56</u>
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	<u>1,852.76</u>	<u>-</u>	<u>-102.01</u>	<u>(11.62)</u>	<u>1,739.12</u>

13 निवेश सम्पत्ति

	सकल ब्लॉक			मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
	1 अप्रैल, 2023 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	23.16	-	-	23.16	-	-	-	-	23.16	23.16
भवन	328.31	-	-	328.31	93.41	6.88	-	100.29	228.02	234.90
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	25.26	-	-	25.26	-	-	-	-	25.26	25.26
चोड़	<u>376.73</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>376.73</u>	<u>93.41</u>	<u>6.88</u>	<u>-</u>	<u>100.29</u>	<u>276.45</u>	<u>283.32</u>

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	सकल ब्लॉक				मूल्यदास			निवल ब्लॉक		
	1 अप्रैल, 2022 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फ्रीहोल्ड भूमि	11.82	11.34	-	23.16	-	-	-	-	23.16	11.82
भवन	322.00	6.31	-	328.31	86.66	1.72	(5.03)	93.41	234.90	235.34
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	24.25	1.01	-	25.26	-	-	-	-	25.26	24.25
जोड़	358.07	18.66	-	376.73	86.66	1.72	(5.03)	93.41	283.32	271.41

	सकल ब्लॉक				मूल्यदास			निवल ब्लॉक		
	1 अप्रैल, 2021 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	1 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	1 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)	1 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2021 को (पुनःस्थापित)
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	9.84	1.98	-	11.82	-	-	-	-	11.82	9.84
भवन	192.75	129.25	-	322.00	17.10	2.73	(66.83)	86.66	235.34	175.65
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	0.02	24.23	-	24.25	-	-	-	-	24.25	0.02
जोड़	202.61	155.46	-	358.07	17.10	2.73	(66.83)	86.66	271.41	185.51

निवेश सम्पत्ति से अर्जित किराए की आय के विवरण के लिए, लाभ और हानि का विवरण देखें
31/03/2024 को निवेश सम्पत्ति का उचित मूल्य 537.30 करोड़ रु. है (पिछले वर्ष-31/03/2023: 554.37 करोड़ रु.)

उचित मूल्यों का मूल्यांकन

i. उचित मूल्य क्रमानुक्रम

निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य को मूल्यांकित की जा रही सम्पत्ति की अवस्थिति एवं श्रेणी में उपयुक्त मान्य पेशेवर योग्यताओं एवं नवीनतम अनुभव रखने वाले बाहरी, स्वतंत्र सम्पत्ति मूल्यांककों द्वारा निर्धारित किया गया है। हालाँकि, मूल्यांकन आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त रिपोर्ट अवधि के दौरान आंतरिक रूप से निर्धारित किया गया है।

समस्त निवेश सम्पत्ति हेतु उचित मूल्य को प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक के इनपुटों के आधार पर चरण 3 उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. मूल्यांकन तकनीक

कम्पनी प्रत्यक्ष बिक्री तुलना तकनीक का पालन करती है। मूल्यांकन मॉडल आसपास के क्षेत्र में स्थित सम्पत्तियों में नवीनतम बिक्रियों/एक जैसी हित के सूचीकरण की तुलना करके विषयगत सम्पत्ति के मूल्य पर विचार करती है। इच्छुक खरीददारों एवं विक्रेताओं के बीच “आर्म-लेंथ लेन-देन की अर्हता पूरी करने वाली बिक्रियों का विश्लेषण करके, इसके आकार, स्थान, समय सुख सुविधाओं एवं अन्य संगत कारकों को देखते हुए समायोजन किया जाएगा, जब इस तरह के बिक्री मूल्य की वस्तुगत सम्पत्ति के संबंध में तुलना की गई हो। इस दृष्टिकोण को सामान्य रूप में मानक सम्पत्तियों के मूल्य हेतु तब अपनाया जाता है जब वसूलनीय बिक्री साक्ष्य उपलब्ध हो।

14 सम्पत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण

	सकल ब्लॉक				मूल्यदास			निवल ब्लॉक		
	1 अप्रैल, 2023 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	85.81	-	-	85.81	-	-	-	-	85.81	85.81
भवन	328.67	0.04	-	328.71	(3.55)	10.26	-	6.72	321.99	332.22
पट्टा भूमि सुधार	0.04	-	-	0.04	0.04	-	-	0.04	-	-
संयंत्र एवं मशीनरी	8.18	-	-	8.18	2.62	0.59	-	3.22	4.96	5.55
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	5.88	0.04	-	5.92	5.66	0.08	-	5.73	0.19	0.23
वाहन	0.27	-	-	0.27	(0.03)	0.04	-	0.01	0.26	0.30
कार्यालय उपकरण	1.34	1.03	0.04	2.32	0.61	0.42	0.04	0.98	1.34	0.73
इलेक्ट्रिकल स्थापना एवं उपकरण	11.39	0.10	0.01	11.48	10.66	0.32	-	10.98	0.50	0.73
पट्टाधीन परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	239.10	-	-	239.10	46.42	5.47	-	51.89	187.21	192.68
जोड़	680.67	1.21	0.05	681.82	62.43	17.18	0.04	79.57	602.27	618.24

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	सकल ब्लॉक				मूल्यदास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2022 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	97.15	-	11.34	85.81	-	-	-	-	85.81	97.15
भवन	315.71	19.26	6.31	328.67	(13.77)	15.25	5.03	(3.55)	332.22	329.48
पट्टा भूमि सुधार	0.04	-	-	0.04	0.04	-	-	0.04	-	-
संयंत्र एवं मशीनरी	8.18	-	-	8.18	2.03	0.59	-	2.62	5.55	6.15
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	5.89	0.00	0.00	5.88	5.49	0.17	0.00	5.66	0.23	0.39
वाहन	0.36	-	0.09	0.27	0.01	0.04	0.08	(0.03)	0.30	0.35
कार्यालय उपकरण	2.57	0.27	1.50	1.34	1.82	0.28	1.49	0.61	0.73	0.75
इलैक्ट्रिकल स्थापना एवं उपकरण	11.35	0.04	0.00	11.39	10.29	0.37	-	10.66	0.73	1.06
पट्टाधीन परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	240.11	-	1.01	239.10	40.95	5.47	-	46.42	192.68	199.16
जोड़	681.35	19.57	20.25	680.67	46.86	22.17	6.61	62.43	618.24	634.49

	सकल ब्लॉक				मूल्यदास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2021 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	1 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	1 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)	1 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2021 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	99.13	-	1.98	97.15	-	-	-	-	97.15	99.13
भवन	444.96	-	129.25	315.71	38.95	14.11	66.83	(13.77)	329.48	406.01
पट्टा भूमि सुधार	0.04	-	-	0.04	0.04	-	-	0.04	-	-
संयंत्र एवं मशीनरी	7.39	0.79	-	8.18	1.43	0.60	-	2.03	6.15	5.96
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	5.88	0.01	0.01	5.89	5.18	0.32	0.00	5.49	0.39	0.70
वाहन	0.33	0.20	0.17	0.36	0.14	0.03	0.16	0.01	0.35	0.19
कार्यालय उपकरण	2.71	0.21	0.35	2.57	1.72	0.44	0.34	1.82	0.75	0.99
इलैक्ट्रिकल स्थापना एवं उपकरण	11.34	0.01	-	11.35	9.84	0.46	0.00	10.29	1.06	1.51
पट्टाधीन परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	264.34	-	24.23	240.11	37.10	3.85	-	40.95	199.16	227.24
जोड़	836.13	1.21	155.98	681.35	94.39	19.80	67.34	46.86	634.49	741.73

15 अमूर्त परिसम्पत्तियां

	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2023 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3.05	0.03	-	3.08	2.79	0.10	-	2.89	0.19	0.26
जोड़	3.05	0.03	-	3.08	2.79	0.10	-	2.89	0.19	0.26

	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2022 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3.05	0.00	-	3.05	2.62	0.17	-	2.79	0.26	0.43
जोड़	3.05	0.00	-	3.05	2.62	0.17	-	2.79	0.26	0.43

	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2021 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	1 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	1 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)	1 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2021 को (पुनःस्थापित)
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3.02	0.03	-	3.05	2.11	0.51	-	2.62	0.43	0.91
जोड़	3.02	0.03	-	3.05	2.11	0.51	-	2.62	0.43	0.91

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

16 अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
पूँजी अग्रिम	0.82	0.82	0.82
पूर्व प्रदत्त व्यय	1.40	1.62	0.22
अन्य परिसम्पत्तियां	83.28	89.67	92.21
जोड़	85.50	92.11	93.25

17 बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
विकास वित्तपोषण के तहत सहायता (एयूएफ)- सहयोगी कम्पनियां	49.41	0.04	0.04
जोड़	49.41	0.04	0.04

18 ट्रेड देयताएं

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय कुल बकाया	-	-	-
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को छोड़कर लेनदारों को देय कुल बकाया	53.49	62.26	52.85
जोड़	53.49	62.26	52.85

ट्रेड देयताओं की अवधि बढ़ाना

31 मार्च, 2024 को	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	35.13	4.45	2.48	11.43	53.49
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
जोड़					53.49

31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	37.47	4.14	1.48	19.17	62.26
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
जोड़					62.26

1 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	29.72	2.47	2.07	18.59	52.85
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
जोड़					52.85

इसमें कोई सूक्ष्म एवं लघु उद्यम नहीं है, जिसको कम्पनी की देयताएं बाकी हों, जो सभी सूचना तारीखों को 45 दिन से अधिक अवधि से बकाया हो। इस सूचना को, जैसा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट किया जाना अपेक्षित है, काफी हद तक परिभाषित किया गया है जो कम्पनी में उपलब्ध सूचना के आधार पर अभिज्ञात ऐसे पक्षकारों की स्थिति के अनुसार है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

19 ऋण प्रतिभूतियां

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
(क) परिशोधित लागत पर			
(i) बाण्ड			
- निजी रूप से धारित बाण्ड	2,745.37	2,745.37	3,238.65
- निजी रूप से रखे गए जीरो कूपन बाण्ड	359.60	327.55	298.43
- अवसंरचना बाण्ड	177.61	346.70	321.05
- सहायक कम्पनियों को जारी निजी रूप से धारित बाण्ड	75.00	75.00	75.00
- घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	(104.19)	(187.66)	(162.01)
(ii) कर मुक्त बाण्ड (आईएफसीआई लि. के प्राप्यों पर घट-बढ़ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)			
- सहायक एवं सहयोगी कम्पनियों द्वारा धारित	45.00	45.00	45.00
- अन्यो द्वारा धारित	100.00	265.00	265.00
(iii) असंपरिवर्तनीय डिबेंचरो का सार्वजनिक निर्गम प्रतिभूत विमोच्य गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र (आईएफसीआई लि. के प्राप्यों पर घटबढ़ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)			
- सहायक एवं सहयोगी कम्पनियों द्वारा धारित	10.00	10.00	10.00
- अन्यो द्वारा धारित	1,051.12	1,037.58	1,025.28
- घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	(87.77)	(74.23)	(61.93)
- अन्य (बाण्ड/डिबेंचर आदि)	-	-	-
जोड़ (क)	4,371.74	4,590.31	5,054.47
(ख) भारत में/भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां			
(i) भारत में ऋण प्रतिभूतियां	4,371.74	4,590.31	5,054.47
(ii) भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-
जोड़ (ख)	4,371.74	4,590.31	5,054.47

अन्य बाण्डों की पुनःअदायगी की शर्तें

शृंखला	ब्याज दर	परिपक्वता की तारीख	राशि
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7-जुलाई-40	22.83
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7-जुलाई-39	25.05
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7-जुलाई-38	27.50
अन्य बाण्ड	9.90%	5-नवम्बर-37	106.88
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7-जुलाई-37	30.18
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7-जुलाई-36	33.13
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7-जुलाई-35	36.37
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7-जुलाई-34	39.90
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7-जुलाई-33	43.79
अन्य बाण्ड	9.90%	5-नवम्बर-32	106.88
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7-जुलाई-32	48.07
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7-जुलाई-31	52.77
अन्य बाण्ड	9.98%	29-अक्टूबर-30	250.00
अन्य बाण्ड	9.75%	16-जुलाई-30	500.00
अन्य बाण्ड	9.75%	13-जुलाई-30	250.00
अन्य बाण्ड	9.70%	18-मई-30	250.00
अन्य बाण्ड	9.70%	4-मई-30	250.00
अन्य बाण्ड	9.75%	26-अप्रैल-28	350.00
अन्य बाण्ड	9.90%	5-नवम्बर-27	106.88
अन्य बाण्ड	10.12%	8-अक्टूबर-27	19.59
अन्य बाण्ड	10.10%	8-अक्टूबर-27	5.15
इफ्रा बाण्ड	8.72%	31-मार्च-27	23.11
इफ्रा बाण्ड	9.16%	15-फरवरी-27	40.02
इफ्रा बाण्ड	8.75%	12-दिसम्बर-26	10.30
अन्य बाण्ड	9.55%	13-अप्रैल-25	225.00
अन्य बाण्ड	9.55%	5-मार्च-25	200.00
अन्य बाण्ड	9.75%	25-जनवरी-25	200.00
जोड़			3,253.39

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

प्रतिभूत बॉण्ड्स की पुनःअदायगी की शर्तें

बाण्ड	ब्याज दर (% प्रतिवर्ष)	परिपक्वता की तारीख	राशि
कर मुक्त बॉण्ड	8.76%	31-मार्च-29	145.00
सार्वजनिक निर्गम के बॉण्ड*	9.40%	13-फरवरी-25	325.37
सार्वजनिक निर्गम के बॉण्ड*	9.90%	1-दिसम्बर-24	647.99
जोड़			1,118.36

* व्यक्तिगत निवेशक को 0.10% प्रतिवर्ष का अतिरिक्त ब्याज देय है।

20 उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)

(क) परिशोधित लागत पर

(i) मियादी ऋण

- बैंक एवं अन्य पक्षकारों से	-	75.00	610.02
- अन्य पक्षकारों से	-	-	-
- वित्तीय संस्थानों से	-	-	-
- केएफडब्ल्यू ऋण श्रृंखला से	334.25	364.25	372.75

(ii) वित्त पट्टा दायित्व

- - -

(iii) मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण

- बैंकों से	-	-	-
- अन्य पक्षकारों से	-	3.84	-

जोड़ (क)

334.25 443.09 982.77

(ख) भारत में/भारत से बाहर उधार (ऋण प्रतिभूतियों को छोड़कर)

(i) भारत में उधार	-	78.84	610.02
(ii) भारत से बाहर उधार	334.25	364.25	372.75

जोड़ (ख)

334.25 443.09 982.77

केएफडब्ल्यू ऋण श्रृंखला की पुनःअदायगी की शर्तें

ऋणदाता का नाम	ब्याज दर (% प्रतिवर्ष)	राशि (यूरो)	राशि	परिपक्वता की तारीख	पुनः अदायगी	अगली किस्त की तारीख
केएफडब्ल्यू, फ्रैंकफर्ट	0.75%	5,76,737.37	5.18	31-दिसम्बर-26	छमाही	
केएफडब्ल्यू, फ्रैंकफर्ट	1.25%	11,41,203.40	10.26	31-दिसम्बर-29	छमाही	
केएफडब्ल्यू, फ्रैंकफर्ट	0.75%	8,24,202.62	7.41	30-जून-30	छमाही	
केएफडब्ल्यू, फ्रैंकफर्ट	0.75%	8,87,602.81	7.98	31-दिसम्बर-30	छमाही	
केएफडब्ल्यू, फ्रैंकफर्ट	0.75%	14,26,504.26	12.82	30-जून-31	छमाही	बकाया
केएफडब्ल्यू, फ्रैंकफर्ट	0.75%	16,34,088.97	14.69	30-जून-32	छमाही	केएफडब्ल्यू ऋण
केएफडब्ल्यू, फ्रैंकफर्ट	0.75%	18,99,449.25	17.07	31-दिसम्बर-33	छमाही	का भुगतान 18
केएफडब्ल्यू, फ्रैंकफर्ट	0.75%	26,84,282.39	24.12	30-जून-34	छमाही	अप्रैल, 2024 को
केएफडब्ल्यू, फ्रैंकफर्ट	0.75%	35,20,755.79	31.64	31-दिसम्बर-34	छमाही	कर दिया गया
केएफडब्ल्यू, फ्रैंकफर्ट	0.75%	41,07,719.00	36.92	31-दिसम्बर-36	छमाही	
केएफडब्ल्यू, फ्रैंकफर्ट	0.75%	1,46,49,534.88	131.67	30-जून-38	छमाही	
केएफडब्ल्यू, फ्रैंकफर्ट	0.75%	38,37,757.01	34.49	31-दिसम्बर-32	छमाही	
जोड़		3,71,89,837.75	334.25			

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

21 अधीनस्थ देयताएं

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
(क) परिशोधित लागत पर			
(i) अधीनस्थ - टियर-II बाण्ड	916.75	923.72	1,102.94
- घटाएं: प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	(172.08)	(149.05)	(128.28)
जोड़ (क)	744.67	774.67	974.66
(ख) भारत में तथा भारत से बाहर अधीनस्थ देयताएं			
(i) भारत में अधीनस्थ देयताएं	744.67	774.67	974.66
(ii) भारत से बाहर अधीनस्थ देयताएं	-	-	-
जोड़ (ख)	744.67	774.67	974.66

अन्य बॉण्डों की पुनः अदायगी की शर्तें

शृंखला	ब्याज दर	परिपक्वता की तारीख	राशि
टियर II बॉण्ड	9.98%	18-सितम्बर-37	50.00
टियर II बॉण्ड	10.75%	31-अक्टूबर-26	102.49
टियर II बॉण्ड	10.75%	1-अगस्त-26	468.55
टियर II बॉण्ड	10.70%	28-फरवरी-27	123.63
जोड़			744.67

22 अन्य वित्तीय देयताएं

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
उद्भूत परन्तु बॉण्डों एवं उधारों पर देय नहीं ब्याज	662.75	696.62	674.14
प्रतिभूति जमा	14.84	11.84	8.61
अदावाकृत लाभांश	-	2.26	5.92
अप्रदत्त परिपक्व डिबेंचर एवं ब्याज	0.57	0.25	0.46
निगम के पास रखा धन			
(क) अनुसूचित जाति क्रेडिट गारण्टी वृद्धि योजना (भारत सरकार द्वारा निवेश)	347.47	323.21	306.54
(ख) पीएलआई योजना	1,447.91	843.74	50.00
(ग) कर्मचारी भविष्य निधि	82.68	76.74	80.14
अन्य देयताएं	632.70	395.33	354.88
	3,188.92	2,349.99	1,480.69

23 प्रावधान

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
तुलन पत्र प्रकटन से परे क्षति प्रावधान	32.96	33.49	32.17
कर्मचारी लाभ	53.52	50.19	47.14
जोड़	86.48	83.68	79.31

* वित्तीय वर्ष 2024 में होल्टिंग कम्पनी कर्मचारियों की उपदान का 0.34 करोड़ रु. के प्रावधान को रिवर्स करना शामिल है।
कर्मचारी हित पर विस्तृत प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या 45 को देखें।

24 अन्य गैर वित्तीय देयताएं

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
आस्थागत राजस्व	-	-	-
	-	-	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

25 इक्विटी

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
अधिकृत			
प्रत्येक 10/- रुपए के 4,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	4,000.00	4,000.00	4,000.00
निर्गमित			
प्रत्येक 10/- रुपए के 2,55,68,61,317 इक्विटी शेयर	2,556.86	2,263.18	2,170.24
	2,556.86	2,263.18	2,170.24
अभिदान			
प्रत्येक 10/- रुपए के 2,49,09,30,563 इक्विटी शेयर	2,490.93	2,197.24	2,104.31
	2,490.93	2,197.24	2,104.31
प्रदत्त			
प्रत्येक 10/- रुपए के 2,48,96,13,863 इक्विटी शेयर	2,489.61	2,195.93	2,102.99
	2,489.61	2,195.93	2,102.99

इक्विटी शेयरों की संख्या एवं शेयर पूंजी का लेखा मिलान:

कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शेयर आवेदन राशि के रूप में कम्पनी की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए भारत सरकार से 07 मार्च, 2023 को 400 करोड़ रु. प्राप्त हुए थे। इस संबंध में, निदेशकों की समितियों ने 27 अप्रैल, 2023 को 13.62 रु. प्रति इक्विटी शेयर (3.62 रु. प्रति शेयर के सिन्क्रो रिटी प्रीमियम सहित) की दर से भारत सरकार को 10/- रु. प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले 29,36,85,756 इक्विटी शेयर आवंटित किए थे।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शेयर आवेदन राशि के रूप में कम्पनी की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए 08 मार्च, 2024 को भारत सरकार से 500 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई थी। इस संबंध में, निदेशकों की समिति ने 18 अप्रैल, 2024 को 40.33/- रु. प्रति इक्विटी शेयर की दर से 10/- रु. के अंकित मूल्य वाले 12,39,77,188 इक्विटी शेयर (30.33/- रु. प्रति इक्विटी शेयर के सिन्क्रो रिटी प्रीमियम सहित) भारत सरकार को आवंटित किये थे।

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)		01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
इक्विटी शेयर						
अवधि के शुरू में बकाया	2,195,928,107	2,195.93	2,102,991,305	2,102.99	1,895,993,092	1,895.99
जोड़े: जारी किए गए शेयर	293,685,756	293.69	92,936,802	92.94	206,998,213	207.00
अवधि के अंत में बकाया	2,489,613,863	2,489.61	2,195,928,107	2,195.93	2,102,991,305	2,102.99
प्रदत्त शेयर पूंजी	2,489,613,863	2,489.61	2,195,928,107	2,195.93	2,102,991,305	2,102.99

इक्विटी शेयरों की शर्तें/संबद्ध अधिकार:

कम्पनी के पास केवल एक श्रेणी का इक्विटी शेयर है, अर्थात् 10/- रुपए प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाला इक्विटी शेयर, जिसके लिए प्रति शेयर एक वोट डालने की पात्रता है।

प्रवर्तकों की हिस्सेदारी

प्रवर्तक का नाम	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)		01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)	
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
भारत के राष्ट्रपति	1,750,576,628	70.32%	1,456,890,872	66.35%	1,363,954,070	64.86%
अवधि के दौरान % परिवर्तन	3.97%		1.49%		3.84%	

26 अन्य इक्विटी

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
i आर्बटन होने तक शेयर आवेदन राशि			
आरम्भ शेष	400.00	-	200.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान अंतरण	(400.00)	400.00	(200.00)
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	500.00	-	-
अंत शेष	500.00	400.00	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

26 अन्य इक्विटी (जारी...)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
ii आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व			
आरम्भ शेष	875.04	875.04	875.04
अन्त शेष	875.04	875.04	875.04
iii क्षति रिजर्व			
आरम्भ शेष	34.54	34.54	34.54
चोड़ें: प्रतिधारित अर्जन से अंतरण	70.13	-	-
अन्त शेष	104.67	34.54	34.54
iii आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष रिजर्व			
आरम्भ शेष	136.69	136.69	136.69
अन्त शेष	136.69	136.69	136.69
iv पूंजी रिजर्व निधि			
आरम्भ शेष	0.85	0.85	0.85
अन्त शेष	0.85	0.85	0.85
v प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व			
आरम्भ शेष	1,067.75	1,060.69	967.69
चोड़ें: इक्विटी शेयरों का निर्गम	106.31	7.06	93.00
अन्त शेष	1,174.06	1,067.75	1,060.69
vi पूंजी मोचन रिजर्व			
आरम्भ शेष	231.92	231.92	231.92
चोड़ें: प्रतिधारित आय से अन्तरण	-	-	-
अन्त शेष	231.92	231.92	231.92
vii डिबेंचर मोचन रिजर्व			
आरम्भ शेष	87.58	87.58	247.08
चोड़ें: प्रतिधारित अर्जन से अन्तरण	-	-	-
चोड़ें: सामान्य रिजर्व में अन्तरण	-	-	(159.50)
अन्त शेष	87.58	87.58	87.58
viii सामान्य रिजर्व			
आरम्भ शेष	513.08	513.08	353.58
चोड़ें: ऋणपत्र मोचन संरक्षित से अन्तरण	-	-	159.50
अन्त शेष	513.08	513.08	513.08
ix मानित इक्विटी अंशदान			
आरम्भ शेष	335.82	335.82	335.82
अन्त शेष	335.82	335.82	335.82
x प्रतिधारित अर्जन			
आरम्भ शेष	(4,808.06)	(4,520.47)	(2,529.14)
चोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	128.25	(287.58)	(1,991.33)
घटाएँ : हानि रिजर्व में अंतरण	(70.13)	-	-
अन्त शेष	(4,749.94)	(4,808.06)	(4,520.47)
xi अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख			
आरम्भ शेष	(3.26)	(2.76)	21.57
चोड़ें : वर्ष के दौरान उचित मूल्य परिवर्तन	8.79	(0.50)	(24.34)
अन्त शेष	5.53	(3.26)	(2.76)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

26 अन्य इक्विटी (जारी...)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
xii अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख			
आरम्भ शेष	(495.14)	(463.88)	(452.89)
जोड़े : वर्ष के दौरान उचित मूल्य परिवर्तन	(48.93)	(31.26)	(10.99)
अन्त शेष	<u>(544.07)</u>	<u>(495.14)</u>	<u>(463.88)</u>
xiii पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन			
आरम्भ शेष	53.36	53.36	53.36
जोड़े : वर्ष के दौरान बीमांकन लाभ/हानि	-	-	-
अन्त शेष	<u>53.36</u>	<u>53.36</u>	<u>53.36</u>
जोड़	<u>(1,275.41)</u>	<u>(1,569.83)</u>	<u>(1,657.52)</u>

आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व

भारत सरकार के शेयरधरिता में 50% से अधिक प्रदत्त शेयर पूंजी की वृद्धि को देखते हुए, कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के तहत सरकारी कम्पनी बन गई है और इसलिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अधीन एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी को 31.03.2019 तक आरबीआई अधिनियम के ऐसे उपबंधों से छूट दी गई है। चूंकि चालू वर्ष में निवल हानि हुई है अतः भारतीय रिजर्व बैंक में कोई अन्तरण नहीं किया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) द्वारा वित्तीय संस्थानों को उपयुक्त कारोबार, अर्थात् दीर्घ अवधि औद्योगिक वित्तपोषण से निवल आय का 20% लाभ इस रिजर्व निधि में अन्तरण करने की अनुमति देती है और इस पर कर योग्य आय का परिगणन करते समय कटौती करने की अनुमति है। आयकर अधिनियम में, वित्त अधिनियम, 1998 में संशोधन करने से, वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित रिजर्व निधि के रखरखाव पर एक शर्त रखी है। किसी भी निकासी पर कर लगाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 1996-97 तक पूर्ववर्ती वर्ष में सृजित उक्त रिजर्व निधि के उपयोग पर कर देयता नहीं थी और तदनुसार, वित्तीय वर्ष 1997-98 के बाद अन्तरित निधि में आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का सृजन किया गया है।

पूंजी रिजर्व

पूंजी रिजर्व जब्त शेयरों की आय को दर्शाती है।

प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व

प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग शेयरों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसे कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार उपयोग में लाया जाता है।

पूंजी मोचन रिजर्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 55 की अपेक्षा के अनुसार पूंजी मोचन रिजर्व निधि, पूंजी के नये निर्गम के बिना अधिमान शेयरों के मोचन के संबंध में लाभ एवं हानि के विवरण में अधिशेष राशि से अन्तरित राशि को दर्शाती है।

डिबेंचर मोचन रिजर्व

डिबेंचर मोचन रिजर्व निधि का सृजन सार्वजनिक निर्गम की मार्फत आईएफसीआई लि. द्वारा जारी किए गए गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए कम्पनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18(7) के अनुसार किया गया है। बाद में निर्गमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) की दिनांक 16.08.2019 की अधिसूचना संख्या जीएसआर-57(ई) के द्वारा शेयर पूंजी और डिबेंचर नियमावली (नियम 2014) को संशोधित कर अधिसूचित दिया गया इसलिए मौजूदा बॉण्डों और डिबेंचरों के मामले में न तो बॉण्डों के सार्वजनिक निर्गम हेतु और न ही निजी धारण हेतु किसी अतिरिक्त डिबेंचर मोचन रिजर्व का सृजन किया गया है।

सामान्य रिजर्व

सामान्य रिजर्व निधि का सृजन प्रयोज्य विनियमों के अनुसार एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर निवल आय के वार्षिक अन्तरण के जरिए किया गया था।

मानित इक्विटी अंशदान

शेयरधारकों से अधिमान दर उधारों के संबंध में मानित इक्विटी अंशदान।

प्रतिधारित आय

यह कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ के संचित अधिशेष/(घाटे) की तारीख को दर्शाती है।

अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख

इसमें अन्य समग्र आय में मान्य ऋण प्रलेखों के उचित मूल्य में परिवर्तन तथा इक्विटी में संचित राशि शामिल है। कम्पनी इक्विटी के ऐसे संघटक से राशि को प्रतिधारित आय में अन्तरित करती है जब संगत ऋण प्रलेखों को अमान्य किया जाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख

इसमें अन्य समग्र आय से मान्य कुछेक अभिज्ञात इक्विटी प्रलेखों के उचित मूल्य में परिवर्तन तथा इक्विटी में संचित राशि शामिल है।

पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन

पारिभाषित लाभ देयता (परिसम्पत्ति) के पुनर्मूल्यांकन में बीमांकन लाभ एवं हानियां तथा योजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज आय को छोड़कर) शामिल है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

27 ब्याज आय

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःस्थापित)		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःस्थापित)	
	अन्य समग्र आय की माफत उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	अन्य समग्र आय की माफत उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	अन्य समग्र आय की माफत उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर
ऋणों पर ब्याज	-	383.89	-	478.64	-	765.23
निवेशों से ब्याज आय	45.44	-	26.51	-	75.68	-
डिबेंचर पर ब्याज	-	0.01	-	0.01	-	-
जोड़	45.44	383.90	26.51	478.65	75.68	765.23

कंपनी ने अपनी लेखा नीति में परिवर्तन किया है, जिसके तहत चरण-3 परिसंपत्तियों (आई.आर.ए.सी. मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) पर ब्याज आय 1 अप्रैल, 2021 से खाते-बहियों में दर्ज की जाएगी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 की ब्याज आय को अंकित किया जाएगा और उसमें क्रमशः 209.50 करोड़ रुपये और 248.03 करोड़ रुपये की वृद्धि की जाएगी।

28 उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
(क) लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों पर निवल लाभ/(हानि)	-	-	-
- इक्विटी प्रतिभूति	122.12	58.23	65.02
- डेरिवेटिव्स	-	(0.69)	(0.73)
- प्रतिभूति प्राप्तियां	(40.59)	(2.44)	7.53
- अधिमान शेयर	53.20	41.80	-
- उद्यम पूंजी निधियों की यूनिटें	18.49	21.94	13.93
- म्यूचुअल फंड की यूनिटें	32.85	10.28	26.08
(ख) अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों के अस्वीकरण पर निवल लाभ	0.47	(39.36)	(70.85)
(ग) उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	186.54	89.76	40.98
उचित मूल्य परिवर्तन:			
- वसूल किए गए	(109.42)	(5.68)	(55.31)
- वसूल न किए गए	295.96	95.44	96.29
(घ) उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	186.54	89.76	40.98

29 अन्य आय

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अमान्य होने पर निवल लाभ/(हानि)	-	-	0.02
विक्री के लिए रखी गई गैर-वित्तीय संपत्तियों/परिसंपत्तियों पर क्षति हानि का प्रत्यावर्तन	49.37	-	-
सहायक कंपनी द्वारा शेयरों की वापस खरीद पर लाभ	-	-	-
आयकर वापसी पर ब्याज	0.74	3.77	2.72
अन्य	5.72	7.38	3.93
जोड़	55.83	11.15	6.67

30 वित्त लागत

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय देयताओं पर			
उधारों पर ब्याज	572.74	631.30	908.39
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	-	-	14.49
जोड़	572.74	631.30	922.88

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

31 वित्तीय प्रलेखों पर क्षति

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःस्थापित)		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःस्थापित)	
	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	अन्य समग्र आय की माफत उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	अन्य समग्र आय की माफत उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	अन्य समग्र आय की माफत उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर
ऋण*	-	(340.85)	-	129.75	-	1,671.45
निवेश	(0.02)	-	(0.08)	-	(50.03)	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	5.70	-	0.54	-	(0.07)
जोड़	(0.02)	(335.15)	(0.08)	130.29	(50.03)	1,671.38
* वर्ष के दौरान बट्टे खाते (निवल) सहित		417.42		233.84		1388.67

कंपनी ने अपनी लेखा नीति में परिवर्तन किया है, जिसके तहत चरण-3 परिसंपत्तियों (आई.आर.ए.सी. मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) पर ब्याज आय 1 अप्रैल, 2021 से खाते-बहियों में दर्ज की जाएगी। तदनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 और 2021-22 की ब्याज आय को अंकित किया जाएगा और उसमें क्रमशः 209.50 करोड़ रु. और 248.03 करोड़ रु. की वृद्धि हो जाएगी। चूंकि इनकी वसूली की कोई संभावना नहीं है, इसलिए कंपनी ने संबंधित वर्षों में इस राशि को बट्टे खाते डालने का निर्णय लिया है। तदनुसार, इन वर्षों के वित्तीय प्रलेखों की हानि में संबंधित राशियों की वृद्धि हो जायेगी।

32 कर्मचारी हित व्यय

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
वेतन एवं मजदूरी	52.02	56.12	59.26
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	18.77	17.00	12.60
नियोजन के पश्चात् लाभ पर व्यय	16.79	18.25	16.05
स्टाफ कल्याण व्यय	4.03	7.90	4.52
जोड़	91.61	99.27	92.43

33 मूल्यहास एवं परिशोधन

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यहास	17.18	22.17	19.79
निवेश सम्पत्ति का मूल्यहास	6.88	1.72	2.73
अमूर्त परिसम्पत्ति का परिशोधन	0.10	0.17	0.51
जोड़	24.16	24.07	23.03

34 अन्य व्यय

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
किराया	0.40	0.51	0.66
दरे एवं कर	4.80	5.03	4.63
बीमा	0.32	0.17	0.34
मरम्मत कार्य एवं रखरखाव कार्य			
- भवन	10.21	10.29	7.90
- आईटी	2.38	1.99	3.25
- अन्य	0.11	0.17	0.18
बिजली एवं जल प्रभार	4.71	4.44	4.12
सुरक्षा व्यय	3.11	3.00	2.91
लेखापरीक्षकों को भुगतान #	0.37	0.32	0.39
निदेशक शुल्क एवं व्यय	0.36	0.17	0.24
प्रकाशन एवं विज्ञापन	0.82	0.56	0.57
परामर्श एवं कानूनी खर्च	7.78	4.28	6.07

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

34 अन्य व्यय (जारी...)

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
यात्रा एवं वाहन	0.84	0.64	0.47
प्रशिक्षण एवं विकास	0.17	0.18	0.09
डाक एवं टेलिफोन	0.43	0.46	0.32
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.26	0.19	0.27
लिस्टिंग/फाइलिंग/अभिरक्षा शुल्क	1.69	1.48	2.06
पुस्तकालय एवं सदस्यता अंशदान	0.16	0.22	0.43
सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय	-	-	-
गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों/विक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियों पर क्षति हानि	7.16	2.39	83.61
अन्य विविध व्यय	(0.16)	(0.08)	0.02
जोड़	45.91	36.41	118.53

लेखापरीक्षकों को भुगतान के लिए टिप्पणी संख्या 35 को देखें।

35 लेखा-परीक्षकों को भुगतान

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
लेखा-परीक्षा शुल्क	0.29	0.23
प्रमाणन एवं अन्य सेवाएं	0.06	0.06
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.02	0.03
जोड़	0.37	0.32

35.1 निगमित सामाजिक दायित्व व्यय के विवरण

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
(क) संबंधित वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि	0.00	0.00
(ख) किसी परिसम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
(ग) नकदी में अदा किया जाने वाला खर्च	-	-
(घ) अवधि के दौरान खर्च की गई राशि -		
- मानव पूंजी का विकास	-	0.54
- ग्रामीण क्षेत्रों एवं अनवरत विकास क्रियाकलापों का विकास		
- खेल-कूद को बढ़ावा देना		
- अन्य कल्याण क्रियाकलाप	-	0.11
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	-	-
- प्रशासन एवं अन्य व्यय	-	-
- जल संरक्षण और स्वच्छता	-	0.06
जोड़ (घ)	-	0.71

* नोट: (आईएसएफ द्वारा आईएफसीआई सीएसआर फंड के लिए कोई संवितरण नहीं)।

- वर्तमान वर्ष के लिए कमी शून्य है
- पिछले वर्षों के लिए कमी शून्य है
- कमी का कारण - लागू नहीं
- जहाँ एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया गया है। - शून्य

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

35.2 आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
क. आकस्मिक देयताएं#		
(i) ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे	109.96	110.39
(ii) वित्तीय गारन्टियों को छोड़कर गारन्टियां	3.43	3.22
(iii) कर मामले:		
आय कर*	60.03	-
सेवा कर/जीएसटी	2.51	-
जोड़	175.93	113.61
ख. प्रतिबद्धताएं		
(i) संविदा की अनुमानित राशि (पट्टा संविदा सहित), जिन्हें पूंजीगत खाते पर निष्पादित किया जाना है (अग्रिमों को घटा कर)	-	-
(ii) अनाहरित प्रतिबद्धताएं	-	15.14
जोड़	-	15.14
ग. आकस्मिक परिसम्पत्तियां	शून्य	शून्य

35.3 कर व्यय

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
क. लाभ या हानि में मान्य राशियां		
कर व्यय (क)		
चालू कर व्यय	-	-
पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित चालू कर व्यय/ (लाभ)	-	-
उप-जोड़ (क)	-	-
आस्थगित कर (ख)		
आस्थगित कर व्यय/(क्रेडिट)	355.55	102.01
उप-जोड़ (ग)	355.55	102.01
कर व्यय (क)+(ख)	355.55	102.01

ख. प्रभावी ब्याज दर का मिलान

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि
कर-पूर्व लाभ/(हानि)	-	483.80	-	(185.57)
कम्पनी की 34.944% की घरेलू कर दर का उपयोग करते हुए कर निम्नलिखित का प्रभाव:				
कर से छूट आय	0.00%	-	0.00%	-
कटौती न किए गए व्यय	0.44%	2.14	-1.90%	3.53
चालू कर के लिए पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित अनुमानों में परिवर्तन	0.00%	-	0.00%	-
चालू वर्ष का मूल्यहास, जिसके लिए किसी आस्थगित कर परिसम्पत्ति का मान्यता नहीं दी गई	-1.41%	(6.82)	3.69%	(6.84)
अन्य	39.51%	191.17	-91.70%	170.17
प्रभावी कर दर/ कर व्यय	73.49%	355.55	-54.97%	102.01

36 ट्रेड से प्राप्य और देय राशियों के अधीन दर्शाई गई कुछ शेष राशियां पुष्टीकरण के अधीन हैं।

37 कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, 07 मार्च, 2023 को भारत सरकार से शेयर आवेदन राशि के रूप में कंपनी की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए 400 करोड़ रु. प्राप्त हुए। इस संबंध में, निदेशक-समिति ने 27 अप्रैल, 2023 को भारत सरकार को 10 रु. अंकित मूल्य वाले 29,36,85,756 इक्विटी शेयर 13.62 रु. प्रति इक्विटी शेयर (3.62 रु. प्रति इक्विटी शेयर के सिक्योरिटी प्रीमियम सहित) की दर से आवंटित किए।

इसके अलावा, शेयर आवेदन राशि के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की शेयर पूंजी की मे अभिदान लिए 08 मार्च, 2024 को भारत सरकार से 500 करोड़ रु. की धनराशि प्राप्त हुई। इस संबंध में, निदेशक-समिति ने 18 अप्रैल, 2024 को भारत सरकार को 10 रु. के अंकित मूल्य वाले 12,39,77,188 इक्विटी शेयर 40.33 रु. प्रति इक्विटी शेयर (30.33 रु. के प्रति इक्विटी शेयर के सिक्योरिटी प्रीमियम सहित) की दर से आवंटित किए।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

- 38** मार्च 2024 को, आर.बी.आई. विवेकसम्मत (आई.आर.ए.सी.पी.) मानदंडों (मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान, भारतीय लेखांकन मानक 109 के तहत हानि भत्ते से 104.67 करोड़ रु. अधिक है। इसलिए, आर.बी.आई. अधिसूचना संख्या “डीओआर(एनबीएफसी) सीसी. पीडी. न.109/22.10.106/2019-20 दिनांक 13 मार्च 2020 के अनुसार, 70.13 करोड़ रु. की क्षति आरक्षित निधि बनाई गई है। इसके अलावा, 30 जून 2020 तक बनायी गई 34.54 करोड़ रु. की मौजूदा क्षति आरक्षित निधि को रिवर्स नहीं किया गया है। ऋण परिसंपत्तियों पर ई.सी.एल. की गणना पोर्टफोलियो के आधार पर की जाती है। 31 मार्च 2024 तक एल.जी.डी. का प्रतिशत 71.60 है।
- 39** 31 मार्च 2024 को, कंपनी ने अपनी लेखा नीति में बदलाव किया है, जिसके तहत चरण-3 परिसंपत्तियों (आईआरएसी मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) पर ब्याज आय को 01 अप्रैल 2021 से खाता-बहियों में मान्यता दी जाएगी। तदनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 की ब्याज आय में क्रमशः 248.03 रु. और 209.50 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है। चूंकि, इनकी वसूली की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए दोनों वर्षों में इसे अशोध्य ऋण माना गया है। इसलिए, इन दोनों वर्षों के शुद्ध लाभ/शुद्ध हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- वित्त वर्ष 23-24 के दौरान, कंपनी ने 160 करोड़ रु. की ब्याज आय को मान्यता दी है और 145 करोड़ रु. की राशि को अशोध्य ऋण खाते में डाला है, क्योंकि इन राशियों की वसूली की कोई उम्मीद नहीं है। तदनुसार, पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को पुनः स्थापित कर दिया गया है और चरण-3 परिसंपत्तियों पर ब्याज आय के संबंध में परिवर्तनों को दिखाने के लिए प्रारंभिक बैलेंस शीट भी तैयार की गई है।
- 40** सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन 31 मार्च 2024 के बजाय 31 दिसंबर 2023 को समाप्त अवधि के लिए सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।
- 41** भारतीय लेखांकन मानक 108 - “परिचालन खंड” द्वारा अपेक्षित कारोबार/भौगोलिक खंड की रिपोर्टिंग के संदर्भ में, कम्पनी के संचालन में वित्तपोषण का केवल एक कारोबार खंड शामिल है। इसलिए, लेखांकन मानक 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नहीं है।
- 42** 31 मार्च 2024 तक कम्पनी द्वारा इश्यू किए गए सभी सुरक्षित बॉण्डों और डिबेंचरों तथा बकाया राशियों पर, कम्पनी के बही ऋणों/प्राप्य राशियों पर फ्लोटिंग प्रभार से मूलधन और ब्याज के प्रति 100 प्रतिशत सिक्योरिटी कवर बनाए रखा गया है।
- 43** ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III खण्ड III के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसे कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है और 11 अक्टूबर 2018 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। आरबीआई या अन्य नियामकों द्वारा जारी किए गए सभी लागू मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण/निर्देशों को जारी/लागू होने पर कंपनी पर लागू किया जाएगा।
- 43.1** आईएफसीआई सहायक कम्पनियों में गड़बड़ी से होने वाली हानि (यदि कोई हो) की शुद्ध लागत पर निवेश कर रहा है और इसने प्रभावी तिथि यानि 1 अप्रैल, 2017 को निवेश के अग्रणी मूल्य के रूप में मानी जाने वाली लागत के लिए भारतीय लेखा मानक 101 के तहत एकमुश्त छूट का विकल्प चुना है। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी आईएफसीआई फैंकर्ट्स लिमिटेड (आईएफएल) में 27,91,54,700 इक्विटी शेयरों और दूसरी सहायक कंपनी, आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईफिन) में 3,93,63,809 इक्विटी शेयरों का निवेश किया है। कंपनी ने आईएफएल और आईफिन के शेयरों का आंतरिक रूप से उचित मूल्यांकन करवाया, जिसके अनुसार, आईएफएल के शेयरों में निवेश का उचित मूल्य 16.19 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया और आईफिन के शेयरों में निवेश का उचित मूल्य 61.29 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। इसके लिए भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप, ब्रेकअप मूल्य के लिए आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन पद्धतियों और तदनुसार, परिणामी गड़बड़ियों से होने वाली हानि को लाभ-हानि खाते में डाला गया है।
- 44 निधियों का उपयोग**
- वर्ष के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई धन उधार नहीं लिया गया है।
- 44.1** पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन
- वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपनी संपत्ति प्लॉट और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है
- 44.2** अनुसूची III के तहत अपेक्षित अन्य अतिरिक्त नियामक खुलासे
- क. ऋण एवं अग्रिम
- कम्पनी ने प्रमोटर्स, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और संबंधित पक्षों को ऋण की प्रकृति के ऐसे कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिये हैं, जो मांग पर चुकाने योग्य हों और जिनकी पुनर्भुगतान की शर्तें या अवधि पूर्व-परिभाषित नहीं हों।
- ख. कार्यशील पूँजीगत कार्य का काल विश्लेषण
- वर्तमान वित्त वर्ष के साथ-साथ विगत वित्तीय वर्ष में कोई पूँजीगत कार्य चालू नहीं है।
- ग. विकासशील अमूर्त संपत्ति का काल विश्लेषण
- वर्तमान वित्त वर्ष के साथ-साथ विगत वित्तीय वर्ष में कोई विकासशील अमूर्त संपत्ति नहीं है।
- घ. बेनामी संपत्ति:
- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई और न ही कोई मामला लंबित है।
- ङ. चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधारी
- कम्पनी के पास चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिया गया कोई उधार नहीं है।
- च. जानबूझकर चूक करने वाले चूककर्ता:
- कम्पनी को वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- छ. बंद कम्पनियों के साथ संबंध:
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कम्पनियों के साथ कम्पनी का कोई लेनदेन नहीं है।
- ज. कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी) में प्रभार अथवा प्रभार मुक्ति का पंजीकरण
- सांविधिक अवधि के परे आरओसी के पास किसी प्रभार या प्रभार मुक्ति का पंजीकरण कराना शेष नहीं है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

- इ. कई स्तर की कम्पनियों वाली कम्पनियां:
एनबीएफसी होने के कारण कम्पनी पर अधिनियम की धारा 2 का खंड (87) लागू नहीं है।
- ज. पुनर्गठन-योजना
वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 तक के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पुनर्गठन-योजना को मंजूरी नहीं दी गई है।
- ट. उधार ली गई निधियों का उपयोग:
(i) कम्पनी ने इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था(ओं) को कोई धनराशि उधार नहीं दी है या उनमें निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ कम्पनी("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से निरूपित अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ऋण देगा या उनमें निवेश करेगा अथवा अन्तिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी प्रतिभूति या ऐसी ही कोई और गारंटी प्रदान करेगा।
(ii) कम्पनी ने इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था(ओं) से कोई निधियां प्राप्त नहीं की है या उनमें निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ कम्पनी("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से निरूपित अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ऋण देगा या उनमें निवेश करेगा अथवा अन्तिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी प्रतिभूति या ऐसी ही कोई और गारंटी प्रदान करेगा।
- ड. अघोषित आय:
वर्ष के दौरान जब तक कि किसी योजना के तहत खुलासे से उन्मुक्ति मिली हो, कम्पनी ने ऐसे किसी भी लेनदेन के संदर्भ में किसी आय का खुलासा नहीं किया है जिसे खाता-बही में रिकार्ड नहीं किया गया हो और जिसका आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पण या खुलासा किया हो। (जैसे सर्वे या सर्वे अथवा आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रावधान के तहत)
- ड. क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण:
कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई कारोबार नहीं किया है।

45 कर्मचारी हिट

कम्पनी निम्नलिखित रोजगार पश्चात् योजनाओं का परिचालन करती है। -

i. पारिभाषित अंशदान योजना

कम्पनी पेंशन के संबंध में मासिक अंशदान करती है जो एक पारिभाषित अंशदान योजना है। कम्पनी के पास निर्दिष्ट अंशदान करने के अलावा, कोई अन्य देयता नहीं है। अंशदान; जैसे ही वे प्रोद्भूत होते हैं, लाभ और हानि विवरण में प्रभावित किया जाता है। ऐसे अंशदान के संबंध में व्यय के रूप में मान्य राशि निम्नानुसार है:

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
पेंशन निधि में अंशदान	0.01	0.01

ii. पारिभाषित लाभ योजना

(क) ग्रेच्युटी

कम्पनी की भारत में एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है, जो आईएफसीआई ग्रेच्युटी विनियमावली, 1968 द्वारा अधिशासित है। यह योजना कर्मचारी को सेवा के पहले 20 वर्षों के लिए आईएफसीआई में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अथवा छः माह से अधिक के उसके भाग के लिए एक माह के वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर की राशि, अधिकतम बीस माह के वेतन और महंगाई भत्ता अथवा अठारह लाख रुपए, जो भी कम हो प्राप्त करने का अधिकार देती है। योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम, (एलआईसी) द्वारा निधिकृत है। यह परिभाषित लाभ योजना कम्पनी के बीमांकन जोखिमों जैसे कि लांगेविटी जोखिम, मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और बाजार (निवेश) जोखिम को दर्शाती है।

योजना परिसम्पत्तियों का हाल ही का बीमांकन मूल्यांकन और ग्रेच्युटी हेतु परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य का मूल्यांकन 31 मार्च, 2024 को किया गया था। परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा पिछली सेवा लागत का मूल्यांकन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया गया था।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी ग्रेच्युटी योजना और तुलनपत्र की तारीख को कम्पनी की वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को दर्शाती है:

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
निवल पारिभाषित लाभ देयता	(0.34)	(3.31)

(क) निधिकरण

योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा निधिकृत है। निधिकरण अपेक्षाएं योजना की निधिकरण नीतियों में निर्दिष्ट ग्रेच्युटी निधि के बीमांकक मूल्यांकन ढांचे पर आधारित हैं। योजना की निधि व्यवस्था निधिकरण प्रयोजनों के लिए पृथक बीमांकक मूल्यांकन पर आधारित है जिसके लिए पूर्वानुमान, नीचे भाग घ में दिए गए पूर्वानुमानों से भिन्न हो सकते हैं। कर्मचारी इस योजना में अंशदान नहीं करते।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी योजना में अनुमानित अंशदान 1.25 करोड़ रुपए है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ख) निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता का मिलान

निम्नलिखित सारणी निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक के लेखा मिलान को दर्शाती है:

	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
	परिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता	परिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता
वर्ष के आरम्भ में शेष	22.88	26.18	(3.31)	24.90	25.93	(1.03)
वर्तमान सेवा लागत	1.33	-	1.33	1.36	-	1.36
कर्टेलमेंट लाभ/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत (आय)	1.69	(1.93)	(0.24)	1.82	(1.89)	(0.08)
	<u>3.01</u>	<u>(1.93)</u>	<u>1.08</u>	<u>3.18</u>	<u>(1.89)</u>	<u>1.29</u>
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
- निम्न से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ):						
- जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-	-	-	-	-
- वित्तीय अनुमान	-	-	-	-	-	-
- अनुभव समायोजन	(0.21)	-	(0.21)	(1.48)	-	(1.48)
- योजना परिसम्पत्तियों पर	-	0.10	0.10	-	0.05	0.05
	<u>(0.21)</u>	<u>0.10</u>	<u>(0.12)</u>	<u>(1.48)</u>	<u>0.05</u>	<u>(1.43)</u>
नियोक्ता द्वारा अदा किया गया अंशदान प्रदत्त लाभ	-	-	-	-	-	-
	<u>(4.35)</u>	<u>(6.35)</u>	<u>2.00</u>	<u>(3.73)</u>	<u>(1.59)</u>	<u>(2.14)</u>
	<u>(4.35)</u>	<u>(6.35)</u>	<u>2.00</u>	<u>(3.73)</u>	<u>(1.59)</u>	<u>(2.14)</u>
वर्ष के अन्त में शेष	<u>21.33</u>	<u>21.66</u>	<u>(0.34)</u>	<u>22.88</u>	<u>26.18</u>	<u>(3.31)</u>

(ग) योजना परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
जीवन बीमा निगम में निवेश	100%	100%

कम्पनी द्वारा वार्षिक आधार पर, परिसम्पत्ति देयता अनुरूपण अध्ययन किया जाता है, जिसमें कम्पनी देयता जोखिम को व्यवस्थित करने के लिए योजना प्रबंधक (बीमांकक) को बीमांकक देयता में निवल वृद्धि का अंशदान करती है।

(घ) बीमांकक अनुमान

सूचना की तारीख में प्रमुख बीमांकक पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त):

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
छूट दर	7.21%	7.37%
आगामी वेतन वृद्धि	6.00%	6.00
निकासी दर:		
30 वर्ष तक	1.00%	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%
सेवानिवृत्ति आयु(वर्ष में)	60	60
मृत्यु दर	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)

(ङ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, यह सारणी दर्शाती है कि परिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% घट-बढ़)	(0.97)	1.05	(1.02)	1.09
आगामी वेतन वृद्धि (0.50% घट-बढ़)	1.05	(0.97)	1.09	(1.02)

यद्यपि विश्लेषण इस योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लेता, इसलिए यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मृत्यु दर एवं निकासियों के कारण संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं होती है और इसलिए इसके कारण परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित नहीं किया जाता।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(च) आगामी वर्षों में पारिभाषित लाभ योजना का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण:

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
0 to 1 वर्ष	3.61	3.11
1 to 2 वर्ष	0.90	3.09
2 to 3 वर्ष	0.50	0.84
3 to 4 वर्ष	1.94	0.72
4 to 5 वर्ष	0.74	1.94
5 to 6 वर्ष	1.22	0.66
6 वर्ष से आगे	12.41	12.53
Total	21.33	22.88

31 मार्च, 2024 को परिभाषित लाभ देयता की भारित औसत अवधि 12.74 वर्ष (31 मार्च, 2023: 12.69 वर्ष) थी।

(छ) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह कम्पनी निम्नलिखित विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार दर्शाती है-

वेतन वृद्धि: वास्तविक वेतन वृद्धि में योजना की देयता बढ़ेगी। आगामी मूल्यांकनों में वेतन वृद्धि दर पूर्वानुमान में वृद्धि से भी देयता बढ़ेगी।

निवेश जोखिम: यदि योजना को निधिकृत किया जाता है तो परिसम्पत्तियां देयताओं में असमानता हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल पिछली मूल्यांकन तारीख को अनुमानित छूट दर से कम हो जाता है, जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर: परवर्ती मूल्यांकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु संख्या दर एवं अशक्तता: वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में अनुमानित मामलों में कम अथवा अधिक सिद्ध हों, देयता को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां: वास्तविक निकासियां, जो बाद के मूल्यांकनों में अनुमानित निकासियों की तुलना में उच्च या निम्न सिद्ध होते हैं, और निकासी दर में परिवर्तन योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ

आईएफसीआई ने अपने कर्मचारियों और उन पर आश्रित परिवार के पात्र सदस्यों को सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा लाभ प्रदान करती है। योजना के अनुसार, कर्मचारी जो स्वैच्छिक कल्याण योजना (वीडब्ल्यूएस) के सदस्य हैं, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं। योजना के अधीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उनके पति/पत्नी और आश्रित बच्चों को चिकित्सा लाभ एवं प्रतिपूर्ति की जाती है, यद्यपि इसकी उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है और यह उस ग्रेड, जिसमें कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, पर आधारित है और इस शर्त के अधीन है कि संबंधित कर्मचारी का पति/पत्नी अपने नियोक्ता, यदि कोई हो, से कोई चिकित्सा लाभ नहीं ले रहा हो। चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति आईएफसीआई द्वारा अपने कार्यरत कर्मचारियों के लिए समय-समय पर परिचालित दरों के अनुसार केन्द्र, जहां कर्मचारी सेवानिवृत्त के पश्चात निवास करता है, में कर्मचारियों पर लागू दरों पर की जाती है। इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी चिकित्सा लाभ योजना एवं तुलन पत्र की तारीख को समूह के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियां को दर्शाती है:

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
निवल परिभाषित लाभ देयता	34.79	32.11

(क) निवल पारिभाषित लाभ देयता (परिसम्पत्ति)/देयता का लेखा मिलान:

निम्नलिखित सारणी निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटनों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक लेखा मिलान को दर्शाती है:

पारिभाषित लाभ देयता		
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के आरम्भ में शेष	32.11	29.82
वर्तमान सेवा लागत	0.09	0.10
कम किए गए लाभ/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत (आय)	2.37	2.18
	2.46	2.28
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)		
- निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ):		
- जनसांख्यिकी अनुमान	-	-
- वित्तीय अनुमान	-	-
- अनुभव समायोजन	0.68	0.42
	0.68	0.42
प्रदत्त लाभ	(0.46)	(0.40)
	(0.46)	(0.40)
वर्ष के अन्त में शेष	34.79	32.11

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु योजना में प्रत्याशित अंशदान 2.61 करोड़ रुपए है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ख) योजना परिसम्पत्तियां

कम्पनी में उक्त सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना के संदर्भ में कोई योजना परिसम्पत्तियां नहीं थी।

(ग) बीमांकन अनुमान

सूचना की तारीख को प्रमुख बीमांकन पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त):

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
छूट दर	7.21%	7.37%
आगामी चिकित्सा लागत वृद्धि	3.00%	3.00%
निकासी दर:		
30 वर्ष तक	1.00%	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष में)	60	60
मृत्यु दर	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)

(घ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, यह सारणी दर्शाती है कि पारिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% घट-बढ़)	(1.14)	1.14	(1.11)	1.11

यद्यपि विश्लेषण योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लिया जाता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मुद्रास्फीति दर, भुगतान में पेशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेशन की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

(ङ) आगामी वर्षों में पारिभाषित लाभ योजना का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण:

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
0 to 1 वर्ष	2.67	2.59
1 to 2 वर्ष	2.16	1.99
2 to 3 वर्ष	2.17	2.00
3 to 4 वर्ष	1.91	1.77
4 to 5 वर्ष	2.05	1.89
5 to 6 वर्ष	1.59	1.47
6 वर्ष से आगे	22.24	20.40
जोड़	34.79	32.11

31 मार्च, 2024 को पारिभाषित लाभ देयता के दौरान भारत औसत 7.87 वर्ष (31 मार्च, 2023: 7.83 वर्ष) था।

(च) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह समूह विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार दर्शाती है:

चिकित्सा लागत वृद्धि: वास्तविक चिकित्सा लागत में प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति में वृद्धि इस योजना की देयता को बढ़ाएगी। सेवानिवृत्त प्रति व्यक्ति पूर्वानुमान दर में वृद्धि से भी चिकित्सा लागत में वृद्धि होगी।

निवेश जोखिम: यदि योजना निधिकृत होती तो परिसम्पत्ति देयताएं असमान हो जाती है तथा परिसम्पत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल अंतिम मूल्यांकन तारीख को मानित छूट दर से कम हो जाता है जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर: परवर्ती मूल्यांकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु संख्या एवं अशक्तता: वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत देयता से कम अथवा अधिक साबित हो, देयता को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां: वास्तविक निकासियां, जो परवर्ती मूल्यांकनों में अनुमानित निकासियों एवं निकासी दरों में परिवर्तन की बजाय उच्च अथवा कम सिद्ध हो, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

(ग) भविष्य निधि

कम्पनी की पारिभाषित लाभ भविष्य निधि है जो आईएफसीआई कर्मचारी भविष्य निधि विनियमनों द्वारा अधिशासित है। भविष्य निधि मासिक अंशदान राजस्व के प्रति प्रभाषित किया जाता है। आईएफसीआई संगत वर्ष हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा अधिसूचित दर पर भविष्य निधि शेष पर ब्याज अदा कर रहा है। भविष्य निधि को विधिवत रूप से गठित एवं मान्य प्रशासकों के जरिए नियंत्रित किया जाता है। आईएफसीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों की समिति ने चालू वित्तीय वर्ष में पीएफ देयता के प्रति निर्दिष्ट निवेश किए जाने को अनुमोदित किया है। इस प्रयोजनार्थ, निवेशों को ईपीएफओ तथा ईपीएफ छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए निवेश स्वरूप को अधिसूचित करने सम्बन्धी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसरण में पीएफ देयता के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी भविष्य निधि योजना की स्थिति एवं तुलनपत्र की तारीख में कम्पनी के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को दर्शाया गया है:

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
निवल परिभाषित लाभ देयता	2.77	(9.90)

(क) निधिकरण

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कम्पनी ने अपने कुछ निवेशों को भविष्य निधि देयता के संबंध में सरकारी प्रतिभूतियों, म्यूचुअल फण्ड में निर्दिष्ट किया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भविष्य निधि योजना में प्रत्याशित अंशदान 0.88 करोड़ रुपए है।

(ख) निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता का लेखा मिलान

निम्नलिखित सारणी निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक के लेखा मिलान को दर्शाती है:

	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
	परिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता	परिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता
वर्ष के आरम्भ में शेष	86.36	96.26	(9.90)	82.40	92.22	(9.81)
ब्याज लागत/(आय)	1.10	-	1.10	2.93	-	2.93
वर्तमान सेवा लागत	0.97	-	0.97	1.03	-	1.03
	2.07	-	2.07	3.96	-	3.96
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
- निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकन हानि(लाभ):						
- जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-	-	-	-	-
- वित्तीय अनुमान	-	-	-	-	-	-
- अनुभव समायोजन	-	-	-	-	-	-
- योजना परिसम्पत्तियों पर	-	0.97	(0.97)	-	1.03	(1.03)
	-	0.97	(0.97)	-	1.03	(1.03)
कर्मचारी द्वारा अदा किया गया अंशदान	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	-	-	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	-	(11.57)	11.57	-	3.01	(3.01)
निपटान/अन्तरण	-	-	-	-	-	-
	-	(11.57)	11.57	-	3.01	(3.01)
वर्ष के अंत में शेष	88.43	85.66	2.77	86.36	96.26	(9.90)

(ग) योजना परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश	100%	100%

वार्षिक आधार पर, कम्पनी द्वारा परिसम्पत्ति देयता अनुरूपण अध्ययन किया जाता है, जिसमें कम्पनी पूल में बीमांकन देयता में निवल वृद्धि में अंशदान करती है जो बाद में, जोखिम देयता को व्यवस्थित करने के लिए निवेश करता है।

(घ) बीमांकक अनुमान

सूचना की तारीख को प्रमुख बीमांकक पूर्वानुमान (भारत औसत के रूप में व्यक्त):

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
छूट दर	7.21%	7.37%
खाता बही शेष पर अनुमानित सांविधिक ब्याज दर	8.25%	8.15%
निधि पर ब्याज अर्जन में अनुमानित वर्ष/चालू कमी	0.30%	0.30%
अशक्तता के प्रावधान सहित मृत्यु दर	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)
निकासी दर (आयु से संबंधित)		
30 वर्ष तक	1.00%	1.00%
31 से 44 वर्ष के बीच	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60	60

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ड) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, यह सारणी दर्शाती है कि पारिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% घट-बढ़)	(0.09)	0.10	(0.08)	0.09

यद्यपि विश्लेषण योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लेता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मुद्रास्फूर्ति दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

(च) आगामी वर्षों में पारिभाषित लाभ योजना का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण:

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
1 वर्ष	23.76	11.72
2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच	13.30	22.22
5 से 10 वर्ष के बीच	16.45	14.21
10 वर्ष से अधिक	32.54	31.71
जोड़	86.05	79.86

31 मार्च, 2024 को पारिभाषित लाभ देयता की भारित औसत अवधि 12.74 वर्ष (31 मार्च, 2023: 12.69 वर्ष) थी।

(छ) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह समूह विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार प्रदर्शित करता है-
निवेश जोखिम: यदि योजना निधिकृत होती तो परिसम्पति देयताएं असमान हो जाती हैं तथा परिसम्पतियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल अंतिम मूल्यांकन तारीख को मानित छूट दर से कम हो जाता है जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर: परवर्ती मूल्यांकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु दर एवं अशक्तता: वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत देयता में कम अथवा अधिक सिद्ध हों, देयता को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां: वास्तविक निकासियां, जो बाद के मूल्यांकनों में अनुमानित निकासियों एवं निकासी दरों में परिवर्तन की बजाय उच्च या निम्न सिद्ध हों, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

iii. अन्य दीर्घ अवधि नियोजन लाभ

कम्पनी अपने कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण लाभ तथा अवकाश किराया रियायत प्रदान करती है, जिसे आगामी वर्षों हेतु आगे बढ़ाया जा सकता है। क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि निम्नानुसार है-

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि		
अवकाश नकदीकरण	0.34	0.70
अवकाश किराया रियायत	0.54	4.12
चिकित्सा लाभ	1.90	1.97

46 परिसम्पत्तियां एवं देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

निम्न सारणी वसूली या निपटान के अपेक्षित समय के अनुसार विश्लेषित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के विश्लेषण को दर्शाती है।

	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
	12 माह के भीतर	12 माह के बाद	जोड़	12 माह के भीतर	12 माह के बाद	जोड़
I. परिसम्पत्तियां						
(1) वित्तीय परिसम्पत्तियां						
(क) नकदी एवं नकद समतुल्य	642.46	-	642.46	110.38	-	110.38
(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न बैंक शेष	2,324.01	325.35	2,649.36	1,891.89	-	1,891.89
(ग) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-	14.83	-	14.83
(घ) प्राप्य राशियां	103.64	-	103.64	38.32	-	38.32
(ङ.) ऋण	24.59	1,281.80	1,306.39	63.85	1,735.34	1,799.19
(च) निवेश	929.01	729.80	1,658.81	399.06	619.91	1,018.97
(छ) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	15.64	26.08	41.72	4.38	29.49	33.87
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	4,039.34	2,363.03	6,402.37	2,522.71	2,384.74	4,907.45

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(जारी...)

	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
	12 माह के भीतर	12 माह के बाद	जोड़	12 माह के भीतर	12 माह के बाद	जोड़
(2) गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां						
(क) सहायक कम्पनियों में निवेश	-	1,250.55	1,250.55	-	1,257.70	1,257.70
(ख) निवेशितों की लेखागत इक्विटी	-	-	-	-	-	-
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	-	34.30	34.30	-	31.86	31.86
(घ) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	-	1,306.65	1,306.65	-	1,739.12	1,739.12
(ङ.) निवेश सम्पत्ति	-	276.45	276.45	-	283.32	283.32
(च) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	-	602.27	602.27	-	618.24	618.24
(छ) कार्यशील पूंजी	-	-	-	-	-	-
(ज) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	-	0.19	0.19	-	0.26	0.26
(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	1.40	84.10	85.50	1.62	90.49	92.11
कुल गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	1.40	3,554.51	3,555.91	1.62	4,020.99	4,022.61
बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां	49.41	-	49.41	0.04	-	0.04
कुल परिसम्पत्तियां	4,090.15	5,917.54	10,007.69	2,524.37	6,405.73	8,930.10
II. देयताएं एवं इक्विटी देयताएं						
(1) वित्तीय देयताएं						
(क) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	13.94	-	13.94	-	-	-
(ख) ट्रेड देयताएं						
(i) सूक्ष्म, उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	-	-	-	-	-	-
(ii) सूक्ष्म, उद्यमों एवं लघु उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	53.49	-	53.49	62.26	-	62.26
(ग) ऋण प्रतिभूतियां	1,373.35	2,998.39	4,371.74	250.23	4,340.08	4,590.31
(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	31.78	302.47	334.25	106.62	336.47	443.09
(ङ.) अधीनस्थ देयताएं	-	744.67	744.67	-	774.67	774.67
(च) अन्य वित्तीय देयताएं	2,172.38	1,016.54	3,188.92	1,223.90	1,126.09	2,349.99
कुल वित्तीय देयताएं	3,644.95	5,062.06	8,707.01	1,643.01	6,577.31	8,220.32
(2) गैर-वित्तीय देयताएं						
(क) प्रावधान	6.48	80.00	86.48	2.49	81.19	83.68
(ख) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	0.34	(0.34)	-	0.43	(0.43)	-
कुल गैर-वित्तीय देयताएं	6.82	79.66	86.48	2.92	80.76	83.68
कुल देयताएं	3,651.76	5,141.73	8,793.49	1,645.93	6,658.07	8,304.00
निवल	438.39	775.81	1,214.20	878.44	(252.34)	626.10

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

47 सम्बद्ध पक्षकार प्रकटन

i. सम्बद्ध पक्षकार का नाम एवं संबंध का स्वरूप:-

क. संबंध का स्वरूप	सम्बद्ध पक्षकार का नाम
सहायक कम्पनियां	आईएफसीआई फाइनेशियल सर्विसिज लि. (आईफिन) आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि. (आईवीसीएफ) आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि. (आईआईडीएल) आईएफसीआई फैंक्टर्स लि. (आईएफएल) एमपीकॉन लि. स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (एसएचसीआईएल) आईफिन कर्माडिटीज लि. (आईफिन की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण) आईफिन क्रेडिट लि. (आईफिन की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण) आईफिन सिक्युरिटीज फाइनेंस लि. (आईफिन की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण) आईआईडीएल रियल्टर्स प्रा. लि. (आईआईडीएल की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण) एसएचसीआईएल सर्विसिज लि. (एसएचसीआईएल की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण) स्टॉक होल्डिंग डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसिज लि. (एसएचसीआईएल की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण) स्टॉक होल्डिंग सिक्क्युरिटीज आईएफसीआई लिमिटेड (एसएसआईएल) (एसएचसीआईएल के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण)
सहयोगी कम्पनियां*	आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट बिक्री हेतु भारत सहयोगी कम्पनियां - अथेना छत्तीसगढ़ पावर प्रा. लि. - गति इन्फ्रास्ट्रक्चर भासमे पावर प्रा. लि. - किटको लि. - नगई पावर प्रा. लि. - शिगा इनर्जी प्राइवेट लि. - वडराज सीमेंट लि. - वडराज एनर्जी (गुजरात) लि.
संयुक्त उद्यम	आईएफसीआई सीकामोर कैपिटल एडवाइजर्स प्रा.लि. (स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन)
सीएसआर क्रियाकलाप के लिए निगमित न्यास	आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	श्री मनोज मित्तल - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (12 जून 2021 से) श्री राहुल भावे, उप. प्रबंध निदेशक (28 नवंबर, 2023 से) श्री प्रसून - मुख्य वित्तीय अधिकारी (11 अगस्त, 2023 से सीएफओ नहीं रहेंगे) श्री सुनील शुक्ला - मुख्य वित्तीय अधिकारी (11 अगस्त 2023 से) श्री प्रियंका शर्मा - कंपनी सचिव (16 सितंबर 2021 से) श्री मुकेश कुमार बंसल (27 मार्च, 2024 से निदेशक नहीं रहे) श्री कार्तिकेय मिश्रा (27 मार्च, 2024 से निदेशक नहीं रहे) प्रो. नारायणस्वामी बालकृष्णन (30 अक्टूबर 2017 से) प्रो. अरविंद सहाय (30 अक्टूबर 2017 से) श्री सुरेंद्र बेहरा (09 नवंबर 2022 से) श्री अरविंद कुमार जैन (09 नवंबर 2022 से) श्री उमेश कुमार गर्ग (10 मई, 2023 से)

एक ही सरकार के नियंत्रण में कम्पनियां

कम्पनी एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है। भारतीय लेखांकन मानक 24 के पैरा 25 एवं 26 के अनुसार कम्पनियां, जिन पर एक ही सरकार का नियंत्रण है अथवा संयुक्त नियंत्रण है अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है, उन्हें रिपोर्टिंग कम्पनी और अन्य कम्पनियों को सम्बद्ध पक्षकार के रूप में समझा जाएगा। कम्पनी ने सरकार से संबंधित कम्पनियों के संबंध में उपलब्ध छूट के लिए आवेदन किया है और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किए हैं।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ii. वर्ष के दौरान सम्बद्ध पक्षकार लेन-देन और तुलनपत्र की तारीख को सम्बद्ध पक्षकारों से प्राप्त एवं इन्हें देय शेष राशियां:-

सम्बद्ध पक्षकारों का नाम	लेन-देन का स्वरूप	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
क. सहायक एवं सहयोगी कम्पनियां			
आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	(i) प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	0.94	1.03
	(ii) प्रदत्त दलाली/व्यावसायिक शुल्क	0.02	0.05
	(iii) डिपॉजिटरी सेवाएं		
	(iv) आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय हैं	0.02	0.23
	(v) आईएफसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईफिन के कर्मचारियों को प्रदत्त/देय वेतन	0.06	0.11
आईएफसीआई वेचर कैपिटल फण्ड लि.	(i) प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	1.67	1.65
	(ii) प्राप्त व्यावसायिक शुल्क	0.18	0.18
	(iii) आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त/देय ब्याज	1.98	1.78
	(iv) आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय हैं	0.98	0.67
	(v) आईएफसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईवीसीएफ के कर्मचारियों को प्रदत्त/देय वेतन	0.51	0.18
आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि.	(i) प्राप्त लाभांश	24.99	-
	(ii) प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	0.14	0.59
	(iii) प्रदत्त किराया और रखरखाव राशि	-	-
	(iv) आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त/देय ब्याज	8.96	8.95
	(v) आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय हैं	0.90	0.55
आईएफसीआई फैंक्टर्स लि.	(i) प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	0.77	1.52
	(ii) प्राप्त व्यावसायिक शुल्क	0.06	0.06
	(iii) आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय हैं	-	0.37
	(iv) आईएफसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईएफसीआई फैंक्टर्स के कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान/देय	1.34	0.27
	(v) आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त/देय ब्याज	0.87	
स्टॉकहोल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i) आईएफसीआई द्वारा प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	2.59	2.59
	(ii) आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त/देय ब्याज	2.10	2.10
	(iii) प्राप्त लाभांश	80.14	37.41
	(iv) प्रदत्त दलाली/व्यावसायिक शुल्क	0.00	0.01
	(v) प्राप्त बैठक शुल्क	0.21	0.14
	(vi) आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय हैं	0.50	-
एमपीकॉन	(i) प्राप्त लाभांश	0.80	0.93
	(ii) प्रदत्त दलाली/व्यावसायिक शुल्क	-	1.86
	(iii) प्राप्त किराया	-	-
	(iv) आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय हैं	0.47	0.51
	(v) आईएफसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एमपीकॉन के कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान/देय	2.83	-
स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लि.	(i) प्रदत्त दलाली/व्यावसायिक शुल्क	0.04	0.01
	(ii) प्राप्त बैठक शुल्क	0.04	0.03
स्टॉकहोल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड	(i) प्राप्त बैठक शुल्क	0.02	0.01
	(ii) प्राप्त परामर्श एवं मूल्यांकन शुल्क	-	-
स्टॉकहोल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड	(i) प्राप्त बैठक शुल्क	0.06	0.05
	(ii) प्राप्त परामर्श एवं मूल्यांकन शुल्क	-	-
किटको	(i) बैठने का शुल्क प्राप्त	0.002	0.01
आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन ट्रस्ट	(i) सीएसआर क्रियाकलापों हेतु अंशदान	-	-
	(ii) आईएफसीआई द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए वसूला गया/वसूलनीय वेतन/अन्य स्थापना व्यय		

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(जारी रखें)

सम्बद्ध पक्षकारों का नाम	लेन-देन का स्वरूप	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
ख. एक ही सरकार के नियंत्रण वाली कम्पनियां			
सीईजीएसएससी, भारत सरकार	एजेंसी कमीशन -एससी/एसटी के लिए क्रेडिट गारण्टी फण्ड	0.34	0.38
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार	कमीशन-एमसिप्स	3.45	5.05
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक्स	3.77	3.19
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार	एजेंसी शुल्क एसपीईसीएस	5.37	1.98
रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - बल्क ड्रग्स	1.23	1.39
रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - मेडिकल डिवाइसिस	0.40	2.20
रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - बल्क ड्रग्स पार्क्स	1.90	1.90
रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - मेडिकल डिवाइसिस पार्क्स	0.76	0.76
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	अनुवर्तन एजेंसी शुल्क	3.02	3.39
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - आईटी - हार्डवेयर	3.55	0.55
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई व्हाइट गुड्स	3.00	3.00
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई ऑटो योजना	2.00	2.00
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई एसीसी योजना	1.28	1.10
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई टेक्सटाइल	3.50	5.58
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबन्धन शुल्क - सेमीकंडक्टर फैब्स योजना	2.75	3.25
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबन्धन शुल्क - फैब्स योजना प्रदर्शन	3.00	1.00
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबन्धन शुल्क - कंपाउंड सेमीकंडक्टर/एटीएमपी/ओएसएटी योजना	2.91	1.38
नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए)	योजना प्रबन्धन शुल्क - ड्रोन और ड्रोन घटक	1.16	1.40
भारी उद्योग मंत्रालय	योजना प्रबन्धन शुल्क - प्रसिद्धि II	15.93	4.22
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई खिलौने	-	1.00
एसडीएफ, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार	एजेंसी कमीशन - चीनी विकास निधि	5.87	9.64
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.	प्राप्त परामर्श एवं मूल्यांकन शुल्क	0.09	0.06
केन्द्र सरकार	सरकारी प्रतिभूतियों व खजाना बिल पर ब्याज आय	18.98	33.13
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	किराए से आय	3.37	3.37
कम्पनी रजिस्ट्रार	किराए से आय	4.46	2.61
ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड(पहले पोस्को)	किराए से आय	7.06	6.66
एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस	किराए से आय	0.29	0.25
युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस	किराए से आय	0.24	0.26
केनरा बैंक	किराए से आय	0.38	0.41
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट	किराए से आय	2.88	3.44
भारत सेमीकंडक्शन मिशन (डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन)		0.72	-
ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का क्षतिपूरण			
अल्पअवधि कर्मचारी लाभ		2.05	1.74
नियोजन के बाद परिभाषित लाभ		-	-
क्षतिपूरित अनुपस्थितियां		-	0.08
शेयर आधारित भुगतान		-	-
सेवा समाप्ति लाभ		-	0.02
बैठक में भाग लेने का शुल्क		0.26	0.11

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

घ. सम्बद्ध पक्षकार का बकाया शेष

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि.		
- आईएफसीआई द्वारा जारी बॉण्ड	10.00	10.00
- आईएफसीआई द्वारा दिए गए ऋण	-	-
आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि.		
- आईएफसीआई द्वारा जारी बॉण्ड	95.00	95.00
- आईएफसीआई द्वारा अभिदत्त बॉण्ड/डिबेन्चर	-	-
आईआईडीएल रियलटर्स प्रा. लि.	-	-
आईएफसीआई फैंक्टर्स लि.		
- आईएफसीआई द्वारा अभिदत्त बॉण्ड/डिबेन्चर	-	-
स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.		
- आईएफसीआई द्वारा जारी बॉण्ड	25.00	25.00
एसएचसीआईएल सर्विसेज लि.	-	-
स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	-	-
स्टॉकहोल्डिंग सेक्युरिटीज आईएफसीआई लिमिटेड	-	-
आईएफसीआई फाइनेशियल सर्विसेज लि. (आईफिन)	-	-
आईफिन सेक्युरिटीज फाइनेस लि.		
- प्राप्य बकाया	-	-
आईफिन क्रेडिट लि.	-	-
आईफिन क्रेडिट लि.	-	-
एमपीकॉन लिमिटेड	-	-

निबंधन एवं शर्तें

इन संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन आर्म्सलेंथ आधार पर मूल्य पारिभाषित हैं।

48 पट्टे

क. पट्टेदार के रूप में पट्टा

पट्टे विशेष तौर पर 11 माह की अवधि के लिए होते हैं, इसमें उस अवधि के बाद पट्टे का नवीकरण करने का विकल्प होता है। पट्टा भुगतानों को बाजार किरायों को दर्शाने के लिए नियमित अन्तराल पर पुनः बातचीत की जाती है।

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
i. आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान		
वर्ष के अंत में रद्द किए जाने वाले परिचालन पट्टों के आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं:		
(क) एक वर्ष के बाद नहीं	0.23	0.23
(ख) एक वर्ष के बाद, परन्तु पांच वर्ष के बाद नहीं	0.29	-
(ग) पांच वर्ष के बाद	-	-
ii. लाभ अथवा हानि में प्रभावित राशि	0.40	0.51

ख. पट्टादाता के रूप में पट्टे

कम्पनी अपने भवन को (निवेश सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत) परिचालन पट्टा आधार पर देती है। पट्टे सामान्य तौर पर 11 माह से 7 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं, जिसमें उस अवधि के बाद इसे नवीकृत किए जाने का विकल्प होता है। पट्टा भुगतान को बाजार किराए दर्शाने के लिए नियमित अन्तराल पर इसके लिए पुनः बातचीत की जाती है।

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
i. आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान		
वर्ष के अंत में रद्द न किए जाने वाले परिचालन पट्टों के तहत आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं:		
(क) एक वर्ष के बाद नहीं	35.15	36.22
(ख) एक वर्ष के बाद परन्तु पांच वर्ष के बाद नहीं	55.68	69.97
(ग) पांच वर्ष के बाद	8.17	22.17
ii. लाभ अथवा हानि में मान्य राशियां	42.74	38.28

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

49 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

	यूनिट	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
i (क) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ संगणना			
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ	रुपए	128.25	(287.58)
घटाएं: अधिमान लाभांश	रुपए	-	-
इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ	रुपए	128.25	(287.58)
(ख) बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	संख्या	2,489,613,863	2,195,928,107
ii (क) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ संगणना (संभावित शेयरधारकों सहित)			
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ	रुपए	128.25	(287.58)
घटाएं: अधिमान लाभांश	रुपए	-	-
इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ (संभावित शेयरधारकों सहित)	रुपए	128.25	(287.58)
(ख) बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	संख्या	2,489,613,863	2,195,928,107
प्रति शेयर अर्जन			
(भारित औसत)			
बेसिक	रुपए	0.52	(1.31)
डायल्युटेड	रुपए	0.52	(1.31)

50 परिचालन खण्ड

बोर्ड की मुख्य परिचालन निर्णायक (सीओडीएम) के रूप में पहचान की गई है जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 108 “परिचालन खण्ड” में परिभाषित है। समूह के परिचालन खण्ड समूह के संघटकों के अनुरूप इस प्रकार स्थापित है कि भारतीय लेखांकन मानक 108 “परिचालन खण्ड” में दी गई परिभाषा के अनुसार मुख्य परिचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से इनका मूल्यांकन किया जाता है। समूह मुख्यतया वित्तपोषण करता है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार अंतरण अलग से किया जाने वाला कोई उल्लेखनीय खण्ड नहीं है।

क. उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में सूचना:

समूह केवल एक ही उत्पाद पर कार्य करता है अर्थात् कारपोरेट ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। अतः इस पर पृथक प्रकटन किया जाना आवश्यक नहीं है।

ख. भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में सूचना:

समूह की सम्पूर्ण बिक्री उन ग्राहकों के लिए की जाती है, जो भारत में रहते हैं। समूह की परिसम्पत्तियां भी भारत में ही स्थित हैं।

ग. प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना (बाहरी ग्राहकों से):

समूह ग्राहकों से राजस्व अर्जित नहीं करता, जो कि समूह के 10% अथवा इससे अधिक राजस्व को दर्शाता हो।

51 वित्तीय परिसम्पत्तियों का अन्तरण

सामान्य कारोबार करते हुए, समूह ऐसे लेन देन करता है जो ग्राहकों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम के अन्तरण से होता है। टिप्पणी 2 में परिभाषित लेखांकन नीति के अनुसार अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियों को उनकी परिपूर्णता में अथवा समूह की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता की सीमा में मान्य किया जाता है अथवा उनकी परिपूर्णता में अमान्य किया जाता है।

समूह उन वित्तीय परिसम्पत्तियों को अन्तरित करता है जो अपनी परिपूर्णता में अमान्य नहीं हैं, जो मुख्यतया परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री के जरिए किया जाता है।

क. अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें उनकी परिपूर्णता में अमान्य नहीं किया गया है

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री ऐसा लेनदेन है, जिनमें समूह गैर समर्पित विशेष इकाई को ऋण एवं अग्रिम बेचती है और साथ ही साथ उक्त इकाई द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों के अधिकांश भाग को खरीदती है। प्रतिभूति प्राप्तियां इकाई द्वारा खरीदे गए ऋणों द्वारा संपार्श्विकीकृत होती हैं और इसलिए प्रतिभूति प्राप्तियों का नकद प्रवाह खरीदे गए ऋणों की वसूली पर निर्भर करता है।

समूह ऋणों की सम्पूर्णता में ऋण के उस भाग को निरन्तर मान्यता देता है, जिसके संबंध में समूह द्वारा प्रतिभूति प्राप्तियों का अभिदान किया गया है क्योंकि यह अन्तरित ऋण के उस भाग के संदर्भ में स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं प्रतिफल को पूर्ण रूप में धारित रखता है। अन्तरित ऋण के भाग, जिसके लिए नकद प्रतिफल प्राप्त होता है, को अमान्य किया जाता है।

निम्नलिखित सारणी एक ऐसी अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्ति, जिसे पूरी तरह से अमान्य नहीं किया गया है, की वास्तविक राशि एवं उचित मूल्यों को और उससे जुड़ी देयताओं को दर्शाती है:

	रखरखाव राशि		उचित मूल्य		निवल स्थिति
	परिसम्पत्तियां- ऋण	देयताएं- उधार	परिसम्पत्तियां- ऋण	देयताएं- उधार	
परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों (एआरसीज) को एनपीए ऋणों की बिक्री					
31 मार्च, 2024 का	65.52	-	245.59	-	245.59
31 मार्च, 2023 को	61.30	-	217.40	-	217.40

ख. अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें पूरी तरह से अमान्य किया गया है।

परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री

कम्पनी ने अमान्य करने की छूट ली है और ऋणों को उनकी सम्पूर्णता में अमान्य करता है जिसके संबंध में समूह द्वारा प्रतिभूति प्राप्तियों में अभिदान किया गया है। समूह ने लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर बाद में मूल्यांकित प्रतिभूति प्राप्तियों में उक्त निवेश को वर्गीकृत किया है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने 186.54 करोड़ रु. (2022-23 में 89.77 करोड़ रु.) का उचित मूल्य लाभ/(हानि) को मान्य किया है। 31 मार्च 2024 को सुरक्षा प्राप्तियों पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) (-)40.59 करोड़ रु. है (31 मार्च 2023 - (-)2.43 करोड़ रु.)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

निम्नलिखित सारणी, उन परिसम्पत्तियों के ब्यौरों को दर्शाती है, जो पूरी तरह से अमान्य व अन्तर्गत की गई परिसम्पत्तियों के साथ कम्पनी को निरन्तर जुड़ाव को प्रदर्शित करती है।

	रखरखाव राशि	उचित मूल्य	
	परिसम्पत्तियां-प्रतिभूति प्राप्ति में निवेश	परिसम्पत्तियां-प्रतिभूति प्राप्ति में निवेश	देयताएं
परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों (एआरसीज) को एनपीए ऋणों की बिक्री			
31 मार्च, 2024 को	60.98	60.98	-
31 मार्च, 2023 को	118.60	118.60	-

एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्ति के रूप में इसकी निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता से हानि के कारण कम्पनी के अधिकतम जोखिम को दर्शाने वाली राशि उनकी रखरखाव राशि है।

52 वित्तीय प्रलेख - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन

क. श्रेणी के तहत वित्तीय प्रलेख

निम्नलिखित सारणी वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की रखरखाव राशि एवं उचित मूल्यों को दर्शाती है।

विवरण	31 मार्च, 2024 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसम्पत्तियां:			
नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	642.46
उपरोक्त से भिन्न बैंक शेष	-	-	2,649.36
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-
प्राप्य राशियां	-	-	103.64
ऋण	-	-	1,306.39
निवेश	1,112.85	545.96	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	41.72
	<u>1,112.85</u>	<u>545.96</u>	<u>4,743.56</u>
वित्तीय देयताएं:			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	13.94	-	-
ट्रेड देयताएं	-	-	53.49
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	4,371.74
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	-	-	334.25
अधीनस्थ देयताएं	-	-	744.67
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	3,188.92
	<u>13.94</u>	<u>-</u>	<u>8,693.07</u>

विवरण	31 मार्च, 2023 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसम्पत्तियां:			
नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	110.38
उपरोक्त से भिन्न बैंक शेष	-	-	1,891.89
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	14.83	-	-
प्राप्य राशियां	-	-	38.32
ऋण	-	-	1,799.19
निवेश	971.57	47.40	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	33.87
	<u>986.40</u>	<u>47.40</u>	<u>3,873.65</u>
वित्तीय देयताएं:			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-
ट्रेड देयताएं	-	-	62.26
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	4,590.31
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	-	-	443.09
अधीनस्थ देयताएं	-	-	774.67
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	2,349.99
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8,220.32</u>

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ख. मूल्यांकन ढांचा

संबंधित परिचालन विभाग वित्तीय सूचना के प्रयोजनार्थ तिमाही सूचना अवधि के लिए या तो बाहरी रूप से या फिर आन्तरिक रूप से अपेक्षित वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन संबंधी विशिष्ट नियंत्रणों में उल्लेखनीय मूल्यानिर्धारण का सत्यापन, महत्वपूर्ण उल्लेखनीय इनपुटों की पुनरीक्षा और मूल्यांकन समायोजन शामिल है। कम्पनी निम्नलिखित उचित मूल्य अनुक्रम का प्रयोग करते हुए उचित मूल्यों का मूल्यांकन करती है, जो मूल्यांकन करने में प्रयोग किए गए इनपुट्स के महत्व को दर्शाता है।

स्टेज 1: इनपुट, जो एक जैसी परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में बाजार मूल्यों (असमायोजित) को उद्धृत करता है।

स्टेज 2: वित्तीय प्रलेखों के उचित मूल्य, जिनकी सक्रिय बाजार में ट्रेडिंग नहीं की जाती, का निर्धारण ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करके किया जाता है, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप में उल्लेखनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करती हैं जैसे कि वित्तीय प्रलेखों की पर्याप्त पूर्ण अवधि के लिए सक्रिय बाजारों में एक जैसी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का उद्धृत मूल्य, परन्तु स्टेज-1 इनपुट के रूप में मान्य नहीं है। यदि उचित मूल्य हेतु अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण इनपुट, जिसमें प्रलेख महत्वपूर्ण हो, प्रलेख को स्टेज-2 में शामिल किया जाता है।

स्टेज 3: यदि एक अथवा एक से अधिक महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं होता है, तो प्रलेखों को स्टेज-3 में शामिल किया जाता है। अर्थात् स्टेज-3 इनपुट में उस जोखिम को वहन करने की दिशा में बाजार भागीदारों द्वारा अपेक्षित जोखिम और जोखिम प्रीमियम के बारे में बाजार भागीदारों के पूर्वानुमान शामिल हैं। यह परिस्थितियों में उपलब्ध उत्कृष्ट जानकारी के आधार पर स्टेज-3 इनपुट तैयार करता है।

मूल्यांकन तकनीकों का उद्देश्य उस उचित मूल्य मूल्यांकन को प्राप्त करना है, जो ऐसे मूल्य को दर्शाता है, जो परिसम्पत्ति के बेचने पर प्राप्त होगा, अथवा मूल्यांकन की तारीख को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित लेन-देन में देयता के अन्तरण हेतु अदा किया जाएगा।

तुलनपत्र में उचित मूल्य पर मूल्यांकित, वित्तीय प्रलेखों के साथ-साथ प्रयुक्त महत्वपूर्ण पर्यवेक्षित इनपुट्स के लिए स्टेज-2 और स्टेज-3 उचित मूल्यों के मूल्यांकन में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों को दर्शाया जाता है।

ग. उचित मूल्य अनुक्रम

यह भाग वित्तीय प्रलेखों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए आकलनों एवं अनुमानों को स्पष्ट करता है, जो इस प्रकार हैं:

(क) उचित मूल्य पर मान्य और मूल्यांकित तथा

(ख) परिशोधित लागत पर मूल्यांकित और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य का प्रकटन किया जाता है।

उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त इनपुटों की विश्वसनीयता के बारे में संकेतन प्रदान करने के लिए समूह ने अपने वित्तीय प्रलेखों का लेखांकन मानक के अधीन निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकरण किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण नीचे सारणी में दिया है।

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं-आवर्ती उचित मूल्य मूल्यांकन

31 मार्च, 2024 को	लेवल-1	लेवल-2	लेवल-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-	-
निवेश	791.08	170.59	697.14	1,658.81
	<u>791.08</u>	<u>170.59</u>	<u>697.14</u>	<u>1,658.81</u>

वित्तीय देयताएं:

डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	13.94	-	13.94
	<u>-</u>	<u>13.94</u>	<u>-</u>	<u>13.94</u>

परिसम्पत्तियां एवं देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है

31 मार्च, 2024 को	परिशोधित लागत	लेवल-1	लेवल-2	लेवल-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पत्तियां:					
ऋण	1,306.39	-	-	1,306.39	1,306.39
	<u>1,306.39</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,306.39</u>	<u>1,306.39</u>
वित्तीय देयताएं:					
ऋण प्रतिभूतियां	4,371.74	-	-	4,371.74	4,371.74
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	334.25	-	334.25	-	334.25
अधीनस्थ देयताएं	744.67	-	-	744.67	744.67
	<u>5,450.66</u>	<u>-</u>	<u>334.25</u>	<u>5,116.41</u>	<u>5,450.66</u>

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य मूल्यांकन

31 मार्च, 2023 को	लेवल-1	लेवल-2	लेवल-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	14.83	-	14.83
निवेश	192.73	228.31	597.93	1,018.97
	<u>192.73</u>	<u>243.14</u>	<u>597.93</u>	<u>1,033.80</u>
वित्तीय देयताएं:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिसम्पत्तियां एवं देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है

31 मार्च, 2023 को	परिशोधित लागत	लेवल-1	लेवल-2	लेवल-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पत्तियां:					
ऋण	1,799.19	-	-	1,799.19	1,799.19
निवेश	-	-	-	-	-
	<u>1,799.19</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,799.19</u>	<u>1,799.19</u>
वित्तीय देयताएं:					
ऋण प्रतिभूतियां	4,590.31	-	-	4,590.31	4,590.31
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	443.09	-	443.09	-	443.09
अधीनस्थ देयताएं	774.67	-	-	774.67	774.67
	<u>5,808.07</u>	<u>-</u>	<u>443.09</u>	<u>5,364.98</u>	<u>5,808.07</u>

रखरखाव मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय प्रलेख

तुलनपत्र पर कुछ वित्तीय प्रलेखों का वास्तविक मूल्य उनके उचित मूल्य पर अनुमानित होता है। इन वित्तीय प्रलेखों में हस्तगत नकदी, अन्य बैंकों में शेष ट्रेड से प्राप्य, ट्रेड देयताएं तथा कुछ अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताएं शामिल हैं। रखरखाव मूल्यों को इन वित्तीय प्रलेखों के संबंध में अनुमानित उचित मूल्यों हेतु स्वीकार किया गया था, क्योंकि वे अल्प अवधि स्वरूप के होते हैं और उनकी अभिलेखबद्ध राशियां अनुमानित उचित मूल्य की होती हैं अथवा मांग पर प्राप्य एवं देय होती हैं।

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय प्रलेख और परिशोधित लागत पर रखे गए वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य

स्वरूप	मूल्यांकन तकनीक	महत्वपूर्ण अप्रयुक्त इनपुट
अनुदूत इक्विटी प्रतिभूतियां	निवल परिसम्पत्ति मूल्य/कम्पनी तुलनीय पद्धति / छूट प्राप्त नकद प्रवाह	पूंजी की भारत औसत लागत/छूट दर
अधिमान शोयर	निवल परिसम्पत्ति मूल्य/कम्पनी तुलनीय पद्धति/ छूट प्राप्त नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, छूट दर
ऋण	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, छूट दर
ऋण प्रतिभूतियां	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, छूट दर
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, छूट दर
अधीनस्थ देयताएं	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, छूट दर

ii) लेवल-3 उचित मूल्य

लेवल-3 उचित मूल्यों का लेखामिलान

निम्नलिखित सारणी, लेवल-3 उचित मूल्यों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक लेखामिलान को दर्शाती है:

विवरण	लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर अधिमान शोयर	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शोयर	अन्य लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शोयर
01 अप्रैल 2023 को शेष	3.95	-	593.98
कुल लाभ अथवा हानियां:			
- लाभ अथवा हानि में	21.10	-	50.32
- ओसीआई में	-	-	-
खरीद	-	-	-
निपटान	-	-	27.79
लेवल - 3 में अन्तरित	-	-	-
31 मार्च, 2024 को शेष	<u>25.05</u>	<u>-</u>	<u>672.09</u>

उपरोक्त सारणी में वर्ष हेतु कुल लाभ अथवा हानियों को लाभ अथवा हानि और ओसीआई के विवरण में निम्नानुसार दर्शाया गया है:

विवरण	लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर अधिमान शोयर	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शोयर	अन्य लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शोयर
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां:			
- उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	21.10	-	50.32
ओसीआई में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां:			
- उचित मूल्य रिजर्व (इक्विटी प्रलेख) - उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	-	-	-
लाभ अथवा हानि-वर्ष के अंत में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित अवसूलीकृत लाभ एवं हानि में परिवर्तन			
- उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	21.10	-	22.53

(सभी राशियां करोड़ रुपये में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

विवरण	लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर अधिमान शेयर	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर
01 अप्रैल, 2022 को शेष	4.86	596.32
कुल लाभ अथवा हानियां:		
- लाभ अथवा हानि में	-	(106.70)
खरीद	-	-
निपटान	(0.91)	104.36
31 मार्च, 2023 को शेष	3.95	593.98

उपरोक्त सारणी में वर्ष हेतु कुल लाभ अथवा हानियों को लाभ अथवा हानि और ओसीआई के विवरण में निम्नानुसार दर्शाया गया है:

विवरण	लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर अधिमान शेयर	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां:		
- उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	-	(106.70)
लाभ अथवा हानि - वर्ष के अंत में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित अवसूलीकृत लाभ एवं हानि में परिवर्तन:		
- उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	0.91	(211.06)

53 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के क्रियाकलाप मुख्यतया मौजूदा प्रबंधन समिति के प्रबंधन हेतु क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के अधीन होते हैं। समिति का कार्य इन जोखिमों की पहचान करना, मॉनीटर करना, व्यवस्थित करना तथा इन जोखिमों में कमी लाना है। कम्पनी यह भी सुनिश्चित करती है कि यह आन्तरिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन करती है, विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करती है और पर्याप्त ऋण प्रलेखन का रखरखाव करती है।

अपने उधार क्रियाकलाप के संबंध में कम्पनी ने जोखिमों को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न सीमाएं और प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा नियमित अन्तराल पर तथा तदर्थ आधार पर विभिन्न रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये वरिष्ठ प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती है, जिससे जोखिम मॉनीटरिंग में मदद मिलती है। कम्पनी ने किसी उल्लंघन के मामले में जोखिमों को कम करने के लिए भी प्रक्रियाएं बनाई हैं।

क. जोखिम प्रबंधन ढांचा

जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना एवं निरीक्षण की पूरी जिम्मेदारी कम्पनी के निदेशक बोर्ड की है। निदेशक बोर्ड ने निदेशकों की जोखिम प्रबंधन एवं परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीडी) बनाई है, जो कम्पनी की एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीतियों को तैयार करने और मॉनीटर करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालकों की जोखिम एवं परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीडी) द्वारा निरीक्षण कार्य में आरएएलएमसीडी की सहायता की जाती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग जोखिम प्रबंधन नियंत्रणों एवं प्रक्रियाओं की नियमित पुनरीक्षा करता है, जिसके परिणामों की सूचना मासिक आधार पर आरएएलएमसीडी को दी जाती है।

ख. क्रेडिट जोखिम

ऋणों एवं अग्रिमों, नकद एवं नकद समकक्ष, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में जमा और किसी अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों से क्रेडिट जोखिम उत्पन्न होते हैं।

क्रेडिट जोखिम, समूह को वित्तीय हानि का जोखिम होता है, यदि कोई ग्राहक अथवा वित्तीय प्रलेखों का प्रतिपक्षकार संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहता है और ये मुख्यतया ग्राहकों को समूह के ऋणों एवं अग्रिमों से, व्यापार प्राप्यों से, ऋणों एवं ऋण प्रतिभूतियों में निवेशों से उत्पन्न होते हैं।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के क्रेडिट जोखिम की संभावना मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक/देनदार की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होती है। तथापि, प्रबंधन उन कारकों पर भी विचार करता है, जो इसके ग्राहक आधार के क्रेडिट जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें उद्योग से संबद्ध चूक जोखिम, व्यवसाय विशिष्ट जोखिम, प्रबंधन जोखिम, पारगमन विशिष्ट जोखिम और परियोजना से संबंधित जोखिम शामिल हैं।

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति को “क्रेडिट क्षति” माना जाता है, जब एक अथवा एक से अधिक घटनाक्रम घटित हो, जिनका वित्तीय परिसम्पत्ति के अनुमानित आगामी नकद प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो। साक्ष्य, जिसकी वित्तीय परिसम्पत्ति क्रेडिट क्षतिपूर्ण है, में निम्नलिखित उल्लेखनीय आंकड़े शामिल हैं:

- निर्गमकर्ता या ऋणी की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई
- संविदा का उल्लंघन, जैसे कि चूक
- आर्थिक एवं संविदात्मक कारणों के लिए ऋणी का कर्जदाता, ऋणी की वित्तीय कठिनाई के संबंध में ऋणी को रियायत प्रदान करने, जिस पर ऋणदाता अन्यथा विचार नहीं करेगा।
- यह संभव हो रहा है कि ऋणी दिवालिया होने वाला है या फिर अन्य वित्तीय पुनर्गठन करने वाला है।
- वित्तीय कठिनाईयों के कारण उस वित्तीय परिसम्पत्ति के सक्रिय बाजार का विलुप्त होना।
- भारी छूट पर वित्तीय परिसम्पत्ति की खरीद अथवा उद्भूत जो उपगत क्रेडिट हानि को दर्शाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति ने एक क्रेडिट नीति बनाई है, जिसके तहत समूह के मानक भुगतान से पहले प्रत्येक नये ग्राहक की साख के संबंध में व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करता है। और प्रदायगी शर्तों एवं निबंधनों के प्रस्ताव पेश करती है समूह की पुनरीक्षा में न्यूनतम अर्न्तित आन्तरिक रेटिंग, बाहरी रेटिंग, यदि वे उपलब्ध हो, पृष्ठभूमि सत्यापन, वित्तीय विवरण, आयकर विवरण, क्रेडिट एजेंसी सूचना, उद्योग सूचना आदि शामिल हैं। प्रत्येक ग्राहक के लिए क्रेडिट सीमा निर्धारित की गई है और समय-समय पर इसकी पुनरीक्षा की जाती है तथा जब भी आवश्यक हो, इसमें आशोधन किए जाते हैं। पारिभाषित सीमा से अधिक के किसी भी ऋण के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेना आवश्यक है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ख) चूक की संभावना (पीडी)

चूक की संभावना (पीडी) उस संभावना को दर्शाती है जिसमें ऋणी भविष्य में अपनी देयताओं में चूक करेगा। भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार ऋणी के स्टेज आबंटन के आधार पर 12 माह की अवधि एवं जीवनकालिक अवधि के लिए पृथक चूक संभावना का प्रयोग करना अपेक्षित है। भारतीय लेखांकन मानक 109 के लिए प्रयुक्त चूक संभावना में संस्थान के भावी राय को दर्शाना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए (अर्थात् इसमें कोई संरक्षणवाद अथवा आशावाद शामिल नहीं होना चाहिए)। संस्थान की चूक की ऐतिहासिक संभावना तक पहुँचने के लिए आईएफसीआई आन्तरिक कर्जदार की रेटिंग का उपयोग करते हुए पारगमन मैट्रिक एप्रोच का उपयोग करती है।

(ग) चूक की परिभाषा

चूक को भारतीय लेखांकन मानक में परिभाषित नहीं किया गया है। कोई भी संस्था चूक की ऐसी परिभाषा का प्रयोग करेगी जो उसके आन्तरिक क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों के अनुरूप हो और जिसे जब भी उपयुक्त हो गुणात्मक संकेतक माना जाए। यदि किसी ऋण को चूकग्रस्त माना जाता है और इसलिए उसे निम्नलिखित मामलों में ईसीएल परिकलनों के लिए स्टेज-3 (क्रेडिट क्षतिग्रस्त) माना जाएगा:

- ऋणी के आईएफसीआई आन्तरिक संयुक्त रेटिंग्स का सीआर-9 अथवा सीआर-10 तक ह्रास होना (मूल रेटिंग एवं वर्तमान रेटिंग के बीच तुलना की जाए)।
- आरबीआई के विवेकसम्मत मानदण्डों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जा रही परिसम्पत्ति पर।
- ऋण मूल्य में क्षति वाली परिसम्पत्तियों की पुनर्संरचना पर।
- 90 दिन से अधिक अवधि तक देय परिसम्पत्तियों पर

(घ) चूक पर जोखिम (ईएडी)

चूक पर जोखिम (ईएडी) वित्तीय प्रलेखों की सकल रखरखाव राशि को दर्शाता है जो क्षति परिकलन के अधीन है।

(ङ) चूक से हुई हानि (एलजीडी)

यह मानते हुए चूक होती है कि चूक से हुई हानि के लेन-देन से उत्पन्न हानि का अनुमान है। चूक से हुई हानि का एलजीडी संघटक परिसम्पत्ति गुणवत्ता में कमी के मुक्त विरूपण है और इस प्रकार विभिन्न स्टेजों के संबंध में यह एक समान रूप में लागू होता है। ऋण पोर्टफोलियों के संबंध में एनपीए खातों, जो पिछले 7 वर्षों में उत्पन्न हुए हैं, और जिन्हें 5 वर्ष से अधिक अवधि वाले एनपीए खातों के साथ बंद कर दिया गया है, (बन्द रूप में स्वीकृत), को चूक से हुई हानि के परिकलन के लिए ध्यान में रखा गया है।

(च) क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि

प्रत्येक सूचना तारीख को कम्पनी यह पता लगाएगी कि किसी वित्तीय प्रलेख पर क्रेडिट जोखिम में आरंभिक मान्यता से महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। यह निर्धारण करते समय कम्पनी प्रत्याशित क्रेडिट क्षति की राशि में परिवर्तन की बजाय वित्तीय प्रलेख की अनुमानित अवधि पर हुई चूक के जोखिम में परिवर्तन का प्रयोग करेगी। यह निर्धारण करने के लिए कम्पनी सूचना तारीख को वित्तीय प्रलेख पर उत्पन्न चूक के जोखिम की तुलना आरंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय प्रलेख पर उत्पन्न चूक के जोखिम से करेगी और उचित एवं समर्थनीय सूचना को ध्यान में रखेगी, जो अनुचित लागत अथवा प्रयास के बिना उपलब्ध है, जो आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि का द्योतक है। चूंकि वित्तीय प्रलेख को सूचना की तारीख पर ऋण जोखिम कम निर्धारित किया जाना है, अतः कम्पनी यह मान लेती है कि वित्तीय प्रलेख पर क्रेडिट जोखिम में आरंभिक मान्यता से विशेष तौर पर वृद्धि नहीं हुई है।

ऋणों एवं अग्रिमों के लिए एसआईसीआर के निर्धारण हेतु निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखा गया है:

- ऋणियों के आईएफसीआई आन्तरिक संयुक्त रेटिंगों का 3 रेटिंग ग्रेडों तक कम हो जाना (मूल रेटिंग एवं चालू रेटिंग के बीच तुलना की जाए)।
- ऋणियों की रेटिंग का निवेश ग्रेड से कम होना उप-निवेश ग्रेड में आ जाना;
- ऋण मूल्य में क्षति के बगैर परिसम्पत्तियों की पुनर्संरचना पर।
- 60 दिन से अधिक अतिदेय परिसम्पत्तियों पर।

(छ) अनुमानित क्रेडिट हानियाँ हेतु प्रावधान

निम्नलिखित सारणी स्टेज-1, 2 और 3 में ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिमों, ऋण प्रतिबद्धताओं, वित्तीय गारण्टियों, व्यापार प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों की अतिदेय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

31 मार्च, 2024 को					
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 7-8 : उच्च जोखिम	-	85.75	-	-	85.75
ग्रेड 9-10 : हानि	-	-	3,296.26	-	3,296.26
	-	85.75	3,296.26	-	3,382.01
हानि भत्ता	-	(17.84)	(2,554.25)	-	(2,572.09)
वास्तविक मूल्य	-	67.91	742.01	-	809.92
31 मार्च, 2024 को					
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम					
रेटिंग - 1 से 6	15.00	-	-	-	15.00
रेटिंग - 7 से 8	-	-	-	-	-
रेटिंग - 9 से 10	-	-	1,399.72	-	1,399.72
	15.00	-	1,399.72	-	1,414.72
हानि भत्ता	(0.15)	-	(1,002.20)	-	(1,002.35)
वास्तविक मूल्य	14.85	-	397.52	-	412.37

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिशोधित लागत पर ट्रेड प्राप्य

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	76.68	(0.00)	76.68
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	14.53	0.77	15.30
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	10.61	0.56	11.17
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	1.82	0.10	1.92
3 वर्ष से अधिक	0.00	2.16	2.16
	103.64	3.59	107.23
हानि भत्ता	-	(3.59)	(3.59)
वास्तविक मूल्य	103.64	-	103.64

परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	39.21	-	39.21
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	0.22	-	0.22
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	0.03	-	0.03
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	2.25	-	2.25
3 वर्ष से अधिक	-	69.72	69.72
	41.72	69.72	111.44
हानि भत्ता	-	(69.72)	(69.72)
वास्तविक मूल्य	41.72	-	41.72

एफवीटीओसीआई में ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	जोड़
बीबीबी- से एएए	561.71	-	-	561.71
बीबी- से बीबी+	-	-	-	-
बी- से बी+	-	-	-	-
सी से सीसीसी+	-	-	-	-
डी	-	-	-	-
	561.71	-	-	561.71
हानि भत्ता	-	-	-	-
परिशोधित लागत	561.71	-	-	561.71
उचित मूल्य	570.54	-	-	570.54

31 मार्च, 2024 को					
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं – ग्रीनफील्ड					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	5.71	-	-	-	5.71
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 9-10 : हानि	-	-	-	-	-
	5.71	-	-	-	5.71
हानि भत्ता	(0.15)	-	-	-	(0.15)
वास्तविक मूल्य	5.56	-	-	-	5.56
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं – अन्य					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 9-10 : हानि	45.81	-	-	-	45.81
	45.81	-	-	-	45.81
हानि भत्ता	(32.80)	-	-	-	(32.80)
वास्तविक मूल्य	13.01	-	-	-	13.01

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

31 मार्च, 2023 को					
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
<u>परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम</u>					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	79.36	-	-	-	79.36
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	-	100.46	-	-	100.46
ग्रेड 9-10 : हानि	-	-	4,490.79	-	4,490.79
	79.36	100.46	4,490.79	-	4,670.61
हानि भत्ता	(2.65)	(17.23)	(3,488.22)	-	(3,508.10)
वास्तविक मूल्य	76.71	83.23	1,002.57	-	1,162.51

31 मार्च, 2023 को					
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
<u>परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम - ग्रीनफील्ड</u>					
रेटिंग - 1 से 6	209.32	-	-	-	209.32
रेटिंग - 7 से 8	-	-	-	-	-
रेटिंग - 9 से 10	-	-	1,561.74	-	1,561.74
	209.32	-	1,561.74	-	1,771.06
हानि भत्ता	(11.92)	-	(1,122.34)	-	(1,134.26)
वास्तविक मूल्य	197.40	-	439.40	-	636.80

परिशोधित लागत पर ट्रेड प्राप्य

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	30.81	-	30.81
6 माह से अधिक 1 वर्ष से कम	4.07	0.20	4.27
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	2.41	0.12	2.53
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	1.03	0.05	1.08
3 वर्ष से अधिक	-	1.50	1.50
	38.32	1.87	40.19
हानि भत्ता	-	(1.87)	(1.87)
वास्तविक मूल्य	38.32	-	38.32

परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	33.15	-	33.15
6 माह से अधिक 1 वर्ष से कम	0.67	-	0.67
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	0.01	-	0.01
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	0.04	0.04	0.08
3 वर्ष से अधिक	-	70.33	70.33
	(33.87)	70.37	104.24
हानि भत्ता	-	(70.37)	(70.37)
वास्तविक मूल्य	33.87	-	33.87

एफवीटीओसीआई पर ऋण प्रतिभूतियां में निवेश

	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	जोड़
बीबीबी- से एएए	23.59	-	-	23.59
बीबी- से बीबी+	-	-	-	-
बी- से बी+	-	-	-	-
सी से सीसीसी+	-	-	-	-
डी	-	-	0.00	-
	23.59	-	-	23.59
हानि भत्ता	(0.02)	-	-	(0.02)
परिशोधित लागत	23.57	-	-	23.57
उचित मूल्य	20.68	-	-	20.68

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2023 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं - ग्रीनफील्ड					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	5.71	-	-	-	5.71
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	7.57	-	-	-	7.57
ग्रेड 9-10 : हानि	-	-	-	-	-
	13.28	-	-	-	13.28
हानि भत्ता	(0.59)	-	-	-	(0.59)
रखरखाव मूल्य	12.69	-	-	-	12.69
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं - अन्य					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 9-10 : हानि	45.81	-	-	-	45.81
	45.81	-	-	-	45.81
हानि भत्ता	(32.89)	-	-	-	(32.89)
रखरखाव मूल्य	12.92	-	-	-	12.92

(झ) ऋणों, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में क्षति में उतार-चढ़ाव वित्त संबंधी परिसम्पत्तियों, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में क्षति के लिए भत्ते में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार है:

परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम

हानि भत्ते का लेखामिलान	जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता			जोड़
	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति नहीं	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति हुई	
31 मार्च, 2022 को हानि भत्ता	35.44	39.36	3,722.47	3,797.26
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	(9.79)	(9.79)
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल मूल्यांकन	0.98	(6.41)	199.65	194.22
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(0.30)	(15.70)	(172.39)	(188.39)
बट्टे खाते डाले गए	-	-	(251.70)	(251.70)
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को हानि भत्ता	36.12	17.25	3,488.24	3,541.60
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(36.12)	0.59	(199.43)	(234.96)
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	(522.84)	(522.84)
बट्टे खाते डालना	-	-	(211.72)	(211.72)
छूट को हटाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को हानि भत्ता	(0.00)	17.84	2,554.25	2,572.08

परिशोधित लागत पर मापे गए ऋणों और अग्रिमों पर बकाया संविदात्मक राशि जो 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए थे और अभी भी प्रवर्तन गतिविधि के अधीन है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम - ग्रीनफील्ड

हानि भत्ते का लेखाभिलान	जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता			जोड़
	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति नहीं	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति हुई	
31 मार्च 2022 को हानि भत्ता	1.80	70.55	1,119.87	1,192.22
स्टेज-1 में अन्तरण	10.92	(70.55)	-	(59.63)
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(0.78)	0.00	13.52	12.74
उद्भूत अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	(11.05)	(11.05)
बट्टे खाते डालना	-	-	-	-
छूट को हटाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च 2023 को हानि भत्ता	11.94	(0.00)	1,122.34	1,134.28
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(11.79)	-	(120.14)	(131.93)
उद्भूत अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	-	-
बट्टे खाते डालना	-	-	-	-
छूट को हटाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को हानि भत्ता	0.15	(0.00)	1,002.20	1,002.35

एफवीटीओसीआई पर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

हानि भत्ते का लेखाभिलान	जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता			जोड़
	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति नहीं	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति हुई	
31 मार्च, 2022 को हानि भत्ता	0.10	-	0.01	0.11
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(0.03)	-	-	(0.03)
उद्भूत अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	-	-
बट्टे खाते डालना	-	-	-	-
छूट को हटाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को हानि भत्ता	0.07	-	0.01	0.08
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(0.07)	-	(0.01)	(0.08)
उद्भूत अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	-	-
बट्टे खाते डालना	-	-	-	-
छूट को हटाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को हानि भत्ता	(0.00)	-	(0.00)	(0.00)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ब) धारित संपाश्विक एवं अन्य क्रेडिट संवर्धन

संपाश्विक प्रतिभूति प्रत्येक व्यक्तिगत ऋण के लिए ली गई संपाश्विक प्रतिभूति, ऋण के मूल्य के संबंध में पर्याप्त नहीं हो सकता। सभी ऋणियों को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऋण प्रतिभूत है, कम्पनी की आन्तरिक क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए। उपर बताए गए संपाश्विक प्रतिभूति के अतिरिक्त, कम्पनी अन्य प्रकार के संपाश्विक भी धारित करती है कि जैसे कि द्वितीय प्रभार और प्लवमान प्रभार, जिसके लिए विशेष मूल्य सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते। कम्पनी में विनिर्दिष्ट श्रेणी के संपाश्विक स्वीकार करने और क्रेडिट जोखिम कम करने की आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के मुख्य संपाश्विक के प्रकार निम्नानुसार हैं।

1. अचल सम्पत्तियों का बंधक
2. चल सम्पत्ति का आडमान
3. बैंक और सरकारी गारंटियां
4. प्रलेखों को गिरवी रखना, जिनकी मार्फत प्रवर्तक का अंशदान परियोजना में दिया गया है।
5. प्रवर्तक शेयरधारिता को गिरवी रखना
6. प्रवर्तकों की निगमित और व्यक्तिगत गारंटियां

(ट) जोखिम संकेन्द्रण

कम्पनी सेक्टर द्वारा और भौगोलिक अवस्थिति द्वारा क्रेडिट जोखिम के संकेन्द्रण को मॉनीटर करती है। ऋणों एवं अग्रिमों से ऋण जोखिम के संकेन्द्रण का विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है।

ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वास्तविक राशि		
सेक्टर द्वारा संकेन्द्रण		
निगमित:		
निर्माण उद्योग	115.14	66.96
विशाखन	382.75	749.54
विशाखित अवसंरचना	415.64	571.99
लौहा व इस्पात	170.45	179.05
विविध विनिर्माण एवं अन्य उद्योग	95.81	219.85
विविध खाद्य उत्पाद	178.10	229.93
विविध सेवाएं	234.90	341.27
मोटर वाहन एवं उसके भाग	123.92	124.13
एनबीएफसी	0.01	168.73
अन्य	1349.54	985.76
विद्युत उत्पादन	1012.81	1,263.15
रीयल इस्टेट	291.04	364.45
सड़क निर्माण	375.92	759.17
जहाज निर्माण एवं मरम्मत कार्य	22.81	51.25
स्टील के उत्पाद	3.63	126.80
कपड़ा उत्पाद	2.13	20.52
जोड़	4,775	6,223

स्थान के तहत संकेन्द्रण

भारत	4,775	6,223
------	-------	-------

ऋणों और अग्रिमों के लिए स्थान द्वारा संकेन्द्रण ग्राहक के अधिवास देश पर आधारित है।

*ऋण राशि में प्रोद्भूत, परन्तु देय नहीं ब्याज और स्टेज-3 आय शामिल नहीं है।

(ठ) आशोधित/पुनर्संचित ऋण

जब कम्पनी अमहत्वपूर्ण समय अवधि से भिन्न अवधि के लिए ऋणी की वित्तीय कठिनाइयों के संबंध में आर्थिक एवं कानूनी कारणों से रियायत प्रदान करती है, तो संबंधित ऋण को कठिनाईग्रस्त पुनर्संचित ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। रियायतों में ब्याज दर में कटौती जो चालू बाजार दर से कम हो, भुगतान की अवधि को बढ़ाना, मूलधन माफ करना, अधिकतम वसूली हेतु संयम या सोच समझ कर अन्य कार्रवाई करना शामिल है। ऋणों, जिसके लिए शर्तों को आशोधित किया गया है और जिसके लिए ऋणी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है, को टीडीआर माना गया है।

जोखिम प्रबन्धन की दृष्टि से यदि किसी परिसम्पत्ति को एक बार रोक लेने या आशोधित करने पर कम्पनी का विशेष विभाग दबावग्रस्त परिसम्पत्ति का तब तक निरन्तर अनुवर्तन करता है जब तक यह पूर्णतः या अन्ततः अमान्य नहीं हो जाती।

यदि मौजूदा करार को रद्द किया जाता है और नया करार पूरी तरह से भिन्न शर्तों के साथ निष्पादित किया जाता है या यदि मौजूदा करार की शर्तों को इस तरह आशोधित किया जाता है कि पुनः परक्रमित ऋण पूरी तरह से एक अलग प्रलेख बन जाता है तो ऋण, जिस पर पुनः बातचीत की गई हो, को अमान्य कर दिया जाता है।

जहां पुनः बातचीत करने पर ऐसे ऋण अमान्य नहीं होते तो वहां क्षति को प्रारंभिक मूल क्रेडिट जोखिम दर की तुलना में जोखिम दर में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए निरन्तर निर्धारित किया जाता है।

इसमें वे आशोधित परिसम्पत्तियां, जिन्हें उस अवधि में रोक दिया गया था, नहीं थी और तदनुसार कम्पनी को कोई हानि नहीं हुई थी।

(ड) शासन प्रणाली ढांचा

भारतीय रिजर्व बैंक की 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.संख्या 109/22.10.106/2019-20 की अपेक्षा के अनुसार जहां मौजूदा भारिबैक मानदण्डों के अनुसार प्रावधान भारतीय लेखांकन मानकों के अधीन यथापरिकलित ईसीएल से अधिक होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार पोर्टफोलियो के आधार पर प्रावधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारिबैक के मार्गनिर्देशों के अनुसार जहां भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन क्षति भत्ता आईआरएसीपी (मानक

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के अधीन अपेक्षित प्रावधान से कम होती है तो इसकी अन्तराल राशि को कर-पश्चात् निवल लाभ या हानि से एक अलग 'क्षति रिजर्व' में समायोजित किया जाएगा।

ग. नकदी जोखिम

संस्थान की देयताओं, जब भी वे देय होती हैं, को पूरा करने में असमर्थता की संभावना होने पर नकदी जोखिम होता है। समूह के परिप्रेक्ष्य से, यह मूल रूप से परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के परिपक्वता पैटर्न में असमानता से उत्पन्न होता है। नकदी जोखिम के विश्लेषण में संस्थान की सतत् आधार पर सिर्फ नकदी स्थिति का मूल्यांकन करना शामिल नहीं होता बल्कि इस बात की जांच करना भी है कि विलग परन्तु मुश्किल दौर में निधियन अपेक्षाएं कैसे प्रभावित हो सकती हैं। निवल निधिकरण अपेक्षाओं को परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के आगामी स्वरूप के पूर्वानुमानों के आधार पर संस्थान के भावी नकदी उपलब्धता का विश्लेषण करके निर्धारित किया जाता है, जिन्हें परिपक्वता लैडर सुविधा का उपयोग करके विनिर्दिष्ट समय अवधि में वर्गीकृत किया जाता है और तब नकदी निर्धारण हेतु समय सीमा में संचयी निवल उपलब्धता को परिकलित किया जाता है।

वर्तमान में, निवल निधिकरण अपेक्षाओं के मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु, परिपक्वता लैडर तथा चुनिंदा परिपक्वता तारीखों को निधियों के संचयी अधिशेष या घाटे के परिकलन के प्रयोग को मानक टूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

इस संबंध में आरबीआई द्वारा निर्धारित एएलएम प्रपत्र को अलग-अलग समय अवधियों में नकदी प्रवाह असमानता के मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जा रहा है। नकदी उपलब्धता को परिसम्पत्तियों, देयताओं एवं ऑफ बैलेंस शीट मदों के प्रक्षेपित आगामी स्वभाव के आधार पर अलग-अलग समय अवधियों में रखा जाता है। उपरोक्त नकदी उपलब्धता के अलावा, संस्थान ऋणों की समय पूर्व अदायगियों, देयताओं को समय से पहले समाप्त करना और कुछेक प्रलेखों में दिए गए विकल्पों के प्रयोग के प्रभाव का भी पता लगाया, जो निर्दिष्ट समय अवधि के बाद पुट/काल विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार नकदी, बहिर्प्रवाह को उस तारीख में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिस तारीख को देयताएं देय होती हैं, देनदार पहले की तारीख को जल्दी समय पूर्व अदायगी करने के विकल्प का प्रयोग कर सकता है अथवा आरंभिक तारीख की आकस्मिकताओं को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है।

इसके अलावा, कम्पनी निम्नलिखित प्रकार के क्रेडिट श्रृंखलाओं का रखरखाव करती है:

आईडीबीआई बैंक: 110 करोड़ रु. जो प्रति वर्ष 7.66% आरओआई के साथ एफडी पर सुरक्षित है-

एचडीएफसी बैंक: 16 करोड़ रु. जो महीने के आरओआई एमसीएलआर के साथ एमएफ के प्रति प्रतिभूत है।

नकदी जोखिम हेतु प्रकटन

सूचना की तारीख को वित्तीय देयताओं की शेष संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नलिखित हैं। ये राशियां सकल हैं एवं छूट प्राप्त नहीं हैं तथा इनमें संविदात्मक ब्याज भुगतान शामिल हैं और इनमें नेटिंग करारों का प्रभाव शामिल नहीं है।

31 मार्च, 2024 को		संविदात्मक नकद प्रवाह								
	वास्तविक राशि	सकल नाममात्र अन्तर्प्रवाह/ (बहिर्प्रवाह)	1 दिन से 30 दिन	1-2 माह	2-3 माह	3-6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
नॉन-डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं										
उधार	334.25	334.25	-	-	15.89	-	15.89	63.57	60.13	178.78
जारी ऋण प्रतिभूतियां	4,371.74	4,371.36	-	-	-	-	1,373.35	298.42	481.62	2,217.97
अधीनस्थ देयताएं	744.67	744.67	-	-	-	-	-	694.67	-	50.00
डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं										
ट्रेडिंग										
- बहिर्प्रवाह										
- अन्तर्प्रवाह										
जोखिम प्रबंधन:										
- बहिर्प्रवाह	13.94	13.94	13.94							
- अन्तर्प्रवाह	-	-	-							
नॉन-डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पत्तियां										
ऋण एवं अग्रिम	1,306.39	4,808.81	2.50	3.75	1.67	4.57	12.10	32.97	30.87	4,720.37
निवेश प्रतिभूतियां	1,658.81	3,935.80	864.88	33.85	29.04	0.62	0.62	3.72	29.65	2,973.42
31 मार्च, 2023 को										
	वास्तविक राशि	सकल नाममात्र अन्तर्प्रवाह/ (बहिर्प्रवाह)	1 दिन से 30 दिन	1-2 माह	2-3 माह	3-6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
नॉन-डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं										
उधार	443.09	439.26	-	25.00	15.81	25.00	40.81	63.26	61.55	207.83
जारी ऋण प्रतिभूतियां	4,590.31	4,051.33	-	-	-	-	250.23	936.09	900.09	1,964.93
अधीनस्थ देयताएं	774.67	1,313.30	-	-	-	-	-	662.27	-	651.04
डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं										
ट्रेडिंग										
- बहिर्प्रवाह										
- अन्तर्प्रवाह										
जोखिम प्रबंधन:										
- बहिर्प्रवाह										
- अन्तर्प्रवाह	14.83	14.83	14.83							
नॉन-डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पत्तियां										
ऋण एवं अग्रिम	1,799.19	6,223.16	2.54	3.54	17.78	14.91	25.08	90.34	63.43	6,005.54
निवेश प्रतिभूतियां	1,018.97	3,652.77	358.58	-	39.24	0.62	0.62	2.48	6.86	3,244.37

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

संविदात्मक नकद-प्रवाह	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां		
- 12 माह के भीतर	15.64	4.38
- 12 माह के बाद	26.08	29.49
सकल नाममात्र अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह)	41.72	33.87
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां		
- 12 माह के भीतर	2,172.38	1,223.90
- 12 माह के बाद	1,016.54	1,126.09
सकल नाममात्र अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह)	(3,188.92)	(2,349.99)

उपरोक्त सारणी में व्यक्त अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों हेतु धारित डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं से संबंधित संविदात्मक अछूटप्राप्त नकदी उपलब्धता को दर्शाता है और जिन्हें सामान्य तौर पर संविदा की अवधि पूरी होने से पहले समाप्त नहीं किया जाता है। प्रकटन उन डेरिवेटिव्स जिनके लिए निवल नकद निपटान हो चुका है, की निवल नकद प्रवाह राशियों को दर्शाता है और उन डेरिवेटिव्स को दर्शाता है जिनका समानान्तर सकल निपटान हो चुका है, के सकल नकद अन्तर्प्रवाह एवं बहिर्प्रवाह की राशियों को भी दर्शाता है।

उपरोक्त सारणी में परिवर्तनीय ब्याज दर ऋणों पर ब्याज भुगतान को सूचना की तारीख को बाजार अग्रगामी ब्याज दरों को दर्शाया गया है और इन राशियों को बाजार ब्याज दर परिवर्तन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आकस्मिक प्रतिफल एवं डेरिवेटिव प्रलेखों पर आगामी नकदी प्रवाह उपरोक्त सारणी में ब्याज दरों और विनियम दरों अथवा आकस्मिक परिवर्तन से अन्तर्निहित उपयुक्त स्थितियों से भिन्न हो सकती है। इन वित्तीय देयताओं के अलावा, यह अपेक्षित नहीं है कि परिपक्वता विश्लेषण में शामिल नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से पहले उत्पन्न हो सकता है, अथवा एकदम भिन्न राशियों में व्यक्त हो सकता है।

निम्न सारणी कम्पनी की आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धता की परिपक्वताओं के द्वारा संविदात्मक समापन को दर्शाती है। प्रत्येक अनाहरित ऋण प्रतिबद्धता को प्रारंभिक तारीख वाले समय अवधि में शामिल किया गया है, इसे निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है।

	मांग पर	1 दिन से 30 दिन	1-2 माह	2-3 माह	3-6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	जोड़
31 मार्च, 2024 को										
उधार देने हेतु अन्य अनाहरित प्रतिबद्धताएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को										
उधार देने हेतु अन्य अनाहरित प्रतिबद्धताएं	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	15.14

(घ) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें, वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य अथवा भावी नकदी प्रवाह बाजार परिवर्तनों जैसे कि ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा दरों तथा इक्विटी मूल्यों में परिवर्तन के कारण कम-ज्यादा होगा। विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, कम्पनी बाजार जोखिम के प्रकटनों को या तो वर्तमान या फिर दीर्घ अवधि पोर्टफोलियो में वर्गीकृत करती है और इनमें से प्रत्येक पोर्टफोलियो को अलग-अलग रूप से व्यवस्थित करती है।

आईएफसीआई में बाजार जोखिम प्रबंधन ढांचे में जोखिम की पहचान, सीमाओं एवं ट्रिगर्स की स्थापना, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम मॉनीटरिंग, जोखिम रिपोर्टिंग तथा जहां अत्यावश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है। इस बात को उजागर करना सुसंगत है कि आरंभिक निवेश ग्रेड रेटिंग, निवेश सीमाएं, मंजूरी प्राधिकार, स्टॉप-लॉस ट्रीगर्स सहित नियंत्रण प्रणाली, इक्विटी व्यापार सहित विभिन्न खजाना उत्पादों हेतु अपेक्षित अनुपालन आदि जैसे व्यौरों को आईएफसीआई की वर्तमान खजाना एवं निवेश नीति में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

(क) बाजार-जोखिम - ट्रेडिंग पोर्टफोलियो

कम्पनी का कोई ट्रेडिंग पोर्टफोलियो नहीं है।

(ख) बाजार जोखिम - नॉन-ट्रेडिंग पोर्टफोलियो

(i) मुद्रा जोखिम

कि मुद्राओं, जिसमें उधार मुख्यतया मूल्यवर्गित होते हैं और समूह की संबंधित कार्यात्मक मुद्राओं के बीच असमानता के कारण समूह को काफी हद तक मुद्रा जोखिम की संभावना होती है समूह की मुख्य कार्यात्मक मुद्रा रुपए है। मुद्रा, जिसमें ये लेनदेन मुख्य रूप से मुल्यवर्गित होते हैं, वह यूरो है।

मुद्रा जोखिम, जो समूह के यूरो बैंक ऋणों की मूल धन राशियों से संबंधित है, को प्रणामी संविदाओं का उपयोग करते हुए पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया है जो उसी तारीख में परिपक्व होते हैं, जिस तारीख को वे ऋण चुकौती के लिए देय होते हैं।

सामान्य तौर पर, उधार मुद्राओं में मूल्यवर्गित होते हैं, जो समूह के अन्तर्निहित परिचालनों - मुख्यतया रुपए द्वारा सृजित नकदी उपलब्धता से मेल खाते हैं। इसके अलावा, उधारों पर ब्याज उधारों की मुद्राओं में मूल्यवर्गित होता है। यह डेरिवेटिवों को निष्पादित किए बिना आर्थिक प्रतिरक्षा उपलब्ध कराता है और इसलिए, इन परिस्थितियों में प्रतिरक्षी लेखांकन को लागू नहीं किया जाता है।

विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित अन्य मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संबंध में, समूह की नीति यह सुनिश्चित करती है कि इसके निवल जोखिमों को अल्पकालिक असंतुलनों को दूर करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओं को खरीद अथवा बेच कर स्वीकार्य स्तर पर रखा जाए।

मुद्रा जोखिम हेतु प्रकटन

मुद्रा जोखिम हेतु कम्पनी का प्रकटन, जैसा कि प्रबंधन को सूचना दी गई है, के संक्षिप्त मात्रात्मक आंकड़े निम्नानुसार हैं:

विवरण	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
	भारतीय रुपए	यूरो	भारतीय रुपए	यूरो
उधार	334.25	3.72	364.25	4.07
मान्य परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संबंध में निवल प्रकटन	334.25	3.72	364.25	4.07

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

संवेदी विश्लेषण

31 मार्च को सभी मुद्राओं के मद्दे रूपए एवं यूरो का उचित रूप से संभावित सुदृढीकरण (दुर्बलीकरण) विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय प्रलेखों के मूल्यांकन को प्रभावित करेगा और नीचे दर्शाई गई राशियों के तहत इक्विटी एवं लाभ अथवा हानि को प्रभावित करेगा। इस विश्लेषण में यह माना जाता है कि अन्य सभी परिवर्तनों, विशेषतः ब्याज दरें, स्थिर रहती हैं और पूर्वानुमान बिक्री एवं खरीद के किसी प्रभाव को अनदेखा करता है।

	लाभ अथवा हानि		कर घटाकर इक्विटी	
	सुदृढीकरण	दुर्बलीकरण	सुदृढीकरण	दुर्बलीकरण
31 मार्च, 2024				
यूरो (10% उतार-चढ़ाव)	33.43	(33.43)	21.75	(21.75)
31 मार्च, 2023				
यूरो (10% उतार-चढ़ाव)	36.43	(37.28)	23.70	(24.25)

(ii) बाजार दर जोखिम

कम्पनी बाजार दर जोखिम को कम करने के लिए प्लवमान दर देयताओं एवं प्लवमान दर परिसम्पत्तियों के अन्तराल को कम करने का प्रयास करता है। इसे प्लवमान दर पर उधार लेने देने से कम्पनी की प्रमुख उधार दर से जुड़ी दरों पर उधार देने से है, जिसे बाद में अन्यो के बीच इसकी उधारों की लागत से जोड़ा जाता है। इसके अलावा, ब्याज की बाजार दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण समूह की निवल ब्याज आय तथा कम्पनी की इक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव को समझने के लिए आवधिक आधार पर किया जाता है। वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, ब्याज दर संवेदी विवरण को मासिक आधार पर तैयार किया जाता है और विभिन्न समयावधि समूहों में अन्तराल को समझने के लिए इसका विश्लेषण किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम का प्रकटन

कम्पनी के ब्याज दर वाले वित्तीय प्रलेखों की ब्याज दर प्रोफाइल, जैसा कि प्रबंधन को सूचित किया गया है, निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
स्थिर दर प्रलेख		
वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-
वित्तीय देयताएं	5,116.41	5,364.98
परिवर्तनीय दर प्रलेख		
वित्तीय परिसम्पत्तियां	1,306.39	1,799.19
वित्तीय देयताएं	334.25	443.09

स्थिर दर प्रलेखों हेतु उचित मूल्य संवेदी विश्लेषण

सूचना की तारीख को ब्याज दर में 100 आधार बिन्दुओं के उचित रूप से संभाव्य परिवर्तन का लाभ एवं हानि विवरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सूचना की तारीख को उचित मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा। यह विश्लेषण यह मानता है कि अन्य सभी परिवर्तन विशेषतः विदेशी मुद्रा विनियम दरें निरन्तर स्थिर बनी रहेंगी।

परिवर्तनीय दर प्रलेखों हेतु नकदी प्रवाह संवेदी विश्लेषण

सूचना की तारीख को ब्याज दर में 100 आधार बिन्दुओं के उचित रूप से संभाव्य परिवर्तन से नीचे दर्शाई गई राशियों तक इक्विटी और लाभ या हानि में वृद्धि अथवा कमी होगी। इस विश्लेषण में यह माना जाता है कि अन्य सभी परिवर्तन, विशेषतः विदेशी मुद्रा विनियम दरें निरन्तर स्थिर बनी रहेंगी।

	लाभ अथवा हानि		कर घटा कर इक्विटी	
	100 आधार बिन्दु वृद्धि	100 आधार बिन्दु कमी	100 आधार बिन्दु वृद्धि	100 आधार बिन्दु कमी
31 मार्च, 2024				
परिवर्तनीय दर प्रलेख	3.34	(3.34)	2.17	(2.17)
नकदी प्रवाह संवेदी (निवल)				
31 मार्च, 2023				
परिवर्तनीय दर प्रलेख	4.43	(4.43)	2.88	(2.88)
नकदी प्रवाह संवेदी (निवल)				

(iii) इक्विटी मूल्य जोखिम

इक्विटी मूल्य जोखिम वह जोखिम है जिसमें, इक्विटियों का उचित मूल्य इक्विटी सूचकांकों के स्तर में और व्यक्तिगत स्टॉकों के बाजार मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कमी आती है। गैर-ट्रेडिंग इक्विटी मूल्य जोखिम प्रकटन उचित मूल्य पर वर्गीकृत इक्विटी प्रतिभूतियों से उत्पन्न होता है। इक्विटी मूल्य जोखिम कारोबार के प्रयोजन से रखी गई प्रतिभूतियों पर अधिक प्रयोज्य होता है। चूंकि कम्पनी दीर्घ अवधि निवेशों पर बल देती है और वर्तमान निवेशों को (ट्रेडिंग प्रयोजनों हेतु धारित निवेश) निम्न स्तर रखा जाता है अतः आईएफसीआई में महत्वपूर्ण इक्विटी मूल्य जोखिम की संभावना नहीं हो सकती।

54. पूंजी प्रबंधन

पूंजी पर्याप्तता ढांचे का मूल दृष्टिकोण यह है कि किसी वित्तीय संस्थान के पास अपने कारोबार में जोखिमों से उत्पन्न किसी अप्रत्याशित हानियों के कारण हुए आघातों को सहने के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आईएफसीआई सरकारी स्वामित्व वाली एक एनबीएफसी-एनडी-एसआई है, जिसे जोखिम भारित परिसम्पत्ति अनुपात हेतु न्यूनतम पूंजी का रखरखाव करना आवश्यक है। पूंजी प्रबंधन मौजूदा विनियामक पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कम पूंजी के इष्टतम उपयोग को अनिवार्य बनाता है। आईएफसीआई में उपयुक्त जोखिम क्षमता ढांचा है और यह वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी अपेक्षाओं और पर्याप्तता का परिकलन करती है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

i) विनियामक पूंजी

कम्पनी की विनियामक पूंजी में निम्नलिखित घटकों की राशि शामिल है:

- सामान्य इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) पूंजी, जिसमें साधारण शेयर पूंजी, संबंधित शेयर प्रीमियम, प्रतिधारित आय और घोषित लाभांश हेतु समायोजन के बाद रिजर्व तथा गुडविल हेतु कटौती, अमूर्त परिसम्पत्तियां और उन मदों से संबंधित अन्य विनियामक समायोजन शामिल हैं, जिन्हें इक्विटी में शामिल नहीं किया जाता है, परन्तु पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों हेतु अलग से हिसाब में लिया जाता है।
- टियर-2 पूंजी, जिसमें अधिमान शेयर, अर्हक अधीनस्थ देयताएं और प्रत्याशित हानियों पर कोई भी अधिक क्षति शामिल है।

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
सामान्य इक्विटी टियर-1 (सीईटी 1) पूंजी	(1,689.01)	(2,596.49)
टियर-2 पूंजी प्रलेख	0.15	14.57
कुल विनियामक पूंजी	(1,688.86)	(2,581.92)
जोखिम भारित परिसम्पत्तियां	3,492.80	3,653.84
सीआरएआर (%)	-48.35%	-70.66%
सीआरएआर-टियर - I पूंजी (%)	-48.36%	-71.06%
सीआरएआर-टियर - II पूंजी (%)	0.01%	0.40%

निवल स्वामित्व निधियों के परिकलन के प्रयोजन से डीटीए को मेट क्रेडिट पात्रता माना गया है।

* एनबीएफसी में भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक की 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.संख्या 109/22.10.106/2019-20 की अपेक्षा के अनुसार कम्पनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन क्षति भत्ते और भारिबैक के विवेकसम्मत मानदण्डों (मानक परिसम्पत्ति प्रावधान) के अधीन अपेक्षित प्रावधान के अंतराल को समायोजित किया है, इसलिए 104.67 करोड़ रु. को राशि को 'क्षति रिजर्व' में लिया गया है।

ii. पूंजी आबंटन

प्रत्येक परिचालन अथवा क्रियाकलाप हेतु आबंटित पूंजी की राशि को जोखिम समायोजित पूंजी पर प्रतिफल को कम करने के उद्देश्य से लिया जाता है। पूंजी का आबंटन वर्ष के आरम्भ में तैयार की गई वार्षिक कारोबार योजना के आधार पर विभिन्न कारोबार के लिए आबंटन किया जाता है। पूंजी आबंटन हेतु विभिन्न प्रतिफलों में मौजूदा परिचालनों एवं क्रियाकलापों के साथ आपसी सहभागिता, प्रबंधन तथा अन्य संसाधन की उपलब्धता और कम्पनी के दीर्घकालिक कार्यनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप क्रियाकलाप के लाभ शामिल हैं।

55 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर लागू भारिबैक के परिपत्रों के अनुसरण में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना प्रकट की गई है। इन प्रकटनों में जब तक विशेषरूप से उल्लेख ना किया जाए भारतीय लेखांकन मानकों का समायोजन नहीं किया गया है:

- (i) कम्पनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड में एक डिबेंचर न्यासी के रूप में पंजीकृत है और इसका पंजीकरण कोड "आईएनडी000000002" है।
- (ii) "31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान आरबीआई और अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज आईएफसीआई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के मामले में, सेबी (लिसिंग दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015, के निदेशक मंडल और समितियों अर्थात् लेखापरीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जुर्माना लगाते आ रहे हैं।
- स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुर्माने के उत्तर में, कंपनी द्वारा स्पष्ट किया गया कि एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आईएफसीआई लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार सिर्फ वित्तीय सेवा विभाग के पास ही निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय का प्रभारी है। उसके द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हो जाने के बाद, लागू नियामक प्रावधानों के अनुसार समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों से अनुरोध किया गया कि वे कंपनी पर जुर्माना न लगाएं या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न करें।
- हमारी दलीलों पर विचार करते हुए, बीएसई ने 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त अवधि के लिए उपरोक्त गैर-अनुपालन के लिए लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया था। लेकिन विनियमन 20 से संबंधित 1,82,000 रु. के जुर्माने की राशि को माफ नहीं किया गया जो 30 जून, 2020 को समाप्त अवधि के दौरान हितधारकों की संबंध समिति की संरचना से संबंधित था। एनएसई द्वारा अभी तक कोई छूट नहीं दी गई है। हालाँकि, एनएसई ने उत्तर दिया था कि कंपनी द्वारा सेबी लिसिंग विनियमों के अनुरूप नियमों का अनुपालन करने के बाद ही छूट का आवेदन दिया जा सकता है और आईएफसीआई को सलाह दी गई है कि वह लागू विनियमों का अनुपालन करने के लिए पहले निदेशकों की नियुक्ति करे और बाद में छूट पाने के लिए आवेदन करे।
- आज की तारीख तक, सितंबर 2018 से दिसम्बर 2023 तक समाप्त तिमाहियों के लिए स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाया गया कुल समेकित बकाया जुर्माना (लागू करो सहित) 4,18,30,100 रु. है।"
- इसके अलावा, हमारे अनुरोध पर, सरकार ने 10 मई, 2023 को कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। एक (1) स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, हितधारकों की संबंध समिति व जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना संबंधी अनुपालन पूरा हो गया। इन समितियों के लिए जुर्माने की माफी हेतु आवेदन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रेषित किया गया है। मार्च 2024 के अंत तक, स्टॉक एक्सचेंजों की मंजूरी मिलनी शेष थी।"

(iii) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और रेटिंग में बदलाव निम्नानुसार है:

दीर्घ अवधि (बॉण्ड/एनसीडी/मियादी ऋण)

निम्न के द्वारा रेटिंग	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
इकरा	29/05/2023 से इकरा बी+	17/08/2022 से इकरा बी+
केयर	29/05/2023 से केयर बीबी	06/07/2022 से केयर बीबी
ब्रिकवर्क	29/05/2023 से बीडब्ल्यूआर बी+	04/10/2022 से बीडब्ल्यूआर बीबी

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

अल्प अवधि (वाणिज्यिक पेपर/अल्पावधि उधर)

निम्न के द्वारा रेटिंग	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
इकरा	17/08/2023 से इकरा ए4	17/08/2022 से इकरा ए4
त्रिकवर्क	10/11/2023 से बीडब्ल्यूआर ए4	04/10/2022 से बीडब्ल्यूआर ए4

पुनर्संचित प्रतिभूत एनसीडी के लिए

निम्न के द्वारा रेटिंग	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
केयर	वापस ली गई	वापस ली गई
त्रिकवर्क	वापस ली गई	वापस ली गई

अधीनस्थ बॉण्ड

निम्न के द्वारा रेटिंग	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
इकरा	29/05/2023 से इकरा बी+	17/08/2022 से इकरा बी+
केयर	29/05/2023 से केयर बीबी	06/07/2022 से केयर बीबी
त्रिकवर्क	29/05/2023 से बीडब्ल्यूआर बी+	04/10/2022 से बीडब्ल्यूआर बी+

(iv) ग्राहक शिकायतों से संबंधित प्रकटन

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(क) अवधि के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
(ख) अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	3,930	8,648
(ग) अवधि के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या	3,930	8,648
(घ) अवधि के अन्त में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-

(v) जोखिम परिसम्पत्तियों के अनुपात की तुलना में पूंजी (सीआरएआर)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(क) जोखिम परिसम्पत्तियों के अनुपात की तुलना में पूंजी (सीआरएआर)	-48.35%	-70.66%
(i) कोर सीआरएआर	-48.36%	-71.06%
(ii) अनुपूरक सीआरएआर	0.01%	0.40%
(ख) जुटाया गया अधीनस्थ ऋण, टियर-II पूंजी के रूप में बकाया (करोड़ रुपए)	0.00	0.00
(ग) जोखिम भारित परिसम्पत्तियां (करोड़ रुपए)		
(i) तुलन-पत्र की मदों पर	3,352.10	3,535.33
(ii) तुलन-पत्र से बाहर की मदों पर	140.70	118.51

(vi) लिए गए ऋण और अग्रिम, उन पर प्रोद्भूत परंतु अदा न किए गए ब्याज सहित

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	बकाया	अतिदेय	बकाया	अतिदेय
(क) ऋणपत्र:				
(i) प्रतिभूत	1,118.35	-	1,283.35	-
(ii) अप्रतिभूत	-	-	-	-
(ख) आस्थगित क्रेडिट्स	-	-	-	-
(ग) मियादी ऋण	-	-	75.00	-
(घ) अन्तर निगमित ऋण एवं उधार	-	-	-	-
(घ) सीबीएलओ/वाणिज्यिक पेपर	-	-	3.85	-
(च) अन्य ऋण (एफसी ऋण सहित)	334.25	-	364.25	-
(छ) आईएफसीआई के पास रखी गई निधियां	-	-	-	-
(ज) बॉण्ड	3,998.06	-	4,081.62	-

कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा बॉण्ड/ऋणपत्र धारकों की देयताओं की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(vii) शेयरों एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान एवं दीर्घ अवधि) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण

श्रेणी	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	बाजार/व्यौरा/उचित मूल्य/एनएवी	बही मूल्य (लागत)	बाजार/व्यौरा/उचित मूल्य/एनएवी	बही मूल्य
सम्बद्ध पक्षकार				
(क) सहायक कम्पनियां	4,224.00	1,546.41	3,941.68	1,546.41
(ख) एक ही समूह की कम्पनियां	7.78	0.04	7.41	0.04
(ग) संयुक्त उद्यम	-	0.01	-	0.01
(घ) सम्बद्ध पक्षकारों से भिन्न	1,708.18	2,112.21	1,327.37	2,106.30
जोड़	5,939.96	3,658.67	5,276.46	3,652.76

(viii) निवेश के व्यौरा एवं प्रावधान में उतार-चढ़ाव:

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(क) भारत में निवेश का मूल्य मूल्यहास हेतु प्रावधान निवेशों का निवल मूल्य		
(ख) निवेशों पर मूल्यहास के संबंध में धारित प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		लागू नहीं (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निवेश उचित मूल्य पर किए जाने हैं, अतः यह इस पर लागू नहीं होता)
(i) आरम्भ शेष		
(ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(iii) घटाए : वर्ष के दौरान अधिक प्रावधान को बट्टे खाते डालना/का पुनरांकन		
(iv) अन्त शेष		

(ix) विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
ऋण क्रियाकलापों के संबंध में हिसाब में ली गई पट्टाकृत परिसम्पत्तियां एवं किराए पर लिए गए स्टॉक तथा अन्य परिसम्पत्तियां	-	-

(x) वित्तपोषित परिसम्पत्तियों का ऋणी समूह-वार वर्गीकरण :

श्रेणी	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
1 सम्बद्ध पक्षकार		
(क) सहायक कम्पनियां	-	-
(ख) एक ही समूह की कम्पनियां	-	-
2 सम्बद्ध पक्षकार से भिन्न	1,910.44	1,972.70
जोड़	1,910.44	1,972.70

यह राशि अलाभकारी एवं मानक पुनर्संचित परिसम्पत्तियों के मददे प्रावधान को घटा कर है।

(xi) एकल ऋणी सीमा के विवरण - सकल प्रकटन के आधार पर एनबीएफसी द्वारा बढ़ाई गई

संस्था का नाम	31 मार्च, 2024 को						31 मार्च, 2023 को					
	बकाया कुल ऋण (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	बकाया निवेश (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	कुल प्रकटन (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	बकाया कुल ऋण (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	बकाया निवेश (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	कुल प्रकटन (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %
	शून्य						शून्य					

* एकल उधारकर्ता सीमा की गणना के लिए, "टियर I पूंजी" को पिछले वर्ष के ठीक पहले के अंत में माना जाता है। 31 मार्च, 2023 तक आईएफसीआई की "टियर 1 पूंजी" (-) 2,596 करोड़ रु. थी, इसलिए एकल उधारकर्ता की सीमा का उल्लंघन हुआ है।

(xii) ऋणी समूह सीमा के विवरण - सकल प्रकटन के आधार पर एनबीएफसी द्वारा बढ़ाई गई

समूह नाम	31 मार्च, 2024 को						31 मार्च, 2023 को					
	बकाया कुल ऋण (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	बकाया निवेश (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	कुल प्रकटन (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	बकाया कुल ऋण (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	बकाया निवेश (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	कुल प्रकटन (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %
	शून्य						शून्य					

* समूह उधारकर्ता सीमा की गणना के लिए, "टियर I पूंजी" को पिछले वर्ष के ठीक पहले के अंत में माना जाता है। 31 मार्च, 2023 तक आईएफसीआई की "टियर 1 पूंजी" (-) 2,596 करोड़ रु. थी, इसलिए समूह उधारकर्ता सीमा का उल्लंघन हुआ है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xiii) अग्रिमों का संकेन्द्रण

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
बीस सबसे बड़े ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	3,500.45	3,913.25
बीस बड़े ऋणियों/ग्राहकों को दिए गए अग्रिमों का एनबीएफसी के कुल जोखिम की तुलना में प्रतिशत	39.85%	33.74%

*प्रतिशत की गणना के लिए, पिछले वर्ष के ठीक पहले के अंत में कुल एक्सपोजर पर विचार किया जाता है।

(xiv) जोखिमों का संकेन्द्रण

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
बीस सबसे बड़े ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	3,645.99	4,020.39
बीस बड़े ऋणियों/ग्राहकों को दिए गए अग्रिमों का एनबीएफसी के कुल जोखिम की तुलना में प्रतिशत	41.51%	34.67%

*प्रतिशत की गणना के लिए, पिछले वर्ष के ठीक पहले के अंत में कुल एक्सपोजर पर विचार किया जाता है।

(xv) अलाभकारी परिसम्पत्तियों का संकेन्द्रण

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल जोखिम	1442.55 (12.43%)	1499.82(12.93%)

*प्रतिशत की गणना के लिए, पिछले वर्ष के ठीक पहले के अंत में कुल एक्सपोजर पर विचार किया जाता है।

(xvi) अलाभकारी परिसम्पत्तियों की स्थिति

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
1 सकल अलाभकारी परिसम्पत्तियां		
(क) सम्बद्ध पक्षकार	-	-
(ख) सम्बद्ध पक्षकार से भिन्न	4615.56	5,749.06
2 निवल अलाभकारी परिसम्पत्तियां		
(क) सम्बद्ध पक्षकार	-	-
(ख) सम्बद्ध पक्षकार से भिन्न	937.17	1,499.18
ऋण के समाधान में अपेक्षित परिसम्पत्तियां	-	17.5

xvii) अलाभकारी परिसम्पत्तियों में उतार-चढ़ाव

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(i) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अलाभकारी परिसम्पत्तियां (%)	83.80%	76.00%
(ii) एनपीए में उतार-चढ़ाव (सकल)		
(क) आरम्भ शेष	5749.06	6514.90
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	236.79	34.91
(ग) वर्ष के दौरान कमी	1370.3	800.75
(i) अपग्रेडेशन	0	0
(ii) वसूली (अपग्रेड किये खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	933.04	536.88
(iii) तकनीकी/प्रुडेन्शियल बट्टे खाते में डाली रकम	225.54	145.03
(iv) उपरोक्त (iii) के तहत अन्य के अलावा बट्टे खाते में डाली रकम	211.72	118.84
(घ) अन्त शेष	4,615.55	5,749.06
(iii) निवल अलाभकारी परिसम्पत्तियों का उतार-चढ़ाव		
(क) आरम्भ शेष	1499.18	2057.99
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	236.79	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कमी	798.80	558.81
(घ) अन्त शेष	937.17	1499.18
(iv) अलाभकारी परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (मानक परिसम्पत्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) आरम्भ शेष	4,249.88	4,456.91
(ख) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	209.55	409.72
(ग) अधिक प्रावधान को बट्टे खाते डालना/का पुनरांकन	781.04	616.75
(घ) अन्त शेष	3,678.39	4,249.88

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

xviii) क्षेत्र-वार एनपीए

क्षेत्र	कुल अग्रिमों की तुलना में अलाभकारी परिसम्पत्तियों का %	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
1 कृषि एवं इससे सम्बद्ध क्रियाकलाप	-	-
2 एमएसएमई	-	-
3 निगमित ऋणी	96.22%	92.39%
4 सेवाएं	-	-
5 अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋण	-	-
6 वाहन ऋण	-	-
7 अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

(xix) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान एवं आकस्मिताएं

प्रावधान एवं आकस्मिकताओं के अलग-अलग विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	0	0
अलाभकारी परिसम्पत्तियों के संबंध में प्रावधान	-571.49	-207.02
आयकर के संबंध में किया गया प्रावधान	-	-
मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान	0	-2.42
ट्रेड प्राप्यों एवं अन्य अग्रिमों के मद्दे प्रावधान	0	0

(xx) भू-सम्पदा क्षेत्र हेतु जोखिम

श्रेणी	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(क) प्रत्यक्ष जोखिम		
(i) आवासीय बंधक - आवासीय सम्पत्ति, जो ऋणी के कब्जे में है या होगी या किराये पर दी जाती है, पर बंधक द्वारा पूर्णरूप से प्रतिभूत उधार (15 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत गृह ऋण को अलग से दर्शाया जा सकता है।)	-	-
(ii) वाणिज्यिक भू-सम्पदा - वाणिज्यिक भू-सम्पदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोजनीय वाणिज्यिक परिसर, विविध परिवार आवासीय भवन, बहुत से किरायेदारों वाला वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या भण्डारण स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि)। जोखिम में गैर-निधि आधारित (एएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी।	291.04	364.45
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिम:	-	-
(ख) अप्रत्यक्ष जोखिम नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कम्पनियों (एचएफसीज) पर निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित जोखिम	-	-

(xxi) पूंजी बाजार के जोखिम

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की यूनिटों में सीधे निवेश, जिसकी निगमित निधि को समग्र रूप से ऋण में निवेश नहीं किया जाता है;	2507.79	2745.55
(ii) व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय ऋणपत्रों, एवं इक्विटी समर्थित म्युचुअल निधियों की यूनिटों में निवेश हेतु - शेयरों/बॉण्डों/ऋणपत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के मद्दे अथवा स्पष्ट आधार पर अग्रिम;	-	-
(iii) किन्हीं अन्य प्रयोजनों हेतु अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय ऋणपत्रों अथवा इक्विटी समर्थित म्युचुअल निधियों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;	435.94	484.97
(iv) किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जो शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय ऋणपत्रों अथवा इक्विटी समर्थित म्युचुअल निधि की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा काफी हद तक प्रतिभूत है, अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय ऋणपत्रों/इक्विटी समर्थित म्युचुअल निधि की यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति से अग्रिमों को पूरी तरह से समाहित नहीं किया जाता;	-	0.00
(v) स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों को गारण्टियां	-	0.00
(vi) शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के मद्दे अथवा स्पष्ट आधार पर निगमित निकायों को संसाधन जुटाने की प्रत्याशा से नई कम्पनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए मंजूर किए गए ऋण;	-	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxi) पूंजी बाजार के जोखिम (जारी रखें)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(vii) प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता/निर्गमों के प्रति कम्पनियों को पूरक ऋण;	50.11	50.11
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड इकाइयों के प्राथमिक मुद्दे के संबंध में एनबीएफसी द्वारा ली गई अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण		
(x) वैकल्पिक निवेश निधियों के लिए सभी एक्सपोजर:		
(i) श्रेणी I	104.13	104.71
(ii) श्रेणी II		
(iii) श्रेणी III		
पूंजी बाजार के कुल प्रकटन	3,097.97	3,385.34

xxii) प्रतिभूतिकरण कम्पनी/पुनर्संरचना कम्पनी (एससी/आरसी) को बेची गई परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
1 खातों की संख्या	8	3
2 एससी/आरसी को बेचे गए समग्र बकाया खाते	558.99	319.02
3 समग्र प्रतिफल	449.10*	189.64*
4 पूर्ववर्ती वर्षों में अन्तरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	50.27	73.89
5 निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ/(हानि)	149.26*	189.64*

* इसमें 36.125 करोड़ रु. की एसआर वसूली शामिल है

** एक सुरक्षा रसीद की बिक्री शामिल है

(xxiii) सुपुर्द किए गए लेन-देन के ब्यौरे

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
सुपुर्द किए गए लेन-देन के ब्यौरे	-	-

(xxiv) खरीदी गई अलाभकारी वित्तीय परिसम्पत्तियों के ब्यौरे

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	-	-
कुल बकाया (करोड़ रुपए)	-	-
उपर्युक्त में से वर्ष के दौरान पुनर्संचित खातों की संख्या	-	-
कुल बकाया (करोड़ रुपए)	-	-

(xxv) एससी/आरसी से भिन्न को बेची गई अलाभकारी वित्तीय परिसम्पत्तियां का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
एससी/आरसी से भिन्न को बेची गई अलाभकारी वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-

(xxvi) विवरण

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव्स	-	-

(xxvii) विवरण

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अग्रगामी दर करार/ब्याज दर स्वैप के ब्यौरे	-	-

(xxviii) मात्रात्मक प्रकटन

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(i) मुद्रा डेरिवेटिव्स - हैजिंग	334.25	364.20
मास्ड टू मार्केट पोजिशन		
(क) परिसम्पत्तियां	-14.25	13.08
(ख) देयता	7.68	-5.32
(ii) ब्याज दर डेरिवेटिव्स	-	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxix) मौजूदा ऋणों की लचीली संरचना पर प्रकटन

वित्तीय वर्ष	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणियों की संख्या	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋण की राशियां		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की जोखिम भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना को लागू करने से पहले	लचीली संरचना को लागू करने के बाद
(i) वित्त वर्ष 2023-24	-	-	-	-	-
(ii) वित्त वर्ष 2022-23	-	-	-	-	-

(xxx) क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन (खाते जो अभी स्टैण्ड-स्टिल अवधि में हैं)

विवरण	सूचना की तारीख को बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	पुनर्संरचित मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	-	-	-

(xxxi) 31 मार्च, 2024 को दबावग्रस्त परिसम्पत्तियों (एस4ए) की लाभदायक संरचना हेतु योजना का प्रकटन

	खातों की संख्या, जहां एस4ए लागू किया गया है	बकाया समग्र राशि	बकाया राशि		किए गए प्रावधान
			भाग क में	भाग ख में	
वित्तीय वर्ष 2023-24					
(i) मानक के रूप में वर्गीकृत	0	0	0	0	0.00
(ii) एनपीए के रूप में वर्गीकृत	0	0	0	0	0.00
वित्तीय वर्ष 2022-23					
(i) मानक के रूप में वर्गीकृत	0	0	0	0	0.00
(ii) एनपीए के रूप में वर्गीकृत	0	0	0	0	0.00

(xxxii) एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटन (खाते, जो वर्तमान में स्टैण्ड-स्टिल स्थिति में हैं)

वित्तीय वर्ष	खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व को बदलने का निर्णय लिया है	सूचना की तारीख को बकाया राशि	उन खातों के संबंध में सूचना की तारीख को बकाया राशि, जहां इक्विटी में ऋण का संपरिवर्तन/इक्विटी शेयरों के बंधक को प्रभावी करना लंबित हो।		उन खातों के संबंध में सूचना की तारीख को बकाया राशि, जहां इक्विटी में ऋण का संपरिवर्तन/इक्विटी शेयरों के बंधक को प्रभावी किया गया है।		उन खातों के संबंध में सूचना की तारीख को बकाया राशि, जहां नये शेयर जारी करके या प्रवर्तक की इक्विटी बिक्री से स्वामित्व में परिवर्तन किया जाता है।	
			मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
वित्तीय वर्ष 2023-24	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष 2022-23	-	-	-	-	-	-	-	-

(xxxiii) कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना का प्रकटन (खाते जो वर्तमान में स्टैण्ड-स्टिल स्थिति में हैं)

वित्तीय वर्ष	खातों की संख्या जहां एसडीआर प्रभावी किया गया हो	सूचना की तारीख को बकाया राशि	उन खातों के संबंध में सूचना की तारीख को बकाया राशि, जहां ऋण का इक्विटी में संपरिवर्तन लंबित हो।		उन खातों के संबंध में सूचना की तारीख को बकाया राशि, जहां ऋण का इक्विटी में संपरिवर्तन किया गया हो	
			मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत
वित्तीय वर्ष 2023-24	-	-	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष 2022-23	-	-	-	-	-	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxxiv) परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता पद्धति:

31 मार्च, 2024 को

विवरण	1 दिन से 30 दिन	1 माह से 2 माह	2 माह से 3 माह	3 माह से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	जोड़
देयताएं									
बैंकों से उधार	-	-	15.89	-	15.89	63.57	60.13	178.78	334.25
बाजार उधार	-	-	-	-	1,373.35	993.09	481.62	2,267.97	5,116.03
जोड़	-	-	15.89	-	1,389.24	1,056.66	541.74	2,446.75	5,450.28
परिसम्पत्तियां									
अग्रिम	2.50	3.75	1.67	4.57	12.10	32.97	30.87	4,720.37	4,808.81
निवेश	864.88	33.85	29.04	0.62	0.62	3.72	29.65	2,973.42	3,935.80
जोड़	867.38	37.60	30.71	5.19	12.72	36.69	60.52	7,693.80	8,744.61

31 मार्च, 2023 को

विवरण	1 दिन से 30 दिन	1 माह से 2 माह	2 माह से 3 माह	3 माह से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	जोड़
देयताएं									
बैंकों से उधार	-	25.00	15.81	25.00	40.81	63.26	61.55	207.83	439.26
बाजार उधार	-	-	-	-	250.23	1,598.35	900.09	2,615.96	5,364.63
जोड़	-	25.00	15.81	25.00	291.04	1,661.61	961.64	2,823.79	5,803.89
परिसम्पत्तियां									
अग्रिम	2.54	3.54	17.78	14.91	25.08	90.34	63.43	6,005.54	6,223.16
निवेश	358.58	-	39.24	0.62	0.62	2.48	6.86	3,244.37	3,652.77
जोड़	361.12	3.54	57.02	15.53	25.70	92.82	70.29	9,249.91	9,875.93

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

क्र. सं.	संरचना का प्रकार	पंजीयन विवरण	सीडीआर प्रणाली के तहत				अन्य				चोट						
			मानक	अव-मानक	संख्या	हानिकारक	चोट	मानक	अव-मानक	संख्या	हानिकारक	चोट	मानक	अव-मानक	संख्या	हानिकारक	चोट
1	वित्त वर्ष के 01 अप्रैल, को पुनर्संचित खाते (आरम्भिक आंकड़े)**		ऋणियों की संख्या	-	2	-	2	10	2	12	-	-	12	2	14		जोड़े
			नकारा राशि	-	28.36	-	28.36	945.16	38.26	983.42	-	-	973.52	38.26	1,011.78		
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संचना #		किए गए प्रवधान	-	17.14	-	17.14	722.44	38.26	760.7	-	-	739.56	38.26	777.84		
			ऋणियों की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			नकारा राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			किए गए प्रवधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संचित मानक श्रेणी को अपग्रेड करना*		ऋणियों की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			नकारा राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			किए गए प्रवधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	पुनर्संचित मानक अधिम, विन पर उल्लंघन और/अथवा वित्तीय वर्ष के अन्त में अतिरिक्त जोखिम भार समाप्त हो गया है और इसलिए, अगले वित्तीय वर्ष के शुरू में पुनर्संचित मानक अधिम के रूप में दर्शाए जाने की जरूरत नहीं है		नकारा राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संचित खातों की श्रेणी को कम करना *		किए गए प्रवधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ऋणियों की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			नकारा राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संचित खातों को बढ़ते खाते डालना		किए गए प्रवधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ऋणियों की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			नकारा राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	वर्ष के दौरान बंद किये गये खाते		किए गए प्रवधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ऋणियों की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			नकारा राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को पुनर्संचित खाते (अन्तिम आंकड़े)		किए गए प्रवधान	-	2	-	2	10	2	12	0	0	12	2	14		14
			ऋणियों की संख्या	-	-	-	-	863.62	38.26	901.88	0	0	863.62	38.26	901.88		901.88
			नकारा राशि	-	-	-	-	706.28	38.26	744.54	0	0	706.28	38.26	744.54		744.54

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxxvi) ईसीएल-आईएफसीआई लि. के वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटन

एनबीएफसी में भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक की 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर(एनबीएफसी).सीसी.पीडी. संख्या 109/22.10.106/2019-20 की अपेक्षा के अनुसार कम्पनी ने भारतीय लेखांकन 109 के अधीन क्षति भत्ते और भारिबैंक के विवेकसम्मत मानदण्डों (मानक परिसम्पत्ति प्रावधान) के अधीन अपेक्षित प्रावधान के अंतर को समायोजित किया है, इसलिए 104.67 करोड़ रुपए को राशि को 'क्षति रिजर्व' में लिया गया है।

31 मार्च, 2024 को

भारिबैंक के मानदण्डों के अनुसार परिसम्पत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसम्पत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. के अनुसार सकल वास्तविक राशि	भा.ले.मा. 109 के अनुसार अपेक्षित हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल वास्तविक राशि	आईआरएसीपी मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भा.ले.मा.109 के प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदण्डों के बीच अंतर की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
लाभकारी परिसम्पत्तियां						
मानक	स्टेज 1	15.00	0.15	14.85	0.06	0.09
	स्टेज 2	85.76	17.84	67.91	0.34	17.50
	स्टेज 3	80.42	57.58	22.84	0.32	57.26
उप-जोड़		181.18	75.58	105.60	0.72	74.85
अलाभकारी परिसम्पत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	स्टेज 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संदिग्ध-1 वर्ष तक	स्टेज 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 से 3 वर्ष	स्टेज 3	46.26	33.12	13.14	16.50	16.62
3 वर्ष से अधिक	स्टेज 3	4429.72	3365.35	1064.37	3522.30	(157.0)
अव-मानक के लिए उप-जोड़		4,475.98	3,398.47	1,077.51	3,538.81	(140.3)
हानिकारक	स्टेज 3	139.58	100.39	39.2	139.58	(39.2)
एनपीए के लिए उप-जोड़		4,615.56	3,498.86	1,116.70	3,678.39	(179.53)
जोड़		4,796.74	3,574.44	1,222.30	3,679.11	(104.67)
गारंटियों, ऋण प्रतिबद्धताओं जैसी अन्य मदे, जो भा.ले.मा. 109 के दायरे में आती हैं परन्तु चालू आय मान्यता, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने (आईआरएसीपी) के मानदण्डों के अन्तर्गत नहीं आती	स्टेज 1	5.71	0.15	5.56	-	0.15
	स्टेज 2	-	-	0.00	-	-
	स्टेज 3	292.00	198.00	94.00	-	198.00
प्रोद्भूत आय (स्टेज 1)	स्टेज 1	3.12	-	3.12	-	-
	स्टेज 1	23.83	0.30	23.53	0.06	0.24
	स्टेज 2	85.76	17.84	67.91	0.34	17.50
	स्टेज 3	4,987.98	3,754.44	1,233.54	3,678.71	75.74
जोड़		5,097.57	3,772.59	1,324.97	3,679.11	93.48

(xxxvii) भारिबैंक के मास्टर निदेश-गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी-सिस्टीमिकल इम्पोर्टेंट नॉन-डिपॉजिट टेकिंग कम्पनी और डिपॉजिट टेकिंग कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के अनुसार नकदी जोखिम प्रबन्धन ढांचे और नकदी कवरेज अनुपात पर मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रकटन

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकारों पर आधारित संकेन्द्रण (निक्षेपों और उधारों दोनों)

क्र.सं.	महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकारों की संख्या*	राशि (करोड़ रुपए)	कुल निक्षेपों का %
1	22	2,510.59	46.06%

* कुल देनदारियों के 1% से अधिक के लिए महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष उधार

(ii) 20 सबसे बड़े निक्षेप

क्र.सं.	प्रतिपक्षकार	राशि (करोड़ रुपए)	कुल निक्षेपों का %
	शून्य		

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(iii) 20 सबसे बड़े उधार

क्र.सं.	ऋणदाता/निवेशक का नाम	राशि (करोड़ रुपए)	कुल उधारों का %
1	केएफडब्ल्यू	334.25	6.13%
2	दि साउथ केनरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	235.99	4.33%
3	ट्रस्टीज जैक्स सी पी फण्ड	202.15	3.71%
4	फूड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया सीपीएफ ट्रस्ट	161.70	2.97%
5	दि मुम्बई डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	147.00	2.70%
6	केएसआरटीसी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	123.90	2.27%
7	ए पी एस आर टी सी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	120.50	2.21%
8	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि. (रिफायनरी डिवीजन) कर्मचारी भविष्य निधि	116.90	2.14%
9	पावर ग्रिड कर्मचारी भविष्य निधि फंड ट्रस्ट	103.83	1.90%
10	भारतीय स्टेट बैंक	100.00	1.83%
11	भगिया ग्रामीण विकास बैंक	93.30	1.71%
12	रामकृष्ण मिशन	85.08	1.56%
13	नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	81.64	1.50%
14	बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एम. एस. आर. टी. सी. सीपीएफ	77.90	1.43%
15	एक्सिस बैंक लिमिटेड	77.00	1.41%
16	आईएफसीआई एन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	75.00	1.38%
17	हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड अंशदायी भविष्य निधि राउरकेला	68.80	1.26%
18	ठाणे जिला सेंट्रल सहकारी बैंक लिमिटेड	65.00	1.19%
19	जीडब्ल्यूएसएसबी-ईसीपीएफ ट्रस्ट	63.00	1.16%
20	आईओसीएल इम्प्लॉयज पीआरएमबी फण्ड	60.00	1.10%
21	रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का भविष्य निधि	59.60	1.09%
22	एसआईसीओएम लिमिटेड	58.04	1.06%
	जोड़	2,510.59	46.06%

(iv) महत्वपूर्ण प्रलेख/उत्पाद पर आधारित निधियन संकेन्द्रण

क्र.सं.	प्रलेख/उत्पाद का नाम	राशि (करोड़ रुपए)	कुल निक्षेपों का % *
1	निजी रूप से धारित बॉण्ड	2,893.79	53.09%
2	सार्वजनिक एनसीडीज	973.35	17.86%
3	अधीनस्थ बॉण्ड	744.67	13.66%
4	विदेशी मुद्रा देयता	334.25	6.13%
5	जीरो कूपन बॉण्ड	359.6	6.60%
6	कर मुक्त बॉण्ड	145.00	2.66%
	सकल जोड़	5,450.66	100.00%

* 31 मार्च, 2024 तक बकाया मूल देनदारी पर प्रतिशत की गणना की गई

(v) स्टॉक अनुपात

क्र.सं.	विवरण	अनुपात*	लिमिट
1	अल्पकालिक देनदारियाँ / कुल संपत्ति	25.75%	30% से अधिक नहीं
2	अल्पकालिक देनदारियाँ / दीर्घकालिक संपत्तियाँ	37.25%	40% से अधिक नहीं
3	वाणिज्यिक पत्र / कुल संपत्ति **	-	10% से अधिक नहीं
4	1 वर्ष से कम की मूल परिपक्वता/कुल संपत्ति वाले एनसीडी #	-	10% से अधिक नहीं
5	दीर्घकालिक (> 1 वर्ष) संपत्ति/कुल संपत्ति	69.13%	85% से अधिक नहीं
6	अल्पकालिक देनदारियाँ / कुल देनदारियाँ	30.00%	30% से अधिक नहीं

\$ अनुपातों की गणना इंड एस बैलेंस के अनुसार की जाती है

* सलाहकारी योजनाओं के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त राशि के समायोजन के बाद का अनुपात, जो सलाहकारी आवेदकों के लिए था।

यदि सलाहकारिता सेवाओं के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि को शामिल किया जाता है, तो अल्पकालिक देयताएं / कुल संपत्ति 36.49% होगी, अल्पकालिक देयताएं/ दीर्घकालिक संपत्तियाँ 61.71% और अल्पकालिक देयताएं/ कुल देयताएं 41.53% होंगी।

** वाणिज्यिक पत्र का कोई बकाया नहीं

1 वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाली कोई भी एनसीडी जारी नहीं की गई थी

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

नकदी कवरेज अनुपात

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए		31.12.2023 को समाप्त अवधि के लिए		30.09.2023 को समाप्त अवधि के लिए		30.06.2023 को समाप्त अवधि के लिए	
	अभारित राशि	भारित राशि	अभारित राशि	भारित राशि	अभारित राशि	भारित राशि	अभारित राशि	भारित राशि
उच्च गुणवत्ता वाली नकद परिसम्पत्तियां								
कुल उच्च गुणवत्ता वाली नकद परिसम्पत्तियां (एचक्यूएलए)	84,482	68,247	94,920	70,594	61,910	35,657	50,485	28,582
नकद बहिर्प्रवाह								
डेरिवेटिव जोखिम से सम्बन्धित	-	-	-	-	-	-	-	-
बहिर्प्रवाह और अन्य संपार्श्विक अपेक्षा								
अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	39,262	45,151	1,950	2,243	4,146	4,768	7,313	8,410
अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल नकद बहिर्प्रवाह (1+2+3+4)	39,262	45,151	1,950	2,243	4,146	4,768	7,313	8,410
नकद अन्तरप्रवाह								
पूर्णतः कार्यनिष्पादन जोखिमों से अन्तर प्रवाह	432	324	443	332	670	503	688	516
ऋण श्रृंखला - क्रेडिट या नकदी सुविधाएं या अन्य आकस्मिक निधियन	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य नकद अन्तर प्रवाह	5,000	3,750	3,377	2,533	11,515	8,636	4,242	3,182
कुल नकद अन्तर प्रवाह	5,432	4,074	3,820	2,865	12,185	9,139	4,930	3,698
कुल एचक्यूएलए		68,247		70,594		35,657		28,582
शुद्ध नकद प्रवाह		41,077		-623		-4,371		4,712
कुल नकद बहिर्प्रवाह का 25%		11,288		561		1,192		2,102
नकदी कवरेज अनुपात		166		12,592		2,991		607

आपकी कम्पनी ने पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने के लिए अनेक विवेकसम्मत उपाय किए हैं। एलसीआर के प्रमुख चालक ऋण अदायगी के कारण बहिर्प्रवाह और मानक पुनर्अदायगियों और एनपीए वसूली के कारण अन्तर प्रवाह है। बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार उपलब्ध अधिशेष निधियों का नियोजन मुख्य रूप से तरल पारस्परिक निधियों, सरकारी प्रतिभूतियों (जी.सेक/खजाना बिलों), वाणिज्यिक पेपरो और अन्य मुद्रा बाजार प्रलेखों में किया जाता है। आपकी कम्पनी का यह प्रयास रहता है कि एलसीआर सुविधजनक और निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत बना रहे।

xxxviii) क्षेत्रवार जोखिम

क्षेत्र	2023-24			2022-23		
	कुल एक्सपोजर (बैलेस शीट और अहफ बैलेस शीट एक्सपोजर शामिल है (करोड़ रु.))	सकल एनपीए (करोड़ रु.)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर (बैलेस शीट और अहफ बैलेस शीट एक्सपोजर शामिल है (करोड़ रु.))	सकल एनपीए (करोड़ रु.)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का सकल एनपीए का प्रतिशत
2. उद्योग						
क. खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)	232.48	49.20	21.16	214.81	114.81	53.45
ख. खाद्य प्रसंस्करण	211.06	75.45	35.75	286.81	280.18	97.69
ग. पेय पदार्थ और तम्बाकू	474.11	0.00	0.00	8.57	0.00	0.00
घ. कपड़ा	1243.95	1018.14	81.85	122.17	65.30	53.45
न. कागज एवं कागज उत्पाद	6.13	5.98	97.58	53.42	52.91	99.04
च. पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु उत्पाद	0.04	0	0.00	80.48	0	0.00
छ. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद	177.99	176.84	99.35	145.06	143.57	98.98
ज. रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	15.41	1.84	11.92	79.37	0.24	0.30
झ. सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	140.78	53.06	37.69	75.58	0.05	0.07
न. मूल धातु एवं धातु उत्पाद	665.96	537.04	80.64	465.19	327.27	70.35
प. सभी इंजीनियरिंग	729.39	729.33	99.99	591.01	570.82	96.58
फ. वाहन, वाहन के हिस्से और परिवहन उपकरण	121.85	119.95	98.44	146.56	124.15	84.71
ब. रत्न एवं आभूषण	85.78	85.78	100.00	65.69	65.69	100.00
भ. निर्माण	323.29	323.29	100.00	661.93	596.40	90.10
म. 1.1 विद्युत उत्पादन	920.73	181.61	19.72	1715.87	1133.54	66.06
म. 1.4 सौर नवीकरण ऊर्जा	6.14	0	0.00	25.00	0	0.00
म. 1.5 अन्य	100.00	100.00	100.00	12.83	12.73	99.22
म. 2 दूरसंचार	77.34	53.19	68.77	403.29	135.10	33.50
म. 3 सड़कें	63.50	63.50	99.99	761.43	475.87	62.50
म. 8 अन्य अवसंरचना	317.79	316.93	99.73	990.90	546.59	55.16
य. अन्य उद्योग	2870.33	1228.59	42.80	3036.05	1103.83	36.36
सकल जोड़	8784.04	5119.70	58.28	9942.00	5749.06	57.83

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

क्षेत्र	2023-24			2022-23		
	कुल एक्सपोजर (बैलेंस शीट और अहफ बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है (करोड़ रु.)	सकल एनपीए (करोड़ रु.)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर (बैलेंस शीट और अहफ बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है (करोड़ रु.)	सकल एनपीए (करोड़ रु.)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का सकल एनपीए का प्रतिशत
सभी उप-क्षेत्र फ्लैगिंग के लिए उपलब्ध होंगे (उप-क्षेत्र को उस समूह/कंपनी को प्रमुख कंपनी के परिचालन खंड का प्रतिनिधित्व करना चाहिए जिसके शेयर गिरवी रखे जा रहे हैं)।	45.82	0.00	0.00	7.51	0	0
सहयोगी कंपनी	0	0	0.00	83.16	0	0
बैंकों	690.08	250.63	36.32	43.58	0	0
ऋण और निवेश की टोकरी	370.87	0.00	0.00	0.33	0.33	100
दलाल और अन्य पूंजी बाजार सहभागी	170.16	101.25	59.50	72.93	0	0
निर्माण सामग्री	18.09	4.33	23.91	97.49	95.75	98.21
व्यापार सेवाएं	85.41	68.41	80.10	32.93	32.67	99.21
वाणिज्यिक और आवासीय अचल संपत्ति	4.69	0.00	0.00	491.55	364.45	74.14
सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	42.08	0.00	0.00
विविध कॉर्पोरेट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिकार वाली कंपनी	135.81	135.81	100.00	0.00	0.00	0.00
होल्टिंग कंपनी-पर्यटन और संबंधित गतिविधि (बुनियादी ढांचे के अलावा)	74.28	74.28	100.00	90.94	90.94	100.00
होटल (गैर-इन्फ्रा)	215.65	212.69	98.63	56.80	30.72	54.08
सूचन प्रौद्योगिकी सेवाएं	20.91	20.91	100.00	53.79	36.79	68.40
मीडिया एवं मनोरंजन	247.61	212.60	85.86	145.00	145.00	100.00
विविध. अन्य उत्पाद	0.03	0.00	0.00	10.12	1.20	11.86
विविध सेवाएं	364.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
म्यूचुअल फंड्स	198.08	21.73	10.97	263.56	0.00	0.00
एनबीएफसी	40.17	40.02	99.64	291.94	169.25	57.97
अलौह धातु	3.04	3.04	100.00	113.72	59.26	52.11
मुद्रण, प्रकाशन और संबद्ध उद्योग।	72.14	72.14	100.00	0.00	0.00	100.00
खुदरा ब्रांड श्रृंखला	0.05	0.00	0.00	86.84	77.45	89.19
सहायक कंपनी	10.76	10.74	99.83	1036.16	0.00	0.00
पर्यटन एवं संबंधित गतिविधि (बुनियादी ढांचे के अलावा)	102.26	0.00	0.00	14.62	0.04	0.26
वेचर कैपिटल फंड	0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00
थोक व्यापार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल जोड़	2870.33	1228.59	42.80	3036.05	1103.83	36.36

नोट:

- उपरोक्त प्रकटीकरण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए गए क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न और रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित "बैंक क्रेडिट का क्षेत्रीय परिनियोजन" रिपोर्ट पर आधारित होंगे।
- उपरोक्त प्रकटीकरण में, यदि किसी सेक्टर में, किसी विशिष्ट सब-सेक्टर/उद्योग में एक्सपोजर किसी एनबीएफसी की टियर 1 पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो उसे उस सेक्टर के तहत अलग से प्रकट किया जाएगा। साथ ही, एक सेक्टर के भीतर, यदि एक्सपोजर विशिष्ट सब-सेक्टर/उद्योग टियर 1 पूंजी के 10 प्रतिशत से कम है, तो ऐसे एक्सपोजर को क्लब किया जाएगा और उस सेक्टर के तहत "अन्य" के रूप में प्रकट किया जाएगा।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxxix) शिकायतों के प्रकटन

संसाधन विभाग को ग्राहकों और लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का सारांश

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2023-24 चालू वर्ष	वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वर्ष
	एनबीएफसी को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या*	3930	8379
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	3930	8379
	3.1 जिनमें से, एनबीएफसी द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	0	0
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
	एनबीएफसी को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतें		
5	एनबीएफसी को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतों की संख्या	9	10
	5.1 5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा एनबीएफसी के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या	9	9
	5.2 5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	0	1
	5.3 5 में से, एनबीएफसी के खिलाफ लोकपाल के कार्यालय द्वारा पुरस्कार पारित करने के बाद कई शिकायतों का समाधान किया गया	0	0
6	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए पुरस्कारों की संख्या (अपील किए गए पुरस्कारों के अलावा)	0	0

*वित्त वर्ष 24 और वित्त वर्ष 23 के दौरान संसाधन विभाग से संबंधित आरबीआई से प्राप्त क्रमशः 20 और 8 शिकायतें शामिल हैं

शिकायतों के आधार (अर्थात् संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या।
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24					
आधार 1 आवंटन सूचना/बॉड प्रमाणपत्र का प्राप्त न होना	0	0	0	0	0
आधार 2 ब्याज/मोचन/बायबैक राशि की प्राप्ति न होना	0	3910	-53.33	0	0
आधार 3 लाभांश न मिलना	0	0	-100	0	0
आधार 4 अन्य	0	20	81.8		
आधार 5 अन्य					
जोड़	0	3930	-71.53	0	0
पिछला वर्ष 2022-23					
आधार 1 आवंटन सूचना/बॉड प्रमाणपत्र का प्राप्त न होना	0	0	0	0	
आधार 2 ब्याज/मोचन/बायबैक राशि की प्राप्ति न होना	0	8379	357.87	0	0
आधार 3 लाभांश न मिलना	0	258	-41.63	0	0
आधार 4 अन्य	0	11	-47.61	0	0
आधार 5 अन्य					
जोड़	0	8648	277.14	0	0

(xxxix) अंतर समूह जोखिम

विवरण	वित्त वर्ष 23-24	वित्त वर्ष 22-23
अंतर समूह जोखिम की कुल राशि	1,546.45	1546.45
शीर्ष 20 अंतर समूह जोखिम की कुल राशि	1,546.45	1546.45
कुल जोखिम के प्रतिशत के रूप में कुल अंतर समूह जोखिम	17.61%	13.33%

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xli) संबंधित पक्षकार का प्रकटीकरण

संबंधित पक्षकार	सहायक कंपनियां		सहयोगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के सम्बंधी		अन्य		कुल	
सामान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
उधार	130.00	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00	130.00
निक्षेप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निक्षेप प्रतिधारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम	-	-	-	-	0.59	1.18	-	-	-	-	0.59	1.18
निवेश	1,546.41	1,546.41	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	1,546.45	1,546.45
अचल/ अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अचल/ अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अदा किया गया व्याज*	11.07	11.05	-	-	-	-	-	-	-	-	11.07	11.05
प्राप्त व्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* संचयी व्याज

का छोड़कर

अन्य लेन-देन के लिए कृपया नोट संख्या 47 देखें।

(xlii) प्रसंविदाओं का उल्लंघन

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्षों के दौरान लिए गए ऋण या जारी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में किसी चूक या प्रसंविदाओं के उल्लंघन का कोई मामला नहीं था।

(xliii) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानों में विचलन

आरबीआई ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय प्रलेखों पर कर-पूर्व लाभ और क्षति हानि के 5 प्रतिशत से अधिक की राशि के लिए अतिरिक्त प्रावधानों का आकलन नहीं किया है, और न ही इस अवधि के दौरान रिपोर्ट में दर्ज गए सकल एनपीए के 5% से अधिक के किसी अतिरिक्त सकल एनपीए की पहचान की है।

56 31.03.2024 को करंसी फ्रयूचर्स/फारवर्ड सौदों में ओपन इन्ट्रस्ट

स्थिति (31.03.2024 की स्थिति अनुसार)

विवरण	मूल्य तिथि	प्रति पक्षकार	समाहित यूनिटों की संख्या (यूरो एवं यूएसडी)
1 यूरो/भारतीय रुपए	26 अप्रैल 2024	एसबीआई	37,189,800.00

57 विदेशी मुद्रा प्रकटन, जो डेरिवेटिव प्रलेख के तहत अथवा अन्यथा प्रतिरक्षित नहीं है 0.000 मिलियन अमेरिकी डॉलर है (मार्च, 2023 को समाप्त पिछला वर्ष : 0.001 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और 0.00 मिलियन यूरो (मार्च, 2023 को समाप्त पिछला वर्ष : (-)0.01 मिलियन यूरो), जो 0.00 करोड़ रुपए के बराबर है (मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष : 0.08 करोड़ रुपए)

58 रेपो और रिवर्स रेपो लेन देनों के अधीन बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों के विवरण

विवरण	अवधि के दौरान अधिकतम बकाया	अवधि के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च, 2024 को बकाया
रेपो के अधीन बेची गई प्रतिभूतियां			
1 सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-
2 निगमित बॉण्ड	-	-	-
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियां			
1 सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-
2 निगमित बॉण्ड	-	-	-

अधिकतम एवं औसत बकाया प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर आधारित है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

59 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक है, चालू अवधि के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस मान एंड कंपनी

सनदी लेखापाल

आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान

साझेदार

सदस्यता संख्या: 080500

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल

प्रबंध निदेशक व

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

डीआईएन: 01400076

सुनीत शुक्ला

मुख्य महाप्रबंधक व

मुख्य वित्तीय अधिकारी

राहुल भावे

उप प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 09077979

प्रियंका शर्मा

कम्पनी सचिव

उमेश कुमार गर्ग

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन: 00599426

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यगण,

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट
राय

हमने आईएफसीआई लिमिटेड (जिसे यहाँ आगे “कम्पनी” कहा गया है) और इसकी सहायक कम्पनियों (कम्पनी और सहायक कम्पनियों को मिलाकर जिन्हें “समूह” कहा गया है) की 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश व अन्य स्पष्टीकरण सूचनाओं (जिन्हें आगे “समेकित वित्तीय विवरण” कहा गया है) की लेखा-परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) के तहत यथानुसार अपेक्षित सूचना देते हैं और 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार मामलों की स्थिति, कम्पनी की समेकित लाभ, समेकित कुल व्यापक हानि, इसके समेकित नकद प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में समेकित परिवर्तनों सहित यथासंशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप के बारे में सत्य एवं स्पष्ट सूचना प्रदान करते हैं।

राय का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के ‘समेकित वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियाँ’ नामक खण्ड में वर्णित हैं। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (“आईसीएआई”) द्वारा जारी नीति-संहिता के अनुसार समूह के स्वतंत्र लेखा-परीक्षक हैं और कम्पनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के तहत निर्धारित नीतिपरक अपेक्षाएं समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखा-परीक्षा के संगत हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की नीति-संहिता के अनुसार अपनी अन्य नीतिपरक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

1. इम्फेसिस ऑफ मैटर

क. इम्फेसिस ऑफ मैटर –आईएफसीआई लिमिटेड

- हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 40(iii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो 01.04.2021 से चरण-3 परिसंपत्तियों पर ब्याज आय की मान्यता के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन के संबंध में है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2021-2022 और वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए ब्याज आय में क्रमशः 248.03 करोड़ रु. और 209.50 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है।
- हम नोट संख्या 40 (iv) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जहाँ पूंजी जोखिम पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 31.03.2024 को (-)48.35% है, जो आरबीआई के परिपत्र दिनांक 31 मई, 2018 (आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर (पीडी) सीसी.नंबर 092/03.10.001/2017-18) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश से कम है।
- एक निश्चित मामले में, यह देखा गया कि एक पार्टी ने भारत सरकार की एसडीएफ (चीनी विकास निधि) योजना के तहत

सहायता प्राप्त करने और अपने प्रस्ताव की समुचित तैयारी के लिए कंपनी को अपना सलाहकार/परामर्शदाता नियुक्त किया है। लेकिन कंपनी एसडीएफ योजना के तहत नोडल मंत्रालय द्वारा प्राप्त आवेदन पर स्वतंत्र रूप से विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सरकार की नोडल एजेंसी/एजेंट के रूप में भी कार्य कर रही है। भारत सरकार से स्पष्ट अनुमोदन मिलने के बावजूद, किसी भी आवेदक को व्यावसायिक शर्तों पर दस्तावेजों/परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने में सहायता/प्रशिक्षण देने की कंपनी की कार्यवाही और भारत सरकार की ओर से उचित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने से कंपनी द्वारा मूल्यांकित प्रस्तावों की विश्वसनीयता काफी कमजोर होती है, साथ ही इससे कंपनी की स्वतंत्र स्थिति भी प्रभावित होती है।

- कंपनी ने हमें नोडल मंत्रालय से प्राप्त पत्र दिनांक 01.11.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि एसडीएफ (चीनी विकास निधि) योजना के लिए लेखा-परीक्षकों के साथ कोई विशिष्ट डेटा साझा नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, हमारे द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की गई है।
- कंपनी ने हमें सूचित किया है कि पीएलआई (प्रोडक्शन लिंकड इंसेटिव) योजनाओं के लिए नोडल मंत्रालय से प्राप्त पत्रों के अनुसार, फाइलें और दस्तावेज लेखा-परीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, इसलिए हमने इनकी समीक्षा नहीं की है।

ख. मैसर्स स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड- इम्फेसिस ऑफ मैटर

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों का नोट सं. 43 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले में निर्णय लंबित रहने तक, एक बैंक के साथ जारी मुकदमेबाजी के परिणाम से संबंधित है। प्रबंधन द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, कंपनी माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास प्रतिभूति जमा के रूप में रखी गई एफडीआर की वसूली के प्रति आशान्वित है, इसलिए लाभ व हानि विवरण में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ख.1 मैसर्स स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड- इम्फेसिस ऑफ मैटर

सहायक कम्पनी “स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड” के संबंध में सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने निम्नलिखित मैटर ऑफ इम्फेसिस दिया है:

- हम कम्पनी के परिसर में आग लगने के कारण तीसरे पक्ष के प्रति कम्पनी के दायित्व के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी सं. 45 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

ग. मैसर्स एमपीकॉन लिमिटेड के मामले में इम्फेसिस ऑफ मैटर

- हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 47डी(ए) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहाँ अन्य चालू देनदारियों में 13.13 लाख रु. की एक ऐसी राशि दिखाई गई है, जो कंपनी को वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त हुई है, लेकिन जिस कंपनी से यह राशि प्राप्त हुई है, उसके द्वारा अभी तक इसकी पहचान नहीं की गई है।

- हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 37 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी के खिलाफ दायर मुकदमे के कारण होने वाले लाभ/हानि से संबंधित अनिश्चितता का वर्णन किया गया है।
- हम समेकित वित्तीय विवरण के नोट 47डी(बी) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की अन्य चालू परिसंपत्तियों से संबंधित 39.12 लाख रु. की राशि को सीधे संचय एवं अधिशेष से समायोजित किया गया है।
- यह देखा गया है कि 31.03.2024 तक बैलेंस शीट में 8,67,92,648 रु. की विविध देनदारी दिखायी गई है। विविध देनदारों से संबंधित अवधि तालिका नीचे दी गई है:-

विवरण	राशि में
6 माह तक	8,28,666
6 माह से अधिक परंतु 3 वर्ष तक	1,75,163
3 वर्ष से अधिक	8,57,88,819

- यह पाया गया है कि 31.03.2024 को तुलन-पत्र में तीन साल से अधिक अवधि वाले 4.93 करोड़ रु. के व्यापार देय बकाया है। ये व्यापार देय सीधे तौर पर 8.57 करोड़ रु. के विविध देनदारों से संबंधित है। ये देय शेष वसूली-योग्य शेष पर निर्भर है। इन देय और वसूली-योग्य शेष राशि की शुद्ध स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है;

करोड़ रुपए

विवरण	अवधि - 3 वर्ष से अधिक
विविध देनदार	8.57
व्यापार देनदारियां	4.93
निवल स्थिति	3.64

- प्राप्य (देनदार), देय (लेनदार) और ऋण एवं अग्रिम सहित शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं की गई है। जहां तक तीसरे पक्ष की पुष्टि का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से बताता है कि पुष्टि और शेष राशि के मिलान लंबित होने के कारण कंपनी की क्षमता और वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।
- संगठन खरीद नियमों के अनुसार सरकार की निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है। यह देखा गया है कि ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अधिग्रहण के लिए कोई निविदा जारी नहीं की गई है। जैसा कि हमें बताया गया है, सेवाएं उन पार्टियों से ली जा रही हैं, जो संगठन को कारोबार प्रदान करती हैं। हमारी राय में और खरीद नीति के अनुसार अनुबंध सूचीबद्ध सलाहकारों को आबंटित किये जाने चाहिए। इसके लिए पारदर्शी इम्पैनेलमेंट प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए और समाचार-पत्र या एमपीकॉन की वेबसाइट के माध्यम से सेवा प्रदाताओं व सलाहकारों को आमंत्रित किया जाना चाहिए और उनका उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सेवा प्रदान करने के अनुबंध का आबंटन एल-1 बोलीदाता के तौर पर होना चाहिए।
- नोट 47डी(सी) के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी आपूर्ति अनुबंध के मामले में एमपीकॉन संबंधित विभाग से प्रमाण पत्र/पुष्टि प्राप्त होने के बाद चालान जारी करता है। एमपीकॉन संबंधित महीने में कंपनी के खातों में

आय दर्ज करता है और साथ ही कर्मचारी आपूर्ति अनुबंध के लिए संबंधित महीने में व्यय अंकित करता है। हमारी राय में और राजस्व मान्यता मानदंडों के अनुसार विभिन्न सेवाओं के बिल, सेवाएं प्रदान करने के 30 दिनों के भीतर बनाया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में यह देखा गया है कि कुछ पार्टियों को जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने के बिल नहीं दिए गए हैं और न ही संबंधित व्यय बिल बुक में दर्ज किए गए हैं।

- उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार विक्रेताओं के साथ हुए कारोबार की राशि 113.64 करोड़ रु. है, जबकि गैर-पंजीकृत एमएसएमई विक्रेताओं के साथ कारोबार की राशि 100.77 करोड़ रु. है, संबंधित पक्षों से प्राप्त घोषणा-पत्र उपलब्ध नहीं थे। इसलिए सभी संबंधित पक्षों से घोषणा-पत्र प्राप्त करने का सुझाव दिया जाता है। हमने अपने सामने प्रस्तुत की गई जानकारी पर भरोसा किया है।

घ. इम्फेसिस ऑफ मैटर - मेसर्स आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड

- हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 47सी की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो चरण-3 परिसंपत्तियों पर ब्याज आय की मान्यता और उस राशि को बढ़े खाते में डालने के बारे में लेखांकन नीति में बदलाव के संबंध में है, जिसकी 01 अप्रैल, 2021 से वसूली की कोई उचित आशा नहीं है।

वर्ष के परिणाम लेखांकन नीतियों में बदलाव से भौतिक रूप से प्रभावित हुए। बोर्ड ने ज्ञापन संख्या 1856/23-24 पर विचार किया और इंड एस-109 के अनुरूप चरण-3 परिसंपत्तियों पर ब्याज आय की मान्यता के लिए आईसीएआई और आरबीआई से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद सीएजी की सिफारिश पर ध्यान दिया।

तदनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 और 2021-22 के लिए ब्याज आय में क्रमशः 1,163.41 लाख रु. और 1,266.84 लाख रु. की वृद्धि हुई है। चूंकि वसूली की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए इसे क्रमशः अशोध्य ऋण खाते में डाला गया है। इसलिए, इन वर्षों के क्रमशः शुद्ध लाभ/शुद्ध हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने 1,117.10 लाख रु. के ब्याज को आय को माना है और 1,104.29 लाख रु. को अशोध्य ऋण खाते में डाला है, क्योंकि इस राशि की वसूली की कोई उम्मीद नहीं है।

ङ. इम्फेसिस ऑफ मैटर - मेसर्स आईएफसीआई फैंक्टर्स लिमिटेड

- हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 47ए(बी) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां 8637.51 लाख रु. की आस्थगित कर परिसंपत्तियों को रिवर्स करने का उल्लेख किया गया है।
- हम वित्तीय विवरणों में दिये गये नोट 47ए(सी) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान, कंपनी ने अपने 62 ऋण/निवेश खातों में से 57 एनपीए ऋण खातों में 1,321 लाख रु. मूल्य के ऋण आवंटित किये। इसके महेनजर परिचालन में काफी कमी आई है। वर्तमान में, कोई नया ऋण नहीं दिया जा रहा है। इसलिए, कंपनी की वर्तमान में ऋण प्रदान करने की क्षमता इसकी भविष्य की कार्ययोजना पर निर्भर करेगी। इसके अलावा, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी ने चालू वित्त

वर्ष के दौरान कोई नया ऋण स्वीकृत/वितरित नहीं किया है। ये घटनाएँ या स्थितियाँ दर्शाती हैं कि कंपनी में महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की वित्त प्रदान करने की क्षमता के बारे में संदेह पैदा कर सकती है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में समेकित राय संशोधित नहीं की गई है।

2. मुख्य रिपोर्ट में सूचित किए गए महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो लेखांकन के पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों का समाधान समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में किया गया और हम इन मामलों पर कोई अलग राय नहीं देते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले मुख्य लेखा-परीक्षा मामलों के सम्बन्ध में, वर्णित मामलों का निर्धारण इस प्रकार किया है:

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में हमारे मामले का समाधान कैसे किया गया
1.	ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति - प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) (लेखांकन नीति संख्या एफ(बी) के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 56 देखें) अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र, जहाँ हमने प्रबन्धकीय निर्णयों के उच्चतर स्तर का पता लगाया है: - ईसीएल मॉडल - क्षति हानि मूल्यांकन के लिए चूक की संभावनाओं (पीडी), चूक के कारण हानि (एलजीडी) और चूक पर जोखिम (ईएडी) का अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करने की आवश्यकता है। ये मॉडल ईसीएल को मापने के मुख्य संचालक हैं। - विभिन्न चरणों का व्यक्तिगत रूप से निर्धारित वर्गीकरण - यदि व्यक्तिगत क्षति का उपयुक्त रूप से अभिनिर्धारण और अनुमान न लगाया जाए, तो ऋणियों को ऋण और अग्रिमों के रखरखाव मूल्य में महत्वपूर्ण असमानता हो सकती है। इन मामलों का प्रभाव यह है कि हमारे जोखिम निर्धारण के भाग के रूप में हमने यह निर्धारण किया है कि ईसीएल का मूल्य समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के लिए हमारी अहमियत से अधिक उपयुक्त परिणामों की संभावित श्रेणी सहित अत्यधिक अनुमानों की अनिश्चितता है। अवधारणाओं के अनुचित उपयोग के मामले में ऋण परिसम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलत बताया जा सकता है। समेकित वित्तीय विवरणों में	हमारी लेखा-परीक्षा पद्धति में निम्नलिखित शामिल हैं: हमने प्रत्याशित ऋण हानि के सम्बन्ध में लेखांकन मानक 109 'वित्तीय प्रलेख', में विनिर्दिष्ट मार्गनिर्देशों, विभिन्न नियामक नवीनतम सूचनाओं, कम्पनी के आन्तरिक अनुदेशों और प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखा-परीक्षा पद्धतियों में उनको अपनाया गया है: - ऋण परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में मुख्य आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों के मूल्यांकन और जानकारी, ऋण क्षति का निर्धारण, उपयुक्त आंकड़ों की गुणवत्ता के निर्धारण और वास्तविक आंकड़ों की समीक्षा सहित, प्रविष्टि की जानी चाहिए। - किसी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या किसी ऋण परिसम्पत्ति खाते का पता लगाने के लिए बड़ी और दबावग्रस्त ऋण परिसम्पत्तियों की जांच-परीक्षण आधार पर ऋण परिसम्पत्ति खातों का सत्यापन/ प्रलेखों की समीक्षा, कार्य-निष्पादन। - किसी प्रतिकूल संकेत/टिप्पणी वाली ऋण परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिए आन्तरिक लेखा-परीक्षा और अन्य किसी लेखा-परीक्षा/निरीक्षण प्रणाली की रिपोर्टों की समीक्षा और कम्पनी की नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा, ताकि ऐसी ऋण परिसम्पत्तियों और उसकी संभावित क्रेडिट हानि का समेकित वर्गीकरण किया जा सके।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में हमारे मामले का समाधान कैसे किया गया
	ऋण परिसम्पत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए उस पर ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति को हमारी लेखा-परीक्षा में मुख्य लेखा-परीक्षा मामला माना गया है।	- पीडी और एलजीडी के परिकलन के लिए प्रयुक्त पद्धति में आलोच्य आंकड़ों के इनपुट की उपयुक्तता। - ईसीएल परिकलन में झोत पद्धतियों से आंकड़ों के प्रवाह की पूर्णता और सटीकता। - आर.बी.आई. के आईआरएसीपी मानदण्डों के आधार पर समग्र ऋण परिसम्पत्तियों का निर्धारण। हमारा निष्कर्ष: हमने क्रेडिट हानि शुल्क और मान्य प्रावधान और इससे संबंधित प्रकटीकरणों पर विचार किया और उन्हें स्वीकार्य और संतोषजनक पाया।
2.	वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य पर मूल्यांकन (लेखांकन नीति संख्या च(ख) के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 55 देखें) कम्पनी अपनी मुद्रा और बाजार दर जोखिम का प्रबन्धन करने के लिए आर.बी.आई. के मार्गनिर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव संविदाओं की प्रविष्टि करती है। इन डेरिवेटिव्स संविदाओं का एफवीटीपीएल पर वर्गीकरण किया जाता है और नकद प्रवाह प्रतिरक्षण (प्रतिरक्षा लेखांकन) के अधीन कुछ डेरिवेटिव्स संविदाओं को पदनामित किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण जोखिम के कारण एक मुख्य लेखा-परीक्षा मामले के रूप में डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेखों का मूल्यांकन और प्रतिरक्षा लेखांकन पर विचार किया जाता है तथा इस तथ्य का ध्यान रखा जाता है कि इन अपेक्षाओं के अनुचित उपयोग से आय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।	हमारी लेखा-परीक्षा पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं: हम उन वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं और अन्तर्निहित संविदाओं के संभावित परिणामों तथा कम्पनी को हो रहे किसी लाभ या हानि के लिए निकाले गए उचित मूल्यांकन का अनुमान लगाने में प्रबन्धन की अन्तर्निहित अवधारणाओं की समीक्षा करने के लिए अपने कार्य-दल को निर्देश देते हैं जिससे कम्पनी को हो रहे किसी लाभ या हानि का पता लगाया जा सके। हमारे कार्य-दल ने 31 मार्च, 2024 को निपटान के लिए बकाया/लम्बित के रूप में वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं का ऐसा उचित मूल्य निकालने के लिए सामान्य बाजार कार्य-विधियों और अन्य अन्तर्निहित अवधारणाओं पर भी विचार किया है। यह निर्धारण करना कि मौजूदा लेखांकन मानकों और आर.बी.आई. के मार्गनिर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में कम्पनी के वित्तीय विवरणों में इसके डेरिवेटिव मूल्यांकन जोखिम को उपयुक्त रूप से दर्शाने के लिए प्रकटन किया गया है। हमारा निष्कर्ष: हमें उचित मूल्य पर डेरिवेटिव संविदाओं के मूल्यांकन में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं मिली है और सम्बन्धित प्रकटन स्वीकार्य और संतोषजनक है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में हमारे मामले का समाधान कैसे किया गया
3.	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का निर्धारण मुख्य वित्तीय लेखांकन और सूचना प्रक्रियाएं कम्पनी की आईटी पद्धतियों के स्वचालित नियंत्रण पर अत्यधिक निर्भर करती हैं। इस बात का जोखिम रहता है कि कर्तव्यों या यूजर एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल के अनुपयुक्त विभाजन (मुख्य वित्तीय लेखांकन और सूचना पद्धतियों के सम्बन्ध में) से हमारी लेखा-परीक्षा करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है और लेखा-परीक्षा की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो सकती है। हमने प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले के रूप में इस पर विचार किया है क्योंकि किसी नियंत्रण चूक, वैधता उल्लंघन, अनुचित इनपुट आंकड़ों और आंकड़ों के अनुचित निस्तारण से प्रबन्धन और नियामकों को आंकड़ों की गलत सूचना मिल सकती है।	हमारी लेखा-परीक्षा पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं: वित्तीय लेखांकन और सूचना पद्धतियों के सम्बन्ध में सूचना/इनपुट पर मुख्य नियंत्रणों के सैपल का मूल्यांकन किया। हमारा निष्कर्ष: हमें वित्तीय लेखांकन और सूचना पर आईटी पद्धतियों से निकलने वाली सूचनाओं के हमारे विश्लेषण के अनुसार कोई विशेष कमी नहीं दिखी है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचनाएं

कम्पनी का निदेशक बोर्ड और प्रबन्धन अन्य सूचनाएं तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई संगत सूचनाएं शामिल हैं, परन्तु इनमें इस लेखा-परीक्षक रिपोर्ट की तारीख को समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना को कवर नहीं करती है और हम उन पर आश्वासन के किसी रूप में निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है और ऐसा करने में, विचार करना है कि क्या अन्य सूचना महत्वपूर्ण रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के अनुरूप है या लेखा-परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलतबयानी प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी अन्य सूचना की महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं हुई है, जिससे हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना अपेक्षित हो। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है। ये समेकित वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एस भी शामिल हैं, के अनुसार समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन, समेकित नकद प्रवाह और समूह की इक्विटी में समेकित परिवर्तनों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

समूह में शामिल कंपनियों से संबंधित निदेशक मंडल समूह की संपत्तियों की सुरक्षा, समूह में धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन करने व उन्हें इस्तेमाल करने, ऐसे निर्णय लेने व अनुमान लगाने

जो उचित तथा विवेकसम्मत हों; और वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करने वाले पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, उनके कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। साथ ही ऐसे समेकित वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करना भी उनका उत्तरदायित्व है, जो गड़बड़ी, धोखाबाजी या त्रुटि से मुक्त सत्य एवं स्पष्ट सूचना देते हों।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, समूह में शामिल कम्पनियों के संबंधित निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व संबंधित कम्पनियों की सुचारू रूप से कारोबार करते रहने की क्षमता का मूल्यांकन करना है, जिसमें विभिन्न कम्पनियों से संबंधित, सम्बद्ध मामलों को प्रकट करना और उनका लेखांकन निरंतरता के आधार पर करना जब तक कि निदेशक मण्डल का संबंधित कम्पनियों को समाप्त करने या प्रचालनों को बंद करने का इरादा न हो या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प न हो।

समूह में शामिल कंपनियों से संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के संबंध में लेखा-परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करना कि समेकित वित्तीय विवरण, समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट जिसमें हमारी राय शामिल है, भी जारी करना है। समुचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, परन्तु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखा-परीक्षा सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाती है, जब यह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से पैदा हो सकती है और तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है, यदि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को समुचित रूप से प्रभावित करने की उम्मीद हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और संपूर्ण लेखा-परीक्षा के दौरान व्यावसायिक अविश्वास बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और निर्धारण करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों। ऐसे जोखिमों के लिए निष्पक्ष उत्तरदायी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करते हैं और ऐसे लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के फलस्वरूप महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न लग पाने का जोखिम त्रुटि से होने वाले जोखिम से बड़ा होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठगांठ, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा-परीक्षा के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं, ताकि उन परिस्थितियों में ऐसी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें, जो उचित हैं। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(i) के अधीन हम, कम्पनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और लेखांकन अनुमान और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन की समुचितता सुनिश्चित करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन की चालू प्रतिष्ठान की अवधारणा के प्रयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर तय करते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है, जो चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की कम्पनी की क्षमता के बारे में बड़ा संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष

निकालते हैं कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है तो हमें इसे वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों के लिए हमारे लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त है तो अपनी राय में संशोधित करना अपेक्षित है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां समूह को चालू प्रतिष्ठान बने रहने की संभावना को समाप्त कर सकती है।

- समग्र प्रस्तुतिकरण, ढांचे और वित्तीय विवरणों की अंतर्वस्तु, जिसमें प्रकटन शामिल है, का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देनों और घटनाओं को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त किया जा सकता है।
- समूह की कम्पनियों या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय सूचनाओं से संबंधित पर्याप्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जिससे कि समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त की जा सके।

समेकित वित्तीय विवरणों में गलत कथनों की काफी अधिक व्यापकता है। इसलिए हो सकता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय भी, व्यक्तिगत तौर पर या समग्र रूप से प्रभावित हों। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में, और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी तरह के गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक सामग्री और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में समूह और इसकी कम्पनियों, जिनके कि हम स्वतंत्र लेखा-परीक्षक हैं, के शासन संबंधी प्रभारियों से हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान की गई आंतरिक नियंत्रण में अन्य मामलों, उल्लेखनीय कमियों सहित लेखा-परीक्षा और उल्लेखनीय लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के कार्य क्षेत्र और समय के बारे में संपर्क करते हैं।

हम शासन संबंधी प्रभारियों को ऐसे विवरण भी प्रदान करते हैं, जिन्हें हमने स्वतंत्र रूप से संगत नीतिपरक अपेक्षाओं से संकलित किया और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संपर्क करते हैं, जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां प्रयोज्य हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर प्रभाव पड़ सकता है।

शासन संबंधी अधिकारियों के साथ सम्प्रेषित मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा में अत्यधिक उल्लेखनीय थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का हमारी लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन कानून का विनियम बाधा नहीं डालता है या जब अत्यधिक विरली परिस्थितियों में हम निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में सम्प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे सम्प्रेषण के समुचित रूप से सार्वजनिक हित अभिलाषों से अधिक भारी होने की संभावना रहती है।

अन्य विधिक व नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) की अपेक्षानुसार हम भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों तथा उप-निर्देश (क्रमशः भाग-क और भाग-ख) पर समूह के लिए अपनी रिपोर्ट “अनुबंध-क” के रूप में इसके साथ संलग्न करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम यह भी सूचित करते हैं कि:
 - (क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं;
 - (ख) हमारी राय में, समूह द्वारा कानून के अनुसार उचित खाते-बही रखे हैं, जिसमें उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं। समूह के खाते-बहियों की हमारी

- जांच और अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों से यह पता चलता है;
- (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए गये समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ तथा हानि विवरण, अन्य व्यापक आय, समेकित नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में समेकित परिवर्तन खाता-बहियों के अनुरूप हैं;
- (घ) हमारी राय में उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;
- (ङ.) कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार निदेशकों की अनर्हता के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 164 (2) समूह की कम्पनियों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि ये सरकारी कम्पनियां हैं;
- (च) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभावोत्पादकता के संबंध में “अनुबंध-ब” के रूप में हमारी अलग रिपोर्ट देखें; और
- (छ) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसरण में लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में, चूंकि यह एक सरकारी कम्पनी है, अतः कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार कम्पनी पर अधिनियम की धारा 197 के उपबन्ध लागू नहीं होते हैं;
- (ज) कम्पनी (लेखा-परीक्षा तथा लेखा-परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - i. समेकित वित्तीय विवरणों में विचाराधीन मुकदमों का समूह की वित्तीय स्थिति पर पड़े प्रभाव का उल्लेख किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 37 देखें;
 - ii. समूह ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घकालीन संविदाओं पर महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष हानियां, यदि कोई हों, के लिए प्रयोज्य विधि और लेखांकन मानकों की अपेक्षानुसार लाभ व हानि खाते में उपयुक्त समायोजन किया है - समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 55 देखें;
 - iii. कम्पनी और भारत में इसकी निगमित कम्पनियों द्वारा निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि में अन्तर्गत की जाने वाली राशियों का अन्तरण करने में कोई विलम्ब नहीं किया गया है।
 - iv. क) कम्पनी और इसकी भारत में निगमित सहायक कम्पनियों, जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के तहत लेखा-परीक्षण किया गया है, के प्रबंधन ने हमें बताया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कोई भी निधि (जो या तो अधिक मूल्य की हो या महत्वपूर्ण हो) को (चाहे उधार ली गई निधि से हो या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से या किसी अन्य निधि से) कम्पनी या इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था (“मध्यस्थ”) सहित में अग्रिम या ऋण या निवेश के तौर पर प्रयोग नहीं किया गया है। इस तरह के कोई समझौते, चाहे लिखित में या अन्यथा नहीं किये गये हैं कि कम्पनी या सहायक कम्पनियों (“अंतिम लाभार्थी”) की ओर से कोई मध्यस्थ किसी मान्य व्यक्ति या कम्पनियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा और न ही अंतिम

- लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह का कोई आश्वासन प्रदान करेगा।
- ख) कम्पनी और इसकी भारत में निगमित सहायक कम्पनियों, जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के तहत लेखा-परीक्षण किया गया है, के प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कम्पनी या इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियाँ") सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड (व्यक्तिगत रूप से या सामुहिक तौर पर) प्राप्त नहीं किया गया है। इस बारे में कोई समझौते, चाहे लिखित में या अन्यथा, नहीं किये गये हैं कि फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से किसी मान्य व्यक्ति या कम्पनियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण दिया जाएगा या उनमें निवेश किया जाएगा और न ही अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सिक्योरिटी या ऐसा कोई आश्वासन दिया जाएगा।
- ग) कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों के लिए अपनायी गई लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं, जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुति, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत उल्लेख किया गया है, में कोई भी उल्लेखनीय गलतबयानी हुई है।
- v. वर्ष के दौरान, मेसर्स स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमपीकॉन लिमिटेड और आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड ने संबंधित वर्ष का लाभांश घोषित किया या उसका भुगतान किया है जो कि मेसर्स स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एमपीकॉन लिमिटेड की वैधानिक लेखा-परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन के अनुसार है।
- vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल है, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के अपने संबंधित खाते-बही बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की विशेषता है और सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किए गए सभी सम्बन्धित लेनदेनों के लिए वर्ष के दौरान इनका परिचालन किया गया। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।
- चूंकि कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग करने संबंधी प्रावधान 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में लागू नहीं है।
- चूंकि कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के रिकॉर्ड रखने के बारे में वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा-परीक्षा एवं लेखा-परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
3. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"/"सीएआरओ") के पैराग्राफ 3(xxi) और 4 में निर्दिष्ट मामले लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किये जाते हैं। तदनुसार, हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट, जिनमें सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू है, के अनुसार हमें समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की कंपनी (लेखा-परीक्षा रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्ट में संबंधित लेखा-परीक्षकों द्वारा कोई अयोग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी (पर्यवेक्षणों को छोड़कर) नहीं मिली।

कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान
साझेदार

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

सदस्यता सं. 080500
यूडीआईएन: 24080500BKFBII7646

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध-क

(समेकित वित्तीय विवरणों पर इस तिथि की आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट की 'अन्य विधिक तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के पैरा 1 में निर्दिष्ट)

भाग क - निर्देश

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर												
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कम्पनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के अलावा लेखांकन लेनदेनों की प्रोसेसिंग से वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की स्थिति पर प्रभाव, यदि कोई हों, बतायें।	हां, सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली से प्रोसेस होते हैं। हां, सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली से प्रोसेस होते हैं। आयकर गणना और आस्थगित कर गणना एमएस एक्सेल पर मैन्युअल रूप से की गई है। यद्यपि दोनों प्रक्रियाओं में लेखांकन प्रविष्टियां केवल आईटी प्रणाली से ही पारित की जाती हैं।												
2.	क्या कम्पनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना हुई है या ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिये गये ऋण/ब्याज आदि को छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कम्पनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कम्पनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	संदर्भाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा लिए गए ऋणों की कोई पुनर्रचना नहीं की गई है। ऋण चुकाने में कम्पनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कम्पनी को किए गए ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले नहीं हैं। हालांकि, कम्पनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, एक ऋणदाता कम्पनी होने के नाते इसके पास ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डाले जाने वाले मामले हैं। बट्टे खाते में डालने/छूट देने वाले मामलों के विवरण इस प्रकार हैं: <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>देय राशि की प्रकृति</th><th>राशि (करोड़ रु)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क.</td><td>ऋणों में छूट/माफी/तकनीकी अपलेखन</td><td>437.26</td></tr> <tr> <td>ख.</td><td>पूर्व में बट्टे खाते में डाली गई राशि की वसूली/राइट-बैक</td><td>61.43</td></tr> <tr> <td>ग.</td><td>देनदार बट्टे खाते में</td><td>4.62</td></tr> </tbody> </table> यह बताया गया कि छूट/बट्टे खाते में डालने का निर्णय व्यक्तिगत मामलों के आधार पर उपलब्ध प्रतिभूति सुरक्षा, उधारकर्ता/निवेशिती की स्थिति और लंबित मुकदमे पर विचार करते हुए प्रत्येक मामले में वसूली/वसूली की संभावना के उचित मूल्यांकन के बाद तय किया जाता है। तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने/छूट देने के मामलों में बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने/छूट की राशि की निर्धारित सीमा तक पूर्णतया खाता-बहियों में प्रावधान किया गया था।	क्र. सं.	देय राशि की प्रकृति	राशि (करोड़ रु)	क.	ऋणों में छूट/माफी/तकनीकी अपलेखन	437.26	ख.	पूर्व में बट्टे खाते में डाली गई राशि की वसूली/राइट-बैक	61.43	ग.	देनदार बट्टे खाते में	4.62
क्र. सं.	देय राशि की प्रकृति	राशि (करोड़ रु)												
क.	ऋणों में छूट/माफी/तकनीकी अपलेखन	437.26												
ख.	पूर्व में बट्टे खाते में डाली गई राशि की वसूली/राइट-बैक	61.43												
ग.	देनदार बट्टे खाते में	4.62												
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन किया गया/उपयोग किया गया? इनमें विचलन है तो ऐसे मामलों की सूची बनाएं।	लेखा-परीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं की/प्राप्त होने योग्य नहीं है। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना और विभिन्न पीएलआई योजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि का उचित हिसाब-किताब किया गया है और योजना के नियमों व शर्तों के अनुसार धनराशि का उपयोग किया गया है। उपरोक्त जानकारी पूरी तरह से प्रबंधन द्वारा दिये गये उत्तरों पर आधारित है, जो इस रिपोर्ट के 'मैटर ऑफ इंफेसिस' अनुभाग के पैरा 5 और 6 के अनुसार हैं।												

भाग ख - उप-निर्देश

क्र.सं.	उप-निर्देश	उत्तर																				
1.	निवेश क्या सीजीएस/एसजीएस/बॉड/डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व के प्रलेख फिजिकल/डी-मैट रूप में उपलब्ध है और क्या ये कम्पनी की खाता-बहियों में दर्शाई गई संबंधित सकल राशियों के बराबर है? यदि नहीं, तो इनके विवरण का उल्लेख किया जा सकता है।	कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा निष्पादित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, सीजीएस/एसजीएस/बॉड/डिबेंचर इत्यादि के संबंध में स्वामित्व प्रलेख फिजिकल/डीमैट रूप में उपलब्ध है और ये नीचे उल्लिखित मामलों को छोड़कर, कम्पनी की खाता-बहियों में दर्शाई गई संबंधित सकल राशियों के अनुसार है। क) जहां शेयर डीमैट या फिजिकल रूप में है लेकिन नमूना जांच के आधार पर पायी गई सीमा तक खाता-बहियों में शामिल नहीं है। <table><tr><th>क्र.सं.</th><th>कम्पनी का नाम</th><th>प्रकार</th><th>शेयरो की संख्या</th></tr><tr><td>1.</td><td>हिंडालको इंडिया</td><td>डिमेट</td><td>1160</td></tr><tr><td>2.</td><td>मवाना शुगर्स*</td><td>डिमेट</td><td>137</td></tr><tr><td>3.</td><td>एक्सपीआरओ इंडिया</td><td>डिमेट</td><td>2325</td></tr><tr><td>4.</td><td>जेके लक्ष्मी सीमैट</td><td>डिमेट</td><td>180</td></tr></table> *एसआईईएल लिमिटेड और एसआईईएल शुगर लिमिटेड में हिस्सेदारी के बदले प्राप्त शेयर	क्र.सं.	कम्पनी का नाम	प्रकार	शेयरो की संख्या	1.	हिंडालको इंडिया	डिमेट	1160	2.	मवाना शुगर्स*	डिमेट	137	3.	एक्सपीआरओ इंडिया	डिमेट	2325	4.	जेके लक्ष्मी सीमैट	डिमेट	180
क्र.सं.	कम्पनी का नाम	प्रकार	शेयरो की संख्या																			
1.	हिंडालको इंडिया	डिमेट	1160																			
2.	मवाना शुगर्स*	डिमेट	137																			
3.	एक्सपीआरओ इंडिया	डिमेट	2325																			
4.	जेके लक्ष्मी सीमैट	डिमेट	180																			

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर																											
		समूह कंपनी और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि से उपरोक्त शेयरों का दावा करने की प्रक्रिया में है और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद इसे खातों में दिखाया जाएगा। ख) जहां शेयरों का लेखांकन बहीखातों में किया गया है, लेकिन नमूना जांच में पाये गये ये डीमैट या फिजिकल शेयर उपलब्ध नहीं है। <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>कम्पनी का नाम</th><th>शेयरों की संख्या</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>एलएमएल लि. (अधिमान)</td><td>21,50,912</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>ओसीएम इंडिया लि.</td><td>5,89,743</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>सेमकोर ग्लास लि.</td><td>20,00,000</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>सदर्न विंड फार्म्स प्रा. लि.</td><td>1,00,000</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>अशोक पेपर मिल्स लि.(अधिमान)</td><td>30,000</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>अशोक पेपर मिल्स लि.</td><td>3,00,000</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>कछार शुगर मिल्स लि.(अधिमान)</td><td>14,953</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>किलबर्न ऑफिस ऑटोमेशन लि.</td><td>400</td></tr> </tbody> </table> कंपनी उपरोक्त कंपनियों के संबंध में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया में है।	क्र.सं.	कम्पनी का नाम	शेयरों की संख्या	1.	एलएमएल लि. (अधिमान)	21,50,912	2.	ओसीएम इंडिया लि.	5,89,743	3.	सेमकोर ग्लास लि.	20,00,000	4.	सदर्न विंड फार्म्स प्रा. लि.	1,00,000	5.	अशोक पेपर मिल्स लि.(अधिमान)	30,000	6.	अशोक पेपर मिल्स लि.	3,00,000	7.	कछार शुगर मिल्स लि.(अधिमान)	14,953	8.	किलबर्न ऑफिस ऑटोमेशन लि.	400
क्र.सं.	कम्पनी का नाम	शेयरों की संख्या																											
1.	एलएमएल लि. (अधिमान)	21,50,912																											
2.	ओसीएम इंडिया लि.	5,89,743																											
3.	सेमकोर ग्लास लि.	20,00,000																											
4.	सदर्न विंड फार्म्स प्रा. लि.	1,00,000																											
5.	अशोक पेपर मिल्स लि.(अधिमान)	30,000																											
6.	अशोक पेपर मिल्स लि.	3,00,000																											
7.	कछार शुगर मिल्स लि.(अधिमान)	14,953																											
8.	किलबर्न ऑफिस ऑटोमेशन लि.	400																											
2.	ऋण सभी पुनसंरचित, पुनर्निर्धारित, संशोधित ऋणों संबंधी प्रावधानों के संबंध में- क्या ऐसे सभी ऋणों के लिए उपलब्ध सिक्योरिटी (प्रतिभूतियों) के वसूली योग्य मूल्य के आवधिक मूल्यांकन की प्रणाली लागू है और क्या इसके लिए वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रावधान किया गया है? इस संबंध में कोई कमी, यदि कोई हो, के सम्बंध में पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव सहित उपयुक्त रूप से टिप्पणी करें।	पुनसंरचित, पुनर्निर्धारित, संशोधित ऋणों सहित सभी ऋण पोर्टफोलियो के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य के आकलन के लिए उचित प्रणाली बनायी गई है, जिसे तिमाही आधार पर अपडेट किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन प्रक्रिया समय-समय अपनायी जाती है और परिस्थितियों के अनुसार जरूरी होने पर कभी भी अपनायी जा सकती है। भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) के नियमों को अपनाने के लिए कंपनी के वित्तीय खाते इंड एस के अनुसार तैयार किए गये हैं। कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार ऋण के मामले में अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की गणना करके परिसंपत्तियों में हानि की गणना इंड एस के अनुसार की गई है। कंपनी इंड एस मानदंडों बनाम आईआरएसी मानदंडों, जो भी लागू हों, के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान संबंधी नीति का पालन कर रही है।																											
3.	क्या कम्पनी द्वारा उधारकर्ता के साथ बकाया ऋण राशि की बुकिंग और क्षति हानि भत्ते के समायोजन के लिए किसी समाधान योजना/एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) पर समझौता हुआ है।	ओटीएस निपटान और समाधान योजना के संबंध में हानि और निपटान के लिए उचित लेखांकन समायोजन किया गया है।																											

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर				
4.	आईएफसीआई की सभी समूह कंपनियों द्वारा सामान्य सहयोगियों/संस्थाओं/संयुक्त उद्यम में निवेश के मूल्यांकन की समीक्षा, ताकि हानि, यदि कोई हो, को पहचाना जा सके। विसंगतियां/कमी, यदि कोई हो, को लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (केवल समेकित वित्तीय विवरणों पर लागू) में उपयुक्त रूप से प्रकट किया जा सके।	यह देखा गया है कि जेबीएमएफपीएल और बीसीआईएल में निवेश, 31/03/2023 को उनके वित्तीय विवरणों के अनुसार बही मूल्य के बराबर या उससे कम मूल्य पर दर्ज किया गया है। आईएफसीआई समूह संस्थाओं में दर्ज मूल्यांकन में अंतर या तो मूल्यांकन की अलग-अलग तिथि होने या मूल्यांकन मान्यताओं में अंतर के कारण है।				
		क्र. सं.	सामान्य सहयोगी/ संस्था/संयुक्त उद्यम	आईएफसीआई समूह द्वारा शेयरधारिता	खाता बहियों में 31.03.2024 को उचित मूल्यांकन दर्ज किया	टिप्पणी
		1.	जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क लिमिटेड (जेबीसीपीएल)	आईआईडीएल: 15.83% आईवीसीएफ: 7.82%	आईआईडीएल: 5.30 रूपए प्रति शेयर आईवीसीएफ: 1.14 रूपए प्रति शेयर	31/03/2023 को खातों को अंतिम रूप देने के समय उपलब्ध जेबीएमएफपीएल का बुक वैल्यू: 8.15 रूपए प्रति शेयर
		2.	बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल)	आईएफसीआई: 18.62% आईवीसीएफ: 3.72%	आईएफसीआई: 55.20 रूपए प्रति शेयर आईवीसीएफ: 0.00 रूपए प्रति शेयर	31/03/2023 को खातों को अंतिम रूप देने के समय उपलब्ध बीसीआईएल का बुक वैल्यू: 55.20 रूपए प्रति शेयर

कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

सीए सुभाष चंदर मान
साझेदार
सदस्यता सं. 080500
यूडीआईएन: 24080500BKFBII7646

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध-‘ख’

(समेकित वित्तीय विवरणों पर इस तिथि की आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट की ‘अन्य विधिक तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट’ के पैरा 2(एफ) में निर्दिष्ट)

कम्पनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड (i) के अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

आईएफसीआई लिमिटेड (जिसे यहां आगे “कम्पनी” कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के क्रम में, 31 मार्च, 2024 को और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए, हमने कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों, जो उस तारीख तक भारत में निगमित कम्पनियां हैं, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा की है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी में दिए गए आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए, सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा स्थापित समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदण्ड पर आन्तरिक नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना और उनका रखरखाव करना कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों, जो भारत में निगमित हैं, के सम्बन्धित निदेशक बोर्ड का दायित्व है। इन दायित्वों में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के निरूपण, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो उनके सही होने तथा इसके कारोबार के प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करते हैं, जिनमें सम्बन्धित कम्पनी की नीतियों का दृढ़ता से पालन करना, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी तथा त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों का सही और पूर्ण होना तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों, जो भारत में निगमित हैं, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा मार्गदर्शक टिप्पणी (“मार्गदर्शक टिप्पणी”) तथा दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित माने जाने वाले, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन के मानकों के अनुसार की है, जो आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा दोनों पर प्रयोज्य सीमा तक लागू होते हैं। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखांकन का नियोजन व निष्पादन इस प्रकार करें जिनसे उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका रखरखाव किया गया है एवं क्या ऐसे नियंत्रण समग्रतः प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखा-परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की प्रयाप्तता तथा उनकी परिचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा-परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जानकारी प्राप्त करने, जोखिमों का निर्धारण, जिनसे महत्वपूर्ण दुर्बलता मौजूद होती है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के निरूपण का मूल्यांकन करने और परिचालनात्मक प्रभावोत्पादकता की जांच करना शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं, वे कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों, जो उस तारीख तक भारत में निगमित कम्पनियां हैं, के समेकित

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा-परीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों हेतु समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और पद्धतियां शामिल हैं जो (1) कम्पनी की परिसम्पत्तियों का रिकॉर्ड, उपयुक्त विवरण में, सही रूप से तथा उनके संव्यवहारों और निपटान को उचित रूप से परिलक्षित करती हैं (2) जिनसे यह आश्वासन प्राप्त होता हो कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए यथा आवश्यक संव्यवहार रिकॉर्ड किए जाते हैं और कम्पनी की प्राप्ति और व्यय कम्पनी के प्रबन्धन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं और (3) जिनसे कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग व निपटान को रोकने या उनका सही समय पर पता लगाने का उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अन्तर्निहित परिसीमन

प्रबन्धन की मिलीभगत की सम्भावना या प्रबन्धन द्वारा नियंत्रणों का अनुचित उल्लंघन करने सहित समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के अन्तर्निहित परिसीमन से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चलता। भावी अवधियों में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेप भी ऐसे जोखिम के अधीन हैं जिनसे समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण, परिस्थितियों में परिवर्तन या नीतियों अथवा पद्धतियों के अनुपालन में कमी के कारण अपर्याप्त हो जाते हैं।

राय

हमारी राय में, हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी और इसकी सहायक कंपनियां, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के पास सभी भौतिक मामलों में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट संबंधी मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

उपरोक्त मामले के संबंध में राय संशोधित नहीं की गई है।

कृते एस मान एंड कंपनी

सनदी लेखापाल

फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान

साझेदार

सदस्यता सं. 080500

यूडीआईएन: 24080500BKFBII7646

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार समेकित तुलन पत्र

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 की स्थिति अनुसार (पुनःस्थापित)
I. परिसम्पत्तियां				
(1) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
(क) नकद एवं नकदी समतुल्य	3	1,298.10	1,036.77	966.30
(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न बैंक शेष	4	3,748.28	2,720.15	1,328.15
(ग) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	5	-	14.83	2.02
(घ) ट्रेड से प्राप्त	6	306.33	239.05	242.57
(ङ) ऋण	7	1,363.15	1,907.98	2,623.48
(च) निवेश	8	8,677.93	7,700.07	6,540.90
(छ) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	9	1,410.28	786.06	734.77
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां		16,804.07	14,404.91	12,438.19
(2) गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां				
(क) इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया गया निवेश	10	-	-	-
(ख) सामान सूची		69.66	71.46	73.89
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)		90.84	82.34	68.97
(घ) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	11	0.00	430.02	924.40
(ङ) निवेश सम्पत्ति	12	284.03	298.16	286.76
(च) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	13	936.46	962.65	960.90
(छ) कार्यशील पूंजी		12.53	5.49	11.51
(ज) विकासार्थीन अमूर्त परिसम्पत्तियां		0.23	5.64	4.11
(झ) गुडविल	14	446.64	446.64	446.64
(ञ) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	15	66.59	56.38	47.01
(ट) अन्य गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	16	157.11	167.52	217.43
कुल गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां		2,064.09	2,526.29	3,041.62
बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां	17	49.41	7.54	7.54
कुल परिसम्पत्तियां		18,917.57	16,938.73	15,487.35
II. देयताएं एवं इक्विटी				
(1) वित्तीय देयताएं				
(क) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	5	13.94	-	-
(ख) देय राशियां				
(I) व्यापार देयताएं				
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	18	1.86	17.89	0.87
(ii) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं		461.09	257.13	390.00
(II) अन्य देय राशियां				
(i) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया		-	-	-
(ii) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		-	-	-
(II) अन्य देय राशियां				
(i) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	18	-	-	-
(ii) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं		-	-	2.23
(ग) ऋण प्रतिभूतियां	19	4,276.21	4,733.59	5,095.43
(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	20	346.10	511.55	1,025.02
(ङ) अधीनस्थ देयताएं	21	744.67	774.67	974.66
(च) अन्य वित्तीय देयताएं	22	5,039.25	3,756.33	2,752.23
कुल वित्तीय देयताएं		10,883.12	10,051.16	10,240.44
(2) गैर-वित्तीय देयताएं				
(क) प्रावधान	23	125.13	183.65	156.68
(ख) आस्थगित कर देनदारियां (निवल)	11	208.47	-	-
(ग) अन्य गैर वित्तीय देयताएं	24	21.54	35.08	35.67
कुल गैर वित्तीय देयताएं		355.14	218.73	192.35
(3) इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	25	2,489.61	2,195.93	2,102.99
(ख) अन्य इक्विटी	26	2,044.63	1,570.79	715.10
मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों को देय इक्विटी		4,534.24	3,766.72	2,818.09
गैर नियंत्रक ब्याज		3,145.07	2,902.12	2,236.47
कुल इक्विटी		7,679.31	6,668.84	5,054.56
कुल देयताएं एवं इक्विटी		18,917.57	16,938.73	15,487.35

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

क्ते एस मान एंड कंपनी
सैनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान
साईनदार
संख्या: 080500
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

सुनील शर्मा
मुख्य सहायक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

राहुल भावे
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09077979

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

उमेश कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन: 00599426

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि का विवरण

विवरण	टिप्पणी संख्या	(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)		
		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनःस्थापित)
I. परिचालनों से राजस्व				
व्याज आय		553.83	591.67	924.97
लाभंश आय	27	183.36	105.60	62.39
किराया आय		39.68	49.94	26.76
शुल्क एवं कमीशन आय		539.96	489.59	62.46
उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ	28	212.18	86.42	46.21
उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)	29	0.85	2.31	22.29
सेवाओं की बिक्री		456.72	369.11	655.17
परिचालनों से कुल राजस्व		1,986.58	1,694.64	1,800.25
II. अन्य आय	30	128.24	33.73	43.44
III. कुल आय		2,114.82	1,728.37	1,843.69
IV. व्यय				
वित्त लागते	31	571.13	641.62	943.07
शुल्क एवं कमीशन व्यय		98.39	92.55	76.86
उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि	29	-	-	-
वित्तीय प्रलेखों पर क्षति	32	(294.28)	123.36	1639.29
खपत सामग्रियों की लागत		3.17	4.05	15.69
व्यापार स्टॉक की खरीद		0.31	0.61	10.39
कर्मचारी हित व्यय	33	313.73	303.85	311.04
मूल्यहास व परिशोधन	34	80.89	73.93	66.39
अन्य व्यय	35	593.69	461.08	303.25
कुल व्यय		1,367.03	1,701.05	3,365.98
V. अपवादात्मक मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III- IV)		747.79	27.32	(1,522.29)
अपवादात्मक मदें		(3.09)	1.24	1.02
VI. कर पूर्व लाभ/(हानि)		750.88	26.08	(1,523.31)
VII. कर व्यय:				
- चालू कर		54.88	45.43	35.11
- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु कराधान		1.15	0.07	-
- आस्थगित कर (निवल)	11	453.80	100.36	202.78
कुल कर व्यय		509.83	145.86	237.89
VIII. अवधि हेतु लाभ/(हानि)		241.05	(119.78)	(1,761.20)
इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के लेखागत निवल लाभ का हिस्सा		-	-	-
IX. अवधि हेतु लाभ/(हानि)		241.05	(119.78)	(1,761.20)
X. अन्य समग्र आय				
क. (i) मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन - इक्विटी प्रतिभूतियां		693.39	1,710.86	2,444.49
- एफवीटीओसीआई की बिक्री पर लाभ/(हानि) - इक्विटी प्रतिभूतियां		(183.32)	(53.33)	(102.70)
- परिभाषित लाभ बाध्यता पर बीमाकक लाभ/(हानि)		(5.53)	2.08	1.85
(ii) उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तनों पर कर - इक्विटी प्रतिभूतियां		(180.71)	(390.82)	(565.28)
- परिभाषित लाभ बाध्यता पर बीमाकक लाभ/(हानि) पर कर		1.49	(0.67)	0.02
उप जोड़ (क)		325.32	1,268.12	1,778.38
ख. (i) मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा				
- एफवीटीओसीआई पर मूल्यांकित ऋण प्रतिभूतियां - उचित मूल्य में निवल परिवर्तन		13.54	(0.75)	(10.54)
- एफवीटीओसीआई पर मूल्यांकित ऋण प्रतिभूतियां - लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत		-	-	-
- विदेशी मुद्रा परिचालन के वित्तीय विवरणों के अन्तरण में विनिमय अन्तराल		0.21	1.30	0.50
(ii) उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा				
- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तनों पर कर ऋण प्रतिभूतियां		(4.74)	0.24	(13.80)
उप जोड़ (ख)		9.01	0.79	(23.84)
अन्य समग्र आय (क + ख)		334.33	1,268.91	1,754.54
XI. अवधि हेतु कुल समग्र आय		575.38	1,149.13	(6.66)
XII. मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों को देय वर्ष हेतु लाभ		103.66	(207.80)	(1,831.34)
गैर-नियंत्रक हित		137.40	87.98	70.14
XIII. मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों के कारण वर्ष के लिए कुल समग्र आय		157.12	656.25	910.94
गैर नियंत्रक हित		177.21	612.68	843.62
XIV. मूल कम्पनी के इक्विटीधारकों को देय वर्ष हेतु कुल समग्र आय		260.78	448.45	(920.40)
गैर नियंत्रक हित		314.61	700.66	913.76
XV. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन				
प्रत्येक 10/- रुपए प्रति शेयर बेसिक अर्जन		0.42	(0.95)	(8.71)
प्रत्येक 10/- रुपए प्रति शेयर डायल्यूटिड अर्जन		0.42	(0.95)	(8.71)

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस मान एंड कंपनी

संनदी लेखापाल

आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंद्र मान

साझेदार

सदस्यता संख्या: 080500

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल

प्रबंध निदेशक व

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

डोआईएन: 01400076

राहुल भावे

उप प्रबंध निदेशक

डोआईएन: 09077979

उमेश कुमार गर्ग

स्वतंत्र निदेशक

डोआईएन: 00599426

सुनील शुक्ला

मुख्य महाप्रबंधक व

मुख्य वित्तीय अधिकारी

धिरंका शर्मा

कम्पनी सचिव

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
क. परिचालन क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह		
कर-पूर्व निवल लाभ	750.88	26.08
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्यहास एवं परिशोधन	80.89	73.93
क्षति प्रावधान/बट्टे खाते डालना	(381.24)	(86.14)
निवेशों पर अवसूलीकृत लाभ/(हानि)	(295.96)	248.14
बिक्री के लिए रखी संपत्ति पर क्षति	(49.37)	-
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	(0.23)	(0.22)
पारिभाषित लाभ योजना का पुनःउपयोग	0.16	-
उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ या हानि	(4.40)	-
निवेशों की बिक्री पर लाभ	(0.25)	-
प्राप्त लाभांश	(183.36)	(105.60)
वित्तीय लागत	572.82	-
ब्याज आय	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-
ब्याज पर भुगतान	-	-
प्राप्त लाभांश	113.10	105.60
अशोध्य ऋण एवं प्रावधान	10.47	-
सरकार से सब्सिडी	(0.06)	-
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों तथा परिचालन क्रियाकलापों से पूर्व परिचालन लाभ	613.44	261.79
प्राप्त ब्याज एवं भुगतान		
ब्याज का भुगतान	(440.40)	(641.62)
प्राप्त ब्याज	415.46	591.67
परिचालन क्रियाकलापों के लिए समायोजन:		
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(291.00)	249.47
सामान सूची में (वृद्धि)/कमी	-	2.43
ऋणों व अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	403.06	801.65
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेखों में (वृद्धि)/कमी	28.77	(12.81)
व्यापार देयताओं में वृद्धि/(कमी)	168.46	(118.08)
अधीनस्थ देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	(30.00)	(199.99)
प्राप्तों में (वृद्धि)/कमी	(76.62)	3.52
ऋणों प्रतिभूतियों में वृद्धि/(कमी)	(218.57)	(361.84)
उधारों में वृद्धि/(कमी)	(306.51)	(513.47)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	266.09	62.72
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(27.31)	(51.29)
अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	(13.55)	51.21
अन्य वित्तीय देयता में वृद्धि/(कमी)	583.78	1,021.43
अन्य गैर वित्तीय देयता में वृद्धि/(कमी)	-	(0.59)
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	10.07	29.05
अन्य बैंक शेष राशियों में वृद्धि/(कमी)	(757.47)	(1,392.00)
अन्य चालू परिसंपत्ति/देयता वृद्धि/(कमी)	14.02	-
कराधान से पूर्व नकद-प्रवाह	(190.46)	(342.19)
आयकर (प्रदत्त)/वापसी-निवल	(63.77)	(56.10)
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	11.87	(335.57)
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह		
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की खरीद/उनके लिए अग्रिम (पट्टाकृत सम्पत्तियों सहित)	(44.01)	(64.48)
निवेश सम्पत्तियों की बिक्री से आय	-	(11.39)
अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद/उनके लिए अग्रिम	(0.03)	(1.07)
परिपक्व जमा	(301.93)	-
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों (पट्टाकृत सम्पत्ति सहित) की बिक्री से आय	7.68	17.98
प्राप्त लाभांश	183.36	-
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	(154.93)	(58.96)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
ग. वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह		
प्राप्त शेयर आवेदन राशि	500.00	400.00
सरकार से सब्सिडी	0.06	
लीज भुगतान	(16.24)	
ब्याज का भुगतान	(7.78)	
इक्विटी शेयरों का निर्गम	-	92.94
शेयर प्रीमियम (व्यय घटा कर)	-	7.06
प्रदत्त लाभांश	(71.66)	(35.00)
वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	404.39	465.00
नकद एवं नकद समकक्ष प्रवाह में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	261.33	70.47
 जोड़ें: वित्तीय वर्ष के आरम्भ में नकद एवं नकद समकक्ष	1,036.77	966.30
वित्तीय वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष	1,298.10	1,036.77
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष के विवरण:		
हाथ में नकदी (डाक टिकटों सहित)	2.48	3.98
बैंकों में शेष राशियां		
- बैंक शेष	907.21	655.45
- बैंक निक्षेप	74.66	341.51
संपादित उधार एवं ऋण परिचालन (सीबीएलओ)	313.75	35.83
हाथ में व वसूली के अधीन तथा मार्गस्थ धन प्रेषण के अधीन बैंक	-	-
वर्ष के अंत में कुल नकद एवं नकद समकक्ष	1,298.10	1,036.77

नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण इंड ए एस 7 'नकदी प्रवाह का विवरण' में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया।

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस मान एंड कंपनी

सनदी लेखापाल

आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंद्र मान

साझेदार

सदस्यता संख्या: 080500

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल

प्रबंध निदेशक व

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

डीआईएन: 01400076

सुनीत शुक्ला

मुख्य महाप्रबंधक व

मुख्य वित्तीय अधिकारी

राहुल भावे

उप प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 09077979

प्रियंका शर्मा

कम्पनी सचिव

उमेश कुमार गर्ग

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन: 00599426

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी (समेकित) में परिवर्तनों का विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

इक्विटी शेयर पूंजी	01 अप्रैल, 2021	पूर्व अवधि की ज़ुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022	पूर्व अवधि की ज़ुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2023
	2,102.99	-	2,102.99	92.94	2,195.93	283.68	2,489.61

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आदिता एवं अधिपत्य निधि												अन्य सम्पत्ति	कुल योग						
	मार्च ईश्वरदेवी अमृतन शेर	आदिताई अमृतन शेर	अकर 1961 को प्राप्त 36(1) के तहत (iii) के तहत तहत रिक्त अधिपत्य निधि	अकर 1961 को प्राप्त 36(1) के तहत (iii) के तहत तहत रिक्त अधिपत्य निधि	अकर 1961 को प्राप्त 36(1) के तहत (iii) के तहत तहत रिक्त अधिपत्य निधि	अकर 1961 को प्राप्त 36(1) के तहत (iii) के तहत तहत रिक्त अधिपत्य निधि	अकर 1961 को प्राप्त 36(1) के तहत (iii) के तहत तहत रिक्त अधिपत्य निधि	अकर 1961 को प्राप्त 36(1) के तहत (iii) के तहत तहत रिक्त अधिपत्य निधि	अकर 1961 को प्राप्त 36(1) के तहत (iii) के तहत तहत रिक्त अधिपत्य निधि	अकर 1961 को प्राप्त 36(1) के तहत (iii) के तहत तहत रिक्त अधिपत्य निधि	अकर 1961 को प्राप्त 36(1) के तहत (iii) के तहत तहत रिक्त अधिपत्य निधि									
31 मार्च, 2022 को शेष	335.82	-	924.75	136.74	0.85	68.19	1,125.06	300.05	100.58	(0.00)	540.39	139.37	(4,144.22)	(2.79)	1,137.54	0.61	52.54	715.10	2,226.47	2,951.55
वर्ष हेतु कुल सभा आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(207.80)	0.18	655.30	0.69	0.75	448.63	700.66	1,149.29
अधिपति आय से अन्तर्गत	-	-	1.10	-	-	52.00	-	-	-	-	13.66	9.05	(75.88)	-	0.08	-	-	0.00	-	0.00
वर्ष के दौरान अंदरूनी का अन्तर्गत	-	-	-	-	-	-	7.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.06	-	7.06
वर्ष के दौरान अंदरूनी का अन्तर्गत	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	400.00
वर्ष के दौरान अंदरूनी का अन्तर्गत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35.00)	(35.00)
वर्ष के दौरान अंदरूनी का अन्तर्गत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.00)	(0.00)
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को शेष	335.82	400.00	925.84	136.74	0.85	120.19	1,132.12	300.05	100.58	(0.00)	554.05	148.02	(4,427.91)	(2.61)	1,792.02	1.30	53.30	1,570.79	2,002.12	4,472.91
वर्ष हेतु कुल सभा आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.66	8.80	150.09	0.11	(1.88)	260.78	314.61	575.39
अधिपति आय से अन्तर्गत	-	-	0.24	-	-	92.50	-	-	-	-	17.81	(42.23)	(66.32)	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अंदरूनी का अन्तर्गत	(400.00)	-	-	-	-	-	106.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(293.69)	-	(293.69)
वर्ष के दौरान अंदरूनी का अन्तर्गत	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	500.00
वर्ष के दौरान अंदरूनी का अन्तर्गत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(71.66)	(71.66)
वर्ष के दौरान अंदरूनी का अन्तर्गत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.77	6.77
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मार्च, 2024 को शेष	335.82	500.00	926.09	136.74	0.85	212.68	1,230.44	300.05	100.58	(0.00)	571.86	106.39	(4,385.80)	6.19	1,943.01	1.41	51.42	2,044.63	3,145.07	5,189.73

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कते एस मान एंड कंपनी

सनदी लेखापाल

आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मिश्र
राहुल भावे

प्रबंध निदेशक व उप प्रबंध निदेशक

मुख्य कार्यकारी अधिक

उमेश कुमार गर्ग

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन: 00599426

सीए सुभाष चंदर मान

साक्षेदार

सदस्यता संख्या: 080500

10

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30 अप्रैल 2024

सुनीत शूक्ला प्रियंका शर्मा

मुख्य महाप्रबंधक व
कम्पनी सचिव

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखांकन नीतियां और समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियां

1. समूह सूचना

क. पृष्ठभूमि

दिल्ली, भारत में निगमित आईएफसीआई लिमिटेड ("कम्पनी") सार्वजनिक क्षेत्र की एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है। सांविधिक निगम के रूप में 1948 में स्थापित आईएफसीआई एस समय बीएसई एवं एनएसई में सूचीबद्ध कम्पनी है। कम्पनी पूरे स्पेक्ट्रम में उद्योग के चहुंमुखी विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तपोषण क्रियाकलापों में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं जैसे कि हवाई अड्डे, सड़कें, दूरसंचार, विद्युत, रीयल इस्टेट, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और ऐसे ही अन्य सहयोगी उद्योग शामिल हैं। समूह का पंजीकृत कार्यालय 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में है। अपनी सहायक कम्पनी के साथ कम्पनी को सामूहिक रूप से "समूह" कहा गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(क) वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को ग्रुप द्वारा "कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर यथा-संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक ("भा.ले.मा.") के अनुसार तैयार किया गया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक की अवधि के लिए ग्रुप ने मूल लागत परिपाटी के तहत बीमांकन आधार पर तथा भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ("भारतीय जीएएपी" अथवा "पूर्ववर्ती जीएएपी") के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप अपने वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया, जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत उपबंधों के अनुप्रयोग्य लेखांकन मानक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी अनुप्रयोग्य दिशानिर्देश, अन्य सांविधिक प्रावधान एवं विनियम ढांचा शामिल है।

नीचे परिभाषित लेखांकन नीतियों को इन समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए अवधि हेतु सुसंगत रूप में लागू किया गया है।

वित्तीय विवरण 30 अप्रैल, 2024 को समूह के निदेशक-मण्डल द्वारा जारी करने हेतु अधिकृत थे।

(ख) कार्यात्मक एवं दर्शाई गई मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में दर्शाया जाता है, जो समूह की कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी है। समस्त राशि करोड़ रुपयों में मूल्यांकित है और जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, दो दशमलव तक पूर्णांकित है।

(ग) मूल्यांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को मूल लागत आधार पर तैयार किया गया है, जो निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों को छोड़कर है:

- एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसम्पत्ति, जिसका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।
- एफवीटीपीएल पर वित्तीय प्रलेख, जिनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।
- निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता-योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य घटाकर परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य।
- बिक्री हेतु रखी गई परिसम्पत्तियां - उचित मूल्य घटाकर बिक्री लागत पर मूल्यांकित।

(घ) निर्णयों एवं पूर्वानुमानों का प्रयोग

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन ने निर्णय, अनुमान एवं पूर्वानुमान किया है जो वित्तीय विवरणों और उल्लेखित अवधि के लिए उल्लिखित आय एवं व्यय की तारीख को लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसम्पत्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयता एवं परिसम्पत्ति सहित) की उल्लिखित राशियों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान प्रासंगिक एवं उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों एवं मूलाधार पूर्वानुमानों की सतत आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

(ङ) समेकन के सिद्धान्त एवं इक्विटी लेखांकन

क. सहायक कम्पनियां

सहायक कम्पनियां वे सभी कम्पनियां हैं, जिन पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह का कम्पनी पर नियंत्रण होता है, जब ग्रुप, कम्पनी में इसकी अन्तर्ग्रस्तता से परिवर्तनीय विवरणों का खुलासा हो अथवा इन पर अधिकार हो और कम्पनी के संगत क्रियाकलापों पर सीधे इसके अधिकार के जरिए उन विवरणियों को प्रभावित करने की क्षमता हो। सहायक कम्पनियां उस तारीख से पूरी तरह समेकित होती हैं, जिस तारीख को कंट्रोल को समूह को अन्तरित किया जाता है, वे उस तारीख से विसमेकित हो जाते हैं जिस तारीख को कंट्रोल समाप्त हो जाता है।

समूह, मूल कम्पनी एवं इसकी सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को समेकित करता है, जिसमें वह परिसम्पत्तियों की मदों, देयताओं, इक्विटी, आय एवं व्यय को एक साथ पंक्ति दर पंक्ति जोड़ता है। अन्तर कम्पनी लेन-देनों, शेषों तथा ग्रुप कम्पनियों के बीच लेन देनों पर वसूल नहीं किए गए लाभों को हटा दिया जाता है। वसूल न की गई हानियों को भी हटा दिया जाता है, जब तक कि लेनदेन अन्तरित परिसम्पत्ति की क्षति का साक्ष्य प्रदान नहीं करता सहायक कम्पनियों के ग्रुप द्वारा अपनाई गई नीतियों के प्रति सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिए, जहां आवश्यक हो, लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया गया है।

परिणामों में गैर-नियंत्रक हितों एवं सहायक कम्पनियों की इक्विटी को समेकित लाभ एवं हानि विवरण में, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण में तथा तुलनपत्र में अलग से दर्शाया जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ख. सहयोगी कम्पनियां

सहयोगी कम्पनियां वे सभी कम्पनियां हैं, जिन पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, परन्तु नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है। सामान्य तौर पर यह ऐसा मामला होता है, जहां, समूह का 20% और 50% के बीच मताधिकार होता है। सहयोगी कम्पनियों में निवेश को शुरू में लागत पर मान्य होने के बाद इक्विटी लेखांकन विधि का प्रयोग करके हिसाब में लिया जाता है।

ग. संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यमों में ब्याज को समेकित तुलनपत्र में शुरू में लागत पर मान्य होने के बाद इक्विटी विधि (नीचे (घ) को देखें) का प्रयोग करके हिसाब में लिया जाता है।

घ. इक्विटी पद्धति

लेखांकन की इक्विटी विधि के तहत, निवेशों को शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है और इसके बाद लाभ एवं हानि में निवेशकर्ता के अधिग्रहण के बाद लाभ अथवा हानि के ग्रुप के शेयर को और अन्य समग्र आय में निवेशकर्ता के अन्य समग्र आय के ग्रुप के शेयर को मान्य करने के लिए समायोजित किया जाता है। सहयोगी कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों से प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाले लाभांशों को निवेश की रखरखाव राशि में कटौती के रूप में मान्य किया जाता है।

(च) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समूह ने इन वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई सभी अवधियों पर निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया है।

क. राजस्व मान्यता

- वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर ('ईआईआर') पद्धति का उपयोग करके अर्जित आधार पर मान्यता दी जाती है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय सौदों के अपेक्षित जीवन काल या कम अवधि के माध्यम से, जहां वित्तीय परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि के लिए उपयुक्त हो, के अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को उचित तरीके से छूट प्रदान करती है। ईआईआर की गणना वित्तीय सौदों की सभी संविदात्मक शर्तों पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर की जाती है। गणना में सभी शुल्क, लेनदेन लागत, और अन्य सभी प्रीमियम या अनुबंध के लिए पक्षों के बीच भुगतान या प्राप्त छूट शामिल हैं जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग हैं।
वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए सकल वहन राशि पर लागू मूल ईआईआर पर ब्याज राजस्व को मान्यता दी जाती है (जब परिसंपत्ति क्रेडिट क्षति नहीं है)। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने अपनी लेखा नीति में बदलाव किया है जिसके तहत चरण-3 की संपत्ति (आईआरएसी मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) की आय को 01 अप्रैल 2021 से खाता-बहियों में मान्यता नहीं दी जाएगी।
उन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, जिनकी प्रारंभिक मान्यता पर ऋण हानि हुई थी, ब्याज आय की गणना वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत पर ऋण-समायोजित प्रभावी ब्याज दर को लागू करके की जाती है। चरण 3 की परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि में वृद्धि को चरण 3 की ब्याज आय की सीमा तक बढ़े खाते में डाल दिया जाएगा, जहां वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं है।
- दाण्डक ब्याज एवं अन्य अतिदेय शुल्कों को, जिन्हें प्रभावी ब्याज दर में शामिल नहीं किया जाता है, वसूली की अनिश्चितता के कारण वसूली पर मान्य किया जाता है और तदनुसार हिसाब में लिया जाता है।
- ऋणों एवं अग्रिमों के प्रति ऋणियों से प्राप्त राशि को सभी देय तारीखों में, सिवाय एकबारगी अथवा वार्तागत निपटारों के मामलों को छोड़कर, जहां विनियोजन निपटान शर्तों के अनुसार किया जाता है, उसी क्रम में अन्य डेबिटों, ब्याज अतिदेय और मूल धन अतिदेय के संबंध में तारीख-वार विनियोजित किया जाता है।
- ऋणों के पूर्व-भुगतान पर प्रीमियम/ब्याज दरों में कटौती को प्राप्त आधार पर आय के रूप में मान्य किया जाता है।
- संबंधित कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांशों को लेखांकन अवधि की समाप्ति तक, आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित किया गया हो।
- एलसी कमीशन को समयोपरि मान्य किया जाता है, क्योंकि सेवाएं संविदा शर्तों के अनुसार दी जाती हैं।
- बेचे गए तथा बहियों में बकाया शेयरों के संबंध में अदावाकृत लाभांश को तीन वर्ष की सीमा अवधि की समाप्ति के बाद आय के रूप में मान्य किया जाता है।
- कस्टोडियल फीस दैनिक/साप्ताहिक औसत होल्डिंग्स के आधार पर मासिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में प्रबंधन के तहत होल्डिंग/परिसंपत्तियों के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर प्रोद्भूत की जाती है।
- डिपॉजिटरी सेवाओं के लिए लाभार्थी खाताधारकों/क्लियरिंग सदस्यों से प्राप्त वार्षिक रखरखाव शुल्क अनुबंध की अवधि के दौरान समय अनुपात के आधार पर परिशोधित (एमॉरटाइज) किए जाते हैं। विलंबित भुगतान शुल्क पर ब्याज प्राप्ति के आधार पर मान्य किए जाते हैं।
- प्राप्त सेवा शुल्कों को पिछले कारोबारी कार्य पूरे होने पर आय के रूप में मान्य किया जाता है। पिछले कारोबारी परिचालन को इलेक्ट्रॉनिक खण्ड के तहत निपटान पर और पेपर खण्ड के तहत प्रतिभूतियों के दायर करने/सुपुर्दगी पर पूर्ण माना जाता है।
- परियोजना सलाहकारिता और निष्पादन सेवाओं के लिए शुल्क आय, विशिष्ट सेवा समझौतों के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं के अनुसार अर्जित होने पर दर्ज की जाती है।
- परियोजना परामर्श सेवाओं के लिए शुल्क आय विशिष्ट सेवा समझौतों के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं के अनुसार अर्जित होने पर दर्ज की जाती है।
- डिजिटलीकरण सेवाओं और सॉफ्टवेयर सेवाओं से प्राप्त आय कार्य-पूर्णता प्रतिशत पद्धति पर मान्य है। सॉफ्टवेयर उत्पादों से आय सॉफ्टवेयर उत्पाद की डिलीवरी/स्थापना पर मान्य है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

- xiv. आतिथ्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व को बीमांकन आधार पर मान्य किया जाता है:
- बिक्री मूल्य को प्रकाशित रैंक दर घटाकर ग्राहकों को दी गई छूट के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
 - विदेशी मुद्रा में आय: दी गई सेवाओं के लिए बिलों को भारतीय रुपए में तैयार किया जाता है। इन बिलों के प्रति विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान को, भुगतान की तारीख में प्रचलित दर/दरों पर क्रेडिट किया जाता है और हिसाब में लिया जाता है। विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न लाभों/हानियों को वसूली होने पर हिसाब में लिया जाता है।
- xv. निर्मित संपत्तियों के रियल एस्टेट विकास से राजस्व "पूर्णता प्रतिशत पद्धति" पर मान्य है। कानूनी रूप से लागू किए जाने वाले बिक्री समझौतों के अनुसार बिक्री प्रतिफल को कुल अनुमानित परियोजना लागत में वास्तविक परियोजना लागत के प्रतिशत के आधार पर राजस्व माना जाता है, जो निम्नलिखित के अनुसार है:-
- वास्तविक लागत कुल अनुमानित परियोजना लागत के 25% से कम नहीं होनी चाहिए।
 - ग्राहकों से प्रतिफल राशि प्राप्ति के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद न हो।
 - अतिदेय के मामले में, वास्तविक वसूली के आधार पर।
 - सभी महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ ग्राहक को अन्तरित किए जाते हैं।
- परियोजना लागत में भूमि की लागत, निर्माण की अनुमानित लागत और ऐसी संपत्तियों का विकास शामिल है। बिक्री योग्य क्षेत्र और लागतों के अनुमानों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और ऐसे अनुमानों में किसी भी बदलाव के प्रभाव को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसे बदलाव निर्धारित किए जाते हैं।
- xvi. बाहरी परियोजना सेवाओं से राजस्व को कॉस्ट प्लस पद्धति के आधार पर मान्यता दी जाती है। निर्माण के लिए किए गए खर्च में एक निश्चित मार्कअप प्रतिशत जोड़ा जाता है और कुल को राजस्व के तौर पर माना जाता है। परियोजना पूरा होने का चरण इंजीनियर/आर्किटेक्ट से प्राप्त कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- xvii. कमीशन और ब्रोकरेज आय उस समय मान्य होती है जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आय, जहां सेवा प्रदान करना किसी अन्य पार्टी द्वारा आबंटन पर निर्भर हो या जिसे ट्रेल आय कहा जाता है, प्राप्ति की निश्चितता पर मान्य होती है।
- xviii. माल की बिक्री से राजस्व खरीदार को स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और लाभों (माल और सेवा कर, बिक्री रिटर्न और व्यापार छूट को घटाकर) अन्तरण होने पर मान्य किया जाता है और जब यह नियंत्रण ग्राहकों को दे दिया जाता है।
- xix. डिपॉजिटरी सेवाओं की आय ग्राहकों के साथ किए गए समझौतों के आधार पर और जब आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, तब मान्य होती है।
- xx. एजेंसी व्यवसाय से बीमा कमीशन मूलधन से कमीशन की वास्तविक प्राप्ति पर बुक किया जाता है।
- xxi. फ्रैक्टरिंग और अन्य वित्तपोषण गतिविधियों से आय को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के मामले को छोड़कर अर्जित होने के आधार पर दर्ज किया जाता है, जहां आय को आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्ति के आधार पर दर्ज किया जाता है।
- xxii. ब्रोकरेज आय को एक्सचेंजों द्वारा लेनदेन की पुष्टि होने पर लेनदेन की व्यापार तिथि पर मान्य माना जाता है।
- xxiii. अपलेखित खराब ऋणों से वसूली को ग्राहकों से प्राप्ति के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख. वित्तीय प्रलेख

I. आरंभिक मान्यता एवं मूल्यांकन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को तब मान्य किया जाता है जब ग्रुप प्रलेख के संविदात्मक प्रावधान का एक पक्ष बन जाता है। वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। लेन-देन लागतों को, जो सीधे तौर पर अधिग्रहण अथवा वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के निर्गम पर देय होती है (लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं से भिन्न) शुरूआती मान्यता पर, जैसा भी उपयुक्त हो, वित्तीय परिसम्पत्ति अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है अथवा इसमें से कम किया जाता है।

II. वर्गीकरण एवं परवर्ती मूल्यांकन

वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

शुरूआती मान्यता पर, वित्तीय परिसम्पत्ति को परिवर्ती रूप में मूल्यांकित किया जाता है, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह विशिष्टताओं और वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु ग्रुप के व्यवसाय मॉडल को देखते हुए अन्य समग्र आय (एफवीटीओसीआई) अथवा एफवीटीपीएल के जरिए या तो परिशोधित लागत पर या फिर उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है।

कारोबार मॉडल मूल्यांकन

समूह कारोबार मॉडल का उद्देश्यपरक मूल्यांकन करता है, जिसमें परिसम्पत्ति को एक पोर्टफोलियो स्तर पर रखा जाता है, क्योंकि यह कारोबार का प्रबंधन करने और प्रबंधन को सूचना को उपलब्ध कराने को अच्छी तरह से दर्शाता है। विचारित सूचना में निम्न शामिल है:

- पोर्टफोलियो हेतु पारिभाषित नीतियां एवं उद्देश्य तथा उन नीतियों का व्यवहार्यतः परिचालन, विशेषतः यह कि प्रबंधन की कार्यनीति देयताओं की जो उन परिसम्पत्तियों को वित्त व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं अथवा परिसम्पत्तियों की बिक्री के जरिए नकदी प्रवाह वसूल कर रहे हैं अवधि हेतु वित्तीय परिसम्पत्तियों की अवधि के अनुरूपण में एक विशेष ब्याज दर प्रोफाइल रखते हुए संविदात्मक ब्याज राजस्व प्राप्त करने पर ध्यान देती है;
- पूर्व अवधियों में बिक्री की आवृत्ति, मात्रा एवं समय निर्धारण, ऐसी बिक्री के कारण तथा भावी बिक्री क्रियाकलापों के बारे में इसकी आशाएं

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

तथापि, बिक्री क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को पृथक् नही समझा जाता है, परन्तु समग्र मूल्यांकन के भाग के रूप में उल्लेख किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु ग्रुप के परिभाषित उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और नकदी प्रवाह को कैसे क्रियान्वित किया जाता है;

जोखिम, जो व्यवसाय मॉडल के निष्पादन को प्रभावित करता है, (और उस व्यवसाय मॉडल के अन्तर्गत धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां) तथा उन जोखिमों का प्रबंधन कैसे किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों को उनकी आरम्भिक मान्यता के बाद पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय उस अवधि के, जब कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु अपने व्यवसाय मॉडल को परिवर्तित करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन सिर्फ परिशोधित लागत पर किया जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है:

- इसे व्यावसायिक मॉडल के अन्तर्गत रखा गया हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करके परिसम्पत्तियों को धारित करना है।
- वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें संविदात्मक नकदी प्रवाह को निरूपित करती हैं, जो सिर्फ मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हैं। तदन्तर, इनका मूल्यांकन, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया जाता है, जिसमें से क्षति हानि को घटाया जाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां ("एफवीटीओसीआई")

वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन सिर्फ एफवीटीओसीआई पर किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है:

- इसे व्यावसायिक मॉडल के अन्तर्गत रखा गया हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को संग्रहीत करना और वित्तीय परिसम्पत्तियों को बेचना दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें संविदात्मक नकदी प्रवाह को निरूपित करती हैं, जो सिर्फ मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हैं। तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है। उक्त वित्तीय परिसम्पत्तियों पर अनर्जक हानियों को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है और तुलनपत्र में वित्तीय परिसम्पत्ति की रखरखाव राशि को कम नहीं किया जाता।

लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफवीटीपीएल)

किसी वित्तीय प्रलेख को, जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण संबंधी मापदण्ड को पूरा नहीं करता, एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तदन्तर इनका उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है एवं उनमें परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

इक्विटी प्रलेखों में निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के संबंध में सभी इक्विटी निवेशों को एफवीटीपीएल पर मूल्यांकित किया जाता है।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है। तथापि, इक्विटी प्रलेख की आरंभिक मान्यता पर, जिसे कारोबार हेतु धारित नहीं किया गया हो, समूह अपरिवर्तनीय रूप से ओसीआई में उचित मूल्य में परवर्ती बदलावों को निरूपित करने का चयन कर सकता है। यह चयन निवेश-दर-निवेश आधार पर किया जाता है।

डेरिवेटिव प्रलेख

डेरिवेटिव प्रलेखों का मूल्यांकन एफवीटीपीएल के रूप में किया जाता है।

वित्तीय देयताएं एवं इक्विटी प्रलेख

समूह द्वारा जारी ऋण एवं इक्विटी प्रलेख को या तो वित्तीय देयताओं के रूप में या फिर इक्विटी के रूप में सांविदात्मक व्यवस्थाओं तथा वित्तीय देयता और इक्विटी प्रलेख की शर्तों के महत्व के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय देयताओं को आरंभिक मान्यता पर यथोचित लाभ अथवा हानि अथवा परिशोधित लागत के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार उन्हें हिसाब में लिया जाता है।

इक्विटी प्रलेख एक संविदा है जो इसकी सभी देयताओं को कम करने के बाद समूह की परिसम्पत्तियों में अपशिष्ट ब्याज को प्रमाणित करता है। समूह द्वारा जारी इक्विटी प्रलेखों को प्राप्त प्रतिफल में मान्य किया जाता है जो सीधे निवल लेनदेन लागतों का निवल है।

III. मूल्यांकन का आधार

परिशोधित लागत

परिशोधित लागत ऐसी राशि है, जिसमें वित्तीय परिसम्पत्ति अथवा वित्तीय देयता का मूल्यांकन आरंभिक मान्यता मूल चुकौती छूट को घटाकर ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए संचयी परिशोधन को जमा अथवा घटा कर अथवा अधिग्रहण पर प्रीमियम पर और फीस अथवा लागत पर किया जाता है, जो ईआईआर के अभिन्न अंग है और जिसे वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए किसी हानि भत्ते हेतु समायोजित किया जाता है।

उचित मूल्यांकन

उचित मूल्य वह मूल्य है जिसे परिसम्पत्ति की बिक्री हेतु प्राप्त किया जाएगा अथवा मूलधन में मूल्यांकन तारीख में बाजार भागीदारों के बीच

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

अथवा इसके न होने पर, अति लाभप्रद बाजार के बीच, जिसके लिए कम्पनी की उस तारीख में पहुंच है, क्रमिक लेन-देन में देयता के अन्तरण हेतु अदा किया जाएगा। देयता का उचित मूल्य अलाभकारी जोखिम को दर्शाता है।

किसी एक के उपलब्ध होने पर समूह उस प्रलेख के संबंध में क्रियाशील बाजार में उद्धृत मूल्य का प्रयोग करते हुए प्रलेख के उचित मूल्य का मूल्यांकन करता है। बाजार को क्रियाशील तब समझा जाता है यदि सतत आधार पर मूल्य निर्धारण जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त बारम्बारता एवं मात्रा के साथ परिसम्पत्तियों अथवा देयता के संबंध में लेन-देन किया जाता है।

यदि क्रियाशील बाजार में कोई उद्धृत मूल्य न हो, तब कम्पनी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है जो संगत इनपुटों के प्रयोग को बढ़ाता है और अमहत्वपूर्ण इनपुटों के प्रयोग को कम करता है। मूल्यांकन तकनीक में वे सभी कारक शामिल होते हैं जो लेनदेन के मूल्य निर्धारण में बाजार भागीदारों को ध्यान में रखेंगे।

IV. वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का अस्वीकरण/आशोधन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का अस्वीकरण

वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति को (अथवा जहां अनुप्रयोज्य हो, वित्तीय परिसम्पत्ति के किसी भाग या ऐसी ही वित्तीय परिसम्पत्तियों के समूह के किसी भाग) को मुख्यतया तब अमान्य (अर्थात् समूह के तुलन-पत्र से हटाया जाता है) किया जाता है, जब:

- परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गए हो अथवा पूरी तरह से वसूल कर लिया गया हो, अथवा
- समूह ने परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार को अन्तरित कर दिया है अथवा या तो “पास-थू” व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्षकार को अत्यधिक देरी के बिना पूर्ण रूप में प्राप्त नकदी प्रवाह को अदा करने की बाध्यता को स्वीकार कर लिया हो और या तो (क) समूह ने परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों एवं लाभों को पर्याप्त रूप में अन्तरित कर दिया हो, या फिर (ख) समूह ने न तो परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से अन्तरित किया हो, न ही रखा हो, परन्तु परिसम्पत्ति के कंट्रोल को अन्तरित कर दिया हो।

जब समूह ने परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकार को अन्तरित कर दिया हो, अथवा कोई पास-थू व्यवस्था आरम्भ की हो, तो यह मूल्यांकन करता है कि इसे किस सीमा तक स्वामित्व के जोखिमों एवं लाभों को रखना चाहिए। जब इसने परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को न तो पर्याप्त रूप से अन्तरित किया हो, न ही अपने पास रखा हो, न ही परिसम्पत्ति का कंट्रोल अन्तरित किया हो तो समूह अन्तरित परिसम्पत्ति को समूह की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता की सीमा में निरन्तर मान्य करती है। समूह अन्तरित परिसम्पत्ति पर समूह की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता के कारण प्राप्त प्रतिफल हेतु भी देयता को मान्य करता है। अन्तरित परिसम्पत्ति और उससे जुड़ी देयता का मूल्यांकन उस आधार पर किया जाता है जो उस अधिकार एवं बाध्यताओं को दर्शाता है जो समूह ने अपने पास रखे हैं।

वित्तीय परिसम्पत्ति के अमान्य करने पर, परिसम्पत्ति की रखरखाव लागत (अमान्य परिसम्पत्ति के भाग हेतु परिभाषित रखरखाव राशि) और निम्न के जोड़ (i) प्राप्त प्रतिफल (जिसमें प्राप्त की गई कोई नई परिसम्पत्ति घटाकर स्वीकृत कोई नई देयता शामिल है); और (ii) कोई संचयी लाभ अथवा हानि, जिसे ओसीआई में स्वीकृत किया गया था, के बीच के अन्तर को लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

समूह वित्तीय देयता को तब अमान्य करता है, जब इसकी संविदात्मक बाध्यताएं मुक्त हो जाती हैं, अथवा रद्द हो जाती हैं अथवा समाप्त हो जाती हैं।

V. वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों में संशोधन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

यदि किसी वित्तीय परिसंपत्ति की शर्तों को संशोधित किया जाता है, तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि संशोधित परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर है या नहीं। यदि नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर है, तो संशोधन के परिणामस्वरूप मूल वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान समाप्त हो जाती है और नई वित्तीय परिसंपत्ति को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

यदि संशोधित परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर नहीं है, तो संशोधन के परिणामस्वरूप वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान समाप्त नहीं होती है। इस मामले में, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनर्गणना करती है और सकल वहन राशि को समायोजित करने से उत्पन्न राशि को लाभ या हानि में संशोधन लाभ या हानि के रूप में अंकित करती है। हर प्रकार की लागत या शुल्क को संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की वहन राशि में समायोजित किया जाता है और वित्तीय उपकरण पर ई.आई.आर. दर की पुनः गणना करके संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

यदि ऋणप्राप्तकर्ता की वित्तीय परेशानियों के कारण ऐसा संशोधन किया जाता है, तो लाभ या हानि को क्षति-हानि के साथ दिखाया जाता है। अन्य मामलों में, इसे व्याज आय के रूप में दिखाया जाता है।

वित्तीय दायित्व

कंपनी वित्तीय दायित्वों को उस दशा में मान्यता नहीं देती है, जब उसकी शर्तों में संशोधन किया जाता है और संशोधित दायित्व के नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर होता है। इस मामले में, संशोधित शर्तों के आधार पर एक नई वित्तीय देयता को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। समाप्त वित्तीय दायित्व की वहन राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता के बीच के अंतर को लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है। यदि संशोधन की मान्यता-समाप्ति नहीं मानी जाती है, तो देयता की परिशोधित लागत को मूल ईआईआर पर संशोधित नकदी प्रवाह को छूट देकर पुनर्गणना की जाती है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है। हर प्रकार की लागत या शुल्क को

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

संशोधित वित्तीय देयता की वहन राशि में समायोजित किया जाता है और वित्तीय उपकरण पर ईआईआर दर की पुनः गणना करके संशोधित वित्तीय देयता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

VI. वित्तीय प्रलेखों का प्रतितुलन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है तथा निवल राशि का तुलन पत्र में उल्लेख किया जाता है, जब समूह को स्वीकृत राशियों के प्रतितुलन का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और इसमें निवल आधार पर निपटान करने की धारणा हो अथवा परिसम्पत्ति की वसूली एवं देयता का साथ-साथ में निपटान करने की इच्छा हो।

VII. वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

समूह सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ईसीएल के लिए क्षति भत्तों को मान्यता देती है, जिनका मूल्यांकन एफवीटीपीएल पर नहीं किया जाता है:

- वित्तीय परिसम्पत्तियां, जो ऋण प्रलेख हैं
- पट्टा प्राप्य
- जारी की गई वित्तीय गारन्टी संविदाएं
- जारी ऋण प्रतिबद्धता

इक्विटी निवेशों पर किसी क्षति हानि को मान्य नहीं किया जाता है।

ईसीएल क्रेडिट हानियों के संभावित भारित अनुमान हैं। उनका मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट नहीं हैं- क्योंकि सभी नकदी कमियों के वर्तमान मूल्य, जो उल्लिखित तारीख के बाद 12 माह के भीतर संभव है, को कम करता है।
- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ वित्तीय परिसम्पत्तियां, परन्तु क्षतिग्रस्त क्रेडिट नहीं - जो समस्त नकदी के वर्तमान मूल्य जो वित्तीय परिसम्पत्ति के प्रत्याशित कार्य अवधि पर सभी संभावित चूक कार्यों के कारण है, को कम करता है।
- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट हैं - जो सकल रखरखाव राशि और अनुमानित नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच अन्तर के रूप में हैं।
- अनाहरित ऋण प्रतिबद्धताएं - जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच अन्तर के वर्तमान मूल्य के रूप में हैं, जो समूह को देय है, यदि प्रतिबद्धता को कम किया जाता है और नकदी प्रवाह, जिसे समूह प्राप्त करना चाहता है। व्यापार प्राप्यों एवं अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में, समूह कार्य अवधि प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि में हानि भत्ते का मूल्यांकन करता है।

परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों हेतु हानि भत्ते को परिसम्पत्तियों के सकल वास्तविक राशि से कम किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए हानि भत्ते को ओसीआई में मान्य किया जाता है।

VIII. बट्टे खाते डालना

वित्तीय परिसम्पत्ति को तब बट्टे खाते (या तो आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप में) डाला जाता है, जब वित्तीय परिसम्पत्ति के इसके पूरी तरह से अथवा उसके भाग के रूप में वसूल होने की उचित आशा न हो। यह सामान्य तौर पर ऐसा मामला है, जब समूह यह निर्धारित करता है कि कर्जदार के पास कोई परिसम्पत्ति नहीं है अथवा आय के स्रोत नहीं हैं, जिससे वह बट्टे खाते डाली गई राशियों की चुकौती करने के लिए पर्याप्त नकदी उत्पन्न नहीं कर सकता है। इस निर्धारण को व्यक्तिगत परिसम्पत्ति स्तर पर किया जाता है।

तथापि, वित्तीय परिसम्पत्तियों को, जिन्हें बट्टे खाते डाला गया हो, जहां उपयुक्त हो कभी भी कानूनी राय ले करके समूह की वसूली प्रक्रियाओं के तहत प्रवर्तन क्रियाकलापों के अधीन रखा जा सकता है। की गई किसी भी वसूली को वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि के समायोजन के रूप में लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

ग. पट्टे

पट्टों को वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब कभी भी पट्टे अन्तरण की शर्तें, स्वामित्व को सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को पूरी तरह से पट्टेदार को अन्तरित की जाती हैं। अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

I. पट्टादाता के रूप में समूह

वित्तीय पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशियों को पट्टों में समूह के निवल निवेश की राशि पर प्राप्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है। वित्त पट्टा आय को लेखांकन अवधियों के लिए पारिभाषित किया जाता है, ताकि पट्टों के संबंध में समूह की निवल निवेश बकाया पर प्रतिफल को निरन्तर आवधिक दर पर दर्शाया जा सके।

परिचालन पट्टों से किराया आय को सामान्य तौर पर संगत पट्टे की अवधि पर सीधे कटौती आधार पर मान्य किया जाता है। जहां किरायों को सिर्फ समूह की प्रत्याशित मूल्यवृद्धि लागत को बढ़ाने के लिए क्षतिपूर्णा हेतु अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की दिशा में वृद्धि हेतु तैयार किया गया हो, वहां ऐसी वृद्धियों को उस वर्ष, जिस वर्ष में ऐसे लाभ प्रोदभूत हुए हों, में मान्य किया जाता है।

II. पट्टेदार के रूप में समूह

परिचालन पट्टों में किराया व्यय को सामान्य तौर पर संगत पट्टे की अवधि पर सीधे कटौती आधार पर मान्य किया जाता है। जहां किरायों को सिर्फ पट्टादाता की प्रत्याशित मूल्यवृद्धि लागत को बढ़ाने के लिए क्षतिपूर्णा हेतु अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की दिशा में वृद्धि हेतु तैयार किया गया हो, वहां ऐसी वृद्धियों को उस वर्ष में, जिस वर्ष में ऐसे लागत प्रोदभूत हुए हों, मान्य किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत उत्पन्न आकस्मिक किरायों को उस अवधि में, जिसमें वे उपगत हुए हैं, व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

घ. कर्मचारी लाभ

i. अल्प अवधि कर्मचारी लाभ

अल्प अवधि कर्मचारी लाभ व्ययगत होते हैं, जब संबंधित सेवा ली जाती हो। देयता को अदा किए जाने हेतु अपेक्षित राशि के लिए मान्य किया जाता है, यदि समूह के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए कोई वर्तमान कानूनी अथवा रचनात्मक बाध्यता हो और बाध्यता का विश्वसनीयता से अनुमान लगाया जा सकता है।

ii. नियोजन के बाद लाभ

क. पारिभाषित अंशदान योजना

पेंशन

01 अप्रैल, 2008 से पहले, कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय परिचालनरत पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत रखा गया था और तदनुसार के जब भी देय हो, मंहगाई और परिवार पेंशन के लिए हकदार होते हैं। इस संबंध में किए गए अंशदान को जब भी देय हो, राजस्व में प्रभारित किया जाता है। ग्रुप ने 01 अप्रैल, 2008 को मौजूदा कर्मचारियों के लिए अगस्त, 2008 में पारिभाषित अंशदान योजना शुरू की और इसका ही चयन किया। कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि संचालन को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के न्यासियों द्वारा एक ग्रुप अधिवर्षिता नकदी संचयन योजना लागू करके सौंपा गया है।

भविष्य निधि

आईएफसीआई, फैंकटर्स लिमिटेड और एमपीकॉन से भिन्न ग्रुप कम्पनियां स्थानीय विनियमनों के अनुसार सार्वजनिक रूप से नियंत्रित भविष्य निधि में भविष्य निधि अंशदान करती हैं। एक बार अंशदान अदा करने पर समूह की ओर भुगतान देयता नहीं होती है। अंशदान को पारिभाषित अंशदान योजना के रूप में हिसाब में लिया जाता है और अंशदान को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्य किया जाता है जब भी वे देय हो।

ख. पारिभाषित लाभ योजना

भविष्य निधि

आईएफसीआई, फैंकटर्स लिमिटेड और एमपीकॉन पूर्व पारिभाषित दरों पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि का पारिभाषित अंशदान अदा करती हैं, जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वर्ष हेतु निधि में अंशदानों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ अथवा हानि में प्रभारित किया जाता है। समूह की बाध्यता ऐसे पारिभाषित अंशदान करना है और सदस्यों के लिए न्यूनतम प्रतिफल दर को सुनिश्चित करना है जैसा कि भारत सरकार (जीओआई) द्वारा विनिर्दिष्ट है।

उपदान

समूह की उपदान के रूप में एक पारिभाषित लाभ कर्मचारी योजना है। योजना के न्यासियों को एलआईसी की संबंधित निधि का संचालन सौंपा गया है। वर्ष हेतु व्यय को इस संबंध में समूह की वर्षान्त देयता और योजना के वर्षान्त परिसम्पत्तियों के मूल्य के बीमांकन के आधार पर पारिभाषित किया जाता है। अंशदान को समूह द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर एलआईसी में जमा किया जाता है।

चिकित्सा सुविधा

समूह की अस्पताल सुविधा एवं सामान्य चिकित्सा उपचार की कुछेक सीमाओं के तहत कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा लाभ योजना है।

पारिभाषित लाभ योजना के संबंध में समूह की निवल देयता को आगामी लाभ राशि का अनुमान लगा करके प्रत्येक योजना हेतु अलग से परिकलित किया जाता है, जिसे कर्मचारियों के वर्तमान लागतों में अपनी सेवा हेतु और किसी योजना परिसम्पत्ति के उचित मूल्य, यदि कोई काटा गया हो, के लिए प्रतिफल में अर्जित किया जाता है।

ऐसी पारिभाषित लाभ योजना के तहत देयता के वर्तमान मूल्य को प्रक्षेपित प्रोदभूत लाभ विधि (वही जो प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि है) का प्रयोग करते हुए बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर पारिभाषित किया जाता है, जो प्रत्येक सेवा अवधि को कर्मचारी लाभ हकदारिता के अतिरिक्त यूनिट को बढ़ावा देने के रूप में मान्य किया जाता है और अंतिम देयता तैयार करने के लिए अलग से प्रत्येक यूनिट का मूल्यांकन करता है। देयता को अनुमानित आगामी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। पारिभाषित लाभ योजना के तहत देयता के वर्तमान मूल्य को पारिभाषित करने के लिए प्रयुक्त छूट दरें तुलनपत्र की तारीख को सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार उत्पादन पर आधारित होती हैं। जब परिकलन समूह हेतु संभावित परिसम्पत्तियों में निष्पन्न होता हो, तो स्वीकृत परिसम्पत्ति योजना के आगामी अंशदान में योजना से किन्हीं वापसियों के रूप में अथवा कटौतियों के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है।

पारिभाषित लाभ योजना देयता में परिवर्तन सेवा, ब्याज तथा पुनर्मूल्यांकनों से उत्पन्न परिवर्तनों में द्विभाजित होता है तथा पारिभाषित लाभ योजना परिसम्पत्ति में परिवर्तन ब्याज आय और पुनर्मूल्यांकन के बीच द्विभाजित होता है। सेवा लागत एवं निवल ब्याज लागत/ आय के कारण परिवर्तन को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। निवल पारिभाषित लाभ देयता/(परिसम्पत्ति) का पुनर्मूल्यांकन को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है, जिसमें निम्न शामिल हैं:

- बीमांकक लाभ एवं हानियां;
- योजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल, जिसमें निवल पारिभाषित लाभ देयता (परिसम्पत्ति) पर निवल ब्याज में शामिल राशियां शामिल नहीं हैं।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

iii. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

समूह की अवकाश नकदीकरण और अवकाश किराया रियायत के तहत लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को दर्शाता है। अवकाश नकदीकरण के संबंध में समूह की निवल बाध्यता आगामी लाभ की राशि है जो कर्मचारी का वर्तमान मूल्य है और किसी संबंधित परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य को कम किया गया है। परिकलन, प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए किया जाता है। किन्हीं बीमांकक लाभों अथवा हानियों को उस अवधि में, जिसमें वे उद्भूत हुए, लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है। अवकाश किराया रियायत का प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन आधार पर किया जा रहा है।

च. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर (अर्थात् आयकर कानून के अनुसार पारिभाषित अवधि हेतु कर की राशि) तथा आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट (कर आधार एवं बही आधार के बीच अस्थायी अन्तरों के कर प्रभाव को दर्शाता है) शामिल है। इसे काफी हद तक लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है, क्योंकि यह कारोबार संयोजन से संबंधित होता है अथवा इक्विटी अथवा ओसीआई में सीधे मान्य मदों से संबंधित होता है।

I. चालू कर

चालू कर का मूल्यांकन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष हेतु कराधेय आय के संबंध में अदा की जाने वाली प्रत्याशित राशि पर किया जाता है। वर्तमान कर में वर्ष हेतु कराधेय आय अथवा हानि पर देय कर और पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में देय कर का समायोजन शामिल है। इसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तारीख में अधिनियमित कर दरों अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग कर के किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर ('मैट') को लाभ और हानि विवरण में वर्तमान करके रूप में मान्य किया जाता है। वर्तमान कर परिसम्पत्तियां एवं देयताओं का समायोजन तभी किया जाता है, यदि समूह:

(क) के पास कानूनी रूप से स्वीकृत राशियों को प्रतितुलित करने का प्रवर्तनीय अधिकार हो और

(ख) या तो निवल आधार पर इसका निपटान करना चाहता हो या फिर परिसम्पत्ति की वसूली करना चाहता हो और साथ में देयता का निपटान करना चाहता हो।

II. आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए और कराधान प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त राशियों के लिए परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की रखरखाव राशियों के बीच अस्थायी अन्तर के संबंध में मान्य किया जाता है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में तथा प्रबंधन के आकलन के आधार पर पुनरीक्षा की जाती है, इन्हें उस सीमा में कम किया जाता है, जिसमें इसकी अधिक संभावना नहीं हो कि संबंधित कर लाभ को वसूल किया जाएगा; ऐसी कटौतियों को तब रिवर्स किया जाता है, जब आगामी कराधान लाभ में सुधार की संभावना हो।

अस्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में पुनः पारिभाषित किया जाता है और काफी हद तक स्वीकार किया जाता है जिससे यह संभव हो सके कि आगामी कराधेय लाभ उनके संबंध में प्राप्य होंगे, जिसके संबंध में उन्हें प्रयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर का मूल्यांकन उन कर दरों पर किया जाता है जिन्हें, आस्थायी अन्तरों पर लागू किया जा सकता है, जब उन्हें रिपोर्टिंग तारीख में अधिनियमित कर दरों अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग करते हुए रिवर्स किया जा सकता हो।

आस्थगित कर का मूल्यांकन उन कर परिणामों को चित्रित करता है, जो रिपोर्टिंग तारीख में ऐसे तरीके से उत्पन्न होंगे, जिसमें समूह अपनी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की रखरखाव राशि को वसूल कर सके अथवा इसका निपटान कर सके।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों और देयताओं का समायोजन तभी किया जाता है, यदि समूह :

(क) के पास चालू कर देयताओं के प्रति चालू कर परिसम्पत्तियों के प्रतितुलन का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और

(ख) आय करों से संबंधित आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं को एक ही कराधान प्राधिकारी द्वारा वसूला जाता है।

प्रदत्त मैट के संबंध में अधिनियम के तहत उपलब्ध क्रेडिट को केवल परिसम्पत्ति के रूप में मान्य किया जाता है जब भी इसमें स्पष्टकारी प्रमाण हो कि समूह उस अवधि में सामान्य आय कर का भुगतान करेगी जिस अवधि के लिए मैट क्रेडिट को सामान्य कर देयता के संबंध में प्रतितुलन हेतु आगे ले जाया जा सकता हो। परिसम्पत्ति के रूप में स्वीकृत मैट क्रेडिट की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और काफी हद तक रिकॉर्ड में लाया जाता है, उपरोक्त युक्तियुक्त प्रमाण अधिक समय तक मौजूद नहीं रहता।

(छ) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा निवेश सम्पत्ति

मान्यता एवं मूल्यांकन

प्रयोग हेतु अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों हेतु धारित सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का लागत घटाकर संचित मूल्यहास और संचित अनर्जक हानि पर तुलनपत्र में उल्लेख किया जाता है। लागत में संबंधित सम्पत्तियों के अधिग्रहण एवं संस्थापन में संबंधित गैर-वापसी योग्य कर, शुल्क, भाड़ा और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल है।

निवेश सम्पत्ति में, किराया प्राप्त करने के लिए किराए पर दिया गया भवन शामिल है। समूह निवेश परिसम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु लागत मॉडल का अनुपालन करता है।

मूल्यहास

मूल्यहास उपयोगी कार्य अवधि पर स्ट्रेट लाइन विधि का प्रयोग करते हुए प्रदान किया जाता है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- II में पारिभाषित है। मूल्यहास को यथा-अनुपात आधार पर परिकलित किया जाता है, जिसमें परिवर्धन के माह को शामिल किया जाता है और बिक्री/निपटान के माह को शामिल नहीं किया जाता है। पट्टा भूमि सुधार को स्ट्रेट लाइन आधार पर मूलाधार पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाता है। भवन एवं वाहनों के संबंध में अपशिष्ट मूल्य को लागत के 5% के रूप में माना जाता है तथा अन्य परिसम्पत्ति के मामले में "शून्य" माना जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि, अपशिष्ट मूल्यों तथा मूल्यहास विधि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अग्रदर्शी आधार पर हिसाब में लिए गए अनुमान में किन्हीं परिवर्तनों के कारण पुनरीक्षा की जाती है।

5,000/- रुपए से कम या इसके बराबर लागत वाली संपत्तियों के मामले में व्यक्तिगत रूप से उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है जिसमें ऐसी संपत्तियां खरीदी जाती हैं।

कम्पनी के कारोबार एवं परिचालनों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, एसएचसीआईएल तथा एसएचसीआईएल की स्टेप डाउन सहायक कम्पनी की कुछेक परिसम्पत्तियों के लिए कम समय वाली माना गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

परिसम्पत्ति का स्वरूप	अपनाई गई उपयोगी कार्य अवधि	कम्पनी अधिनियम में उपयोगी कार्य अवधि
कम्प्यूटर सर्वर्स एवं नेटवर्क	4 वर्ष	6 वर्ष
मोबाइल	2 वर्ष	5 वर्ष
वाहन	3 वर्ष	8 वर्ष
भवन	58 वर्ष	60 वर्ष
एसएचसीआईएल महापे भवन	63 वर्ष	60 वर्ष

अमान्यता

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अथवा निवेश सम्पत्ति की मद को निपटान पर अमान्य किया जाता है अथवा जब परिसम्पत्ति के निरन्तर प्रयोग से कोई आगामी आर्थिक लाभ होने की संभावना न हो। सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अथवा निवेश सम्पत्ति की किसी मद के निपटान पर अथवा सेवा समाप्ति पर उत्पन्न किसी लाभ अथवा हानि को बिक्री प्राप्तियों एवं परिसम्पत्ति की वास्तविक राशि के बीच अन्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

कार्यशील पूंजी

संपत्ति निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत सहित सभी प्रत्यक्ष संबंधित व्यय, जो परिसंपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए आवश्यक है, जो प्रबंधन द्वारा बैलेंस शीट की तिथि पर इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है, संचित किए जाते हैं और कार्यशील पूंजी के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

(ज) अमूर्त परिसम्पत्तियां

मान्यता एवं मूल्यांकन

अमूर्त परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर मान्य किया जाता है, जिसमें, समस्त व्यय शामिल होता है, जिसे इसके अभिप्रेत प्रयोग के लिए एक उचित एवं सुसंगत आधार पर परिसम्पत्ति को सृजित करने, उत्पन्न करने अथवा तैयार करने के लिए सीधे दिया जा सकता है अथवा आबंटित किया जा सकता है।

परिशोधन

परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि पर स्ट्रेट लाइन आधार पर मान्य किया जाता है। अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि तथा परिशोधन विधि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अग्रदर्शी आधार पर हिसाब में लिए जा रहे अनुमान में किन्हीं परिवर्तनों के संबंध में पुनरीक्षा की जाती है।

तुलन-पत्र में दिखाई गई अमूर्त संपत्तियों में स्थायी लाइसेंस वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं और पूंजीकरण की तारीख से छह साल की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित हैं।

हालाँकि एसएचसीआईएल और एमपीकॉन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पूंजीकरण की तारीख से 3 साल में भुगतान किया गया।

अमान्यता

अमूर्त परिसम्पत्ति को निपटान पर अथवा जब इसके इस्तेमाल अथवा निपटान से आगामी आर्थिक लाभ की आशा न हो, अमान्य किया जाता है। अमूर्त परिसम्पत्ति के अमान्य होने से लाभों अथवा हानियों को, जो परिसम्पत्ति के निवल निपटान प्राप्तियों एवं रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में मूल्यांकित हो, लाभ अथवा हानि में तब मान्य किया जाता है जब परिसम्पत्ति अमान्य हो।

(झ) गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को, समूह अपनी गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों के वास्तविक राशि की (बिक्री हेतु रखी सम्पत्ति एवं आस्थगित कर सम्पत्ति से भिन्न) यह निर्धारण करने हेतु पुनरीक्षा करता है कि क्या इसमें क्षति का कोई संकेतन है। यदि कोई संकेतन मौजूद होता है तब परिसम्पत्ति की वसूलनीय राशि का अनुमान लगाया जाता है।

क्षति की जांच करने हेतु, परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्तियों के छोटे-छोटे समूह में एक साथ समूहित किया जाता है जो निरन्तर प्रयोग से नकदी अन्तर्प्रवाह उत्पन्न करता है जो अन्य परिसम्पत्तियों अथवा सीजीयू के नकदी अन्तर्प्रवाह का अत्यधिक स्वतंत्र प्रवाह है।

परिसम्पत्ति अथवा सीजीयू की “वसूलनीय राशि” इसके प्रचलित मूल्य तथा बिक्री हेतु इसके उचित मूल्य घटाकर लागत से अधिक होती है। “प्रचलित मूल्य” अनुमानित आगामी नकदी प्रवाह पर आधारित होता है, जो कर पूर्व दर छूट का प्रयोग करते हुए अपने वर्तमान मूल्य में छूट प्राप्त होता है, जो धन के सम मूल्य एवं परिसम्पत्ति के निर्दिष्ट जोखिमों अथवा सीजीयू की राशि के वर्तमान बाजार निर्धारण को चित्रित करता है।

अनर्जक हानियों को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है। अनर्जक हानि केवल उसी सीमा में प्रत्यावर्तित होती है, जिसमें परिसम्पत्ति की वास्तविक राशि उसकी रखरखाव राशि से अधिक नहीं होती, जिसका निर्धारण निवल मूल्यहास अथवा परिशोधन राशि से घटाकर किया जाना होगा, यदि अनर्जक क्षति को स्वीकार नहीं किया गया था।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(अ) विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेनदेनों में खर्चों एवं आय को लेन-देन की तारीख को अग्रवर्ती दर पर प्रचलित दरों पर हिसाब में लिया जाता है यदि ऐसे लेन देन के लिए बुक किया गया हो। विदेशी मुद्रा में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं तथा विदेशी मुद्रा में उद्भूत आय एवं व्यय को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (फेडआई) द्वारा सूचित दरों पर भारतीय रुपए में अन्तरित किया जाता है। विभिन्न परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के मूल्यांकन पर लाभ/हानियां, यदि कोई हों, को लाभ एवं हानि के विवरण में लिया जाता है।

आतिथ्य कारोबार से संबंधित विदेशी मुद्रा शेष राशियों को वर्ष के अन्त में टीटी खरीददारी दर के समापन पर परिवर्तित किया गया है।

(इ) दावों, मुकदमेबाजी आदि से संबंधित प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है, जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप समूह की कोई कानूनी एवं रचनात्मक बाधिता हो, जिसके लिए यह संभावना हो कि नकदी प्रवाह अपेक्षित होगा तथा बाधिता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर वर्तमान देयता के निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के लिए प्रबंधन के उत्कृष्ट आकलन के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों का मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान मूल्य के निर्धारण हेतु प्रयुक्त छूट दर कर पूर्व दर है जो धन राशि के सम मूल्य ओर देयता के विनिर्दिष्ट जोखिमों का वर्तमान बाजार निर्धारण को दर्शाता है।

(उ) आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक देयता तब मौजूद रहती है जब इसमें संभावना हो, परन्तु संभाव्य देयता न हो, अथवा कोई वर्तमान देयता न हो, जो संभवतः संसाधनों के बहिर्प्रवाह अथवा उस वर्तमान बाधिता के लिए आवश्यक नहीं होगी, जिसकी राशि को विश्वसनीयता आकलन न किया जा सकता हो। आकस्मिक देयताओं में प्रावधान करने आवश्यक नहीं होते, परन्तु य तभी प्रकट किए जाते हैं, जब संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना बहुत कम हो।

आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में व्यक्त किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का अन्तर्प्रवाह संभव हो।

(ड) नकद एवं नकद समकक्ष

नकद एवं नकद समकक्ष में चालू खातों में बैंकों में शेष एवं मियादी जमा राशियां, हस्तगत नकदी एवं बैंक तथा संपार्श्विक ऋण एवं उधार बाधिता लेन-देनों पर उधार दी गई राशि शामिल है।

(ढ) खण्ड रिपोर्टिंग

परिचालन खण्डों का समूह के मुख्य परिचालन निर्णायक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराए गए आन्तरिक रिपोर्टिंग के साथ सुसंगत तरीके में उल्लेख किया जाता है। सीओडीएम, संसाधनों के निर्धारण हेतु और समूह के परिचालन खण्डों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होता है।

(ण) बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां

परिसम्पत्तियों को बिक्री हेतु धारित सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि इसमें अत्यधिक संभावना हो कि उन्हें मुख्यतः निरन्तर प्रयोग के बजाय बिक्री के जरिए वसूल किया जाएगा।

ऐसी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन लाभ अथवा हानि में स्वीकृत पुनर्मूल्यांकन पर लाभों एवं हानियों के साथ बिक्री हेतु उनकी वास्तविक राशि से घटाकर उचित मूल्य लागत से कम पर किया जाता है।

एक बार बिक्री सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत होने पर, परिसम्पत्तियों को अधिक समय तक परिशोधित, मूल्यह्रासित अथवा क्षतिग्रस्त नहीं रखा जाता है।

(त) उधार लागत

सामान्य एवं विशिष्ट उधार लागते, जो सीधे तौर पर अधिग्रहण, निर्माण अथवा मान्य परिसम्पत्तियों के उत्पादन पर देय होती है, उस अवधि में पूंजीकृत होती है, जब परिसम्पत्ति को इसके अभिप्रेत प्रयोग अथवा बिक्री के लिए पूर्ण एवं तैयार करना आवश्यक हो। अर्हक परिसम्पत्तियां वो परिसम्पत्तियां हैं जो अपने अभिप्रेत प्रयोग अथवा बिक्री के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं। अर्हक परिसम्पत्तियों पर उनके व्यय तक विशिष्ट उधारियों के अस्थायी निवेश पर अर्जित निवेश आय को पूंजीकरण हेतु उपयुक्त उधार लागतों से कम किया जाता है। अन्य उधार लागतों को उस अवधि में खर्च किया जाता है जिस अवधि में वे उद्भूत होती हैं।

(थ) स्टॉक-इन-ट्रेड

(क) सामान सूची में भूमि शामिल है (जो हटाने योग्य ढांचे के साथ अथवा इसके बगैर है), जिसमें मौजूदा/जोड़ी गई चारदीवारी, भूमि एवं भवन/आवासीय परिसर, विकास और/ अथवा बिक्री हेतु अधिगृहीत/खरीदे गए निर्मित फ्लोर, उनमें मौजूद अन्य हटाने/निपटान योग्य परिसम्पत्तियां शामिल हैं। इन्हें निम्नतर लागत अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है, जो विशेष रूप से इस संबंध में उपगत खरीद/अधिग्रहण और अन्य खर्चों के कारण होते हैं।

(ख) आतिथ्य कारोबार की सम्पत्ति सूची में खरीदे गए उपभोग्य वस्तुओं का अन्त शेष शामिल होता है। मूल्यांकन हेतु विचारित लागत मूल्य का पता लगाने के लिए एफआईएफओ विधि का पालन किया जाता है। अंतिम सामान सूचियों को लागत अथवा प्रतिस्थापक मूल्य, जो भी कम हो, पर पुरानी हो जाने और नुकसान के प्रावधान करने के बाद मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) कारोबार हेतु रखी प्रतिभूतियों और निपटान की प्रक्रिया में एसएचसीआईएल पर तैयार की गई प्रतिभूतियों को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखा जाता है और इन्हें निम्नतर लागत अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

(घ) संपार्श्विक के रूप में प्राप्त या ग्राहकों द्वारा सीधे ही स्टॉक एक्सचेंजों में जमा कराई गई जमा रसीदों की प्रतिभूतियों को संलग्न वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं किया जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

3 नकद एवं नकदी समकक्ष

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
हस्तगत नकदी (डाक टिकटों सहित)	2.48	3.98	3.27
बैंकों में शेष			
- बैंक शेष	907.21	655.45	596.92
- बैंक में जमा राशि	74.66	341.51	281.10
संपादित उधार ऋण परिचालन (सीबीएलओ) (ट्रेजरी बिलों के प्रति प्रतिभूत)	313.75	35.83	85.00
हाथ में और संग्रहण एवं पारगमन में प्रेषण के अधीन	-	-	-
जोड़	1,298.10	1,036.77	966.30

4 नकदी एवं नकद समतुल्य से भिन्न बैंक शेष

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
क्रेडिट गारण्टी वृद्धि योजना के तहत समूह के पास रखी निधि के प्रति बैंक जमा राशियां			
- बैंक में शेष	33.23	115.64	0.19
- बैंक में जमा राशि	1,432.90	1,001.24	321.91
पीएलआई योजना के तहत बैंकों के पास शेष राशि	1,447.60	843.73	50.57
ऋण भुगतान के लिए बैंकों के पास शेष राशि	201.23	458.71	-
अदावाकृत लाभांश खाता	-	2.26	5.92
गारंटियों/लियन के प्रति मार्जिन राशि के रूप में धरित बैंक शेष *	45.60	45.10	385.63
न्यायालय और अधिकरण आदि के निर्देशन पर बैंक जमा राशि	243.03	220.79	49.59
अन्य बैंक शेष/निक्षेप #	344.69	32.68	514.34
जोड़	3,748.28	2,720.15	1,328.15
* 12 माह से अधिक के शेष शामिल हैं।	-	-	184.41
# 12 माह से अधिक के शेष शामिल हैं।	325.35	-	182.53

5 डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख:

	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)			1 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)		
	काल्पनिक राशि	उचित मूल्य- परिसम्पतियां	उचित मूल्य- देयताएं	काल्पनिक राशि	उचित मूल्य- परिसम्पतियां	उचित मूल्य- देयताएं	काल्पनिक राशि	उचित मूल्य- परिसम्पतियां	उचित मूल्य- देयताएं
भाग-I									
मुद्रा डेरिवेटिव्स:									
- स्पोर्ट एंड फॉरवर्ड	334.25	-	13.94	364.20	14.83	-	370.57	2.02	-
जोड़ डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख-भाग-I	334.25	-	13.94	364.20	14.83	-	370.57	2.02	-
भाग-II									
उपरोक्त (भाग-I) में सम्मिलित प्रतिरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन हेतु धारित डेरिवेटिव निम्नानुसार हैं:									
अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव	334.25	-	13.94	364.20	14.83	-	370.57	2.02	-
जोड़ डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख-भाग-II	334.25	-	13.94	364.20	14.83	-	370.57	2.02	-

डेरिवेटिव्स को विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों के लिए ब्याज दर एवं मूलधन जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए समूह द्वारा प्रयोग किया गया है।
 डेरिवेटिव से हुए प्रबंधन जोखिम के लिए टिप्पणी सं. 56 देखें

6 प्राप्य राशियां:

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
(क) प्रतिभूत			
- शोध्य समझी गई	-	-	25.04
- संदिग्ध समझी गई	-	-	6.94
(ख) अप्रतिभूत			
- शोध्य समझी गई	310.04	232.76	207.10
- संदिग्ध समझी गई	57.67	45.87	40.03
- अन्य	-	1.50	0.00
	367.71	280.13	279.12
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	61.38	41.08	36.55
जोड़	306.33	239.05	242.57

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ट्रेड प्रायों की अवधि बढ़ाना

31 मार्च, 2024 को	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 माह- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - शोध्य समझी गई	260.32	8.08	0.82	0.04	10.24	279.49
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	1.87	15.47	38.61	17.73	12.38	86.06
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	2.16	2.16
(iv) विवादित व्यापार प्राय - शोध्य समझी गई	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राय - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राय - क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	-	-
(vii) अन्य प्राय	-	-	-	-	-	-
	262.18	23.55	39.43	17.77	24.78	367.71
घटाएं: क्षति के लिए प्रावधान	0.80	0.98	27.97	15.91	15.72	61.38
जोड़						306.33

* 31.03.2024 को एसएचसीआईएल का बिल ना किया गया राजस्व 18.81 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष - 19.12 करोड़ रुपये)

31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 माह- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - शोध्य समझी गई	232.76	-	-	-	-	232.76
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	37.99	4.27	2.53	1.08	-	45.87
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	1.50	1.50
(iv) विवादित व्यापार प्राय - शोध्य समझी गई	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राय - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राय - क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	-	-
(vii) अन्य प्राय	-	-	-	-	-	-
	270.75	4.27	2.53	1.08	1.50	280.13
घटाएं: क्षति के लिए प्रावधान	37.71	-	-	-	3.37	41.08
जोड़						239.05

1 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 माह- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - शोध्य समझी गई	197.04	17.15	4.65	3.23	8.91	230.99
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0.86	3.45	23.67	6.26	7.08	41.32
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	1.08	1.08
(iv) विवादित व्यापार प्राय - शोध्य समझी गई	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राय - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	(0.01)	(0.00)	(0.01)	0.05	4.51	4.54
(vi) विवादित व्यापार प्राय - क्रेडिट क्षति	-	-	0.01	0.02	0.93	0.96
(vii) अन्य प्राय	0.23	-	-	-	-	0.23
	198.12	20.60	28.31	9.57	22.52	279.12
घटाएं: क्षति के लिए प्रावधान	2.15	0.66	15.14	5.12	13.48	36.55
जोड़						242.57

संबंधित पक्षों से एवं संबंधित पक्षों के साथ लेन-देनों से ट्रेड प्रायों के निबंधनों एवं शर्तों के लिए टिप्पणी 50 को देखें।

कम्पनी के क्रेडिट एवं मुद्रा जोखिमों तथा व्यापार प्रायों से संबंधित हानि भत्तों के जोखिमों को टिप्पणी 56 में प्रकट किया गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

7 ऋण

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
(क) परिशोधित लागत पर			
(i) मियादी ऋण	4,347.25	5,816.89	6,850.96
(ii) पट्टे पर देना	0.04	0.04	0.04
(iii) फैक्टरिंग	-	280.45	367.04
(iv) डिबेंचर	827.10	876.32	812.07
जोड़ (क) - सकल	5,174.40	6,973.71	8,030.12
घटाएँ: क्षति हानि भत्ता	3,811.24	5,065.72	5,406.64
जोड़ (क) - निवल	1,363.15	1,907.98	2,623.48
(ख) प्रतिभूति विवरण			
(i) मूल एवं अमूर्त परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत	2,940.60	4,215.28	5,400.68
(ii) बैंक/सरकारी गारण्टी में शामिल	0.61	60.55	130.26
(iii) अप्रतिभूत	2,233.18	2,697.88	2,499.17
जोड़ (ख) - सकल	5,174.40	6,973.71	8,030.12
घटाएँ: क्षति हानि भत्ता	3,811.24	5,065.72	5,406.64
जोड़ (ख) - निवल	1,363.15	1,907.98	2,623.48
(ग) भारत में ऋण			
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	2.11	2.11	54.39
(ii) अन्य	5,172.29	6,971.60	7,975.73
जोड़ (ग) - सकल	5,174.40	6,973.71	8,030.12
घटाएँ: क्षति हानि भत्ता	3,811.24	5,065.72	5,406.64
जोड़ (ग) - निवल	1,363.15	1,907.98	2,623.48

कंपनी ने अपनी लेखा नीति में परिवर्तन किया है, जिसके तहत चरण-3 परिसंपत्तियों (आई.आर.ए.सी. मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) पर ब्याज आय 1 अप्रैल, 2021 से खाते-बहियों में दर्ज की जाएगी। तदनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 और 2021-22 की ब्याज आय को अंकित किया जाएगा और उसमें क्रमशः 209.50 करोड़ रु. और 248.03 करोड़ रु. की वृद्धि हो जाएगी। चूंकि इनकी वसूली की कोई पक्की संभावना नहीं है, इसलिए कंपनी ने संबंधित वर्षों में इस राशि को बट्टे खाते डालने का निर्णय लिया। तदनुसार, इन वर्षों की वित्तीय प्रलेखों की हानि में संबंधित राशियों में वृद्धि हो जायेगी।

चरण 3 आय मान्यता से संबंधित लेखांकन नीति में बदलाव के कारण ऋण में उतार-चढ़ाव

विवरण	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
सकल ऋण खाता बही (ऊपर अनुसूची 7 देखें)	6,973.71	8,030.12
जोड़ें: चरण 3 पर अर्जित ब्याज	209.50	248.03
घटाएँ: चरण 3 पर अर्जित ब्याज को बट्टे खाते में डालना	(209.50)	(248.03)
समायोजन के बाद सकल ऋण खाता बही	6,973.71	8,030.12

वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने कुल 160.46 करोड़ रु. का ब्याज अर्जित किया है, जिसमें से वसूली अनुमानों के आधार पर 145 करोड़ रु. की राशि बट्टे खाते में डाल दी गई है।

कंपनी को ऋण व मुद्रा जोखिमों से होने वाली हानि, और ऋणों से संबंधित हानि भत्ते का प्रकटीकरण नोट सं. 56 में किया गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

8 निवेश

	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			अन्य	जोड़
		अन्य समग्र आय के जरिए	लाभ अथवा हानि के जरिए	लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर निर्दिष्ट		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)
31 मार्च, 2024 को						
(क)						
(i) म्यूचुअल फण्ड	0.63	-	273.91	-	0.92	275.46
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां	61.73	0.70	-	-	-	62.43
(iii) खजाना बिल	-	513.14	-	-	-	513.14
(iv) ऋण प्रतिभूतियां	-	17.80	-	-	-	17.80
(v) इक्विटी प्रलेख	-	6,918.40	674.22	-	4.51	7,597.13
(vi) अन्य						
उद्यम पूंजी	-	-	116.24	-	1.00	117.24
प्रतिभूति प्राप्तियां	-	8.71	60.98	-	-	69.69
वाणिज्यिक पत्र	-	-	-	-	-	-
अधिमान शेयर	-	-	25.05	-	-	25.05
जोड़ - सकल (क)	62.36	7,458.75	1,150.40	-	6.42	8,677.93
(ख)						
(i) भारत में निवेश	62.36	7,458.75	1,150.40	-	6.42	8,677.93
(ii) भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
जोड़ - सकल (ख)	62.36	7,458.75	1,150.40	-	6.42	8,677.93
(ग) घटाएं: क्षति हानि भत्ता	-	-	-	-	-	-
(घ) जोड़ - निवल (क-ग)	62.36	7,458.75	1,150.40	-	6.42	8,677.93

	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			अन्य	जोड़
		अन्य समग्र आय के जरिए	लाभ अथवा हानि के जरिए	लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर निर्दिष्ट		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)
31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)						
(क)						
(i) म्यूचुअल फण्ड	-	-	174.30	-	-	174.30
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां	50.44	0.70	-	-	-	51.14
(iii) खजाना बिल	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-
(iv) ऋण प्रतिभूतियां	66.01	19.98	-	-	95.00	180.99
(v) इक्विटी प्रलेख	-	6,441.98	595.17	-	7.55	7,044.70
(vi) अन्य						
उद्यम पूंजी	-	-	115.68	-	-	115.68
प्रतिभूति प्राप्तियां	-	10.71	118.60	-	-	129.31
वाणिज्यिक पत्र	-	-	-	-	-	-
अधिमान शेयर	-	-	3.95	-	-	3.95
जोड़ - सकल (क)	116.45	6,473.37	1,007.71	-	102.55	7,700.07
(ख)						
(i) भारत में निवेश	116.45	6,473.37	1,007.71	-	102.55	7,700.07
(ii) भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
जोड़ - सकल (ख)	116.45	6,473.37	1,007.71	-	102.55	7,700.07
घटाएं : क्षति हानि भत्ता	-	-	-	-	-	-
(ग) जोड़ - निवल (क-ग)	116.45	6,473.37	1,007.71	-	102.55	7,700.07

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			अन्य	जोड़
		अन्य समग्र आय के जरिए	लाभ अथवा हानि के जरिए	लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर निर्दिष्ट		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)
01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)						
(क)						
(i) म्युचुअल फण्ड	-	-	112.90	-	-	112.90
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां	36.88	0.72	-	-	-	37.60
(iii) खजाना बिल	-	533.09	-	-	-	533.09
(iv) ऋण प्रतिभूतियां	30.51	93.29	-	-	-	123.80
(v) इक्विटी प्रलेख	-	4,803.79	614.50	-	-	5,418.29
(vi) अन्य	-	-	119.83	-	-	119.83
प्रतिभूति प्राप्तियां	-	-	190.53	-	-	190.53
वाणिज्यिक पत्र	-	-	-	-	-	-
जमा प्रमाण पत्र	-	-	-	-	-	-
अधिमान शेयर	-	-	4.86	-	-	4.86
जोड़ - सकल (क)	67.39	5,430.89	1,042.62	-	-	6,540.90
(ख)						
(i) भारत में निवेश	67.39	5,430.89	1,042.62	-	-	6,540.90
(ii) भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
जोड़ - सकल (ख)	67.39	5,430.89	1,042.62	-	-	6,540.90
घटाएं : क्षति हानि भत्ता	-	-	-	-	-	-
(ग) जोड़ - निवल (क-ग)	67.39	5,430.89	1,042.62	-	-	6,540.90

क्रेडिट एवं मुद्रा जोखिम हेतु तथा ऋणों के सम्बन्ध में हानि भत्ते के प्रति समूह का जोखिम टिप्पणी संख्या 56 में दिया गया है

9 अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
प्रतिभूति निक्षेप	0.03	1.94	24.42
प्रोद्भूत आय			
- निवेशों पर ब्याज	56.67	34.40	2.88
- अन्य आय	0.53	2.01	28.36
अबिलीकृत राजस्व	-	19.12	17.32
किलयरिंग हाउस से निपटान पर देय राशियां	-	-	226.76
स्टाम्प शुल्क भुगतान के संबंध में सरकार से वसूलनीय राशियां	-	-	0.25
ग्राहकों एवं दलालों, अन्यो से निपटान पर देय राशियां	-	-	223.56
अन्य अग्रिम प्राप्य	-	135.01	0.01
कर्मचारियों को ऋण	25.07	26.30	28.04
अन्य निक्षेप	484.15	105.73	190.50
अन्य संदिग्ध निक्षेप	12.16	12.12	21.69
अन्य प्राप्य राशियां	914.50	509.46	50.95
	1,493.10	846.09	814.75
घटाएं : क्षति हानि भत्ता	82.82	60.04	79.98
जोड़	1,410.28	786.06	734.77

क्रेडिट और मुद्रा जोखिम एवं ऋणों से संबंधित हानि भत्ते के बारे में समूह का जोखिम टिप्पणी संख्या 56 में दिया गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

10 इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए लेखागत निवेश

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
सहयोगी कम्पनियों में निवेश	-	-	-
जोड़	-	-	-

11 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

विवरण	01 अप्रैल, 2023 को	इक्विटी में मान्य	वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानि में मान्य	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य	31 मार्च, 2024 को
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां:					
ऋण	1,633.97	-	(313.82)	-	1,320.14
न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता	-	-	0.90	-	0.90
अन्य	(830.50)	-	1,273.18	1.49	443.42
	803.46	-	960.26	1.49	1,764.
आस्थगित कर देयताएं:					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	223.58	-	(0.28)	-	223.31
निवेश	103.14	-	1,414.33	185.45	1,702.93
धारा 36(i)(viii) के तहत विशेष रिजर्व निधि पर डीटीएल	46.72	-	-	-	46.72
उधार	(0.00)	-	-	-	-
	373.44	-	1,414.06	185.45	1,972.95
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	430.02	-	(453.80)	(183.96)	(208.47)

विवरण	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)	इक्विटी में मान्य	वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानि में मान्य	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां:					
ऋण	1,743.56	-	(109.59)	-	1,633.97
न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता	-	-	-	-	-
अन्य	(450.60)	-	(379.24)	(0.67)	(830.50)
	1,292.96	-	(488.83)	(0.67)	803.46
आस्थगित कर देयताएं:					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	241.43	-	(17.85)	-	223.58
निवेश	77.43	-	(364.87)	390.58	103.14
धारा 36(i)(viii) के तहत विशेष रिजर्व निधि पर डीटीएल	46.72	-	-	-	46.72
उधार	2.98	-	(2.98)	-	(0.00)
	368.56	-	(385.70)	390.58	373.44
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां:	924.40	-	(103.13)	(391.25)	430.02

12 निवेश सम्पत्ति

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास			निवल ब्लॉक		
	1 अप्रैल, 2023 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	23.16	-	-	23.16	-	-	-	-	23.16	23.16
भवन	337.78	-	-	337.78	94.89	7.02	-	102.17	235.61	242.89
प्लैट	9.29	-	7.31	1.98	2.45	-	0.47	1.98	0.00	6.84
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	25.26	-	-	25.26	-	-	-	-	25.26	25.26
जोड़	395.50	-	7.31	388.18	97.34	7.02	0.47	104.15	284.03	298.16

(सभी राशियां करोड़ रुप में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यद्वय				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2022 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	11.82	11.34	-	23.16	-	-	-	-	23.16	11.82
भवन	331.47	6.31	-	337.78	88.14	1.72	(5.03)	94.89	242.89	243.32
फ्लैट	9.29	-	-	9.29	1.94	0.52	-	2.45	6.84	7.36
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टाकृत भूमि	24.25	1.01	-	25.26	-	-	-	-	25.26	24.25
जोड़	376.84	18.66	-	395.50	90.08	2.23	(5.03)	97.34	298.16	286.76

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य द्वय				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2021 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2021 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	9.84	1.98	-	11.82	-	-	-	-	11.82	9.84
भवन	202.22	129.25	-	331.47	18.58	2.73	(66.83)	88.14	243.32	183.63
फ्लैट	9.29	-	-	9.29	1.66	0.28	-	1.94	7.36	7.63
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टाकृत भूमि	0.02	24.23	-	24.25	-	-	-	-	24.25	0.02
जोड़	221.38	155.46	-	376.84	20.24	3.00	(66.83)	90.08	286.76	201.14

निवेश सम्पत्ति से अर्जित किराए की आय के विवरण के लिए, लाभ और हानि का विवरण देखें।

पट्टे पर दी गयी निवेश सम्पत्ति के विवरण के लिए नोट 51 देखें।

निवेश सम्पत्ति का उचित मूल्य (भूमि एवं भवन)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)
आईएफसीआई लिमिटेड	537.30	554.37
आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	47.75	57.22

उचित मूल्यों का मूल्यांकन

i. उचित मूल्य क्रमानुक्रम

निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य को मूल्यांकित की जा रही सम्पत्ति की अवस्थिति एवं श्रेणी में उपयुक्त मान्य पेशेवर योग्यताओं एवं नवीनतम अनुभव रखने वाले बाहरी, स्वतंत्र सम्पत्ति मूल्यांककों द्वारा निर्धारित किया गया है। हालाँकि, मूल्यांकन आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त रिपोर्ट अवधि के दौरान आंतरिक रूप से निर्धारित किया गया है।

निवेश सम्पत्ति वा उचित मूल्य, (जैसा कि वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन किया गया है) एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित होता है जैसा कि कम्पनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियमावली, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित किया गया है।

समस्त निवेश सम्पत्ति हेतु उचित मूल्य को प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक के इनपुटों के आधार पर चरण 3 उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. मूल्यांकन तकनीक

कम्पनी प्रत्यक्ष बिक्री तुलना तकनीक का पालन करती है। मूल्यांकन मॉडल आसपास के क्षेत्र में स्थित सम्पत्तियों में नवीनतम बिक्रियों/एक जैसी हित के सूचीकरण की तुलना करके विषयगत सम्पत्ति के मूल्य पर विचार करती है। इच्छुक खरीददारों एवं विक्रेताओं के बीच “आर्म-लेन्थ लेन-देन की अर्हता पूरी करने वाली बिक्रियों का विश्लेषण करके, इसके आकार, स्थान, समय सुख सुविधाओं एवं अन्य संगत कारकों को देखते हुए समायोजन किया जाएगा, जब इस तरह के बिक्री मूल्य की वस्तुगत सम्पत्ति के संबंध में तुलना की गई हो। इस दृष्टिकोण को सामान्य रूप में मानक सम्पत्तियों के मूल्य हेतु तब अपनाया जाता है जब वसूलनीय बिक्री साक्ष्य उपलब्ध हो।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

13 सम्पत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2023 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	147.83	-	-	147.83	0.12	-	-	0.12	147.71	147.71
भवन	530.44	2.54	-	532.98	16.64	13.91	-	30.54	502.43	513.80
पट्टा भूमि सुधार	5.65	0.09	-	5.74	3.44	0.85	-	4.29	1.45	2.21
संयंत्र एवं मशीनरी	124.93	5.09	0.18	129.84	45.79	9.83	0.09	55.53	74.31	79.14
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	27.34	0.78	0.02	28.10	23.00	0.84	0.02	23.82	4.28	4.34
वाहन	3.62	-	0.61	3.01	2.12	0.71	0.53	2.30	0.71	1.50
कार्यालय उपकरण	73.69	7.41	1.88	79.21	53.14	10.00	1.77	61.37	17.84	20.55
इलेक्ट्रिकल्स स्थापना एवं उपकरण	12.47	0.11	0.01	12.57	11.15	0.35	0.08	11.42	1.15	1.33
पट्टाधीन परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	239.18	-	-	239.18	47.10	5.49	-	52.59	186.59	192.08
जोड़	1,165.15	16.01	2.71	1,178.45	202.50	41.98	2.50	241.98	936.46	962.65
	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2022 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्री होल्ड भूमि	159.17	-	11.34	147.83	0.09	0.03	-	0.12	147.71	159.08
भवन	504.39	32.36	6.31	530.44	2.98	18.68	5.03	16.64	513.80	501.40
पट्टा भूमि सुधार	4.17	1.48	-	5.65	1.86	1.57	-	3.44	2.21	2.31
संयंत्र एवं मशीनरी	111.19	14.06	0.32	124.93	36.50	9.50	0.21	45.79	79.14	74.69
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	26.96	0.56	0.18	27.34	22.22	0.93	0.14	23.00	4.34	4.74
वाहन	4.54	-	0.92	3.62	2.14	0.87	0.89	2.12	1.50	2.40
कार्यालय उपकरण	62.50	15.73	4.54	73.69	46.50	11.11	4.47	53.14	20.55	16.00
इलेक्ट्रिकल्स स्थापना एवं उपकरण	12.33	0.14	0.00	12.47	10.66	0.49	-	11.15	1.33	1.67
पट्टाधीन परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	240.19	-	1.01	239.18	41.57	5.53	-	47.10	192.08	198.62
जोड़	1,125.43	64.34	24.62	1,165.15	164.52	48.72	10.75	202.50	962.65	960.90
	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2021 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2021 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2021 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्री होल्ड भूमि	161.09	0.06	1.98	159.17	-	0.09	-	0.09	159.08	161.09
भवन	633.54	0.10	129.26	504.39	52.24	17.56	66.82	2.98	501.40	581.30
पट्टा भूमि सुधार	3.56	0.72	0.11	4.17	1.17	0.76	0.06	1.86	2.31	2.39
संयंत्र एवं मशीनरी	105.11	7.43	1.36	111.19	28.39	8.72	0.61	36.50	74.69	76.72
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	26.41	0.67	0.12	26.96	21.19	1.11	0.08	22.22	4.74	5.22
वाहन	2.80	2.19	0.46	4.54	1.92	0.67	0.45	2.14	2.40	0.88
कार्यालय उपकरण	51.85	11.61	0.96	62.50	39.00	8.43	0.94	46.50	16.00	12.85
इलेक्ट्रिकल्स स्थापना एवं उपकरण	11.82	0.54	0.03	12.33	10.08	0.61	0.03	10.66	1.67	1.73
पट्टाधीन परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	264.42	-	24.23	240.19	37.72	3.85	-	41.57	198.62	226.70
जोड़	1,260.61	23.32	158.49	1,125.43	191.72	41.78	68.98	164.52	960.90	1,068.89

कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

14 गुडविल

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
सकल ब्लॉक			
(i) आरम्भ शेष	446.64	446.64	446.64
(ii) परिवर्धन	-	-	-
(iii) व्यावसायिक संयोजनों के जरिए अधिग्रहण	-	-	-
(iv) निपटान	-	-	-
(v) अन्य समायोजन	-	-	-
(vi) अन्त शेष	446.64	446.64	446.64
क्षति प्रावधान			
(i) आरम्भ शेष	-	-	-
(ii) व्यावसायिक संयोजनों के जरिए अधिग्रहण	-	-	-
(iii) अवधि हेतु क्षति	-	-	-
(iv) निपटान	-	-	-
(v) प्रावधान में रिवर्सल	-	-	-
(vi) अन्य समायोजन	-	-	-
(vii) अन्त शेष	-	-	-
निवल गुडविल	446.64	446.64	446.64

15 अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां

	सकल ब्लॉक				परिशोधन			निवल ब्लॉक		
	1 अप्रैल, 2023 को	परिवर्धन	निपटान	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को	वर्ष हेतु	निपटान	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	20.70	29.23	-	49.93	16.86	10.39	-	27.25	22.68	3.84
पट्टा परिसम्पत्तियों के उपयोग का अधिकार	129.79	16.09	41.68	104.20	77.56	21.47	38.67	60.36	43.84	52.23
लाइसेंस एवं फ्रैचाइजी	0.60	-	-	0.60	0.29	0.24	-	0.53	0.07	0.31
जोड़	151.10	45.32	41.68	154.73	94.71	32.10	38.67	88.15	66.59	56.38

	सकल ब्लॉक				परिशोधन			निवल ब्लॉक		
	1 अप्रैल, 2022 को	परिवर्धन	निपटान	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष हेतु	निपटान	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	19.63	1.07	-	20.70	14.28	2.58	-	16.86	3.84	5.35
पट्टा परिसम्पत्तियों के उपयोग का अधिकार	99.16	31.94	1.31	129.79	57.81	20.38	0.63	77.56	52.23	41.35
लाइसेंस एवं फ्रैचाइजी	0.60	-	-	0.60	0.29	-	-	0.29	0.31	0.31
गैर प्रतिस्पर्धा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	119.39	33.01	1.31	151.10	72.38	22.96	0.63	94.71	56.38	47.01

	सकल ब्लॉक				परिशोधन			निवल ब्लॉक		
	1 अप्रैल, 2021 को	परिवर्धन	निपटान	31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष हेतु	निपटान	31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2021 को (पुनःस्थापित)
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	14.17	5.46	-	19.63	11.75	2.53	-	14.28	5.35	2.42
पट्टा परिसम्पत्तियों के उपयोग का अधिकार	87.79	23.00	11.62	99.17	45.06	18.95	6.21	57.80	41.35	42.73
लाइसेंस एवं फ्रैचाइजी	0.60	-	-	0.60	0.17	0.12	-	0.29	0.31	0.43
गैर प्रतिस्पर्धा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	102.57	28.45	11.62	119.40	56.99	21.60	6.21	72.38	47.01	45.58

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

16 अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
पूँजी अग्रिम	18.96	5.95	5.67
पूर्व प्रदत्त व्यय	20.84	21.48	19.97
भविष्य निधि - परिसम्पत्ति	-	-	92.21
सांविधिक देय राशियां	0.74	4.36	60.12
अन्य परिसम्पत्तियां	116.56	135.72	39.46
	157.11	167.52	217.43
घटाएं - क्षति हानि हेतु प्रावधान	-	-	-
जोड़	157.11	167.52	217.43

17 बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
विकास वित्तपोषण के तहत सहायता (एयूएफ)- सहयोगी कम्पनियों	49.41	7.54	7.54
जोड़	49.41	7.54	7.54

18 देय राशियां

I ट्रेड देयताएं

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय कुल बकाया	1.86	17.89	0.87
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को छोड़कर लेनदारों को देय कुल बकाया	461.09	257.13	390.00
जोड़	462.95	275.02	390.87

ट्रेड देयताओं की अवधि बढ़ाना

31 मार्च, 2024 को	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	1.86	0.00	-	-	1.86
(ii) अन्य	429.65	9.29	3.86	18.29	461.09
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
जोड़					462.95

31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	17.89	-	-	-	17.89
(ii) अन्य	232.34	4.14	1.48	19.17	257.13
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
जोड़					275.02

31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	0.87	-	-	-	0.87
(ii) अन्य	358.93	4.88	3.34	22.79	389.95
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	0.00	0.03	0.02	-	0.05
जोड़					390.87

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
II अन्य देय राशियां			
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय का कुल बकाया	-	-	-
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को छोड़कर क्रेडिटर्स को देय का कुल बकाया	-	-	2.23
जोड़	-	-	2.23

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार 31 मार्च, 2024 को आपूर्तिकर्ताओं को अतिदेय राशियां 1.86 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 17.89 करोड़ रुपए) हैं। यह सूचना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जानी अपेक्षित है, जिसका निर्धारण समूह के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर अभिनिर्धारित ऐसे पक्षकारों की मौजूदा स्थिति तक निर्धारित की गई है।

19 ऋण प्रतिभूतियां

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
(क) परिशोधित लागत पर			
(i) बॉण्ड			
- निजी रूप से धारित बॉण्ड	2,790.37	3,149.11	3,238.66
- निजी रूप से रखे गए जीरो कूपन बॉण्ड	359.60	327.55	311.47
- अवसंरचना बॉण्ड	177.61	159.04	478.95
- घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	(116.93)	(187.66)	(162.01)
(ii) कर मुक्त बॉण्ड (आईएफसीआई लि. के प्राप्यों पर घट-बढ़ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)			
- अन्यो द्वारा धारित	100.00	265.00	265.00
(iii) प्रतिभूत, मोच्य गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचर (आईएफसीआई लि. के प्राप्यों पर घट-बढ़ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)			
- सहायक और सहयोगी कंपनियों द्वारा धारित	-	-	-
- अन्यो द्वारा धारित	1,051.12	1,047.59	1,025.27
- घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	(87.77)	(74.23)	(61.92)
(iv) निजी रूप से धारित बॉण्ड (आईएफसीआई लि. की प्राप्य राशियों पर घट-बढ़ प्रभार एवं सरकारी प्रतिभूतियों पर लियन द्वारा प्रतिभूत गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचर)			
- अन्य (बॉण्ड/डिबेंचर आदि)	2.21	2.21	-
जोड़ (क)	4,276.21	4,733.59	5,095.43
(ख) भारत में और भारत से बाहर			
(i) भारत में ऋण प्रतिभूतियां	4,276.21	4,733.59	5,095.43
(ii) भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-
जोड़ (ख)	4,276.21	4,733.59	5,095.43

20 उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
(क) परिशोधित लागत पर			
(i) मियादी ऋण			
- बैंक एवं अन्य पक्षकारों से	11.85	75.00	633.32
- अन्य पक्षकारों से	-	-	-
- वित्तीय संस्थानों से	-	-	-
- केएफडब्ल्यू ऋण श्रंखला से	334.25	364.25	372.75
(ii) बैंकों से मांग पर पुनर्देय ऋण	-	26.70	18.95
(iii) अन्य	-	45.60	-
जोड़	346.10	511.55	1,025.02
(ख) भारत में/भारत से बाहर			
(i) भारत में ऋण	11.85	147.30	652.27
(ii) भारत से बाहर ऋण	334.25	364.25	372.75
जोड़	346.10	511.55	1,025.02

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

21 अधीनस्थ देयताएं

(क) परिपोषित लागत पर

- (i) अधीनस्थ - टियर-II बॉण्ड
- घटाएं: प्रोद्भूत परंतु देय नहीं ब्याज

जोड़ (क)

(ख) भारत में/भारत से बाहर

- (i) भारत में अधीनस्थ देयता
(ii) भारत से बाहर अधीनस्थ देयता

जोड़ (ख)

31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
916.75	923.72	1,101.29
(172.08)	(149.05)	(126.63)
744.67	774.67	974.66
744.67	774.67	974.66
-	-	-
744.67	774.67	974.66

22 अन्य वित्तीय देयताएं

बॉण्डों और उधारों पर प्रोद्भूत परंतु देय नहीं ब्याज

अप्रतिभूत ऋण

प्रतिभूति निक्षेप

अप्रदत्त परिपक्व डिबेंचर एवं ब्याज

निगम के पास रखा धन

(क) अनुसूचित जाति क्रेडिट गारण्टी वृद्धि योजना (भारत सरकार द्वारा धारित)

(ख) पीएलआई योजना

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि

राहत व बचत बॉण्डों पर अदावाकृत मोचन आय एवं ब्याज

- निपटान पर निकासी गृह, ग्राहकों एवं दलालों को देय राशियां

स्टाम्प शुल्क संग्रहण के संबंध में सरकार को देय राशियां

अग्रिम निक्षेप भागीदार प्रभार, ग्राहकों से अग्रिम, सांविधिक देयताएं जिसमें भविष्य

निधि एवं कर शामिल हैं (निपटान पर देय राशि सहित)

फैक्टरिंग के प्रति संविदात्मक देयता

अदावाकृत लाभांश

पट्टा देयताओं के उपयोग का अधिकार

अन्य देयताएं (ट्रेड निक्षेप और अन्य देय राशियां)

31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
662.75	707.68	677.95
-	-	0.02
14.84	13.38	9.81
0.57	0.25	0.46
347.47	323.21	306.54
1,447.91	843.74	50.00
104.47	633.67	80.14
-	-	19.67
-	-	439.77
-	-	95.54
-	-	419.65
-	-	5.95
0.02	2.27	5.93
-	-	47.09
2,461.22	1,232.12	593.70
5,039.25	3,756.33	2,752.23

23 प्रावधान

तुलनपत्र प्रकटन से परे क्षति प्रावधान

कर्मचारी लाभ

अन्य व्ययों हेतु प्रावधान

दावों हेतु प्रावधान - दीर्घ अवधि प्रावधान

जोड़

31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
36.70	95.86	32.17
85.49	87.79	70.29
2.94	-	29.77
-	-	24.46
125.13	183.65	156.68

* वित्त वर्ष 2024 में होल्डिंग कंपनी (आईएफसीआई लिमिटेड) के कर्मचारियों की ग्रेज्युटी देनदारी पर 0.34 करोड़ रु. के प्रावधान को रिवर्स करना शामिल है कर्मचारी लाभ पर विस्तृत प्रकटन हेतु टिप्पणी सं. 49 देखें।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

24 अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
अग्रिम से प्राप्त आय	15.40	35.08	7.76
प्रशिक्षण हेतु प्राप्त सहायता अनुदान	-	-	1.53
सांविधिक देयताएं	0.06	-	23.70
अन्य	6.07	-	2.67
	21.54	35.08	35.67

25 इक्विटी

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
अधिकृत			
प्रत्येक 10/- रुपए के 4,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	4,000.00	4,000.00	4,000.00
निर्गमित			
प्रत्येक 10/- रुपए के 2,55,68,61,317 इक्विटी शेयर	2,556.86	2,263.18	2,170.24
	2,556.86	2,263.18	2,170.24
अभिदत्त			
प्रत्येक 10/- रुपए के 2,49,09,30,563 इक्विटी शेयर	2,490.93	2,197.24	2,104.31
	2,490.93	2,197.24	2,104.31
प्रदत्त			
प्रत्येक 10/- रुपए के 2,48,96,13,863 इक्विटी शेयर	2,489.61	2,195.93	2,102.99
	2,489.61	2,195.93	2,102.99

इक्विटी शेयरों की संख्या एवं शेयर पूंजी का लेखा मिलान:

कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शेयर आवेदन राशि के रूप में कम्पनी की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए भारत सरकार से 07 मार्च, 2023 को 400 करोड़ रु. प्राप्त हुए थे। इस संबंध में, निदेशकों की समितियों ने 27 अप्रैल, 2023 को 13.62 रु. प्रति इक्विटी शेयर (3.62 रु. प्रति शेयर के सिक्योरिटी प्रीमियम सहित) की दर से भारत सरकार को 10/- रु. प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले 29,36,85,756 इक्विटी शेयर आवंटित किए थे।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शेयर आवेदन राशि के रूप में कम्पनी की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए 08 मार्च, 2024 को भारत सरकार से 500 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई थी। इस संबंध में, निदेशकों की समिति ने 18 अप्रैल, 2024 को 40.33/- रु. प्रति इक्विटी शेयर की दर से 10/- रु. के अंकित मूल्य वाले 12,39,77,188 इक्विटी शेयर (30.33/- रु. प्रति इक्विटी शेयर के सिक्योरिटी प्रीमियम सहित) भारत सरकार को आवंटित किये थे।

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)		31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
इक्विटी शेयर						
अवधि के शुरू में बकाया	2,195,928,107	2,195.93	2,102,991,305	2,102.99	1,895,993,092	1,895.99
जोड़ें: भारत सरकार को जारी किए गए शेयर	293,685,756	293.69	92,936,802	92.94	206,998,213	207.00
अवधि के अंत में बकाया	2,489,613,863	2,489.61	2,195,928,107	2,195.93	2,102,991,305	2,102.99
प्रदत्त शेयर पूंजी	2,489,613,863	2,489.61	2,195,928,107	2,195.93	2,102,991,305	2,102.99

इक्विटी शेयरों की शर्तें/संबद्ध अधिकार:

समूह के पास केवल एक श्रेणी का इक्विटी शेयर है, अर्थात् 10/- रुपए प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाला इक्विटी शेयर है, जिसके लिए प्रति शेयर एक वोट डालने की पात्रता है।

शेयरधारक जिनके पास 5% से अधिक इक्विटी शेयर हैं।

शेयरधारक का नाम

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)		31 मार्च, 2022 को (पुनःस्थापित)	
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
भारत के राष्ट्रपति	1,750,576,628	70.32%	1,456,890,872	66.35%	1,363,954,070	64.86%
अवधि के दौरान % परिवर्तन	3.97%		1.49%		3.84%	

(सभी राशिमां करोड रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

26 अन्य इक्विटी

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
i आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि			
आरम्भ शेष	400.00	-	200.00
घटाएं : वर्ष के दौरान अंतरण	(400.00)	-	(200.00)
चोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	500.00	400.00	-
अन्त शेष	500.00	400.00	-
ii आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व			
आरम्भ शेष	925.84	924.75	924.23
चोड़ें : प्रतिधारित आय से अंतरण	0.24	1.10	0.52
अन्त शेष	926.09	925.84	924.75
iii आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि			
आरम्भ शेष	136.74	136.74	136.74
अन्त शेष	136.74	136.74	136.74
iv पूंजी रिजर्व			
आरम्भ शेष	0.85	0.85	0.85
सहयोगी कम्पनियों की बिक्री	-	-	-
अन्त शेष	0.85	0.85	0.85
v प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि			
आरम्भ शेष	1,132.12	1,125.06	1,032.06
चोड़ें : इक्विटी शेयरों का निर्गम	106.31	7.06	93.00
अन्त शेष	1,238.44	1,132.12	1,125.06
vi पूंजी मोचन रिजर्व			
आरम्भ शेष	300.05	300.05	300.05
चोड़ें : प्रतिधारित आय से अन्तरण	-	-	-
अन्त शेष	300.05	300.05	300.05
vii डिर्वेचर मोचन रिजर्व			
आरम्भ शेष	100.58	100.58	260.08
चोड़ें : प्रतिधारित आय से अन्तरण	-	-	-
चोड़ें : सामान्य रिजर्व में अन्तरण	-	-	(159.50)
अन्त शेष	100.58	100.58	100.58
viii सामान्य रिजर्व			
आरम्भ शेष	554.05	540.39	374.01
चोड़ें :	17.81	13.66	166.38
अन्त शेष	571.86	554.05	540.39
ix मानित इक्विटी अंशदान			
आरम्भ शेष	335.82	335.82	335.82
घटाएं : अधिमान शेयरों का समय-पूर्व मोचन	-	-	-
अन्त शेष	335.82	335.82	335.82
x क्षति-हानि रिजर्व			
आरम्भ शेष	148.62	139.57	132.00
चोड़ें : प्रतिधारित आय से अन्तरण	(42.23)	9.05	7.57
अन्त शेष	106.39	148.62	139.57

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(जारी...)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को (पुनःस्थापित)	01 अप्रैल, 2022 को (पुनःस्थापित)
xi प्रतिधारित आय			
आरम्भ शेष	(4,427.91)	(4,144.22)	(2,167.56)
जोड़े : वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	103.66	(207.80)	(1,831.34)
घटाएं : पूंजी मोचन रिजर्व में अन्तरण	-	-	-
घटाएं : भारिबैक अधिनियम की धारा 45 आईसी के अधीन रिजर्व में अन्तरण	(0.24)	(1.10)	158.98
घटाएं : सामान्य रिजर्व में अन्तरण	(17.81)	(13.66)	(166.38)
घटाएं : क्षतिपूर्ति रिजर्व में अन्तरण	42.23	(9.05)	(7.57)
घटाएं : आकस्मिकता रिजर्व निधि हेतु अन्तरण	(92.50)	(52.00)	(30.89)
घटाएं : प्रतिभूति प्रीमियम	-	-	(93.00)
घटाएं : लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)	-	-	-
जोड़े : अन्य	6.77	(0.08)	(6.46)
अन्त शेष	<u>(4,385.80)</u>	<u>(4,427.91)</u>	<u>(4,144.22)</u>
xii अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख			
आरम्भ शेष	(2.61)	(2.79)	21.55
जोड़े : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	8.80	0.18	(24.34)
अन्त शेष	<u>6.19</u>	<u>(2.61)</u>	<u>(2.79)</u>
xiii अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख			
आरम्भ शेष	1,792.92	1,137.54	203.66
जोड़े : प्रतिधारित आय से अन्तरण	-	0.08	-
जोड़े : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	150.09	655.30	933.88
अन्त शेष	<u>1,943.01</u>	<u>1,792.92</u>	<u>1,137.54</u>
xiv पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन			
आरम्भ शेष	53.30	52.54	51.43
जोड़े : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	(1.88)	0.75	1.11
अन्त शेष	<u>51.42</u>	<u>53.30</u>	<u>52.54</u>
xv आकस्मिक रिजर्व			
आरम्भ शेष	120.19	68.19	37.30
जोड़े : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	92.50	52.00	30.89
अन्त शेष	<u>212.68</u>	<u>120.19</u>	<u>68.19</u>
xvi विदेशी मुद्रा अन्तरण रिजर्व			
आरम्भ शेष	1.30	0.61	0.35
जोड़े : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	0.1	0.69	0.26
अन्त शेष	<u>1.41</u>	<u>1.30</u>	<u>0.61</u>
xvii समामेलन रिजर्व			
आरम्भ शेष	(0.60)	(0.60)	(0.60)
अन्त शेष	(0.60)	(0.60)	(0.60)
जोड़ शेष	<u>2,044.63</u>	<u>1,570.79</u>	<u>715.10</u>

आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के अधीन रिजर्व

प्रदत्त शेयर पूंजी में भारत सरकार की शेयरधारिता में 50% से अधिक वृद्धि हो जाने से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अधीन समूह एक सरकारी कम्पनी बन गया है और इसलिए सरकारी कम्पनियों को प्राप्त छूट को देखते हुए, आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईसी के तहत सृजित सांविधिक रिजर्व निधि में कोई अन्तरण नहीं किया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) द्वारा वित्तीय संस्थानों को उपयुक्त कारोबार, अर्थात दीर्घ अवधि औद्योगिक वित्तपोषण से निवल आय का 20% लाभ इस रिजर्व निधि में अन्तरण करने की अनुमति देती है और इस पर कर योग्य आय का परिगणन करते समय कटौती करने की अनुमति है। आयकर अधिनियम में, वित्त अधिनियम, 1998 में संशोधन करने

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

से, वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित रिजर्व निधि के रखरखाव पर एक शर्त रखी है। किसी भी निकासी पर कर लगाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 1996-97 तक पूर्ववर्ती वर्ष में सृजित उक्त रिजर्व निधि के उपयोग पर कर देयता नहीं थी और तदनुसार, वित्तीय वर्ष 1997-98 के बाद अन्तरित निधि में आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का सृजन किया गया है।

पूंजी रिजर्व

पूंजी रिजर्व निधि जब्त किए गए शेयरों की आय को दर्शाती है।

प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व

प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग शेयरों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम को दर्ज करने के लिए किया जाता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार इसे उपयोग में लाया जाता है।

पूंजी मोचन रिजर्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 55 की अपेक्षा के अनुसार पूंजी मोचन रिजर्व निधि, पूंजी के नये निर्गम के बिना अधिमान शेयरों के मोचन के संबंध में लाभ एवं हानि के विवरण में अधिशेष राशि से अन्तरित राशि को दर्शाती है।

डिबेंचर मोचन रिजर्व

डिबेंचर मोचन रिजर्व निधि का सृजन सार्वजनिक निर्गम की मार्फत आईएफसीआई लि. द्वारा जारी किए गए गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए कम्पनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18(7) के अनुसार किया गया है। बाद में निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) की दिनांक 16.08.2019 की अधिसूचना संख्या जीएसआर-57(ई) के द्वारा शेयर पूंजी और डिबेंचर नियमावली (नियम 2014) को संशोधित कर अधिसूचित दिया गया इसलिए मौजूदा बॉण्डों और डिबेंचरों के मामले में न तो बॉण्डों के सार्वजनिक निर्गम हेतु और न ही निजी धारण हेतु किसी अतिरिक्त डिबेंचर मोचन रिजर्व का सृजन किया गया है।

सामान्य रिजर्व

सामान्य रिजर्व का सृजन अनुप्रयोज्य विनियमों के अनुसार एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर निवल आय के वार्षिक अन्तरण के जरिए किया गया था।

मानित इक्विटी अंशदान

शेयरधारकों से अधिमान दर उधार के संबंध में मानित इक्विटी अंशदान।

प्रतिधारित आय

यह समूह द्वारा अर्जित लाभ के संचित अधिशेष/(कमी) की तारीख को निरूपित किया है।

आकस्मिक रिजर्व

आकस्मिक रिजर्व निधि को उत्पन्न किन्हीं आकस्मिकताओं के मामले में प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट रिजर्व निधि पर देय निवल आय के वार्षिक अन्तरण के जरिए सृजित किया गया था।

विदेशी मुद्रा अन्तरण रिजर्व

विदेशी मुद्रा अन्तरण रिजर्व निधि को प्रस्तुतीकरण करेसी में विदेशी सहायक कम्पनी के संपरिवर्तन पर उत्पन्न विनियम अन्तराल में से सृजित किया जाता है।

समामेलन रिजर्व

यह दो अथवा इससे अधिक कम्पनियों के विलयन पर सृजित रिजर्व निधि को दर्शाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख

इसमें अन्य समग्र आय में मान्य ऋण प्रलेखों के उचित मूल्य में परिवर्तन तथा इक्विटी में संचित राशि शामिल है। समूह इक्विटी के ऐसे संघटक से राशि को प्रतिधारित आय में अन्तरित करता है जब संगत ऋण प्रलेखों को अमान्य किया जाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख

इसमें अन्य समग्र आय से मान्य कुछेक अभिज्ञात इक्विटी प्रलेखों के उचित मूल्य में परिवर्तन तथा इक्विटी में संचित राशि शामिल है।

पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन

पारिभाषित लाभ देयता (परिसम्पत्ति) के पुनर्मूल्यांकन में बीमाकक लाभ एवं हानियां तथा योजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज आय को छोड़कर) शामिल है।

27 ब्याज आय

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःस्थापित)		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःस्थापित)	
	ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर
ऋणों पर ब्याज	-	393.79	-	477.08	-	792.70
निवेशों से ब्याज आय	45.44	70.03	80.01	16.49	84.32	(4.09)
निक्षेप राशियों पर ब्याज	-	2.00	0.01	1.66	7.21	36.23
अन्य ब्याज आय	-	42.57	-	16.43	-	8.60
जोड़	45.44	508.39	80.01	511.65	91.53	833.44

कंपनी ने अपनी लेखा नीति में परिवर्तन किया है, जिसके तहत चरण-3 परिसंपत्तियों (आई.आर.ए.सी. मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) पर ब्याज आय 1 अप्रैल, 2021 से खाते-बहियों में दर्ज की जाएगी। तदनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 और 2021-22 की ब्याज आय को अंकित किया जाएगा और उसमें क्रमशः 209.50 करोड़ रु. और 248.03 करोड़ रु. की वृद्धि की जाएगी।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

28 शुल्क एवं कमीशन आय

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
निधि प्रबंधन शुल्क	13.92	12.67	9.89
कारोबार सेवा शुल्क एवं कमीशन (गारण्टी कमीशन सहित)	526.05	476.90	51.17
आवेदन एवं प्रशासनिक प्रभार	-	0.03	1.40
जोड़	539.96	489.59	62.46

29 उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
(क) लाभ या हानि की माफत उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों पर निवल लाभ/(हानि)			
- इक्विटी प्रतिभूतिया	144.36	55.39	70.04
- डेरिवेटिव्स	-	(0.69)	(0.73)
- प्रतिभूति प्राप्तियां	(40.59)	(2.44)	7.53
- अधिमान शेयर	53.20	41.80	-
- उद्यम पूंजी निधियों की यूनिटें	18.50	21.94	14.12
- म्यूचुअल फण्ड्स की यूनिटें	32.87	10.28	26.11
(ख) अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों के अमान्य होने पर निवल लाभ	3.85	(39.86)	(70.85)
(ग) उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	212.18	86.42	46.21
उचित मूल्य परिवर्तन:			
- वसूल किए गए	(87.09)	(6.13)	(51.14)
- वसूल न किए गए	299.28	92.55	97.36
(घ) उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	212.18	86.42	46.21

30 अन्य आय

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अमान्य होने पर निवल लाभ/(हानि)	1.35	0.22	0.02
विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	-	-	0.12
बिक्री के लिए धारित संपत्ति की बिक्री पर लाभ (निवल)	-	-	-
आयकर वापसी से ब्याज	1.33	4.75	2.72
भूमि से आस्थगित आय	-	-	4.43
हानि क्षति का प्रत्यावर्तन	95.51	-	-
सहयोगी कम्पनियों की बिक्री पर लाभ	-	-	0.89
पुनरांकित विविध शेष (निवल)	-	-	13.83
अन्य	30.04	28.75	21.42
जोड़	128.24	33.73	43.44

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

31 वित्त लागत

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
उधारों पर ब्याज	563.06	633.81	928.29
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	0.23	0.99	8.29
अधीनस्थ देनदारियों पर ब्याज	-	-	-
अन्य ब्याज व्यय	0.00	0.02	1.40
पट्टा देयता उपयोग के अधिकार पर ब्याज	-	-	4.86
अन्य वित्त लागत	7.85	6.80	0.22
जोड़	571.13	641.62	943.07

32 वित्तीय प्रलेखों पर क्षति

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःस्थापित)		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु (पुनःस्थापित)	
	ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर
ऋण*	-	(324.67)	-	121.75	-	1,687.83
निवेश	(0.02)	2.04	(0.08)	0.63	(50.03)	-
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों हेतु प्रावधान	-	28.37	-	1.05	-	(0.02)
अन्य परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	1.51
जोड़	(0.02)	(294.26)	(0.08)	123.44	(50.03)	1,689.32
* वर्ष के दौरान बट्टे खाते (निवल) डाले गए सहित।		417.42		239.06		1,388.83

कंपनी ने अपनी लेखा नीति में परिवर्तन किया है, जिसके तहत चरण-3 परिसंपत्तियों (आई.आर.ए.सी. मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) पर ब्याज आय 1 अप्रैल, 2021 से खाते-बहियों में दर्ज की जाएगी। तदनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 और 2021-22 की ब्याज आय को अंकित किया जाएगा और उसमें क्रमशः 209.50 करोड़ रु. और 248.03 करोड़ रु. की वृद्धि हो जाएगी। चूंकि इनकी वसूली की कोई संभावना नहीं है, इसलिए कंपनी ने संबंधित वर्षों में इस राशि को बट्टे खाते डालने का निर्णय लिया है। तदनुसार, इन वर्षों के वित्तीय प्रलेखों की हानि में संबंधित राशियों की वृद्धि हो जायेगी।

33 कर्मचारी हित व्यय

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
वेतन एवं मजदूरी	244.40	232.40	252.54
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	33.72	31.41	26.69
रोजगार पश्चात् लाभ पर व्यय	20.12	21.47	18.90
स्टाफ कल्याण व्यय	15.49	18.57	12.62
अन्य	-	-	0.28
जोड़	313.73	303.85	311.04

34 मूल्यहास एवं परिशोधन

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यहास	41.98	51.14	41.77
निवेश सम्पत्ति का मूल्यहास	6.81	-	3.01
अमूर्त परिसम्पत्तियों का परिशोधन	32.10	22.78	21.60
जोड़	80.89	73.93	66.39

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

35 अन्य व्यय

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (पुनःस्थापित)
किराया	0.77	1.27	3.16
दरें एवं कर	7.42	7.79	7.34
बीमा	8.74	8.47	7.02
मरम्मत एवं रखरखाव कार्य			
- भवन	15.78	15.79	15.19
- प्लॉट एवं मशीनरी	-	-	14.77
- आईटी	19.17	19.67	3.96
- अन्य	2.90	3.17	3.85
बिजली एवं पानी का खर्च	17.62	17.08	15.19
सुरक्षा व्यय	7.90	7.60	7.72
लेखापरीक्षकों को भुगतान *	1.20	1.58	1.66
निदेशक शुल्क एवं व्यय	1.82	0.50	0.45
प्रकाशन एवं विज्ञापन	5.18	6.28	0.76
परामर्श एवं कानूनी प्रभार	11.44	14.17	18.32
यात्रा एवं वाहन	5.32	6.22	6.17
प्रशिक्षण एवं विकास	9.76	1.44	1.20
डाक एवं दूरभाष	11.34	3.98	4.12
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	15.63	11.14	9.57
लिस्टिंग/फाइलिंग/अभिरक्षा शुल्क	10.78	9.58	18.02
पुस्तकालय एवं सदस्यता अंशदान	0.30	0.37	0.56
सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय	2.65	1.98	0.87
अशोध्य ऋण	74.28	-	-
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.13	-	-
तकनीकी जानकारी शुल्क	-	-	90.13
सॉफ्टवेयर व्यय	-	-	16.70
विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	12.89	19.10	18.54
अन्य विविध व्यय	350.68	303.91	2.21
जोड़	593.69	461.08	303.25

* लेखापरीक्षकों को भुगतान के विवरण के लिए टिप्पणी 36 देखें।

36 लेखा-परीक्षकों को भुगतान

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
लेखा परीक्षा शुल्क	1.01	1.42
प्रमाणन एवं अन्य सेवाएं	0.14	0.13
व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.05	0.09
जोड़	1.20	1.65

37 आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया)

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
क. आकस्मिक देयताएं#		
(i) ऋणों के रूप में स्वीकार न किए गए दावे	124.49	124.92
(ii) वित्तीय गारण्टियों को छोड़कर गारण्टियां	3.46	3.22
(iii) ईपीसीजी लाइसेंसों के तहत निर्यात बाध्यताएं	-	0.02
(iv) कर मामले:		
आय कर*	77.60	9.36
सेवा कर/जीएसटी	6.27	-
जोड़	211.82	137.52

*लंबित मुकदमेबाजी वाले मामलों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 31 मार्च, 2024 को वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
ख. प्रतिबद्धताएं		
(i) संविदा की अनुमानित राशि (पट्टा संविदा सहित) जिन्हें पूंजीगत खाते पर निष्पादित किया जाना है (अग्रिम घटा कर)	11.56	13.05
(ii) अनाहरित प्रतिबद्धताएं	7.17	26.39
जोड़	18.73	39.44
ग. आकस्मिक परिसम्पत्तियां	शून्य	शून्य

38 कर व्यय

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
क. लाभ या हानि में मान्य राशियां		
चालू कर (क)		
चालू कर व्यय	54.88	45.43
पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित चालू कर व्यय/(लाभ)	1.15	0.07
उप-जोड़ (क)	56.03	45.50
आस्थगित कर (ख)		
आस्थगित कर व्यय/ (क्रेडिट)	453.80	100.36
उप-जोड़ (ख)	453.80	100.36
कर व्यय (क)+(ख)	509.83	145.86

ख. प्रभावी कर दर का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	
	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि
कर पूर्व लाभ	-	750.88	-	26.08
समूह की घरेलू कर दर 34.944% का उपयोग करते हुए कर	34.94%	262.39	34.94%	9.11
निम्नलिखित का प्रभाव:				
कर मुक्त आय	0.00%	-	0.00%	-
गैर कटौती योग्य व्यय	0.00%	-	0.00%	-
चालू कर के लिए पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित अनुमानों में परिवर्तन	0.15%	1.15	0.27%	0.07
चालू वर्ष का मूल्यहास जिसके लिए किसी आस्थगित कर परिसम्पत्ति को मान्य नहीं किया गया।	-0.91%	(6.82)	-26.23%	(6.84)
अन्य	33.71%	253.11	550.31%	143.52
प्रभावी कर दर	67.90%	509.83	559.28%	145.86

39 ट्रेड से प्राप्य और देय राशियों के अधीन दर्शाई गई कुछेक शेष राशियों की पुष्टि की जानी है।

40 आईएफसीआई लिमिटेड के मामले में

- (i) कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, 07 मार्च, 2023 को भारत सरकार से शेयर आवेदन राशि के रूप में कंपनी की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए 400 करोड़ रु. प्राप्त हुए। इस संबंध में, निदेशक-समिति ने 27 अप्रैल, 2023 को भारत सरकार को 10 रु. अंकित मूल्य वाले 29,36,85,756 इक्विटी शेयर 13.62 रु. प्रति इक्विटी शेयर (3.62 रु. प्रति इक्विटी शेयर के सिन्डिकेटी प्रीमियम सहित) की दर से आवंटित किए।
- इसके अलावा, शेयर आवेदन राशि के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की शेयर पूंजी की मे अभिदान लिए 08 मार्च, 2024 को भारत सरकार से 500 करोड़ रु. की धनराशि प्राप्त हुई। इस संबंध में, निदेशक-समिति ने 18 अप्रैल, 2024 को भारत सरकार को 10 रु. के अंकित मूल्य वाले 12,39,77,188 इक्विटी शेयर 40.33 रु. प्रति इक्विटी शेयर (30.33 रु. के प्रति इक्विटी शेयर के सिन्डिकेटी प्रीमियम सहित) की दर से आवंटित किए।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

- (ii) मार्च 2024 को, आर.बी.आई. विवेकसम्मत (आई.आर.ए.सी.पी.) मानदंडों (मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान, भारतीय लेखांकन मानक 109 के तहत हानि भत्ते से 104.67 करोड़ रु. अधिक है। इसलिए, आर.बी.आई. अधिसूचना संख्या “डीओआर(एनबीएफसी) सीसी. पीडी. न.109/22.10.106/2019-20 दिनांक 13 मार्च 2020 के अनुसार, 70.13 करोड़ रु. की क्षति आरक्षित निधि बनाई गई है। इसके अलावा, 30 जून 2020 तक बनायी गई 34.54 करोड़ रु. की मौजूदा क्षति आरक्षित निधि को रिवर्स नहीं किया गया है। ऋण परिसंपत्तियों पर ई.सी.एल. की गणना पोर्टफोलियो के आधार पर की जाती है। 31 मार्च 2024 तक एल.जी.डी. का प्रतिशत 71.60 है।
- (iii) 31 मार्च 2024 को, कंपनी ने अपनी लेखा नीति में बदलाव किया है, जिसके तहत चरण-3 परिसंपत्तियों (आईआरएसी मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) पर ब्याज आय को 01 अप्रैल 2021 से खाता-बहियों में मान्यता दी जाएगी। तदनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 की ब्याज आय में क्रमशः 248.03 रु. और 209.50 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है। चूंकि, इनकी वसूली की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए दोनों वर्षों में इसे अशोध्य ऋण माना गया है। इसलिए, इन दोनों वर्षों के शुद्ध लाभ/शुद्ध हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
वित्त वर्ष 23-24 के दौरान, कंपनी ने 160 करोड़ रु. की ब्याज आय को मान्यता दी है और 145 करोड़ रु. की राशि को अशोध्य ऋण खाते में डाला है, क्योंकि इन राशियों की वसूली की कोई उम्मीद नहीं है। तदनुसार, पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को पुनः स्थापित कर दिया गया है और चरण-3 परिसंपत्तियों पर ब्याज आय के संबंध में परिवर्तनों को दिखाने के लिए प्रारंभिक बैलेंस शीट भी तैयार की गई है।
- (iv) 31 मार्च 2024 तक पूंजी जोखिम पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) - (48.35%) है, जो आरबीआई द्वारा 31 मई 2018 को जारी परिपत्र (आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं. 092/03.10.001/2017-18) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से कम है।
- (v) ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III खंड-III के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसे कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है और 11 अक्टूबर 2018 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। आरबीआई या अन्य नियामकों द्वारा जारी किए गए सभी लागू मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण/निर्देशों को जारी/लागू होने पर कंपनी पर लागू किया जाएगा।
- (vi) सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन 31 मार्च 2024 के बजाय 31 दिसंबर 2023 को समाप्त अवधि के लिए सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।
- (vii) आईएफसीआई सहायक कंपनियों में गड़बड़ी से होने वाली हानि (यदि कोई हो) की शुद्ध लागत पर निवेश कर रहा है और इसने प्रभावी तिथि यानि 1 अप्रैल, 2017 को निवेश के अग्रणी मूल्य के रूप में मानी जाने वाली लागत के लिए भारतीय लेखा मानक 101 के तहत एकमुश्त छूट का विकल्प चुना है। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी आईएफसीआई फैंक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) में 27,91,54,700 इक्विटी शेयरों और दूसरी सहायक कंपनी, आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईफिन) में 3,93,63,809 इक्विटी शेयरों का निवेश किया है। कंपनी ने आईएफएल और आईफिन के शेयरों का आंतरिक रूप से उचित मूल्यांकन करवाया, जिसके अनुसार, आईएफएल के शेयरों में निवेश का उचित मूल्य 16.19 करोड़ रु. निर्धारित किया गया और आईफिन के शेयरों में निवेश का उचित मूल्य 61.29 करोड़ रु. निर्धारित किया गया। इसके लिए भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप, ब्रेकअप मूल्य के लिए आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन पद्धतियों का उपयोग करके और तदनुसार, परिणामी गड़बड़ियों से होने वाली हानि को लाभ-हानि खाते में डाला गया है।

41 भारतीय लेखांकन मानक 108 - “परिचालन खंड” द्वारा अपेक्षित कारोबार/भौगोलिक खंड की रिपोर्टिंग के संदर्भ में, कंपनी के संचालन में वित्तपोषण का केवल एक कारोबार खंड शामिल है। इसलिए, लेखांकन मानक 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नहीं है।

42 31 मार्च 2024 तक कंपनी द्वारा इश्यू किए गए सभी सुरक्षित बॉण्डों और डिबेंचरों तथा बकाया राशियों पर, कंपनी के बही ऋणों/प्राप्य राशियों पर फ्लोटिंग प्रभार से मूलधन और ब्याज के प्रति 100 प्रतिशत सिक्योरिटी कवर बनाए रखा गया है।

स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में

43 कंपनी ने वर्ष 2000-01 के दौरान डीएसक्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 7,20,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए ‘कैश ऑन पेआउट’ योजना के अंतर्गत कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज (सीएसई) के माध्यम से एक ग्राहक के साथ 2,441 लाख रु. का लेनदेन किया था। सीएसई ने उक्त लेनदेन की पुष्टि की जिसके आधार पर पोस्ट डेटेड चेक जारी किए गए। कंपनी ने चेकों को उनकी नियत तिथि से पहले भुगतान के लिए रोक दी क्योंकि अंतर्निहित व्यापारिक लेनदेन को गैर-सद्भाविक पाया गया और सीएसई ने इसकी अनुमति नहीं दी। बैंक, जिसने उक्त चेकों के खिलाफ वित्तीय सहायता प्रदान की थी, ने नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत कंपनी के खिलाफ मांग नोटिस जारी किया। बैंक ने कंपनी और ग्राहक से चक्रवृद्धि ब्याज सहित राशि की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में एक आवेदन भी दायर किया। बैंक और ग्राहक ने डीआरटी के आदेश के खिलाफ ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) में अपील दायर की थी। 23 सितंबर, 2011 के डीआरएटी आदेश के अनुसार अपील को अनुमति दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि राशि पर 1 अगस्त, 2001 से 1996 प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, जिसमें वसूली तक तिमाही अवधि होगी और बैंक ग्राहक और कंपनी दोनों से राशि वसूलने का हकदार है। कंपनी ने 30 नवंबर, 2011 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक संशोधन आवेदन दायर किया जिसे स्वीकार कर लिया गया लेकिन कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई। इसलिए, कंपनी ने डीआरएटी आदेश, डीआरएटी के आदेश और डीआरटी के पीठासीन अधिकारी और वसूली अधिकारी द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र और मांग के नोटिस पर रोक लगाने की अंतरिम राहत न देने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने 23 अप्रैल 2012 के अपने आदेश के तहत वसूली की कार्यवाही पर स्थगन दे दिया और कलकत्ता उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह चार महीने के भीतर पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा करे और कंपनी आदेश की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर कलकत्ता उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में अल्पावधि जमा के रूप में 3,000 लाख रु. जमा कराए। तदनुसार, कंपनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में धनराशि जमा करा दी थी। पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिया गया। कंपनी ने मई 2015 में सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने 14 मई 2015 के अपने आदेश के तहत निष्पादन कार्यवाही के संचालन पर रोक लगा दी और कंपनी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास कंपनी के नाम से एक सावधि I जमा रसीद जमा कराने और रजिस्ट्रार के पक्ष में कम से कम 3,000 लाख रु. की राशि का समर्थन करने का निर्देश दिया। कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय (3,000 लाख रु.) और सर्वोच्च न्यायालय (3,000 लाख रु.) में जमा की गई 6,000 लाख रु. की राशि को बैलेंस शीट के विवरण में उप-शीर्षक “प्रतिभूति और अन्य जमा राशियां अच्छी मानी गईं” के अंतर्गत “अन्य गैर-चालू वित्तीय संपत्तियां” शीर्षक के तहत दिखाया गया है। बैंक को ब्याज के साथ 3,000 लाख रु. निकालने की अनुमति दी गई थी जो कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष जमा के रूप में पड़ी थी, जो एसएलपी में अंतिम निर्णय के अधीन है। तदनुसार, बैंक को 3,804 लाख रु. की राशि जारी की गई। इसके अलावा 12 अक्टूबर 2015 के एक आदेश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय ने बैंक को सर्वोच्च न्यायालय में जमा धन से अर्जित ब्याज के साथ 1,500 लाख रु. की अतिरिक्त राशि निकालने का निर्देश दिया। तदनुसार, बैंक को 1,545 लाख रु. की राशि जारी की गई। विशेष अनुमति याचिका को 08 फरवरी, 2017 को सिविल अपील में बदल दिया गया है और मामला अंतिम निपटान के लिए सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध है। मामला जनवरी 2020 की साप्ताहिक सूची में शामिल था। 2020 में कोई सुनवाई नहीं हुई थी और जल्दी सुनवाई के विकल्प तलाशे गए थे। हालांकि, बैंक ने 06 दिसंबर, 2021 को मामले को जल्दी सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को चार सप्ताह के समय में, लगभग 11 जनवरी, 2022 के आसपास सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। मार्च 2023 की सूची में शामिल था और इसे अंतिम बार 19 अप्रैल, 2023 को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें न्यायालय ने इसे 11 मई, 2023 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। हालांकि, 11 मई, 2023 को मामला न्यायालय के बोर्ड तक नहीं पहुंचा। मामला फिलहाल अंतिम सुनवाई के लिए लंबित पड़ा है।

(सभी राशियां करोड़ रुपये में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

44(i) यह देखा गया कि मौजूदा 3 ग्राहकों (यानि डीमैट खाताधारकों) के नाम पर फर्जी/जाली पहचान दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और चुनाव पहचान पत्र उपलब्ध कराकर वर्ष 2022 में 3 ट्रेडिंग खाते खोले गए। ट्रेडिंग खाते खोलने के बाद, मौजूदा ग्राहकों के डीमैट खातों में रखे शेयरों को बेच दिया गया और ट्रेडिंग खाते में पंजीकृत बैंक खातों में भुगतान कर दिया गया है। स्टॉक होल्डिंग में 12 सितंबर, 2023 को पुडुचेरी पुलिस अधिकारियों के पास एक समेकित शिकायत दर्ज कराई है। कॉर्पोरेशन द्वारा 22 सितंबर, 2023 को बीमाकर्ताओं के पास कुल 55 लाख रु. की हानि राशि के लिए दावा दायर किया गया है। इसके अलावा, सहायक कंपनी स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड द्वारा भी उनकी बीमा पॉलिसी के तहत दावा दायर किया गया है। कंपनी ने डीपी खाताधारकों को शेयर बहाल कर दिए हैं। आवश्यक बहाली के लिए शेयरों की खरीद पर हुई 56 लाख रु. की हानि को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा पुस्तकों में "भुगतान किए गए दावों" के रूप में दर्ज किया गया है।

44(ii) 11 दिसंबर, 2017 को कंपनी के महापे परिसर में आग लगने की घटना हुई थी। बीमा कंपनी ने सर्वेक्षकों की नियुक्ति की है। निगम को आग की घटना के लिए 28 जुलाई, 2021 को 1,405 लाख रु. का बीमा दावा प्राप्त हुआ है। सर्वेक्षकों ने कंपनी की संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन किया। कंपनी ने इंटीरियर और बेसमेंट की मरम्मत का काम करने के लिए ठेकेदारों को नियुक्त किया। कोविड-19 महामारी के प्रकोप और सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के कारण मरम्मत/नवीनीकरण कार्य पूरा होने में देरी हुई है। अगस्त 2020 के अंत में काम फिर से शुरू हुआ और महापे इंटीरियर के कार्य आदेश से सम्बंधित अधिकांश कार्य पूरा हो गया 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महापे इंटीरियर्स फर्निशिंग के लिए मरम्मत और रखरखाव खाते में स्थानांतरित व्यय शून्य है। (पिछले वर्ष महापे इंटीरियर्स फर्निशिंग के लिए 38 लाख रु. खर्च के लिए गए थे)।

45 स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के मामले में

(क) कंपनी के महापे परिसर में 11 दिसंबर, 2017 को आग लगने की घटना हुई।

(ख) कंपनी के पास ग्राहकों से दस्तावेजों के नुकसान संबंधी दावे प्राप्त हुए हैं। वास्तविक दावे का पता लगाने के लिए, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 तक खाता-बहियों में ऐसे दावे/आकस्मिक देनदारियों और संबंधित बीमा दावे के लिए प्रावधान/प्रकटीकरण नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी कानूनी कार्यवाही के एक पक्ष है, लेकिन इन कार्यवाहियों के परिणाम से इसकी वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणामों या नकदी प्रवाह पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा, पक्षकार (पक्षकारों) के दावे, जिनके संबंध में प्रबंधन को उसके कानूनी सलाहकार द्वारा सलाह दी गई है कि वे कमजोर और तर्कसंगत नहीं हैं, को भी आकस्मिक देनदारियां नहीं माना गया है।

46 एस.एच.सी.आई.एल. सर्विसेज लिमिटेड के मामले में, कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 81, 193 और 285 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, (चौथी अदालत, गिरगांव, मुंबई) की अदालत से 06 मार्च, 2018 को समन प्राप्त हुआ है, जो वित्त वर्ष 2008-09 से पहले हुआ था। कंपनी ने 11 सितंबर, 2018 को आर.ओ.सी. और एन.सी.टी.एल. मुंबई में समझौता-ज्ञापन दायर किया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 81 और 285 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 1.88 लाख रु. तथा धारा 193 के उल्लंघन के लिए 0.015 लाख रु. का कंपाउंडिंग शुल्क जमा करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से कंपाउंडिंग आदेश प्राप्त हुआ। सभी शुल्कों का भुगतान कर दिया गया है तथा बैलेंस शीट की तिथि तक कोई और भुगतान नहीं किया जाना है।

47 निम्नलिखित के मामलों में

क. आईएफसीआई फ्रैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल):-

(क) अनिवार्यतः परिवर्तनीय संचयी प्रिफरेंस शेयरों पर लाभांश का बकाया 61.03 करोड़ रुपये है जिसके लिए मंजूरी के नियमों व शर्तों के अनुसार प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख) कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान 57 खातों के अपने पोर्टफोलियो को 13.21 करोड़ रु. की कुल वित्त-सहायता आवंटित की। 31 मार्च, 2023 को 57 खातों का शुद्ध बही मूल्य 11.50 करोड़ रु. है। 57 खातों वाले पोर्टफोलियो की बिक्री से 83.67 करोड़ रु. की आस्थगित कर परिसंपत्ति का रिवर्सल हुआ।

भविष्य में लाभप्रदता में अनिश्चितता के कारण 2.71 करोड़ रु. का शेष डीटीए रिवर्स कर दिया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने 62 ऋण/निवेश खातों में से 57 एनपीए ऋण खातों को 1,321 लाख रु. के ऋण/निवेश आवंटित किये।

ख. आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल):-

(क) सामान सूची में एक संपत्ति शामिल है, जिसके खिलाफ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II ने पिछली कंपनी यानि हरियाणा शीट ग्लास लिमिटेड (एचएसजीएल) द्वारा चूक की गई संपत्तियों की वसूली के लिए आदेश दिया है। उक्त आदेश के खिलाफ कंपनी द्वारा चंडीगढ़ के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है। न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह मत था कि देयता का आकलन करने में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। तदनुसार, उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नए सिरे से निर्णय लेने के लिए पीएफ विभाग को स्वतंत्रता देते हुए आरोपित आदेश को रद्द कर दिया गया है। मामला विचाराधीन है।

(ख) कंपनी को एआईजी स्टॉप गाजियाबाद से 150.02 लाख रु. की स्टॉप ड्यूटी के कम भुगतान के लिए नोटिस मिला है। माननीय उच्च न्यायालय ने कंपनी के पक्ष में स्थगन आदेश दिया है और मामला आगे की सुनवाई के लिए लंबित है।

(ग) मैसर्स सुबीर इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आईआईडीएल के बीच मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा 25.01.2018 को एक निर्णय पारित किया गया था, जिसमें आईआईडीएल को दावेदार द्वारा दावा किए गए कुल 2118 लाख रु. के विरुद्ध 27.10.2016 से 6% ब्याज सहित 768.00 लाख रु. का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। (निर्णय में 309.00 लाख रु. की वैट राशि और 272.00 लाख रु. की जमानत जमा राशि शामिल है)। आईआईडीएल ने इस निर्णय के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत याचिका दायर की है। इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 400.00 लाख रु. की राशि न्यायालय में जमा कर दी गई है। मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(घ) कंपनी गाजियाबाद में अपनी 21-माइलस्टोन रेजिडेंसी परियोजना से संबंधित कई मामलों को रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण/रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लड़ रही है। दो मामलों अर्थात द्वारिकेश शगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अमित कुमार श्रीवास्तव में, रेरा प्राधिकरण द्वारा कुर्की आदेश पारित किया गया था, जिसके खिलाफ कंपनी ने आरईएटी के समक्ष अपील दायर की है। जिसमें न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार, कंपनी ने 19.51 लाख रु. की राशि जमा कर दी है।

(ङ) ऑक्टोबर में 21.02.2022 को एक निर्णय पारित किया, जिसमें कहा गया कि दावेदार को आई.आई.डी.एल. द्वारा एस.बी.टी.एल. से उसके काउंटर दावे के तहत वसूल की जाने वाली राशि 200.61 लाख रु. के मुकाबले कुल 442.47 लाख रु. का हकदार पाया गया है, जो आईआईडीएल द्वारा किए गए कार्य के लिए मैसर्स एसबीटीएल से उसके प्रतिधारण धन से वसूल की जाने वाली राशि और आईआईडीएल के काउंटर दावे के तहत वसूल की जाने वाली परिसमाप्त क्षति के लिए 100 लाख रु. के संबंध में है। उक्त राशि को एसबीटीएल को देय पाई गई राशि के विरुद्ध मुआवजा तय करने पर, एसबीटीएल केवल 141.87 लाख रु. की राशि का हकदार होगा।

तदनुसार, सभी विवादों और विवादों से उत्पन्न दावों और प्रतिदावों के पूर्ण और अंतिम निपटान में एसबीटीएल के पक्ष में 141.87 लाख रु. का निर्णय पारित किया गया, साथ ही एसबीटीएल के पक्ष में दिए गए निर्णय पर 5.08.2019 से निपटान राशि का भुगतान किए जाने की तिथि तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी लगाया जाएगा। इसके अलावा, एसबीटीएल 15 लाख रु. की दर से मध्यस्थता कार्यवाही की अनुपातिक लागत पाने का भी हकदार होगा। इसका भुगतान 26-07-2022 को एसबीटीएल को किया जाएगा। मामला दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।

(र) कंपनी की नीति के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान जंगीपुर बंगाल मेगा फूडपार्क लिमिटेड में निवेश का पुनर्मूल्यांकन किया गया। इसके परिणामस्वरूप उचित मूल्य में 7.70 रु. प्रति शेयर से 5.30 रु. प्रति शेयर की हानि हुई, जिससे उचित मूल्य में परिवर्तन पर 204.10 लाख रु. का निवल घाटा हुआ।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ग. आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड:-

- क) कंपनी ने अपनी लेखा नीति में बदलाव किया है, जिसके तहत चरण-3 परिसंपत्तियों (आईआरएसी मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) पर ब्याज आय 1 अप्रैल 2021 से खातों में दर्ज की जाएगी। तदनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 और 2021-22 के लिए ब्याज आय का दुबारा उल्लेख किया जाएगा और उसमें क्रमशः 1163.41 लाख रु. और 1266.84 लाख रु. की वृद्धि की जाएगी।
- ख) वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने 1,117.10 लाख रु. की ब्याज आय को मान्यता दी है और 1,104.29 लाख रु. को अशोध्य ऋणों को बढ़ते खाते में डाला गया है, क्योंकि इनकी वसूली की कोई उम्मीद नहीं है।

घ. एमपीकॉन लिमिटेड:-

- क) अन्य चालू देनदारियों के शीर्ष के तहत 13.13 लाख रु. की राशि दिखाई गई है, जो वित्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त की गई राशि है, लेकिन जिस कंपनी से यह राशि प्राप्त हुई है, उसके द्वारा इसकी पहचान की गई है।
- ख) पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की अन्य चालू परिसंपत्तियों (आयकर वापसी-योग्य) से संबंधित 39.12 लाख रु. की राशि को रिजर्व और अधिशेष से समायोजित किया गया है।
- ग) मानव-संसाधन आपूर्ति असाइनमेंट के मामले में विभाग से प्रमाण पत्र/पुष्टिकरण प्राप्त होने के बाद चालान बनाए जाते हैं। जब विभाग व्यय करता है तो आय को भी संबंधित अवधि में दर्ज किया जाता है।

ङ. आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड:-

- (i) सहायक कंपनी आईफिन सिन्डिकेटेड फाइनेंस लिमिटेड के संबंध में, दुनिया भर में और भारत में कोविड-19 महामारी के प्रकोप से वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में खासी गिरावट और अस्थिरता पैदा हुई। इससे आर्थिक गतिविधियों में भी मंदी छाई रही। लेकिन कोविड-19 के बाद लॉकडाउन संबंधी नियमों के परिणामस्वरूप लिस्टेड/कोटेड इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड की कीमतों में कोई खास गिरावट नहीं आई और शेयरों, म्यूचुअल फंड और मार्जिन फंडिंग पोर्टफोलियो के बदले में दिए गए ऋणों में अंतर्निहित सिन्डिकेटेड मूल्य में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं देखी गई। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, कंपनी ने उधारकर्ताओं के पिछले इतिहास और कंपनी के उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति में संभावित तनाव के कारण होने वाले क्रेडिट डिफॉल्ट के जोखिम के आधार पर अपना अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रावधान किया है। इसके अलावा, महामारी से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण, कंपनी की स्थिति पर वास्तविक प्रभाव वर्तमान अनुमानों के अनुरूप नहीं रहा। कंपनी महामारी के दूरगामी प्रभाव को देखते हुए भविष्य की आर्थिक स्थितियों में होने वाले हर महत्वपूर्ण बदलाव की बारीकी से निगरानी करती रहेगी। इसके अलावा, कंपनी द्वारा कराया गया प्रभाव मूल्यांकन कंपनी को चालू परिचालन क्षमता पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के पड़ने का कोई संकेत नहीं देता है।
- (ii) सहायक कंपनी आईफिन कमोडिटीज लिमिटेड के संबंध में, कंपनी ने 05.09.2023 और 30.01.2024 को आयोजित बोर्ड बैठकों में पारित प्रस्ताव के आधार पर एनसीडैक्स और एमसीएक्स से प्राप्त अपना लाइसेंस वापस कर दिया है। 12.02.2024 को आयोजित ईजीएम में शेयरधारक द्वारा भी इसे अनुमोदित भी किया गया है। लाइसेंस सरेडर करने के परिणामस्वरूप, कंपनी ने अपना व्यापारिक संचालन सरेडर कर दिया, जो 18.01.2024 से प्रभावी राजस्व का प्रमुख स्रोत है और परिणामस्वरूप ब्रोकरेज राजस्व संबंधित तिथि शून्य है।

48 अनुसूची III के तहत अपेक्षित, अन्य अतिरिक्त नियामक प्रकटीकरण

स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और आईएससीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) के मामले में

क) अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख:

तुलन-पत्र में संबंधित लाइन मद	संपत्ति का विवरण	कुल रखाव मूल्य	स्वामित्व विलेख धारक का नाम	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर्स, निदेशकों या प्रमोटर्स व निदेशकों के रिश्तेदार या प्रमोटर्स, निदेशकों के कर्मचारी हैं	संपत्ति धारण करने की अवधि	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण और क्या संपत्ति विवादग्रस्त है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	तिलक नगर में 18 फ्लैट- 9216 वर्ग फीट	1.11 करोड़	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं	01/05/1993 से	संपत्ति का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पंरुवेल, अरियूर राजस्व ग्राम, जिला- विल्लानपुर, पुडुचेरी (क्षेत्र 21.279 एकड़)	10.01 करोड़	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा जारी बिक्री प्रमाण पत्र)	नहीं	15 साल और 08 महीने	एक सर्वेक्षण में सम्पत्ति की पहचान मंदिर की भूमि के रूप में की गई है जिसके कारण पंजीकरण नहीं हुआ है। आईआईडीएल संबंधित प्राधिकारी के साथ इस मुद्दे को हल करने की प्रक्रिया में है।

ख) i) कार्यशील पूंजीगत परियोजना (एसएचसीआईएल) का समय विश्लेषण:

कार्यशील पूंजीगत परियोजना	मार्च 2024 की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर - शाखा आन्तरिक सज्जा	0.24	-	-	-	0.24
आईटी हार्डवेयर संपत्ति-उपकरण और सर्वर	12.29	-	-	-	12.29
जोड़	12.53	-	-	-	12.53

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

कार्यशील पूंजीगत परियोजनाएं	मार्च 2023 की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशियां				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर					
- महापे में तीसरी बिल्डिंग परियोजना	4.56	0.04	0.02	0.07	4.69
सर्वर स्विच	0.80	-	-	-	0.80
जोड़	5.36	0.04	0.02	0.07	5.49

ii) कार्यशील पूंजीगत परियोजनाओं का विवरण, जो बहुत पहले पूरी हो जानी थी और या जिसकी मूल योजना की तुलना में 31 मार्च, 2024 को लागत बढ़ गई है:

कार्यशील पूंजीगत परियोजनाएं	पूर्ण होने में लगने वाला समय			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	-	-	-	-

मूल योजना की तुलना में परियोजना पूर्ण होने में समय लगेगा। हालांकि, परियोजना की लागत इसकी मूल योजना लागत से अधिक नहीं है।

कार्यशील पूंजीगत परियोजनाओं का विवरण, जो बहुत पहले पूरी हो जानी थी और या जिसकी मूल योजना की तुलना में 31 मार्च, 2023 को लागत बढ़ गई है:

कार्यशील पूंजीगत परियोजनाएं	पूर्ण होने में लगने वाला समय			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	4.69	-	-	-

महापे कार्यालय में तीसरी बिल्डिंग परियोजना - (पूरी होने में देरी है, लेकिन इसकी लागत मूल योजना लागत से अधिक नहीं है)

सर्वर स्विच

मूल योजना की तुलना में परियोजना पूर्ण होने में समय लगेगा। हालांकि, परियोजना की लागत इसकी मूल योजना लागत से बढ़ी नहीं है।

ग) i) विकासशील अमूर्त संपत्तियों (एसएचसीआईएल) का समय विश्लेषण:

विकासधीन अमूर्त संपत्तियाँ	मार्च 2024 की अवधि के लिए राशियां				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर: - उत्पाद सॉफ्टवेयर का विकास	-	0.23	-	-	0.23
परियोजनाएं प्रगति पर: - एसएसएल	-	-	-	-	-
जोड़	-	0.23	-	-	0.23

विकासधीन अमूर्त संपत्तियाँ	मार्च 2023 की अवधि के लिए राशियां				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर: - एस्टिमिंग सॉफ्टवेयर का विकास	0.23	-	-	-	0.23
परियोजनाएं प्रगति पर: - एसएसएल	1.55	3.86	-	-	5.41
जोड़	1.78	3.86	-	-	5.64

ii) विकासशील अमूर्त संपत्तियों का विवरण, जो बहुत पहले पूरी हो जानी थी या इसकी मूल योजना की तुलना में 31 मार्च, 2024 को इसकी लागत बढ़ गयी है:

विकासधीन अमूर्त संपत्तियाँ	पूर्ण होने में लगने वाला समय			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगति पर चल रही परियोजनाएँ:- उत्पाद सॉफ्टवेयर का विकास	0.23	-	-	-

मूल योजना के अनुसार परियोजना पूर्ण होने में समय लगेगा। हालांकि, परियोजना की लागत इसकी मूल योजना लागत से बढ़ी नहीं है।

विकासधीन अमूर्त संपत्तियों का विवरण, जो बहुत पहले पूरी हो जानी थी या इसकी मूल योजना की तुलना में 31 मार्च, 2023 को इसकी लागत बढ़ गई है:

विकासधीन अमूर्त संपत्तियाँ	पूर्ण होने में लगने वाला समय			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	-	-	-	-

मूल योजना के अनुसार परियोजना पूर्ण होने में समय लगेगा। हालांकि, परियोजना की लागत इसकी मूल योजना लागत से बढ़ नहीं है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

- घ) आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) के मामले
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना
इन्वेंटरी के संबंध में मात्रात्मक सूचना

विवरण	खरीद		बिक्री	
	चालू वर्ष			
	इकाइयों (अवस्थिति)	(राशि)	इकाइयों (अवस्थिति)	(राशि)
भूमि एवं भवन	-	-	-	0.54
मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-
मौजूदा संपत्तियों पर खर्च हुई अतिरिक्त लागत	-	-	-	-
कच्चे माल की उपभोग्य वस्तुएं और भंडार	-	0.53	-	1.77
	पिछले वर्ष			
भूमि एवं भवन	-	-	-	1.70
मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-
मौजूदा संपत्तियों पर खर्च हुई अतिरिक्त लागत	-	-	-	-
कच्चे माल की उपभोग्य वस्तुएं और भंडार	-	0.51	-	2.15

	आरंभिक स्टॉक		अंत स्टॉक	
	चालू वर्ष			
	इकाइयों (अवस्थिति)	(राशि)	इकाइयों (अवस्थिति)	(राशि)
भूमि एवं भवन	-	57.95	-	69.37
मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-
कार्य प्रगति पर	-	13.21	-	-
उपभोग्य वस्तुएं और भंडार	-	0.23	-	0.19
	पिछले वर्ष			
भूमि एवं भवन	-	57.95	-	57.95
मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-
कार्य प्रगति पर	-	15.50	-	13.21
उपभोग्य वस्तुएं और भंडार	-	0.36	-	0.23

टिप्पणी:

- भूमि और भवनों में विभिन्न क्षेत्रों की इकाइयों शामिल हैं जिनके प्रकार/निर्माण/विकास के चरण के लिए अलग-अलग विवरण हैं, जिसके लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण के लिए इसे व्यक्तिगत रूप से वर्णनात्मक बनाना व्यावहारिक नहीं है।
- उपभोग्य सामग्रियों और भंडार में विभिन्न एफ एंड बी, हाउस कीपिंग, डीजल और इंजीनियरिंग से संबंधित भंडार शामिल हैं, जिनके लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण के लिए इसे व्यक्तिगत रूप से वर्णनात्मक बनाना व्यावहारिक नहीं है।

- 48 (ड) बेनामी संपत्ति:

बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के तहत और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई या इस बारे में कोई मामला लंबित नहीं है।

- 48 (च) चालू परिसंपत्तियों की सिक्योरिटी के मद्दे उधार

एसएचसीआईएल के मामले को छोड़कर, समूह ने वर्तमान परिसंपत्तियों की सिक्योरिटी पर बैंक या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है और एसएचसीआईएल द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों को चालू परिसंपत्तियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई विवरणियां या विवरण खाता बहियों के अनुरूप हैं।

स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के मामले में

व्यापार प्राप्य/बही ऋणों (वर्तमान परिसंपत्ति) की प्रतिभूति के प्रति उधार लेना:

त्रैमासिक विवरणी/विवरण का ब्योरा	बहीखातों के अनुसार व्यापार प्राप्य (करोड़ रु.)	बैंकों/वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत विवरणी/विवरण के अनुसार व्यापार प्राप्य (करोड़ रु.)	अंतराल, यदि कोई हो
तिमाही - I	130.45	130.45	-
तिमाही - II	105.98	105.98	-
तिमाही - III	111.01	111.01	-
तिमाही - IV	अभी देय नहीं है और विवरण अभी तक प्रस्तुत किया जाना है		-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

- 48 (छ) जानबूझकर चूक करने वाले चूककर्ता:
कम्पनी को वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूक करने का दोषी यानि विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- 48 (ज) बंद की गई कम्पनी के साथ संबंध:
कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं है।
- 48 (झ) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी के विवरण:
कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कारोबार नहीं किया है।
- 48 (ञ) कंपनियों के अधीन कंपनियों की संख्या:
कम्पनी एक एनबीएफसी है, अतः इस पर अधिनियम की धारा 2 का खंड (87) लागू नहीं होता है।
- 48 (ट) व्यवस्था योजना
वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई व्यवस्था योजना अनुमोदित नहीं की गई है।
- 48 (ठ) उधार ली गई निधियों का उपयोग:
(i) कम्पनी ने यह मानते हुए कि मध्यस्थ किसी भी तरीके से चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, कम्पनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या कम्पनी की ओर से अभिनिर्धारित अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था(ओं) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या उनमें निवेश करेगी या लाभार्थी को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही सुविधा प्रदान करेगी, किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था(ओं) को कोई अग्रिम या ऋण प्रदान नहीं किया है या निधि का निवेश नहीं किया है।
(ii) कम्पनी ने यह मानते हुए कि मध्यस्थ किसी भी तरीके से चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, कम्पनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या कम्पनी की ओर से अभिनिर्धारित अन्य व्यक्तियों या संस्था(ओं) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या उनमें निवेश करेगी, या अन्तिम लाभार्थी को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही सुविधा प्रदान करेगी, किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था(ओं), विदेशी संस्थाओं सहित, से कोई निधि प्राप्त नहीं की है।
- 48 (ड) अघोषित आय:
वर्ष के दौरान कम्पनी ने खाता बहियों में दर्ज न किए गए किसी लेनदेन के लिए किसी आय का प्रकटन नहीं किया है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (खोज या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों) के अधीन किसी अन्य योजना के तहत प्रकटीकरण से छूट मिलने के अलावा, कर-निर्धारणों में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पण या खुलासा किया गया हो।

- 48 (ढ) कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी) में प्रभार या संतुष्टि का पंजीकरण:

स्टॉकहोल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के मामले में

पंजीकृत किए जाने वाले प्रभारों/संतुष्टि का विवरण

	राशि(रु.)	पंजीकरण की देय तिथि	विलम्ब
स्टॉक होल्डिंग द्वारा 1994 में यूटीआई के पक्ष में सृजित प्रभार जो 1998 में चुकाए गये*	1,000,000.00	30/12/1994	नहीं
मसीए वेबसाइट के अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक के पक्ष में सृजित प्रभार **	275,000.00	22/09/1988	नहीं

*प्रभार चुकाए गये हैं और कम्पनी एमसीए वेबसाइट से प्रभारों को हटाने की प्रक्रिया में लगी हुई है।

**एमसीए वेबसाइट पर प्रभार प्रदर्शित हो रहा है, हालांकि कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक के पक्ष में कोई प्रभार सृजित नहीं किया गया है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, को छोड़कर, वैधानिक अवधि के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के पास पंजीकरण के लिए कोई शुल्क या शुल्क की अदायगी लंबित नहीं है।

49 कर्मचारी हित

समूह निम्नलिखित रोजगार पश्चात् योजनाओं का परिचालन करता है। -

i. परिभाषित अंशदान योजना

समूह पेशन के संबंध में मासिक अंशदान करता है जो एक परिभाषित अंशदान योजना है। कम्पनी के पास निर्दिष्ट अंशदान करने के अलावा, कोई अन्य देयता नहीं है। अंशदान; जैसे ही वे प्रोद्भूत होते हैं, उन्हें लाभ और हानि विवरण में प्रभारित कर दिया जाता है। ऐसे अंशदान के संबंध में व्यय के रूप में मान्य राशि निम्नानुसार है:

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
पेशन निधि में अंशदान	0.01	0.01
कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	8.45	8.69
कर्मचारी अधिवर्षिता निधि में अंशदान	5.54	5.15

ii. परिभाषित लाभ योजना

(क) उपदान

कंपनी के पास भारत में एक सुपरिभाषित लाभ ग्रेज्युटी योजना है, जो आईएफसीआई ग्रेज्युटी रेगुलेशन, 1968 द्वारा संचालित है। यह योजना किसी कर्मचारी को आईएफसीआई में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह महीने से अधिक के उसके भाग के लिए एक महीने के वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर राशि का हकदार बनाती है, जो सेवा के पहले बीस वर्षों के लिए अधिकतम बीस महीने के वेतन और महंगाई भत्ते या अठारह लाख रु. जो भी कम हो, तक हो सकती है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पूरी तरह से निधिभूत है। यह परिभाषित लाभ योजना कंपनी को बीमाकिक जोखिमों, जैसे उत्तरजीविता जोखिम, मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और बाजार (निवेश) जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है।

योजना परिसम्पत्तियों के नवीनतम बीमाकिक मूल्यांकन और उपदान हेतु परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य का मूल्यांकन 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार किया गया था। परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा पिछली सेवा लागत का मूल्यांकन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया गया था।

इस संबंध में प्राप्त बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित सारणी उपदान योजना की स्थिति और तुलन-पत्र की तारीख को कंपनी के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को दर्शाती है:

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
निवल पारिभाषित लाभ देयता	19.52	6.60

(क) निधिकरण

यह योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा निधिकृत है। निधियन अपेक्षाएं योजना की निधियन नीतियों में निर्दिष्ट उपदान निधि के बीमांकक मूल्यांकन ढांचे पर आधारित हैं। योजना की निधि व्यवस्था निधियन प्रयोजनों के लिए पृथक बीमांकक मूल्यांकन पर आधारित है, जिसके लिए पूर्वानुमान, नीचे भाग ड में पारिभाषित पूर्वानुमानों से भिन्न हो सकते हैं। कर्मचारी इस योजना में अंशदान नहीं करते।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु उपदान योजना में अनुमानित अंशदान 1.25 करोड़ रुपए है।

(ख) निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता का मिलान

निम्नलिखित सारणी निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक के लेखा मिलान को दर्शाती है:

	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
	पारिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता	पारिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता
वर्ष के आरम्भ में शेष	76.98	70.38	6.60	77.12	68.51	8.61
वर्तमान सेवा लागत	4.91	0.13	4.79	4.91	-	4.91
कम किये गए लाभ/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत (आय)	5.87	1.90	3.98	5.73	5.62	0.11
	10.79	2.02	8.76	10.65	5.62	5.02
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
- निम्न से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ):						
- जनसांख्यिकीय अनुमान	1.07	-	1.07	(0.00)	-	(0.00)
- वित्तीय अनुमान	5.01	(0.01)	5.02	(0.57)	-	(0.57)
- अनुभव समायोजन	(0.96)	(0.46)	(0.50)	(2.45)	(0.09)	(2.36)
- योजना परिसम्पत्तियों पर	-	0.10	(0.10)	-	0.02	(0.02)
	5.12	(0.38)	5.50	(3.03)	(0.07)	(2.96)
नियोजकता द्वारा अदा किया गया अंशदान	-	2.98	(2.98)	-	1.39	(1.39)
प्रदत्त लाभ	(9.02)	(10.66)	1.64	(7.76)	(5.07)	(2.69)
	(9.02)	(7.68)	(1.34)	(7.76)	(3.68)	(4.08)
वर्ष के अन्त में शेष	83.87	64.35	19.52	76.98	70.38	6.60

(ग) योजना परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
जीवन बीमा निगम में निवेश	100%	100%
समूह द्वारा वार्षिक आधार पर, परिसम्पत्ति देयता अनुरूपण अध्ययन किया जाता है, जिसमें समूह देयता जोखिम को व्यवस्थित करने के लिए योजना प्रबंधक (बीमांकक) को बीमांकन देयता में निवल वृद्धि में अंशदान करता है।		

(घ) बीमांकक अनुमान

सूचना की तारीख में प्रमुख बीमांकन पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त):

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
छूट दर	7.21%	7.37%
आगामी वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
निकासी दर:		
30 वर्ष तक	1.00%	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष में)	60	60
मृत्यु दर	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ड) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, यह सारणी दर्शाती है कि परिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% घट-बढ़)	(1.06)	1.15	(1.20)	1.27
आगामी वेतन वृद्धि (0.50% घट-बढ़)	1.15	(1.06)	1.27	(1.20)

यद्यपि, विश्लेषण योजना के अधीन प्रत्याशित नकद प्रवाह के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लेता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मृत्यु संख्या दर एवं निकासियों के कारण संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं होती है और इसलिए इसके कारण परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित नहीं किया जाता।

(च) आगामी वर्षों में परिभाषित लाभ योजना का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण:

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
0 to 1 वर्ष	3.68	3.23
1 to 6 वर्ष	6.55	8.11
6 वर्ष से आगे	14.53	15.00
चौड़	24.75	26.35

31 मार्च, 2024 को परिभाषित लाभ देयता की भारित औसत अवधि 12.74 वर्ष (31 मार्च, 2023 - 12.69 वर्ष) थी।

(छ) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह समूह विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार दर्शाती है:

वेतन वृद्धियां: वास्तविक वेतन वृद्धियों से योजना की देयता बढ़ेगी। आगामी मूल्यांकनों में वेतन वृद्धि दर पूर्वानुमान में वृद्धि से भी देयता बढ़ेगी।

निवेश जोखिम: यदि योजना निधिकृत होती तो परिसम्पति देयताएं बेमेल होती हैं तथा परिसम्पतियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल अंतिम मूल्यांकन तारीख को मानित छूट दर से कम होती है जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर: परवर्ती मूल्यांकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु दर एवं अशक्तता: वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत मामलों से कम अथवा अधिक साबित हो, देयता को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां: वास्तविक निकासियां, जो परवर्ती मूल्यांकनों में अनुमानित निकासियों एवं निकासी दरों में परिवर्तन की बजाय उच्च अथवा कम हो, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ

आईएफसीआई अपने कर्मचारियों और उन पर आश्रित परिवार के पात्र सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ प्रदान करती है। योजना के अनुसार, कर्मचारी जो स्वैच्छिक कल्याण योजना (वीडब्ल्यूएस) के सदस्य हैं, वे सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं। योजना के अधीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उनके पति/पत्नी और आश्रित बच्चों को चिकित्सा लाभ एवं प्रतिपूर्ति की जाती है, यद्यपि इसकी उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है और यह उस ग्रेड, जिसमें कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, पर आधारित है और इस शर्त के अधीन है कि संबंधित कर्मचारी का पति/पत्नी अपने नियोजकता, यदि कोई हो, से कोई चिकित्सा लाभ नहीं ले रहा हो। चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति आईएफसीआई द्वारा अपने कार्यरत कर्मचारियों के लिए समय-समय पर परिचालित दरों के अनुसार केन्द्र, जहां कर्मचारी सेवानिवृत्त उपरान्त निवास करता है, में कर्मचारियों पर लागू दरों पर की जाती है। इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी चिकित्सा लाभ योजना एवं तुलन पत्र की तारीख को समूह के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियां को दर्शाती है:

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
निवल परिभाषित लाभ देयता	34.79	32.11

(क) निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पति)/देयता का लेखा मिलान:

निम्नलिखित सारणी निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक लेखा मिलान को दर्शाती है:

	परिभाषित लाभ देयता	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के आरम्भ में शेष	32.11	29.82
वर्तमान सेवा लागत	0.09	0.10
कम किए गए लाभ/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत(आय)	2.37	2.18
	2.46	2.28

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(जारी...)

	पारिभाषित लाभ देयता	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)		
- निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ):		
- जनसांख्यिकी अनुमान	-	-
- वित्तीय अनुमान	-	-
- अनुभव समायोजन	0.68	0.42
	0.68	0.42
प्रदत्त लाभ	(0.46)	(0.40)
	(0.46)	(0.40)
वर्ष के अन्त में शेष	34.79	32.11

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु योजना में प्रत्याशित अंशदान 2.61 करोड़ रुपए है।

(ख) योजना परिसम्पत्तियां

सेवानिवृत्ति के बाद उक्त चिकित्सा लाभ योजना के संदर्भ में समूह के पास कोई योजना परिसम्पत्तियां नहीं थी।

वार्षिक आधार पर समूह द्वारा परिसम्पत्ति देयता अनुरूपण अध्ययन किया जाता है, जिससे समूह देयता जोखिम को व्यवस्थित करने के लिए एक सीमित निधि में बीमांकन देयता में निवल वृद्धि में अंशदान करता है।

(ग) बीमांकन अनुमान

सूचना की तारीख को प्रमुख बीमांकन पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त):

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
छूट दर	7.21%	7.37%
आगामी चिकित्सा लागत वृद्धि	3.00%	3.00%
निकासी दर:		
30 वर्ष तक	1.00%	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष में)	60	60
मृत्यु दर	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)

(घ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, यह सारणी दर्शाती है कि पारिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% घट-बढ़)	(1.14)	1.14	(1.11)	1.11

यद्यपि, विश्लेषण योजना के अधीन प्रत्याशित नकद प्रवाह के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लेता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान देता है।

मुद्रास्फिति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता अनुप्रयोज्य नहीं है।

(ङ) आगामी वर्षों में पारिभाषित लाभ योजना का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण:

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
0 to 1 वर्ष	2.67	2.59
1 to 2 वर्ष	2.16	1.99
2 to 3 वर्ष	2.17	2.00
3 to 4 वर्ष	1.91	1.77
4 to 5 वर्ष	2.05	1.89
5 to 6 वर्ष	1.59	1.47
6 वर्ष से आगे	22.24	20.40
जोड़	34.79	32.11

31 मार्च, 2024 को पारिभाषित लाभ देयता के दौरान भारित औसत 7.87 वर्ष (31 मार्च, 2023 - 7.83 वर्ष) था।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(च) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह समूह विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार दर्शाती है:

चिकित्सा लागत वृद्धि: वास्तविक चिकित्सा लागत में प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति में वृद्धि इस योजना की देयता को बढ़ाएगी। सेवानिवृत्त प्रति व्यक्ति पूर्वानुमान दर में वृद्धि से भी चिकित्सा लागत में वृद्धि होगी।

निवेश जोखिम: यदि योजना निधिकृत होती तो परिसम्पति देयताएं असमान हो जाती हैं तथा परिसम्पतियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल अंतिम मूल्यांकन तारीख को मानित छूट दर से कम हो जाता है जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर: परवर्ती मूल्यांकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु संख्या एवं अशक्तता: वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत देयता से कम अथवा अधिक साबित हो, देयता को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां: वास्तविक निकासियां, जो परवर्ती मूल्यांकनों में अनुमानित निकासियों एवं निकासी दरों में परिवर्तन की बजाय उच्च अथवा कम सिद्ध हो, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

(ग) भविष्य निधि

कम्पनी की परिभाषित लाभ भविष्य निधि है जो आईएफसीआई कर्मचारी भविष्य निधि विनियमनों द्वारा अधिशासित है। भविष्य निधि मासिक अंशदान राजस्व के प्रति प्रभारित किया जाता है। आईएफसीआई संगत वर्ष हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा अधिसूचित दर पर भविष्य निधि शेष पर ब्याज अदा कर रही है। भविष्य निधि को विधिवत रूप से गठित एवं मान्य प्रशासकों के जरिए नियंत्रित किया जाता है। आईएफसीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों की समिति ने चालू वित्तीय वर्ष में पीएफ देयता के मद्दे विशिष्ट निर्दिष्ट निवेश अनुमोदित किया है। इस प्रयोजनार्थ, निवेशों को ईपीएफओ तथा ईपीएफ छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए निवेश पद्धति को अधिसूचित करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसरण में पीएफ देयता के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी भविष्य निधि योजना की स्थिति एवं तुलन-पत्र की तारीख में कम्पनी के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को दर्शाया गया है:

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
निवल पारिभाषित लाभ देयता/(परिसम्पति)	2.77	(9.90)

(क) निधिकरण

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कम्पनी ने अपने कुछ निवेशों को भविष्य निधि देयता के मद्दे में सरकारी प्रतिभूतियों, म्युचुअल फण्ड में चिन्हित किया है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भविष्य निधि योजना में प्रत्याशित अंशदान 0.88 करोड़ रुपए है।

(ख) निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पति)/देयता का लेखा मिलान

निम्नलिखित सारणी निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक के लेखा मिलान को दर्शाती है:

	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
	पारिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पति)/देयता	पारिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पति)/देयता
वर्ष के आरम्भ में शेष	86.36	96.26	(9.90)	82.40	92.22	(9.81)
वर्तमान सेवा लागत	0.97	-	0.97	2.93	-	2.93
ब्याज लागत/(आय)	1.10	-	1.10	1.03	-	1.03
	2.07	-	2.07	3.96	-	3.96
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
- निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकक हानि(लाभ):						
- जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-	-	-	-	-
- वित्तीय अनुमान	-	-	-	-	-	-
- अनुभव समायोजन	-	-	-	-	-	-
- योजना परिसम्पतियों पर	-	0.97	(0.97)	-	1.03	(1.03)
	-	0.97	(0.97)	-	1.03	(1.03)
अन्य						
कर्मचारी द्वारा अदा किया गया अंशदान	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	-	-	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	-	(11.57)	11.57	-	3.01	(3.01)
निपटान/अन्तरण	-	-	-	-	-	-
	-	(11.57)	11.57	-	3.01	(3.01)
वर्ष के अंत में शेष	88.43	85.66	2.77	86.36	96.26	(9.90)

(ग) योजना परिसम्पतियां

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	100%	100%

(सभी राशियां करोड़ रुपये में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

वार्षिक आधार पर, समूह द्वारा परिसम्पत्ति देयता अनुरूपण अध्ययन किया जाता है, जिसमें समूह पूल में बीमांकन देयता में निवल वृद्धि में अंशदान करता है जो बाद में, जोखिम देयता को व्यवस्थित करने के लिए निवेश करता है।

(घ) बीमांकक अनुमान

सूचना की तारीख में प्रमुख बीमांकक पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त):

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
छूट दर	7.21%	7.37%
खाता बही शेष पर प्रत्याशित सांविधिक ब्याज दर	8.25%	8.15%
निधि पर ब्याज आय में प्रत्याशित वर्ष/वर्तमान कमी	0.30%	0.30%
मृत्यु दर	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)
अशक्तता	कोई नहीं	कोई नहीं
निकासी दर (आयु से संबंधित)		
30 वर्ष तक	1.00%	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60	60

(ङ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, यह सारणी दर्शाती है कि पारिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% घट-बढ़)	(0.09)	0.10	(0.08)	0.09

यद्यपि विश्लेषण योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लिया जाता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मुद्रास्फीति दर, भुगतान में पेशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेशन की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

(च) आगामी वर्षों में पारिभाषित लाभ योजना का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण:

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
1 वर्ष	23.76	11.72
2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच	13.30	22.22
6 से 10 वर्ष के बीच	16.45	14.21
10 वर्ष से अधिक	32.54	31.71
जोड़	86.05	79.86

31 मार्च, 2024 को पारिभाषित लाभ देयता की भारित औसत अवधि 12.74 वर्ष (31 मार्च, 2023 - 12.69 वर्ष) थी।

(छ) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह समूह विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार प्रदर्शित करता है-
वेतन वृद्धि: वास्तविक वेतन वृद्धियों से योजना देयता में वृद्धि हो जाती है। भावी मूल्यांकनों में वेतन वृद्धि दर अवधारणा में वृद्धि से भी देयता बढ़ जाती है।

निवेश जोखिम: यदि योजना निधिकृत होती तो परिसम्पत्ति देयताएं असमान हो जाती हैं तथा परिसम्पत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल अंतिम मूल्यांकन तारीख को मानित छूट दर से कम हो जाता है जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर: परवर्ती मूल्यांकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु दर एवं अशक्तता: वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत देयता में कम अथवा अधिक सिद्ध हों, देयता को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां: वास्तविक निकासियां, जो बाद के मूल्यांकनों में अनुमानित निकासियों एवं निकासी दरों में परिवर्तन की बजाय उच्च या निम्न सिद्ध हों, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

iii. अन्य दीर्घ अवधि नियोजन लाभ

समूह अपने कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण लाभ तथा अवकाश किराया रियायत प्रदान करता है, जिसे आगामी वर्षों हेतु आगे बढ़ाया जा सकता है। क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि निम्नानुसार है -

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि		
अवकाश नकदीकरण	0.74	1.85
अवकाश किराया रियायत	0.89	4.12
चिकित्सा लाभ	1.90	1.97

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

50 सम्बद्ध पक्षकार प्रकटन

i. सम्बद्ध पक्षकार का नाम एवं संबंध का स्वरूप:-

क. संबंध का स्वरूप	सम्बद्ध पक्षकार का नाम
सहयोगी कम्पनियां*	आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट बिज्नी हेतु भारत सहयोगी कम्पनियां - अथेना छत्तीसगढ़ पावर प्रा. लि. - गति इंफ्रास्ट्रक्चर भासमे पावर प्रा. लि. - किटको लि. - नगई पावर प्रा. लि. - शिगा इनर्जी प्राइवेट लि. - वडराज सीमेंट लि. - वडराज एनर्जी (गुजरात) लि.

*31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कम्पनियों के खातों का समेकन नहीं किया गया। लेकिन भारतीय लेखांकन मानक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहयोगी कम्पनियों के नाम सम्बद्ध पक्षकार में दर्शाए गए हैं।

संयुक्त उद्यम आईएफसीआई सीकामोर कैपिटल एडवाइजर्स प्रा.लि. (स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन)

सीएसआर क्रियाकलाप के लिए निगमित न्यास आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक*

श्री मनोज मितल - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (12 जून 2021 से)
श्री राहुल भावे, उप प्रबंध निदेशक (28 नवंबर, 2023 से)
श्री प्रसून - मुख्य वित्तीय अधिकारी (11 अगस्त, 2023 से सीएफओ नहीं रहे)
श्री सुनील शुक्ला - मुख्य वित्तीय अधिकारी (11 अगस्त 2023 से)
सुश्री प्रियंका शर्मा - कंपनी सचिव (16 सितंबर 2021 से)
श्री मुकेश कुमार बंसल (27 मार्च, 2024 से निदेशक नहीं रहे)
श्री कार्तिकेय मिश्रा (27 मार्च, 2024 से निदेशक नहीं रहे)
प्रो. नारायणस्वामी बालकृष्णन (30 अक्टूबर 2017 से)
प्रो. अरविंद सहाय (30 अक्टूबर 2017 से)
श्री सुरेंद्र बेहरा (09 नवंबर 2022 से)
श्री अरविंद कुमार जैन (09 नवंबर 2022 से)
श्री उमेश कुमार गर्ग (10 मई, 2023 से)

एक ही सरकार के नियंत्रण में कम्पनियां

समूह एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है। भारतीय लेखांकन मानक 24 के पैरा 25 एवं 26 के अनुसार कम्पनियां, जिन पर एक ही सरकार का नियंत्रण है अथवा संयुक्त नियंत्रण है अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है, तब रिपोर्टिंग कम्पनी और अन्य कम्पनियों को सम्बद्ध पक्षकार के रूप में माना जाएगा। समूह ने सरकार से सम्बद्ध कम्पनियों के संबंध में उपलब्ध छूट के लिए आवेदन किया है और स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किए हैं।

ii. वर्ष के दौरान तुलनपत्र की तारीख को सम्बद्ध पक्षकारों से प्राप्त और उन्हें देय शेष लेन-देन:

सम्बद्ध पक्षकारों का नाम	लेन-देन का स्वरूप	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
क. सहयोगी कम्पनियां			
किटको	(i) प्राप्त बैठक शुल्क	0.002	0.01
आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन ट्रस्ट	(i) सीएसआर क्रियाकलापों हेतु अंशदान	-	-
	(ii) आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय हैं	-	-
ख. एक ही सरकार के नियंत्रण वाली कम्पनियां			
सीईजीएसएससी, भारत सरकार	एजेंसी कमीशन -एससी/एसटी के लिए क्रेडिट गारण्टी फण्ड	0.34	0.38
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार	कमीशन-एमसिप्स	3.45	5.05
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक्स	3.77	3.19
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार	एजेंसी शुल्क एसपीईसीएस	5.37	1.98
रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - ब्लक ड्रग्स	1.23	1.39

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(जारी...)

सम्बद्ध पक्षकारों का नाम	लेन-देन का स्वरूप	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - मेडिकल डिवाइसिस	0.40	2.20
रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - बल्क ड्रग्स पार्क्स	1.90	1.90
रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - मेडिकल डिवाइसिस पार्क्स	0.76	0.76
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	अनुवर्तन एजेंसी शुल्क	3.02	3.39
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - आईटी - हार्डवेयर	3.55	0.55
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई व्हाइट गुड्स	3.00	3.00
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई ऑटो योजना	2.00	2.00
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई एसीसी योजना	1.28	1.10
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई टेक्सटाइल	3.50	5.58
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबन्धन शुल्क - सेमीकंडक्टर फैंड्स योजना	2.75	3.25
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबन्धन शुल्क - फैंड्स योजना प्रदर्शन	3.00	1.00
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबन्धन शुल्क -	2.91	1.38
नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए)	कंपाउंड सेमीकंडक्टर/एटीएमपी/ओएसएटी योजना		
भारी उद्योग मंत्रालय	योजना प्रबन्धन शुल्क - ड्रोन और ड्रोन संघटक	1.16	1.40
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	योजना प्रबन्धन शुल्क - फेम II	15.93	4.22
एसडीएफ, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई खिलौने	-	1.00
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.	एजेंसी कमीशन - चीनी विकास निधि	5.87	9.64
केन्द्र सरकार	प्राप्त परामर्श एवं मूल्यांकन शुल्क	0.06	0.06
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	सरकारी प्रतिभूतियों पर व्याज आय	18.98	33.13
कंपनियों के रजिस्ट्रार	किराए से आय	3.37	3.37
ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड(पूर्ववर्ती पोस्को)	किराए से आय	4.46	-
एसबीआई लाइफ इश्योरेस	किराए से आय	7.06	-
यूनाइटेड इंडिया इश्योरेस	किराए से आय	0.29	-
केनरा बैंक	किराए से आय	0.24	-
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट	किराए से आय	0.38	0.41
भारत सेमीकंडक्शन मिशन (डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन)	किराए से आय	2.88	3.44
		0.72	-
ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिपूर्ति			
अल्पावधि कर्मचारी लाभ		9.74	5.92
नियोजन के बाद पारिभाषित लाभ		0.05	-
क्षतिपूरित अनुपस्थिति		-	0.08
शेयर आधारित भुगतान		-	-
सेवा समाप्ति लाभ		0.05	0.02
बैठक में भाग लेने का शुल्क		0.60	0.20

निबंधन एवं शर्तें

इन सम्बद्ध पक्षकारों से सभी संव्यवहारों के मूल्य आर्म्स लेन्थ आधार पर हैं।

51 पट्टे

क. पट्टेदार के रूप में पट्टा

पट्टे विशेष तौर पर 11 माह की अवधि के लिए होते हैं, जिसमें उस अवधि के बाद पट्टे का नवीकरण करने का विकल्प होता है। पट्टा भुगतानों को बाजार किरायों को दर्शाने के लिए नियमित अन्तराल पर बातचीत के द्वारा पुनः निर्धारित किया जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
i. आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान		
वर्ष के अन्त में रद्द न किए जाने वाले परिचालन पट्टों के आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं:		
(क) एक वर्ष के बाद नहीं	0.23	0.23
(ख) एक वर्ष के बाद, परन्तु पांच वर्ष के बाद नहीं	0.29	-
(ग) पांच वर्ष के बाद	-	-
ii. लाभ अथवा हानि में मान्य राशि	4.84	6.04

ख. पट्टादाता के रूप में पट्टे

समूह अपने भवन को (निवेश सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत) परिचालन पट्टा आधार पर देता है। पट्टे सामान्य तौर पर 11 माह से 7 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं, जिसमें उस अवधि के बाद इसे नवीकृत किए जाने का विकल्प होता है। पट्टा भुगतान को बाजार किराए दशनि के लिए नियमित अन्तराल पर इसके लिए पुनः बातचीत की जाती है।

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
i. आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान		
वर्ष के अन्त में, रद्द न किए जा सकने वाले परिचालन पट्टों के आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं:		
(क) एक वर्ष के बाद नहीं	35.15	36.22
(ख) एक वर्ष के बाद परन्तु पांच वर्ष के बाद नहीं	55.68	69.97
(ग) पांच वर्ष के बाद	8.17	22.17
ii. लाभ अथवा हानि में मान्य राशियां	42.74	38.28

52 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

	यूनिट	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
i			
(क) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ का संगणन			
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ	करोड़ रुपए में	103.66	(207.80)
इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ	करोड़ रुपए में	103.66	(207.80)
(ख) बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	संख्या	2,489,613,863	2,195,928,107
ii			
(क) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ का संगणन (संभावित शेयरधारकों सहित)			
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ	करोड़ रुपए में	103.66	(207.80)
इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ (संभावित शेयरधारकों सहित)	करोड़ रुपए में	103.66	(207.80)
(ख) बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	संख्या	2,489,613,863	2,195,928,107
प्रति शेयर अर्जन (भारित औसत)			
बेसिक	रुपए	0.42	(0.95)
डायल्युटेड	रुपए	0.42	(0.95)

53 परिचालन खण्ड

बोर्ड की मुख्य परिचालन निर्णायक (सीओडीएम) के रूप में पहचान की गई है जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 108 “परिचालन खण्ड” में परिभाषित है। समूह के परिचालन खण्ड समूह के संचटकों के अनुरूप इस प्रकार स्थापित है कि भारतीय लेखांकन मानक 108 “परिचालन खण्ड” में दी गई परिभाषा के अनुसार मुख्य परिचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से इनका मूल्यांकन किया जाता है। समूह मुख्यतया वित्तपोषण करता है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार अंतरण अलग से किया जाने वाला कोई उल्लेखनीय खण्ड नहीं है।

क. उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में सूचना:

समूह केवल एक ही उत्पाद पर कार्य करता है अर्थात् कारपोरेट ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। अतः इस पर पृथक प्रकटन किया जाना आवश्यक नहीं है।

ख. भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में सूचना:

समूह की सम्पूर्ण बिक्री उन ग्राहकों के लिए की जाती है, जो भारत में रहते हैं। समूह की परिसम्पत्तियां भी भारत में ही स्थित हैं।

ग. प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना (बाहरी ग्राहकों से):

समूह ग्राहकों से राजस्व अर्जित नहीं करता, जो कि समूह के 10% अथवा इससे अधिक राजस्व को दर्शाता हो।

54 वित्तीय परिसम्पत्तियों का अन्तरण

सामान्य कारोबार करते हुए, समूह ऐसे लेन देन करता है जो ग्राहकों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम के अन्तरण से होता है। टिप्पणी 2 में परिभाषित लेखांकन नीति के अनुसार अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियों को उनकी परिपूर्णता में अथवा समूह की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता की सीमा में मान्य किया जाता है अथवा उनकी परिपूर्णता में अमान्य किया जाता है।

समूह उन वित्तीय परिसम्पत्तियों को अन्तरित करता है जो अपनी परिपूर्णता में अमान्य नहीं हैं, जो मुख्यतया परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री के जरिए किया जाता है।

क. अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें उनकी परिपूर्णता में अमान्य नहीं किया गया है

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री ऐसा लेनदेन है, जिनमें समूह गैर समेकित विशेष इकाई को ऋण एवं अग्रिम बेचती है और साथ ही साथ उक्त

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

इकाई द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों के अधिकांश भाग को खरीदती है। प्रतिभूति प्राप्तियां इकाई द्वारा खरीदे गए ऋणों द्वारा संपार्श्विकीकृत होती हैं और इसलिए प्रतिभूति प्राप्तियों का नकद प्रवाह खरीदे गए ऋणों की वसूली पर निर्भर करता है।

समूह ऋणों की सम्पूर्णता में ऋण के उस भाग को निरन्तर मान्यता देता है, जिसके संबंध में समूह द्वारा प्रतिभूति प्राप्तियों का अभिदान किया गया है क्योंकि यह अन्तरित ऋण के उस भाग के संदर्भ में स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं प्रतिफल को पूर्ण रूप में धारित रखता है। अन्तरित ऋण के भाग, जिसके लिए नकद प्रतिफल प्राप्त होता है, को अमान्य किया जाता है।

निम्नलिखित सारणी एक ऐसी अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्ति, जिसे पूरी तरह से अमान्य नहीं किया गया है, की वास्तविक राशि एवं उचित मूल्यों को और उससे जुड़ी देयताओं को दर्शाती है:

	रखरखाव राशि		उचित मूल्य		
	परिसम्पत्तियां- ऋण	देयताएं- उधार	परिसम्पत्तियां- ऋण	देयताएं- उधार	निवल स्थिति
परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों(एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री					
31 मार्च, 2024 को	65.52	-	245.59	-	245.59
31 मार्च, 2023 को	61.30	-	217.40	-	217.40

ख. अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें पूरी तरह से अमान्य किया गया है।

परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री

समूह ने अमान्य करने की छूट ली है और ऋणों को उनकी सम्पूर्णता में अमान्य करता है जिसके संबंध में समूह द्वारा प्रतिभूति प्राप्तियों में अभिदान किया गया है। समूह ने लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर बाद में मूल्यांकित प्रतिभूति प्राप्तियों में उक्त निवेश को वर्गीकृत किया है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने 186.54 करोड़ रु. (2022-23 में 89.77 करोड़ रु.) का उचित मूल्य लाभ/(हानि) को मान्य किया है। 31 मार्च 2024 को सुरक्षा प्राप्तियों पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) (-)40.59 करोड़ रु. है (31 मार्च 2023 - (-)2.43 करोड़ रु.)

निम्नलिखित सारणी, उन परिसम्पत्तियों के ब्यौरों को दर्शाती है, जो पूरी तरह से अमान्य व अन्तरित की गई परिसम्पत्तियों के साथ समूह को निरन्तर जुड़ाव को प्रदर्शित करती है।

	रखरखाव राशि	उचित मूल्य	
	परिसम्पत्तियां-प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश	परिसम्पत्तियां-प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश	देयताएं
परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री			
31 मार्च, 2024 को	60.98	60.98	-
31 मार्च, 2023 को	118.60	118.60	-

एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों के रूप में इसकी निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता से हानि के कारण समूह के अधिकतम जोखिम को दर्शाने वाली राशि उनकी वास्तविक राशि है।

55 वित्तीय प्रलेख - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन

क. श्रेणी के तहत वित्तीय प्रलेख

निम्नलिखित सारणी वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की वास्तविक राशि एवं उचित मूल्यों को दर्शाती है।

विवरण	31 मार्च, 2024 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसम्पत्तियां:			
नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	1,298.10
उपरोक्त से भिन्न बैंक शेष	-	-	3,748.28
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-
प्राप्य राशियां	-	-	306.33
ऋण	-	-	1,363.15
निवेश	1,150.40	7,458.75	68.78
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	1,410.28
	1,150.40	7,458.75	8,194.93
वित्तीय देयताएं:			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	13.94	-	-
ट्रेड देयताएं	-	-	462.95
अन्य देयताएं	-	-	-
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	4,276.21
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	-	-	346.10
अधीनस्थ देयताएं	-	-	744.67
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	5,039.25
	13.94	-	10,869.18

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

विवरण	31 मार्च, 2023 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसम्पत्तियां:			
नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	1,036.77
उपरोक्त से भिन्न बैंक शेष	-	-	2,720.15
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	14.83
प्राप्य राशियां	-	-	239.05
ऋण	-	-	1,907.98
निवेश	1,007.71	6,473.37	219.00
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	786.06
	<u>1,007.71</u>	<u>6,473.37</u>	<u>6,923.83</u>
वित्तीय देयताएं:			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-
ट्रेड देयताएं	-	-	275.02
अन्य देयताएं	-	-	-
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	4,733.59
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	-	-	511.55
अधीनस्थ देयताएं	-	-	774.67
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	3,756.33
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10,051.16</u>

ख. मूल्यांकन ढांचा

संबंधित परिचालन विभाग वित्तीय सूचना के प्रयोजनार्थ तिमाही सूचना अवधि के लिए या तो बाहरी रूप से या फिर आन्तरिक रूप से अपेक्षित वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन संबंधी विशिष्ट नियंत्रणों में उल्लेखनीय मूल्यनिर्धारण का सत्यापन, महत्वपूर्ण उल्लेखनीय इनपुटों की पुनरीक्षा और मूल्यांकन समायोज शामिल हैं।

समूह निम्नलिखित उचित मूल्य अनुक्रम का प्रयोग करते हुए उचित मूल्यों का मूल्यांकन करता है, जो मूल्यांकन करने में प्रयोग किए गए इनपुट्स के महत्व को दर्शाता है।

लेवल 1: इनपुट, जो एक जैसी परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत बाजार मूल्य (असमायोजित) होते हैं।

लेवल 2: वित्तीय प्रलेखों के उचित मूल्य, जिनकी सक्रिय बाजार में ट्रेडिंग नहीं की जाती, का निर्धारण ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करके किया जाता है, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप में उल्लेखनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करती हैं जैसे कि वित्तीय प्रलेखों की पर्याप्त पूर्ण अवधि के लिए सक्रिय बाजारों में एक जैसी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का उद्धृत मूल्य, परन्तु लेवल-1 इनपुट के रूप में मान्य नहीं है। यदि उचित मूल्य हेतु अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण इनपुट, जिसमें प्रलेख महत्वपूर्ण हो, प्रलेख को लेवल-2 में शामिल किया जाता है।

लेवल 3: यदि एक अथवा एक से अधिक महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं होता है, तो प्रलेखों को लेवल-3 में शामिल किया जाता है। अर्थात् लेवल-3 इनपुट में उस जोखिम को वहन करने की दिशा में बाजार भागीदारों द्वारा अपेक्षित जोखिम और जोखिम प्रीमियम के बारे में बाजार भागीदारों के पूर्वानुमान शामिल हैं। यह परिस्थितियों में उपलब्ध उत्कृष्ट जानकारी के आधार पर लेवल-3 इनपुट तैयार करता है।

मूल्यांकन तकनीकों का उद्देश्य उस उचित मूल्य मूल्यांकन को प्राप्त करना है, जो ऐसे मूल्य को दर्शाता है, जो परिसम्पत्ति के बेचने पर प्राप्त होगा, अथवा मूल्यांकन की तारीख को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित लेन-देन में देयता के अन्तरण हेतु अदा किया जाएगा।

तुलनपत्र में उचित मूल्य पर मूल्यांकित, वित्तीय प्रलेखों के साथ-साथ प्रयुक्त महत्वपूर्ण पर्यवेक्षित इनपुट्स के लिए लेवल-2 और लेवल-3 उचित मूल्यों के मूल्यांकन में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों को दर्शाया जाता है।

ग. उचित मूल्य अनुक्रम

यह भाग वित्तीय प्रलेखों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए आकलनों एवं अनुमानों को स्पष्ट करता है, जो इस प्रकार हैं:

(क) उचित मूल्य पर मान्य और मूल्यांकित तथा

(ख) परिशोधित लागत पर मूल्यांकित और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य का प्रकटन किया जाता है।

उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त इनपुटों की विश्वसनीयता के बारे में संकेतन प्रदान करने के लिए समूह ने अपने वित्तीय प्रलेखों का लेखांकन मानक के अधीन निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकरण किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण नीचे सारणी में दिया है।

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं-आवर्ती उचित मूल्य मूल्यांकन

31 मार्च, 2024 को	लेवल-1	लेवल-2	लेवल-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-	-
निवेश	791.81	170.59	7,715.53	8,677.93
	<u>791.81</u>	<u>170.59</u>	<u>7,715.53</u>	<u>8,677.93</u>
वित्तीय देयताएं:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	13.94	-	13.94
	<u>-</u>	<u>13.94</u>	<u>-</u>	<u>13.94</u>

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिसम्पत्तियां एवं देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है

31 मार्च, 2024 को	परिशोधित लागत	लेवल-1	लेवल-2	लेवल-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पत्तियां:					
ऋण	1,363.15	-	-	1,363.15	1,363.15
	<u>1,363.15</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,363.15</u>	<u>1,363.15</u>
वित्तीय देयताएं:					
ऋण प्रतिभूतियां	4,276.21	-	-	4,276.21	4,276.21
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	346.10	-	346.10	-	346.10
अधीनस्थ देयताएं	744.67	-	-	744.67	744.67
	<u>5,366.98</u>	<u>-</u>	<u>346.10</u>	<u>5,020.88</u>	<u>5,366.98</u>

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य मूल्यांकन

31 मार्च, 2023 को	लेवल-1	लेवल-2	लेवल-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	14.83	-	14.83
निवेश	194.38	228.31	7,277.38	7,700.07
	<u>194.38</u>	<u>243.14</u>	<u>7,277.38</u>	<u>7,714.90</u>
वित्तीय देयताएं:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

परिसम्पत्तियां एवं देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है

31 मार्च, 2023 को	परिशोधित लागत	लेवल-1	लेवल-2	लेवल-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पत्तियां:					
ऋण	1,907.98	-	-	1,907.98	1,907.98
	<u>1,907.98</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,907.98</u>	<u>1,907.98</u>
वित्तीय देयताएं:					
ऋण प्रतिभूतियां	4,733.59	-	-	4,733.59	4,733.59
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	511.55	-	511.55	-	511.55
अधीनस्थ देयताएं	774.67	-	-	774.67	774.67
	<u>6,019.81</u>	<u>-</u>	<u>511.55</u>	<u>5,508.26</u>	<u>6,019.81</u>

रखरखाव मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय प्रलेख

तुलनपत्र पर कुछेक वित्तीय प्रलेखों का वास्तविक मूल्य उनके उचित मूल्य पर अनुमानित होते हैं। इन वित्तीय प्रलेखों में हस्तगत नकदी, अन्य बैंकों में शेष ट्रेड से प्राप्य, ट्रेड देयताएं तथा कुछेक अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताएं शामिल हैं। वास्तविक मूल्यों को इन वित्तीय प्रलेखों के संबंध में अनुमानित उचित मूल्यों हेतु स्वीकार किया गया था, क्योंकि वे अल्प अवधि स्वरूप के होते हैं और उनकी अभिलेखबद्ध राशियां अनुमानित उचित मूल्य की होती हैं अथवा मांग पर प्राप्य एवं देय होती हैं।

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय प्रलेख और परिशोधित लागत पर निष्पन्न वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य

स्वरूप	मूल्यांकन तकनीक	महत्वपूर्ण अप्रयुक्त इनपुट
अनुद्धत इक्विटी प्रतिभूतियां	निवल परिसम्पत्ति मूल्य/कम्पनी तुलनीय पद्धति / छूट प्राप्त नकद प्रवाह	पूंजी की भारत औसत लागत/छूट दर
अधिमान शेयर	निवल परिसम्पत्ति मूल्य/कम्पनी तुलनीय पद्धति/ छूट प्राप्त नकद प्रवाह	पूंजी की भारत औसत लागत/छूट दर
ऋण	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	आगामी नकद प्रवाह, छूट दरें
ऋण प्रतिभूतियां	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	आगामी नकद प्रवाह, छूट दरें
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	आगामी नकद प्रवाह, छूट दरें
अधीनस्थ देयताएं	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	आगामी नकद प्रवाह, छूट दरें

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ii) लेवल-3 उचित मूल्य

लेवल-3 उचित मूल्यों का लेखाभिलान

निम्नलिखित सारणी, लेवल-3 उचित मूल्यों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक लेखाभिलान को दर्शाती है:

विवरण	अधिमान शेषों में निवेश	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर	अनुद्भूत इक्विटी प्रलेखों में निवेश
31 मार्च 2023 को शेष	3.95	-	7,273.43
कुल लाभ अथवा हानियां:	-	-	-
- लाभ अथवा हानि में	21.10	-	389.25
- ओसीआई में	-	-	-
खरीद	-	-	-
निपटान	-	-	27.79
लेवल - 3 में अन्तरित	-	-	-
31 मार्च, 2024 को शेष	25.05	-	7,690.48

उपरोक्त सारणी में वर्ष हेतु कुल लाभ अथवा हानियों को लाभ अथवा हानि और ओसीआई के विवरण में निम्नानुसार दर्शाया जाता है:

विवरण	अधिमान शेषों में निवेश	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर	अनुद्भूत इक्विटी प्रलेखों में निवेश
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां:			
- उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	21.10	-	389.25
अन्य राजस्व			
ओसीआई में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां:			
- उचित मूल्य रिजर्व (इक्विटी प्रलेख) - उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	-	-	-
लाभ अथवा हानि-वर्ष के अंत में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित अवसूलीकृत लाभ एवं हानि में परिवर्तन:			
- उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	21.10	-	361.46

विवरण	अधिमान शेषों में निवेश	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर	अनुद्भूत इक्विटी प्रलेखों में निवेश
31 मार्च 2022 को शेष	4.86	-	5,449.83
कुल लाभ अथवा हानियां:	-	-	-
- लाभ अथवा हानि में	-	-	1,719.24
- ओसीआई में	-	-	-
खरीद	-	-	-
निपटान	(0.91)	-	104.36
लेवल - 3 में अन्तरित	-	-	-
31 मार्च, 2023 को शेष	3.95	-	7,273.43

उपरोक्त सारणी में वर्ष हेतु कुल लाभ अथवा हानियों को लाभ अथवा हानि और ओसीआई के विवरण में निम्नानुसार दर्शाया गया है:

विवरण	अधिमान शेषों में निवेश	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर	अनुद्भूत इक्विटी प्रलेखों में निवेश
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां:			
- उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	-	-	1,719.24
अन्य राजस्व			
ओसीआई में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां:			
- उचित मूल्य रिजर्व (इक्विटी प्रलेख) - उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	-	-	-
लाभ अथवा हानि-वर्ष के अंत में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित अवसूलीकृत लाभ एवं हानि में परिवर्तन:			
- उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	0.91	-	1,614.88

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

56 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह के क्रियाकलाप मुख्यतया मौजूदा प्रबंधन समिति के प्रबंधन हेतु क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के अधीन होते हैं। समिति का कार्य इन जोखिमों की पहचान करना, मॉनीटर करना, व्यवस्थित करना तथा इन जोखिमों में कमी लाना है। समूह यह भी सुनिश्चित करता है कि आन्तरिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं, विनियामक दिशानिर्देशों का पालन हो और पर्याप्त ऋण प्रलेखन का रखरखाव हो।

अपने उधार क्रियाकलाप के संबंध में समूह ने जोखिमों को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न सीमाएं और प्रतिबंध लगाए हैं। जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा नियमित अन्तराल पर तथा तदर्थ आधार पर विभिन्न रिपोर्टें तैयार की जाती हैं और ये वरिष्ठ प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे जोखिम मॉनीटरिंग में मदद मिलती है। समूह ने किसी उल्लंघन के मामले में जोखिमों को कम करने के लिए भी प्रक्रियाएं बनाई हैं।

क. जोखिम प्रबंधन ढांचा

जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना एवं निरीक्षण की पूरी जिम्मेदारी समूह के निदेशक बोर्ड की है। निदेशक बोर्ड ने निदेशकों की जोखिम प्रबंधन एवं परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीडी) बनाई है, जो समूह की एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीतियों को तैयार करने और मॉनीटर करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालकों की जोखिम एवं परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीडी) द्वारा निरीक्षण कार्य में आरएएलएमसीडी की सहायता की जाती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग जोखिम प्रबंधन नियंत्रणों एवं प्रक्रियाओं की नियमित पुनरीक्षा करता है, जिसके परिणामों की सूचना मासिक आधार पर आरएएलएमसीडी को दी जाती है।

ख. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, ऋणों एवं अग्रिमों, नकदी एवं नकदी समकक्षों, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में जमा और किसी अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों से उत्पन्न होते हैं।

क्रेडिट जोखिम, समूह को वित्तीय हानि का जोखिम होता है, यदि कोई ग्राहक अथवा वित्तीय प्रलेखों का प्रतिपक्षकार संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहता है और ये मुख्यतया ग्राहकों को समूह के ऋणों एवं अग्रिमों से, व्यापार प्राप्यों से, ऋणों एवं ऋण प्रतिभूतियों में निवेशों से उत्पन्न होते हैं।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

समूह की क्रेडिट जोखिम की संभावना मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक/देनदार की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होती है। तथापि, प्रबंधन उन कारकों पर भी विचार करता है, जो इसके ग्राहक आधार के क्रेडिट जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें उद्योग से संबंधित चूक जोखिम, व्यवसाय विशिष्ट जोखिम, प्रबंधन जोखिम, पारगमन विशिष्ट जोखिम और परियोजना से संबंधित जोखिम शामिल हैं।

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति को “क्रेडिट क्षति” समझा जाता है, जब एक अथवा एक से अधिक घटनाक्रम, जिनका वित्तीय परिसम्पत्ति के अनुमानित आगामी नकद प्रवाह पर निर्धारणीय प्रभाव हो, घटित होता है। साक्ष्य, जिनसे एक वित्तीय परिसम्पत्ति क्रेडिट क्षतिग्रस्त प्रतीत हो, में निम्न उल्लेखनीय आंकड़े शामिल होते हैं:

- निर्गमकर्ता अन्यथा ऋणी की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई।
- संविदा का उल्लंघन, जैसे कि चूक।
- ऋणी को कर्ज देने वाला, ऋणी की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक एवं संविदात्मक कारणों के लिए ऋणी को रियायत दी गई हो जिसे कर्जदाता अन्यथा विचार नहीं करेगा।
- यह संभव हो रहा है कि ऋणी दिवालिया होने वाला है या फिर अन्य वित्तीय पुनर्गठन करने वाला है।
- वित्तीय कठिनाईयों के कारण उस वित्तीय परिसम्पत्ति के सक्रिय बाजार का विलुप्त होना।
- भारी छूट पर वित्तीय परिसम्पत्ति की खरीद अथवा उद्भूत जो उपगत क्रेडिट हानि को दर्शाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति ने एक क्रेडिट नीति बनाई है, जिसके तहत समूह के मानक भुगतान से पहले प्रत्येक नये ग्राहक की साख के संबंध में व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करता है। और प्रदायगी शर्तों एवं निबंधनों के प्रस्ताव पेश करती है समूह की पुनरीक्षा में न्यूनतम अन्तर्गत आन्तरिक रेटिंग, बाहरी रेटिंग, यदि वे उपलब्ध हो, पृष्ठभूमि सत्यापन, वित्तीय विवरण, आयकर विवरण, क्रेडिट एजेंसी सूचना, उद्योग सूचना आदि शामिल हैं। प्रत्येक ग्राहक के लिए क्रेडिट सीमा निर्धारित की गई है और समय-समय पर इसकी पुनरीक्षा की जाती है तथा जब भी आवश्यक हो, इसमें आशोधन किए जाते हैं। पारिभाषित सीमा से अधिक के किसी भी ऋण के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेना आवश्यक है।

(ख) चूक की संभावना (पीडी)

चूक की संभावना (पीडी) उस संभावना को दर्शाती है जिसमें ऋणी भविष्य में अपनी देयताओं में चूक करेगा। भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार ऋणी के स्टेज आबंटन के आधार पर 12 माह की अवधि एवं जीवनकालिक अवधि के लिए पृथक चूक संभावना का प्रयोग करना अपेक्षित है। भारतीय लेखांकन मानक 109 के लिए प्रयुक्त चूक संभावना में संस्थान के भावी राय को दर्शाना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए (अर्थात् इसमें कोई संरक्षणवाद अथवा आशवाद शामिल नहीं होना चाहिए)।

संस्थान की चूक की ऐतिहासिक संभावना तक पहुँचने के लिए आईएफसीआई द्वारा आन्तरिक वाहयताधारी रेटिंग का उपयोग करते हुए पारगमन मैट्रिक एपरोच का उपयोग किया गया है।

(ग) चूक की परिभाषा

चूक को भारतीय लेखांकन मानक में परिभाषित नहीं किया गया है। कोई भी संस्था चूक की ऐसी परिभाषा का प्रयोग करेगी जो उसके आन्तरिक क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों के अनुरूप हो और जिसे जब भी उपयुक्त हो गुणात्मक संकेतक माना जाए। यदि किसी ऋण को चूकग्रस्त माना जाता है और इसलिए उसे निम्नलिखित मामलों में ईसीएल परिकलनों के लिए स्टेज-3 (क्रेडिट क्षतिग्रस्त) माना जाएगा:

- ऋणी का आईएफसीआई आन्तरिक संयुक्त रेटिंग्स का सीआर-9 अथवा सीआर-10 तक ह्रास होने पर (मूल रेटिंग एवं वर्तमान रेटिंग के बीच तुलना की जाए)।
- परिसम्पत्ति को आरबीआई के विवेकसम्मत मानदण्डों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर।
- ऋण मूल्य में क्षति होने के बाद परिसम्पत्तियों की पुनर्संरचना किए जाने पर।
- 90 दिन से अधिक अवधि तक देय परिसम्पत्तियों पर।

(घ) चूक पर प्रकटन (ईएडी)

चूक पर प्रकटन (ईएडी) वित्तीय प्रलेखों की सकल वास्तविक राशि को दर्शाता है जो क्षति परिकलन के अधीन है।

(ङ) चूक से हुई हानि (एलजीडी)

यह मानते हुए चूक होती है कि चूक से हुई हानि के लेन-देन से उत्पन्न हानि का अनुमान है। चूक से हुई हानि का एलजीडी संघटक परिसम्पत्ति गुणवत्ता में कमी के मुक्त विरूपण है और इस प्रकार विभिन्न स्टेजों के संबंध में यह एक समान रूप में लागू होता है। ऋण पोर्टफोलियों के संबंध में एनपीए खातों, जो पिछले 7 वर्षों में उत्पन्न हुए हैं, और जिन्हें 5 वर्ष से अधिक अवधि वाले एनपीए खातों के साथ बंद कर दिया गया है, (बन्द रूप में स्वीकृत), को चूक से हुई हानि के परिकलन के लिए ध्यान में रखा गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(च) क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि

प्रत्येक सूचना तारीख को कम्पनी यह पता लगाएगी कि किसी वित्तीय प्रलेख पर क्रेडिट जोखिम में आरंभिक मान्यता से महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। यह निर्धारण करते समय कम्पनी प्रत्याशित क्रेडिट क्षति की राशि में परिवर्तन की बजाय वित्तीय प्रलेख की अनुमानित अवधि पर हुई चूक के जोखिम में परिवर्तन का प्रयोग करेगी। यह निर्धारण करने के लिए कम्पनी सूचना तारीख को वित्तीय प्रलेख पर उत्पन्न चूक के जोखिम की तुलना आरंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय प्रलेख पर उत्पन्न चूक के जोखिम से करेगी और उचित एवं समर्थनीय सूचना को ध्यान में रखेगी, जो अनुचित लागत अथवा प्रयास के बिना उपलब्ध है, जो आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि का द्योतक है। चूंकि वित्तीय प्रलेख को सूचना की तारीख पर ऋण जोखिम कम निर्धारित किया जाना है, अतः कम्पनी यह मान लेती है कि वित्तीय प्रलेख पर क्रेडिट जोखिम में आरंभिक मान्यता से विशेष तौर पर वृद्धि नहीं हुई है।

ऋणों एवं अग्रिमों के लिए एसआईसीआर के निर्धारण हेतु निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखा गया है:

- ऋणियों के आईएफसीआई आन्तरिक संयुक्त रेटिंगों का 3 रेटिंग ग्रेडों तक कम हो जाना (मूल रेटिंग एवं चालू रेटिंग के बीच तुलना की जाए)।
- ऋणियों की रेटिंग का निवेश ग्रेड से कम होना उप-निवेश ग्रेड में आ जाना;
- ऋण मूल्य में क्षति के बगैर परिसम्पत्तियों की पुनर्संरचना पर।
- 60 दिन से अधिक अतिदेय परिसम्पत्तियों पर।

(छ) अनुमानित क्रेडिट हानियाँ हेतु प्रावधान

निम्नलिखित सारणी स्टेज-1, 2 और 3 में ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिमों, ऋण प्रतिबद्धताओं, वित्तीय गारण्टियों, व्यापार प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों की अतिदेय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

	31 मार्च, 2024 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	4.45	-	-	-	4.45
ग्रेड 7-8 : उच्च जोखिम	-	85.75	-	-	85.75
ग्रेड 9-10 : हानि	-	-	3,305.53	-	3,305.53
अन्य	-	-	-	-	-
	4.45	85.75	3,305.53	-	3,395.73
हानि भत्ता	-	(17.84)	(2,554.25)	-	(2,572.09)
वास्तविक मूल्य	4.45	67.91	751.28	-	823.64

	31 मार्च, 2024 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम - ग्रीनफील्ड					
रेटिंग - 1 से 6	15.00	-	-	-	15.00
रेटिंग - 7 से 8	-	-	-	-	-
रेटिंग - 9 से 10	-	-	1,399.72	-	1,399.72
	15.00	-	1,399.72	-	1,414.72
हानि भत्ता	(0.15)	-	(1,002.20)	-	(1,002.35)
वास्तविक मूल्य	14.85	-	397.52	-	412.37

परिशोधित लागत पर ट्रेड प्राप्य

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	76.68	-0.00	76.68
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	14.53	0.77	15.30
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	10.61	0.56	11.17
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	1.82	0.10	1.92
3 वर्ष से अधिक	0.00	2.16	2.16
अन्य	-	-	-
	103.64	3.59	107.23
हानि भत्ता	-	-3.59	(3.59)
वास्तविक मूल्य	103.64	-	103.64

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	39.21	-	39.21
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	0.22	-	0.22
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	0.03	-	0.03
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	2.25	-	2.25
3 वर्ष से अधिक	-	69.72	69.72
अन्य	-	-	-
	41.72	69.72	111.44
हानि भत्ता	-	(69.72)	(69.72)
वास्तविक मूल्य	41.72	-	41.72

एफवीटीओसीआई में ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	जोड़
बीबीबी- से एएए	561.71	-	-	561.71
बीबी- से बीबी+	-	-	-	-
बी- से बी+	-	-	-	-
सी से सीसीसी+	-	-	-	-
डी	-	-	-	-
	561.71	-	-	561.71
हानि भत्ता	-	-	-	-
परिशोधित लागत	561.71	-	-	561.71
उचित मूल्य	570.54	-	-	570.54

31 मार्च, 2024 को

	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं – ग्रीनफील्ड					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	5.71	-	-	-	5.71
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 9-10 : हानि	-	-	-	-	-
	5.71	-	-	-	5.71
हानि भत्ता	(0.15)	-	-	-	(0.15)
वास्तविक मूल्य	5.56	-	-	-	5.56
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं – अन्य					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 9-10 : हानि	45.81	-	-	-	45.81
	45.81	-	-	-	45.81
हानि भत्ता	(32.80)	-	-	-	(32.80)
वास्तविक मूल्य	13.01	-	-	-	13.01

31 मार्च, 2023 को

	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	79.36	-	-	-	79.36
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	-	100.46	-	-	100.46
ग्रेड 9-10 : हानि	-	-	4,490.79	-	4,490.79
अन्य	14.87	-	369.65	-	384.52
	94.23	100.46	4,860.44	-	5,055.13
हानि भत्ता	(7.07)	(17.62)	(3,806.37)	-	(3,831.06)
वास्तविक मूल्य	87.16	82.84	1,054.07	-	1,224.07

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2023 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम - ग्रीनफील्ड					
रेटिंग - 1 से 6	209.32	-	-	-	209.32
रेटिंग - 7 से 8	-	-	-	-	-
रेटिंग - 9 से 10	-	-	1,561.74	-	1,561.74
	209.32	-	1,561.74	-	1,771.06
हानि भत्ता	(11.92)	-	(1,122.34)	-	(1,191.20)
वास्तविक मूल्य	197.40	-	439.40	-	579.86

परिशोधित लागत पर ट्रेड प्राप्य

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	30.81	-	30.81
6 माह से अधिक 1 वर्ष से कम	4.07	0.20	4.27
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	2.41	0.12	2.53
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	1.03	0.05	1.08
3 वर्ष से अधिक	-	1.50	1.50
अन्य	-	-	-
	38.32	1.87	40.19
हानि भत्ता	-	(1.87)	(1.87)
वास्तविक मूल्य	38.32	-	38.32

परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	33.15	-	33.15
6 माह से अधिक 1 वर्ष से कम	0.67	-	0.67
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	0.01	-	0.01
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	0.04	0.04	0.08
3 वर्ष से अधिक	-	70.33	70.33
अन्य	-	-	-
	33.87	70.37	104.24
हानि भत्ता	-	(70.37)	(70.37)
वास्तविक मूल्य	33.87	-	33.87

एफवीटीओसीआई पर ऋण प्रतिभूतियां में निवेश

	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	जोड़
बीबीबी- से एएए	23.59	-	-	23.59
बीबी- से बीबी+	-	-	-	-
बी- से बी+	-	-	-	-
सी से सीसीसी+	-	-	-	-
डी	-	-	-	-
	23.59	-	-	23.59
हानि भत्ता	(0.02)	-	-	(0.02)
परिशोधित लागत	23.57	-	-	23.57
उचित मूल्य	20.68	-	-	20.68

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2023 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
ऋण प्रतिबद्धताएं और वित्तीय गारंटी अनुबंध - ग्रीनफील्ड					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	5.71	-	-	-	5.71
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	7.57	-	-	-	7.57
ग्रेड 9-10 : हानि	-	-	-	-	-
	13.28	-	-	-	13.28
हानि भत्ता	(0.59)	-	-	-	(0.59)
रखरखाव मूल्य	12.69	-	-	-	12.69
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं - अन्य					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 9-10 : हानि	45.81	-	-	-	45.81
	45.81	-	-	-	45.81
हानि भत्ता	(31.16)	-	-	-	(31.16)
रखरखाव मूल्य	14.65	-	-	-	14.65

(झ) ऋणों, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में क्षति भत्ते में उतार-चढ़ाव:

वित्त संबंधी परिसम्पत्तियों, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में क्षति के लिए भत्ते में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार है:

परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम

हानि भत्ते का लेखामिलान	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता		जोड़
		वित्तीय परिसम्पत्तियों, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति नहीं हुई	वित्तीय परिसम्पत्तियों, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति हुई	
01 अप्रैल, 2022 को हानि भत्ता	40.05	39.75	4,166.79	4,246.59
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	(9.79)	(9.79)
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	0.98	(6.41)	199.65	194.22
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(0.32)	(15.70)	(172.39)	(188.41)
बट्टे खाते डाले गए	-	-	(263.56)	(263.56)
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	(1.22)	(1.22)
31 मार्च, 2023 को हानि भत्ता	40.71	17.64	3,919.48	3,977.83
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(36.12)	0.59	(199.43)	(234.96)
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	(522.84)	(522.84)
बट्टे खाते डालना	-	-	(211.72)	(211.72)
छूट हटाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को हानि भत्ता	4.59	18.23	2,985.49	3,008.31

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम - ग्रीनफील्ड

हानि भत्ते का लेखाभिलान	जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता			जोड़
	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति नहीं हुई	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति हुई	
01 अप्रैल, 2022 को हानि भत्ता	1.80	70.55	1,119.87	1,192.22
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	10.92	(70.55)	-	(59.63)
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	-	-	-	-
उद्भूत अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	(0.78)	-	13.52	12.74
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	-	-
बट्टे खाते डाले गए	-	-	(11.05)	(11.05)
छूट हटाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को हानि भत्ता	11.94	(0.00)	1,122.34	1,134.28
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(11.79)	-	(120.14)	(131.93)
उद्भूत अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	-	-
बट्टे खाते डालना	-	-	-	-
छूट हटाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को हानि भत्ता	0.15	(0.00)	1,002.20	1,002.35

एफवीटीओसीआई पर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

हानि भत्ते का लेखाभिलान	जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता			जोड़
	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति नहीं हुई	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति हुई	
01 अप्रैल, 2022 को हानि भत्ता	0.10	-	0.01	0.11
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(0.03)	-	-	(0.03)
उद्भूत अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	-	-
बट्टे खाते डाले गए	-	-	-	-
छूट हटाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को हानि भत्ता	0.07	-	0.01	0.08
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(0.07)	-	(0.01)	(0.08)
उद्भूत अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	-	-
बट्टे खाते डालना	-	-	-	-
छूट हटाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को हानि भत्ता	(0.00)	-	(0.00)	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

आईएफसीआई फैंक्टर्स लिमिटेड के मामले में, एनबीएफसी में भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के कार्यान्वयन के संबंध में, आरबीआई अधिसूचना संख्या “डीओआर (एनबीएफसी) सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 दिनांक 13 मार्च 2020 की अपेक्षानुसार कम्पनी ने इंड एस 109 के तहत हानि भत्ते और आरबीआई प्रूडेंशियल (आईआरएसीपी) मानदंड (मानक संपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान के बीच अंतर को विनियोजित किया है। तदनुसार 105.03 करोड़ रु. की राशि को “क्षति संचय” में अंतरित किया गया है।

(झ) धारित संपाश्विक प्रतिभूति एवं अन्य क्रेडिट संवर्धन

संपाश्विक प्रतिभूति प्रत्येक व्यक्तिगत ऋण के लिए ली गई संपाश्विक प्रतिभूति, ऋण के मूल्य के संबंध में पर्याप्त नहीं हो सकता। सभी ऋणियों को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऋण प्रतिभूत है, कम्पनी की आन्तरिक क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए। उपर बताए गए संपाश्विक प्रतिभूति के अतिरिक्त, कम्पनी अन्य प्रकार के संपाश्विक भी धारित करती है कि जैसे कि द्वितीय प्रभार और प्लवमान प्रभार, जिसके लिए विशेष मूल्य सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते। कम्पनी में विनिर्दिष्ट श्रेणी के संपाश्विक स्वीकार करने और क्रेडिट जोखिम कम करने की आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के मुख्य संपाश्विक के प्रकार निम्नानुसार हैं।

1. अचल सम्पत्तियों का बंधक
2. चल सम्पत्तियों का आडमान
3. बैंक और सरकारी गारंटियां
4. प्रलेखों को गिरवी रखना, जिनकी मार्फत प्रवर्तक का अंशदान परियोजना में दिया गया है।
5. प्रवर्तक शेयरधारिता को गिरवी रखना
6. प्रवर्तकों की निगमित और व्यक्तिगत गारंटियां

(ञ) आशोधित/पुनर्संचित ऋण

जब समूह गैर-महत्वपूर्ण समय अवधि से भिन्न अवधि के लिए ऋणी की वित्तीय मुश्किलों से संबंधित आर्थिक एवं कानूनी कारणों से रियायत है, तो संबंधित ऋण को कठिनाईग्रस्त पुनर्संचित ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। रियायतों में ब्याज दर में कटौती जो चालू बाजार दर से कम होती है, भुगतान अवधि को बढ़ाना, मूलधन माफ करना, अधिकतम वसूली हेतु अभिप्रेत परिहार अथवा अन्य कार्रवाई करना शामिल हो सकता है। ऋण, जिसके लिए शर्तों में आशोधन किया गया है, और जिसके लिए ऋणी वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहा है, को कठिनाईग्रस्त पुनर्संचित ऋण माना जाता है।

जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से, परिसम्पत्ति के एक बार रोक लेने अथवा आशोधित होने पर समूह की दबावग्रस्त परिसम्पत्तियों संबंधी विशेष विभाग इसके जोखिम का निरन्तर अनुवर्तन करता है जब तक कि यह पूरी तरह से और अंतिम रूप से अमान्य नहीं हो जाता है।

ऋण, जिस पर पुनः बातचीत की गई हो, को अमान्य किया जाता है, यदि मौजूदा करार को रद्द किया जाता है और नया करार पूरी तरह से भिन्न शर्तों के साथ किया जाता है या यदि मौजूदा करार की शर्तों को इस तरह आशोधित किया जाता है कि पुनः परक्रमित ऋण पूरी तरह से एक अलग प्रलेख बन जाता है।-

जहां पुनः बातचीत करने पर ऐसे ऋण अमान्य नहीं होते तो वहां क्षति को प्रारंभिक मूल क्रेडिट जोखिम दर की तुलना में जोखिम दर में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए निरन्तर निधारित किया जाता है।

इसमें वे आशोधित परिसम्पत्तियां नहीं थी, जिन्हें उस अवधि में रोक दिया गया था, और तदनुसार समूह को कोई हानि नहीं हुई थी।

(ट) शासन प्रणाली ढांचा

भारतीय रिजर्व बैंक की 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.संख्या 109/22.10.106/2019-20 की अपेक्षा के अनुसार जहां मौजूदा भारिबैंक मानदण्डों के अनुसार प्रावधान भारतीय लेखांकन मानकों के अधीन यथा परिकलित ईसीएल से अधिक होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के उपबन्धों के अनुसार पोर्टफोलियो के आधार पर प्रावधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारिबैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार जहां भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन क्षति भत्ता आईआरएसीपी (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के अधीन अपेक्षित प्रावधान से कम होता है तो इसकी अन्तराल राशि कर-पश्चात् निवल लाभ या हानि से एक अलग ‘क्षति रिजर्व’ में समायोजित किया जाएगा।

ग. नकदी जोखिम

संस्थान की देयताओं, जब भी वे देय होती हैं, को पूरा करने में असमर्थता की संभावना होने पर नकदी जोखिम होता है। समूह के परिप्रेक्ष्य से, यह मूल रूप से परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के परिपक्वता पैटर्न में असमानता से उत्पन्न होता है। नकदी जोखिम के विश्लेषण में संस्थान की सतत् आधार पर सिर्फ नकदी स्थिति का मूल्यांकन करना शामिल नहीं होता बल्कि इस बात की जांच करना भी है कि विलग परन्तु मुश्किल दौर में निधियन अपेक्षाएं कैसे प्रभावित हो सकती हैं। निवल निधिकरण अपेक्षाओं को परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के आगामी स्वरूप के पूर्वानुमानों के आधार पर संस्थान के भावी नकदी उपलब्धता का विश्लेषण करके निधारित किया जाता है, जिन्हें परिपक्वता लैडर सुविधा का उपयोग करके विनिर्दिष्ट समय अवधि में वर्गीकृत किया जाता है और तब नकदी निधारण हेतु समय सीमा में संचयी निवल उपलब्धता को परिकलित किया जाता है।

वर्तमान में, निवल निधिकरण अपेक्षाओं के मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु, परिपक्वता लैडर तथा चुनिंदा परिपक्वता तारीखों को निधियों के संचयी अधिशेष या घाटे के परिकलन के प्रयोग को मानक टूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

इस संबंध में आरबीआई द्वारा निधारित एलएम प्रपत्र को अलग-अलग समय अवधियों में नकदी प्रवाह असमानता के मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जा रहा है। नकदी उपलब्धता को परिसम्पत्तियों, देयताओं एवं ऑफ बैलेस शीट मदों के प्रक्षेपित आगामी स्वभाव के आधार पर अलग-अलग समय अवधियों में रखा जाता है। उपरोक्त नकदी उपलब्धता के अलावा, संस्थान ऋणों की समय पूर्व अदायगियों, देयताओं को समय से पहले समाप्त करना और कुछेक प्रलेखों में दिए गए विकल्पों के प्रयोग के प्रभाव का भी पता लगाएगा, जो निर्दिष्ट समय अवधि के बाद पुट/काल विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार नकदी, बहिर्प्रवाह को उस तारीख में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिस तारीख को देयताएं देय होती हैं, देनदार पहले की तारीख को जल्दी समय पूर्व अदायगी करने के विकल्प का प्रयोग कर सकता है अथवा आरंभिक तारीख की आकस्मिकताओं को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है।

इसके अलावा, कम्पनी निम्नलिखित प्रकार के क्रेडिट श्रृंखलाओं का रखरखाव करती है:

आईडीबीआई बैंक: 110 करोड़ रु. जो प्रति वर्ष 7.66% आरओआई के साथ एफडी पर सुरक्षित है-

एचडीएफसी बैंक: 16 करोड़ रु. जो महीने के आरओआई एमसीएलआर के साथ एमएफ के प्रति प्रतिभूत है।

नकदी जोखिम हेतु प्रकटन

सूचना की तारीख को वित्तीय देयताओं की शेष संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नलिखित हैं। ये राशियां सकल हैं एवं छूट प्राप्त नहीं हैं तथा इनमें संविदात्मक ब्याज भुगतान शामिल हैं और इनमें नेटिंग करारों का प्रभाव शामिल नहीं है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

31 मार्च, 2024 को	संविदात्मक नकद प्रवाह						
	रखरखाव राशि	सकल नामिक अन्तर्प्रवाह/ (बहिर्प्रवाह)	6 माह अथवा कम	6-12 माह	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं							
उधार	346.10	346.10	15.89	15.89	63.57	60.13	190.63
जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां	4,276.21	4,275.83	-	1,375.56	298.42	481.62	2,120.23
अधीनस्थ देयताएं	744.67	744.67	-	-	694.67	-	50.00
डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पत्तियां							
अग्रवर्ती एवं तात्कालिक	13.94	13.94	13.94	-	-	-	0
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पत्तियां							
ऋण एवं अग्रिम	1,363.15	4,857.68	12.50	12.10	32.97	39.94	4,760.18
निवेश प्रतिभूतियां	8,677.93	3,976.35	929.02	23.36	13.78	29.65	2,980.53

31 मार्च, 2023 को		संविदात्मक नकद प्रवाह						
		रखरखाव राशि	सकल नामिक अन्तःप्रवाह/ (बहिर्प्रवाह)	6 माह अथवा कम	6-12 माह	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं								
उधार		511.55	580.34	206.89	40.81	63.26	61.55	207.83
जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां		4,733.59	4,053.54	-	250.34	938.19	900.09	1,964.93
अधीनस्थ देयताएं		774.67	1,313.30	-	-	662.27	-	651.04
डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पत्तियां								
अग्रवर्ती एवं तात्कालिक		14.83	14.83	14.83	-	-	-	-
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पत्तियां								
ऋण एवं अग्रिम		1,907.98	6,326.01	41.61	25.08	90.34	87.03	6,081.95
निवेश प्रतिभूतियां		7,700.07	3,699.85	398.64	8.56	34.54	7.29	3,250.82

गैर-डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पत्तियां		31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
संविदात्मक नकद प्रवाह			
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां			
- 12 माह के भीतर		1,189.98	638.85
- 12 माह के बाद		447.71	243.51
सकल नाम मात्र अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह)		1,637.69	882.36
अन्य वित्तीय देयताएं			
- 12 माह के भीतर		3,389.33	2,054.93
- 12 माह के बाद		1,017.58	1,126.46
सकल नाम मात्र अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह)		(4,406.91)	(3,181.39)

उपरोक्त सारणी में व्यक्त अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों हेतु धारित डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं से संबंधित संविदात्मक अछूटप्राप्त नकदी उपलब्धता को दर्शाता है और जिन्हें सामान्य तौर पर संविदा की अवधि पूरी होने से पहले समाप्त नहीं किया जाता है। प्रकटन उन डेरिवेटिव्स की निवल नकद प्रवाह राशियों को दर्शाता है जिनके लिए निवल नकद निपटान हो चुका है और उन डेरिवेटिव को दर्शाता है जिनका समानान्तर सकल निपटान हो चुका है, के सकल नकद अन्तर्प्रवाह एवं बहिर्प्रवाह की राशियों को भी दर्शाता है।

उपरोक्त सारणी में परिवर्तनीय ब्याज दर ऋणों पर ब्याज भुगतान को सूचना की तारीख को बाजार अग्रगामी ब्याज दरों को दर्शाया गया है और इन राशियों को बाजार ब्याज दर परिवर्तन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आकस्मिक प्रतिफल एवं डेरिवेटिव प्रलेखों पर आगामी नकदी प्रवाह उपरोक्त सारणी में ब्याज दरों और विनियम दरों अथवा आकस्मिक परिवर्तन से अन्तरनिहित उपयुक्त स्थितियों से भिन्न हो सकती है। इन वित्तीय देयताओं के अलावा, यह अपेक्षित नहीं है कि परिपक्वता विश्लेषण में शामिल नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से पहले उत्पन्न हो सकता है, अथवा एकदम भिन्न राशियों में व्यक्त हो सकता है।

निम्न सारणी ग्रुप की आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धता की परिपक्वताओं के द्वारा संविदात्मक समापन को दर्शाती है। प्रत्येक अनाहरित ऋण प्रतिबद्धता को प्रारंभिक तारीख वाले समय अवधि में शामिल किया गया है, इसे निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	मांग पर	6 माह अथवा कम	6-12 माह	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	जोड़
31 मार्च, 2024 को							
उधार देने हेतु अन्य अनाहरित प्रतिबद्धताएं	7.17	-	-	-	-	-	7.17
31 मार्च, 2023 को							
उधार देने हेतु अन्य अनाहरित प्रतिबद्धताएं	26.39	-	-	-	-	-	26.39

(घ) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें, कि ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा दरों तथा इक्विटी मूल्यों में परिवर्तन जैसे अस्थिर बाजार परिवर्तनों के कारण वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य अथवा भावी नकदी प्रवाह कम-ज्यादा होगा। समूह या तो ट्रेडिंग या गैर-ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में बाजार जोखिम का प्रकटन करता है और प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए अलग-अलग व्यवस्था करता है। ऐसे जोखिमों का, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के लिए बाजार जोखिम के रूप में प्रबन्धन किया जाता है और वीएआर कार्यप्रणाली, जो जोखिम परिवर्तनों के बीच अन्तर निर्भरता को दर्शाती है, के आधार पर इनका अनुवर्तन किया जाता है। गैर-ट्रेडिंग स्थितियों का प्रबन्धन और अनुवर्तन अन्य संवेदी विश्लेषण का उपयोग कर के किया जाता है। ऐसे सभी लेन देन जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत किए जाते हैं।

क) बाजार-जोखिम - ट्रेडिंग पोर्टफोलियो

वीएआर कार्यप्रणाली के उद्देश्य एवं सीमाएं

समूह पिछले पांच वर्षों से पूर्ववर्ती डेटा के आधार पर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य में संभावित परिवर्तनों का निर्धारण करने के लिए समरूप मॉडलों का प्रयोग करता है। वीएआर मॉडलों को सामान्य बाजार परिवेश में बाजार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया जाता है। मॉडलों में माना जाता है कि सामान्य बाजार परिवेश को प्रभावित करने वाले जोखिम कारकों से उत्पन्न कोई परिवर्तन एक सामान्य वितरण का अनुसरण करेंगे संवितरण को प्रतिपादित भारित मूल डाटा का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है। इस तथ्य के कारण कि वीएआर जानकारी प्रदान करने के लिए पूर्ववर्ती आंकड़ों पर अधिक निर्भर करता है और यह जोखिम कारकों के भावी परिवर्तनों एवं आशोधनों का स्पष्ट रूप से पूर्वानुमान नहीं लगाता। बड़े बाजारों में परिवर्तन की संभाव्यता कम आंकी सकती है, यदि जोखिम कारक में परिवर्तन सामान्य वितरणपूर्व अनुमान के अनुरूप नहीं होते हैं। जोखिम कारकों पर लगाए गए पूर्वानुमानों एवं विशिष्ट प्रलेखों हेतु ऐसे कारकों के बीच संबंध के कारण वीएआर मॉडल कम अथवा अधिक अनुमान भी लगा सकता है। फिर भी दिन भर में स्थिति बदल सकती है, वीएआर प्रणाली प्रत्येक कार्य दिवस के समापन पर पोर्टफोलियो के जोखिम को दर्शाती है और ऐसी किसी हानि को हिसाब में नहीं लेती, जो 99% विश्वसनीय स्तर से परे हो सकता है।

व्यवहार्यतः वास्तविक ट्रेडिंग परिणाम वीएआर परिकलन से भिन्न होंगे। विशेषतः परिकलन दबावग्रस्त बाजार स्थितियों में लाभ एवं हानियों के सार्थक संकेतन प्रदान नहीं करते। वीएआर मॉडलों की विश्वसनीयता को निर्धारित करने के लिए वास्तविक परिणामों को वीएआर परिकलन में प्रयुक्त पूर्वानुमानों एवं पैरामीटरों की वैधता की जांच के लिए नियमित रूप में मॉनीटर किया जाता है।

वीएआर पूर्वानुमान

वीएआर, जिसका समूह मूल्यांकन करता है, 99% विश्वसनीय स्तर का प्रयोग करते हुए एक अनुमान है, जिसे अधिक होने की आशा नहीं होती, यदि वर्तमान बाजार जोखिम स्थितियों को एक दिन के लिए अपरिवर्तित रखा जाना हो। 99% विश्वसनीय स्तर के प्रयोग का तात्पर्य है कि एक दिन के समस्तर के भीतर, इससे अधिक की हानियों के लिए वीएआर आंकड़ों को सामान्य बाजार स्थितियों के अधीन औसत पर होना चाहिए, जो प्रत्येक सौ दिनों एक बार से अधिक न हो।

चूंकि, वीएआर समूह के बाजार जोखिम प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है, वीएआर सीमाओं को सभी ट्रेडिंग परिचालनों के लिए स्थापित किया गया है और प्रबन्धन द्वारा प्रकटनों की सीमा के प्रति जोखिमों की हर रोज पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

ख) बाजार जोखिम - गैर-ट्रेडिंग पोर्टफोलियो

(i) मुद्रा जोखिम

कि मुद्राओं, जिसमें उधार मुख्यतया मूल्यवर्गित होते हैं और समूह की संबंधित कार्यात्मक मुद्राओं के बीच असमानता के कारण समूह को काफी हद तक मुद्रा जोखिम की संभावना होती है समूह की मुख्य कार्यात्मक मुद्रा रुपए है। मुद्रा, जिसमें ये लेनदेन मुख्य रूप से मूल्यवर्गित होते हैं, वह यूरो है।

मुद्रा जोखिम, जो समूह के यूरो बैंक ऋणों की मूल धन राशियों से संबंधित है, को प्रगामी संविदाओं का उपयोग करते हुए पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया है जो उसी तारीख में परिपक्व होते हैं, जिस तारीख को वे ऋण चुकोती के लिए देय होते हैं।

सामान्य तौर पर, उधार मुद्राओं में मूल्यवर्गित होते हैं, जो समूह के अन्तर्निहित परिचालनों - मुख्यतया रुपए द्वारा सृजित नकदी उपलब्धता से मेल खाते हैं। इसके अलावा, उधारों पर ब्याज उधारों की मुद्राओं में मूल्यवर्गित होता है। यह डेरिवेटिवों को निष्पादित किए बिना आर्थिक प्रतिरक्षा उपलब्ध कराता है और इसलिए, इन परिस्थितियों में प्रतिरक्षी लेखांकन को लागू नहीं किया जाता है।

विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित अन्य मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संबंध में, समूह की नीति यह सुनिश्चित करती है कि इसके निवल जोखिमों को अल्पकालिक असंतुलनों को दूर करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओं को खरीद अथवा बेच कर स्वीकार्य स्तर पर रखा जाए।

मुद्रा जोखिम हेतु प्रकटन

मुद्रा जोखिम हेतु समूह का प्रकटन, जैसा कि प्रबंधन को उल्लेख किया गया है, के संक्षिप्त मात्रात्मक आंकड़े निम्नानुसार हैं:

विवरण	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
	भारतीय रुपए	यूरो	भारतीय रुपए	यूरो
उधार	334.25	3.72	364.25	4.07
मान्य परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संबंध में निवल प्रकटन	334.25	3.72	364.25	4.07

संवेदी विश्लेषण

31 मार्च को सभी मुद्राओं के मद्दे रुपए एवं यूरो का उचित रूप से संभावित सुदृढीकरण (दुर्बलीकरण) विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय प्रलेखों के मूल्यांकन को प्रभावित करेगा और नीचे दर्शाई गई राशियों के तहत इक्विटी एवं लाभ अथवा हानि को प्रभावित करेगा। इस विश्लेषण में यह माना जाता है कि अन्य सभी परिवर्तनों, विशेषत ब्याज दरें, स्थिर रहती हैं और पूर्वानुमान बिक्री एवं खरीद के किसी प्रभाव को अनदेखा करता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	लाभ अथवा हानि		कर घटाकर इक्विटी	
	सुदृढीकरण	दुर्बलीकरण	सुदृढीकरण	दुर्बलीकरण
31 मार्च, 2024	33.43	(33.43)	21.75	(21.75)
यूरो (10% घटबढ़)				
31 मार्च, 2023	36.43	(37.28)	23.70	(24.25)
यूरो (10% घटबढ़)				

(ii) **ब्याज दर जोखिम**

समूह बाजार दर जोखिम को कम करने के लिए प्लवमान दर देयताओं एवं प्लवमान दर परिसम्पत्तियों के अन्तराल को कम करने का प्रयास करता है। इसे प्लवमान दर पर उधार लेने देने से समूह की प्रमुख उधार दर से जुड़ी दरों पर उधार देने से है, जिसे बाद में अन्यो के बीच इसकी उधारों की लागत से जोड़ा जाता है। इसके अलावा, ब्याज की बाजार दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण समूह की निवल ब्याज आय तथा समूह की इक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव को समझने के लिए आवधिक आधार पर किया जाता है। वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, ब्याज दर संवेदी विवरण को मासिक आधार पर तैयार किया जाता है और विभिन्न समयावधि समूहों में अन्तराल को समझने के लिए इसका विश्लेषण किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम का प्रकटन

समूह की ब्याज दर वाले वित्तीय प्रलेखों की ब्याज दर प्रोफाइल, जैसा कि प्रबंधन को सूचित किया गया है, निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
स्थिर दर वाले प्रलेख		
वित्तीय परिसम्पत्तियां	79.46	131.72
वित्तीय देयताएं	5,118.62	5,508.27
परिवर्तनीय दर वाले प्रलेख		
वित्तीय परिसम्पत्तियां	1,306.39	1,799.19
वित्तीय देयताएं	334.25	443.09

स्थिर दर प्रलेखों हेतु उचित मूल्य संवेदी विश्लेषण

सूचना की तारीख को ब्याज दर में 100 आधार बिन्दुओं के उचित रूप से संभाव्य परिवर्तन का लाभ एवं हानि विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूचना की तारीख को उचित मूल्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यह विश्लेषण यह मानता है कि अन्य सभी परिवर्तन विशेषतः विदेशी मुद्रा विनियम दरें स्थिर बनी रहेंगी।

परिवर्तनीय दर प्रलेखों हेतु नकदी प्रवाह संवेदी विश्लेषण

सूचना की तारीख को ब्याज दर में 100 आधार बिन्दुओं के उचित रूप से संभाव्य परिवर्तन से नीचे दर्शाई गई राशियों तक इक्विटी और लाभ या हानि में वृद्धि अथवा कमी होती है। इस विश्लेषण में यह माना जाता है कि अन्य सभी परिवर्तन, विशेषतः विदेशी मुद्रा विनियम दरें स्थिर बनी रहेंगी।

	लाभ अथवा हानि		कर घटाकर इक्विटी	
	100 बीपी वृद्धि	100 बीपी कमी	100 बीपी वृद्धि	100 बीपी कमी
31 मार्च, 2024				
परिवर्तनीय दर वाले प्रलेख	3.34	(3.34)	2.17	(2.17)
नकदी प्रवाह संवेदी (निवल)				
31 मार्च, 2023				
परिवर्तनीय दर वाले प्रलेख	4.43	(4.43)	2.88	(2.88)
नकदी प्रवाह संवेदी (निवल)				

(iii) **इक्विटी मूल्य जोखिम**

इक्विटी मूल्य जोखिम वह जोखिम है जिसमें, इक्विटियों का उचित मूल्य इक्विटी सूचकांकों के स्तर में और व्यक्तिगत स्टॉकों के बाजार मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कमी आती है। गैर-ट्रेडिंग इक्विटी मूल्य जोखिम प्रकटन उचित मूल्य पर वर्गीकृत इक्विटी प्रतिभूतियों से उत्पन्न होता है। इक्विटी मूल्य जोखिम कारोबार के प्रयोजन से रखी गई प्रतिभूतियों पर अधिक प्रयोज्य होता है। चूंकि कम्पनी दीर्घ अवधि निवेशों पर बल देती है और वर्तमान निवेशों को (ट्रेडिंग प्रयोजनों हेतु धारित निवेश) निम्न स्तर रखा जाता है अतः समूह में महत्वपूर्ण इक्विटी मूल्य जोखिम की संभावना नहीं हो सकती।

57 अन्य कम्पनियों में हित

(क) सहायक कम्पनियों में हित

- 31 मार्च, 2024 को समूह की सहायक कम्पनियों का विवरण नीचे दिया गया है। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए, उनके पास केवल इक्विटी शेयरों की शेयर पूंजी है जिसे प्रत्यक्ष रूप में समूह द्वारा धारित जाता है और स्वामित्व हित के अनुपात को समूह द्वारा धारित मताधिकार के बराबर रखा जाता है। निगमन अथवा पंजीकरण देश भी उनके मूल कारोबार स्थान में होता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

संस्था का नाम	निगमन देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व		गैर नियंत्रक हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		मुख्य क्रियाकलाप
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	
प्रत्यक्ष सहायक कम्पनियां						
आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि. (आईवीसीएफ)	भारत	98.59%	98.59%	1.41%	1.41%	संस्थागत सहायता प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देना
आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि. (आईआईडीएल)	भारत	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	इंफ्रास्ट्रक्चर एवं रीयल इस्टेट क्षेत्र
आईएफसीआई फैक्टर्स लि. (आईएफएल)	भारत	99.90%	99.90%	0.10%	0.10%	फैक्टरिंग सेवाएं, संबद्ध उत्पाद, सामान्य प्रयोज्य ऋण
आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (आईफिन)	भारत	94.78%	94.78%	5.22%	5.22%	मर्चेन्ट बैंकिंग कारोबार
स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (एसएचसीआईएल)	भारत	52.86%	52.86%	47.14%	47.14%	कस्टोडियन एवं डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट
एमपीकॉन लि.	भारत	79.72%	79.72%	20.28%	20.28%	परामर्शी सेवाएं
स्टैप डाउन सहायक कम्पनियां						
आईफिन की सहायक कम्पनियां						
आईफिन कर्माडिटीज लिमिटेड-आईफिन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	94.78%	94.78%	5.22%	5.22%	विनिमय आधारित कर्माडिटी ट्रेडिंग
आईफिन क्रेडिट लि. - आईफिन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	94.78%	94.78%	5.22%	5.22%	कोई व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं
आईफिन सिक्युरिटीज फाइनेंस लिमिटेड-आईफिन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	94.78%	94.78%	5.22%	5.22%	निधियों का विलयन, शेयर्स तथा सम्पत्ति के प्रति ऋण एवं प्रोमोटर निधियन
आईआईडीएल की सहायक कम्पनी						
आईआईडीएल रियलटर्स प्रा. लि. - आईआईडीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	रीयल स्टेट
एसएचसीआईएल की सहायक कम्पनी						
एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड - एसएचसीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	52.86%	52.86%	47.14%	47.14%	दलाली सलाहकारी सेवाएं
स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लि. - एसएचसीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	52.86%	52.86%	47.14%	47.14%	प्रत्यक्ष अभिरक्षा सेवाएं, डिजीटलाइजेशन और सॉफ्टवेयर उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री
स्टॉकहोल्डिंग सिक्युरिटी आईएफएससी लि. - एसएचसीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	52.86%	52.86%	47.14%	47.14%	आईएफएससी, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में निवेशकों को सेवा समाधान

- ii. नीचे ऐसी प्रत्येक सहायक कम्पनी के बारे में वित्तीय जानकारी को संक्षेप में दी गई है, जिनके गैर-नियंत्रक हित हैं, जो समूह के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक सहायक कम्पनी के लिए प्रकट की गई राशियां अन्तर कम्पनी विलोपन से पहले की हैं।

संक्षिप्त तुलन पत्र

विवरण	स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (समेकित)		एमपीकॉन लि.	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
चालू परिसम्पतियां	2,644.48	2,243.61	16.03	11.83
चालू देयताएं	2,144.72	1,637.61	9.03	4.13
निवल चालू परिसम्पतियां	499.76	606.00	7.00	7.70
गैर-चालू परिसम्पतियां	7,669.40	6,948.80	14.03	8.87
गैर-चालू देयताएं	1,650.12	1,549.21	5.55	5.54
निवल गैर-चालू परिसम्पतियां	6,019.28	5,399.59	8.48	3.33
निवल परिसम्पतियां	6,519.03	6,005.58	15.48	11.03

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

लाभ एवं हानि का संक्षिप्त विवरण

विवरण	स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (समेकित)		एमपीकॉन लि.	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
परिचालन से राजस्व	661.48	593.99	236.59	178.83
वर्ष हेतु लाभ	289.14	184.77	5.90	4.41
अन्य समग्र आय	375.90	1,298.41	(0.05)	0.09
कुल समग्र आय	665.04	1,484.48	5.85	4.50
गैर नियंत्रक ब्याज पर देय कुल समग्र आय	313.50	699.78	1.19	0.91

(ख) सहयोगी कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों में हित

i. 31 मार्च, 2024 को समूह की सहयोगी कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, निदेशकों की राय में वे समूह के लिए महत्वपूर्ण हैं।

संस्था का नाम	कारोबार का स्थान	स्वामित्व का %	संबंध	मूल क्रियाकलाप	लेखांकन	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
						रखरखाव मूल्य	उचित मूल्य (यदि उद्धृत हो)	रखरखाव मूल्य	उचित मूल्य (यदि उद्धृत हो)
इंस्टिट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट (आईएलडी)	भारत	शून्य	सहयोगी कम्पनी	कौशल विकास प्रदान करना	इक्विटी लेखांकन	शून्य	अनुद्धृत	शून्य	अनुद्धृत
आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन	भारत	शून्य	सहयोगी कम्पनी	सीएसआर क्रियाकलापों हेतु आयकर अधिनियम के तहत न्यास	इक्विटी लेखांकन	शून्य	अनुद्धृत	शून्य	अनुद्धृत

ii. नीचे दी गई सारणी समूह की सहयोगी कम्पनियों की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी प्रदान करती है। प्रकट की गई जानकारी सम्बन्धित सहयोगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई राशियों को दर्शाती है और न कि इन राशियों में समूह के हिस्से को।

निम्नलिखित सहयोगी कम्पनियों के संबंध में संक्षिप्त वित्तीय जानकारी वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध नहीं है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जानकारी प्रबंधन के पास उपलब्ध है और नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

	इंस्टिट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट		आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन	
	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
देयताएं				
निगमित निकाय निधि	1.25	1.25	0.11	0.11
अधिशेष निधि	(7.43)	(7.53)	-	-
निर्दिष्ट निधि	-	-	-	-
सामान्य निधि	-	-	2.31	2.67
आयकर की धारा 11(2) के तहत विशेष निधि	-	-	-	-
कैम्पस और चल परिसम्पत्तियां निधि	11.00	11.98	-	-
उपदान रिजर्व निधि	-	-	-	-
संचयी अवकाश निधि	-	-	-	-
अन्य निधियां	-	-	-	-
चालू देयता एवं प्रावधान	1.56	1.30	0.01	0.01
	<u>6.38</u>	<u>7.00</u>	<u>2.43</u>	<u>2.79</u>
परिसम्पत्तियां				
आईएफसीआई एवं अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान से निधिकृत परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
अनुदान से निधिकृत परिसम्पत्तियों से भिन्न परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
निवेश	1.98	2.35	1.76	1.49
गैर-चालू परिसम्पत्तियां	2.69	2.93	-	-
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	1.71	1.72	0.67	1.30
एमडीआई-मुश्निदाबाद	-	-	-	-
	<u>6.38</u>	<u>7.00</u>	<u>2.43</u>	<u>2.79</u>

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

लाभ एवं हानि विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
विवरण				
राजस्व	2.23	1.09	1.32	0.58
कर-पश्चात् लाभ	0.11	(0.90)	-	-
अन्य समग्र आय	-	-	-	-
कुल समग्र आय	0.11	(0.90)	-	-
प्राप्त लाभभांश	-	-	-	-

(ग) सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यम, जो समेकित नहीं हैं, की सूची

कम्पनी	समेकन न होने के कारण
सहयोगी कम्पनी	
अथेना छत्तीसगढ़ पावर प्रा. लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत निवेश
गति इंफ्रास्ट्रक्चर भासमे पावर प्रा. लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत निवेश
किटको लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत निवेश
नगई पावर प्रा. लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत निवेश
शिगा इनर्जी प्राइवेट लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत निवेश
वडराज सीमेंट लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत निवेश
वडराज एनर्जी (गुजरात) लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत निवेश
संयुक्त उद्यम	
आईएफसीआई सिकामोर कैपिटल एडवाइजर प्रा. लि.	स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन

(घ) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अधीन अतिरिक्त प्रकटन

संस्था का नाम	निवल परिसम्पत्ति		लाभ अथवा हानि में हिस्सा		अन्य समग्र आय में हिस्सा		कुल समग्र आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसम्पत्ति का %	राशि (करोड़ रुपए)	समेकित लाभ या हानि का %	राशि (करोड़ रुपए)	समेकित अन्य व्यापक आय का %	राशि (करोड़ रुपए)	समेकित अन्य व्यापक आय का %	राशि (करोड़ रुपए)
मूल कम्पनी								
आईएफसीआई लि.								
31-मार्च-24	15.81%	1,214.20	53.20%	128.24	-12.01%	(40.14)	15.31%	88.10
31-मार्च-23	9.39%	626.09	240.09%	(287.58)	-2.50%	(31.77)	-27.79%	(319.35)
सहायक कम्पनियां (भारतीय)								
आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि.								
31-मार्च-24	2.26%	173.45	0.43%	1.03	0.06%	0.18	0.21%	1.22
31-मार्च-23	2.58%	172.23	-4.52%	5.42	-0.04%	(0.52)	0.43%	4.90
आईएफसीआई फैक्टर्स लि.								
31-मार्च-24	0.18%	13.92	-36.48%	(87.94)	-0.52%	(1.73)	-15.58%	(89.67)
31-मार्च-23	1.55%	103.59	3.52%	(4.22)	0.11%	1.37	-0.25%	(2.85)
एमपीकॉन लि.								
31-मार्च-24	0.20%	15.48	2.45%	5.90	-0.01%	(0.04)	1.02%	5.85
31-मार्च-23	0.17%	11.02	-3.69%	4.42	0.01%	0.09	0.39%	4.51
आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि. (स्टेप-डाउन सहायक कम्पनी सहित)								
31-मार्च-24	6.66%	511.28	4.71%	11.35	0.01%	0.03	1.98%	11.38
31-मार्च-23	7.87%	524.88	-14.56%	17.43	0.00%	(0.04)	1.51%	17.39

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

संस्था का नाम	निवल परिसम्पत्ति		लाभ अथवा हानि में हिस्सा		अन्य समग्र आय में हिस्सा		कुल समग्र आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसम्पत्ति का %	राशि (करोड़ रुपए)	समेकित लाभ या हानि का %	राशि (करोड़ रुपए)	समेकित अन्य व्यापक आय का %	राशि (करोड़ रुपए)	समेकित अन्य व्यापक आय का %	राशि (करोड़ रुपए)
स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (स्टेप-डाउन सहायक कम्पनी सहित)								
31-मार्च-24	84.89%	6,519.04	119.95%	289.14	112.43%	375.90	115.58%	665.04
31-मार्च-23	90.05%	6,005.59	-154.26%	184.77	102.43%	1,299.71	129.18%	1,484.48
आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (स्टेप-डाउन सहायक कम्पनी सहित)								
31-मार्च-24	0.97%	64.26	1.42%	(0.76)	-0.04%	0.12	-0.19%	(0.64)
31-मार्च-23	0.97%	64.90	1.42%	(1.71)	-0.04%	(0.52)	-0.19%	(2.22)
गैर-नियंत्रण हित								
31-मार्च-24	40.96%	3,145.07	57.00%	137.40	53.00%	177.21	54.68%	314.61
31-मार्च-23	43.52%	2,902.12	-73.45%	87.98	48.28%	612.68	60.97%	700.66
समेकन समायोजन								
31-मार्च-24	-51.79%	(3,977.38)	-100.94%	(243.31)	-53.00%	(177.20)	-73.08%	(420.51)
31-मार्च-23	-56.11%	(3,741.59)	105.44%	(126.29)	-48.24%	(612.09)	-64.26%	(738.38)
चोड़								
31-मार्च-24	100.00%	7,679.31	100.00%	241.05	100.00%	334.33	100.00%	575.38
31-मार्च-23	100.00%	6,668.84	100.00%	(119.78)	100.00%	1,268.91	100.00%	1,149.13

57.1 पिछली अवधि के ऑकड़ों को चालू अवधि के ऑकड़ों के अनुरूप, जहां कही आवश्यक समझा गया, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया।

58 पूंजी प्रबंधन

पूंजी पर्याप्तता ढांचे का मूल दृष्टिकोण यह है कि किसी वित्तीय संस्थान के पास अपने कारोबार के जोखिमों से उत्पन्न किसी अप्रत्याशित हानियों के कारण हुए आघातों को सहने के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आईएफसीआई जो एक सरकारी स्वामित्व वाली एक एनबीएफसी-एनडी-एसआई है, को जोखिम भारित परिसम्पत्ति अनुपात हेतु न्यूनतम पूंजी का रखरखाव करना आवश्यक है। पूंजी प्रबंधन मौजूदा विनियामक पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कम पूंजी के अधिकतम उपयोग को अनिवार्य बनाता है। आईएफसीआई में उपयुक्त जोखिम क्षमता ढांचा है और यह वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी अपेक्षाओं और पर्याप्तता का परिकलन करता है।

i. समूह सभी संस्थाओं, जो समूह का भाग है, के लिए जोखिम संपत्ति के प्रति न्यूनतम पूंजी का अनुपात बनाकर रखता है आर तदनुसार समूह में सभी संस्थाओं के बीच पूंजी अपेक्षाओं की व्यवस्था करता है।

ii. पूंजी आबंटन

प्रत्येक परिचालन या क्रियाकलाप को आबंटित पूंजी की राशि जोखिम समायोजित पूंजी पर प्रतिफल के न्यूनीकरण के उद्देश्य से किया जाता है। विभिन्न करोबारों के लिए वर्ष के आरम्भ में ही वार्षिक कारोबार योजना के आधार पर पूंजी का आबंटन किया जाता है। पूंजी आबंटन के लिए विभिन्न विचारनीय विषयों में मौजूदा परिचालनों और क्रियाकलापों में तालमेल, प्रबंधन और अन्य स्रोतों की उपलब्धता तथा कम्पनी के दीर्घ अवधि नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप क्रियाकलाप के लाभ शामिल है।

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अधिन अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस मान एंड कंपनी

सनदी लेखापाल

आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान

साझेदार

सदस्यता संख्या: 080500

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज भित्तल

प्रबंध निदेशक व

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

डीआईएन: 01400076

सुनीत शुकला

मुख्य महाप्रबंधक व

मुख्य वित्तीय अधिकारी

राहुल भावे

उप प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 09077979

प्रियंका शर्मा

कम्पनी सचिव

उमेश कुमार गर्ग

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन: 00599426

टिप्पणियाँ

[illegible]

टिप्पणियाँ

[illegible]

टिप्पणियाँ

[illegible]

आईएफसीआई के कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय

आईएफसीआई लिमिटेड

आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110 019

टेलीफोन: +91-11-4179 2800, 4173 2000

वेबसाइट: www.ifcilttd.com

सीआईएन: एल74899डीएल1993जीओआई053677

31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार

क्षेत्रीय कार्यालय

कोलकाता

डीबी-3, सेक्टर-1,

साल्ट लेक,

कोलकाता-700064

हैदराबाद

तारामंडल काम्प्लेक्स

(8वां तल), 5-9-13 सैफाबाद

पिन-500 004

फोन: +91-40-2324 3505/06/07

फैक्स: +91-40-2324 1138

मुंबई

307/314, ट्रेड वर्ल्ड,

सी-विंग, कमला मिल्स कंपाउंड,

लोअर परेल वेस्ट,

मुंबई-400013

रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट्स

इक्विटी शेयरों व फेमिली बॉण्ड्स के लिए:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि.

एफ-65, पहली मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रियल

एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110 020

वेबसाइट: www.mcsregistrars.com

ई-मेल: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com;

admin@mcsregistrars.com

फोन: +91-11-4140 6149/50/51/52

फैक्स: +91-11-4170 9881

इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (सीरीज I व II) के लिए:

बीटल फाइनेंशियल एण्ड कंप्यूटर सर्विसिज प्रा. लि.

बीटल हाऊस, तृतीय तल, 99 मदनगौर

लोकल शापिंग सेंटर के पीछे

दादा हरसुख दास मंदिर के पास

नई दिल्ली-110 062

फोन: +91-11-2996 1281-83

फैक्स: +91-11-2996 1284

ई-मेल: ifci@beetalfinancial.com

इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (सीरीज III, IV व V) व आईएफसीआई एनसीडी (ट्रेज I व II) के लिए

केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.

निगमित व पंजीकृत कार्यालय:

केफिन टेक्नोलॉजीस लि.

सिलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 व 32,

गोचीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,

नानकरामगुड्डा, श्रीलिंगमपल्ली,

हैदराबाद-500 032

ई-मेल: einward.ris@kfintech.com

फोन: 040-6716 1589 / 1672/ 1678

फैक्स: +91-040- 2300-1153

टोल फ्री नं. 1800-309-4001

सीआईएन नं. यू67200टीजी2017पीटीसी117649

सबऑर्डिनेट बॉण्ड्स (सीरीज I व III) के लिए:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

सी-101, 247 पार्क

एल बी एस मार्ग, विक्रोली पश्चिम

मुंबई-400 083

फोन: +91-22-4918 6270

फैक्स: +91-22-4918 6060

ई-मेल: bonds.helpdesk@linkintime.co.in

इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स सीरीज I व II, सबऑर्डिनेट बॉण्ड्स, कर-मुक्त बॉण्ड्स, अन्य नियमित प्रतिफल वाले बॉण्ड्स के लिए डिबेंचर ट्रस्टी

पंजीकृत कार्यालय:

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसिज लि.

एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउंड

पांडूरंग बुधकर मार्ग, वर्ली,

मुंबई-400 025

पत्राचार के लिए पता:

मुख्य परिचालन अधिकारी

पता:

रूबी, दूसरी मंजिल,

एसडब्ल्यू, 29 सेनापति बापत मार्ग,

दादर पश्चिम, मुंबई-400028

फोन: +91-22-62300451

फैक्स: 022-43253000

ई-मेल: debenturetrustee@axistrustee.in

compliance@axistrustee.in

वेबसाइट: www.axistrustee.in

डेस्क कार्यालय:

द्वितीय तल, 25 पूसा रोड,

करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास,

नई दिल्ली-110005

इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स सीरीज III, IV व V

के लिए डिबेंचर ट्रस्टी

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज लि.

यूनिवर्सल इश्योरेस बिल्डिंग,

ग्राउंड फ्लोर, सर पी.एम. रोड,

फोर्ट, मुंबई-400001

फोन: 022-4080 7000

फैक्स: 022-6631 1776

ई-मेल: itsl@idbitrustee.com

वेबसाइट: http://www.idbitrustee.com

नियमित बॉण्ड्स सीरीज 47, 50 व 51

के लिए डिबेंचर ट्रस्टी

सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसिज लि.

पंजीकृत कार्यालय: तृतीय तल, (ईस्ट विंग)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

एमएमओ बिल्डिंग, 55 एम जी रोड

मुंबई-400 001

फोन: +91-22-2261 6217

फैक्स: +91-22-2261 6208

वेबसाइट: www.cfsl.in

ई-मेल: info@cfsl.in

सुपुर्दगी न होने पर कृपया निम्नलिखित को लौटाएं:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि.

एफ-65, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया,

फेज-I, नई दिल्ली-110 020